चतुर्दश माला, खंड 8, अंक 18

मंगलवार, 22 मार्च, 2005
1 चैत्र, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Acc. No. 58
Dated 2/2/06

(खण्ड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 22 मार्च, 2005/1 चैत्र, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 264	1-43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 265 से 280	43-117
अतारांकित प्रश्न संख्या 2821 से 3050 . .	117-540
सभा पटल पर रखे गए पत्र	540-548
राज्य सभा से संदेश	548
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति . .	549
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन .	549
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
चौथे से छठा प्रतिवेदन .	550
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
पान्चवा प्रतिवेदन	551
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी.एम. सईद	551
(दो) ''सुनामी आपदा'' के बारे में दिनांक 1.3.2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के ऊपर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	
श्री एस. रघुपति	552
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	554

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

सदस्यों द्वारा निवेदन

विश्व जल दिवस के बारे में 583

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु में पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाथम और वेदसंधुर तालुकों में "राष्ट्रीय सम विकास योजना" के अंतर्गत विकासात्मक कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन . 588

(दो) गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1998-2004 की अवधि के दौरान शुरू किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल . 589

(तीन) उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की खांडा-माकनपुर कालोनी में विकासात्मक कार्य शुरू किए जाने के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल 589

(चार) "दलित ईसाइयों" को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री एल. राजगोपाल . 590

(पांच) वाल्टेयर (विजाग), रायपुर और लोकारो को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव 590

(छह) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष जांच दल और उच्चाधिकार प्राप्त समिति पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री तापिर गाव . 591

(सात) पंजाब के भारत-पाक सीमावर्ती जिलों में खेती करने वाले किसानों की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री नवजोत सिंह सिद्धू . 591

विषय कॉलम

(आठ) राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह 592

(नौ) घरेलू अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) निर्माताओं को 1 अप्रैल, 2005 से अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि करने से रोकने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन 593

(दस) देश के चहुंमुखी विकास हेतु श्रमिकोन्मुखी आर्थिक और औद्योगिक नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाप्रदा 593

(ग्यारह) सतारा जिले में कराड़ कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर अगाशिवा हिल्स पर पारिस्थिति की-पर्यटन विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 594

(बारह) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सरकारी हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनिल कुमार महतो 595

(तेरह) तेलंगाना क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या के समाधान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार 595

(चौदह) ईस्ट कोस्ट रेलवे की वालटेयर डिवीजन में नौपाड़ा-गुनपुर रेल खंड पर आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाने के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु . 596

(पन्द्रह) जम्मू-कश्मीर राज्य में पर्यटन के विकास के लिए राज्य को गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के लिए पात्र बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन . . . 596

विषय	कॉलम
पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	597
श्री कमलनाथ	607
श्री उदय सिंह	609
श्री पवन कुमार बंसल	614
श्री रूपचंद पाल	623
श्री रामजीलाल सुमन	633
श्री आलोक कुमार मेहता	635
श्री लालमणि प्रसाद	639
श्री सी. कुप्पुसामी	639
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	641
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	643
श्री जार्ज फर्नान्डीज	647
श्रीमती मेनका गांधी	649
कुंवर जितिन प्रसाद	654
श्री सुरेश कुरूप	658
श्री मोहन सिंह	660
श्री रामकृपाल यादव	662
श्री खारबेल स्वाईं	666
श्री अधीर चौधरी	669
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	671
श्री किन्जरपु येरननायडु	675
कुमारी ममता बैनर्जी	678

विषय	कॉलम
श्री पी.सी. थामस	685
श्री जोवाकिम बखला	686
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	691
खंड 2 से 78 और 1	701-712
पारित करने के लिए प्रस्ताव	712
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	713-714
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	713-728
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	729-730
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	729-732

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 2005/1 चैत्र, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री के.एस.राव, प्रश्न संख्या 261

सर्व शिक्षा अभियान

+
*261. **श्री के.एस. राव :**
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की पर्यवेक्षण करने हेतु हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें प्रधान मंत्री ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या देश भर के विद्यालयों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की उच्च-दर के बारे में भी इस बैठक में चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्यालयों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की उच्च-दर को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन के शासी परिषद की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 21.2.2005 को आयोजित की गई। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति पर चर्चा हुई तथा सदस्यों ने पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता सहित देश में प्रारंभिक शिक्षा के संवर्धन पर अपने विचारों का अदान-प्रदान किया।

सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने हेतु प्रयासरत है कि कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई न छोड़े। इस प्रयोजनार्थ सर्व शिक्षा अभियान ऐसे उपायों पर विशेष ध्यान देता है जो बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने को बढ़ावा देते हैं जैसे कि लचीली विद्यालयीन सुविधाएं, ऐसे कार्यकलाप जो सीधे बालिकाओं की शिक्षा में सहायता पहुंचाएं, समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों की सहायता हेतु कार्यक्रम और कतिपय शैक्षिक प्रोत्साहन।

श्री के.एस.राव : महोदय, यह स्थिति अत्यंत शोचनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद् की बैठक फरवरी, 2005 को छोड़कर पिछले चार वर्षों में कमी नहीं हुई है। महोदय, सर्व शिक्षा अभियान हेतु निधि के आबंटन को 2002-2003 में 2000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर इस वर्ष 7,150 करोड़ रु. करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जबकि बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की दर 30 प्रतिशत नीचे आ गयी है परंतु यह अभी भी बहुत अधिक है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करके बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। अभी, कुछ वर्ष पूर्व तक प्रदान की जा रही आकस्मिक निधि प्रति स्कूल प्रति वर्ष 2000 रु. है जो कि पर्याप्त नहीं है। यह बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से आने के लिए आकर्षित नहीं करती इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह स्कूलों, में खेल का मैदान बनाने हेतु अधिक निधि आबंटित करेंगे ताकि इससे बच्चे आकर्षित हों। इस का कारण यह है कि आरंभ में बच्चे खेल-कूद में अधिक रुचि लेते हैं। यदि हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करके उन्हें स्कूलों की ओर आकर्षित करेंगे तो पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या स्वतः ही कम हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री के.एस. राव : इस समय निधि का उपयोग भवनों के निर्माण हेतु हो रहा है अतः महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या निधि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है अथवा नहीं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय मैं, माननीय सदस्य की टिप्पणी के प्रथम भाग पर कुछ नहीं कहूंगा, परंतु यह सत्य है कि इस परिषद् की पहली बैठक माननीय प्रधान मंत्री के सभापतित्व में हुई। यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि यह सरकार इस बात के लिए दृढ़-संकल्प है कि यह कार्यक्रम देश के लिए अति महत्वपूर्ण हो, और इसे हर परिस्थिति में युक्तियुक्त ध्येय तक पहुंचाया जाए।

जहां तक निधि देने का प्रश्न है क्रमशः 5000 रु. अनुरक्षण हेतु और 500 रु. शिक्षकों के लिए दिए जाते हैं। राज्य सरकारे अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। जहां तक खेल के मैदानों का प्रश्न है, खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए कतिपय राशि देना एक महत्वपूर्ण बात है और हम निश्चित रूप से ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री के.एस. राव : महोदय आज देश को कुशल लोगों की आवश्यकता है। न कि डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि निधि का आबंटन प्राथमिक शिक्षा से आगे अर्थात् कक्षा 7 से कक्षा 10 तक बढ़ाया जाए। उन्हें कक्षा 8 से कक्षा 10 तक विशेषकर मिस्त्री का काम, बढ़ई का काम, बिंजली का काम, मशीनों की मरम्मत, और अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे टेलीफोन, गेस्ट हाऊस में मरम्मत जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो गरीब लोग जो उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते, वे प्रारंभ में ही विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वरोजगार पा सकते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यह एक बहुमूल्य सुझाव है। वस्तुतः छात्रों के लिए 10वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। परंतु मैं इस बात से सहमत हूं कि वे आज इतने आकर्षक नहीं है और आज उपलब्ध रोजगार के अवसरों से सीधे जुड़े भी नहीं हुए हैं। हम उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु जहां तक इन निधियों का उद्देश्य हेतु उपयोग का संबंध है मेरे विचार से यह संभव नहीं हैं क्योंकि यह विशुद्ध रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए ही है।

श्री मधु गौड यास्खी : माननीय, अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान आरंभ करने का उद्देश्य सर्व स्वाहा अभियान बन गया है, जिसका अर्थ है निधि का दुरुपयोग विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में जहां कम्प्यूटर और टेलिविजन की खरीद में 250 करोड़ रु. का घोटला हुआ है। मेरे जिले निजामाबाद में एक स्कूल जिसका नाम रुद्र गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है में 1996 से बिजली नहीं है और कोई फर्नीचर भी नहीं है, परन्तु मैने उस स्कूल में सोनी 29'' कलर टैलिविजन देखा। एक अन्य स्कूल जिसका नाम मानिक भंडार हाई स्कूल है में लगभग 400 विद्यार्थियों के लिए एक ही शौचालय है दूसरे शब्दों में, सर्व शिक्षा अभियान के लिए आबंटित निधि का विशेषकर आंध प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से निर्लज्जतापूर्वक दुरुपयोग हुआ है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, द्वारा निधि के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है......

अध्यक्ष महोदय : केवल एक भाग की अनुमति है।

श्री मधु गौड यास्खी : महोदय, मैं शीघ्र ही अपनी बात पूरी कर दूंगा।

2010 तक व्यापक रूप से बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बनाए रखने के ध्येय के प्राप्त करने के लिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभिक बालिका शिक्षा कार्यक्रमों जैसे अनेक कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मधु गौड़ यास्खी : मेरा पिछले नौ महीनों का अनुभव बताता है कि जब तक हम उन अभिभावकों को, जो अपने बच्चों द्वारा अर्जित आय पर निर्भर रहते है अर्थक्षम-रोजगार प्रदान नहीं करते हम सभी बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बनाए रखने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 2010 तक व्यापक रूप से बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बनाए रखने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार क्या सुधारात्मक उपायों की योजना बना रही है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, इस अभियान में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम हर प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं और माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव भी उनमें से एक है।

जहां तक उनके क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति का संबंध है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मुझे एक नोटिस दें। हम इस संबंध में पता लगाएँगे और उन्हें सूचित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है माननीय मंत्री जी ने जो जबाव दिया है, वह पूछे गए सवाल से मेल नहीं खा रहा हैं। सवाल तीन भागों में पूछा गया है। मैंने पूछा है कि ड्राप आउट कितना हुआ है? जो बैठक 21.2.2005 में हुई थी, उसके क्या निर्णय हुए हैं? इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदम क्या हैं? यह मूल प्रश्न का भाग है। जबाव आया है कि ड्राप आउट

कितना हुआ है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, उसके क्या निर्णय हुए, इस बारे में भी कोई जबाव नहीं आया है। सरकार का क्या प्रोग्राम है, यह जबाव भी नहीं आया है *[अनुवाद]* मुझे ग्रन्थालय से जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार मेरे पास 1961 से 2002-03 तक के प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े हैं। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 65 प्रतिशत से 35 प्रतिशत, प्रारंभिक स्कूलों में 78 प्रतिशत से 52 प्रतिशत और माध्यमिक स्कूलों में 82 प्रतिशत से 62 प्रतिशत की गिरावट आई है। *[हिन्दी]* जो ड्राप आउट के फिगर्स हैं, *[अनुवाद]* सभी आंकड़े गुमराह करने वाले हैं। मेरा माननीय मंत्री से यह प्रश्न है कि स्कूल बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या, अंकों में क्या है? सरकार का लक्ष्य क्या है और स्कूल बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को नियंत्रित कैसे किया जाएगा? यही मेरा विशिष्ट प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, इस सभा को गुमराह करने का प्रयत्न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है और सभी वक्तव्य जो यहां दिए गये हैं, उनमें विचारो का आदान प्रदान किया गया है.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री जी तैयार नहीं हैं।

श्री अर्जुन सिंह : आप कुछ मदद कर सकें, तो कर दें।

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, यह गंभीर प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह : जी हां, यह प्रश्न बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन माननीय सदस्य का जो अध्ययन करने के लिए ग्रन्थालय गये हैं प्रशंसा करता हूं। और आशा करता हूं कि और अधिक माननीय सदस्य नियमित रूप से ग्रन्थालय जाएंगें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया संयम रखें।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, स्कूल बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों के संपूर्ण आंकड़े निम्नवत हैं:- 1991 में प्राथमिक स्तर पर 42 प्रतिशत; प्रारंभिक स्तर पर 28 प्रतिशत थी...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मेरे, पास इसकी जानकारी है मैंने केवल पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की वास्तविक दर के संबंध में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : वह विद्यार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं। वह पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की कुल संख्या जानना चाहते है क्या आपके पास इसकी कुल संख्या है?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

श्रीमती सी.एस. सुजाता : धन्यवाद महोदय, मैं उन राज्यों के बारे में माननीय मंत्री से प्रश्न पूछना चाहती हूं जहां स्कूलो को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है। केरल में, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्कूलों को शासित किया जाता है क्या भारत सरकार एसएसए निधि को ऐसे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देने पर सहमत हो सकती है?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, केरल इस अभियान के संबंध में कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा कर रहा है और वर्तमान व्यय के स्वरूप का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। मैं ऐसे अपवर्तन की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री छत्तर सिंह दरबार जी, आप, थोड़ा इस ओर आ जाइए। आप पोल के कारण दिख नहीं रहे हैं। कृपया आगे आ जाइए।

श्री छत्तर सिंह दरबार : अध्यक्ष महोदय, यह पोल मेरे लिए बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या है। मैं चाहूंगा कि मेरा डिवीजन नंबर बदल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए आपसे आगे आने के लिए कहा जा रहा है।

श्री छत्तर सिंह दरबार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि "समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों की सहायता हेतु कार्यक्रम और कतिपय शैक्षिक प्रोत्साहन" दिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि वे कतिपय शैक्षिक प्रोत्साहन क्या है, यह उत्तर में स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्हें किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और किस प्रकार की सहायता दी जा रही है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, हम निशुल्क पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकें और वर्दी इत्यादि मुहैया करते है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत आवासीय पाठशालाएं भी हैं। ये सब कार्यक्रम समाज के वंचित वर्गों के लिए लक्षित किए गे हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : धन्यवाद महोदय, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में दो प्रतिशत शिक्षा शुल्क लगाया गया है जिनके लिए लगभग 8,242 करोड़ रुपये आबंटित किए गये हैं।

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपया करेंगे कि इस कोष से कितनी धनराशि राज्य सरकारों को निर्गत की गई है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोष से धन राशि समय पर निर्गत नहीं की गई है और इससे इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निश्चित रूप से रुकावट आई हैं आगामी वित्त वर्ष में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के उत्थान के निमित सर्व शिक्षा अभियान के लिए धन का आबंटन किया जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक आबादी 18.42 फीसदी है। क्या माननीय मंत्री अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए, जिनकी साक्षरतादर राष्ट्रीय औसत अर्थात् 59.64 फीसदी से कम है, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 18.42 फीसदी-धन का आबंटन करने की कृपा करेंगे? क्या वे उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धन का आवंटन सुनिश्चित कर सकेंगे।?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, दरअसल यह कार्यक्रम प्राथमिक स्तर के लिए हैं जहां तक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ सभी प्रकार के छात्रों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का सवाल है, तो वहां हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को उनका उचित शेयर मिल सके।

जहां तक लागत सहभागिता का सवाल है— अर्थात्: 75 फीसदी भारत सरकार से और 25 फीसदी राज्यों से, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि अब कई राज्य सरकारें भी अपनी ओर से धन दे रही है, पूरा ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक, निश्चय ही यह एक प्रगति का द्योतक है।

दूसरे जहां तक धन के निर्गत का सवाल है, तो इसे हम मई माह से पहले सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे है, हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार की ओर से सभी अनुदान निर्गत कर दिए जाएं और राज्य भी तदनुसार योगदान करें।

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा वह सोपान है, जिस पर चढ़ कर इंसान विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचाता हैं सर्वशिक्षा अभियान का कानून नहीं बना, लेकिन इसकी घोषणा से लोगों को बड़ी उम्मीदें जगी थीं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस सदन में बार-बार घोषणाएं होती रहीं,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या जानना चाहते हैं, वह पूछिए?

(व्यवधान)

श्री पारसनाथ यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप कम्पलसरी एजुकेशन बिल लाने की घोषणा करेंगे या नहीं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनका सुझाव है कि विधेयक पुरःस्थापित किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव : महोदय, हम जो धन देते हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसके दुरुपयोग पर इनका कोई दबाव है या इनकी कोई योजना?...*(व्यवधान)* अगर ये कम्पलसरी एजुकेशन बिल लाएंगे तो उस पर ये कानून बन जाएगा और उसके आधार पर जो नाजायज धन खर्च हो रहा है, उस पर निगरानी कर सकेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कम्पलसरी एजुकेशन विल कब तक लाएंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई विधान लाने का अप्रस्ताव है?

श्री अर्जुन सिंह : इस प्रयोजनार्थ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री रामकृपाल यादव

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव : अध्यक्ष महोदय, इस पर देश की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए इस पर आप चर्चा करा दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा धीर रखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ काम करना है। मैं इस प्रश्न के महत्व को जानता हूं।

अब, श्री राम कृपाल यादव।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश में आजादी के इतने सालों बाद भी साक्षरता का रेश्यो बहुत कम है, लगभग 37 प्रतिशत आबादी साक्षरता प्राप्त कर पाई है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान चला रखा है और उसका उद्देश्य यही है कि जो गांव में गरीब एवं असहाय बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा दें और शिक्षा का रेश्यो बढ़ाएं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिहार, जो आज भी साक्षरता के रेश्यो में बहुत पीछे है, उसे बढ़ाने के लिए आप कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं। वहां बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिहार को अपग्रेड करने के लिए, शिक्षा के मामले में आप क्या करने जा रहे हैं ताकि वहां के गरीब बच्चे पढ़ सकें। आपकी जो फिलिंग्स हैं कि हम हर बच्चे को पढ़ाएं, उसके लिए आप कौन सी योजना दे रहे हैं? क्या बिहार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कोई विशेष पैकेज देंगे, उसकी रेश्यो को ऊंचा करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाएंगे या वहां कोई विशेष पैकेज देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज है।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी) : हिन्दुस्तान में चंद राज्य तालीम में बहुत पीछे रहे हैं, उनमें से बिहार भी है। पिछले दिनों जब यूपीए सरकार बनी तो उसके बाद बिहार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, बुनियादी विद्यालयों में 391 स्कूलों को लिया गया है जैसे तकरीबन 6000 संस्कृत विद्यालय या मदरसों को सर्वशिक्षा अभियान से जोड़ा गया है। साथ ही 79 चरवाहा विद्यालयों को भी सर्वशिक्षा अभियान से जोड़ा गया है। इसके साथ-साथ जितनी भी बिहार की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी वहां से मांग आई है, उसे सरकार ने पूरा करने का काम किया है। यही वजह है कि एनरोलमेंट रेट बिहार में तेजी से बढ़ रहा है और ड्राप आउट भी कम हो रहा है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि एक साल के अन्दर ड्राप आउट भी कम होगा और एनरोलमेंट रेट भी वहां बढ़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विनोद खन्ना, यदि आप अपने स्थान पर चलें जाएं तो मैं आपको अनुमति दे सकता हूं। आपको अपने स्थान पर जाना होगा।

श्री विनोद खन्ना : महोदय, मेरे लिए यही स्थान ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही अनुशासित सदस्य हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सहयोग करेंगे।

श्री विनोद खन्ना : एक मात्र कारण है कि मैं इतना लम्बा हूं कि मैं उस स्थान पर ठीक प्रकार से बैठ नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय : तब तो हमें केवल छोटे सदस्य ही चाहिए।

श्री विनोद खन्ना : आपके माध्यम से माननीय मंत्री के लिए मेरा सवाल है कि क्या उन्हें मालूम है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्कूली छात्रों में बड़ी संख्या लड़कियों की है। इसका एक मुख्य कारण

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में शैचालय नहीं होते हैं। लड़कियों का जब मासिक स्राव शुरू हो जाता है, तो वे बीच में ही स्कूल जाना छोड़ देती हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें और सुविधाएं दिए जाने की जरूरत है।

श्री विनोद खन्ना : मैंने इसे देखा है, न केवल अपने क्षेत्र में, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी।

अध्यक्ष महोदय : बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

श्री विनोद खन्ना : क्या सर्व शिक्षा अभियान में इसे उपलब्ध कराया जाना संभव है? ऐसा इसलिए कि शिक्षा भी राज्य का ही विषय है। क्या इसे भी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इन सुविधाओं को उपलब्ध करा सकते हैं?

श्री अर्जुन सिंह : स्कूलों में छात्रों को बनाए रखने और इस अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें एक यह भी है कि सभी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन : अध्यक्ष जी, सर्वशिक्षा अभियान के तहत जो लक्ष्य रख गया है, यूनीवर्सल रिटेंशन बाई दि ईयर 2010 और साथ ही साथ यह लक्ष्य...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके पास आऊंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह साइड बिल्कुल खाली जा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री छेवांग थुपस्तन : कम से कम मुझे बोलने दिया जाये, उसके बाद ही बात करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल आपका वक्तव्य सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये।

श्री छेवांग थुपस्तन : उसके साथ ही साथ सन् 2010 तक देश के हर बच्चे को आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने का लक्ष्य सर्वशिक्षा अभियान के तहत रखा गया है, उसको प्राप्त करना अब बहुत असम्भव लग रहा है। जैसे ड्राप आउट का जिक्र किया गया और मंत्री जी ने 42 परसेंट तक की फीगर कोट की, उसके अनेकानेक कारण हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां चरवाहे की बात हुई थी, वहां पर हमने यह पाया, मेरी कांस्टीट्वेंसी में एक मुहिम चली थी कि हर एक शिक्षा उपलब्ध कराई जाये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न है, वह बोलिये।

श्री छेवांग थुपस्तन : प्रश्न यह है कि बच्चे इसलिए रैगुलर क्लासेज़ में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी जीविका का आधार ही पशुपालन है। उसके लिए सर्वशिक्षा अभियान में जो फ्लैक्सीबल स्कूलिंग फैसिलिटीज का जिक्र किया गया, उसकी तरफ उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्यों जरूरत इस बात की है कि शिक्षकों की नियुक्ति हो और जो रैगुलर क्लासेज़ अटेंड नहीं कर सकते तो उनकी शिक्षा के लिए क्या हो, उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है, यह मंत्री जी बताये?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निगरानी या पर्यवेक्षण की कोई व्यवस्था है? वे लद्दाख से आते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह एक व्यावहारिक मसला है। यह हमारा विषय है। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लड़के और लड़कियां इस योजना से बाहर हैं उन्हें भी शिक्षा की इस प्रक्रिया के तहत लाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, 42 माननीय सदस्यों ने पूरक प्रश्न करने की इच्छा जाहिर की है। मैं सदन में उपस्थित सभी पक्षों से केवल आठ सदस्यों को अनुमति दी है। मैं आधे घंटे की चर्चा में मौका दूंगा। चलिए आगे बढ़ें।

अब, प्रश्न संख्या 262

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना दी है। कृपया सहयोग करें। श्रीमती किरण मोहश्वरी, मैंने हमेशा आपको मौका दिया है, यह व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप यहां आइए और फिर सोचिए कि 42 सदस्यों में से किस एक को आप बुलाएंगी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में शिक्षा हेतु धन

+

***262. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में शिक्षा के विकास हेतु शुरू की जा रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् राज्यों को आबंटित की गई धनराशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

जनतातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में शिक्षा के संवर्धन सहित जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। गत दो वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् निर्मुक्त की गई निधियों के योजनावार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के उन्नयन हेतु इस मंत्रालय की योजनाएं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि शिक्षा के लिए नोडल मंत्रालय है और राज्य सरकारों के प्रयासों की भी पूरक हैं।

विवरण

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03 धनराशि	2003-04 धनराशि	2004-05 धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	774.88	2435.7	1084.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	65.19	0
3.	असम	1275.94	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	गुजरात	0	185.27	119
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	9.17
7.	जम्मू-कश्मीर	6.5	0	196.07
8.	कर्नाटक	75.38	0	400
9.	केरल	0	0	0
10.	मध्य प्रदेश	0	81.62	899.04
11.	महाराष्ट्र	165.02	391.92	1042.86
12.	मणिपुर	820.11	928.93	489
13.	मेघालय	805.98	339.99	926.28
14.	मिजोरम	370.98	369	900.99
15.	नागालैंड	697.19	1028.61	507
16.	उड़ीसा	0	0	0
17.	राजस्थान	131.95	484	1792.57
18.	सिक्किम	0	12.69	15.01
19.	तमिलनाडु	0	0	49.05
20.	त्रिपुरा	0	161.09	121.35
21.	उत्तर प्रदेश	0	0	107.62
22.	पश्चिम बंगाल	0	94.57	345.31
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.59	0.89	2.74
24.	दमन व दीव	1.05	0	0
25.	उत्तरांचल	0	0	137.5
26.	छत्तीसगढ़	32.07	0	106.45

1	2	3	4	5
27.	झारखंड	0	0	0
28.	गोवा	0	0	12.09
	कुल	5158.64	6579.47	9263.33

"संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए "एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना" योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि

(लाख रुपय में)

क्र. स.	राज्य	2002-03 निर्मुक्त धनराशि	2003-04 निर्मुक्त धनराशि	2004-05 निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	120.00	250.0	280.00
2.	असम	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	30.00	40.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
6.	जम्मू कश्मीर	0.00	50.00	50.00
7.	कर्नाटक	0.00	97.00	0.00
8.	केरल	220.00	40.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	0.00	285.58	334.79
10.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
11.	मणिपुर	125.00	0.00	0.00
12.	उड़ीसा	200.00	260.00	830.21
13.	राजस्थान	0.00	70.00	0.00
14.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
15.	तमिलनाडु	0.00	40.00	0.00
16.	त्रिपुरा	300.00	0.00	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	150.00	370.00	455.00
19.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
20.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
21.	मिजोरम	0.00	0.00	160.00
22.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
23.	झारखंड	600.00	0.00	0.00
24.	छत्तीसगढ़	285.00	0.00	0.00
25.	उत्तरांचल	0.00	50.00	50.00
	कुल	2000.00	1542.6	2200.00

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए शैक्षिक परिसर, छात्रावास और आवासीय स्कूलों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. स.	राज्य का नाम	परियोजना	निर्मुक्त धनराशि 2002-03	2003-04	2004-05 (17.3.2005)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	छात्रावास	1.12	—	—

1	2	3	4	5	6
		आवासीय स्कूल	31.18	31.18	119.65
		शैक्षिक परिसर	32.56	10.88	339.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	छात्रावास	7.08	—	—
		आवासीय स्कूल	16.55	—	57.54
		शैक्षिक परिसर	—	—	—
3.	असम	छात्रावास	14.17	14.17	2.46
		आवासीय स्कूल	20.79	20.79	13.82
		शैक्षिक परिसर	—	—	—
4.	छत्तीसगढ़	छात्रावास	—	—	7.78
		आवासीय स्कूल	31.18	20.79	3.48
		शैक्षिक परिसर	—	—	11.73
5.	गुजरात	छात्रावास	14.16	14.16	3.87
		आवासीय स्कूल	20.79	20.79	32.28
		शैक्षिक परिसर	48.60	43.20	33.93
6.	हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	7.78	4.45	3.33
		आवासीय स्कूल	20.79	20.79	21.98
		शैक्षिक परिसर	—	—	—
7.	जम्मू कश्मीर	छात्रावास	—	—	—
		आवासीय स्कूल	33.50	7.39	10.78
		शैक्षिक परिसर	—	—	—
8.	झारखण्ड	छात्रावास	11.52	6.60	3.83
		आवासीय स्कूल	4.61	5.99	19.66
		शैक्षिक परिसर	—	—	—

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक	छात्रावास	—	—	3.78
		आवासीय स्कूल	51.97	51.97	67.95
		शैक्षिक परिसर	—	—	—
10.	केरल	छात्रावास	9.74	5.50	25.92
		आवासीय स्कूल	19.84	8.89	9.22
		शैक्षिक परिसर	—	—	—
11.	महाराष्ट्र	छात्रावास	1.21	3.78	—
		आवासीय स्कूल	—	—	—
		शैक्षिक परिसर	—	—	—
12.	मणिपुर	छात्रावास	30.00	—	7.72
		आवासीय स्कूल	20.79	—	67.94
		शैक्षिक परिसर	—	—	—
13.	मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर	19.38	11.57	49.94
		आवासीय स्कूल	—	—	25.59
14.	महाराष्ट्र	शैक्षिक परिसर	5.94	—	—
15.	मेघालय	आवासीय स्कूल	30.25	15.20	—
16.	मिजोरम	आवासीय स्कूल	22.46	15.87	26.11
17.	नागालैंड	छात्रावास	5.44	—	—
18.	दिल्ली	छात्रावास	5.44	—	5.44
		शैक्षिक परिसर	—	—	4.99
19.	उड़ीसा	छात्रावास	15.00	7.39	10.53
		आवासीय स्कूल	10.39	—	43.50
		शैक्षिक परिसर	105.30	86.40	56.14

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	आवासीय स्कूल	1.57	5.20	4.45
		शैक्षिक परिसर	10.29	10.06	—
21.	सिक्किम	आवासीय स्कूल	22.62	—	—
22.	तमिलनाडु	छात्रावास	4.41	—	7.52
		आवासीय स्कूल	10.39	—	9.58
23.	उत्तर प्रदेश	आवासीय स्कूल	1.57	5.20	—
		शैक्षिक परिसर	—	—	25.80
24.	उत्तरांचल	आवासीय स्कूल	10.60	—	19.49
25.	पश्चिम बंगाल	छात्रावास	106.20	70.80	64.51
		शैक्षिक परिसर	—	—	14.74
		आवासीय स्कूल	18.16	59.93	29.42

अनुसूचित जनजातीय लड़कों/लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रुपय में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03 निर्मुक्त धनराशि	2003-04 निर्मुक्त धनराशि	2004-05 निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	332.5	277	0
2.	असम	0	0	0
3.	गुजरात	0	0	67.60
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
5.	दमन व दीव	0	0	0
6.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
7.	केरल	0	0	0
8.	मध्य प्रदेश	862	0	300.00
9.	मणिपुर	0	49.84	0
10.	मेघालय	27.5	0	0
11.	उड़ीसा	0	41.46	0
12.	राजस्थान	0	0	0
13.	तमिलनाडु	0	0	0
14.	त्रिपुरा	0	50	0
15,	उत्तर प्रदेश	0	0	0

1	2	3	4	5
16.	पश्चिम बंगाल	5.00	47.76	0
17.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
18.	कर्नाटक	0	150	120.00
19.	महाराष्ट्र	0	0	0
20.	बिहार	0	0	0
21.	नागालैंड	65	150	151.00
22.	जेएनयू/आईआई टी दिल्ली	0	230.62	234.88
23.	झारखंड	0	817.86	0
24.	अरुणाचल प्रदेश	58	0	20.50
25.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	—	—	65.12
	कुल	1350.00	1814.54	959.10

"जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल" की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03 धनराशि	2003-04 धनराशि	2004-05 धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	380	0
2.	असम	0	0	0
3.	गुजरात	0	0	0
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
5.	दमन व दीव	0	0	0
6.	केरल	0	0	0
7.	मध्य प्रदेश	820	0	300.00
8.	मणिपुर	0	0	0
9.	उड़ीसा	0	0	0
10.	राजस्थान	0	0	0
11.	तमिलनाडु	0	0	0
12.	त्रिपुरा	0	50	0
13.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
15.	कर्नाटक	130	0	77.51
16.	महाराष्ट्र	0	0	0
17.	छत्तीसगढ़	0	0	0
18.	उत्तरांचल	0	217	0
	कुल	950	647	377.51

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए प्रतिभा उन्नयन की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रुपय में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03 निर्मुक्त धनराशि	2003-04 निर्मुक्त धनराशि	2004-05 निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12.6	0	0
2.	असम	0	0	9.00
3.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
4.	केरल	0	0	0

1	2	3	4	5
5.	उड़ीसा	10.2	40.8	0
6.	राजस्थान	4.45	7.73	0
7.	त्रिपुरा	2.4	2.4	2.40
8	पश्चिम बंगाल	6.3	0	7.83
9	सिक्किम	0.75	1.5	2.25
10.	मध्य प्रदेश	25.8	0	0
11.	जम्मू-कश्मीर	2.1	0	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	6.45	0	0
13.	छत्तीसगढ़	21	21	17.55
14.	गुजरात	—	3.45	0
	कुल	92.05	76.88	39.03

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : हमारे देश की बड़ी आबादी जनजातीय क्षेत्रों में रहती है। जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। यदि साक्षरता का प्रतिशत आम जनता में देखें तो साक्षरता का 66 प्रतिशत है। लेकिन जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत 46 है। उनमें भी महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 34 है। इसलिए वहां पर शैक्षणिक दृष्टि से और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर को देख रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, जनजातिय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो राशि दी गई है और उत्तर में भी जो राशि दी गई है, वह काफी कम है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया विशिष्ट प्रश्न ही पूछें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एकलव्य आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए केवल 25 राज्यों में 22 करोड़ की राशि का प्रावधान है। उनमें से अनेक राज्यों के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गई है। ऐसे ही मैंने देखा की छात्रावासों के लिए 9 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महोदय, मैं वहीं पूछ रहा हूं। आश्रम स्कूलों के लिए केवल 3 करोड़ और प्रतिभा उन्नयन के लिए केवल 39 लाख रुपये दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? क्या यह उनके साथ मजाक नहीं है? क्या वहां आश्यकता नहीं है, या सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है? कई राज्यों को आपने राशि रिलीज नहीं की है। इसके क्या कारण हैं? इसका माननीय मंत्री जी उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि जहां तक साक्षरता दर का प्रबंध है, जनजातियों में साक्षरता की दर कम है। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है कि जहां तक सामान्य महिला जनजातियों का संबंध है, 1991 में यह 18.19 प्रतिशत था और 2001 में 34.76 प्रतिशत था। यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है। तब भी मैं उनसे सहमत हूं कि इसे बढ़ाए जाने के लिए अधिक जोरदार कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कई योजनाएं हैं।

जहां तक आश्रम विद्यालयों का प्रबंध है हम साक्षरता दर के बारे में स्पष्ट हो लें। हम सभी इसके पक्षधर है। पर यह 50:50 के आधार पर है। कुछ राज्य है जो इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं, पर अन्य राज्य ऐसा नहीं कर रहे। यह एक पहलू है।

दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे राज्य है जो जनसंख्या के आधार पर पात्र हैं। हमारे पास एक प्रतिशतता है। हम पूरे देश को

जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में राज्य की जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारण करते है। तत्पश्चात्, केवल प्रतिशतता निकाली जाती है। तब भी कुछ राज्य है जिनकी प्रतिबद्ध देयता नहीं है। जब तक वे एक स्तर तक नहीं पहुंचते, हम निधियां जारी नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हमें प्रश्न पूछने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप 12 बजे यहां होंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, जनजातिय मांगों की टिप्पणी में यह कहा गया है कि आश्रम स्कूलों की समीक्षा करने से पता चला है कि अधिकांश स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है और रख-रखाव भी संतोषजनक नहीं है। वहां पर भोजन ऐसा मिलता है कि जानवर भी न खा पाएं। ओढ़ने-बिछाने के लिए कपड़े नहीं हैं। आश्रम स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। बड़ी नारकीय स्थिति में विद्यार्थी रह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आश्रम स्कूलों की व्यवस्था और रखरखाव ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया : अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि ये आश्रम विद्यालय 50:50 आधार पर हैं। अब यह राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि इसकी देखरेख करें। हमारी ओर से हम किसी भी समय सहायता देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेमलाल मुर्मू — उपस्थित नहीं

श्री मधुसूदन मिस्त्री।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया सब-प्लान का एलोकेशन इस साल बहुत इनहांस किया गया है; मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन एजूकेशन फील्ड के अंदर जो दो स्कीम्स थी।

[अनुवाद]

आश्रम स्कूलों की स्थापना और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना।

[हिन्दी]

इस साल के प्रावधान में उसका एलोकेशन बिल्कुल नहीं है।

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहा था कि क्या उनका यह मत है कि दोनों योजनाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। उनहोंने राज्यों को दिया जाने वाला केन्द्रीय अनुदान क्यों रोक दिया। जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी इन योजनाओं के लिए इस वर्ष निधियां क्यों नहीं आबंटित की गयी है?

श्री पी.आर. किन्डिया : अध्यक्ष महोदय, इस समय जहां तक छात्रावास योजना का संबंध हैं, मैं यह कहूंगा कि ये भी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं है जा 50:50 के आधार पर हैं। यह सच है, मुझे याद है कि मैंने यह कहा था कि अगले वर्ष से अर्थात् 1 अप्रैल, 2005 से यह राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है और राज्य सरकारें इस मामले का ध्यान रखेंगी।

श्री दुष्यंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनजातीय शिक्षा कार्यक्रमों विशेषकर राजस्थान के सहरिया, घसिया और खोती जनजातियाके के लिए केन्द्र द्वारा क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है और कौन से केन्द्रीय निधिया वे राजस्थान राज्य को भेज रही हैं जिससे हमें इन क्षेत्रों को सहायता देने में मदद मिल सके।

श्री पी.आर. किन्डिया : अपने उत्तर में, मैंने अनुबंध में यह सभी बातें लिखित रूप में दे दी हैं। यदि कही पर कम निधियां आबंटित की गयी हैं, तो दाक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला कारक यह है कि हम जनसंख्या आधार पर, जनजातीय समुदाय की जनसंख्याक के अनुपात है राज्य की जनसंख्या के ाधार पर निर्धारण करते हैं। हम प्रतिशत के आधार पर निर्धारित करते है। इसलिए, भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है।

दूसरे, यदि किसी रराज्य की प्रतिबद्ध देयता है तो जब वह एक स्तर तक पहुंच जाता है तो समस्या हो जाती है और हम कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब-प्लान के अंतर्गत आदिवासी कम्युनिटी के लड़के और लड़कियों को शिक्षा देने का काम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन स्कॉलरशिप में बढ़ोत्तरी नहीं होती। महंगाई के निर्देशांक को स्कॉलरशिप से जोड़ना चाहिए और स्कॉलरशिप में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है?

ट्राइबल्स के लड़के और लड़कियों के रैज़िडैंशियल स्कूल्स की संख्या कितनी है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप केवल पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया : जहां तक मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति का संबंध है, हमने 92.62 करोड़ रुपये पहले ही दे दिए है। अब यह सही है कि इस योजना के अंतर्गत, जनजातीय छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त मैट्रिक पश्चात अध्ययन, के लिए मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अधीन अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूरी फीस वितरित की जाती है और निर्वाह भत्ता भी दिया जाता है।

श्री बिक्रम केसरी देव : धन्यवाद, महोदय।

जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में यह आकलन किया गया कि जनजातीय छात्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर उन विद्यालयों में अधिक है जो आवासीय विद्यालय नहीं है। इसलिए क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 275(i) के अधीन उड़ीसा राज्य में आश्रम भवनों और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से पर्याप्त निधियां देगी और इन्हें प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों से जोड़ेगी, जैसा कि जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए पहले भी किया गया था।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछें।

श्री बिक्रम केशरी देव : विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में ओलचिकी, संभाली और कुई जैसी कई भाषाएं है। यह क्षेत्रवार अलग-अलग है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन स्थानीय भाषाओं को शुरू करेगी और उसे इन प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाएगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका मंत्रालय पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहा है?

श्री पी.आर. किन्डिया : किसी भी मामले में मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो कि नोडल मंत्रालय है, से इस मामले पर विचार करने के लिए कहूंगा।

मैं आपकी अनुमति से इस सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनजातीय छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की अत्यधिक दृढ़ भावना व्यापक रूप से विद्यमान है। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 275(i) के अधीन हम एक सौ आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। ये विद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र बनने जा रहे हैं और इन विद्यालयों के छात्र आई आई टी, आई आई एम और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के लिए प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा है।

श्री विक्रम केशरी देव : कितने विद्यालय उड़ीसा के लिए निर्धारित किए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न में प्राथमिकता सं. 1 (एक) नहीं मिली है। इसलिए आपको दो पूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्री बीर सिंह महतो : अध्यक्ष महोदय, संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों के लिए अपने हिस्से की निधि को जारी करने में समर्थ नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों को राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रावास के निर्माण के लिए राज्यों के हिस्से की निधि को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

श्री पी. आर. किन्डिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुनः सभा को यह सूचित करने के लिए सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ओर मैं सराहना करता हूं कि कई संसद सदस्य अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का 50 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों के लिए विद्यालय भवन के निर्माण के लिए कर रहे है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने सबसे पहले ऐसा किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करना जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति-जनजातियों के स्कूल चलाये जा रहे हैं। मेरा कहना है कि वहां जो निवासी स्कूल हैं, उनको केन्द्र सरकार की तरफ से

पिछले दो साल में कोई अनुदान नहीं दिया गया है जिसके कारण सब स्कूल बंद होने के कगार पर खड़े हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया : मैंने पहले बताया था कि जिनकी पहले से ही किसी बड़े दायित्व के संबंध में प्रतिबद्धता है, हम कुछ नहीं कर सकते। उनके उस स्तर से बाहर आने के बाद ही हम निश्चित रूप से उस पर खुले दिमाग से बात करेंगे। वस्तुत: हम उनकी मदद करना चाहते है।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी मे कहना चाहता हूं कि जो आश्रमबद्ध विद्यालय चल रहे हैं, उनमें कई वर्षों से छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्तियों में घोटाले करने के कई मामले प्रकाश में आये हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि छात्रों को पिछले तीन-चार सालों से छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं जिसके कारण उनकी शिक्षा बाधित हो रही है, उसे देने के लिए क्या सरकार कोई योजना बनायेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक आम प्रश्न है। वह किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं?

श्री पी.आर. किन्डिया : मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वे बहुत संमजनशील हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया : हां, मैं, इसका उत्तर देना चाहूंगा।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के मामले में हमने पहले ही इस वर्ष, वर्तमान वर्ष 2004-05 में 107.62 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। हमने यह धनराशि पहले ही जारी कर दी है।

चाय का उत्पादन

+

***263. श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख चाय उत्पादक देशों में चाय क्षेत्र की उत्पादकता में साल-दर-साल गिरावट आ रही है.

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चाय का प्रति हेक्टेयर उत्पादन वर्ष 2001 के 19,164 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2004 में 18,989 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इसकी उत्पादकता में सुधार लाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल में चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विश्व में 32 चाय उत्पादक देशों में से वैश्विक उत्पादन के लगभग 81% का उत्पादन छह देशों अर्थात् भारत, चीन, श्रीलंका, केनया, इंडोनेशिया और तुर्की द्वारा किया जाता है। चाय एक कृषि फसल होने के कारण वार्षिक उत्पादन और उत्पादकता जलवायु की स्थितियों पर भी निर्भर होगी। यद्यपि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उत्पादकता में घट-बढ़ होती रही थी तथापि उत्पादकता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था।

(ख) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान छहों प्रमुख चाय उत्पादक देशों की उत्पादकता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(निर्मित चाय का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कि.ग्रा. में)

देश का नाम	2001	2002	2003
1	2	3	4
भारत	1675	1602	1657
चीन	615	657	636
श्रीलंका	1568	1652	1611

1	2	3	4
केन्या	2239	2051	2235
इंडोनेशिया	1120	1116	1084
तुर्की	1864	1854	2022

(ग) चाय की उत्पादकता जो वर्ष 2001 में 1675 किलोग्राम/हेक्टेयर थी, वर्ष 2003 में घटकर 1657 कि.ग्रा./हेक्टेयर रह गई थी।

(घ) भारत में चाय की उत्पादकता को अवरुद्ध करने वाले मुख्य कारणों में से एक कारण चाय बागानों का पुराना होना है। चाय की मौजूदा झाड़ियों में से लगभग 38% झाड़ियां पचास वर्ष की लाभकारी आरंभिक अवधि को पार कर चुकी हैं तथा अन्य 9% झाड़ियां चालीस से पचास वर्ष पुरानी हैं। इस समस्या का समाधान करने तथा चाय की राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अगले पंद्रह वर्ष में 2.12 लाख हेक्टेयर को शामिल करते हुए एक वृहद पुनर्रोपण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार द्वारा ऐसे किसी बड़े कार्यक्रम की विस्तृत लागत निर्धारण और वित्त पोषण के तौर - तरीकों की जांच की जा रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) चाय बोर्ड ने विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अल्मोड़ा में एक कार्यालय की स्थापना की है। उत्तरांचल की सरकार ने भी राज्य में चाय उद्योग के विकास हेतु चाय विकास बोर्ड का गठन किया है।

राज्य के विभिन्न भागों में चाय की बड़े पैमाने पर खेती की शुरुआत के रूप में चाय बोर्ड की सलाह पर राज्य सरकार ने वर्ष 1994 की उत्तरांचल चाय विकास परियोजना के तहत दो न्यूक्लियस बागान, एक बागेश्वर जिले के कौसानी में तथा एक चमोली जिले के नौती में लगाए हैं। न्यूक्लियस बागानों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 200 हेक्टेयर प्रति जिले (कुल 400 हेक्टेयर) का था। चाय बोर्ड ने इस परियोजना के अंतर्गत 227.68 हेक्टेयर के रोपित क्षेत्र हेतु 75.09 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की है।

उत्तरांचल में चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान चाय के रोपण हेतु 9000 हेक्टेयर क्षेत्र को अभिज्ञात किया है। 9000 हेक्टेयर के अभिज्ञात क्षेत्र में चाय रोपण हेतु अनुमानित लागत लगभग 480 करोड़ रुपए बनती है। दसवीं योजना अवधि के दौरान अपनी चाय बागान विकास स्कीम के अंतर्गत चाय बोर्ड की सब्सिडी रोपित किए जाने वाले क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। चाय बोर्ड लघु चाय उत्पादकों द्वारा स्वसहायता समूहों के गठन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। चाय बोर्ड ने गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर में चाय अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु अनुदान भी प्रदान किया है। इसके अलावा राज्य में पुराने चाय क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड ने एक समिति का गठन किया है।

चाय बोर्ड की वार्षिक योजना में राज्यवार विशिष्ट आवंटन नहीं किए जाते हैं। यदि आवेदक स्कीम की शर्तों को पूरा करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के बाद कि रोपण संतोषजनक ढंग से किया गया है, सब्सिडी मंजूर की जाती है।

श्री रायापति सांबासिवा राव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि एक व्यापक पुन: पौध रोपन कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि ऐसा है, तो यह जानना चाहूंगा कि क्या पुरानी चाय की झाड़ियों के पुन: पौध रोपण के लिए किसी व्यापक पैकज का प्रस्ताव किया गया है। पहले, सरकार ने बताया था कि वे चाय की उत्पदकों के लिए एक पैकेज की घोषणा करने जा रहे है। यदि ऐसी बात है तो देरी के मुख्य कारण क्या है? इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी घोषणा कब तक की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : आप पहले वाले का उत्तर दें।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैनें बताया था कि चाय बागानों में आने वाली समस्याओं के कारण उत्पादन गिरता जा रहा है। श्रीलंका और क्रीनिया के आ जाने से निर्यात में भी कमी आई है। पिछले दशक में विश्व निर्यात में हमारी हिस्सेदारी में कमी आई है आज हमारी विश्व हिस्सेदारी केवल 12.3 प्रतिशत है। यह एक कटु तथ्य है।

इसकी दो मुख्य समस्याएं है - जिनमें से एक है दूसरे देशों की तुलना में उच्च उत्पादन में लागत। कीनिया श्रीलंका और इंडोनेशिया- इन तीनों देशों में उत्पादन की लागत हमसे काफी कम है। दूसरी समस्या झाड़ियों की आयु से संबंधित है हमारी 38 प्रतिशत झाड़ियां पक चुकी हैं। हम एक पुनर्नवीकरण और पुन: पौध रोपण कार्यक्रम बना रहे हैं। इसके लिए मैंने पनधारियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें सभी पनधारियों ने भाग लिया, चाहे वे उत्पादक हों, व्यापार संघ हो अथवा कामगारो के प्रतिनिधि। दो माह पहले भी मैनें चाय उत्पादक क्षेत्रों के सभी संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। इन निवेशों के आधार पर हमने एक पैकेज तैयार किया है। पुनर्नवीकरण और पुन: पौध रोपण

इस पैकेज का केन्द्र है। इसमें आगामी 15 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये के आसपास की बड़ी राशि का खर्च भी शामिल है। अब इस समय यह सरकार के प्रक्रियाधीन हैं हम पुनर्नवीकरण और पुन: पौध रोपण तथा लागत कम करने दोनों ही संदर्भ में अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैने यह पता लगाने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की कि हम इस मुद्दे को किस प्रकार सुलझा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में कोई भी माननीय सदस्य पीठासीन अधिकारी और बोलने वाले सदस्य के बीच से न निकलें।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, चाय निर्यात में हुई कमी का ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने और चीन, श्रीलंका आदि जैसे देशों को पछाड़ने के लिए कोई उपाय करने का प्रस्ताव किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार चाय निर्यात पर राजसहायता प्रदान करने अथवा भारतीय चाय का विदेशों में संवर्धन करने के लिए अधिक निधियों का प्रावधान करने का प्रस्ताव कर रही है। क्या भारत में रूसी प्रतिनिधिमण्डल के दौरे के दौरान भारत से चाय निर्यात करने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी?

यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा पहले खरीदी जाने वाली एक सौ मिलियन किलोग्राम चाय को फिर से खरीदने के लिए भारत ने रूस पर कितना दबाव डाला?

श्री कमल नाथ : महोदय, यह देखने के लिये कि चाय के निर्यात को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, हमारे पास अल्पकालिक व दीर्घकालिक दोनों प्रकार की रणनितियां हैं। यह सच है कि रूस चाय का एक प्रमुख खरीददार था, परंतु सोवियत संघ के विभाजन के बाद निर्यात कम हो गया।

महोदय, जब प्रेसिडेंट पुतिन के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमण्डल यहां था, तब मैंने व्यक्तिगत रूप से चाय और तंबाकू दोनों के लिए यह मामला उठाया था। पहले राज्य खरीदते थे, सरकार खरीदती थी, परंतु रूस में नई प्रणाली आने से अब निजी कंपनियां खरीद रहीं हैं।

हमारे परामर्शदाताओं के परामर्श से एक मध्यमकालिक कार्यनीति तैयार की गई है। गुणवत्तायुक्त चाय विशेषरूप से परंपरागत प्रकार की चाय; का उत्पादन जिसका निर्यात बाजार था; प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों, मेलों, मीडिया कंपनियों की लांचिग, परिवहन राज सहायता देने, इत्यादि जैसे कई उपाय किए गए। अतएव, इसके लिए वास्तव में उपाय किए जा रहे हैं...*(व्यवधान)*। अतएव विभिन्न उपाय किए गए हैं और वे सतत् उपाय हैं।

चाय की उत्पादकता में गिरावट या रुकावट आने का मुख्य कारण चाय पौध की अधिक आयु है। मुझे यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि सरकार आगामी 15 वर्षों में 2.1 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि को कवर करते हुए एक व्यापक पौध रोपण कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव कर रहीं है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन सभी पुराने चाय पौध रोपण क्षेत्रों के बारे में उनकी क्या योजना है, जो एक तरह से उपेक्षित क्षेत्र बनने वाले हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों के संबंध में उनकी क्या योजना है। काफी संख्या में छोटे स्तर पर चाय उत्पादक चाय की उपज की ओर अधिक प्रवृत्त हैं। सरकार विशेषकर उत्तरपूर्व क्षेत्रों के लिए कौन-सा विशेष वित्तीय पैकेज देने की योजना बना रही है?

श्री कमल नाथ : जैसा कि मैनें कहा, उन क्षेत्रों में, जहां झाड़ियां पक चुकी हैं, वहां हम पुनर्नवीकरण और पुन: पौध रोपण पैकेज देने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में पौध रोपण विकास योजना, बाजार संवर्धन योजना, गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना, अनुसंधान और विकास योजना, मानव संसाधन विकास योजना जैसी कई योजनाएं हैं। चालू योजना अवधि में प्रत्येक योजना के लिये बढ़े हुये परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट निदेशित कार्यक्रम के बारे में बताना चाहते हैं, तो वे मुझे लिख सकते है, उस पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए मुझे प्रसन्नता होगी।

मोहम्मद सलीम : महोदय, आप और मैं दोनो चाय उत्पादक राज्यों से हैं। मैं समझता हूं आप इस बात की सराहना करेंगें।

माननीय मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि चाय की उत्पादकता में स्थिरता चाय झाड़ियों की अधिक उम्र के कारण ही है। भारतीय परिस्थितियों में यह सामान्य है कि क्योंकि हम 56 वर्षों से उनसे चाय प्राप्त कर रहे हैं परंतु उनका न तो पुनर्भरण किया गया है और न ही उन्हें प्रतिस्थापित किया गया है। अब, माननीय मंत्री ने स्वयं इसका हल बताया है कि सरकार 2.15 हेक्टेयर के लिए पुनर्नवीकरण और पुन: पौध रोपण के लिए 15 वर्षीय दीर्घकालिक कार्यक्रम योजना बना रही है। बजट प्रस्ताव में भी, इस व्यापक 15 वर्षीय कार्यक्रम के लिए धन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आपका वार्षिक कार्यक्रम क्या है? आप कृपया 15 वर्षों की बात भूल जाइए। आप आने वाले पांच वर्षों की बात करें, आप पांच वर्षों तथा इस वर्ष अर्थात् 2005-2006 में भी व्यापक पुनर्नवीकरण और पुन: पौध रोपण कार्यक्रम को किस प्रकार प्राप्त करेगें और आगामी वर्ष के लिए आपका क्या कार्यक्रम हैं?

श्री कमल नाथ : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन

में कहा था कि हम एक विशेष पैकेज पर कार्य कर रहे हैं। हमने पाया कि यह पैकेज और पहले वाला पैकेज सफल नहीं हुआ। पहले एक विशेष पैकेज दिया गया था जिसमें कि बैंक ऋण से छुटकारा पाने में सहायता की व्यवस्था की गई थी। परंतु हमने यह पाया कि उनसे चाय बागानों की अपेक्षा बैंकों को अधिक सहायता मिली। अतएव, जैसा कि मैंने कहा यह सुनिश्चित करने के लिए मैंने पनधारियों की बैठक बुलाई कि हम सही कार्य शुरू कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्रियों के साथ बैठक की। जैसा कि मैंनें पहले बताया कि मैंनें सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया था। हम इन सब आंकड़ों को एकत्र करके योजना आयोग के साथ चर्चा कर रहे है। इस समय दसवीं योजना के लिए हमारा बजट 98.96 करोड़ रुपये है और चालू वर्ष के लिए यह 14 करोड़ रुपये है। परंतु जैसा कि माननीय मंत्री जानते है इस वर्ष के बजट में गौण उत्पाद शुल्क (एईडी) के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। परंतु करीबन 80 से 90 करोड़ रुपये उपलब्ध है जिनका प्रयोग हम तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि कुछ लाभ दिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस योजना पर अब योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों के साथ चर्चा की जा रही है। जैसे ही हमें प्रत्येक से रिपोर्ट मिल जाती है, मैं पैकेज पर कार्य करने का प्रस्ताव करूंगा, जो कि एक दीर्घकालीन पैकेज भी है, और जो उन अल्पकालीन आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, जोकि एक आध वर्ष में शुरू की जा सकती है।

श्री पी.सी. थामस : उत्पाकता में कमी आने का एक कारण कृषकों को मिलने वाली बहुत कम कीमतें हैं। अतएव, वह भी एक क्षेत्र है, जिस पर जोर दिया जाना चाहिए और सरकार को यह देखने के लिए तत्कालिक उपाय करने चाहिए कि कृषकों को मिलने वाली चाय की कीमतों में वृद्धि हो। इसके लिए आप निर्यात राज सहायता देने के बारे में सोचेंगे ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके और कृषक लाभान्वित हो सकें और कोई अन्य राज सहायता देने की भी सोच रहे है, ताकि कीमतों को स्थिर किया जा सके?

एक कीमत स्थिरीकरण योजना है, जो अब बहुत ही कम प्रयोग में ला: जाती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करें। हम केवल तीसरे प्रश्न पर ही हैं।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थॉमस : क्या माननीय मंत्री ऐसा कोई उपाय करेगें, ताकि कीमतों में वृद्धि हो।

अध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न बहुत लंबे हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक है।

(व्यवधान)

श्री कमलनाथ : हमारे सामने एक समस्या श्रीलंका और केन्या में बढ़ते हुए चाय उत्पादन की है जो कि निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो पहले हमारा था क्योंकि अब अन्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के रूप में कम लागत पर चाय का निर्यात किया जा रहा है।

जहां तक राज सहायता का प्रश्न है, तो हमें देखना होगा कि यह विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप हो। मेरे विचार से भविष्य में चाय पर राज सहायता देना इसका जवाब नही है। दीर्घावधि में, इसका उत्तर है कि हम अपनी लागत कैसे कम करते है। मैंने इस प्रश्न पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से चर्चा की कि हम अपनी लागत कैसे कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बागान श्रम अधिनियम है; हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो 20 या 30 वर्ष पहले हुई थीं। तब परिस्थितियां भिन्न थीं। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष चाय का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। यह 15 से 20 प्रतिशत तक अधिक है। किसानों और चाय उत्पादकों को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ लाभ मिला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कृष्ण

कोई भूमिका नहीं। केवल प्रश्न रखें।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि चाय उत्पादन और उसके निर्यात दोनों में कमी आई है। उन्होंने इसके लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम का भी उल्लेख किया है। बिहार में, खासकर पूर्णिया प्रमंडल का किशनगंज इलाका जो चाय उत्पादन के लिए अनुकूल है, उसके लिए क्या कोई विशेष कार्यक्रम है और क्या सरकार की वहां चाय अनुसंधान केन्द्र खोलने की कोई योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रश्न कैसे संभव है?

[हिन्दी]

श्री कमलनाथ : बिहार का जहां तक प्रश्न है, तो वहां के लिए कोई खास स्कीम नहीं है, क्योंकि बिहार में चाय का इतना उत्पादन

नहीं होता। लेकिन जो भी योजना लाई जाई जाएगी, वह बिहार पर भी लागू होगी। यह योजना उत्तर भारत, दक्षिण भारत और देश के अन्य टी ग्रोइंग एरियाज़ में लागू होगी। उसका लाभ बिहार और वहां के किशनगंज और अन्य चाय उत्पादन करने वाले जिलों को भी मिलेगा।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : अध्यक्ष जी, उत्तरांचल की ब्रांड नाम से टी का पिछले वर्ष साढ़े 22 हजार किलोग्राम फैक्टरी उत्पादन हुआ था। दसवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य नौ हजार हैक्टेयर का था। उत्तर में बताया गया है कि अभी तक केवल 400 हैक्टेयर में ही चाय रोपण हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रोपण वृद्धि को आगामी दो वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाएंगे? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे कौसानी में प्रोसेसिंग के लिए कारखाना लगा है, क्या अन्य जगहों पर भी वैसे कारखाने लगाने के लिए कोई तकनीक या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

श्री कमलनाथ : राज्य सरकार ने तय किया है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता ओर्थोडैक्स प्रीमियम क्वालिटी की टी के उत्पादन के लिए दी जाएगी। उसके लिए दो न्यूक्लियस प्लांटेशन हैं। इनका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें पहले का 200 हैक्टेयर का था, जो पूरा कर लिया गया है। क़रीब 208 हैक्टेयर में प्लांटेशन हुआ है। दूसरा जो नौती का 200 हैक्टेयर का लक्ष्य था, उसमें से 110 हैक्टेयर में प्लांटेशन हुआ है। नौ हजार हैक्टेयर का लक्ष्य अगले साल का है। हमें उम्मीद है कि जो सहायता दी जा रही है, जो समिति बनी है और जो राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं, उससे यह लक्ष्य पूरा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आरुन रशीद।

कृपया संक्षेप में और विषयपरक बात कहें। कोई भूमिका नहीं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोडईकनाल में हमारे पास 150-200 किमी. लंबे चाय के बागान हैं जिनमें से कई बागान श्रमिकों संबंधी समस्याओं और अधिक उत्पादन लागत के कारण बंद हो गए हैं। क्या सरकार इन बागानों के पुनरुत्थान के लिए कोई राज सहायता देगी?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है। इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : अंतिम पूरक प्रश्न।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं मंत्री महोदय को जलपाईगुड़ी में चाय नीलामी केन्द्र खोलने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सदन में दिए गए आश्वासन को पूरा किया है।

महोदय, -चाय बागान क्षेत्रों के विस्तार और चाय के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में चाय-बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अधिक समय शेष नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन, पिछले कई वर्षों के दौरान चाय बोर्ड कमजोर पड़ गया है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या चाय-बोर्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें विद्यमान रिक्तियों को भरा जाएगा क्योंकि इसकी पैकेजों, चाय के लिए विशेष पैकेज को लागू करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

श्री कमलनाथ : महोदय, निःसंदेह माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि चाय बोर्ड की बहुत अहम् भूमिका है और चाय-बोर्ड चाय से संबंधित सभी पहलुओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पैकेज में भी चाय-बोर्ड की भूमिका है। वास्तव में, यह पूरा पैकेज चाय-बोर्ड द्वारा ही तैयार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह रिक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री कमलनाथ : चाय-बोर्ड में लघु उत्पादकों के लिए नया विभाग गठित करने पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने रिक्तियों का उल्लेख किया है। इन रिक्तियों को उचित व्यवस्था द्वारा शीर्ष ही भर दिया जाएगा। जैसे मैंने उन्हें जलपाईगुड़ी नीलामी केन्द्र के बारे में निराश नहीं किया वैसे ही मैं उन्हें अब भी निराश नहीं करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : धन्यवाद।

श्री अनवर हुसैन : महोदय, पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने इस बारे में बहुत ही विशिष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि चाय उद्योग जिस पर अत्यधिक गंभीरता से विचार किया जा रहा है, के पुरुद्धार के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या पैकेज का कोई प्रावधान किया गया है और यदि नहीं तो यह कब तक किया जाएगा।

श्री कमलनाथ : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि इस पर अन्य मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ चर्चा की जा रही है। इसमें कई तथ्यों की आवश्यकता है। मैंने बताया है कि मैंने सांसदों और स्टाकहोल्डरों के साथ बैठकें की हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि आपने यही आश्वासन दिया था। क्या कोई समय-सीमा है?

श्री कमलनाथ : महोदय, उचित पैकज तैयार करने में समय तो लगता है।

श्री अनवर हुसैन : कितना समय?

अध्यक्ष महोदय : वह यह नहीं बता सकते। मैं अगली बार आपको एक और प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य

*264. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तम्बाकू बोर्ड और तंबाकू उत्पादकों से परामर्श के बाद कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पालन किए जाने वाले मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने वर्ष 2004-05 के लिए 300 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि करने की सिफारिश की है परन्तु सरकार ने केवल 100 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू के एफ 2 ग्रेड और एल 2 ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें (एम एस पी) कृषि लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी) की सिफारिशों, अनुमानित प्राधिकृत उत्पादन और बाजार की स्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

एफसीवी तंबाकू के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत वर्ष 2003-04 में 10-10.7% तक बढ़ाई गई थी। पर्याप्त औचित्य न होने के कारण और विशेषत: तब जब वर्ष 2004-05 में सीएसीपी द्वारा लगभग अन्य सभी फसलों के लिए 3% से कम वृद्धि की अनुशंसा की गई थी, सीएसीपी द्वारा वर्ष 2004-05 में 9.1-9.7% की अनुशंसित वृद्धि किया जाना उचित नहीं समझा गया था।

किसानों द्वारा प्रति इकाई प्राप्ति इस तथ्य के बावजूद न्यूनतम समर्थन कीमत (एम एस पी) से काफी अधिक है कि किसानों द्वारा उपजाई गई वास्तविक फसल तंबाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित फसल की प्राधिकृत मात्रा से बहुत अधिक है। किसानों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमत और अधिक बेहतर होती यदि उन्होंने तंबाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित फसल की प्राधिकृत मात्रा के नियम का पालन किया होता।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : महोदय, हाल ही में, 15 मार्च को आंध्र प्रदेश के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तंबाकू उत्पादकों का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल 2000 कि.मी. की यात्रा करके दिल्ली आया था और माननीय प्रधानमंत्री, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सभापति और माननीय वाणिज्य मंत्री से मिला था। उन सभी ने आश्वासन दिया कि तंबाकू उत्पादकों को भी आंध्र प्रदेश के अन्य किसानों के समकक्ष समझा जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को केवल यही अभ्यावेदन दिया था कि उन्हें तंबाकू की फसल का लाभकारी मूल्य मिले।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : महोदय, वरिष्ठ नेताओं ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया की थी और मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं।

मेरा प्रश्न तंबाकू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। वर्ष 2003-2004 में, कृषि लागत और मूल्य आयोग ने इसकी गणना 10.1 प्रतिशत के आधार पर की है; परंतु वर्ष 2004-2005 में उन्होंने इसे घटा कर 3 प्रतिशत कर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे तंबाकू के लिए इस न्यूनतम मूल्य पर पुनर्विचार करेंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर पुनर्विचार करेंगे?

श्री कमलनाथ : महोदय, यह एक बात अवश्य स्वीकार करनी होगी। माननीय सदस्य मुझे प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले थे। आंध्र प्रदेश में नीलामी अभी शुरू ही हुई है, मेरे विचार से परसों से। कर्नाटक में नीलामी और आंध्र प्रदेश में नीलामी के मध्य अतिव्याप्ति की अवधि है - 15 दिन की अतिव्याप्ति और कभी-कभी यह एक शांत स्थिति बन जाती है।

मैंने यह अवश्य कहा था कि इस अतिव्याप्ति अवधि के बाद आने वाले आगामी दिनो में यदि मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में नीचे

चला जाता है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप पर विचार करेगी। इस समय, कर्नाटक में जहां नीलामी समाप्त हो गई है, मूल्य में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष यह कर्नाटक में नीलामी की अवधि के अंत में यह मूल्य 40.45 रु. था और इस वर्ष यह 47.67 रु. है। मेरा विश्वास है कि आंध्र प्रदेश में भी मूल्य यहीं बना रहेगा।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या रूस को निर्यात किया जाएगा या नहीं।

श्री कमल नाथ : जबकि इसकी उत्सुकता है और यह परसों ही आरंभ हुआ है आने वाले दिनों में हम इसकी निगरानी करेंगे।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि तम्बाकू को न्यूनतम गारंटी मूल्य दिया जाएगा या नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमारे पास प्रश्न काल के लिए केवल एक ही घंटा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मसालों का व्यापार

***265. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में इलायची तथा काली मिर्च जैसे मसालों के निर्यात और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के काली मिर्च तथा इलायची उत्पादकों को राज सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है अथवा इस संबंध में कोई कदम उठाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए इलायची और काली मिर्च का अनुमानित निर्यात और आयात इस प्रकार है:—

इलायची

मात्रा टनों में
मूल्य करोड़ रु. में

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2001-02	1,031	61.68	321	8.26
2002-03	682	47.07	323	8.58
2003-04	690	33.01	60	1.37

स्रोत: मसाला बोर्ड

काली मिर्च

मात्रा टनों में
मूल्य करोड़ रु. में

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2001-02	22,877	203.69	6,328	56.36
2002-03	21,609	178.88	15,392	123.37
2003-04	16,700	143.51	14,334	99.23

स्रोत: मसाला बोर्ड

(ख) और (ग) भारत सरकार को केरल सरकार से उनकी खरीद एजेंसी द्वारा निर्यात की जाने वाली 15,000 मी. टन काली मिर्च के लिए 10 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 15 करोड़ रु. की निर्यात सब्सिडी देने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हाल में केरल सरकार ने 10 करोड़ रु. की डब्ल्यू टी ओ के अनुरूप सब्सिडी देने के लिए भी अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) सरकार मसाला बोर्ड के माध्यम से मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में आधुनिकी प्रौद्योगिकी की शुरुआत को प्रोत्साहित करती है। इस संबंध में सुपर क्रिटीकल एक्सट्रेक्शन, स्टीम स्टरलाइजेशन क्रायोग्राइंडिंग जैसी प्रक्रियाएं अपनाने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

*266. श्री एल. राजगोपाल :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चमड़ा उद्योग के विकास की संभावना का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें सुलझाने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(ङ) क्या सरकार विश्व बाजार में चमड़ा उद्योग की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु इसका आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) दसवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित चमड़ा तथा चमड़ा वस्तु उद्योग से संबंधित कार्यशील दल ने आकलन किया था कि विपणन तथा विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश के साथ भारतीय चमड़ा उद्योग की विश्व व्यापार का 10-14 प्रतिशत शेयर प्राप्त करने की संभाव्यता है।

(ग) अपर्याप्त निवेश के फलस्वरूप पुरानी प्रौद्योगिकी अल्प क्षमताएं तथा कम उत्पादकता चमड़ा उद्योग के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं के रूप में पहचानी गई थी।

(घ) से (च) क्षेत्र में निजी निवेश को उत्प्रेरक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई एल डी पी) को परिकल्पित किया है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार, उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना, मानव संसाधन विकास, उत्पादकता सुधार तथा विपणन विकास करना है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

*267. श्री रामदास आठवले :

श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन जिलों विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के जिलों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां वर्तमान में विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धन राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से भी वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक को भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक (अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ-आई.डी.ए.) इस समय छः राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए निधियां प्रदान कर रहा है और राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जिसमें गोवा को छोड़कर देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है, के लिए आंशिक वित्तपोषण कर रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए जिलों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन छः राज्यों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आबंटित की गई राशि संलग्न विवरण-II और इसी अवधि के दौरान राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत आबंटित की गई राशि संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ग) से (छ) चूंकि राज्य सरकारें सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं इसलिए प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए अतिरिक्त विश्व बैंक सहायता की मांग नहीं की गई है।

विवरण-I

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिलों के नाम

क्र. स.	राज्य का नाम	जि.प्रा.शि.का. के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14	आदिलाबाद, अनंतापुर, चित्तूर, कुद्दापाह, गुंटुर, खाम्मम, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद, प्रकासम, रंगा रेड्डी, श्रीकाकाकुलम, विशाखापट्टनम
2.	बिहार	20	भागलपुर, (बांका) भोजपुर (बक्सर) दरभंगा, गया, मुंगेर, (जामुई, लखीसराय, शेखपुरा) मुजफ्फरपुर, पुर्णिया (अररिया किशनगंज) रोहतास (केमुर) सीतामढ़ी (शिवहर) वैशाली, पश्चिम चंपारन
3.	झारखंड	9	छत्रा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग (कोदर्मा) रांची, दुमका, जमात्रा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला
4.	राजस्थान	19	अलवर भीलवाडा, झुनझुन, कोटा, नागौर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, चुरू, दौसा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, करोली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़
5.	उत्तरांचल	6	बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, पिथोरगढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी
6.	उत्तर प्रदेश	36	बाराबंकी, रामपुर, बहरांच, श्रावस्ती, आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़ रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव

विवरण-II

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आबंटित राशि

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	159.41	222.78	168.44
2.	बिहार	204.15	132.49	170.98
3.	झारखंड	49.00	61.84	111.92
4.	राजस्थान	127.80	215.10	258.34
5.	उत्तरांचल	28.74	26.41	29.70
6.	उत्तर प्रदेश	537.43	426.60	216.59

विवरण-III

सर्व शिक्षा अभियान के लिए अनुमोदित परिव्यय

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5375.7	16990.27	39534.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	356.65	2331.89	4834.64
3.	असम	7651.88	15040.01	41859.25
4.	बिहार	6712.4	23885.31	77166.19
5.	छत्तीसगढ़	779.96	6763.67	21830.05
6.	गुजरात	4156.38	12957.58	23492.94
7.	हरियाणा	496.46	8138.40	15087.87
8.	हिमाचल प्रदेश	1617.59	2906.37	11004.15
9.	जम्मू-कश्मीर	0	5148.55	16611.68
10.	झारखण्ड	1335.73	9564.91	32808.36
11.	कर्नाटक	6508.62	10465.58	33791.55
12.	केरल	2372.98	8684.05	12742.87
13.	मध्य प्रदेश	6461.06	16522.03	84428.2
14.	महाराष्ट्र	10448.92	36957.33	76526.07
15.	मणिपुर	0	938.06	3160.52
16.	मेघालय	1871.25	451.00	4028.27
17.	मिजोरम	1017.79	1602.24	3152.79
18.	नागालैण्ड	0	1971.17	2951.49
19.	उड़ीसा	7474.59	13407.38	47197.47
20.	पंजाब	12980.79	9946.34	20145.75
21.	राजस्थान	753.75	17434.48	45031.05
22.	सिक्किम	146.22	580.91	1233.11
23.	तमिलनाडु	6863.35	18422.49	40493.03
24.	त्रिपुरा	1047.95	1131.01	5116.95
25.	उत्तर प्रदेश	18042.67	38447.74	109513.5
26.	उत्तरांचल	2579.74	4783.33	12577.19
27.	पश्चिम बंगाल	3546.99	22146.98	59818.63
28.	अंडमान एवं निकोबार	0		757.23
29.	चंडीगढ़	0		598.77
30.	दादर तथा नगर हवेली	0		1193.14
31.	दमन एवं दीव	0		0
32.	दिल्ली	0	15.00	5225.65
33.	लक्षद्वीप	0	34.69	110.16
34.	पांडिचेरी	38.3	341.58	730.82
	कुल	110637.72	308010.35	854754.11

व्यापार समझौते

***268. श्रीमती अनुराधा चौधरी :**
श्री मुन्शी राम :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार करारों के संबंध में शिकायतों का निवारण करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मुक्त व्यापार करारों से घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो घरेलू उद्योगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए उक्त प्रकोष्ठ द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त प्रकोष्ठ को देश में कुछ वस्तुओं के आयात में अत्यधिक वृद्धि होने की कोई शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू उद्योगों पर इन अत्यधिक आयातों के प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या चालू वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग बाजारों को इन करारों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और अब तक कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने व्यापार करारों से संबंधित विभिन्न शिकायतों का समाधान करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस शिकायत प्रकोष्ठ के प्रमुख इस समय भारत सरकार के अपर सचिव हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। शिकायतें प्राप्त होते ही समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से सभी संबंधितों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिए जाते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। शिकायत प्रकोष्ठ को भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत श्रीलंका से तांबे के आयातों में हुई वृद्धि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने इसके बारे में श्रीलंका सरकार के साथ विचार विमर्श किए थे और श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका में तांबे के आयात के लिए एक न्यूनतम कीमत तंत्र शुरू कर दिया है। यह उम्मीद है कि इससे शिकायत का समाधान हो जाएगा। दोनों सरकारों द्वारा इस स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

(छ) और (ज) जी, नहीं। आसियान, सिंगापुर, साफ्टा, मर्कोसुर के साथ हुए करार अभी लागू किए जाने हैं। मुक्त व्यापार करार जो लागू हैं, इस प्रकार हैं: भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार करार जो मार्च, 2000 से लागू है (वर्ष 2003-04 में श्रीलंका को भारत के निर्यात और वहां से हुए आयात क्रमशः 1319 मिलियन डॉलर और 195 मिलियन डॉलर के थे) और भारत - थाईलैंड कार्यढांचा करार जो सितंबर, 2004 से लागू हुआ था, के अंतर्गत शीघ्र फलदायी कार्यक्रम।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए धनराशि का आबंटन

***269. श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर विश्वविद्यालय-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु उपरोक्त कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि पर्याप्त नही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर अधिक धनराशि खर्च करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) जहां तक भारत सरकार का संबंध है, पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए 202 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों तथा सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं को 4537.69 करोड़ रुपये की कुल राशि संवितरित की गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सीधे 193.80 करोड़ रुपये की निधियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों की 1.1.1996 से 31.3.2000 की अवधि के बकाया का भुगतान करने के लिए 1756.24 करोड़ रु. की राशि संवितरित की है।

देश में उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के वित्तपोषण के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति गठित की गई है। भविष्य में विश्वविद्यालयों का वित्तपोषण केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की जांच के निष्कर्षों तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाएगा।

पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. स.	राज्य का नाम	पात्र विश्वविद्यालयों की संख्या	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16	6609.23	7955.26	7502.59	8235.53	9253.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	84.64	130.18	349.04	199.56	19.34
3.	असम	4	4178.48	1849.46	1521.68	3973.17	4588.79
4.	बिहार	7	502.55	390.28	1005.1	2010.2	96.42
5.	छत्तीसगढ़	3	238.83	158.59	100.98	234.33	205.19
6.	दिल्ली	10	403.67	4802.03	598.59	27419.07	633.85
7.	हरियाणा	5	310.71	354.32	665.03	422.36	1752.42
8.	गुजरात	8	1613.89	4466.39	2087.35	1987.36	2089.44
9.	गोवा	1	123.90	86.36	186.16	177.30	56.01
10.	हिमाचल प्रदेश	2	142.88	170.15	614.47	203.19	149.70
11.	जम्मू-कश्मीर	3	229.02	268.55	211.47	2336.34	2277.97
12.	झारखण्ड	4	215.84	265.98	344.55	486.72	429.88
13.	कर्नाटक	13	406.93	937.27	1766.88	305.71	218.51
14.	केरल	7	625.59	678.82	1044.38	787.99	1240.29
15.	मणिपुर	1	142.32	95.48	123.25	165.92	228.76
16.	मध्य प्रदेश	11	1251.8	951.15	1034.22	1110.59	875.47
17.	महाराष्ट्र	20	2535.24	3131.04	4042.29	3611.7	2571.69
18.	मिजोरम	1	0	0	1320.27	2127.98	743.60

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	मेघालय	1	4095.19	3840.83	3369.31	4035.21	5683.15
20.	नागालैण्ड	1	1755.57	1669.15	1249.02	2010.34	6422.85
21.	उड़ीसा	5	802.54	514.32	362.98	622.07	268.09
22.	पांडिचेरी	1	1710.99	1043.62	1507.35	1683.83	1507.42
23.	पंजाब	5	756.08	853.37	2017.87	1172.01	1432.42
24.	राजस्थान	11	887.73	1134.28	1570.53	1052	1970.47
25.	तमिलनाडु	22	2791.59	3558.46	4681.05	3784.28	3684.39
26.	त्रिपुरा	1	69.05	56.70	37.57	81.26	15.53
27.	उत्तरांचल	6	1144.43	1363.03	1024.98	903.99	913.69
28.	उत्तर प्रदेश	21	34016.38	33568.29	33512.61	37787.91	40027.85
29.	पश्चिम बंगाल	11	5541.31	6258.73	5934.7	6700.73	7264.46
	कुल	202	73185.38	82551.09	81785.27	117627.65	98619.66

बच्चों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता

*270. **श्री विजय कृष्ण :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों तथा प्रकाशकों की एसोसिएशनों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) शिक्षा पुस्तकालय योजना के अंतर्गत कितनी प्रगति दर्ज की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अच्छे साहित्य की रचना करने तथा इसे प्रोत्साहित करने और आम जनता को सामान्य मूल्यों पर ऐसा साहित्य उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन प्रभाग की स्थापना की है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में एक विशिष्ट निकाय यथा, राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र एक नोडल एजेंसी है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के प्रकाशन का अनुवीक्षण, समन्वयन, आयोजना तथा सहायता देने का कार्य करती है। राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र ने बाल साहित्य हेतु एक पुस्तकालय-व-प्रलेखन केन्द्र विकसित किया है। यह कार्यशालाएं, सेमिनार तथा प्रदर्शिनियां आयोजित करता है जिनका उद्देश्य रीडर्स क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित करके स्कूल स्तर पर बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है, जिनमें से 25,000 रीडर्स क्लबों की स्थापना की

जा चुकी है। राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र सर्वेक्षण करवाता है, शोध कार्य करता है तथा 'रीडर्स क्लब बुलेटिन' नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें बच्चों की मौलिक रचनाएं प्रकाशित करके विभिन्न विद्यालयों में भेजी जाती हैं। बाल-साहित्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्यार्थ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में विशेष बाल साहित्य मेले आयोजित करता है।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के प्रयोजनार्थ साहित्य अकादमी तथा प्रकाशन प्रभाग भी सामान्य मूल्य पर विभिन्न भाषाओं में बच्चों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन में लगा हुआ है।

(ग) उन स्वैच्छिक संगठनों तथा प्रकाशक संघों, जो पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिन्हें वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान "पुस्तक प्रोन्नयन कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक एजेंसी" स्कीम के तहत अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं, की सूची संलग्न विवरण-I और II में है।

(घ) "विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार" नामक एक स्कीम को इस समय इस मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस स्कीम में "शैक्षिक पुस्तकालयों में सुधार" नामक एक घटक मौजूद है।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान पुस्तक प्रोन्नयन कार्यकलाप तथा स्वयंसेवी एजेंसी स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों की सूची

(रु. में)

	आन्ध्र प्रदेश	
1.	प्रो. कौला एंडोवमेंट फार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इथानागरम	36,000
2.	श्री साई सोसाईटी, मेडक	2,62,500
3.	ग्राम सेवा संगम, मदनूर	2,81,000
4.	चैतन्य यूथ एसोशिएशन, राजामुंडी	2,00,000
5.	वेंकटेश्वर रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी, कहबूबनगर	2,20,000
	असम	
6.	अनवेशा, गुवाहाटी	1,52,000
	बिहार	
7.	बदहते कादम, पटना	1,60,000
8.	हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, मुंगेर	1,50,000
	दिल्ली	
9.	फैडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली	1,50,000
10.	इंडियन रिजनल जर्नलिस्ट एसोशिएशन, दिल्ली	4,80,000

11.	इनीशिएटिव रिकंस्ट्रक्शन एंड मोबिलाइजेशन, नई दिल्ली	2,25,000
12.	मानव मंदिर मिशन, दिल्ली	1,25,000
13.	पुस्तक मेला समिति, दिल्ली	4,00,000
14.	एफ्रो एशियन बुक काउंसिल, दिल्ली	37,500
15.	आथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, दिल्ली	1,12,500
16.	पुस्तक मेला समिति, दिल्ली	3,00,000
17.	दर्पण म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैराना घराना, दिल्ली	2,00,000
18.	सर निर्माण एजूकेशनल एंड कल्याण सोसाइटी दिल्ली	2,40,000
19.	इनीशिएटिव फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड मोबलाइजेशन, नई दिल्ली	2,00,000
	गुजरात	
20.	विकास समर्थन केन्द्र, आनन्द	2,25,000
21.	श्री बजरंग केलवानी मंडल, नर्मदा	2,00,000
	झारखण्ड	
22.	मार्कसमेन वेलफेयर सोसाईटी, हजारीबाद	1,50,000
	कर्नाटक	
23.	एशवर्या रूरल वूमैन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोशिएशन, बंगलौर	1,20,000
24.	बी.एस. एजूकेशन सोसाईटी, बंगलौर	1,00,000
25.	श्री छत्र एजूकेशन सोसाईटी, बन्नूर	1,80,000
26.	रेयाल सेवा समिति, गुलबर्गा	1,91,000
27.	सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, बंगलौर	2,62,500
28.	भाग्यज्योती एजूकेशन ट्रस्ट, बागेपाल्ली	2,50,000
29.	एन.बी. अर्बन एंड रूरल सर्विस डेवलपमेंट सोसाईटी, बागेपल्ली	2,40,000
	केरल	
30.	दर्शन कल्चरर सोसाईटी, कोट्टायम्	3,00,000

31.	अंथराष्ट्र पुस्तकोत्सवान, कोच्चि	3,00,000
	महाराष्ट्र	
32.	भाऊराव पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड	1,86,800
33.	ग्रामीण विकास संस्था, नांदेड	1,10,000
34.	शीला शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड	1,50,000
35.	नवजीवन ध्यान सेवा भावी संस्था, प्रभानी	1,75,000
36.	दक्कत एजूकेशन सोसाईट्टी, पुणे	3,00,000
37.	स्वर्गीय ग्यानोबा शिक्षण प्रसारक मंडल, औरंगाबाद	2,00,000
38.	स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर	2,25,000
39.	मराठवाडा पासायदान कला अकेडमी, बीड	2,00,000
	मणिपुर	
40.	संगीत कला संगम, इम्फाल	3,25,000
	उड़ीसा	
41.	अंचालिका कुंजेश्वरी संस्कुतिका संसद, भुवनेश्वर	2,25,000
42.	इंस्टीटयूट ऑफ सोशन एक्शन, पुरी	2,00,000
	पंजाब	
43.	पंजाब पब्लिक रिलीफ सोसाईटी, लुधियाना	1,05,000
44.	गुरू अंगद देव सेवा सोसाईटी, लुधियाना	1,50,000
	राजस्थान	
45.	ममता विद्या मंदिर समिति, जयपुर	1,35,000
46.	प्रियंका बाल विद्या मंदिर समिति, करौली	1,50,000
47.	आस्था सांस्कृतिक संस्थान जयपुर	1,25,000
	तमिलनाडु	
48.	स्टूडेंट बुक फेयर, चेन्नई	2,00,000

	उत्तर प्रदेश	
49.	ह्यूमन वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाईटी, फैजाबाद	1,86,000
50.	भारतीय विद्या अध्ययन केन्द्र वाराणसी	1,52,000
51.	सेंटर फॉर हैल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाईटी, वाराणसी	1,20,000
52.	प्राग सर्वोदय समिति, लखनऊ	2,00,000
53.	भारतीय ग्रामीण विकास समिति, हरदोई	2,20,000
54.	कुमार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाराणसी	1,70,000
55.	ग्रामअंचल प्रगति समिति, गाजीपुर	2,00,000
	उत्तरांचल	
56.	एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाईटी, पौड़ी	1,75,500
	पश्चिम बंगाल	
57.	पब्लिशर्स एंड बुकसेलर गिल्ड, कोलकाता	3,75,000

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के दौरान पुस्तक प्रोन्नयन कार्यकलाप तथा स्वयंसेवी एजेंसी स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों की सूची

(रु. में)

	आन्ध्र प्रदेश	
1.	साई वाणी एजुकेशन सोसाइटी, अनन्तपुर	1,50,000
2.	ग्रामीण सामुदायिक विकास संगठन, राजमपेट, कुडप्पा	1,60,000
3.	प्रो. कुआला एन्डावमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेस, इथनगरम	50,000
4.	ग्रामीण विकास सोसाइटी, बेलगांव	2,00,000
	असम	
5.	असम अनुसूचित जाति कामगार परिषद् गुवाहाटी	1,00,000
6.	अल-हिलाल मानव कल्याण सोसाइटी, बारपेटा	3,75,,000

	बिहार	
7.	हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, मुंगेर	2,50,000
8.	चाणक्य इंटरनैशनल, पटना	1,35,000
9.	आर्य सेवा फाउंडेशन, पटना	2,25,000
	दिल्ली	
10.	फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, इंशटीट्शनल एरिया जे.एन.यू. के निकट, नई दिल्ली	20,00,000
11.	फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, इंशटीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	5,00,000
12.	ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जंगपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली	1,70,000
13.	दिल्ली ग्रामीण विकास समिति, रोहिणी, दिल्ली	1,80,000
14.	सोसाइटी फॉर एम्पावरिंग द यूथ एंड द, डाउनट्रॉडेन, जियासराय, दिल्ली	2,00,000
15.	सहयोग विकास समिति, बदरपुर, दिल्ली	2,25,000
16.	एशोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चिल्ड्रेन, इंद्रप्रकाश एस्टेट, दिल्ली	2,50,000
17.	इनिशिएटिव फॉर रिकन्सट्रक्शन एंड मोबिलाइजेशन, अलकनन्दा अपार्टमेंट, दिल्ली	2,50,000
18.	भारतीय क्षेत्रीय पत्रकार एशोसिएशन, दरियागंज, दिल्ली	5,00,000
19.	पुस्तक मेला समिति, दरियागंज, दिल्ली	4,00,000
20.	रेनेशां मुकंदपुर एक्सटेंशन, दिल्ली	1,35,000
21.	हिन्दुस्तान सेवा संस्था, रोहिणी, दिल्ली	1,50,000
	गुजरात	
22.	अमीन शरियत एजुकेशन ट्रस्ट जामनगर	2,25,000
	हिमाचल प्रदेश	
23.	नवज्योति एजुकेशनल सोसाइटी, सिरमौर	3,75,000
	झारखण्ड	
24.	ह्यूमेनिटी, रांची	2,00,000
25.	जन सरोकार, रांची	2,00,000

	कर्नाटक	
26.	ज्ञान ज्योति एजुकेशन सोसाइटी, देवनहल्ली, बंगलौर	2,00,000
27.	ग्रामीण विकास सोसाइटी, बेलगाम	2,00,000
28.	भाग्यज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट, बागेपसल्ली	3,00,000
	केरल	
29.	दर्शन कल्चरल सोसाइटी, कोट्टायम	3,50,000
30.	अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकोत्सव समिति, कोच्ची	3,50,000
	मध्य प्रदेश	
31.	कल्पना शिक्षा प्रसार समिति मुरैना	1,50,000
32.	सूबेदार भगवान दास शिक्षा एवम् जन विकास समिति, ग्वालियर	1,00,000
33.	दीनदयाल शिक्षा समिति, ग्वालियर	1,50,000
34.	श्री रामस्वरूप सिंह शिक्षा प्रसार समिति, भिंड	2,00,000
	महाराष्ट्र	
35.	बालाजी शिक्षण संस्था, नान्देड	1,80,000
36.	कोपरगांव तालुका विद्यार्थी सहायक समिति, कोपरगांव	1,00,000
37.	श्री नागनाथ बहुउद्देश्यीय संस्था, सोलापुर	1,50,000
38.	नवजीवन द्यान सेवाभावी संस्था, परभनी	1,80,000
39.	अहिल्या बहुउद्देश्यीय संस्था, सोलापुर	2,00,000
40.	संजीवनी शैक्षिक तथा सामजिक विकास संस्था, अहमदनगर	1,00,000
41.	सॉ कमलिनी सतभाई सार्वजनिक ग्रंथालय वाचनालय	1,00,000
42.	विकास शिक्षण संस्था, हिंगोलो	1,50,000
43.	समाजार्थिक तथा शैक्षिक विकास सेवा, चौचंदपुर	2,20,000
44.	ग्रामीण विकास संघ खेंगझोम	3,00,000
45.	द इंडीजिनस वर्ल्ड, इम्फाल	3,00,000

	नागालैण्ड	
46.	इव्स वेलफेयर सोसाइटी, दीमापुर	1,80,000
	उड़ीसा	
47.	ट्राइबल लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा, कटक	2,00,000
48.	विकल्प विकास, आंगुल	4,00,000
	राजस्थान	
49.	आग्रोती शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, करौली	1,25,000
	तमिलनाडु	
50.	ह्यूमेनिटी एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट टाइड ऑर्गेनाइजेशन, काचीपुरम	1,50,000
	त्रिपुरा	
51.	भारतीय महिला विकास सोसाइटी, अगरतला	1,35,000
	उत्तर प्रदेश	
52.	लोक मंगल ओराई	1,00,000
53.	मातेई हेल्थ केअर तथा सोसल वेल्फेयर इंस्टिट्यूट, अम्बेडकर नगर	2,25,000
54.	प्राग सर्वोदय समिति, लखनऊ	2,50,000
55.	विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी राजकीय जिला पुस्तकालय, उन्नाव	2,25,000
56.	नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, इलाहाबाद	2,50,000
57.	भारतीय ग्रामीण विकास समिति, हरदोई	2,00,000
	उत्तरांचल	
58.	जलगाम समिति, सजगौरी	1,50,000
59.	ग्रुपियस सोसल वेल्फेयर सोसाइटी, देहरादून	1,80,000
60.	विद्या निकेतन शिक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल	2,50,000
	पश्चिम बंगाल	
61.	पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड, कोलकाता	10,00,000

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक बोर्डों को अनुदान

*271. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए भी होगी;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के समक्ष छात्रों द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए राज्य माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक बोर्डों को प्रोत्साहन अनुदान देने का प्रस्ताव रखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक बोर्डों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है ताकि छात्र विभिन्न ओलम्पियार्डों में भाग ले सकें; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कोई स्कीम नहीं है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों हेतु राज्य माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक बोर्डों को अनुदान देने के निमित्त एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव इस विभाग की किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं आता है।

(च) और (छ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

"सोया केक" का निर्यात

*272. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सोया केक" के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान और आज की तिथि तक "सोया केक" के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(घ) क्या सरकार का सोयाबीन उत्पादकों, सोया - प्रसंस्करण उद्योग और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद - शुल्क में अधिक कर - रियायत देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सोया खाद्य सामग्री सहित कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में विदेशी प्रतिनिधिमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना, गुणवत्ता, पैकेजिंग में सुधार करना, उत्पादों के ब्रांड संवर्धन के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना और बाजार सर्वेक्षण करना शामिल हैं। सोया - केक के निर्यातों को बढ़ाने के लिए की गई कुछ नीतिगत पहल निम्नलिखित हैं:—

खाद्य ग्रेड की हेक्सीन जो तेल निकालने में प्रयोग होने वाला एक विलायक है, पर उत्पाद शुल्क को 32% से घटाकर 16% कर दिया गया है।

सोयाबीन के उत्पादों (सोयाबीन की तेल निकाली हुई खली अथवा खाद्य पदार्थ) के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शर्तों के साथ खाद्य उत्पादों के मानक निविष्टि - उत्पादन मानदंड (एसआईओएन) "ई-42" के अंतर्गत निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(ग) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान और आज तक सोया - केक के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की मात्रा इस प्रकार है:—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु. में
1	2
2002-03	1336.23

1	2
2003-04	3043.24
अप्रैल, 04-सितम्बर, 04	996.67

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

(घ) और (ङ) केवल इकाई कंटेनरों में पैक किए हुए सोया के आटे के उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगता है। लगभग अन्य सभी सोयाबीन के लिए उत्पाद शुल्क से छूट दी हुई है। सोया उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में रियायत को बढ़ाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खेल संगठन

*273. **श्री अनंत कुमार : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खेल संगठनों में बिना किसी खेल पृष्ठभूमि के पद धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रकार की परम्परा के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) क्या खेल संगठनों में खेल से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों को रखे जाने संबंधी कोई नीति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 54 राष्ट्रीय खेल परिसंघों/संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 272 पदाधिकारियों में से, 191 का खेलों के क्षेत्र में पिछला सिद्ध रिकार्ड है और 81 के पास खेलों की पृष्ठभूमि नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.), जो कि सोयायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी समितियां हैं, के पदाधिकारियों का चयन संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ संरचना की अनुसार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो उनकी संरचना के अनुसार उपयुक्त है, चुनाव लड़ सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) में दर्शाया गया है, पदाधिकारियों के चुनाव संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की संरचना की अनुसार आयोजित होते हैं, इस संरचना के अंतर्गत अनुभवी खिलाड़ियों सहित कोई भी पात्र व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चूंकि खेल राज्य सूची का विषय है, केन्द्र सरकार ने इन राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसंघों/संगठनों में अनुभवी खिलाडियों की अधिष्ठापना के लिए कोई नीतिगत आदेश नही बनाया है।

दिल्ली मास्टर प्लान, 2021

*274. **श्री हरिन पाठक :**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के कार्यान्वयन से संबंधित निगरानी संबंधी शक्तियों की मांग की है जैसा कि 21 जनवरी, 2005 के ''दी एशियन ऐज'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में खासतौर से विशेषज्ञता दृष्टिकोणों एवं उनके कारणों में विषमता और अस्पष्टता जैसी अनेक गंभीर खामियां हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 पूर्ववर्ती मास्टर प्लान से किस प्रकार बेहतर है;

(च) खामियों को दूर करने और इसे अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या उक्त प्लान में यह सिफारिश की गई है कि नान कनफार्मिंग क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाए; और

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से

शहरी विकास मंत्रालय में इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि प्रारूण दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 को विभिन्न विशेषज्ञों और व्यावसायिक संगठनों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद आदि जैसी एजेंसियों से व्यापक परामर्श के पश्चात तैयार किया गया है। आम जनता से भी सुझाव लिए गए हैं। प्लान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें और सुझाव देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों और पेशेवरों वाले 12 उप-दल गठित किए गए और उनके द्वारा दी गई सिफारिशें तथा सुझावों पर यथोचित विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त पांच सेमिनार आयोजित किए गए ताकि स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पेशेवर प्रतिनिधियों से विचार/सुझाव आमंत्रित किए जा सकें। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पेशेवर संस्थानों से विशिष्ट अध्ययन भी कराए गए।

(ङ) और (च) प्रारूप दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली की संकल्पना, सुस्थिर पर्यावरण में बेहतर जीवन गुणवत्ता वाले विश्वस्तरीय महानगर के रूप में की गई है। इस लक्ष्य को पाने के लिए प्लान में अन्य के साथ-साथ आबादी वृद्धि और दिल्ली में आप्रवास, पर्याप्त आवास, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए, छोटे उद्यमों-विशेषकर असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र, की समस्याओं को दूर करने, स्लमों के मुद्दे से कारगर ढंग से निपटने, शहर के पुराने और जीर्णशीर्ण क्षेत्रों के पुनरुद्धार, पर्याप्त अवस्थापना सेवाओं के प्रावधान, पर्यावरण के संरक्षण, विकास के आधुनिक पैटर्न से सामंजस्य बिठाते हुए शहर के भूदृश्य और हैरिटेज को संरक्षित रखने, विकास मामलों में सार्वजनिक-निजी और सामुदायिक भागीदारी आदि के लिए उपायों का प्रावधान किया गया है। प्रारूप प्लान पिछले मास्टर प्लान के अनुभवों से सीख लेते हुए और वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

(छ) और (ज) प्रारूप दिल्ली मास्टर- 2021 में न्यूनतम 4 हेक्टेयर के सतत क्षेत्र वाले ऐसे गैर नियोजित औद्योगिक समुच्चयों के पुनर्विकास का प्रावधान है जिनमें 70% से अधिक प्लाटों में विनिर्माण कार्य चल रहा है।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

*275. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त किया जाएगा।

(ख) अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 2005 तक विद्यालयों में बालकों और बालिकाओं के बीच भर्ती करने संबंधी समानता लाने में विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) इस उद्देश्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किये जाने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केंद्र प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऐसी मुख्य योजना हैं, जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है प्राथमिक (कक्षा I-V) तथा प्रारंभिक (कक्षा I-VIII) स्तरों पर वर्ष 2002-03 में सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 95.4% और 82.5% था।

(ग) सकल नामांकन अनुपात में लैंगिक अंतराल काफी घट गया है। यह 1992-93 में 22% से घटकर 2002-03 में 6.1% रह गया।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक और प्रारंभिक स्तरों पर क्रमशः 2007 और 2010 तक लैंगिक भेदभाव को मिटाना है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन विचाराधीन है।

(छ) और (ज) 2004-05 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्रीय योजनागत आवंटन को 3057 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5079 करोड़ रु. किया गया है।

(झ) और (ञ) गत तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यवार आवंटित एवं खर्च की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2001-02 से 2003-04 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी किए गए केंद्रीय अनुदान की राशि और कुल व्यय

क्र. सं.	राज्य का	2001-02 से 2003-04 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों तथा उनके द्वारा किया गया कुल व्यय (केंद्रीय एवं राज्य हिस्से की तुलना में)	
		केंद्र सरकार द्वारा जारी किया अनुदान (रु. लाख में)	केंद्रीय एवं राज्य हिस्से की तुलना में कुल व्यय* (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20395.18	26420.17
2.	असम	22647.49	27156.7
3.	अरुणाचल प्रदेश	5560.52	1454.46
4.	बिहार	30395.645	28141.82
5.	छत्तीसगढ़	10637.95	10040.99
6.	गोवा#	0	0
7.	गुजरात	27750.54	25929.3
8.	हरियाणा	9996.44	11522.86
9.	हिमाचल प्रदेश	7932.23	9112.65
10.	जम्मू-कश्मीर	7430.21	7926.82
11.	झारखंड	15391.26	15338.83
12.	कर्नाटक	21501.18	23186.3
13.	केरल	8298.01	9439.23
14.	मध्य प्रदेश	49145.97	46878
15.	महाराष्ट्र	36345.08	46579.26
16.	मणिपुर	609.93	0
17.	मेघालय	2394.73	2920.33
18.	मिजोरम	2518.22	1603.5
19.	नागालैंड	1049.835	186.33
20.	उड़ीसा	18843.99	18473.62
21.	पंजाब	17069.825	18797.28
22.	राजस्थान	25942.93	26997.1
23.	सिक्किम	794.92	825.61
24.	तमिलनाडु	26993.67	35407.36
25.	त्रिपुरा	4406.1389	5325.19
26.	उत्तरांचल	6809.47	8422.97
27.	उत्तर प्रदेश	61952.03	76717.54

1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	29234.63	22094.21
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	296.64	433.11
30.	चंडीगढ़	224.54	196.98
31.	दादरा और नगर हवेली	447.42	1.21
32.	दमन और दीव	12	12
33.	दिल्ली	2120.89	515
34.	लक्षद्वीप	48.29	0
35.	पांडिचेरी	305.89	139.22
	कुल	475503.6939	508195.95

* सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्यों के पास उपलब्ध निधियों में केंद्रीय अनुदान के अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया राज्य का हिस्सा शामिल है।

\# सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय सहायता हेतु गोवा ने अभी तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

राष्ट्रीय पुनर्निमाण कोर

***276. श्री बी. विनोद कुमार : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने युवकों को राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करने हेतु "राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर" का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय इस कोर की कितनी यूनिटें हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात इस कोर को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय पुनर्निमाण कोर की यूनिटें स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एन.आर.सी.) योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जरिए दो वर्ष की अवधि अर्थात 1.4.2001 से 31.3.2003 तक के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की थी। इस अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) समाज में देशभक्ति तथा स्वयंसेवा की भावना भरने के लिए तथा रचनात्मक कार्यों में जीवंत युवा ऊर्जा के पूर्ण प्रवाह को लगाने के लिए एन.आर.सी. योजना तैयार की गयी थी। मानव निर्माण तथा राष्ट्री निर्माण एन.आर.सी. योजना के दो उद्देश्य थे। योजना के अंतर्गत पहचानी गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1000/-रु. प्रतिमाह के मासिक मानदेय पर स्वयंसेवक लगाए गए थे।

(ग) शून्य

(घ) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन को धनराशि जारी की गई थी। 2001-02 तथा 2002-03 के लिए राज्य-वार आबंटन की सूची संलग्न विवरण-II में दी गयी है। 2003-2004 के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

2001-02 के 76 एन.आर.सी. जिलों तथा 2002-03 के 40 एन.आर.सी. जिलों की राज्य तथा जिला-वार सूची।

क्र. स.	राज्य का नाम	क्र. स.	वर्ष 2001-02 के एन.आर.सी. जिला का नाम	क्र. स.	वर्ष 2002-03 के एन.आर.सी. जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.	पूर्वी गोदावरी	1.	अनंतपुर

1	2	3	4	5	6
		2.	हैदराबाद	2.	महबूब नगर
		3.	करीम नगर		
		4.	विशाखापट्टनम		
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.	तेजू (लोहित)	3.	डिब्रूगढ़
3.	असम	6.	कछार	4.	सोनितपुर (टैक्सपुर)
		7.	गुवाहाटी (कामरूप)		
		8.	नौगांव		
4.	बिहार	9.	जहानाबाद	5.	भागलपुर
		10.	किशनगंज	6.	कटिहार
		11.	नालंदा	7.	मोतीहारी
		12.	नवादा		
		13.	पटना		
		14.	सीतामढ़ी		
5.	छत्तीसगढ़	15.	कांकेर	8.	बिलासपुर
		16.	सरगुजा	9.	राजनंद गांव
6.	दिल्ली	17.	अलीपुर		
		18.	महरौली		
7.	गुजरात	19.	गांधीनगर	10.	कच्छ
8.	हिमाचल प्रदेश	20.	सिरमौर (नाहन)	11.	बिलासपुर
		21.	ऊना		
9.	हरियाणा	22.	नारनौल	12.	गुड़गांव
10.	जम्मू-कश्मीर	23.	लेह		
		24.	ऊधमपुर		

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	25.	दुमका	13.	लोहरदग्गा
		26.	गुमला	14.	पलामू
		27.	हजारीबाग		
12.	कर्नाटक	28.	बिहार	15.	बंगलौर (शहरी)
		29.	बीजापुर	16.	उडुप्पी (मंगलौर)
		30.	सिमोगा		
13.	केरल	31.	केसरगढ़	17.	कोझिकोड
		32.	वायगाड		
14.	मध्य प्रदेश	33.	भोपाल	18.	बालाघाट
		34.	छतरपुर	19.	दमोह
		35.	ग्वालियर	20.	देवास
		36.	जबलपुर	21.	धार
		37.	झबुआ	22.	सिहोर
		38.	सिवनी		
		39.	शाहडोल		
		40.	टीकमगढ़		
15.	महाराष्ट्र	41.	बीड	23.	अमरावती
		42.	गढ़चिरौली		
		43.	जालना		
		44.	मुंबई (कल्याण)		
		45.	सिंधुदुर्ग		
16.	मणिपुर	46.	बिशनपुर	24.	तर्मेगलोंग
17.	मेघालय	47.	पश्चिमी गारो हिल्स		

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	48.	लुंगलेई		
19.	नागालैंड	49.	कोहिमा	25.	मॉन
20.	उड़ीसा	50.	बोलांगीर	26.	क्योंझर
		51.	कालाहांडी	27.	संभलपुर
		52.	खुर्दा (भुवनेश्वर)	28.	सुंदरगढ़
		53.	कोरापुट		
		54.	मयूरभंज		
		55.	नवपाडा		
		56.	फुलबनी		
21.	पंजाब	57.	गुरदासपुर		
22.	राजस्थान	58.	भरतपुर	29.	बारंग
		59.	जयपुर	30.	कोटा
		60.	झालावाड़		
		61.	सीकर		
23.	सिक्किम	62.	गंगटोक	31.	सिक्किम (पश्चिमी)
24.	तमिलनाडु	63.	कांचीपुरम (पेरम्बुलूर)	32.	कोयम्बटूर
		64.	चेन्नई (ग्रामीण)	33.	नीलगिरि
		65.	कन्याकुमारी		
		66.	रामनाथपुरम		
		67.	तिरूचिरापल्ली		
25.	त्रिपुरा	68.	उत्तरी त्रिपुरा (धर्मनगर)	34.	उदयपुर (दक्षिण त्रिपुरा)
26.	उत्तर प्रदेश	69.	बांदा	35.	बरेली
		70.	ललितपुर	36.	हमीरपुर

1	2	3	4	5	6
		71.	ललितपुर	37.	जालौन
		72.	लखनऊ	38.	झांसी
		73.	मथुरा		
		74.	मेरठ		
		75.	पीलीभीत		
27.	उत्तरांचल	76	टिहरी गढ़वाल	39.	उत्तरकाशी
				40.	रुद्रप्रयाग

विवरण-II

क्र. स.	राज्य	आबंटित धनराशि रु. में 2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
1.	हरियाणा	1068000	1764066
2.	हिमाचल प्रदेश	2139000	2865537
3.	जम्मू-कश्मीर	2164000	1845500
4.	पंजाब	1045000	982550
5.	राजस्थान	4328000	5295808
6.	चंडीगढ़/सं.शा. क्षेत्र	0	2700
7.	दिल्ली	2321625	2274200
8.	आंध्र प्रदेश	4391000	6717960
9.	कर्नाटक	3165389	4718675
10.	केरल	2237000	3480500
11.	तमिलनाडु	5967125	6959879
12.	पांडिचेरी	0	0
13.	उत्तर प्रदेश	7998177	12697470
14.	उत्तरांचल	367339	3064027
15.	असम	3409036	6056317
16.	अरुणाचल प्रदेश	1076540	1323480
17.	मणिपुर	1106792	2126740
18.	मेघालय	1089106	1278000
19.	नागालैण्ड	1090500	2329766
20.	मिजोरम	1093195	1222394
21.	त्रिपुरा	990000	2325000
22.	बिहार	6654000	11500332
23.	झारखंड	3246000	6253764
24.	उड़ीसा	7581000	11796413
25.	गुजरात	1082000	2063693

1	2	3	4
26.	मध्य प्रदेश	8911500	16808869
27.	छत्तीसगढ़	2166000	4911683
28.	महाराष्ट्र	5697250	8493225
29.	गोवा	0	0
30.	दादरा व नगर हवेली	0	0
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0
32.	पश्चिम बंगाल	958875	316745
33.	सिक्किम	1107427	2610896
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	दमन व दीव	0	0

विश्वविद्यालयों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

*277. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री अब्दुल्लाकुट्टी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है;

(ख) क्या कुछ अन्य विश्वविद्यालयों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं;

(ग) 31 मार्च, 2004 की तारीख तक और उसके पश्चात् विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय से भिन्न उच्चतर शिक्षा संस्था को 'सम-विश्वविद्यालय' के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब तक सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त संस्थाओं की सूचील संलग्न विवरण-I में दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार उसके पास निर्णय लिए जाने के लिए तेरह प्रस्ताव लम्बित है। विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों से 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त करनक संबंधी प्रस्तावों की राज्वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। ऐसे प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक जांच समिति गठित की है। जांच समिति ने 23 संस्थाओं का चयन किया है जिनका ''स्थल पर जाकर'' मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति दौरा करेगी। जिन संस्थाओं के प्रस्तावों को जांच समिति ने मंजूरी नहीं दी है उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए आयोग ने समीक्षा समिति भी गठित की है।

विवरण-I

सम विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.स.	संस्थाओं का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति
3.	श्री सत्यसांई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रसन्नति निलायम
4.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
	असम
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर, असम
	बिहार
7.	बिहार यांग भारती, मुंगेर

1	2
	चंडीगढ़
8.	पंजाब इंजीनियरी कालेज, चंडीगढ़
	गुजरात
9.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
10.	धर्मसिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान, नादियाड
11.	सरदार वल्लभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
	हरियाणा
12.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
13.	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुडगांव
14.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र
	हिमाचल प्रदेश
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
	जम्मू-कश्मीर
16.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
	झारखंड
17	बिरला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची
18.	भारतीय खनन स्कूल, धनबाद
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
	कर्नाटक
20.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
21.	मणिपाल अकादमी आफ हायर एजूकेशन, मणिपाल
22.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साईस, बंगलौर
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक सूरतकल
24.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
25.	जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवांस साईन्टिफिक रिसर्च बंगलौर
26.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
	केरल
27.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट
	मध्य प्रदेश
28.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर
29.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फरमेशन टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर
30.	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल
	महाराष्ट्र
31.	भारती विद्यापीठ, पुणे
32.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरिज एजुकेशन, मुंबई
33.	डक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे
34.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पोलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स, पुणे
35.	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई
36.	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टैक्नोलॉजी, पुणे
37.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साईस, मुम्बई
38.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईस, मुम्बई
39.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे
40.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई

1	2
41.	सिमबायोसिस इन्टरनेशनल एजुकेशनल सेंटर, पुणे
42.	पद्मश्री डा. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरूल, नवी मुम्बई
43.	विश्वेश्वरैया नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर
44.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुम्बई
45.	डा. डी.वाई पाटिल, विद्यापीठ, पिम्परी, पुणे
46.	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लोनी, जिला अहमदनगर
	उड़ीसा
47.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला
48.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलाजी, भुवनेश्वर
	पंजाब
49.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला
50.	डा. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, जालंधर
	राजस्थान
51.	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली
52.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, एण्ड साईंस, पिलानी
53.	जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर
54.	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लाडनूं
55.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ऑफ गांधी विद्या मन्दिर, सरदार शहर
56.	मालीवय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर
57.	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी, एंड साईस, लक्ष्मणगढ़, राजस्थान

1	2
	तमिलनाडु
58.	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साईंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, कोयम्बटूर
59.	गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ग्राधी ग्राम
60.	श्री चन्द्रशेखेरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम
61.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई
62.	विनायक मिशन रिसर्च फाऊंडेशन, सलेम
63.	शनमुगा आर्टस, साईस, टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च एकेडमी (एस.ए.एस.टी.आर.ए.), तंजावुर
64.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर
65.	सत्यभाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई
66.	भारत इंस्टीटयूट आफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई
67.	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई
68.	अमृत विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर
69.	डा. एम.जी.आर. एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई
70.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु
71.	मीनाक्षी अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई
72.	कारूण्य इंस्टीट्यूट ऑफ साईस एंड टेक्नोलाजी, कोयम्बटूर
73.	सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेकिनकल साईसेज, चेन्नई
	उत्तरांचल
74.	फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून

1	2
75.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
	उत्तर प्रदेश
76.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ
77.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा
78.	इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर
79.	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद
80.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद
81.	भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ
82.	मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद
83.	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएड
	पश्चिम बंगाल
84.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा
85.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
	नई दिल्ली
86.	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
87.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
88.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली
89.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
90.	नेशनल म्यूजियम, इंस्टीट्यूट ऑफ दी हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एण्ड म्यूजियोलाजी, नई दिल्ली
91.	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडी, नई दिल्ली
92.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
93.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फौरेन ट्रेड, नई दिल्ली
94.	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
95.	नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली

विवरण-II

सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार सूची

क्र.स.	संस्थाओं का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफ टूरिज्म एंड हास्पीटलिटी मैनेजमेंट, हैदराबाद
2.	इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलाजी, हैदराबाद
3.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी मेंटली हैंडीकेप्ड, सिकंदराबाद
4.	स्वीकार रिहेबिलेटिशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकेप्ड, सिकंदराबाद
5.	साउथ एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, हैदराबाद
6.	मांटेसरी महिला कलाशाला, विजयवाड़ा
	अरुणाचल प्रदेश
7.	नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस टेक्नोलाजी, ईटानगर
	बिहार
8.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, पटना
9.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा, बिहार
	दिल्ली
10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
11.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धन संस्थान

1	2
12.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
13.	एपीजे शिक्षा संस्था, जयसिंह रोड
14.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान
15.	नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली
16.	"एमिटी", नई दिल्ली
17.	राय फाउण्डेशन, नई दिल्ली
18.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद्
19.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली
20.	अन्तर्राष्ट्रीय गांधीवाद अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
21.	भारतीय वित्त संस्थान, नई दिल्ली
22.	एन सी ई आर टी, नई दिल्ली
23.	जगन प्रबन्धन अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
24.	विपणन एवं प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली
25.	एन आई आई टी, नई दिल्ली
26.	दिल्ली फार्मेस्युटिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च, दिल्ली
27.	त्रिवेणी एजुकेशनल एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाईटी, नई दिल्ली
	गुजरात
28.	सुमनदीप मेडिकल यूनिवर्सिटी बाय के.एम. शाह चैरीटेबल ट्रस्ट, वडोदरा, गुजरात
29.	सेंटर फॉर एन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलाजी (सी.ई.पी.टी.), अहमदाबाद
	हरियाणा
30.	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद
31.	श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक संस्थान, अस्थल बोहर, रोहतक
32.	सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, गुडगांव
	जम्मू-कश्मीर
33.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह, लद्दाख
34.	मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, जम्मू
	झारखंड
35.	कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, झारखंड
36.	जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट (एक्स.एल.आर.आई.), जमशेदपुर
37.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टैक्नोलॉजी, रांची
	कर्नाटक
38.	के.एल.ई. अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, बेलगांव
39.	कर्नाटक चित्रकला परिषद, बंगलौर
40.	जे.एस.एस. महाविद्यापीठ, मैसूर
41.	जैन ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस, मैसूर
42.	नारायण हृदयालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, बंगलौर
43.	मुनियाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, मणिपाल
44.	बीजापुर लिबरल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल एसोसियेशन अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, बीजापुर
	केरल
45.	क्षेत्रीय कैन्सर, केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम

1	2
46.	केरल कलामंडलम, केरल
47.	मालाबार पुनर्वास एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन
48.	एस सी एम एस पबन्धन तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचिन
49.	पुष्पगिरि मेडिकल सोसाइटी, तिरूवल्ला, केरल
50.	मार बेसीलिअस एकेडमी ऑफ हायर एजेकेशन, केरल
	मध्य प्रदेश
51.	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर
52.	श्री वैष्णव एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्दौर
53.	कालेज ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेण्ट, जबलपुर
54.	माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर
55.	श्री गोविन्दराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर
56.	स्वामी विवेकानन्द आधुनिक एवं आध्यात्म विज्ञान विश्वविद्यालय, ग्वालियर
	महाराष्ट्र
57.	शिरडी साई सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अहमद नगर
58.	छत्रपति साहू केन्द्रीय व्यापार शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोल्हापुर
59.	कृष्णा चिकित्सा विज्ञान संस्थान
60.	अंजुमन-ए-इस्लाम, मुंबई
61.	श्री छत्रपति शिवाजी अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, पुणे
62.	राष्ट्रीय निर्माण प्रबन्धन एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
63.	नवगण शिक्षण संस्थान, राजुरी जिला-बीड़
64.	हैदराबाद(सिन्ध) नेशनल कालेज बोर्ड, मुंबई
65.	कैवल्यधाम एस एम वाई एस समिति, लोनावाला, पुणे
66.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई
67.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई
68.	महात्मा गांधी मिशन, औरंगाबाद
69.	डी वाई पाटिल एजुकेशन सोसाईटी, कोल्हापुर
70.	गोदावरी प्रतिष्ठान जलगांव
71.	अटल बिहारी विद्यापीठ, मुंबई
72.	दत्ता मेघे चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नागपुर
	उड़ीसा
73.	शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, भुवनेश्वर
	पांडिचेरी
74.	मानकुंला वित्यागार इंजीनियरी कालेज, मेडगाडायट, पांडिचेरी
	पंजाब
75.	एपीजे कालेज ऑफ फाईन आर्टस, जालंधर
76.	गुरुनानक देव इंजीनियरी कालेज, लुधियाना
77.	सेन्टर फॉर इलेक्ट्रोनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इण्डिया, मोहाली
78.	सन्त लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर
	राजस्थान
79.	श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला संस्कृत पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, श्री मवावीर जी
80.	एल एन एम सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर

1	2
81.	पैसिफिक डेन्टल कालेज एंड हॉस्पीटल, उदयपुर
82.	महाराणा भूपल विश्वविद्यालय, उदयपुर
	तमिलनाडु
83.	अय्या नादर जानकी अम्मल कालेज, शिवकाशी
84.	राजास इंजीनियरी, कालेज, वदनकंगुलम, तमिलनाडु
85.	श्री वेंकेटेश्वर कालेज ऑफ इंजीनियरी, श्री पेरम्बुदूर
86.	पेरियार मनीभाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
87.	आर.वी.एस. कालेज ऑफ इंजीनियरी एंड प्रौद्योगिकी, डिंडीगुल
88.	आर.एस.वी. एजुकेशनल ट्रस्ट, सुलुर, कोयम्बटूर
89.	पार्क कालेज ऑफ इंजीनिरयरिंग एंड टैक्नोलॉजी, कोयम्बटूर
90.	सन्तोष वर्ल्ड मेडिकल अकादमी, चेन्नई
91.	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई
92.	वित्तीय प्रबन्धन तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
93.	पुन्नैय्या रामाजयम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर
94.	पार्कस कालेज, तिरूपुर
95.	हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पदुर, चेन्नई
96.	नूरूल इस्लाम कालेज ऑफ इंजीनियरी, कुमरकोइल
97.	राजास डेन्टल कालेज वेदकंगुलम
98.	तमिलनाडु कालेज ऑफ इंजीनियरी, कुरूमथमपट्टी, कोयम्बटूर
99.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी संस्थान, गुइन्डी, चेन्नई
100.	श्री मूकम्बिका, पादनिलम, कन्याकुमारी

1	2
101.	अरुलमिगु कलसलिंगम इंजीनियरी कालेज, विरुद्धनगर जिला
102.	वेल टेक रंगराजन डॉ. शकुन्तला, चेन्नई
103.	वेल इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नेलॉजी, चेन्नई
104.	इन्दिरा गांधी शैक्षणिक अनुसंधान एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर
105.	करपगगम आर्टस एंड साइंस कालेज, कोयम्बटूर
106.	जयपियार इंजीनियरी कालेज, चेन्नई
	उत्तर प्रदेश
107.	शोभित इंजीनियरी संस्थान, मेरठ
108.	आई आई एल एम उच्च अध्ययन अकादमी, ग्रेटर नोएडा
109.	फुटवेयर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट सोसाईटी, नोएडा
110.	फतेह चंद सनातम धर्म पी.एस. सोसाईटी, मुजफ्फरनगर
	पश्चिम बंगाल
111.	सोसाईटी फॉर मेण्टल हेल्थ एंड केयर, बर्दवान
112.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, 24 परगना (नार्थ)
113.	आनन्द निकेतन विशेष शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कटवा, जिला बर्दवान
114.	भारतीय सामाजिक कल्याण एवं व्यापार प्रन्धन संस्थान, कोलकाता

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में वित्तपोषण में कमी

*278. **श्री रनेन बर्मन :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 12000 करोड़ रु. की धनराशि जुटाने में वित्तपोषण की भारी कमी से जूझ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्रीय करों पर लगाए गए 2% के शिक्षा उपकर से वित्तपोषण की कमी को दूर नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु वित्तपोषण की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना हेतु 2005-06 के लिए बजट प्रावधान (एकमुश्त प्रावधान में से पूर्वोत्तर के लिए आवंटनीय राशि सहित) 11145.26 करोड़ रु. है जो 2004-05 के बजट में किये गये प्रावधान से 6413.18 करोड़ या। 135.5% अधिक है। 2005-06 में इस काफी अधिक प्रावधान, जो शिक्षा उपकर लगाए जाने से संभव हुआ है, से दोनों योजनाओं की 2005-06 की आवश्यकताओं हेतु लगभग पूर्णरूपेण प्रावधान हो गया है।

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विदेशी सहायता

*279. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों के दौरान नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव और परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल परिषद्, पटना ने भी "समेकित विकास योजना" के अंतर्गत जे.बी.आई.सी., जापान द्वारा वित्तपोषित 1670 करोड़ रुपए की एक ऐसी परियोजना भेजी है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थिति क्या है क्योंकि यह नवंबर, 2002 से लंबित पड़ी है;

(ङ) उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) बिहार राज्य जल परिषद (बी आर जे पी) पटना ने पटना नगर के समेकित विकास हेतु बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए 1669.89 करोड़ रुपए की कुल लागत का एक परियोजना प्रस्ताव सितंबर, 2002 में भेजा था। इस स्कीम की जांच की गई थी तथा स्कीम को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार को जनवरी, 2003 में तकनीकी टिप्पणियां भेजी गई थी। संशोधित परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय में मार्च, 2003 में प्राप्त हुआ था तथा इसे जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल को-आपरेशन (जे बी आई सी) से सहायता प्राप्त करने हेतु अप्रैल, 2003 में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को भेजा गया था। संशोधित अनुमानित लागत 1492.10 करोड़ रुपए है।

उपर्युक्त प्रस्ताव में दो मोडयूल हैं अर्थात मोडयूल-I और मोडयूल -II। मोडयूल-I की अनुमानित लागत 874.2 करोड़ रुपए और मोडयूल-II की 617.9 करोड़ रुपए है। इस समय, मोडयूल-I के लिए ही बाह्य वित्तपोषण की मांग की जा रही है।

इस मंत्रालय ने वर्ष 2003 के साथ-साथ वर्ष 2004 में भी जे बी आई सी रोलिंग प्लान के अंतर्गत इस परियोजना को शामिल करने की सिफारिश की थी। तथापि, जे बी आई सी द्वारा वित्तपोषण हेतु इस परियोजना का चयन नहीं किया गया था। इस परियोजना को जे बी आई सी की रोलिंग प्लान के अंतर्गत विचार करने के लिए फरवरी, 2005 में दोबारा भेजा गया है। परियोजनाओं के चयन का विशेषाधिकार जे बी आई सी का है।

तथापि, बिहार सरकार ने उपरोक्त परियोजना को विश्व बैंक/ए डी बी के पास भी भेजने का दिसंबर, 2004 में भारत सरकार से अनुरोध किया था। तदनुसार इस मंत्रालय ने इस परियोजना को आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया है।

(ङ) और (च) इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में कोई विलंब नहीं हुआ है। तथापि, परियोजनाओं का चयन उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा भारत सरकार और वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा उन्हें दी गई पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों ((वर्ष 2001-02 से 2004-2005) के दौरान बाह्य सहायता के लिए विचार किए जाने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की सूची

क्र.स.	परियोजना का नाम (राज्यवार)	प्राप्ति का वर्ष	लागत (करोड़ रु. में.)
1	2	3	4
	कर्नाटक		
1.	बंगलौर शहर के लिए कावेरी जल आपूर्ति परियोजना चरण-II, फेज-II	2001	3672.10
2.	कर्नाटक में 10 नगरों के लिए जल आपूर्ति और भूमिगत जल निकास (यूजीडी) परियोजनाएं)	2002	1228.63
3.	प्रस्तावित कर्नाटक शहरी जलापूर्ति और सफाई सैक्टर सुधार परियोजना-कर्नाटक	2003	211.59
4.	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना (कर्नाटक)	2003	5600.00
	पांडिचेरी		
5.	पांडिचेरी नगर के लिए व्यापक जलापूर्ति स्कीम और भूमिगत जल निकास स्कीम	2003	163.00
	तमिलनाडु		
6.	डिंडीगुल नगर और अन्य लाभार्थियों के लिए जलापूर्ति सुधार स्कीम तमिलनाडु	2002	105.00
7.	III चेन्नई जलापूर्ति और सफाई परियोजना, चेन्नई	2003	750.00
8.	चेमबरमबक्कम, चेन्नई में 530 एमएलडी जल उपचार संयंत्र का निर्माण	2002	134.90
	आंध्र प्रदेश		
9.	हैदराबाद मेट्रोपोलिटन जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना, हैदराबाद	2004	2000.00
10.	हुसेन सागर झील का पुनरुद्धार और प्रबंध, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	2004	1.44 प्रति वर्ष
	उत्तर प्रदेश		
11.	उत्तर प्रदेश के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकास और एस डब्ल्यू एम परियोजना	2004	634.66

1	2	3	4
	पंजाब		
12.	पंजाब के 12 नगरों में जलापूर्ति, सीवरेज और सीवेज उपचार तथा एस डब्ल्यू एम सुविधाओं को बढ़ाना उनका विस्तार	2003	1348.00
13.	पंजाब के 22 नगरों में जलापूर्ति, सीवेज उपचार तथा एस डब्ल्यू एम को बढ़ाने और उनका विस्तार करने के लिए परियोजना विकास सुविधा ऋण	2004	64.00
	जम्मू-कश्मीर		
14.	ग्रेटर जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए सीवरेज और जल निकास स्कीम	2002	1470.00
15.	ग्रेटर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए सीवरेज और जल निकास स्कीम,	2002	1740.00
	बिहार		
16.	पटना शहर में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकास और एस डब्ल्यू एम को बढ़ाना/सुधार करना	2002	1492.20
	राजस्थान		
17.	जयपुर बिसालपुर जलापूर्ति स्कीम, जयपुर	2002	463.00
18.	अजमेर बिसालपुर शहरी जलापूर्ति स्कीम फेज-II के लिए परियोजना, राजस्थान	2005	834.36
19.	ग्रेटर गोवाहाटी जलापूर्ति स्कीम, गोवाहाटी	2003	399.40
	गोवा		
20.	गोवा में जलापूर्ति और सफाई सेवाओं को बढ़ाना	2003	681.00
	महाराष्ट्र		
21.	मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना (एमएसडीपी) चरण-II	2004	2376.00
22.	महाराष्ट्र शहरी जलापूर्ति और सफाई परियोजना के लिए परियोजना प्रस्ताव, महाराष्ट्र	2005	7000.00
23.	महाराष्ट्र में सांगली, मिराज और उपबाद नगर निगम के लिए सड़कों सहित अवस्थापना विकास कार्यक्रम	2005	463.71
24.	पुणे के पुर्नविकास के लिए समेकित परियोजना	2005	1000.00

1	2	3	4
	केरल		
25.	कोच्चि जलापूर्ति स्कीम बढ़ाने की परियोजना अवधारणा, कोच्चि	2004	520.00
26.	कोल्लम के लिए जलापूर्ति सुधार और सीवरेज	2004	743.98
	उड़ीसा		
27.	उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर और बरहामपुर में सीवरेज अवस्थापना सेवाओं के कार्याम्वयन के लिए प्रस्ताव	2004	1213.70
	मध्य प्रदेश		
28.	मध्य प्रदेश में शहरी जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सुधार	2003	$ 303.50 मिलियन
	हिमाचल प्रदेश		
29.	हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्रों का सतत विकास और क्षमता निर्माण के लिए स्थानिक आयोजना हेतु तकनीकी सहयोग कार्यक्रम	2004	
	पश्चिम बंगाल		
30.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में ऐलीवेटेड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (ईएमआरटीएस)	2005	2385.20

नगरों और शहरों का विकास

***280. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या शहरी विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने देश में बड़े और छोटे नगरों तथा शहरों के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि पर्याप्त थी;

(घ) यदि नहीं, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े और छोटे नगरों तथा शहरों के विकास पर पर्याप्त धनराशि खर्च करने के लिए किये गये प्रावधानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना अवधि के दौरान राज्यवार कितने नगरों और शहरों का विकास किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) देश में बड़े तथा छोटे शहरों और कस्बों के विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित स्कीमें संचालित की जा रही हैं:—

i. मेगा शहरों में अवस्थापना विकास, जो मुंबई (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), बंगलौर (कर्नाटक), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तथा चैन्नई (तमिलनाडु) में कार्यान्वित की जा रही है।

ii. छोटे एवं मझौले कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.)- यह स्कीम सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

iii. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान।

iv. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.)- यह कार्यक्रम सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

दस चुनिंदा वायु सेना हवाई क्षेत्र वाले कस्बों में पक्षियों के टकराने से होने वाले संकट को रोकने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन और जल-मल निकास के लिए एक नई केन्द्रीय सेक्टर स्कीम भी अक्टूबर, 2003 (दसवीं योजना के दौरान) में शुरू की गई है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के तहत इस मंत्रालय द्वारा जारी राशि निम्नलिखित है :-

(करोड़ रु. में)

मेगा सिटी स्कीम	424.50
आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम	236.40
ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.	291.95
पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	84.29
वायु सेना हवाई क्षेत्र वाले कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन एवं जल-मल निकास	शून्य (स्कीम दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई)

उपर्युक्त स्कीमों के तहत जारी धनराशि के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II, III तथा IV, में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारत में शहरी विकास के लिए काफी धन की आवश्यकता है और ऐसी आवश्यकता को केवल बजटीय स्रोतों से पूरा करना संभव नहीं होगा। तथापि, देश में नगरों तथा कस्बों के नियोजित एवं समन्वित विकास के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना में बड़े तथा छोटे शहरों में कस्बों के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत अपेक्षाकृत अधिक नियतन किए गए हैं। नौवीं तथा दसवीं योजनाओं के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत धनराशि के नियतन का तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न स्कीमों के तहत प्रत्येक राज्य के लिए धन की उपलब्धता के भीतर ही शहरों को विकास के लिए शामिल किया जाता है और परियोजनाओं को शुरू किया जाता है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेगा सिटी स्कीम के तहत व्यय की गई राशि का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मेगा सिटी	जारी केन्द्रीय अंश
1.	बंगलौर (कर्नाटक)	74.29
2.	चैन्नई (तमिलनाडु)	78.42
3.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	81.79
4.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	92.69
5.	मुम्बई (महाराष्ट्र)	97.76
	कुल	424.95

विवरण-II

नौवीं योजना अवधि (1997-98 से 2001-02) के दौरान आईडीएसएमटी स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2521.82

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	61.00
3.	असम	436.27
4.	बिहार	250.49
5.	छत्तीसगढ़	468.10
6.	गोवा	37.50
7.	गुजरात	2035.43
8.	हरियाणा	620.00
9.	हिमाचल प्रदेश	394.94
10.	जम्मू-कश्मीर	347.24
11.	झारखण्ड	0.00
12.	कर्नाटक	2312.76
13.	केरल	962.08
14.	मध्य प्रदेश	1456.01
15.	महाराष्ट्र	3195.31
16.	मणिपुर	110.50
17.	मेघालय	81.40
18.	मिजोरम	280.40
19.	नागालैंड	121.00
20.	उड़ीसा	870.34
21.	पंजाब	558.99
22.	राजस्थान	1021.31
23.	सिक्किम	134.00
24.	तमिलनाडु	1349.03
25.	त्रिपुरा	274.06
26.	उत्तरांचल	240.00
27.	उत्तर प्रदेश	1855.11
28.	प. बंगाल	1585.31
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00
30.	दादर और नगर हवेली	12.00
31.	दमन और दीव	18.00
32.	लक्षद्वीप	0.00
33.	पांडीचेरी	30.00
	कुल	23640.40

विवरण-III

केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

क्र. सं.	राज्य	नौवीं योजना के दौरान जारी अंश केन्द्रीय (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.20
3.	असम	6.63
4.	बिहार	5.12
5.	छत्तीसगढ़	3.11
6.	गोवा	0.75

1	2	3
7.	गुजरात	11.98
8.	हरियाणा	15.63
9.	हिमाचल प्रदेश	7.06
10.	जम्मू-कश्मीर	2.46
11.	झारखण्ड	0.00
12.	कर्नाटक	22.08
13.	केरल	4.73
14.	मध्य प्रदेश	31.31
15.	महाराष्ट्र	20.66
16.	मणिपुर	7.62
17.	मेघालय	2.32
18.	मिजोरम	4.51
19.	नागालैंड	3.14
20.	उड़ीसा	11.65
21.	पंजाब	1.05
22.	राजस्थान	13.43
23.	सिक्किम	0.58
24.	तमिलनाडु	23.53
25.	त्रिपुरा	6.53
26.	उत्तर प्रदेश	71.24
27.	उत्तरांचल	3.27
28.	प. बंगाल	5.73
	कुल	291.95

विवरण-IV

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान के तहत व्यय की गई राशि का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	जारी धनराशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	18.15
2.	असम	छपस
3.	मणिपुर	2.74
4.	मेघालय	13.46
5.	मिजोरम	16.27
6.	नागालैंड	शून्य
7.	त्रिपुरा	16.89
8.	सिक्किम	14.96
	कुल	82.49

विवरण-V

नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए किए गए नियतनों का तुलनात्मक ब्यौरा

(करोड़ रु.)

स्कीम का नाम	नौवीं योजना नियतन	दसवीं योजना नियतन
1	2	3
मेगा सिटी स्कीम	500.00	1050.00
आईडीएसएमटी	275.00	1304.65

1	2	3
एयूडब्ल्यूएसपी	370.00	900.00
वायु सेना हवाई क्षेत्र वाले कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन एवं जल मल निकास	—	99.34

कृपया ध्यान दें: पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान की स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में शहरी अवस्थापना में विकास के लिए प्रति वर्ष मंत्रालय के सकल बजटीय प्रावधान का 10% निर्धारित होता है। अभी तक मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को सम्पूर्ण राशि का नियतन किया है।

[हिन्दी]

शहर में रहने वाले गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरों का विकास

2821. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री बीर सिंह महतो :
श्री सुनिल कुमार महतो :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री इलियास आजमी :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान शहर में रहने वाले गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए गए विभिन्न शहरों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ङ) स्लम विकास एक राज्य विषय होने की वजह से राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधीन है तथा वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न नगरों/शहरों में स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं आदि का प्रावधान करने हेतु विशिष्ट योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें तैयार करते हैं तथा उसके बाद राज्य वार्षिक योजना में आवश्यक प्रावधान करते हैं। चूंकि शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्य स्तर पर ही कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, इसलिए शहर-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। एनएसडीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एनएसडीपी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए लक्ष्य नियत नहीं किए जाते हैं।

विवरण

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3389.00	3389.00	6581.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.00	104.00	68.79
3.	असम	0.00	219.61	563.41
4.	बिहार	1683.00	1683.00	3563.00
5.	छत्तीसगढ़	411.00	411.01	883.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1908.00	1860.89	2253.91
8.	हरियाणा	536.00	536.00	1047.00

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	76.53	0.00	144.00
10.	जम्मू-कश्मीर	687.00	687.00	934.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	2061.50	2061.00	3622.00
13.	केरल	972.00	972.00	2083.00
14.	मध्य प्रदेश	1568.00	1568.00	3359.00
15.	महाराष्ट्र	5500.00	5500.00	10219.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	124.28
17.	मेघालय	15.43	104.00	99.57
18.	मिजोरम	104.00	104.00	100.00
19.	नागालैंड	104.00	104.00	100.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	921.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	1402.00	1402.00	3005.00
23.	सिक्किम	0.00	104.00	100.00
24.	तमिलनाडु	2570.00	2545.40	5457.00
25.	त्रिपुरा	104.00	104.00	112.00
26.	उत्तर प्रदेश	4010.00	4010.00	8594.00
27.	उत्तरांचल	173.00	173.00	369.00
28.	पश्चिम बंगाल	3572.00	3572.00	7075.00

शिक्षा संस्थानों में डी आर एस कनेक्शन

2822. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के दमन जिले के शिक्षा संस्थानों में डी आर एस कनेक्शन लगाने की योजना मंत्रालय में अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आवश्यक अनुमोदन देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नही उठते।

[अनुवाद]

एन.आई.ई.पी.ए.

2823. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के 13 शिक्षा संस्थान विदेशों से संबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में विदेशी शिक्षा संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा किया गया तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अध्ययन ऐसे समय में किया गया है जब देश में सेवाओं में व्यापार पर समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या बंगलौर सहयोग वाले शिक्षा संस्थान प्रदान करने वाला दूसरा शहर बन गया है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान में देश में ऐसे संस्थानों की कुल संख्या कितनी है जो छात्रों को विदेशी संस्थानों से डिग्री दे रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा 13 राज्यों में किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, कर्नाटक राज्य में 13 शैक्षिक संस्थाएं विदेशों से संबंधित थीं। इस सर्वेक्षण के अनुसार, यू.के. की 59, संयुक्त राज्य अमरीका

की 66, कनाडा की 2 शैक्षिक संस्थाएं तथा आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड, फ्रांस तथा यूरोप से एक-एक शैक्षिक संस्था भारत में सहयोग कर रही है।

(घ) और (ङ) केंद्र सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

एन एस एस के अंतर्गत जलपान के लिए धनराशि

2824. श्री सुरेश चन्देल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा चलाई जा रही एन एस एस योजना के अंतर्गत जलपान हेतु प्रति विद्यार्थी कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) सरकार द्वारा यह कि प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि जलपान के लिए निर्धारित धनराशि विद्यार्थियों में वितरित हो;

(ग) क्या सरकार को शिकायतें मिली है कि कई विद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने जलपान के लिए राशि लेकर विद्यार्थियों में वितरित नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के अन्तर्गत, अब तक जलपान के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, नियमित क्रियाकलापों और विशेष अभियान कार्यक्रमों के लिए व्यय का मौजूदा ढांचा (प्रति स्वयंसेवक प्रति वर्ष) निम्नप्रकार से है:—

	नियमित	विशेष अभियान कार्यक्रम
साधारण राज्यों के लिए	160/- रुपए	300/- रुपए
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए	200/- रुपए	400/- रुपए

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी कार्यक्रमों की निगरानी नई दिल्ली स्थित कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ और देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना के 15 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

(ग) इस संबंध में मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन

2825. श्री सुबोध मोहिते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों की नगरपालिकाओं तथा एन ए सी का विस्तार

2826. श्री गिरिधर गमांग : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों की नगरपालिका तथा एन ए सी के प्रावधानों का संविधान के अनुच्छेद 243 में दिए अनुसार विस्तार करने में विलम्ब के क्या कारण है;

(ख) सरकार तथा पांचवी अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों से संबंधित राज्यों द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या अनुसूची क्षेत्रों की नगरपालिका के विस्तार के मॉडल विधेयक को समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विधेयक के कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) अनुसूचित क्षेत्रों की नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग-IX के के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा ''नगर पालिका (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) विधेयक, 2001 के प्रावधान'' नामक एक विधेयक 30-7-2001 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थाई समिति को भेजा गया था। समिति ने उपर्युक्त विधेयक के विभिन्न प्रावधानों की जांच की तथा जांच और इस मंत्रालय तथा अन्य स्टाक होल्डरों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया तथा इसें दिसम्बर 2003 में राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया था। चूंकि समिति की सिफारिशों में अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ आगे परामर्श करना शामिल है, इसलिए इस मामले को इस मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से उन्हें भेजा गया था।

(ग) समिति की सिफारिशों के आधार पर किसी मॉडल विधेयक को तैयार किया जाना आवश्यक नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन

2827. श्री जुएल ओराम :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रस्तावों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं

2828. श्री इलियास आजमी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार, योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इन योजनाओं की शुरूआत निर्धारित करने के लिए कतिपय मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए क्रियान्वित योजना की प्रगति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए चलायी गयी स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु मापदण्ड अलग-अलग स्कीमों में दिए गए हैं। इन्हें विभाग की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर देखा जा सकता है।

(घ) चूंकि ये स्कीमें संतोषजनक तरीके से कार्यान्वित की जा रही हैं, इसलिए इन्हें जारी रखा गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु स्कीमों का ब्यौरा

I. **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना** - इस स्कीम के अंतर्गत, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके स्व-रोजगार पर समुचित बल दिया जाता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, ब्लॉक स्तर पर गठित दलों में से 50% केवल महिलाओं के दल होने चाहिएं। इसके अलावा, सहायता-प्राप्त कुल स्व-रोजगारियों में से 40% महिलाएं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत प्रारम्भ से लेकर जनवरी, 2005 तक उत्तर प्रदेश में इसकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति अनुबंध में दी गयी है। वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा चालू वर्ष (जनवरी तक) के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 30.94, 31.93 तथा 29.33 रहा है।

II. **महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप):** इस स्कीम का उद्देश्य, महिलाओं को व्यावहारिक दलों में संगठित करके तथा उनके लिए विपणन सम्पर्कों, समर्थन सेवाओं और ऋण की सुविधा की व्यवस्था करके उनके कौशलों में सुधार तथा उन्हें परियोजना आधार पर रोजगार के माध्यम से पारम्परिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के जीवन को सुधारना है। इस स्कीम के लक्ष्य वर्ग में उपेक्षित, परिसम्पत्तिविहीन ग्रामीण महिलाएं तथा शहरी निर्धन महिलाएं शामिल हैं। वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक आबंटित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	2000-01	452.8 लाख रुपये
2.	2001-02	373.17 लाख रुपये
3.	2002-03	390.87 लाख रुपये
4.	2003-04	208.691 लाख रुपये
5.	2004-05	254.667 लाख रुपये

III. **स्वावलम्बन (नोराड) :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सतत् आधार पर रोजगार अथवा स्व-रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना और उनके कौशल का विकास करना है। इस स्कीम के लक्ष्य वर्गों में निर्धन और जरूरतमंद महिलाएं तथा समाज के कमजोर वर्गों; जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, की महिलाएं शामिल हैं। वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक इस स्कीम के अंतर्गत आबंटित वर्ष-वार राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	1999-2000	143.85 लाख रुपये
2.	2000-2001	205.80 लाख रुपये
3.	2001-2002	235.03 लाख रुपये
4.	2002-2003	335.28 लाख रुपये
5.	2003-2004	167.38 लाख रुपये

IV. **स्व-शक्ति परियोजना :** यह परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लाभार्थ शुरू की गयी है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता प्राप्त यह परियोजना उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों में चलायी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस परियोजना को उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक इस स्कीम के अंतर्गत आबंटित वर्ष-वार राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	1999-2000	198.24 लाख रुपये
2.	2000-2001	270.00 लाख रुपये
3.	2001-2002	225.00 लाख रुपये
4.	2002-2003	392.83 लाख रुपये
5.	2003-2004	050.00 लाख रुपये

अनुबंध

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के प्रारम्भ, अर्थात् 1.4.1999 से 2004-05 (जनवरी, 2005 तक) इसके अंतर्गत प्राप्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(रुपये लाखों)

क्र. सं.	मदें	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004- (जनवरी, 05 तक)	कुल/ औसत	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश									
(क) वित्तीय प्रगति									
1.	कुल आबंटन	29896.51	24218.13	14012.49	14012.49	19358.31	24231.61	125729.54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	केन्द्रीय आबंटन	22422.38	18163.60	10509.37	10509.37	14518.73	18173.71	94297.16	
3.	राज्य आबंटन	7474.13	6054.53	3503.12	3503.12	4839.58	6057.90	31432.38	
4.	केन्द्रीय निर्मुक्तियां	13337.96	7737.07	6316.37	7126.87	11756.85	16725.05	63000.17	
	केन्द्रीय आबंटन की तुलना में केन्द्रीय नियुक्ति की प्रतिशत	59.49	42.60	60.10	67.81	80.98	92.03	66.81	
5.	राज्य निर्मुक्तियां	4197.12	2732.87	2036.28	2404.06	4030.53	4472.13	19872.99	
	राज्य आबंटन की तुलना में राज्य निर्मुक्ति की प्रतिशत	56.16	45.14	58.13	68.63	83.28	73.82	63.22	
6.	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अधिशेष	16001.62	24269.43	17376.47	12290.91	8565.72	7083.78	14264.66	*
7.	विविध प्राप्तियां	0.00	1324.37	624.30	728.46	844.74	515.63	672.92	*
8.	उपलब्ध कुल राशि	33536.70	36063.74	26353.42	22550.30	25197.84	28796.59	172498.59	
9.	प्रयुक्त कुल राशि	6628.31	19968.23	15536.66	14721.83	19564.60	20647.02	97066.65	
	उपलब्ध राशि की तुलना में उपयोगिता का प्रतिशत	19.76	55.37	58.96	65.28	77.64	71.70	58.12	*
	आबंटन की तुलना में उपयोगिता का प्रतिशत	22.17	82.45	110.88	105.06	101.07	85.21	84.47	*
	आर्थिक सहायता की उपयोगिता का प्रतिशत	15.59	42.36	69.45	59.54	13.05	65.41	44.23	*
	अवसंरचनात्मक विकास की उपयोगिता का प्रतिशत	6.18	29.23	15.27	22.46	8.48	6.53	14.69	*
	प्रशिक्षण कौशल विकास की उपयोगिता का प्रतिशत	0.16	3.68	8.78	5.86	3.18	4.10	4.29	*
10.	कुल ऋण लक्ष्य	65000.00	61755.00	61755.00	56500.15	37055.07	43592.66	325657.88	
11.	एकीकृत कुल ऋण	10207.32	21286.78	20354.91	15475.99	20396.07	27298.68	115019.75	
	एकीकृत ऋण का प्रतिशत	15.70	34.47	32.96	27.39	55.04	62.62	38.03	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	स्व-सहायता दलों को संवितरित ऋण	166.25	387.04	3987.90	9998.63	17316.35	20388.98	52245.15	
13.	स्व-रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को संवितरित ऋण	10041.07	20899.74	16367.01	5477.36	3079.72	6909.70	62774.60	
14.	कुल संवितरित आर्थिक सहायता	4659.86	10259.41	9731.47	8343.34	12045.74	15850.11	60889.93	
15.	स्व-सहायता दलों को संवितरित आर्थिक सहायता	75.68	246.48	2635.79	5778.49	10760.71	12680.18	32177.33	
16.	स्व-रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को संवितरित आर्थिक सहायता	4584.18	10012.93	7095.68	2564.85	1285.03	3169.93	28712.60	
17.	कुल निवेश	14867.18	31546.19	30086.38	23819.33	32441.81	43148.79	175909.68	
18.	प्रति व्यक्ति निवेश (रुपये में)	24514	25427	24783	24190	23070	22223	24035	
19.	ऋण आर्थिक सहायता अनुपात	2.19	2.07	2.09	1.85	1.69	1.72	1.94	
20.	स्व-सहायता दलों एवं व्यक्तियों पर निवेश का अनुपात	0.02	0.02	0.28	1.96	6.43	3.28	0.92	
ख.	**वास्तविक प्रगति**								
1.	1.4.1999 से गठित स्व-सहायता दल	17389	37466	118457	206006	291288	310644	310644	
2.	ग्रेड-I सफलता प्राप्त करने वाले स्व-सहायता दलों की संख्या	845	14114	32960	31068	28182	26261	133430	
3.	ग्रेड-II सफलता प्राप्त करने वाले स्व-सहायता दलों की संख्या	110	1407	5744	7965	12245	12899	40370	
4.	आर्थिक गतिविधियों में लगे स्व-सहायता दल	173	227	2860	5908	10549	13224	32941	
	आर्थिक गतिविधियों को ग्रेड-II तक ले जाने वाले स्व-सहायता दलों का प्रतिशत	157.27	16.13	49.79	74.17	86.15	102.52	81.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	स्व-रोजगार हासिल करने वाले सहायता प्राप्त स्व-सहायता दल	1213	2649	31175	65342	121882	151381	373642	
6.	स्व-रोजगार हासिल करने वाले सहायता-प्राप्त व्यक्ति	59434	121415	90225	33127	18740	42783	365724	
7.	सहायता-प्राप्त स्व-रोजगारों की कुल संख्या	60647	124064	121400	98469	140622	194164	739366	
	स्व-रोजगार हासिल करने वाले सहायता-प्राप्त स्व-सहायता दल का प्रतिशत	2.00	2.14	25.68	66.36	86.67	77.98	50.54	
8.	सहायता-प्राप्त अनुसूचित जाति के स्व-रोजगारी	26130	58390	55402	50842	66134	87297	344195	
9.	सहायता-प्राप्त अनुसूचित जन-जाति के स्व-रोजगारी	782	477	225	196	239	816	2735	
10.	सहायता-प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कुल स्व-रोजगारी	26912	58867	55627	51038	66373	88113	346930	
11.	सहायता-प्राप्त महिला स्व-रोजगारी	15642	28865	70	30470	44899	56943	176889	
12.	सहायता-प्राप्त विकलांग स्व-रोजगारी	227	574	554	470	628	1476	3929	
13.	सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत	44.37	47.45	45.82	51.83	47.20	45.38	47.01	*
14.	सहायता प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत	25.79	23.27	0.06	30.94	31.93	29.33	23.55	*
15.	सहायता प्राप्त विकलांगों का प्रतिशत	0.37	0.46	0.46	0.48	0.45	0.76	0.50	*

प्रति व्यक्ति निवेश तथा ऋण सहायता अनुपात हेतु अखिल भारतीय लक्ष्य क्रमशः 250000 रुपये तथा 3 : 1 हैं।

* औसत प्रति वर्ष।

[अनुवाद]

अंतर-राज्य अपराध

2829. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर-राज्य अपराधों को रोकने में भौगोलिक सीमाओं के कारण आई कठिनाइयों से बचने के लिए एक कार्यात्मक तंत्र विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर-राज्य अपराधों को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं तथा इसलिए अन्तर-राज्यीय अपराधों सहित अपराधों का पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पड़ताल करने और रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों को दण्ड न्याय प्रणाली के प्रशासन को सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करने तथा अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कारगर उपाय करने की सलाह देती रही है। राज्य पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों, अधुनातन संचार प्रणालियों, वाहनों, आसूचना संग्रहण उपकरणों, सुरक्षात्मक साज-सामान आदि से सुसज्जित करने की दृष्टि से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत संघ सरकार, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती रही है जिससे कि राज्य पुलिस को वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाया जा सके।

अपराध और अपराधियों संबंधी सूचना के आन-लाइन आदान-प्रदान के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों की दिल्ली के साथ कंप्यूटर-आधारित लिंकेज युक्त एक क्षेत्रीय एकीकृत पुलिस नेटवर्क (जिपनेट) प्रणाली प्रचालन में है।

भारत-चेक व्यापार

2830. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या का विचार चेक गणराज्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार में तेजी लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) चेक गणराज्य सहित यूरोप के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना सरकार का सतत प्रयास रहता है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - व्यापारी और अधिकारी स्तर पर प्रतिनिधिमंडलों को भेजना - बुलाना, व्यापारी स्तर पर सीधे संपर्कों को प्रोत्साहित करना, व्यापार संवर्धन कार्यकलापों में भाग लेना इत्यादि। भारत - चेक संयुक्त समिति की बैठक का छठा सत्र नई दिल्ली में 16-17 दिसम्बर, 2004 को आयोजित किया गया था जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी आधार पर व्यापार को आगे और बढ़ाने और उसका विविधीकरण करने पर सहमति हुई थी।

महिला स्व-सहायता समूह

2831. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों की राज्य-वार विशेष रूप से गुजरात में संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन समूहों की राज्य-वार उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक योजना-वार तथा राज्य-वार कितनी महिलाओं को लाभ मिला?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वयंसिद्धा तथा स्व-शक्ति नामक महिलाओं के स्व सहायता दलों के गठन पर आधारित महिला सशक्तिकरण की दो स्कीमों के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता दलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शायी गयी है।

(ख) इन राज्य-वार दलों की प्रमुख उपलब्धियां दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न-II में दिया गया है।

(ग) अब तक इन स्कीमों से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की स्कीम-वार तथा राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शायी गयी है।

विवरण-I

क्र. स.	राज्य/संघ क्षेत्र	गठित स्व-सहायता दलों की संख्या			महिला लाभार्थियों की संख्या		
		स्वयंसिद्धा	स्व-शक्ति	कुल	स्वयंसिद्धा	स्व-शक्ति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3867		3867	65379		65739
2.	अरुणाचल प्रदेश	263		263	4471		4471
3.	असम	2400		2400	40800		40800
4.	बिहार	2552	441	2993	43384	5121	48505
5.	छत्तीसगढ़	1708	560	2268	29036	8099	37135
6.	गुजरात	2978	2706	5684	50626	44848	95474
7.	हरियाणा	1300	1550	2850	22100	22009	44109
8.	हिमाचल प्रदेश	800		800	13600		13600
9.	जम्मू-कश्मीर	1250		1250	21250		21250
10.	झारखण्ड	2418	1678	4096	41106	22242	63348
11.	कर्नाटक	2992	2149	5141	50864	38522	89386
12.	केरल	2468		2468	41956		41956
13.	मध्य प्रदेश	3667	2462	6129	62339		62339
14.	महाराष्ट्र	3573		3573	60741		60741
15.	मणिपुर	300		300	5100		5100
16.	मेघालय	427		427	7259		7259
17.	मिजोरम	301		301	5117		5117
18.	नागालैण्ड	600		600	10200		10200
19.	उड़ीसा	3600		3600	61200		61200

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	पंजाब	1632		1632	27744		27744
21.	राजस्थान	2935		2935	49895		49895
22.	सिक्किम	555		555	9435		9435
23.	तमिलनाडु	5426		5426	92242		92242
24.	त्रिपुरा	250		250	4250		4250
25.	उत्तर प्रदेश	8343	5530	13873	141831	63907	205738
26.	उत्तरांचल	1050	571	1621	17850	7689	25539
27.	पश्चिम बंगाल	4903		4903	83351		83351
28.	अण्डमान व निकोबार	143		143	2431		2431
29.	चण्डीगढ़	102		102	1734		1734
30.	दादर व नगर हवेली	90		90	1530		1530
31.	दिल्ली	159		159	2703		2703
32.	लक्षद्वीप	226		226	3842		3842
33.	पाण्डिचेरी	300		300	5100		5100
	कुल	63578	17647	81225	1080826	212437	1080826

टिप्पणी : स्व-शक्ति स्कीम केवल बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल नामक 9 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-II

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्व-सहायता दलों द्वारा की गई बचत की राशि		स्व-सहायता दलों द्वारा एक-दूसरे को प्रदत्त ऋण की राशि		बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि	
		स्वयंसिद्धा	स्व-शक्ति	स्वयंसिद्धा	स्व-शक्ति	स्वयंसिद्धा	स्व-शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	342.59		16.91		76.07	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.55		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
3.	असम	34.71		11.8		3.6	
4.	बिहार	88.48	42.02	उपलब्ध नहीं	41.25	22.8	50.97
5.	छत्तीसगढ़	91.49	31.89	65.9	42.95	44.43	18.53
6.	गुजरात	97	287.67	14.82	333.44	10.85	86.75
7.	हरियाणा	94.85	217.04	54.4	209.96	4.33	441.89
8.	हिमाचल प्रदेश	65.17		70.71		18.6	
9.	जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं		0.01		उपलब्ध नहीं	
10.	झारखण्ड	87.03	110.34	33.22	227.66	18.37	131.18
11.	कर्नाटक	443.5	611.49	511.94	1943.58	279.53	551.02
12.	केरल	197.76		166.21		17.65	
13.	मध्य प्रदेश	148.89	194.84	64	305.16	255.02	185.15
14.	महाराष्ट्र	13.33		13.85		44.43	
15.	मणिपुर	12.63		11.71		0.1	
16.	मेघालय	11.4		23.6		41.8	
17.	मिजोरम	12.89		उपलब्ध नहीं		1	
18.	नागालैण्ड	46.01		14.27		0.4	
19.	उड़ीसा	58.46		16.86		138.99	
20.	पंजाब	22.75		18.63		उपलब्ध नहीं	
21.	राजस्थान	21.42		70.7		134.17	
22.	सिक्किम	21.94		10.05		1.64	
23.	तमिलनाडु	436.15		474		451.8	
24.	त्रिपुरा	9.35		2.44		उपलब्ध नहीं	

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	उत्तर प्रदेश	55.22	756.54	0.26	2527.47	3.45	1414.11
26.	उत्तरांचल	33.74	44.04	10.92	61.88	1.4	31.5
27.	पश्चिम बंगाल	150.04		51.76		56.9	
28.	अण्डमान व निकोबार	4.12		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
29.	चण्डीगढ़	0.98		1		1.28	
30.	दादर व नगर हवेली	5		2.5		उपलब्ध नहीं	
31.	दिल्ली	1.1		0.19		0	
32.	लक्षद्वीप	5.28		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
33.	पाण्डिचेरी	95.3		34.47		129.25	

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

2832. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई आई यू एस) के अंतर्गत क्लस्टर के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) व्यक्तिगत क्लस्टर के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक क्लस्टर पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अन्तर्गत इस विभाग ने अब तक 212.49 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। अब तक स्वीकृत किये अलग-अलग समूहों (क्लस्टर्स) को आबंटित की गई निधियां तथा वितरित की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	समूह का नाम	राज्य	परियोजना लागत	केन्द्रीय अनुदान	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	टेक्सटाइल क्लस्टर	तिरूपुर, तमिलनाडु	14350.00	5000.00	2500.00
2.	केमिकल क्लस्टर	वापी, गुजरात	5431.00	4049.00	1250.00

1	2	3	4	5	6
3.	कयर क्लस्टर	अलाप्पुजा, केरल	5680.00	4260.00	1420.00
4.	मेटलर्जीकल क्लस्टर	जाजपुर, उड़ीसा	6250.00	4700.00	1566.00
5.	आटो एंसिलरी क्लस्टर	चैन्नई, तमिलनाडु	4720.00	3500.00	1170.00
6.	केमिकल क्लस्टर	अंकलेश्वर, गुजरात	15283.00	5000.00	1670.00
7.	आटो कंपोनेन्टस क्लस्टर	पुणे, महाराष्ट्र	5999.00	4499.00	1500.00
8.	सीरियल्स, पल्सेज तथा स्टेपल्स क्लस्टर	मदुराई, तमिलनाडु	3996.00	2997.00	1000.00
9.	टेक्सटाइल्स क्लस्टर	लुधियाना, पंजाब	1719.00	1269.00	421.00
10.	मार्बल क्लस्टर	किशनगढ़, राजस्थान	3680.00	2760.00	920.00
11.	आटो क्लस्टर	पीतमपुरा, एम.पी.	7329.00	4994.00	1665.00
12.	फाउण्ड्री क्लस्टर	बेलगांव, कर्नाटक	2478.00	1854.00	619.00
13.	मशीन टूल क्लस्टर	बेंगलौर, कर्नाटक	13555.00	4912.00	1637.00
14.	जेम एंड ज्वेलरी क्लस्टर	सूरत, गुजरात	8580.00	5000.00	1670.00
15.	आटो क्लस्टर	विजयवाड़ा आन्ध्र प्रदेश	3108.00	2350.00	780.00
16.	टेक्सटाइल क्लस्टर	पानीपत, हरियाणा	5453.00	4090.00	1363.00
17.	फार्मा क्लस्टर	हैदराबाद	6616.80	–	–

[हिन्दी]

मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए भूमि

2833. श्री बालेश्वर यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने मेट्रो के विस्तार हेतु अप्पु घर तथा प्रगति मैदान के प्रशासनों द्वारा भूमि उपलब्ध न करने के लिए सरकार से शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों में चिकित्सा सुविधाएं

2834. श्री चेंगरा सुरेन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवादेय विद्यालयों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए कोई डाक्टर अथवा नर्स नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्यार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक नवोदय विद्यालय में एक नियमित स्टाफ नर्स का पद संस्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विद्यालय स्थानीय डाक्टर को अंशकालिक आधार पर नियुक्त करता है जो समय-समय पर छात्रों की जांच तथा इलाज के लिए विद्यालय का दौरा करते हैं। बीमार छात्रों की उचित देखभाल के लिए प्रत्येक विद्यालय में मेडिकल जांच कक्ष की सुविधा उपलब्ध है। यदि आवश्यक हो तो छात्रों को समीप के अस्पताल में ले जाया जाता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति की सूची में जातियों को शामिल किया जाना

2835. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से हल्बा, माना तथा गोवरी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) हलबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अभिसूचित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य की अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सूची में क्रम संख्या 19 पर सूचीबद्ध है। माना और गोवरी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

जनरल पूल से आबंटित क्वार्टरों को अपने कब्जे में रखे रखना

2836. श्री कैलाश मेघवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय ने भारतीय विमान-पत्तन प्राधिकरण, प्रसार भारती और एम.टी.एन.एल. आदि जैसे कुछ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों/स्वशासी निकायों को लोन/क्वार्टर अदला-बदली के आधार पर जनलर पूल से आबंटत क्वार्टरों को अपने कब्जे में रखने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार संपदा निदेशालय ने सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को ऐसे कितने क्वार्टर आवंटित किए हुए हैं;

(ग) क्या संपदा निदेशालय का विचार उन अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्हें गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का दर्जा दिया गया है, के कर्मचारियों को भी ये सुविधाएं देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों को आबंटित विभिन्न श्रेणियों के 242 क्वार्टरों को कब्जे में बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

(ग) से (ङ) आवास की कमी को देखते हुए अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस प्रकार की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह भी निर्णय लिया गया है कि विभिन्न संगठनों को दिए गए इस प्रकार के आवास, उनके कर्मचारियों के सेवानिवृत, स्थानांतरण आदि के कारण खाली होने पर वापस लेने का निर्णय लिया गया है ताकि सामान्य पूल में आवास स्टाक में वृद्धि की जा सके और विशेष-रूप से निचले किस्मों के आवास के संबंध में प्रतीक्षा सूची को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास योजना

2837. श्री एम. अंजन कुमार यादव : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान और उसके पश्चात् आज की तिथि तक समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितना धन आबंटित और जारी किया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत की गई खरीद में बड़े पैमाने पर दुर्विनियोजन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सच्चाई का पता लगाने हेतु किसी जांच के आदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 2004-05 (17.3.2005 तक) में समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत खरीद में निधियों के दुर्विनियोजन का कोई मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2004-2005 के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों की राज्य-वार स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.सी.डी.एस. (सामान्य) तथा उदिशा के अंतर्गत निर्मुक्त निधि 2004-05 (17.3.2005 तक)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7277.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	1316.36
3.	असम	8534.70
4.	बिहार	11511.47
5.	गोवा	294.52
6.	गुजरात	9905.58
7.	हरियाणा	4425.10
8.	हिमाचल प्रदेश	2657.26
9.	जम्मू-कश्मीर	3457.78
10.	कर्नाटक	10654.35
11.	केरल	8373.16
12.	मध्य प्रदेश	12573.86
13.	महाराष्ट्र	14424.21
14.	मणिपुर	1246.90
15.	मेघालय	963.31
16.	मिजोरम	644.18
17.	नागालैण्ड	1164.75
18.	उड़ीसा	10666.93
19.	पंजाब	3904.27
20.	राजस्थान	11853.17
21.	सिक्किम	289.14
22.	तमिलनाडु	14397.55
23.	त्रिपुरा	909.46
24.	उत्तर प्रदेश	23186.37
25.	पश्चिम बंगाल	13069.59

1	2	3
26.	छत्तीसगढ़	5327.21
27.	झारखण्ड	5819.66
28.	उत्तरांचल	2398.77
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	दिल्ली	1118.36
30.	पाण्डिचेरी	219.89
31.	अण्डमान व निकोबार	188.39
32.	चण्डीगढ़	131.49
33.	दादर व नगर हवेली	50.13
34.	दमन व दीव	38.98
35.	लक्षद्वीप	25.15
	कुल	193019.34

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में त्रि-भाषा फार्मूला

2838. **श्री अतीक अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें त्रि-भाषा फार्मूला के अन्तर्गत तृतीय भाषा के रूप में उर्दू पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत उर्दू भाषा के शिक्षकों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उर्दू शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान करने वाले राज्यों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में उर्दू भाषा पढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को तैनात करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) इस समय किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में अतिरिक्त भाषाओं के रूप में उर्दू सहित क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाने का प्रावधान है। उर्दू भाषा अध्यापक की नियुक्ति नियमित आधार पर नही की जाती। तथापि, यदि किसी कक्षा में 20 से अधिक बच्चे अतिरिक्त भाषा के रूप में उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अंशकालिक/संविदा आधार पर अध्यापक निर्युक्त किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में खेल कूद के विकास हेतु प्रस्ताव

2839. **श्री गणेश सिंह : क्या युवक कार्यक्रम खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार के पास खेल के विभिन्न छोटे मैदानों को छोटे स्टेडियमों में परिवर्तित करने और राज्य के सतना और कटनी जिलों के खेल के मैदानों का पुनरुद्धार करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त हेतु कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) स्टेडियमों और खेल मैदानों के निर्माण के लिए "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों इत्यादि से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के अधीन, अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

कटनी में आऊटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्ताव को 15.685 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित किया गया था। तथापि, परियोजना के प्रायोजक द्वारा दो वर्ष बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू करने तथा कटनी के फोरस्टर खेल मैदान के स्थल को कटनी जिले के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिए जाने के कारण, स्वीकृति को 16.6.2004 को रद्द कर दिया गया था और राज्य सरकार को कार्यस्थल के नक्शे अनुमान इत्यादि सहित नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। नया प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। गैर सरकारी संगठन द्वारा कटनी में एक अन्य आऊटडोर स्टेडियम के प्रस्ताव पर सहायता देने के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज ठीक नहीं थे।

वर्ष 1993 के दौरान सतना में जिमनेजियम हाल और तरणताल

के निर्माण के लिए 50.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन किया गया था। तथापि, राज्य सरकार से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति निर्धारित अवधि में न होने के कारण, इस परियोजना के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप मंत्रालय की मंजूरी को 6.12.1996 को रद्द कर दिया गया था।

इसके अलावा खेल अवस्थापना के सृजन/विकास से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। अतः 1.4.2005 से खेलों के विकास के लिए खेल सुविधाओं के सृजन को राज्य सरकार समुचित रूप से पूरा करेगी।

(ख) जैसा कि ऊपर (क) में स्पष्ट किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लहसुन का निर्यात

2840. श्री रामस्वरूप कोली : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ओपन जनरल लाइसेंस के माध्यम से लहसुन का निर्यात करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार, लहसन का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।

[अनुवाद]

फार्म हाउस

2841. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास मंत्री दिनांक 13 जुलाई, 2004 और 21 दिसम्बर 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 932 और 3206 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्रित करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना को कब तक एकत्रित करने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) संबंधित एजेंसियों से पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है और सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को शैक्षणिक केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता

2842. श्री बापू हरी चौरे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आज की तिथि तक महाराष्ट्र में जनजातीय महिलाओं हेतु शैक्षणिक केन्द्रों का संचालन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान विशेषकर धुलिया जिले में कि शैक्षणिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गई है और अब तक लंबित पड़े ऐसे प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) इनको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शैक्षिक केन्द्रों यथा : आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, जनजातीय छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों तथा केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक परिसरों की स्थापना एवं उनके संचालन हेतु वित्तीय सहायता देता है। महाराष्ट्र में कार्यरत संगठनों को विगत तीन वर्षों में एवं वर्ष 2004-05 में अब तक दी गई वित्तीय सहायता निम्नांकित रूप से है:

वर्ष	धनराशि (रुपए में)
1	2
2001-02	24,78,60

1	2
2002-03	68,81,058
2003-04	70,68,900
2004-05	1,65,59,138

(ख) और (ग) "शिक्षा" राज्य का विषय है एवं राज्य सरकार शैक्षिक संस्थानों/केन्द्रों को मान्यता देती है।

[अनुवाद]

"वाटर स्पोर्टस" स्टेडियम

2843. डा. के.एस. मनोज : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "वॉटर स्पोर्टस" स्टेडियमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को केरल सरकार से "वॉटर स्पोर्टस" स्टेडियमों को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार अलापुज्जा स्थिति स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उक्त हेतु प्रस्ताव पर विचार कर रही है जहां कैनोइंग और कायकिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) भारतीय रोइंग परिसंघ, भारतीय क्याकिंग और कैनोइंग संघ तथा भारतीय तैराकी परिसंघ से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में उपलब्ध राज्य वार "वॉटर स्पोर्टस" की सुविधा संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय याटिंग संघ ने सूचित किया है कि सेलिंग के लिए कोई वॉटर स्पोर्टस स्टेडियम नहीं है। देश के बाहर सेलिंग क्लबों को राष्ट्रीय खेल परिसंघ से संबद्ध किया गया है। विभिन्न प्रकार की नौकाओं और जलीय यात्रा संबंधी कार्यों का प्रबंध संबंधित नौका श्रेणी संघ द्वारा किया जाता है भारतीय याटिंग संघ के सदस्य के रूप में उसके 40 सेलिंग क्लब है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को निम्नलिखित भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में प्रशिक्षण दे रहा है:—

तैराकी

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत:

- सेंट जोसफ इंडियन हाई स्कूल, बंगलौर
- ताशी नामग्याल अकादमी, गंगटोक
- भोंसले मिल्ट्री स्कूल, नासिक
- डोन बास्को हाई स्कूल, गुवाहाटी
- मोती लाल नेहरू खेल स्कूल, राई (सोनीपत)

सेना बाल खेल कंपनी योजना के अंतर्गत

- बंगलौर में मद्रास इंजीनियर ग्रुप सेंटर (एम.ई.जी.)
- किर्की (पुणे) में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप केन्द्र (बी.ई.जी.)

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अंतर्गत

- एस.टी.सी. कोलकाता
- एस.टी.सी. गांधीनगर
- एस.टी.सी. पोण्डा
- एस.टी.सी. गुवाहाटी
- एस.टी.सी. त्रिचुर

उत्कृष्टता केन्द्र योजना के अंतर्गत

- कोलकाता
- गांधीनगर

कैनोइंग और क्याकिंग तथा रोइंग

सेना बाल खेल कंपनी योजना के अंतर्गत

- बी.ई.जी., रुड़की
- बी.ई.जी., किरकी

एस.टी.सी. योजना के अंतर्गत

- एस.टी.सी., भोपाल

विशेष क्षेत्र खेल योजना के अंतर्गत (एस.ए.जी.)

– (एस.ए.जी.), जगतपुर

– (एस.ए.जी.), पोर्ट ब्लेयर

– (एस.ए.जी.), एलप्पी

इसके अलावा, अनुमोदित पैटर्न के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा तरणताल के निर्माण, खेल अवस्थापना जैसे बोट हाऊस, जैटी इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि राज्य सरकारों इत्यादि से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

देश के अलग अलग हिस्सों में वाटर स्पोर्टस स्टेडियम संबंधी अन्य ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाटर स्पोर्टस स्टेडियम की स्थापना के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी विशेष क्षेत्र खेल योजना के अंतर्गत केनोइंग और क्याकिंग तथा रोइंग में प्रशिक्षण देने हेतु जमे हुए पानी (प्राकृतिक झील) के प्रयोग के लिए एल्प्पी में (1987 से) एस.ए.जी. केन्द्र स्थापित किया है। चुनिंदा प्रशिक्षणार्थियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्र के पास आवश्यक अवस्थापना जैसे बोट हाऊस, फिटनेस केन्द्र तथा आवासीय छात्रावास उपलब्ध हैं।

विवरण

1. देश में उपलब्ध रोंइग पाठ्यक्रमों की संख्या

क्र. स.	राज्य	रोइंग कोर्स सुविधाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	चण्डीगढ़	1
3.	केरल	1
4.	कर्नाटक	1
5.	उड़ीसा	1
6.	पुणे	2
7.	पश्चिम बंगाल	1
8.	तमिलनाडु	2

2. केयाकिंग केनोइंग तथा राफ्टिंग केन्द्रों की संख्या

क्र. स.	राज्य	क्याकिंग, केनोइंग व राफ्टिंग केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	अण्डमान व निकोबार	1
3.	चण्डीगढ़	1
4.	दिल्ली	1
5.	गोवा	1
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू-कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	1
10.	केरल	1
11.	मध्य प्रदेश	2
12.	महाराष्ट्र	2
13.	उड़ीसा	1
14.	प. बंगाल	1
15.	उत्तर प्रदेश	2
16.	उत्तरांचल	1

3. देश में उपलब्ध तैराकी सुविधा की संख्या

क्र. स.	राज्य	रोइंग कोर्स सुविधाओं की संख्या
1	2	3
1.	असम	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	5
3.	बिहार	1
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	चण्डीगढ़	1
6.	दिल्ली	2
7.	गोवा	2
8.	गुजरात	6
9.	हरियाणा	2
10.	जम्मू-कश्मीर	1
11.	कर्नाटक	8
12.	केरल	4
13.	मध्य प्रदेश	5
14.	महाराष्ट्र	14
15.	मणिपुर	1
16.	उड़ीसा	1
17.	पंजाब	4
18.	राजस्थान	4
19.	तमिलनाडु	4
20.	उत्तर प्रदेश	4
21.	प. बंगाल	2

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अतिरेक कर्मचारी

2844. मो. मुकीम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऑन-फील्ड कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के बजाय शीर्ष अधिकारियों की संख्या में और वृद्धि करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 25 नवम्बर 2004 के "दी टाईम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पूर्व की रिपोर्टों और मूल्यांकनों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण को सबसे अधिक अतिरेक कर्मचारियों वाला बताया गया है जो नए कार्य और रोजगार की तलाश में हैं; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण में और अधिक संख्या में पद जोड़ने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार दिल्ली विकास प्राधिकरण बागवानी विभाग की काडर समीक्षा के संबंध में है। काडार समीक्षा समिति ने बागवानी विभाग के कार्यकलापों में बढ़ोतरी के आलोक में पर्यवेक्षी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षी स्टाफ और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने बागवानी विभाग में मौजूद 4335 पदों को बढ़ाकर 4375 पद करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापार का विकास

2845. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन वाले और अनुकूल भौगोलिक स्थिति वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पास दक्षिण - पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य के केन्द्र के रूप में उभरने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षमता का पूरी तरह दोहन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्य - योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष उपाय किए हैं। वाणिज्य विभाग की विभिन्न स्कीमों के बजटीय प्रावधान के कम से कम 10% को पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्धारित किया जाता है। वाणिज्य विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों के विकास हेतु संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं अन्य कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अंतर्गत निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) की स्थापना की है। निर्यात विकास निधि स्कीम के अंतर्गत 37 परियोजनाओं के लिए 23.52 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के जरिए केन्द्रीय असमापी संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) के माध्यम से विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है और उनका वित्त पोषण करती है। अब तक एन एल सी पी आर के अंतर्गत 4001.01 करोड़ रु. की लागत से 646 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से 1998-99 से एन एल सी पी आर के शुरू होने के बाद फरवरी, 2005 तक 2979.88 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। एन एल सी पी आर के अंतर्गत सभी परियोजनाएं बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी परियोजनाएं होती हैं।

शहरों का विकास

2846. **श्री राजेन्द्र कुमार :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरांचल राज्य में, विशेषकर हरिद्वार जिले में विभिन्न शहरों का विकास करने हेतु प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तरांचल राज्य ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है;

(घ) क्या विश्व बैंक इस प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवास और रोजगार सुविधाओं हेतु सहायता अनुदान

2847. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह :** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 और 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान आज की तिथि तक केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्धन लोगों को आवास और रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायता अनुदान के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) तत्संबंधी लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलेजा) : (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी स्लमों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए आश्रय मुहैया कराने अथवा मौजूदा में सुधार करने के लिए 2001-02 से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार करने तथा देश में शहरी गरीबी में कमी करने के उद्देश्य से दिनांक 1.12.1997 से अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि तथा इस अवधि के दौरान लाभार्थियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)

वर्ष	जारी राशि (लाख रु. में)	शामिल रिहायशी यूनिटें	शामिल शौचालय सीटें
2002-2003	1104.06	5412	0
2003-2004	1899.00	8462	0
2004-2005	1991.95	8835	155

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

वर्ष	जारी राशि (लाख रु. में)	लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं.	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	मजदूरी रोजगार के अंतर्गत सृजित श्रम दिवस (लाख में)
2002-03	1671.76	11852	3993	3.12
2003-04	1571.74	6868	14452	3.63
2004-05	2122.61	4869	25729	1.76

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्रों का नामांकन

2848. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत देश में लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित अन्य छात्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत देश में लाभान्वित छात्रों सहित अन्य छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) गत तीन वर्षो के दौरान देश में नामांकित बच्चों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान जिन छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें दी गई उनकी संख्या और इस उद्देश्य से राज्यों को आवंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन					
		कक्षा I-V			कक्षा VI-VIII		
		2000-2001	2001-2002	2002-2003	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8905953	8626241	8615608	2823352	3089951	3366950

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	162541	162495	171792	53220	53917	58417
3.	असम	4040631	4080610	3128986	1505487	1518648	1058295
4.	बिहार	10573245	7809112	9413646	2551107	1913707	1756898
5.	छत्तीसगढ़		2972595	2751573		1061631	1146145
6.	गोवा	123759	120066	111926	72063	72653	74555
7.	गुजरात	6770804	6494625	6335398	2224181	2380787	2602609
8.	हरियाणा	2017855	1969544	2124184	935014	988889	1099410
9.	हिमाचल प्रदेश	694926	718310	720842	412784	402171	439613
10.	जम्मू-कश्मीर	1062942	1059305	1090939	424641	476102	502915
11.	झारखंड		2854183	2919790		776449	698085
12.	कर्नाटक	6658003	6516535	6286455	2756492	2756206	2787659
13.	केरल	2594009	2523879	2496100	1788888	1765699	1704991
14.	मध्य प्रदेश	11113178	8265147	7710358	3482586	2687300	3068217
15.	महाराष्ट्र	11720691	11528282	10900033	5337562	5724999	5957208
16.	मणिपुर	285580	298371	356799	121200	126905	124910
17.	मेघालय	325038	327132	391730	94091	96110	104420
18.	मिजोरम	119737	134547	134150	44896	49572	51349
19.	नागालैंड	210571	212454	167972	68415	65683	59244
20.	उड़ीसा	4710000	4769000	4509693	1465000	1505000	1473245
21.	पंजाब	2112224	2073388	1890013	990542	992701	1007386
22.	राजस्थान	7921845	7932456	7846501	3278440	3306503	2513345
23.	सिक्किम	89576	77003	79058	27086	24622	28083
24.	तमिलनाडु	5709445	5673757	6468257	3551490	3524036	3517039

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	470680	460507	449465	154955	165591	180513
26.	उत्तर प्रदेश	14159790	13378223	22712307	4970214	4671768	6553162
27.	उत्तरांचल		1047798	1155717		489440	523383
28.	पश्चिम बंगाल	10015955	10151362	9774543	3053390	3210627	3398454
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40204	40022	39625	22090	21692	21835
30.	चंडीगढ़	66658	58050	65483	40236	36998	40930
31.	दादरा और नगर हवेली	28193	28604	32476	8658	9844	11081
32.	दमन और दीव	15944	15877	16258	7313	7777	8374
33.	दिल्ली	996133	1394230	1425508	475424	783232	834908
34.	लक्षद्वीप	7995	8002	7353	4773	4768	4867
35.	पांडिचेरी	102873	101348	97177	64415	66257	66712
	भारत	113826978	113883060	122397715	42810005	44828235	46845207

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के दौरान जिन छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई उन की संख्या और इस उद्देश्य से आवंटित राज्यवार निधि

क्र. सं.	राज्य का नाम	छात्रों की संख्या	आवंटित राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	392198	588.30
2.	असम	3049311	3964.09
3.	छत्तीसगढ़	3300348	3311.81
4.	गुजरात	2612952	2612.95
5.	गुजरात	348883	523.34
6.	हरियाणा	1500962	2251.44
7.	हिमाचल प्रदेश	240087	360.14
8.	जम्मू-कश्मीर	747280	1120.92
9.	झारखंड	2071982	3107.97
10.	कर्नाटक	556781	835.17
11.	केरल	1912382	2868.58
12.	मध्य प्रदेश	8308333	4452.94

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	9284544	7427.70
14.	मणिपुर	234299	351.46
15.	मेघालय	375682	563.52
16.	मिजोरम	179071	268.62
17.	नागालैंड	29302	43.96
18.	उड़ीसा	3404563	2893.88
19.	पंजाब	622098	933.15
20.	राजस्थान	409151	409.17
21.	सिक्किम	20544	15.41
22.	त्रिपुरा	519187	778.79
23.	उत्तर प्रदेश	14399636	9786.08
24.	उत्तरांचल	682616	911.64
25.	पश्चिम बंगाल	6213507	9320.23
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17100	25.65
27.	चंडीगढ़	35170	52.76
28.	दमन और दीव	8716	13.08
	कुल	61476685	59792.75

सशस्त्र तेलंगाना संघर्ष

2849. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1949 के सशस्त्र तेलंगाना संघर्ष में भाग लेने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछली सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। भारत सरकार ने इस शर्त के साथ कि वे लोग ही पात्र होंगे, जिन्होंने 15.9.1948 अर्थात् हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से पूर्व तक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, हैदराबाद लिब्रेशन आन्दोलन के लाभ भोगियों की संख्या को 1985 में लगाए गए पूर्व अनुमान लगभग 11,000 से बढ़ाकर जनवरी, 2005 में लगभग 15,000 करने का अनुमोदन किया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

गैर-कानूनी विदेश यात्राएं

2850. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में लोगों का गलत तरीकों से अन्य देशों में भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों की पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त गैर-कानूनी यात्राओं को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास इन व्यक्तियों से संबंधित कोई आंकड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार की जानकारी में ऐसे दृष्टांत आए हैं।

(ग) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे अवैध प्रवासन में संलिप्त व्यक्तियों/यात्रा एजेंटों के विरू विरुद्ध कार्रवाई करें।

(घ) और (ङ) संघ सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों/यात्रा एजेंटों के विरुद्ध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

आपदा प्रबंधन महाविद्यालय

2851. डा. टोकचोम मैन्या :
श्री राकेश सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सिविल डिफेन्स कॉलेज, नागपुर तथा नेशनल फॉयर सर्विस कॉलेज आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में लगातार हो रही राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर उक्त संस्थानों का उन्नयन और विस्तार करने तथा आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त आपदा से निपटने हेतु आपदा-पूर्व तैयारियां करने के लिए एक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और ऐसी स्थितियों से निपटने की जानकारी देने हेतु लोगों में जागरूकता लाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। सरकार ने नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज, नागपुर का उन्नयन करने का निर्णय लिया है और राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर का उन्नयन करने का भी प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम), भी आपदा नियंत्रण, तैयारी, कार्रवाई, तथा राहत के लिए एक व्यापक मानवीय संसाधन विकास योजना विकसित करने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज, नागपुर, राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में योजनाकर्ताओं, प्रशासकों और कमान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। सरकार ने बस बैंक पैनलों के अलावा, आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्राइवेट चैनलों, प्रिंट मीडिया और प्रचार ब्रोचर्स के माध्यम से, एक राष्ट्र-व्यापी मास मीडिया जागरूकता अभियान भी चलाया है। आपदा प्रबंधन को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, के माध्यम के कक्षा VIII से X तक के स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है और राज्यों को विद्यार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अपने शिक्षा बोर्डो के माध्यम से इसी प्रकार की कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान

2852. श्री सुखबीर सिंह बादल :
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से जिले-वार कितनी मात्रा में फसलों का नुकसान हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन किसानों को सहायता देने का है जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) हाल की ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान के बारे में राज्य सरकारों ने इस मंत्रालय को सूचित नहीं किया है।

(ख) और (ग) किसान, आपदा राहत निधि (सी आर एफ), जिसमें भारत सरकार 75% अंशदान करती है, के अंतर्गत राज्यों के पास उपलब्ध निधियों में से मानदण्डों और दिशानिर्देशों के अनुसार फसल हानि के लिए राहत पाने के पात्र हैं।

[हिन्दी]

आवास क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2853. श्री संतोष गंगवार : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) मकानों के लिए बढ़ रही आवश्यकताओं को देखते हुए नई दिल्ली में दिनांक 29-30 नवम्बर, 2004 को आयोजित सम्मेलन में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आवास मंत्रियों से आवास के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए कहने के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि निजी क्षेत्र को समुचित सहायता दी जानी चाहिए। सरकार ने हाल में उपनगरों (टाऊनशिप), आवास तथा निर्माण विकास परियोजनाओं में ऑटोमेटिक रूट इन टाऊनशिप के अधीन शत-प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) आवास एवं अवस्थापना विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों को ऋण सहायता मुहैया कराता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के मामलों की पुनरीक्षा

2854. श्री पी.के. वासुदेवन नायर :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के उन अध्यापकों, जिनका (2000-04 के दौरान) स्थानान्तरण कर दिया गया था, के मामलों की पुनरीक्षा करने हेतु लगभग 3 माह पूर्व गठित की गई एक समिति 2000 के स्थानान्तरण दिशानिर्देशों का पालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) उन अध्यापकों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें नियम 81 (ख) के अंतर्गत हटा दिया गया था अथवा जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी; और

(ङ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनकी पुनरीक्षा की गई है और जिन्हें बहाल/वापस बुलाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, हां। समिति ने सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(I)	बहाली की सिफारिश वाले मामले-	249
(II)	व्यक्तिगत सुनवाई की सिफारिश वाले मामले-	198
(III)	रद्द मामले, जो 'स्थानान्तरण दिशानिर्देश, 2000' के अन्तर्गत शामिल नहीं है	467

सरकार द्वारा विचार-विमर्श करने के पश्चात ऐसे 234 शिक्षकों की बहाली को अनुमोदित कर दिया गया है। जिनकी अपील पर समिति ने विचार किया था और उनकी बहाली की सिफारिश की थी।

(घ) और (ङ) अनुच्छेद 81 (बी) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा सेवा से हटाए जाने का उल्लेख नहीं है।

[हिन्दी]

हथियार का लाइसेंस

2855. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री अशोक अर्गल :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् आज तक दिल्ली में कुल कितने हथियारों हेतु लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) ऐसे लाइसेंसों हेतु मंजूरी देने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ग) दिल्ली में ऐसे हथियार लाइसेंसों की कुल संख्या कितनी है जिनकी अखिल भारतीय वैधता है;

(घ) दिल्ली लाइसेंसों की अन्य राज्यों में और अन्य राज्यों के लाइसेंसों की दिल्ली में तथा अखिल भारतीय स्तर पर हथियार लाइसेंसों की वैधता हेतु क्या मानदंड हैं;

(ङ) क्या सरकार को दिल्ली से अखिल भारतीय वैधता वाले हथियार लाइसेंसों को जारी करने में अनियमितता बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) एक विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	दिल्ली पुलिस द्वारा अनिषिद्ध बोर के हथियारों हेतु जारी लाइसेंसों की संख्या	गृह मंत्रालय द्वारा निषिद्ध बोर के हथियारों हेतु जारी लाइसेंसों की संख्या
2002	1442	15
2003	1304	16
2004	1230	4
2005 (9 मार्च तक)	198	2

(ख) हथियारों के लाइसेंस जारी करने संबंधी मानदंडों में शामिल है आवेदकों के अपराधिक पूर्ववृत्त की जांच; हथियार की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता की प्रमाणिकता तथा खतरे की आशंका। निषिद्ध बोर (पी बी) के हथियार रखने हेतु नए लाइसेंसों का प्रदान किया जाना निम्नलिखित श्रेणियों हेतु समिति रखा गया है:—

(i) वे, रक्षा कार्मिक जिनको 25 जून, 1982 से पूर्व ऐसे हथियार आवंटित किए गए थे;

(ii) परिवार के पास लंबे समय से रहने के आधार पर उनका पारिवारिक उत्तराधिकार मानते हुए हथियार का अंतरण; तथा

(iii) ऐसे व्यक्ति जिनका विशेष रूप से आतंकवादियों तथा विध्वसंक तत्वों से गंभीर तथा तात्कालिक खतरा हो।

(ग) दिल्ली में ऐसे लाइसेंसों की संख्या 31902 है जिनकी अखिल भारतीय वैधता है।

(घ) शस्त्र नियम, 1962 के नियम 53 (1) के अनुसार, किसी लाइसेंस धारक से आवेदक प्राप्त होने पर, लाइसेंस प्राधिकारी उनके लाइसेंस में विनिर्दिष्ट वैधता के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, यदि वह ऐसे विस्तार की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो, बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी को उस क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार हो जिसके लिए विस्तार मांगा गया है। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, नियम के रूप में अखिल भारतीय लाइसेंस बहुत कम मामलों में प्रदान किए जायेंगे। ऐसे कुछ मामलों, जिन पर अपवाद स्वरूप विचार किया जा सकता है, में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल होंगी:—

(i) मंत्री तथा संसद सदस्य;

(ii) रक्षा सेवाओं, पुलिस तथा अर्द्धसैनिक संगठनों के सेवारत अधिकारी तथा भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व वाले सरकार अधिकारी; तथा

(iii) वास्तविक खेल-कूद हेतु मान्यता प्राप्त राइफल क्लबों तथा राइफल एसोसिएशनों के सदस्य।

(ङ) से (छ) संसद सदस्यों के निजी सचिव द्वारा धारित हथियार लाइसेंस की क्षेत्र वैधता के विस्तार के संबंध में कुछ संसद सदस्यों के पत्र प्राप्त हुए थे। मामले की जांच पर यह पाया गया कि इस मामले में हथियार लाइसेंस धारक, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अखिल भारतीय विस्तार प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं था। अतः उनके मामले को अस्वीकृत कर दिया गया तथा संबंधित संसद सदस्या को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

[अनुवाद]

जनसंहार और बड़े पैमाने पर होने वाले अपराध निवारण विधेयक

2856. **श्री अखिलेश यादव :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सेवानिवृत प्रतिष्ठित न्यायाधीशों/व्यक्तियों के नागरिक समूह द्वारा तैयार जनसंहार और मानवता के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के निवारण एवं दंड अधिनियम, 2004 की प्रारूप विधि का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विधान को संसद के समक्ष कब तक प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) देश में साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानून अधिनियमित करने हेतु एक विधेयक तैयार किया जा रहा है। सरकार को विभिन्न हलकों से सुझाव प्राप्त होने के साथ सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित न्यायविदों/व्यक्तियों के नागरिक समूह द्वारा तैयार किया गया "मानवता के विरुद्ध नरसंहार और अपराध की रोकथाम और सजा अधिनियम, 2004" शीर्षक से मसौदा प्राप्त हुआ है। सुझावों में शामिल हैं- अपराधों की परिभाषाओं से संबंधित उपबंध, उनकी रोकथाम तथा अभियोजन के लक्ष्य वाले उपाय, क्षतिपूर्ति अपराधों का त्वरित विचारण तथा दंगों आदि के पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास। विधेयक को व्यापक परामर्श के पश्चात अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा तथा इसे संसद के अगले सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनियमितताएं

2857. श्री टी.के. हमजा :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में हुई अनियमितताओं आदि की जांच हेतु पिछले पांच वर्षों के दौरान गठित समितियों की संरचना और उनके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी भी समिति ने अब तक अपनी अंतरिम अथवा अंतिम रिपोर्ट सौंपी है; और

(ग) यदि हां, तो इनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने श्री एस. सत्यम, पूर्व सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो निजी एजेंसी के सहयोग से केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शिक्षकों के पदों हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की विस्तृत जांच करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में विशिष्ट टिप्पणी देगी कि क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शिक्षकों के चयन तथा भर्ती हेतु अपनायी गई इस प्रक्रिया से किसी उम्मीदवार को अनुचित लाभ तो नही मिला है।

(ख) जी, नही।

(ग) प्रश्न नही उठता।

मलिन बस्ती क्षेत्र का पुनर्वास

2858. श्री सज्जन कुमार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मलिन बस्ती क्षेत्र के पुनर्वास हेतु मलिन बस्ती और झुग्गी-झोपड़ी विभाग को तेहखंड में 32 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मलिन बस्ती और झुग्गी-झोपड़ी विभाग द्वारा भूमि हेतु दिविप्रा को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) उक्त भूमि का कब्जा मलिन बस्ती और झुग्गी-झोंपड़ी विभाग को किसी तिथि को सौंपा गया था;

(घ) क्या उक्त भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो किस तिथि को यह निर्णय लिया गया तथा किन अधिकारियों ने ऐसा निर्णय लिया; और

(ङ) तत्संबंधी निर्णय बदले जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां। तथापि, स्लम और झुग्गी-झोपड़ी विभाग को केवल 30.14 एकड़ भूमि का कब्जा दिया गया था।

(ख) 1.92 करोड़ रुपए

(ग) 4.9.1997

(घ) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि यह निर्णय लिया गया था कि इस भूमि का विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा इसलिए, भूमि पुनः प्राप्त की गई थी। स्लम और झुग्गी-झोपड़ी विभाग को 3.6.1998 के पत्र द्वारा इस मामले की सूचना दे दी गई थी। स्लम और झुग्गी-झोपड़ी विभाग के साथ परामर्श करके तथा सेवाओं की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर स्लम और झुग्गी-झोपड़ी विभाग के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली नगर निगम द्वारा बुनियादी सुविधाएं

2859. श्री मुनव्वर हसन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के शान्ति विहार, दुर्गा विहार, श्याम विहार, रोशनपुरा, दीनपुरा कालोनियों में सीवर लाइन, पेयजल कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसी बुनियादी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उसने श्याम विहार तथा रोशनपुरा कॉलोनियों में नालियों सहित रास्ते (स्ट्रीट्स) मुहैया कराए हैं। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि अन्य उल्लिखित कालोनियों को नहीं चुना गया है और उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिल्ली नगर निगम को भेज दिया गया है ताकि उन्हें उन अनधिकृत कालोनियों में शामिल किया जा सके जिनमें बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया की जानी है। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सीवर लाइन का प्रावधान उसके दायरे में नहीं आता है।

[अनुवाद]

अतिक्रमण और अवैध निर्माण

2860. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर वेस्ट एन्कलेव, पीतमपुरा में विभिन्न को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गयी थी, के फ्लैट मालिकों द्वारा व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिविप्रा के डिमोलिशन स्क्वैड अथवा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों को ढाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माणों के संबंध में पता लगाना और कानूनी कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है। वेस्ट इन्कलेव, पीतमपुरा के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्माण गतिविधियों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को स्थानान्तरित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि अभी तक वेस्ट पीतमपुरा में कापरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के फ्लैट मालिकों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण के 48 मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) अनधिकृत निर्माणों के संबंध में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 के अन्तर्गत निर्माण गिराने के आदेश पहले ही पारित कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिविप्रा के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों और विधवाओं को ठगना

2861. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों पर एक दुकान आवंटन रैकेट के माध्यम से कर्मचारियों और विधवाओं को ठगने का आरोप लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी समिति से नवम्बर, 2002 में उसे एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें समिति के कर्मचारियों की विधवाओं को दुकानों के आवंटन में तथा दुकानों की कीमत में विसंगति होने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस शिकायत की जांच करायी थी तथा दिल्ली के उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसने इसे फाइल करने का आदेश दिया क्योंकि इस शिकायत में कोई सार नहीं पाया गया था।

राजनीतिक नेताओं के स्मरणोत्सवों का आयोजन

2862. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अब से राजनीतिक नेताओं के सभी स्मरणोत्सवों का आयोजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे स्मरणोत्सवों के आयोजन का भार लेने के पीछे क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को मध्य-2000 से पहले मौजूद पूर्व प्रक्रिया के अनुसार समाधि पर समारोह आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। इससे समाधि-परिसर के बेहतर रखरखाव के साथ-साथ कुछ समन्वय संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

हिन्दी भाषा में कार्य करना

2863. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां राजभाषा हिन्दी में कार्य नहीं किए जाते हैं;

(ख) केन्द सरकार द्वारा देश में राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार भारत में हिन्दी बोलने वाले लोगों की प्राक्कलित संख्या कितनी है;

(घ) कुल जनसंख्या में से अधिकांश लोगों द्वारा कौन-सी भाषा बोली जाती है अथवा समझी जाती है; और

(ङ) किन कारणों की वजह से हिन्दी अपनी अपेक्षित वैधानिक स्थिति नहीं प्राप्त कर सकी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) वे राज्य, जिनकी हिन्दी राजभाषा नहीं है निम्नलिखित हैं:—

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल।

(ख) संघ सरकार अपने हिंदीतर भाषी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, टंकण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षण देती है। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं हैं। संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं। इनमें संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समितियां, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां शामिल हैं।

(ग) भाषाओं संबंधी वर्ष 2001 के जनगणना के आंकड़े सभी संसाधित नहीं हो पाए हैं। तथापि, भारत के वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को अपनी मातृभाषा प्रदर्शित करने वाले लोगों की संख्या 337,272,114 थी।

(घ) वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है अथवा समझी जाती है।

(ङ) हिंदी, अंग्रेजी के साथ संघ की राजभाषा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(5) के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसको समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक इन संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

[अनुवाद]

आवासीय संपत्तियों का अतिक्रमण और व्यवसायीकरण करने के विरुद्ध अभियान

2864. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय संपत्तियों का अतिक्रमण और व्यवसायीकरण करने के विरुद्ध चलाया जा रहा दिल्ली नगर निगम का अभियान विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के विफल होने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा डिफेंस कालोनी और ग्रेटर कैलाश में व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाई जा रही चिन्हित संपत्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अब उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि यह कहना सही नहीं होगा कि अतिक्रमणों और रिहायशी संपत्तियों के व्यवसायीकरण के खिलाफ अभियान विफल रहा है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उन्होंने अनुमत्य भू-उपयोग के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हाल ही में डिफेंस कालोनी में 14 संपत्तियों और ग्रेटर कैलाश-II में 61 संपत्तियों में अनुमत्य भू-उपयोग का उल्लंघन पाया गया था। रिहायशी संपत्तियों के व्यावसायीकरण की रोकथाम के लिए, डीएमसी एक्ट, 1957 की धारा 347 के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें

2865. श्री तापिर गाव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् राज्यों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश को पहाड़ी क्षेत्रों और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों, पुलों आदि के निर्माण हेतु आबंटित की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में इन राज्यों को आबंटित करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं उसके बाद विभिन्न राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें, पुल इत्यादित बनवाने के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) राज्यों को आबंटित निधियों सुपरिभाषित मानदंडों पर आधारित हैं। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा आबंटित निधियां राज्यों को इन्ही मानदंडों के आधार पर आबंटित की जाती हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002 निर्मुक्त धनराशि	2002-2003 निर्मुक्त धनराशि	2003-2004 निर्मुक्त धनराशि	2004-2005 17.03.2005 तक निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2715.35	2160.30	1785.00	2300.46
2.	असम	845.56	1023.40	668.87	574.54
3.	बिहार	209.35	209.00	209.00	114.95
4.	गुजरात	3050.00	2250.00	2280.00	2515.00
5.	हिमाचल प्रदेश	78.00	80.00	80.00	88.00
6.	जम्मू-कश्मीर	502.94	318.00	367.00	398.70
7.	कर्नाटक	1314.37	904.35	797.00	770.00

1	2	3	4	5	6
8.	केरल	117.50	588.00	158.00	129.80
9.	मध्य प्रदेश	4346.06	4052.32	3821.58	4522.35
10.	महाराष्ट्र	2672.50	2925.00	2672.00	1470.35
11.	मणिपुर	230.00	424.55	230.00	253.00
12.	उड़ीसा	4104.91	3641.60	2830.00	830.21
13.	राजस्थान	2550.00	2224.48	2070.00	2200.00
14.	सिक्किम	239.38	83.00	33.00	36.30
15.	तमिलनाडु	405.00	210.00	250.00	117.24
16.	त्रिपुरा	462.50	665.50	313.00	344.30
17.	उत्तर प्रदेश	176.95	27.00	27.00	29.70
18.	पश्चिम बंगाल	1406.67	1543.00	1763.00	1987.30
19.	अरुणाचल प्रदेश	200.00	300.00	200.00	220.00
20.	मेघालय	0.00	555.00	50.55	305.25
21.	मिजोरम	0.00	240.00	240.00	424.00
22.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	425.70
23.	झारखंड	2208.15	2808.00	2208.00	1555.27
24.	छत्तीसगढ़	2086.77	2689.50	2089.00	2297.90
25.	उत्तरांचल	78.05	78.00	128.00	107.61
	कुल	30000.00	30000.00	25270.00	24017.93

[हिन्दी]

किशोरों हेतु योजना

2886. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
श्री मुन्शी राम :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किशोरों हेतु कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय करने का लक्ष्य है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। किशोरों का विकास और अधिकारिता नाम से एक योजना तैयार की गई है।

(ख) यह योजना किशोरों के विकास और अधिकारिता के लिए है। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:—

1. पर्यावरण निर्माण
2. जीवन कौशल शिक्षा
3. परामर्श जिसमें ऑन लाइन परामर्श सेवा, शहरों तथा छोटे नगरों में टेलीफोन हेल्पलाइन शामिल है।
4. कैरियर मार्गदर्शन/कैरियर मेला
5. रिहायशी शिविर
6. अनुसंधान और संसाधन विकास।

यह योजना अक्तूबर, 2004 से कार्यान्वित हो रही है तथा 10वीं याजना की शेष अवधि के लिए 35 करोड़ रुपये (वर्ष 2004-05 के लिए 8 करोड़ रुपये, 2005-06 के लिए 13 करोड़ रुपये, 2005-07 के लिए 14 करोड़ रुपये) की निधियों का लक्ष्य है।

(ग) यह योजना पहले ही प्रारंभ हो चुकी है।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों में विदेशी निवेश

2867. श्री दुष्यंत सिंह :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि आधारित विदेशी उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक स्वीकृत प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि आधारित उद्योगों में नए क्षेत्रों की संभावनाएं तलाशने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में तत्पश्चात क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 01 जनवरी, 1991 से 31 जनवरी, 2005 तक की अवधि के लिए एफ.डी.आई. वाली भारतीय कंपनियों की संख्या 9248 है। कृषि आधारित उद्योगों में लगी विदेशी कंपनियों की संख्या के संबंध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है। मौजूदा नीति अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वतः मार्ग के तहत 100% तक एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान करती है। चीनी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वनस्पति तेल तथा वनस्पति और चाय तथा कॉफी क्षेत्रों में जनवरी, 2002 से दिसंबर, 2004 के दौरान एफ.डी.आई. अनुमोदनों के क्षेत्रवार तथा राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। एफ.डी.आई. के अन्तर्वाह में तेजी लाने के लिए प्रक्रियाओं सहित एफ.डी.आई. नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

विवरण

कृषि आधारित उद्योगों में जनवरी, 2002 से दिसंबर, 2004 तक एफ.डी.आई. अनुमोदनों का विवरण

(क) क्षेत्रवार

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	क्षेत्र	एफ.डी.आई. अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित एफ.डी.आई. की राशि
1.	चीनी	5	9.87
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	101	573.48
3.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	21	71.84
4.	चाय/कॉफी	7	68.82
	कुल	134	724.01

(ख) राज्यवार

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	राज्य	एफ.डी.आई. अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित एफ.डी.आई. की राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	20.96
2.	गुजरात	5	10.34
3.	हरियाणा	4	6.90
4.	हिमाचल प्रदेश	1	52.50
5.	कर्नाटक	15	100.15
6.	केरल	6	10.61
7.	महाराष्ट्र	25	397.68
8.	पंजाब	1	0.01
9.	राजस्थान	3	1.45
10.	तमिलनाडु	22	44.61
11.	उत्तर प्रदेश	4	0.70
12.	पश्चिम बंगाल	5	4.92
13.	चण्डीगढ़	2	25.10
14.	दिल्ली	27	43.32
15.	राज्य जो दर्शाये नहीं गये हैं	8	4.76
	कुल योग	134	724.01

निजी सुरक्षा एजेन्सी

2868. श्री गुरूदास कामत :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निजी सुरक्षा ऐजन्सियों का वैधता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसी एजेन्सियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन वैधता प्राप्त एजेन्सियों पर सरकार का भी नियंत्रण होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) प्राईवेट सुरक्षा एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए, केन्द्र सरकार का संसद के चालू सत्र में एक नया विधेयक, नामत: निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) विधेयक, 2005 पेश करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में प्रावधान है कि ऐसी एजेंसी के संचालन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के उपयुक्त प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसी प्रणाली के लागू होने के बाद ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उपयुक्त प्राधिकारियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों की वास्तविक संख्या का पता लगेगा। उपर्युक्त विधेयक में निजी सुरक्षा एजेंसियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

उद्यमों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

2869. श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री कमला प्रसाद रावत :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी रोजगार हेतु असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में एक उद्यमी संबंधी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन-से राज्य हैं जहां रोजगार योजना क्रियान्वित किए जाने की संभावना है तथा रोजगार की प्रकृति क्या होगी और इस पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या उक्त आयोग ने शहरी बेरोजगारी संबंधी समस्याओं का निराकरण करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की तर्ज पर एक प्रस्ताव तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने हेतु तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों की उत्पादकता में सुधार लाने, स्थायी आधार पर व्यापक पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने, उभरते विश्व व्यापी वातावरण में क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने, क्षेत्र को क्रेडिट कच्चा माल, अवस्थापना, प्रौद्योगिक उन्नयन, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में सांस्थानिक फ्रेमवर्क के साथ जोड़ने तथा कौशल विकास के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित उपायों की सिफारिश करने हेतु दिनांक 20.9.2004 को असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों संबंधी राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूआईएस) का गठन किया है। राष्ट्रीय आयोग को तीन साल की समयावधि दी गई है।

(ग) से (ङ) असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूआईएस) ने शहरी क्षेत्रों में कौशल निर्माण तथा रोजगार आश्वासन के संबंध में एक संकल्पना नोट तैयार किया है, जिसमें इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि यद्यपि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है लेकिन विस्तारित अर्थ व्यवस्था के लिए अपेक्षित कौशल की बढ़ती संख्या के लिए मांग ज्यादातर अनुचित ही रही हैं यह परिकल्पना की गई है कि उच्चतर मजदूरी पर नियमित रोजगार/स्व-रोजगार के लिए बाजार की जरूरतों व गुणवत्ता को देखते हुए अकुशल गरीब व्यक्ति रोजगार-योग्य कौशल पाने में समर्थ हो सकेंगे। प्रस्तावित हस्तक्षेप का उद्देश्य एक व्यापक स्कीम की मार्फत रोजगार योग्य आश्वासन देने पर ध्यान केन्द्रित करना है, जिसमें कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करके तथा कौशल प्रशिक्षण के लाभार्थियों के नियोजन को प्रोत्साहन देकर प्रभावी ढंग से रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकेंगे। व्यक्तिगत सामर्थ्यता का मूल्यांकन करने तथा प्रशिक्षण माड्यूल व प्रमाणीकरण प्रणालियां विकसित करने के प्रयोजन से सरकारी गैर सरकारी भागीदारी की पूरी क्षमता का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

(च) इस समय प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश का आवक

2870. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी और लाभ को विदेशों में भेजने के संबंध में विदेशी पूंजी निवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई विदेशी निवेशक अपने निवेशों को अपनी इच्छानुसार वापस ले सकता है अथवा उसे निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने तक इंतजार करना होता है; और

(ग) अब तक हुए विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) सभी विदेशी निवेश स्वदेश वापस भेजने के आधार पर किए जाते हैं, इनमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें अनिवासी भारतीय वापस न ले जाने की योजना के अधीन निवेश करना चुनते हैं अथवा जिनमें क्षेत्र संबंधी नीतियों के तहत वापस ले जाने पर प्रतिबंध हैं, जैसे कि रक्षा क्षेत्र, नगर, आवास, निर्मित अवसंरचना विकास और निर्माण-विकास परियोजनाओं का विकास। विदेशी निवेशों पर घोषित लाभांश को स्वतंत्र रूप से वापस भेजा जा सकता है।

(ग) अगस्त, 1991 से दिसंबर, 2004 तक की अवधि के दौरान देशवार एफ.डी.आई. अंतर्वाह संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

अगस्त, 1991 से दिसंबर, 2004 तक देशवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह के ब्यौरे

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	देश का नाम	प्राप्त किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह की राशि
1	2	3
1.	मौरिसस	38024.76

1	2	3
2.	यू.एस.ए.	18048.05
3.	नीदरलैण्ड	7940.06
4.	जापान	7900.17
5.	यू.के.	7013.66
6.	जर्मनी	5074.20
7.	फ्रांस	3123.89
8.	कोरिया (दक्षिण)	2605.57
9.	सिंगापुर	2581.28
10.	स्विटजरलैण्ड	2154.72
11.	इटली	1866.65
12.	स्वीडन	1842.50
13.	हांगकांग	1208.97
14.	एनआरआई	1034.73
15.	आस्ट्रेलिया	625.32
16.	बेल्जियम	572.44
17.	न दर्शाये गये देश	567.90
18.	मलेशिया	561.31
19.	रूस	495.29
20.	डेनमार्क	450.17
21.	यू.ए.ई.	420.65
22.	कनाडा	384.70
23.	कॉमन आइलैण्ड	332.50
24.	ब्रिटिश वरजिनिया	328.15
25.	बेरमुदा	291.39
26.	थाइलैण्ड	259.24
27.	साइप्रस	204.48
28.	फिलिपिन्स	187.81
29.	आस्ट्रिया	154.12
30.	फिनलैण्ड	153.94
31.	लक्समबर्ग	146.39
32.	इजराइल	142.06
33.	बहरीन	139.78
34.	इंडोनेशिया	134.42
35.	ओमान	101.93
36.	स्पेन	101.35
37.	सऊदी अरब	75.59
38.	बहमास	75.58
39.	मोरक्को	69.97
40.	इरान	62.61
41.	नोर्वे	59.15
42.	ताइवान	52.81
43.	बंगलादेश	43.77
44.	दक्षिण अफ्रीका	42.99
45.	केनिया	42.32
46.	स्लोवेनिया	39.07
47.	आयरलैण्ड	38.09

1	2	3
48.	पैनामा	31.91
49.	कोरिया (दक्षिण)	29.53
50.	कुवैत	25.44
51.	तुनिसिया	19.84
52.	लिचटेंसटिन	19.14
53.	चेक गणराज्य	19.08
54.	श्रीलंका	18.57
55.	न्यूजीलैण्ड	14.56
56.	इस्ले ऑफ मान	11.68
57.	नाइजीरिया	11.53
58.	ग्रीस	9.56
59.	चेनल आइलैण्ड	9.27
60.	वेस्ट इंडीज	7.50
61.	डी सेंट विनसेंट	6.23
62.	लाइबेरिया	6.13
63.	पुर्तगाल	4.57
64.	चीन	4.42
65.	उक्रेन	3.58
66.	एस्टोनिया	3.41
67.	आइस लैण्ड	3.14
68.	बेलोरुसिया	3.01
69.	कयूबा	2.58
70.	ब्राजील	2.49

1	2	3
71.	अरुब	1.96
72.	भूटान	1.90
73.	पोलैण्ड	1.64
74.	मिस्त्र	1.60
75.	माल्टा	1.22
76.	युगोस्लाविया	1.13
77.	क्रोसिया	0.97
78.	मसकट	0.89
79.	नेपाल	0.85
80.	जिबराल्टर	0.78
81.	तंजानिया	0.73
82.	हंगरी	0.70
83.	बुलगारिया	0.64
84.	विरजिन आइलैण्ड	0.49
85.	जाम्बिया	0.46
86.	तुर्की	0.43
87.	वियतनाम	0.42
88.	कतर	0.40
89.	मालदीव	0.36
90.	म्यांमार	0.23
91.	पेरु	0.16
92.	ब्रिटिश इस्लेस	0.12

1	2	3
93.	स्लोवाकिया	0.11
94.	नेविस	0.10
95.	अफगानिस्तान	0.10
96.	रोमानिया	0.07
97.	तातरस्तान	0.04
98.	अर्जनटिना	0.04
99.	जोर्डन	0.04
100.	यमन	0.04
101.	सूडान	0.03
102.	सीरिया	0.02
103.	लेबनान	0.01
104.	कोलम्बिया	0.01
105.	कॉस्टा रिका	0.01
106.	मेक्सिको	0.01
107.	अंतर्वाह का अग्रिम	9869.00
108.	एनआरआई-आरबीआई योजनाएं	8426.95
109.	शेयरों का अधिग्रहण	7278.02
110.	विनियमित स्टोक	256.50
	कुल योग	133892.85

कृषि निर्यात जोन

2871. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में कृषि निर्यात जोन के रूप में घोषित किए गए क्षेत्रों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) इन जोनों हेतु कितना धन संस्वीकृत किया गया है और इस योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में और अधिक क्षेत्रों को कृषि निर्यात जोन के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) 17 राज्य सरकारों द्वारा फलों, सब्जियों एवं अन्य मदों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना हेतु प्रस्तुत 30 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

(निवेश करोड़ रु. में

राज्य	क्षेत्र	निवेश	
		अनुमानित	वास्तविक
1	2	3	
प. बंगाल	दार्जीलिंग, जलपाइगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार, हावड़ा मुर्शिदाबाद मालदा, 24 परगना (उ.) तथा 24 परगना (द), हुगली, वर्धमान, मिदनापुर (प), उदयनारायणपुर, नादिया	355.31	59.30

1	2	3	
कर्नाटक	तमकुर, बंगलौर शहरी, बंगलौर ग्रामीण, हासन, कोलार, चित्रदुर्ग, धारवाड़ व बंगालकोट, कोडागु तथा बेलगाम, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी, शिमोगा, चिकमंगलूर	52.23	15.19
उत्तरांचल	उधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, पंतनगर, उत्तरकाशी, हरिद्वार, चमौली, पिथौरागढ़	47.60	3.91
पंजाब	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, लुधियान, रोपड़ सिंहपुरा, जिरकपुर, पटियाला, रामपुरा फुल, मुक्तसर, जालंधर, लुधियाना तथा गुरुदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर तथा नवांशहर स्थिति सेटेलाइट केन्द्र	60.48	43.57
उत्तर प्रदेश	आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, जनपद बदायूं, रामपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहरद, ज्योतिफुले नगर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, जे.बी. फुले नगर, गाजियाबाद	130.99	25.89
महाराष्ट्र	नासिक, सांगली, शोलापुर, सतारा, अहमद नगर, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे, औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर, लातूर, पुणे, कोल्हापुर, जलगांव, उस्मानाबाद, धुले, नंदुरबार, बुल्ढ़ाना, परभानी, हिंडोली, नांदेड़, वर्धा, नागपुर, अमरावती	161.98	134.14
आंध्र प्रदेश	चित्तूर, रंगारेड्डी, मेडक, महबूबनगर, कृष्णा, करीम नगर, वारंगल, अनंतपुर, नालगौंडा, गुंटूर	172.51	57.95
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कूपवाड़ा, कठुआ, पुलवामा बडगाम, डोडा, पुंछ, उधमपुर, राजौरी	122.28	16.58
त्रिपुरा	कुमारघाट, मनु, मेलाघर, माताबारी तथा ककराबान ब्लॉक्स	15.66	7.62
मध्य प्रदेश	मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, खंडवा, गुना, राजगढ़, सिहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, भोपाल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, जेपीएस जमगाबाद, बैतूल	196.45	31.66
तमिलनाडु	धरमपुरी, मदुरई, नीलगिरी, थेनी, डिंडिगुल, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली, कुड्डालोर, तंजावुर, पुद्दुकोट्टाई तथा शिवगंगा	75.68	21.82
बिहार	मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजिपुर, वैशाली, पूर्व तथा पश्चिमी चंपारण, भागलपुर बेगुसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, सारण तथा गोपालगंज	12.13	22.10
गुजरात	अहमदाबाद, खैड़ा, आनंद, वड़ोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, नर्मदा भावनगर, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, अमरेली	78.8	5.94

1	2	3	
सिक्किम	उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम सिक्किम	56.92	1.15
हिमाचल प्रदेश	शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चंबा तथा किन्नौर	57.07	0.00
उड़ीसा	कंधामल,	6.03	0.00
झारखंड	रांची, हजारीबाग तथा लोहरदगा	7.09	0.00
केरल	त्रिशूर, एर्नाकूलम, कोट्टायम, अलापुझा, पत्तनमथिट्टा, कोल्लम, तिरुअनंतपुरम, इडुक्की तथा पल्लकाड, वायनाड, मल्लापुरम	56.11	3.10
असम	कामरूप, नलवारी, बरपेटा, दरांग, नागौन, मोरीगांव, करबी, आंगलांग, उत्तर कछार	17.53	0.00
राजस्थान	कोटा, बूंदी, बारन, झालवाड़ चित्तौड़, नागौर, बाड़मेड़ जालौर, पाली, जोधपुर	41.00	0.00
	कुल	1723.85	449.92

[अनुवाद]

बोडो भाषा

2872. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी कार्यों के लिए बोडो भाषा के प्रयोग को आसान बनाने हेतु पहल की है क्योंकि इस भाषा को वर्ष 2003 में संसदीय अधिनियम द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में पहले ही शामिल लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 345 में किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार करने संबंधी प्रावधान है।

(ख) और (ग) प्रश्न (क) के भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत भाषा

2873. **श्री रूपचन्द मुर्मू :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विद्यालयों में उक्त भाषा को पढ़ाना शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा VI से VIII तक संस्कृत एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। कक्षा IX और X में जहां विद्यार्थियों को दो भाषाएं पढ़नी होती है, वहां उनके पास संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में से संस्कृत को चुनने का विकल्प होता है। इन कक्षाओं में संस्कृत अतिरिक्त विषय, अर्थात तृतीय भाषा के रूप में भी ली जा सकती है। उपर्युक्त सभी कक्षाओं में संस्कृत, पढ़ाने हेतु शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कक्षा XI और XII के विद्यार्थी संस्कृत को एक अनिवार्य भाषा विषय अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में ले सकते हैं। यदि एक कक्षा में 20 या इससे अधिक विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हों तो उन्हें संस्कृत पढ़ाने का कार्य अंश-कालिक/संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षक को सौंपा जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्तरी बंगाल को शामिल करना

2874. श्री सुनील खां :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सूची में उत्तरी बंगाल के 6 जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग और वाणिज्य संघ (एफ आई एन ई आर) ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को पश्चिमी बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आधुनिक और पारम्परिक शिक्षा

2875. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आधुनिक और पारम्परिक शिक्षा के बीच सामंजस्य बैठाने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरम फातमी) : (क) से (घ) वर्ष 1992 में यथासंशोधित तथा राष्ट्रीय जनमत पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में एक व्यापक संरचना विहित की गई है जो शिक्षा के विकास का समग्र मार्गदर्शन करती है। यह आज भी प्रासंगिक है तथा समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इस नीति में अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिवेश, उत्पादन एवं प्रबंध प्रक्रियाओं में परिवर्तनों ज्ञान के त्वरित विस्तार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेष प्रगति के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली खासकर तकनीकी और प्रबंध शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता को परिकल्पना है।

नीति में प्रावधान है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली तथा देश की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं के बीच मौजूद अंतराल को दूर करने की जरूरत है। आधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़ाव का यह मतलब नहीं होना चाहिए की वह हमारी नई पीढ़ियों को भारत के इतिहास और संस्कृत की जड़ों से काट दे। किसी भी कीमत पर विसंस्कृतीकरण, विमानवीकरण तथा परायपन से बचा जाना चाहिए। शिक्षा परिवर्तनोन्मुख प्रौद्योगिकी तथा देश की सांस्कृतिक विरासत के सातत्य के बीच स्पृहणीय संश्लेषण ला सकती है तथा इसे अवश्य ही यह कार्य करना चाहिए।

शिक्षा की पाठ्यचर्याएं एवं प्रक्रियाएं यथासंभव अधिकतम अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक अन्तर्वस्तु से समृद्ध होगी। सुंदरता, सामंजस्य और परिष्करण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में बच्चों को समर्थ बनाया जाएगा। समुदाय के विशेषज्ञों, उनकी औपचारिक शैक्षिक योग्यता चाहे जो भी हो, को संप्रेषण की लिखित एवं वाचिक दोनों ही परंपराओं का प्रयोग करते हुए शिक्षा की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए परंपरागत विधियों से शिष्यों को शिक्षा देने वाले पुराने गुरूओं की भूमिका को समर्थन एवं मान्यता दी जाएगी।

विश्वविद्यालय प्रणाली तथा कला, पुरातत्व, प्राच्य अध्ययन आदि की उच्च अध्ययन संस्थाओं के बीच सहलग्नता स्थापित की जाएगी। ललित कला, संग्रहालय विज्ञान, लोक गाथा आदि जैसे विशेषतापूर्ण विषयों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा। इन विषयों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि इनमें विशेषज्ञतापूर्ण जनशक्ति फिर से पूर्णतया सृजित की जा सके।

चूंकि शैक्षिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों से समय-समय पर परामर्श करते हुए निरंतर प्रयास किए गए हैं तथा नीति के कार्यान्वयन पक्षों में उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्धित पहुंच एवं समता, गुणवत्ता, प्रासंगिकता, शिक्षा की अन्तर्वस्तु एवं प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, दूरस्थ विधि से असेवित एवं कम सेवित वर्गो एवं क्षेत्रों तक पहुंचना तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समावेशन आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिक्षा के सभी स्तरों पर समुचित ढंग से ध्यान दिया गया है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में झुग्गियों को गिराना

2876. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ समयपूर्व उन लोगों की झुग्गियां गिरा दी थी जो इस प्रयोजनार्थ बनायी गई योजना के अनुसार वैकल्पिक आवासीय इकाइयों के आवंटन के हकदार है;

(ख) यदि हां, तो कॉलोनी का नाम और स्थान, पात्र व्यक्तियों की संख्या और उन्हें वैकल्पिक आवासीय इकाई दिए बिना बेघर करने के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब उनका पुनर्वास करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) चंडीगढ़ प्रशासन ने पलसोरा कालोनी सं. 2, सेक्टर 55-56 तथा शहीद भगत सिंह कालोनी, सेक्टर 49 चंडीगढ़ में लगभग 2280 झुग्गियों को गिरा दिया था जिनमें से 1056 व्यक्तियों का पुनर्वास स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पहले से सेक्टर 56 में पुनर्वास किया जा चुका है। बाकी व्यक्तियों का पुनर्वास करने का कार्य भी चल रहा है और जैसे ही चंडीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा आवासों के पुनर्निमाण का कार्य पूरा कर लिया जाता है, इन बाकी व्यक्तियों का पुनर्वास भी कर दिया जायेगा। झुग्गियां इसलिए गिराई गई थीं, क्योंकित अतिक्रमण की गई भूमि सोसायटीयों को आवंटित की जानी थी जिसके लिए उनके सदस्य लम्बे समय से संघर्ष कर रहे थे। गिराई गई कुछ झुग्गियों को पुनर्वास स्कीम में भी शामिल किया गया।

अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती संबंधी अर्हता

2877. श्री मदन लाल शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-सैनिक बलों में नौकरी हेतु न्यूनतम अर्हता मैट्रिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जम्मू के अंडर मैट्रिक आवेदकों के लिए अर्ध-सैनिक बलों में नौकरी हेतु न्यूनतम आयु सीमा को घटाने पर विचार कर रही है जैसाकि कुछ अन्य क्षेत्रों के संबंध में किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

चीन को निर्यात

2878. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन को भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से लौह अयस्क, लौह चून, कोयले की राख तथा इस्पात जैसी चार आधारभूत मदें शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन प्राथमिक जिंसों के मूल्य संवर्द्धन सहित निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में चीनी आयात में मोबाइल कम्यूनिकेशन गेजेट, रेडियो, टेलीफोन हैण्डसेट तथा डीवीडी/वीसीडी प्लेयर आदि जैसी मूल्य संवर्धित वस्तुएं शामिल हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चीनी आयातों से भारतीय उद्योग को संरक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (घ) भारत से चीन को होने वाले निर्यात की प्रमुख मदें अनेक प्रकार की हैं और इनमें अन्य के साथ साथ लौह अयस्क, प्राथमिक एवं अर्द्ध-प्रसंस्कृत लोहा एवं इस्पात शामिल हैं तथा मूल्यवर्द्धित मदों में प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज एवं रसायन, औषधि एवं भेषज तथा समुद्री उत्पाद आदि शामिल हैं।

(ङ) से (च) चीन से भारत में होने वाले आयातों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कार्बनिक रसायन, भेषजीय उत्पाद आदि शामिल हैं। जहां तक चीन से होने वाले आयातों से भारतीय उद्योग की सुरक्षा हेतु किए गए उपायों का संबंध है, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा क्षति की मौजूदगी के निर्धारण हेतु घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के आधार पर जांच शुरू की जाती है और जहां उचित होता है ऐसे आयातों पर वसूल किए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अपने जांच परिणाम वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय हाकी को लोकप्रिय बनाना

2879. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खेल हाकी को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता महसूस करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय हाकी को ग्लैमरयुक्त बनाने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) हाकी के खेल का संवर्धन, जिसमें इस खेल को लोकप्रिय और ग्लैमरयुक्त बनाने के लिए कदम उठाना शामिल है, भारतीय हाकी परिसंघ (आई.एच.एफ.) की जिम्मेदारी है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वयत्तशासी समिति है। भारतीय हाकी परिसंघ से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस खेल को आधारभूत स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए वह सब-जूनियर और जूनियर को नेशनल्स स्तर पर आयोजित कर रहा है।

सरकार इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं - विदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण और सहभागिता, भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तरों पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, विदेशी और भारतीय कोचों के तहत राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा उपस्करों को मुहैया करा कर एवं अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करके राष्ट्रीय खेल परिसंघों सहित भारतीय हाकी परिसंघ के प्रयासों को बढ़ावा देती है। सरकार "सिंथेटिक खेल परतें बिछाने के लिए अनुदानों की योजना" के अंतर्गत वर्ष 2004-05 तक सिंथेटिक खेल परतें बिछाने के लिए स्वीकार्य वित्तीय सहायता भी देती रही है।

(ग) भारतीय हाकी परिसंघ ने देश में प्रीमियर हाकी लीग की शुरूआत की है जिसमें अनेक देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं।

निर्यात कारोबार लागत

2880. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों से 19% से लेकर 21% तक कारोबार लागत वसूली जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लागत को वसूलने से पहले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में तुलनात्मक अध्ययन कराया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष के दौरान निर्यात में कोई वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्यात क्षेत्र में स्थानीय रोजगार अवसर सृजित करने और प्रशिक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) सौदा लागतें कठोर नियम एवं विनियम, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, अवसंरचनात्मक कमियों आदि से परिकलित होती है। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ द्वारा किए गए एक विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारतीय निर्यातकों द्वारा वहन की गई सौदा लागतें और लागत खामियां 19-22% के बीच रही है। अन्य देशों में विद्यमान सौदा लागत की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) जी हां। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2003- फरवरी, 2004 की तुलना में अप्रैल 2004- फरवरी 2005 में निर्यातों में 27.03% की वृद्धि हुई है।

(च) अगले पांच वर्षों में विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा दोगुना हो जाने से अधिक उत्पादन तथा निर्यातों के कारण स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सरकार तथा निजी क्षेत्र, दोनों द्वारा निर्यातों के लिए विशेषीकृत मानव संसाधनों में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सुनामी

2881. **श्री डी. विट्टल राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार को सुनामी के शिकार लोगों के लिए गुमशुदा लोगों को मृत बनाने की अवधि को 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय को राष्ट्रीय महिला आयोग से ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिली है। तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मामले में, जहां लापता लोगों की संख्या बहुत अधिक बताई गई है, मृत्यु के मामलों के साथ नजदीकी संबंधियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुग्रहपूर्वक राशि के भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

दि.वि.प्रा. द्वारा व्यावसायिक भूमि का आवंटन

2882. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में पैलेटों पब्लिक स्कूल, पटपड़गंज,, दिल्ली के सामने आई.पी. एक्सटेंशन स्थित अपनी प्राइम व्यावसायिक भूमि को समितियों के कल्याण संघ को आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कल्याण महासंघ, जो आई.पी. एक्सटेंशन के मात्र व्यापारियों तथा कुछ समितियों के अध्यक्ष और सचिव द्वारा नियंत्रित होता है, के जरिए कौन से सामाजिक प्रयोजनों का समाधान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या दि.वि.प्रा. ने इस भूमि को कल्याण महासंघ को आवंटित करने में सभी संस्थापित मानदंडों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि ओसीएफ पॉकेट (संस्थागत भूमि) में इन्द्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास समिति को आवंटन किया गया था।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि इसका प्रयोजन, सहकारी आवास से संबंधित तकनीकी, वित्तीय और व्यवहारिक समस्याओं से निपटने के लिए साझा मंच मुहैया करना और इन समस्याओं को हल करने के लिए विधियां और साधन तलाशना और क्षेत्र के निवासियों और समितियों के सदस्यों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, समुदाय कार्यकलाप आयोजित करना है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया हे कि आबंटन मानदंडों के अनुसार किया गया था।

[हिन्दी]

बाजारों का निर्माण

2883. श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री हरिशचंद्र चव्हाण :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भूमि पर बाजार बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इन बाजारों से कितना मासिक किराया प्राप्त होता है;

(घ) क्या सरकार मंत्रालय की खाली पड़ी भूमि पर और बाजारों का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संपदा निदेशालय मौजूदा 45 बाजारों से लगभग 13.25 लाख रुपए (तेरह लाख पच्चीस हजार रुपए) प्रति माह एकत्र करता है।

(घ) और (ङ) नए बाजारों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत-भूटान व्यापार

2884. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूटान के साथ उद्योग/व्यापार संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूटान को प्रतिवर्ष कुल कितना प्रतिशत भारत से निर्यात होता है;

(घ) भारत में भूटान से कितना प्रतिशत आयात होता है; और

(ङ) उक्त समझौतों के परिणामस्वरूप भारत द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच 1995 में हस्ताक्षरित व्यापार और वाणिज्य संबंधी करार में भारत और भूटान के बीच व्यापार और पारगमन को शासित करने वाला आधारभूत ढांचा निर्धारित किया गया है। एक नए करार को अन्तिम रूप देने तक 2 मार्च, 2005 से इस करार का इसकी मौजूदा संरचना में नवीनीकरण किया गया है। नए करार पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श शीघ्र शुरू होने की आशा है।

(ग) और (घ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(भारतीय करोड़ रुपए में)

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005 (अप्रैल से नवम्बर)
भूटान को हुए भारत के निर्यात	36.24	188.96	399.08	237.08
भूटान से हुए भारत को आयात	114.09	155.61	240.66	163.27
भारत के कुल निर्यात में भूटान का % हिस्सा	0.02	0.07	0.14	0.11
भारत के कुल आयात में भूटान का % हिस्सा	0.05	0.05	0.07	0.05

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(ङ) भारत और भूटान के बीच व्यापार भारतीय रुपयों और भूटानी गुलट्रमों में किया जाता है, जो समतुल्य है।

[अनुवाद]

जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य

2885. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी योजनाओं विशेषकर महिला साक्षरता पर केन्द्रित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय आबादी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित 5 अलग-अलग योजनाएं चला रहा है। ये योजनाएं हैं:

(1) जनजातीय लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना

(3) अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(4) कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

(5) जनजातीय अनुसंधान केन्द्रों को अनुदान

इन योजनाओं में पूर्व में ही राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। फिर भी, क्र.सं. (4) पर उल्लिखित योजना को छोड़कर सभी योजनाओं में योजनावार (भौतिक एवं वित्तीय दोनों) लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में अंतर का कारण राज्यों से 50 प्रतिशत मैचिंग शेयर न प्राप्त होना, अपर्याप्त प्रस्ताव, अपूर्ण ब्यौरे तथा राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना आदि है।

(घ) विभिन्न मंचों के माध्यम से राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे सभी तरह से पूर्ण प्रस्ताव भेजें ताकि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पांच में से तीन योजनाएं पहले से ही महिला शिक्षा पर समान रूप से ध्यान और बल दे रही हैं। महिला-साक्षरता दर को सुधारने के लिए "कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर" नामक केन्द्र द्वारा वित्तपोषित एक अलग योजना भी है।

विवरण

वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना का नाम	2001-2002		2002-03		2003-04	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनुसूचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण	20.50	15.57	24.00	13.50	24.00	18.15
2.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	12.50	9.98	14.00	9.50	14.00	6.47
3.	अनुसचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	63.00	66.78	67.50	52.97	55.50	66.41
4.	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	1.20	0.22	0.95	0.25	0.95	शून्य
5.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को अनुदान	3.50	2.53	3.50	2.22	3.50	2.51
	वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां						
1.	अनुसचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण	120	111	101 छात्रावास	178* छात्रावास	101 छात्रावास	49 छात्रावास
2.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थानपना	60	106	46 स्कूल	135* स्कूल	46 स्कूल	49 स्कूल
3.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	निर्धारित नहीं	603060	640000 छात्र	575815 छात्र	690000 छात्र	751761 छात्र
4.	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	निर्धारित नहीं	535 छात्र	निर्धारित नहीं	1438 छात्र	निर्धारित नहीं	शून्य
5.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को अनुदान	105 (ज.अ.स.)	10 (ज.अ.स.)	15 (ज.अ.स.)	12 (ज.अ.स.)	15 (ज.अ.स.)	12 (ज.अ.स.)

* सहायता अनुदान किस्तों में निर्मुक्त किया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली मास्टर प्लान-2021

2886. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 की रूपरेखा तैयार करते समय दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन से परामर्श नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था और इसे कौन से मुख्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं; और

(घ) वर्तमान में इस आयोग के पदने अधिकारियों के नाम क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का प्रारूप संबंधित क्षेत्र, स्थानीय निकायों, व्यावसायिक संगठनों इत्यादि के विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को व्यक्तियों, सरकारी निकायों/गैर-सरकारी संगठनों तथा सभी संबंधितों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 का प्रारूप अधिसूचित करने की अनुमति दे दी है।

(ग) दिल्ली नगर कला आयोग का गठन दिल्ली नगर आयोग के अधिनियम, 1973 के अंतर्गत 1.5.1974 को किया गया था, जिसका उद्देश्य दिल्ली के भीतरी शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन की सौंदर्यपरकता को संरक्षित, विकसित तथा बनाए रखना है।

(घ) आयोग में इस समय पदेन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है:—

(i) श्री बी.एस. लाली, अध्यक्ष, अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

(ii) श्री पी.के. प्रधान, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात

2887. श्री अधीर चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित विकासशील एशियाई देशों को प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन से इलैक्टॉनिक और इलैक्ट्रिकल अपशिष्ट का अवैध निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की निर्यातक फर्मों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पूर्णतः अवहेलना की जाती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ङ) निर्यात और आयात मद आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2004-2009 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत में खतरनाक अपशिष्ट के आयात खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) संशोधन नियमावली, 2003 के प्रावधानों के अध्यधीन किए जाएंगे।

इलेक्टॉनिक स्क्रैप समय-समय पर यथासंशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली, 1989 की अनुसूची-3 की सूची क और सूची ख में शामिल हैं। इसलिए अपशिष्ट के आयात के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता होती है। आज तक मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है।

ए.आई.यू. द्वारा फीस लिए जाने हेतु योजनाओं का बनाया जाना

2888. श्री सीता राम यादव :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में फीस लिए जाने हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने देश में विश्वविद्यालयों और

अन्य संस्थाओं द्वारा समान फीस लिए जाने हेतु कोई योजना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे निकट भविष्य में कब तक तैयार किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 10-11 जनवरी 2005 को बंगलौर में आयोजित सम्मेलन में राज्यों के उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रियों द्वारा निजी स्व-वित्तपोषित संस्थाओं में प्रवेश तथा शुल्क ढांचे के विनियमन हेतु केंद्रीय विधान की आवश्यकता पर व्यापक सहमति व्यक्त की गई। संबंधित विभागों द्वारा पुनरीक्षण हेतु एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे बाद में पणधारियों और सभी राज्य सरकारों को व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में होने वाले मनमानेपन तथा कदाचार को समाप्त करने संबंधी उनका मत जानने के लिए परिचालित किया जाएगा। इसके अलावा, उच्च शिक्षा के वित्तपोषण विषय पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

2889. श्री राजेश वर्मा :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनवाड़ी केन्द्रों के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) क्या इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कोई नए/अतिरिक्त कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आंगनवाड़ी में कितने पूर्ण कालिक कर्मचारी हैं और गत पांच वर्षों के दौरान इसमें राज्यवार कितने कर्मचारी जुड़े हैं;

(ङ) वर्तमान में राज्यवार कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं;

(च) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का मानदंड क्या है;

(छ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) आंगनवाड़ी केन्द्र समेकित बाल विकास सेवा स्कीम की सभी सेवाएं प्रदान करने वाले केन्द्र बिन्दु हैं। इस स्कीम की समेकित सेवाओं में पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ सेवाएं, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं।

(ख) और (ग) आई.सी.डी.एस. सेवाओं के अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना का पोषण घटक तथा योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002-03 में 51 जिलों में अल्प-पोषित किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने हेतु आरम्भ की गयी प्रायोगिक परियोजना भी इन्हीं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक परिचालित आंगनवाड़ी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा एक सहायिका द्वारा चलायी जाती है। ये कार्यकर्त्रियां स्थानीय समुदाय से आने वाली अवैतनिक कार्यकर्त्री होती हैं, जिन्हें निर्धारित मानदेय की प्रति माह भुगतान किया जाता है। यह मानदेय समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत/परिचालित की गयी आंगनवाड़ियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(च) इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री स्थानीय समुदाय/गांव की एक युवती (18-44 वर्ष की आयु वर्ग की) होनी चाहिए। तथापि, राज्य सरकारें इन कार्यकर्त्रियों की आयु, योग्यता आदि के विषय में उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम हैं।

(छ) और (ज) कुछ राज्यों में, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये सभी आंगनवाड़ी केन्द्र परिचालित नहीं किये गये हैं। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी स्वीकृत आंगनवाड़ियों को यथाशीघ्र आरम्भ करने का अनुरोध किया जाता रहा हैं निरन्तर अनुरोध किये जाने के परिणाम-स्वरूप परिचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 31.5.2003 को 545714 से बढ़कर 31.3.2004 को 600391 तथा 31.12.2004 को 698672 हो गयी है, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत एवं परिचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या									
		31.3.2001 तक की स्थिति		31.3.2002 तक की स्थिति		31.3.2003 तक की स्थिति		31.3.2004 तक की स्थिति		31.12.2004 तक की स्थिति	
		स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	36668	32215	37297	36140	53700	52419	54312	53564	54312	53713
2.	अरुणाचल प्रदेश	2621	1214	2621	1637	2326	1319	2359	2286	2359	2559
3.	असम	15647	14846	10383	13149	20152	19719	25416	25302	25416	25302
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	20058	17683	20058	17683	60813	24871	60813	32047
5.	छत्तीसगढ़	20234	19473	20289	19965	20289	20146	20289	20277	20289	20289
6.	गोवा	1216	1017	1216	1017	1216	1011	1012	1012	1012	1012
7.	गुजरात	35933	30614	37961	31131	37961	32830	37961	35441	37961	37072
8.	हरियाणा	13546	13543	13546	13545	13546	13546	13546	13546	13546	13546
9.	हिमाचल प्रदेश	7123	7123	7123	7121	7354	7314	7354	7354	7354	7354
10.	जम्मू-कश्मीर	7153	6261	10322	10049	10321	10125	11821	10227	11821	10227
11.	झारखण्ड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	16689	14549	12478	11372	23078	14967	23078	16002
12.	कर्नाटक	40170	40093	40170	40133	40301	40285	40301	40301	40301	40301
13.	केरल	19966	18895	25393	22637	25315	24289	25393	24415	25393	25187
14.	मध्य प्रदेश	37934	35052	46928	45946	47728	47229	49784	48922	49787	49328
15.	महाराष्ट्र	46042	44980	46058	44896	61866	56235	62716	58109	62716	61558
16.	मणिपुर	4181	4128	4413	4376	4413	4371	4501	4499	4501	4500
17.	मेघालय	2218	2155	2218	2165	2218	2200	2218	2217	2218	2218
18.	मिजोरम	1341	1273	1341	1283	1341	1193	1361	1341	1361	1361
19.	नागालैण्ड	2586	2556	2593	2569	2595	2575	2770	2770	2770	2770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	उड़ीसा	28612	26357	31855	29611	31855	31209	34201	34201	34201	34201
21.	पंजाब	14821	12785	15829	13540	15829	14017	15829	14016	14730	14730
22.	राजस्थान	27233	26477	35710	34723	35710	35457	35821	35686	35821	35821
23.	सिक्किम	499	472	500	494	500	492	500	500	500	500
24.	तमिलनाडु	44278	31618	45136	31712	42279	31713	42377	30059	42677	42677
25.	त्रिपुरा	3537	3493	3537	3499	3692	3553	3786	3692	3874	3768
26.	उत्तर प्रदेश	61992	53141	64282	54402	64570	56871	103104	75005	106059	94680
27.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4243	3811	4243	3971	6378	5924	6658	6399
28.	पश्चिम बंगाल	47225	40543	47863	38407	56544	51700	57540	53354	57540	54203
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	527	425	527	429	527	429	527	429	527	429
30.	चण्डीगढ़	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
31.	दिल्ली	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3902	3842	3902	3842
32.	दादर व नगर हवेली	125	125	125	125	138	138	138	138	138	138
33.	दमन व दीव	87	77	87	77	87	87	87	87	87	87
34.	लक्षद्वीप	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
35.	पाण्डिचेरी	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677
	अखिल भारत	528408	475844	601206	545714	646045	600391	752246	649405	754773	698672

महिला साक्षरता और रोजगार

2890. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में महिला साक्षरता और रोजगार की राज्यवार तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में साक्षर महिलाओं की बढ़ी संख्या हेतु और रोजगार के अवसर खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पात्र वर्ग की विकास आवश्यकता हेतु कर्नाटक और देश के अन्य भागों में महिला विकास नियम गठित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय द्वारा रखे जाने वाले जनगणना संबंधी आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता की राज्य-वार दर्शाने वाला तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न-। में दिया गया है। महिलाओं

के रोजगार की स्थिति दर्शाने वाला इसी प्रकार का एक और ब्यौरा संलग्न-II में दिया गया है।

(ख) प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप), स्वावलम्बन, स्व-शक्ति, स्वयंसिद्धा तथा राष्ट्रीय महिला कोष जैसी महिला एवं बाल विकास विभाग की स्कीमों के अंतर्गत स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए आय-अर्जक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

(ग) और (घ) महिला विकास निगमों की स्थापना का कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने महिला विकास निगमों की स्थापना की है।

विवरण-I

2001 में साक्षरता दर (पुरुष) के घटते क्रम में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र''

2001 में रैंक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र''	साक्षरता दर 2001	साक्षरता दर 1991	1991 में रैंक
1	2	3	4	5
	भारत[1 2]	75.3	64.1	
1.	केरल	94.2	93.6	1
2.	लक्षद्वीप#	92.5	90.2	2
3.	मिजोरम	90.7	85.6	3
4.	पाण्डिचेरी#	88.6	83.7	4
5.	गोवा	88.4	83.6	5
6.	दिल्ली#	87.3	82.0	8
7.	दमन और दीव#	86.8	82.7	6
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह#	86.3	79.0	9
9.	चण्डीगढ़#	86.1	82.0	7
10.	महाराष्ट्र	86.0	76.6	10
11.	हिमाचल प्रदेश	85.3	75.4	11
12.	उत्तरांचल	83.3	72.9	14
13.	तमिलनाडु	82.4	73.7	12
14.	त्रिपुरा	81.0	70.6	16
15.	मणिपुर[2]	80.3	71.6	15
16.	गुजरात	79.7	73.1	13
17.	हरियाणा	78.5	69.1	17
18.	छत्तीसगढ़	77.4	68.1	26
19.	पश्चिम बंगाल	77.0	67.8	18
20.	कर्नाटक	76.1	67.3	20
21.	मध्य प्रदेश	76.1	58.5	25
22.	सिक्किम	76.0	65.7	21
23.	राजस्थान	75.7	55.0	29
24.	उड़ीसा	75.3	63.1	23
25.	पंजाब	75.2	65.7	22
26.	असम	71.3	61.9	24
27.	दादर और नागर हवेली#	71.2	53.6	31
28.	नागालैण्ड	71.2	67.6	19
29.	आन्ध्र प्रदेश	70.3	55.1	28
30.	उत्तर प्रदेश	68.8	54.8	30
31.	झारखण्ड	67.3	55.8	27
—	जम्मू-कश्मीर[1]	66.6	उपलब्ध नहीं	—
32.	मेघालय	65.4	53.1	32

1	2	3	4	5
33.	अरुणाचल प्रदेश	63.8	51.5	33
34.	बिहार	59.7	51.4	34

1. जम्मू और कश्मीर की रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस राज्य के 1991 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

2. मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओ मारम और पुरुल उपखडों के 2001 के आंकड़े शामिल नहीं है।

विवरण-I

2001 में साक्षरता (स्त्री) दर के घटते क्रम में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र''

2001 में रैंक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र''	साक्षरता दर		1991 में रैंक
		2001	1991	1991
1	2	3	4	5
	भारत[1,2]	53.7	39.3	
1.	मिजोरम	87.7	86.2	1
2.	मिजोरम	86.7	78.6	2
3.	लक्षद्वीप#	80.5	72.9	3
4.	चण्डीगढ़#	76.5	72.3	4
5.	गोवा	75.4	67.1	5
6.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह#	75.2	65.5	8
7.	दिल्ली#	74.7	67.0	6
8.	पाण्डिचेरी#	73.9	65.6	7
9.	हिमाचल प्रदेश	67.4	52.1	12
10.	महाराष्ट्र	67.0	52.3	11
11.	दमन और दीव#	65.6	59.4	9
12.	त्रिपुरा	64.9	49.6	15
13.	तमिलनाडु	64.4	51.3	13
14.	पंजाब	63.4	50.4	14
15.	नागालैण्ड	61.5	54.7	10
16.	मणिपुर#	60.5	47.6	17
17.	सिक्किम	60.4	46.8	18
18.	उत्तरांचल	59.6	41.7	23
19.	पश्चिम बंगाल	59.6	46.6	19
20.	मेघालय	59.6	44.9	20
21.	गुजरात	57.8	48.6	16
22.	कर्नाटक	56.9	44.3	21
23.	हरियाणा	55.7	40.5	24
24.	असम	54.6	43.0	22
25.	छत्तीसगढ़	51.9	27.5	29
26.	उड़ीसा	50.5	34.7	25
27.	आन्ध्र प्रदेश	50.4	32.7	26
28.	मध्य प्रदेश	50.3	29.4	28
29.	राजस्थान	43.9	20.4	34
30.	अरुणाचल प्रदेश	43.5	29.7	27
—	जम्मू-कश्मीर	43.0	उपलब्ध नहीं	—
31.	उत्तर प्रदेश	42.2	24.4	32
32.	दादर और नागर हवेली''	40.2	27.0	30
33.	झारखण्ड	38.9	25.5	31
34.	बिहार	33.1	22.0	33

1. जम्मू और कश्मीर को रैकिंग में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस राज्य के 1991 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

2. मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओ मारम और पुरुल उपखडों के 2001 के आंकड़े शामिल नहीं है।

विवरण-II

भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल जनसंख्या, कार्यकर्ताओं (मुख्य एवं उपांतिक) की कुल संख्या

स्थान कोड संख्या	भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल/ शहरी/ ग्रामीण	कुल जनसंख्या (संस्थागत तथा बेघर जनसंख्या सहित)			कुल कार्यकर्त्ता			मुख्य कार्यकर्त्ता			उपान्तिक कार्यकर्त्ता		
			जन.	पु.	स्त्री.	जन.	पु.	स्त्री.	जन.	पु.	स्त्री.	जन.	पु.	स्त्री.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	भारत	**कुल**	**1028610328**	**532156772**	**496453556**	**402234724**	**275014476**	**127220248**	**313004983**	**240147813**	**72857170**	**89229741**	**34866663**	**54363078**
		शहरी	**742490639**	**381602674**	**360887965**	**309956070**	**198839153**	**111116917**	**229186552**	**169101251**	**60085301**	**80769518**	**29737902**	**51031616**
		ग्रामीण	**286119689**	**150554098**	**135565591**	**92278654**	**76175323**	**16103331**	**83818431**	**71046562**	**12771869**	**8460223**	**5128761**	**3331462**
1.	जम्मू-कश्मीर	कुल	10143700	5360926	4782774	3753815	2679941	1073874	2608668	2226958	381710	1145147	452983	692164
		शहरी	7627062	3977652	3649410	2924686	1968549	956137	1862629	1559977	302652	1062057	408572	653485
		ग्रामीण	2516638	1383274	1133364	829129	711392	117737	746039	666981	79058	83090	44411	38679
2.	हिमाचल प्रदेश	कुल	6077900	3087940	2989960	2992461	1686658	1305803	1963882	1333361	630521	1028579	353297	675282
		शहरी	5482319	2756073	2726246	2772351	1506711	1265640	1758872	1162619	596253	1013479	344092	669387
		ग्रामीण	595581	331867	263714	220110	179947	40163	205010	170742	34268	15100	9205	5895
3.	पंजाब	कुल	24358999	12985045	11373954	9127474	6960213	2167261	7835732	6426028	1409704	1291742	534185	757557
		शहरी	16096488	8516596	7579892	6360351	4589049	1771302	5248225	4161003	1087222	1112126	428046	684080
		ग्रामीण	8262511	4468449	3794062	2767123	2371164	395959	2587507	2265025	322482	179616	106139	73477
4.	चण्डीगढ़	कुल	900635	506938	393697	340422	284419	56003	328989	277050	51939	11433	7369	4064
		शहरी	92120	56816	35304	40203	36293	3910	38168	34934	3234	2035	1359	676
		ग्रामीण	808515	450122	358393	300219	248126	52093	290821	242116	48705	9398	6010	3388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	उत्तरांचल	कुल	8489349	4325924	4163425	3134036	1996177	1137859	2322347	1639242	683105	811689	356935	454754
		शहरी	6310275	3144590	3165685	2498842	1436711	1062131	1745562	1123925	621637	753280	312786	440494
		ग्रामीण	2179074	1181334	997740	635194	559466	75728	576785	515317	61468	58409	44149	14260
6.	हरियाणा	कुल	21144564	11363953	9780611	8377466	5715526	2661940	6241324	4933004	1308320	2136142	782522	1353620
		शहरी	15029260	8052988	6976272	6451587	4085621	2365966	4519240	3425749	1093491	1932347	659872	1272475
		ग्रामीण	6115304	3310965	2804339	1925879	1629905	295974	1722084	1507255	214829	203795	122650	81145
7.	दिल्ली	कुल	13850507	7607234	6243273	4545234	3960101	585133	4317516	3794345	523171	227718	165756	61962
		शहरी	944727	522087	422640	301064	258032	43032	273677	240572	33105	27387	17460	9927
		कुल	12905780	7085147	5820633	4244170	3702069	542101	4043839	3553773	490066	200331	148296	52035
8.	राजस्थान	कुल	56507188	29420011	27087177	23766655	14695802	9070853	17436888	12841318	4595570	6329767	1854484	4475283
		शहरी	43292813	22426640	20866173	19856423	11379536	8476887	13962042	9771540	4190502	5894381	1607996	4286385
		ग्रामीण	13214375	6993371	6221004	3910232	3316266	593966	3474846	3069778	405068	435386	246488	188898
9.	उत्तर प्रदेश	कुल	166197921	87565369	78632552	53983824	40981558	13002266	39337649	34338260	4999389	14646175	6643298	8002877
		शहरी	131658339	69157470	62500869	44675952	32770685	11905267	31242754	26975069	4267685	13433198	5795616	7637582
		ग्रामीण	34539582	18407899	16131683	9307872	8210873	1096999	8094895	7363191	731704	1212977	847682	365295
10.	बिहार	कुल	82998509	43243795	39754714	27974606	20483003	7491603	21052875	17511018	3541857	6921731	2971985	3949746
		शहरी	74316709	38594996	35721713	25752569	18544822	7207747	19112829	15760425	3352404	6639740	2784397	3855343
		ग्रामीण	8681800	4648799	4033001	2222037	1938181	283856	1940046	1750593	189453	281991	187588	94403
11.	सिक्किम	कुल	540851	288484	252367	263043	165716	97327	212904	146541	66363	50139	19175	30964
		शहरी	480981	255774	225207	239002	147560	91442	190656	129679	60977	48346	17881	30465
		ग्रामीण	59870	32710	27160	24041	18156	5885	22248	16862	5386	1793	1294	499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12. अरूणाचल प्रदेश		कुल	1097968	579941	518027	482902	293612	189290	415007	267384	147623	67895	26228	41667
		शहरी	870087	454680	415407	402010	230320	171690	340027	207110	132917	61983	23210	38773
		ग्रामीण	227881	125261	102620	80892	63292	17600	74980	60274	14706	5912	3018	2894
13. नागालैण्ड		कुल	1990036	1047141	942895	847796	488968	358828	703977	424811	279166	143819	64157	79662
		शहरी	1647249	859716	787533	741439	406859	334580	608335	348972	259363	133104	57887	75217
		ग्रामीण	342787	187425	155362	106357	82109	24248	95642	75839	19803	10715	6270	4445
14. मणिपुर		कुल	2166788	1095634	1071154	945213	527216	417997	659364	430227	229137	285849	96989	188860
		शहरी	1590820	808953	781867	723087	398374	324713	494747	320432	174315	228340	77942	150398
		ग्रामीण	575968	286681	289287	222126	128842	93284	164617	109795	54822	57509	19047	38462
15. मिजोरम		कुल	888573	459109	429464	467159	263008	204151	362450	225428	137022	104709	37580	67129
		शहरी	447567	232726	214841	256044	138855	117189	201599	120662	80937	54445	18193	36252
		ग्रामीण	441006	226383	214623	211115	124153	86962	160851	104766	56085	50264	19387	30877
16. त्रिपुरा		कुल	3199203	1642225	1556978	1159561	831346	328215	912292	742054	170238	247269	89292	157977
		शहरी	2653453	1363638	1289815	982447	687482	294965	747822	606103	141719	234625	81379	153246
		ग्रामीण	545750	278587	267163	177114	143864	33250	164470	135951	28519	12644	7913	4731
17. मेघालय		कुल	2318822	1176087	1142735	970146	568491	401655	757011	485694	271317	213135	82797	130338
		शहरी	1864711	946999	917712	822531	468095	354436	626538	393364	233174	195993	74731	121262
		ग्रामीण	454111	229088	225023	147615	100396	47219	130473	92330	38143	17142	8066	9076
18. असम		कुल	26655528	13777037	12878491	9538591	6870960	2667631	7114097	5849032	1265065	2424494	1021928	1402566
		शहरी	23216288	11939945	11276343	8396769	5899204	2497565	6050639	4926395	1124244	2346130	972809	1373321
		ग्रामीण	3439240	1837092	1602148	1141822	971756	170066	1063458	922637	140821	78364	49119	29245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19. पश्चिम बंगाल		कुल	80176197	41465985	38710212	29481690	22388044	7093646	23023583	19494971	3528612	6458107	2893073	3565034
		शहरी	57748946	29616009	28132937	21889642	16019881	5869761	16106580	13551865	2554715	5783062	2468016	3315046
		ग्रामीण	22427251	11849976	10577275	7592048	6368163	1223885	6917003	5943106	973897	675045	425057	249988
20. झारखंड		कुल	26945829	13885037	13060792	10109030	6659856	3449174	6446782	5134067	1312715	3662248	1525789	2136459
		शहरी	20952088	10679596	10272492	8569591	5302143	3267448	5105341	3921518	1183823	3464250	1380625	2083625
		ग्रामीण	5993741	3205441	2788300	1539439	1357713	181726	1341441	1212549	128892	197998	145164	52834
21. उड़ीसा		कुल	36804660	18660570	18144090	14276488	9802006	4474482	9589269	8004740	1584529	4687219	1797266	2889953
		शहरी	31287422	15748970	15538452	12586969	8373695	4213274	8071999	6677417	1394582	4514970	1696278	2818692
		ग्रामीण	5517238	2911600	2605638	1689519	1428311	261208	1517270	1327323	189947	172249	100988	71261
22. छत्तीसगढ़		कुल	20833803	10474218	10359585	9679871	5531859	4148012	7054595	4742935	2311660	2625276	788924	1836352
		शहरी	16648056	8307443	8340613	8377674	4495979	3881695	5883797	3777194	2106603	2493877	718785	1775092
		ग्रामीण	4185747	2166775	2018972	1302197	1035880	266317	1170798	965741	205057	131399	70139	61260
23. मध्य प्रदेश		कुल	60348023	31443652	28904371	25793519	16194368	9599151	19102572	14056279	5046293	6690947	2138089	4552858
		शहरी	44380878	23031093	21349785	20900226	12205916	8694310	14776619	10387506	4389113	6123607	1818410	4305197
		ग्रामीण	15967145	8412559	7554585	4893293	3988452	904841	4325953	3668773	657180	567340	319679	247661
24. गुजरात		कुल	50671017	26385577	24285440	21255521	14477286	6778235	17025074	13480566	3544508	4230447	996720	3233727
		शहरी	31740767	16317771	15422996	14993312	9049438	5943874	11114041	8210091	2903950	3879271	839347	3039924
		ग्रामीण	18930250	10067806	8862444	6262209	5427848	834361	5911033	5270475	640558	351176	157373	193803
25. दमन व दीव		कुल	158204	92512	65692	72791	60569	12222	67522	58874	8648	5269	1695	3574
		शहरी	100856	63606	37250	52480	45018	7462	48455	43747	4708	4025	1271	2754
		ग्रामीण	57348	28906	28442	20311	15551	4760	19067	15127	3940	1244	424	820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	दादरा एवं नगर हवेली	कुल	220490	121666	98824	114122	75835	38287	96184	71156	25028	17938	4679	13259
		शहरी	170027	91832	78195	91542	56255	35287	75016	52037	22979	16526	4218	12308
		ग्रामीण	50463	29834	20629	22580	19580	3000	21168	19119	2049	1412	461	951
27.	महाराष्ट्र	कुल	96878627	50400596	46478031	41173351	26852095	14321256	34748053	24416295	10331758	6425298	2435800	3989498
		शहरी	55777647	28458677	27318970	27261431	15348636	11912795	21853804	13528493	8325311	5407627	1820143	3587484
		ग्रामीण	41100980	21841919	19159061	13911920	11503459	2408461	12894249	10887802	2006447	1017671	615657	402014
28.	आन्ध्र प्रदेश	कुल	76210007	38527413	37682594	34893859	21662192	13231667	29040873	19455492	9585381	5852986	2206700	3646286
		शहरी	55401067	27937204	27463863	28172888	16287101	11885787	22977594	14467183	8510411	5195294	1819918	3375376
		ग्रामीण	20808940	10590209	10218731	6720971	5375091	1345880	6063279	4988309	1074970	657692	386782	270910
29.	कर्नाटक	कुल	52850562	26898918	25951644	23534791	15235355	8299436	19364759	13896845	5467914	4170032	1338510	2831522
		शहरी	34889033	17648958	17240075	17127803	10254252	6873551	13462535	9194812	4267723	3665268	1059440	2605828
		ग्रामीण	17961529	9249960	8711569	6406988	4981103	1425885	5902224	4702033	1200191	504764	279070	225694
30.	गोवा	कुल	1347668	687248	660420	522855	375218	147637	425305	326993	98312	97550	48225	49325
		शहरी	677091	340545	336546	274452	185648	88804	204915	154069	50846	69537	31579	37958
		ग्रामीण	670577	346703	323874	248403	189570	58833	220390	172924	47466	28013	16646	11367
31.	लक्षद्वीप	कुल	60650	13131	29519	15354	13204	2150	11710	10288	1422	3644	2916	728
		शहरी	33683	17191	16492	8007	6984	1023	5895	5212	683	2112	1772	340
		ग्रामीण	26967	13940	13027	7347	6220	1127	5815	5076	739	1532	1144	388
32.	केरल	कुल	31841374	15468614	16372760	10283887	7765645	2518242	8236973	6460693	1776280	2046914	1304952	741962
		शहरी	23574449	11451282	12123167	7671110	5732387	1938723	5998150	4677067	1321083	1672960	1055320	617640
		ग्रामीण	8266925	4017332	4249593	2612777	2033258	579519	2238823	1783626	455197	373954	249632	124322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33. तमिलनाडु		कुल	62405679	31400909	31004770	27878282	18100397	9777885	23757783	16303310	7454473	4120499	1797087	2323412
		शहरी	34921681	17531494	17390187	17559768	10360726	7199042	14290543	9039189	5251354	3269225	1321537	1947688
		ग्रामीण	27483998	13869415	13614583	10318514	7739671	2578843	9467240	7264121	2203119	851274	475550	375724
34. पाण्डिचेरी		कुल	974345	486961	487384	342655	258670	83985	317367	245205	72162	25288	13465	11823
		शहरी	325726	163703	162023	127766	88986	38780	113453	82135	31318	14313	6851	7462
		ग्रामीण	648619	323258	325361	214889	169684	45205	203914	163070	40844	10975	6614	4361
35. अण्डमान		कुल	356152	192972	163180	136254	109162	27092	113607	97349	16258	22647	11813	10834
व निकोबार		शहरी	239954	128961	110993	94052	73350	20702	73454	63186	10268	20598	10164	10434
		ग्रामीण	116198	64011	52187	42202	35812	6390	40153	34163	5990	2049	1649	400

टिप्पणी' (मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मराम, पाओमाता तथा पुरूल उप-प्रभाग की जनसंख्या को छोड़कर)

दिल्ली में भूमिगत पैदल पार पथों का निर्माण

2891. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विकास हेतु आयोजना में दिल्ली के विकास हेतु कार्यरत विभिन्न अभिकरणों में समन्वय का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में हाल में निर्मित अधिकतर भूमिगत पैदल पार पथों को या तो कुछ अन्य अभिकरणों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है अथवा जनता द्वारा उनका प्रयोग नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे भूमिगत पैदल पार पथों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसे भूमिगत पैदल पार पथ के निर्माण पर कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अब दिल्ली में एस्केलेटर से सुसज्जित सब-वे उपलब्ध कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) प्रत्येक ऐसे सब वे की निर्माण लागत क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) यह सूचित किया गया है कि विकास प्रस्तावों परियोजनाओं के संबंध में समन्वयन विभिन्न अन्त: विभागीय बैठकों और समितियों के जरिए किया जाता है।

(ख) और (ग) संबंधित एजेंसियों ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उप मार्गों का ठीक उपयोग हो रहा है। तथापि एन डी एम सी ने उल्लेख किया है कि रफी मार्ग में उपमार्ग को बदलने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी एम आर सी) लि. द्वारा ढहा दिया गया है और पंडित पंत मार्ग में उपमार्ग को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने उल्लेख किया है कि गोकुलपुरी का एक मात्र उपमार्ग, फ्लाईओवर के निर्माण के कारण अनुपयोगी हो गया है।

(घ) रफी मार्ग, पंडित पंत मार्ग और गोकुलपुरी के उपमार्ग के निर्माण की अनुमानित लागत क्रमश: 150 लाख रुपए, 85 लाख रुपए और 150 लाख रुपए है।

(ङ) और (च) लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि कुछ स्थानों पर भावी उपमार्गों/फुट ओवर ब्रिजेज (एफ ओ बी) में एस्केलेटर लगाने का प्रस्ताव है।

(छ) निर्माण की लागत डिजाइन, स्थान, सड़क की चौड़ाई आदि पर निर्भर करती है और प्रत्येक मामले में अलग-अलग हो सकती है।

[हिन्दी]

माओवादी गतिविधियां

2892. **श्री मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल के माओवादी उग्रवादी मुंबई के माफिया गिरोहों से अवैध हथियारों की खरीद में संलिप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या नेपाली माओवादी उग्रवादियों ने भारत में सक्रिय नक्सली समूहों से सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं जिसके परिणाम स्वरूप नेपाली उग्रवादियों को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई हैं।

(ग) यद्यपि, बताया गया है कि माओवादी विद्रोहियों ने नक्सली ग्रुपों के साथ संपर्क स्थापित किए हैं, लेकिन नक्सली ग्रुपों द्वारा नेपाली अतिवादियों को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति किए जाने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) एस एस बी और सीमावर्ती राज्यों नामत: बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तरांचल को सलाह दी गई है कि वे भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ सतर्कता बढ़ा दें और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की गहन गश्त लगाएं ताकि भारतीय क्षेत्र में माओवादी तत्वों की घुसपैठ को रोका जा सके।

[अनुवाद]

मुंबई बम विस्फोट संबंधी मामला

2893. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई बम विस्फोट संबंधी मामले के भगोड़ों की नई सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोषियों को दण्ड देने हेतु अन्य देशों से भी इस संबंध में बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने अगस्त, 2004 में पाकिस्तान सरकार के साथ आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के बारे में हुई गृह सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान एक बार फिर उन भगोड़े अभियुक्त व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन का मामला उठाया जिनके बारे में बताया जाता है कि वे पाकिस्तान में रह रहे हैं। राजनयिक पहलों के अतिरिक्त भगोड़े अभियुक्त व्यक्तियों को घोषित अपराधी करार दिया गया है। जब भी आवश्यक हुआ है, अभियुक्तों को प्रत्यर्पित/निर्वासित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

चाय पर मूल्यवर्द्धित कर

2894. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उत्पादक राज्यों द्वारा 12.5 प्रतिशत मूल्यवर्द्धित कर अपनाने से चाय की कीमतें बढ़ जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 12.5 प्रतिशत मूल्यवर्द्धित कर लगाने से अन्य वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी लेकिन चाय की कामतें बढ़ेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. एलँगोवन) : (क) से (घ) मूल्यवर्धित कर को बिक्री के प्रत्येक चरण पर किसी उत्पाद के मूल्यवर्धन की सीमा तक ही लगाए जाने की संभावना है। अत: वैट के पश्चात चाय की कीमत में वृद्धि अथवा अन्यथा संबंधित राज्य में मौजूदा बिक्री कर ढांचे और दर तथा चाय के लिए अंतिम रूप से अपनाई गई वैट की दर पर निर्भर करेगी।

बाल न्यायालय

2895. श्री उदय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बाल अपराध से संबंधित मामलों के लिए प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में बाल न्यायालय गठित करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में बाल विकास के कल्याण हेतु नए उपायों की घोषणा करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, उपलब्ध आंकड़े 2001-2003 की अवधि के दौरान बाल अपराधों की मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाते हैं। भारतीय दण्ड संहिता तथा विशेष स्थानीय कानूनों के अंतर्गत 2001, 2002 तथा 2003 के दौरान दर्ज कुल मामलों को संख्या क्रमश: 16,509, 18,560 तथा 17,819 है। वर्ष 2004 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) हाल ही में, राष्ट्रीय बाल चार्टर अंगीकृत किया गया है। इस चार्टर के उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए संबंधित

मंत्रालयों तथा विभागों के परामर्श से एक राष्ट्रीय बाल कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें बच्चों की उत्तरजीविता, विकास एवं संरक्षण से संबंधित लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यनीतियां शामिल की जायेंगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों का विकास

2896. श्री महावीर भगौरा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय उपयोजना में सम्मिलित राज्यों को बजटीय आबंटन का मानदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार राजस्थान को महाराष्ट्र की तर्ज पर धनराशि आबंटित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की परती भूति का विकास, वनोप्पादों/जड़ी-बूटी उत्पादन का विकास और उनका संग्रहण प्रक्रिया और विपणन करके दक्षिण राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में जनजातियों के उत्थान हेतु क्या योजनाएं हैं और गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके पश्चात् इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दक्षिण राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु बड़ी धनराशि की स्वीकृति के बावजूद इन जनजातीय परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार इसकी जांच-पड़ताल और समीक्षा का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों का आबंटन विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर करता है। राज्य में जनजातीय उपयोजना निधियों के आबंटन के लिए अन्य राज्यों द्वारा महाराष्ट्र प्रतिमान अंगीकार किया गया है। राज्य में जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की निधियां जनजातीय कल्याण विभाग को दी जाती हैं, जो इन निधियों को विभिन्न संबंधित विभागों को आबंटित करता है। यह मंत्रालय सभी राज्यों से यही प्रणाली अपनाने की वकालत कर रहा है।

(घ) से (झ) राज्य सरकार में सूचना मांगी गई है और तत्पश्चात् समुचित निर्णय लिया जाएगा।

शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु धनराशि का आबंटन

2897. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान सरकार से शिक्षा प्रोत्साहन हेतु राज्यवार और वर्षवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार अभी भी कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंडियन स्टाम्प बिल, 2004

2898. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को इंडियन स्टाम्प (गुजरात एमेंडमेंट) बिल, 2004 को प्रशासनिक स्वीकृति देने हेतु प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, महोदया।

(ख) इंडियन स्टॉम्प (गुजरात एमेंडमेंट) बिल, 2004 को राज्य विधान मण्डल में पेश करने संबंधी भारत सरकार का अनुमोदन 1.2.2005 को गुजरात सरकार को सूचित कर दिया है।

राज्यों में आपदा प्रबंधन विभाग

2899. श्री हितेन बर्मन :
श्री चंद्रशेखर साहु :
श्री सुब्रत बोस :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अलग से 'आपदा प्रबंधन विभाग' नामक मंत्रालय अथवा विभाग हेतु सभी राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश अथवा अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने उक्त सलाह का अनुपालन किया है अथवा किन-किन राज्यों द्वारा इसका अनुपालन किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा उन राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है जिन्होनें अब तक सरकार की उक्त सलाह पर निर्धारित समय के अंदर कार्रवाई नहीं की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अपने-अपने राहत एवं पुनर्वास विभागों को आपदा प्रबंधन विभागों में बदलने के लिए कहा था जिसको आपदा प्रबंधन के समूचे चक्र अर्थात आपदा की रोकथाम, नियंत्रण, तैयारी, कार्रवाई, राहत एवं पुनर्वास की निगरानी करने का दायित्व सौंपा जाए।

(ग) और (घ) अंडमान और निकोबार, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तरांचल, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अपने-अपने राहत विभागों को पहले ही परिवर्तित/पुनः नामोदिष्ट कर दिया है ताकि आपदा प्रबंधन को उनकी नामावली में शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत ऋण घटक का परिवर्तन

2900. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाऊन्स (आईडीएसएमटी) से संबंधित योजना के अंतर्गत राज्यों के ऋण घटक को शतप्रतिशत अनुदान में परिवर्तित करने के संबंध में किन राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, छोटे एवं मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आई.डी.एस.एम.टी.) के तहत राज्यों को मिले ऋण घटक को शत प्रतिशत अनुदान में बदलने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण महाविद्यालय

2901. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या **मानव विकास संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में संचालित ग्रामीण महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) शहरी क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण महाविद्यालयों के विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य-वार और महाविद्यालयवार क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार देश में 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार लगभग 16000 कॉलेज हैं। जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है, इनमें से 5589 कॉलेज यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत मान्यता प्राप्त हैं और इनमें से 5273 कॉलेज इस अधिनियम की धारा 12 (बी) के तहत केंद्रीय सहायता हेतु पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि ग्रामीण/शहरी कॉलेजों के संबंध में केंद्रीकृत आधार पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, इनमें से लगभग 35% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

विवरण

31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार, यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) और 12 (बी) के तहत कालेजों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धारा के तहत कालेजों की संख्या		
		2(एफ) और 12(बी)	2(एफ)	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	400	8	408
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	0	5
3.	असम	168	3	171
4.	बिहार	293	9	302
5.	छत्तीसगढ़	139	1	140
6.	दिल्ली	76	1	77
7.	गोवा	19	3	22
8.	गुजरात	321	9	330
9.	हरियाणा	142	0	142
10.	हिमाचल प्रदेश	42	4	46
11.	जम्मू-कश्मीर	34	0	34
12.	झारखंड	81	2	83
13.	कर्नाटक	459	47	506
14.	केरल	194	6	200
15.	मध्य प्रदेश	379	43	422
16.	महाराष्ट्र	645	77	722
17.	मणिपुर	44	0	44
18.	मेघालय	15	0	15
19.	मिजोरम	8	2	10
20.	नागालैंड	8	2	10
21.	उड़ीसा	251	5	256
22.	पंजाब	210	3	213
23.	राजस्थान	185	14	199
24.	सिक्किम	3	0	3
25.	तमिलनाडु	277	13	290
26.	त्रिपुरा	13	0	13
27.	उत्तर प्रदेश	433	60	493
28.	उत्तरांचल	32	3	35
29.	पश्चिम बंगाल	365	1	366
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0	2
31.	चंडीगढ़	18	0	18
32.	लक्षद्वीप	0	0	0

1	2	3	4	5
33.	दमन और दीव	1	0	1
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
35.	पांडिचेरी	11	0	11
	कुल	5273	316	5589

[हिन्दी]

कागज का उत्पादन

2902. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कागज, स्ट्रा बोर्ड और अखबारी कागज बनाने वाली कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं;

(ख) मई 2004 से आज की तिथि तक कुल कितने कागज का विनिर्माण किया गया है;

(ग) क्या गुणवत्ता परक कागज का विनिर्माण करने वाली इकाईयों की पहचान कर ली गई है;

(घ) क्या इन संबंधित इकाईयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) कागज उद्योग, जिसमें लुग्दी, कागज और गत्ता तथा अखवारी कागज शामिल है, एक लाइसेंस मुक्त उद्योग है। देश में कागज मिलों तथा अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक एककों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं तथापि, देश में लगभग 667 कागज मिलें हैं जिनमें लगभग 73 मिलें अखबारी कागज का विनिर्माण करने के लिए अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 2004 की अनुसूची के तहत पंजीकृत हैं।

(ख) मई से नवम्बर, 2004 के दौरान ''कागज और गत्ता'' और ''अखबारी कागज'' का कुल उत्पादन क्रमश: 3395868 मी.टन और 407266 मी.. टन रहा है।

(ग) बाजार के खुल जाने के फलस्वरूप, भारतीय कागज उद्योग की प्रमुख कंपनियों ने उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बनने के लिए उपाय किए हैं। वन आधारित कच्ची सामग्री का प्रयोग करने वाली एकीकृत बड़ी कागज मिलें सामान्यत: गुणवत्तापूर्ण कागज का उत्पादन करती हैं जो देश के कुल कागज उत्पादन का लगभग 36 प्रतिशत होता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने कागज, गत्ते और अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिलों को अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है अर्थात:

(i) ऐसे कागज और और गत्ते पर प्रति वर्ष 3500 मी.टन तक प्रथम निकासी के लिए 8 प्रतिशत रियायती उत्पाद शुल्क और इसके बाद 12 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है जिसका निर्माण करने में गैर-पारंपरिक कच्ची सामग्री का 75 प्रतिशत से कम प्रयोग न किया गया हो।

(ii) अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 2004 की अनुसूची में शामिल मिलों द्वारा विनिर्मित अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट है।

(iii) कागज उद्योग के लाभार्थ अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए उपकर निधि आबंटित की जाती है।

(iv) अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए लुग्दी का सीमाशुल्क मुक्त आयात।

सुरक्षा बलों द्वारा आम नागरिकों की हत्या

2903. श्री अनंत गुढे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-पाक सीमा पर स्थित गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा बलों की गोलाबारी में कुछ आम नागरिक भी मारे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान और उसके बाद ऐसे कुल कितने आम नागरिक मारे गए अथवा घायल हुए; और

(ङ) सरकार द्वारा उन्हें कितनी क्षतिपूर्ति राशि, यदि कोई हो, प्रदान की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार ने भारत-पाक सीमा के निकट रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सु-समन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना, उन किसानों को सीमा सुरक्षा बल किसान गार्ड प्रदान करना जो सीमा पर लगी बाड़ के दूसरी ओर अपने खेतों में कृषि कार्य करते हैं, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, उन्नत अधुनातन हथियारों और संचार प्रणालियों से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना आदि शामिल है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) का मध्याह्न भोजन योजना में विलय

2904. श्री दिनशा पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान का मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में विलय करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कार्यविधियां तैयार कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो अलग-अलग लक्ष्यों वाली दोनों योजनाओं और अलग-अलग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किस प्रकार सुचारु रूप से कार्य किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं होगा कि सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लक्ष्य अलग-अलग हैं। वस्तुतः दोनों का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण है। अतः इनका कार्यान्वयन समन्वित और सहक्रियात्मक ढंग से किया जाना है। तथापि, अभी तक इन दोनों योजनाओं के विलयन का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पुष्प निर्यात

2905. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश से पुष्प निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मात्रा और मूल्य के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुष्प निर्यात वाले कौन-कौन से मुख्य राज्य हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(मूल्य करोड़ रुपये में, मात्रा मी.टन में)

2001-02		2002-03		2003-04	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
18821.88	115.39	26701.35	165.86	30659.53	249.55

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

(ग) शाखायुक्त ताजे फूलों का निर्यात मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र से किया जाता है। शुष्क फूलों का निर्यात मुख्यतः तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालयों में जल्दी दाखिला

2906. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालयों में जल्दी दाखिला कराने के लिए प्रतिशतता-वार और राज्य-वार कौन-कौन से मानदंड/दिशानिर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किये जाने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालयों में दाखिलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) जनसंख्या वृद्धि के संबंध में सर्व शिक्षा अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) सभी राज्य उपयुक्त आयु-वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अपने राज्य के प्राथमिक में दाखिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिक स्कूल में जाने योग्य आयु-वर्ग (6 से 11 वर्ष) के बच्चों का राज्यवार सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सर्व शिक्षा अभियान को वर्ष 2001-02 में आरंभ किया गया था। वर्ष 2002-03 में प्राथमिक स्तर (कक्षा पहली से पांचवी) पर नामांकन में वर्ष 2001-02 के नामांकन की तुलना में 7.5% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1.9% अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर के परिप्रेक्ष्य में थी।

(घ) और (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के लिए बजटीय आबंटन वर्ष 2004-05 में 3057 करोड़ रु. था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 7156 करोड़ रु. कर दिया गया (इस राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकमुश्त आबंटन में से उपलब्ध राशि शामिल नहीं है)।

विवरण

30.9.2002 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक स्कूल में जाने योग्य आयु-वर्ग (6 से 11 वर्ष) के बच्चों का राज्यवार सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	95.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	105.93
3.	असम	86.83
4.	बिहार	73.52
5.	छत्तीसगढ़	104.45
6.	गोवा	104.22
7.	गुजरात	111.50
8.	हरियाणा	80.98
9.	हिमाचल प्रदेश	116.42
10.	जम्मू-कश्मीर	84.39
11.	झारखंड	74.79
12.	कर्नाटक	110.65
13.	केरल	98.11
14.	मध्य प्रदेश	95.02
15.	महाराष्ट्र	106.55
16.	मणिपुर	146.88
17.	मेघालय	116.19
18.	मिजोरम	128.70
19.	नागालैंड	65.22
20.	उड़ीसा	103.02
21.	पंजाब	71.12
22.	राजस्थान	97.25
23.	सिक्किम	121.68
24.	तमिलनाडु	115.50
25.	त्रिपुरा	123.85
26.	उत्तर प्रदेश	91.25

1	2	3
27.	उत्तरांचल	107.87
28.	पश्चिम बंगाल	102.99
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	116.38
30.	चंडीगढ़	72.61
31.	दादरा और नगर हवेली	126.99
32.	दमन और दीव	114.00
33.	दिल्ली	91.83
34.	लक्षद्वीप	110.99
35.	पांडिचेरी	116.17
	भारत	95.39

नेट पर एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें

2907. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. का विचार देश भर के विद्यार्थियों और शिक्षकों की असीमित पहुंच के लिए पाठ्य पुस्तकों को इंटरनेट पर डालने का है;

(ख) यदि हां, तो इन पाठ्य पुस्तकों को कब तक नेट पर डाले जाने की संभावना है;

(ग) क्या आरंभ में 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए 150 पाठ्य पुस्तकों को नेट पर डाला जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों को कब तक नेट पर डाले जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इंटरनेट पर पाठ्यपुस्तकें डालने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साथ चर्चा की है। यह कार्यक्रम चरणों में शुरू किया जाएगा। शैक्षिक वर्ष 2005-06 के प्रारम्भ में कक्षा-9 से 12 तक अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें नेट पर डाली जाएंगी। इन पाठ्यपुस्तकों का हिन्दी रूपान्तर वर्ष के दौरान नेट पर डाल दिया जाएगा।

जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

2908. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय समूहों के विकास हेतु ढांचागत सुविधाओं का सृजन करने तथा सिंचाई, जोतों, भूमि की खरीद के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों को किए जा रहे आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, सिंचाई, भूमि संपति, भूमि खरीद और विकास के लिए राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात विभिन्न राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2005-06 हेतु .330 करोड़ रुपए के अलावा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में लघु सिंचाई के लिए .50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय उपलब्ध कराया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002 निर्मुक्त धनराशि	2002-2003 निर्मुक्त धनराशि	2003-2004 निर्मुक्त धनराशि	2004-2005 17.03.2005 को निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2715.35	2160.30	1785.00	2300.46
2.	असम	845.56	1023.40	668.87	574.54
3.	बिहार	209.35	209.00	209.00	114.95
4.	गुजरात	3050.00	2250.00	2280.00	2515.00
5.	हिमाचल प्रदेश	78.00	80.00	80.00	88.00
6.	जम्मू-कश्मीर	502.94	318.00	367.00	398.70
7.	कर्नाटक	1314.37	904.35	797.00	770.00
8.	केरल	117.50	588.00	158.00	129.80
9.	मध्य प्रदेश	4346.06	4052.32	3821.58	4522.35
10.	महाराष्ट्र	2672.50	2925.00	2672.00	1470.35
11.	मणिपुर	230.00	424.55	230.00	253.00
12.	उड़ीसा	4104.91	3641.60	2830.00	830.21
13.	राजस्थान	2550.00	2224.48	2070.00	2200.00
14.	सिक्किम	239.38	83.00	33.00	36.30
15.	तमिलनाडु	405.00	210.00	250.00	117.24
16.	त्रिपुरा	462.50	665.50	313.00	344.30
17.	उत्तर प्रदेश	176.95	27.00	27.00	29.70

1	2	3	4	5	6
18.	पश्चिम बंगाल	1406.67	1543.00	1763.00	1987.30
19.	अरुणाचल प्रदेश	200.00	300.00	200.00	220.00
20.	मेघालय	0.00	555.00	50.55	305.25
21.	मिजोरम	0.00	240.00	240.00	424.00
22.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	425.70
23.	झारखंड	2208.15	2808.00	2208.00	1555.27
24.	छत्तीसगढ़	2086.77	2089.50	2089.00	2297.90
25.	उत्तरांचल	78.05	78.00	128.00	107.61
	कुल	30000.00	30000.00	25270.00	24017.93

दिल्ली पुलिस में स्थायी आमेलन

2909. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी.आर.पी.एफ, आई.टी.बी., सी.आई.एस.एफ. और बी.एस.एफ. के प्रतिनियुक्ति वाले कार्मिकों के दिल्ली पुलिस में स्थायी आमेलन संबंधी कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) नए कार्मिकों की भर्ती लंबित होने के कारण केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को एक अल्पावधिक उपाय के रूप में दिल्ली पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था। नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों के लिए जगह खाली करने हेतु इन कार्मिकों को इनके बलों में वापस भेजने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। प्रसंगवश प्रतिनियुक्ति पर आए कई कार्मिकों ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय में भी मामले दायर किये थे लेकिन अदालतों में वे अपने मामले हार गए।

वनिला का मूल्य

2910. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वनिला का उत्पादन करने वाले देशों में वनिला के मूल्य से संबंधित वर्ष-वार ब्यौरा क्या रहा;

(ख) इस अवधि के दौरान भारत में इसका कितना मूल्य रहा;

(ग) क्या सरकार अथवा मसाला बोर्ड ने गिरते मूल्य के परिणामस्वरूप किसानों की सहायता करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) मेडगास्कर और युगाण्डा में वनीला की हरी बीनों की औसत कीमतों का ब्यौरा जैसे कि मसाला बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों से एकत्र किया गया है; निम्नानुसार है। अन्य मूल स्थानों की हरी बीनों की कीमतें उपलब्ध नहीं है।

कीमतें रुपए/किग्रां. में

देश	2002-03	2003-04	2004-05
मेडागास्कर	उपलब्ध नहीं	1789	61
युगाण्डा	उपलब्ध नहीं	2700	130

स्रोत: मसाला बोर्ड

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए भारत से वनीला की हरी बीनों की वार्षिक औसत कीमतें इस प्रकार है:—

कीमतें रुपए/किग्रा. में

वर्ष	कीमत
2002-03	1250
2003-04	3250
2004-05	275

स्रोत: मसाला बोर्ड

(ग) और (घ) कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए किसानों की सहायता करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) मसाला बोर्ड ने मूल्यवर्द्धित सीधे निर्यात के लिए बीनों को एकत्र करने और प्रसंस्कृत करने के लिए उत्पादकों की एक कंपनी गठित करने हेतु वनीला उत्पादकों को प्रोत्साहित किया है।

(ii) मसाला बोर्ड ने परियोजना के लिए वित्त प्राप्त करने में कंपनी (वैनिलको) की सहायता की है। अन्ततः अधिक मूल्यवर्धन करने के लिए कंपनी को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

(iii) मसाला बोर्ड ने कार्बनिक वनीला उत्पादकों के विदेशों में दौरों को प्रायोजित करके निर्यात बाजार खोजने के लिए प्रोत्साहित किया है और मदद की है।

(iv) मसाला बोर्ड ने उपजकर्ताओं को स्वयं अपने फार्मों में वनीला के प्रापण के लिए प्रशिक्षित किया है।

(v) मसाला बोर्ड ने रोपण सामग्री की सब्सिडी युक्त आपूर्ति के जरिए वनीला की कम कीमत वाली और कम जोखिम वाली खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

(vi) मसाला बोर्ड ने "फ्लेवरिट" ब्रांड, जिसका लक्ष्य घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक कीमतें प्राप्त करना है, के अंतर्गत वनीला और वनीला सत्वों सहित उत्तम गुणवत्ता वाले भारतीय मसालों की सीधी बिक्री शुरू की है।

राष्ट्रमंडल खेलों, 2010 के लिए "खेल गांव" बनाना

2911. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यमुना के पश्चिमी तट पर 2010 राष्ट्रमंडल "खेल गांव" बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विदेशी सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकार ने नये निजामुद्दीन पुल के पास अक्षरधाम मंदिर के निकट खेल गांव के निर्माण को अनुमोदित किया है।

(ख) खेल गांव के नक्शों और योजनाओं के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनुमानि लागत बताना अभी जल्दबाजी होगी।

(ग) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए खेल गांव का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ को अदा किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क में बेस लाईन सर्वे करने तथा अवस्थापना में सुधार के उपाय सुझाने के लिए जानकारी हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग

2912. **श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में महिला उद्यमियों की हालत अच्छी नहीं हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य सरकारों की सहायता करके उन्हें अपनी सिफारिशें भेज चुका हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ऐसी महिला उद्यमियों की सहायता करने के लिए कोई उपाय करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में महिला उद्यमी अनेक समस्याओं और रुकावटों का सामना कर रही हैं। जैसे कि पर्याप्त संस्थागत सहायता न मिलना वित्त कच्चा माल, विपणन कौशल-उन्नयन इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता।

(ख) से (ङ) महिला राष्ट्रीय आयोग ने 'उद्योग में महिलाएं-नीतियां, समस्याएं व संभावनाएं' के संबंध में दिनांक 16-17 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में दो दिन की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था ताकि इन समस्याओं के बारे में चर्चा की जा सके। इसके उपरान्त दिनांक 18 मार्च, 2005 को महिला एवं शिशु विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग विभागों के राज्य सचिवों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उपर्युक्त राष्ट्रीय कार्यशाला और राज्य सचिवों के सम्मेलन में हुए चर्चाओं में की गई सिफारिशों को अपनाए जाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष रखा जायेगा।

उत्सव आवासीय योजना, 2004

2913. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की उत्सव आवासीय योजना, 2004 के अंतर्गत कुल कितने मकान आबंटित किए गए;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों ने जिन्हें मकान आबंटित किए गए, एक से अधिक फार्म भरे थे और एक से अधिक आवेदन/फार्म भरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ऐसी कोई प्रणाली है जो यह पता लगा लेती हो कि आबंटी के पास पहले से डी.डी.ए. का फ्लैट है अथवा नहीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आबंटन के पश्चात डी.डी.ए. के अधिकांश फ्लैट प्रीमियम पर बेच दिए जाते हैं जिसके कारण जरूरतमंद लोगों का आर्थिक शोषण किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे हस्तांतरणों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उत्सव आवास योजना-2004 के तहत 2506 फ्लैटों का आवंटन किया गया था।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं उनमें से 48 आवेदकों ने एक से अधिक आवेदनपत्र जमा किए थे और कुल आवेदकों में से 2294 व्यक्तियों ने एक से अधिक आवेदनपत्र जमा किए थे।

(ग) और (घ) आवंटन करते समय आवंटिती से इस आशय का शपथपत्र लिया जाता है कि उसके अथवा उसकी पत्नी/ उसके पति अथवा आश्रित बच्चों के पास दिल्ली/नई दिल्ली और दिल्ली कैन्ट में कोई संपत्ति नहीं है। यदि बाद में यह घोषणा गलत पाई जाती है तो आवंटन रद्द करने की तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ङ) (च) वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्रीहोल्ड आधार पर फ्लैटों का आवंटन करता है और आवंटिती द्वारा कब्जा लेने और फ्लैट के हस्तांतरण विलेख निष्पादन और पंजीकरण होने के बाद इन फ्लैटों की बिक्री पर कोई निषेध नहीं है।

[अनुवाद]

भारत फिनलैंड व्यापार

2914. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास फिनलैंड के साथ व्यापारिक सयंत्र बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्रों में भारत फिनलैंड के बीच व्यापार किया गया है;

(ग) भारत-फिनलैंड व्यापार के विस्तार के लिए कौन-कौन से नये क्षेत्रों की पहचान की गयी है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) फिनलैंड सहित यूरोप के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान फिनलैंड को भारत के मुख्य निर्यात में औषध, भेषज और परिष्कृत रसायन और सहायक वस्तुओं सहित सूती तैयार परिधान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कॉफी, सूती यार्न/फैब्रिक्स/मेड अप्स आदि शामिल थे और फिनलैंड से भारत को मुख्य आयात इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, मशीनों, अखबारी कागज, पेपर बोर्ड और विनिर्माण, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर आदि के किए गए थे।

(ग) और (घ) अधिक व्यापार और आर्थिक सहयोग की संभावना वाले कुछ नए क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास, ताप ऊर्जा स्टेशनों में ताप ऊर्जा के इस्टतम उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत आदि हैं।

लोहे के गेट लगाए जाना

2915. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन और प्राइवेट कालोनियों के निवासी अपनी-अपनी कालोनियों में सुरक्षा के नाम पर लोहे के बड़े-बड़े गेट लगवा रहे हैं जिसके कारण आम रास्ते और इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं और लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे गेट हटाने का है और ऐसा गेट लगाने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य करने का है क्योंकि इन गेटों के साथ सड़क के बीचों-बीच कारें खड़ी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) यह सूचना मिली है कि विभिन्न कालोनियों में रेजीडेन्ट वेलफेयर ऐसोसिएशनों ने सुरक्षा उपाय के रूप में लोहे के गेट लगा लिए हैं। इस प्रकार गेट लगाए जाने के खिलाफ कुछ अभ्यावेदन दिए गए। इस बारे में एक जनहित याचिका भी दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27 मई, 2003 के अपने आदेश में दिल्ली नगर निगम और पुलिस प्राधिकारियों को इस मामले में मानदण्ड तैयार करने का निर्देश दिया। दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी कालोनियों में गेट लगाने की अनुमति देने से पूर्व पुलिस प्राधिकारी तथा अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है।

[हिन्दी]

सैकेन्डरी एजूकेशन

2916. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** :
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी कोई योजना तैयार करने का है जिसके अन्तर्गत सभी सरकार उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के लिए अल्पकालिक रिफ्रैशर कोर्स आयोजित करने के उद्देश्य से राज्यों को अनुदान प्रदान करने का है ताकि पाठ्यक्रम में होने वाले सतत परिवर्तनों को दृष्टि में रखकर पढ़ाने में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास गुणवत्ता शिक्षा के विकास के लिए उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) भारत सरकार 1987-88 से ही शिक्षक शिक्षा स्कीम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 1987-88 से ही चलाई जा रही "विद्यालयों

में विज्ञान शिक्षा सुधार'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय सुविधाओं की स्थापना करने अथवा स्तरोन्नयन करने और विज्ञान तथा गणित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता दी जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम हेतु 110 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना

2917. **श्री तथागत सत्पथी :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए विश्व स्तर का एक राष्ट्रीय विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा दो विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था जैसा 6 मार्च, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान और दो विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए स्थानों का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि का खर्च आने की संभावना है; और

(ङ) निर्माण कार्य के कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) 'वैज्ञानिक सलाहकार परिषद' ने प्रधानमंत्री की 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्मुखी उच्चतर शिक्षा समिति' से वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान को समर्पित दो नई संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की है। इसका ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ के लिए समेकित कार्य योजना

2918. **श्री अजीत जोगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वर्ष 2001 के दौरान समेकित कार्य योजना प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या दिनांक 31 मार्च, 2005 का ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि समाप्त हो जाने पर उक्त योजना के लिए 313.88 लाख रुपये की राशि के व्यागत हो जाने की संभावना हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा आज की तिथि तक छत्तीसगढ़ को उक्त धनराशि प्रदान न करने के लिए क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग (ई एफ सी) ने पुलिस प्रशासन के स्तर के उन्नयन के लिए 984.00 लाख रुपये प्रदान करने की सिफारिश की। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार को 664.88 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। वित्त मंत्रालय को अब तक मात्र कुल 586.76 लाख रुपये की राशि संबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य के लिए और अधिक धनराशि नहीं की जा सकती क्योंकि राज्य द्वारा सूचित उपयोगिता जारी की गई राशि से कम है। 31.3.2005 तक राज्य द्वारा उपयोग न की गई राशियां राजकोष सुधार सुविधा में स्थानान्तरित हो जाएंगी।

पूर्वोत्तर में आई.एस.आई. की गतिविधियां

2919. **श्री राजेन गोहेन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम और नागालैंड में हाल में किये गये बम धमाकों में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेन्सी आई.एस.आई. की लिप्तता के संबंध में रक्षा मंत्रालय के रवैये पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) सरकार के पास यह सुझाने वाली कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है कि अक्तूबर, 2004 के प्रथम सप्ताह में असम और नागालैंड में हुए विस्फोटों में पाक आई एस आई की संलिप्तता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

केन्या में विश्व व्यापार संगठन की बैठक

2920. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में केन्या में संपन्न हुई विश्व व्यापार संगठन की लघु मंत्रालयीय बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने यह विचार व्यक्त किया है कि गैर कृषि बाजार पहुंच के संबंध में यूरोपीय संघ की पेशकश अपर्याप्त है और इसने सामान प्रशुल्क की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर यूरोपीय संघ की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इसका समर्थन करने वाले देशों के साथ एक संशोधित फार्मूला तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूरोपीय संघ ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं कि गैर-कृषि वस्तुओं पर टैरिफ कटौतियों को औपचारिक रूप से प्रस्ताव किए बगैर कैसे लागू किया जाए। इस मामले पर इस समय डब्ल्यूटीओ में विचार-विमर्श किया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने एनएएमए, जिसे अभी औपचारिक रूप नहीं दिया गया है, में एक टैरिफ फॉर्मूले पर कुछ सुझाव दिए थे। भारतीय पक्ष ने यह संकेत दिया है कि इससे हमारी चिंताओं का निराकरण नहीं होता। इस पर यूरोपीय संघ की कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) संशोधित फॉर्मूले पर अभी कुछ देशों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

एम.बी.ए. संस्थान

2921. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार कुल कितने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार आई.आई.एम. अहमदाबाद जैसे और अधिक एम.बी.ए. संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित एम.बी.ए. संस्थानों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त एम.बी.ए. संस्थानों की संख्या

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	2	3
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	47
	छत्तीसगढ़	4
	गुजरात	38
पूर्वी	मिजोरम	0

1	2	3
	सिक्किम	0
	उड़ीसा	26
	पश्चिम बंगाल	16
	त्रिपुरा	0
	मेघालय	0
	अरुणाचल प्रदेश	0
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
	असम	6
	मणिपुर	1
	नागालैण्ड	0
	झारखण्ड	6
उत्तरी	बिहार	12
	उत्तर प्रदेश	135
	उत्तरांचल	14
उत्तर पश्चिमी	चंडीगढ़	0
	हरियाणा	23
	जम्मू-कश्मीर	3
	नई दिल्ली	34
	पंजाब	25
	राजस्थान	29
	हिमाचल प्रदेश	0
दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश	219
	पांडिचेरी	2
	तमिलनाडु	149
दक्षिण पश्चिमी	कर्नाटक	84
	केरल	26
पश्चिमी	महाराष्ट्र	128
	गोवा	2
	दमन और दीव, दादरा, नगर हवेली	0
कुल संख्या		1029

मानसिक रूप से बीमार रोगी

2922. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य संघ राज्य क्षेत्र को दिए गए निर्देशों के अनुसार किसी भी मानसिक अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार रोगी को जंजीरों में बांधकर नहीं रखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य/संघ क्षेत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों और उसके पश्चात् मानसिक रोगियों को जंजीरों में बांधने के कारण हुई दुर्घटना में राज्यवार कितनी मौतों का पता चला है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी), द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित

किया है कि उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी मानसिक अस्पताल/संस्थान में मानसिक रूप से बीमार किसी भी रोगी को जंजीरों में बांध कर नहीं रखा जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान मानसिक रोगियों को जंजीरों में बांधने के कारण हुई दुर्घटनाओं में किसी भी मौत की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी करता रहा है कि वे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को कार्यान्वित करें जिसमें अधिनियम की धारा 91(1) शामिल है जिसमें यह उपबंध है कि किसी भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ उपचार के दौरान कोई अभद्रता (भौतिक अथवा मानसिक) अथवा अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत गठित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन की देख-रेख करते हैं।

क्लोज सर्किट कैमरे

2923. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संवेदनशील क्षेत्रों पर क्लोज सर्किट कैमरे लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गयी है और इन कैमरों को कब तक लगाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

हिमाचल प्रदेश में आतंकवादियों को छिपने के स्थान

2924. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आतंकवादियों के विभिन्न संगठन अपने छिपने के स्थानों को जम्मू और कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आतंकवादी गुट अपने छिपने के ठिकानों को जम्मू और कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं।

सुरक्षा स्थिति की नियमित निगरानी करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच आतंकवादियों की मौजूदगी और गतिविधियों के संबंध में आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान करने हेतु प्रणालियां मौजूद हैं। अंतर-राज्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों की जांच करने और उन्हें खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के सिविल/पुलिस अधिकारियों के साथ सतत निगरानी और गहन समन्वय किया जा रहा है।

तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा

2925. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षुओं की गुणवत्ता की जांच के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति में कोई तंत्र है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) इस नीति के आधार पर, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा संबंधी विभिन्न स्कीमें तैयार की गई हैं जिनमें मॉनीटरी तथा मूल्यांकन की अंतर्निर्मित विशेषताएं मौजूद है। कार्यक्रम क्रियान्वयन की मॉनीटरी विभिन्न स्तरों यथा, राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा संस्थागत स्तर पर की जा रही है। फीडबैक तंत्र अनुदेशों, प्रशासन, वित्तीय प्राबन्धन आदि में त्रुटियों की पहचान को सुनिश्चित करेगा ताकि प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारीगण नीति निर्माण, निर्देश, बजट आदि मे संबंधित अंतरालों को पाटने के प्रयोजनार्थ समय पर निर्णय ले सकें।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों के रिक्त पद

2926. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान देश में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भरे गए अध्यापकों के पदों की राज्य-वार तथा श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में 1 मार्च, 2005 तक अध्यापकों के स्वीकृत पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त तिथि तक अधिशेष घोषित किये गए अध्यापकों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ङ) इन अधिशेष अध्यापकों को समायोजित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(च) क्या इन विद्यालयों में अभी भी विभिन्न पद रिक्त हैं; और

(छ) यदि हां, तो सभी पद कब तक भर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिन्हें सीधी भर्ती/पदोन्नति पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, इस प्रकार है:

पद	वर्ष (2003-04)		वर्ष (2004-05)	
	पदोन्नति	सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती
1	2	3	4	5
पीजीटी	312	327	222	242
टीजीटी	361	538	234	400
हेडमास्टर	234	–	146	–
पीआरटी	–	1399	–	909
कुल	907	2264	602	1551

राज्यवार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) रिक्त पदों को उन पदों/विषयों से संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती/विभागीय पदोन्नति/सीमित विभागीय परीक्षा/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है।

(ग) विवरण-I संलग्न है।

(घ) 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से केवल ऐसे कुछ शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं एस.यू.पी.डब्ल्यू. शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति लंबित है जिन्हें सितम्बर/अक्तूबर 2004 के दौरान 'सरप्लस' घोषित किया गया था। विवरण-II संलग्न है।

(ङ) सरप्लस शिक्षकों को 'स्थानान्तरण दिशानिर्देशों' में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार उसी स्थान अथवा निकटवर्ती विद्यालय में वर्तमान रिक्ति में समयोजित किया जाता है। ऐसा करते समय, शिक्षकों की कुछ श्रेणियों को छूट दी जाती है यदि वे छूट धारा को अभिशासित करने वाले विशिष्ट आधार के तहत आती है।

(च) और (छ) पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए पहले ही विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर दिए गए हैं और इन पदों के अक्तूबर, 2005 तक भरे जाने का अनुमान है। इस समय ऐसे अनेक अभ्यर्थियों ने, जिन्हें सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था तथा अनेक शिक्षकों ने, जिन्हें पदोन्नति दी गई थी, कार्य ग्रहण करना आरम्भ कर दिया है तथापि, उक्त पदों में उपलब्ध रिक्तियों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:–

पद	रिक्तियों की संख्या
1	2
पीजीटी (10 विषय)	225

1	2
टीजीटी (6 विषय)	403
पीआरटी	725
कुल	1353

विवरण-I

1.3.2005 की स्थिति के अनुसार (केन्द्रीय विद्यालयों में) वर्ष 2004-2005 के लिए प्रत्येक श्रेणी में संस्वीकृत पदों की संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3
1.	मुख्याध्यापक	601
2.	स्नातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी)	853
3.	स्नातकोत्तर शिक्षक (अंग्रेजी)	881
4.	स्नातकोत्तर शिक्षक (संस्कृत)	03
5.	स्नातकोत्तर शिक्षक (इतिहास)	284
6.	स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र)	421
7.	स्नातकोत्तर शिक्षक (भूगोल)	294
8.	स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिकी)	816
9.	स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन)	818
10.	स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित)	842
11.	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	745
12.	स्नातकोत्तर शिक्षक (वाणिज्य)	298
13.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा (हिन्दी)	1585
14.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा (अंग्रेजी)	2114
15.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा (संस्कृत)	940
16.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा (सामाजिक विज्ञान)	1793
17.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा (गणित)	1988
18.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा (जीव विज्ञान)	1397
19.	प्राथमिक शिक्षक	12477
20.	संगीत शिक्षक	969
21.	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	901
22.	चित्रकला शिक्षक	571
23.	कार्यअनुभव शिक्षक	951
24.	योग शिक्षक	254
	कुल	32796

विवरण-II

पुनर्नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों का ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यअनुभव शिक्षक का नाम	पु/म	जन्म तिथि	वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	बंगलौर	एम एस प्रताप चन्द्रन	पु.	25-5-1958	हेबल

1	2	3	4	5	6
2.	बंगलौर	के एच शिवकुमार	पु.	19/8/1968	जल्हाली नं. 1
3.	बंगलौर	एच श्रीनिवासन	पु.	4/2/49	एम.ई.जी. एवं केन्द्र
4.	भोपाल	श्री नीरज शर्मा	पु.	1/7/67	नं.1, ग्वालियर
5.	भोपाल	श्री एस.आर. भोंगड़े	पु.	5/2/49	बी.एस.एन. नागपुर
6.	बीबीएसआर	श्री सुधांशु पांडा	पु.	1/7/60	संबलपुर
7.	मुंबई	रेणु अग्रवाल	म.	9/3/61	नं.1, कोलाबा
8.	कोलकाता	सुश्री एम. कुन्डु	म.	11/3/48	नं.1, बैरकपुर, ए एफ. एस
9.	दिल्ली	श्रीमती के.बी. हरिप्रिया	म.	18/9/1955	नं. 1, दिल्ली कैन्ट
10.	दिल्ली	श्री जे.पी. मेहता	पु.	26/12/1945	नं. 2, दिल्ली कैन्ट
11.	दिल्ली	श्रीमती रेणु जेटली	म.	26/1/1971	नं. 3, दिल्ली कैन्ट
12.	दिल्ली	श्रीमती अर्चना सक्सेना	म.	17/6/1963	गोल मार्किट
13.	दिल्ली	श्री निवास आर्य	पु.	27/2/1966	जे.एन.यू.
14.	दिल्ली	श्री पी.के. कंठ	पु.	5/7/57	नोएडा
15.	दिल्ली	श्रीमती सुमन देवी	म.	1/6/76	टैगोर गार्डन
16.	हैदराबाद	श्री दिवाकर राव पी	पु.	17/6/1976	त्रिमुलगेरी
17.	जम्मू	सुभाष चन्द्र	पु.	20/10/1972	नं. 1 अमृतसर
18.	जम्मू	पवन कुमार शर्मा	पु.	16/11/1968	नं. 1 उधमपुर
19.	पटना	श्री एल.एस. चौधरी	पु.	10/1/51	ए एफ एस गोरखपुर
20.	पटना	श्री आर.जे.एन. सहाय	पु.	23/12/1962	पटना नं. 1
21.	पटना	श्री एम.एन.वर्मा	पु.	5/8/62	मुगल सराय

क्र.सं.	क्षेत्र	शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नाम	पु/म	जन्म तिथि	वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	लखनऊ	एम एस तोमर	पु.	1/1/68	नं. 1, आगरा

1	2	3	4	5	6
2.	लखनऊ	यू पी सिंह	पु.	20/10/1969	एन सी इलाहबाद
3.	लखनऊ	ए के शुक्ला	पु.	12/10/70	कानपुर कैंट
4.	लखनऊ	अचला पखरियाल	म.	21/04/1959	नं. चकेरी
5.	लखनऊ	बी.जी. मिश्रा	पु.	8/9/47	नं. 2, चकेरी
6.	लखनऊ	आशुतोष शुक्ल	पु.	19/11/1973	एम एम सी लखनऊ
7.	चेन्नै	ई.आर. सरगुनार	म.	14/12/1948	एच वी एफ अवादी
8.	चेन्नै	ममता मंजीर पांडा	म.	4/11/68	आईलैंड ग्राउंडस

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेलों में मल्लखंब

2927. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल्लखंब को राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में शामिल करने के लिए मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मल्लखंब राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से मान्यता प्राप्त है; और

(घ) यदि हां, तो पारम्परिक भारतीय खेल मल्लखंब को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता संबंधित राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा आयोजित की जाती हैं।

(ग) भारतीय ओलंपिक संघ ने मल्लखंब खेल विधा के लिए "भारतीय मल्लखंब परिसंघ (पंजीकृत)" को मान्यता प्रदान की है जिसका मुख्यालय मुंबई में है।

(घ) व्यक्तिगत खेलों का विकास राज्य सरकारों और संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की जिम्मेदारी है। सरकार ने "अन्य" श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित परिसंध को मान्यता दी है।

[अनुवाद]

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

2928. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास मंत्री दिनांक 17.8.2004 तथा 21.12.2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 2865 तथा 3313 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचनाएं एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचनाएं एकत्र करने में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचनाएं कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) संबंधित एजेंसियों से पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है और सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

2929. **श्री गिरिधर गामांग :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 तथा उसके बाद आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त तथा अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों का उड़ीसा के विशेष संदर्भ में राज्य-वार नाम क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों जिन्हें अंततः काली सूची में डाल दिया गया; और

(ग) अब तक सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) सूचना समेकित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खेल स्पर्धा के रूप में नौका दौड़

2930. **डा. के.एस. मनोज :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी खेल को राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में शामिल करने हेतु विचार करने के लिए क्या मानदंड है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर केरल में नौंका दौड़ को खेल स्पर्धा के रूप में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) किसी खेल को राष्ट्रीय खेल स्पर्धा के रूप में विचार करने की कोई योजना भारत सरकार की नहीं है। राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में अलग-अलग विधाओं को राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा आयोजित किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने विभिन्न जल खेल विधाएं जैसे-रोइंग, याटिंग और क्याकिंग तथा केनोइंग के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता दी है। अपनी टीमों को भेजने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में प्रशिक्षण और सहभागिता के लिए, भारत में अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टों के आयोजन के लिए, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन और उपस्करों को खरीदने के लिए इन राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय टीमों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाओं को लगाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से भी सहायता दी जाती है। परिसंघों के संयुक्त/सहायक सचिवों के वेतन की प्रतिपूर्ति स्वरूप राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भी सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सहायता के अनुरोध पर विचार किया जाता है।

सीवर लाइनों पर मैनहोल कवर

2931. **मो. मुकीम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाइनों पर उपयुक्त मैनहोल कवर उपलब्ध नहीं कराए हैं जिससे पैदल यात्रियों को गंभीर चखतरा पैदा हो गया है जैसा कि दिनांक 2 दिसंबर, 2004 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली जल बोर्ड पानी के त्रृटिपूर्ण मीटरों को बदलने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालने की योजना बना रहा है जिस पर दिल्ली जलबोर्ड ने उपभोक्ताओं से प्रभार लिया था तथा यह स्पष्टतः पता था कि इनका रखरखाव दिल्ली जल बोर्ड करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि शहर में नियम कानून है तथा इनका अनुपालन सरकारी एजेंसी जैसे दिल्ली जलबोर्ड द्वारा किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि वे चुराये गये/टूटे हुए/असमतल मैनहोल कवरों को तत्काल बदलने के लिए प्रयास करते हैं।

(ग) और (घ) यह बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी के मीटरों को बदलने/मरम्मत करने का कार्य

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जाता है उपभोक्ताओं के पास दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाये गये पानी के मीटर के बदले में अनुमोदित ब्रांड एवं आकार का मीटर बाजार से खरीदकर लगाने का विकल्प भी है।

(ङ) और (च) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि वे दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1988 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं।

सरकारी आवास की सुविधा लिये रखना

2932. **श्री मधु गौड यास्खी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार से सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास की सुविधा ले रहे व्यक्तियों के क्या नाम हैं जबकि वे सरकारी आवास की सुविधा लेने के योग्य नहीं है;

(ख) ऐसे आवंटनों को रद्द करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) ऐसे आबंटन किसी भी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद नियमों के तहत उसे अनुमत्य प्रतिधारण अवधि के बीतने के बाद रद्द कर दिये जाते हैं। आवास खाली नहीं किये जाने पर लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाती है। निर्धारित समय से अधिक तक रहने के लिए हर्जाना वसूल किया जाता है।

विवरण

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास की सुविधा ले रहे व्यक्तियों के नामों का विवरण

क्र. स.	आबंटी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	क्वार्टर सं.
1	2	3
1.	हुकम सिंह पुंडीर	एफ-3, नारौजी नगर
2.	हरपाल सिंह	160/3, एंड्रूज गंज
3.	एस एल शर्मा	783, तिमार पुर
4.	प्रसुन लाहोरी	एफ-11, नारौजी नगर
5.	संतोष कुमार कारमेकर	78-डी, वसंत विहार
6.	एस सी सक्सेना	44/2 बी, सैक्टर-II, डी आई जैड एरिया
7.	वतन सिंह	69/1 बी, सैक्टर-I, डी आई जैस एरिया
8.	एम एस आहलुवालिया	76/4 डी, सैक्टर-II, डी आई जैड एरिया
9.	आर एल बजाज	104-बी, आराम बाग
10.	एस आर गौहार	103-बी, आराम बाग
11.	चन्दर सिंह	38, प्रोबिन रोड
12.	बी एन सिंह	138(एम एस) तिमारपुर
13.	कमलेश बोस	44, प्रोबिन रोड
14.	गोस्वामी चन्द्रकाला	बी-2/35, यूडीपी, नेहरू नगर
15.	स्वर्गीय श्री भगवान	बी-2, 34, यूडीपी, नेहरू नगर
16.	दयानन्द	बी-2/25, यूडीपी, नेहरू नगर
17.	धर्मेन्द्र चौधरी	बी-3/48, यूडीपी, नेहरू नगर
18.	रामफल	ई-50, एम के रोड
19.	सतीश कुमार	I/एम के-2, श्रीनिवासपुरी

1	2	3
20.	सरला हांडा	1020, बीकेएस मार्ग
21.	इंदर कुमार	22/1066, लोदी कालोनी
22.	डी एस गोसाईं	5/573, लोदी कालोनी
23.	ओ एस दीक्षित	12/188, लोदी कालोनी
24.	के एन पारगई	7/140, लोदी कालोनी
25.	जी एस पांडेय	17/887, लोदी कालोनी
26.	एल एन माथुर	19/1010, लोदी कालोनी
27.	कालु राम	17/937, लोदी कालोनी
28.	ए चौधरी	15/282, लोदी कालोनी
29.	राजीव श्रीवास्तव	सी 1/71, बापा नगर
30.	के एच खान	सी I/65, बापा नगर
31.	वी गोविंदराजन	सी II/16, चाणक्य पुरी
32.	वी के चौधरी	सी II/75, शाहजहां रोड
33.	अरुण क्षेत्रपाल	सी II/67, मोती बाग
34.	प्रतीभा करण	21, लोदी एस्टेट
35.	फुल सिंह	47/9, राजपुर रोड
36.	होशियार सिंह	डी-453, सरोजिनी नगर
37.	भीम सिंह मलिक	बी-351, सरोजिनी नगर
38.	आर एन शर्मा	बी-739, सरोजिनी नगर
39.	राम देव	डी-451, सरोजिनी नगर
40.	वी के चावला	बी-253, सरोजिनी नगर
41.	हरि देव	बीडी-918, सरोजिनी नगर
42.	एच वी साह	एबी-801, सरोजिनी नगर
43.	एन पी सिन्हा	आई-108, सरोजिनी नगर
44.	राजीन्द्र प्रसाद	जे-407, सरोजिनी नगर
45.	मोहन जोशी	एफ-78, सरोजिनी नगर
46.	मंगल सैन	आई-501, सरोजिनी नगर
47.	जसविन्द्र कौर	एल-114, सरोजिनी नगर
48.	अजित सिंह	आई-347, सरोजिनी नगर
49.	सुरेश चन्द्र	एल-123, सरोजिनी नगर
50.	पी के कौल	एच-52, सरोजिनी नगर
51.	निरमला देवी	एच-240, सरोजिनी नगर
52.	फुला रानी	डीजी-915, सरोजिनी नगर
53.	ए के मुक्कू	एच-162, सरोजिनी नगर
54.	आर के तिवारी	एम-261, सरोजिनी नगर
55.	रबिन्द्र नाथ सरकार	एच-216, सरोजिनी नगर
56.	जया राजू के ए	डीजी-992, सरोजिनी नगर
57.	संतोष शर्मा	डीजी-883, सरोजिनी नगर
58.	पवन कुमार	सी-519, सरोजिनी नगर
59.	कुंडा भिवंडकर	एच-132, सरोजिनी नगर
60.	रणधीर सिंह	सी-302, सरोजिनी नगर
61.	निरमला गुप्ता	जीआई-949, सरोजिनी नगर
62.	पारस नाथ यादव	जीआई-764, सरोजिनी नगर
63.	आर एस बोरा	जीआई-1054, सरोजिनी नगर
64.	अनोखे लाल	जीआई-940, सरोजिनी नगर
65.	जी सी उपरेती	जीआई-1084, सरोजिनी नगर

1	2	3
66.	के सिंह	जी-5, नानकपुरा
67.	नन्द कुमार	जी-280, एस एन पुरी
68.	रत्तन सिंह	एच-10, नानक पुरा
69.	इमरती देवी	जी-278, एस एन पुरी
70.	जय नारायण	डी-831, नेताजी नगर
71.	ललित कुमार	837/एस-4, आर.के. पुरम
72.	अम्बिकेश शर्मा	जी-323 नारौजी नगर
73.	स्वर्गीय श्री यू एन सक्सैना	675/एस-2, सादिक नगर
74.	श्याम सिंह	536/एस-2, सादिक नगर
75.	दया राम	1022/एस-8, आर.के. पुरम
76.	खेम चन्द	55/एस-7, आर.के. पुरम
77.	मंचु मंडल	980/एस 8, आर.के. पुरम
78.	पी एन कचरू	60/9/एस-1/एम.बी. रोड
79.	एन एन मैथ्यू	359/एस-5/आर.के. पुरम
80.	ईश्वर दास	1588/एस-5/आर.के. पुरम
81.	पी आर मिश्रा	658/एस-5/एम.बी. रोड
82.	किशन लाल	869/एस-3/एम.बी. रोड
83.	बाबोद राम	1195/एस-4/आर.के. पुरम
84.	जय कुमार	1367/एस-7/एम.बी. रोड
85.	कैलाश चन्द	717/एस-7, एम.बी. रोड
86.	फकीर चन्द	58/7/एस-1 एम.बी. रोड
87.	ओ पी गुप्ता	664/एस-12/ आर.के. पुरम
88.	बची राम	1339/एस-4, आर.के. पुरम

1	2	3
89.	बिशन सिंह	929/एस-3, आर.के. पुरम
90.	वी पी लोकनाथन	953/एस-4, आर.के. पुरम
91.	एम पी सिंह	जी-404, नारौजी नगर
92.	महेश्वरी देवी	545, एस-7, आर.के. पुरम
93.	मेस्सक रामन	952, एस-8, आर.के. पुरम
94.	नरेन्द्र पाल	1560, एस-7, एम.बी. रोड
95.	राम तिरथ	1131, एस-7, एम.बी. रोड
96.	स्वर्गीय श्री पी के त्यागी	168, एस-9, आर.के. पुरम
97.	पी के चौधरी	1764, एस-3, एम.बी. रोड
98.	जयकिशन राम	75/के/एस-4, एम.बी. रोड
99.	एच सी शर्मा	93 डी/एस-4, एम.बी. रोड
100.	के सी जोशी	583, एस-2, सादिक नगर
101.	सरन दास	867, एस-4, आर.के पुरम
102.	प्रभाकर मिश्रा	13 सी/एस-4, एम.बी. रोड
103.	राम कंवर	390, एस-5, आर.के पुरम
104.	श्यामल चक्रवर्ती	234, एस-4, आर.के पुरम
105.	संत राम	1151, एस-4, आर.के पुरम
106.	राम नारायण	642, एस-2, सादिक नगर
107.	बचेय लाल	116, एस-4, आर.के पुरम
108.	प्रवीण शर्मा	80, एस-4, आर.के पुरम
109.	ओ पी शर्मा	215, एस-4, आर.के पुरम
110.	प्रमोद चन्द	1272, एस-4, आर.के पुरम
111.	परशु राम	284, एस-2, सादिक नगर

1	2	3
112.	राजेश सोनी	06/12, एस-1, एम.बी. रोड
113.	पी के त्यागी	168, एस-9, आर.के पुरम
114.	श्याम चन्द	139,/08/ एस-1 एम.बी. रोड
115.	जे के 'डायमैरी	134,/08, एस-1, एम.बी. रोड
116.	देबी राम	85/01 एस-1 एम.बी. रोड
117.	दान सिंह	145,/02/एस-1 एम.बी. रोड
118.	पी जे किलनाके	84/एस-9, आर.के पुरम
119.	जे एन दुबे	147/01/एम.बी. रोड
120.	सरोज किरपलानी	115/एस-7, आर.के पुरम
121.	वी एन सिंह	456, एस-7, आर.के पुरम
122.	चन्द्रभान	387, एस-8, आर.के पुरम
123.	वी के चौधरी	1164, एस-8, आर.के पुरम
124.	पी के सिंह	675, एस-8, आर.के पुरम
125.	आर बी शर्मा	59, एस-7, आर.के पुरम
126.	जसवन्त सिंह	499, एस-7, आर.के पुरम
127.	चुहर सिंह	720, एस-1, आर.के पुरम
128.	कृष्ण सिंह	1041, एस-5, आर.के पुरम
129.	बहादुर सिंह	223, एस-7, एम.बी. रोड
130.	प्रेम सिंह	866, एस-5, आर.के पुरम
131.	राम कंवर	390, एस-5, आर.के पुरम
132.	सोहन चन्द	731, एस-5, आर.के पुरम
133.	संतोष सिंह	61, एस-5, आर.के पुरम
134.	पी के मि श्रा	586, एस-5, आर.के पुरम
135.	पी के चतुर्वेदी	1665, एस-5, आर.के पुरम
136.	जगदीश चन्द	992, एस-5, आर.के पुरम
137.	ए मांझी	46, एस-5, आर.के पुरम
138.	अंकेशर सिंह	384, एस-3, आर.के पुरम
139.	जासौंद राम	875, एस-5, एम.बी. रोड
140.	सुरेन्द्र तिवारी	362, एस-5, एम.बी. रोड
141.	राम लखन पंजीयार	411, एस-5, एम.बी. रोड
142.	हस्त बहादुर	239, एस-5, एम.बी. रोड
143.	मोहिन्दर सिंह	419, एस-5, एम.बी. रोड
144.	अलैक्जेंडर	832, एस-5, एम.बी. रोड
145.	बाल्मिकी बिप्तियाल	878, एस-5, एम.बी. रोड
146.	त्रिलोक सिंह	713, एस-5, एम.बी. रोड
147.	जीत सिंह	793, एस-5, एम.बी. रोड
148.	एच एस शर्मा	865, एस-5, एम.बी. रोड
149.	रघुनाथ प्रसाद	835, एस-5, एम.बी. रोड
150.	गिद्दु राम	853, एस-5, एम.बी. रोड
151.	बहोरी लाल	247, सैक्टर-5, एम.बी. रोड
152.	पी के गोपालन	691, एस-5, एम.बी. रोड
153.	मिश्री लाल	533, एस-5, एम.बी. रोड
154.	श्याम चन्द	490, एस-5, एम.बी. रोड
155.	बेनी सिंह	502, एस-5, एम.बी. रोड
156.	प्रेम सिंह	748, एस-5, एम.बी. रोड

1	2	3
157.	चन्दर भान	607, एस-3, एम.बी. रोड
158.	श्योदान सिंह	630, एस-3, एम.बी. रोड
159.	राम किशन	603, एस-3, एम.बी. रोड
160.	टी एस रावत	484, एस-3,एम.बी. रोड
161.	आर एल भारद्वाज	417, एस-3, एम.बी. रोड
162.	बसंत लाल	381, एस-5, एम.बी. रोड
163.	जगदीश चन्द	369, एस-5, एम.बी. रोड
164.	महावीर सिंह	64, एस-5, एम.बी. रोड
165.	राम स्वरूप	39, एस-5, एम.बी. रोड
166.	एस सी शर्मा	1461, एस-3, एम.बी. रोड
167.	देवकी नंदन	520, एस-5, एम.बी. रोड
168.	किशोरी लाल	15, एस-5, एम.बी. रोड
169.	ओम प्रकाश	1401/एस-3, एम.बी. रोड
170.	मोहन सिंह	710, एस-5, एम.बी. रोड
171.	रोहताश सिंह	845, एस-5, एम.बी. रोड
172.	पी के नाथ	1523, एस-3, एम.बी. रोड
173.	पी एम जनारधन	1608, एस-3, एम.बी. रोड
174.	मोती राम	662, एस-3, एम.बी. रोड
175.	नसीम अहमद	385, एस-3, एम.बी. रोड
176.	दौलत सिंह	386, एस-3, एम.बी. रोड
177.	फकीर चन्द	305, एस-3, एम.बी. रोड
178.	के एन बदौनी	106-एस/एस-4, एम.बी. रोड
179.	गोपाल महतो	18-ई/एस-4, एम.बी. रोड
180.	लक्ष्मण राम	139-बी/एस-4, एम.बी. रोड
181.	एम एल शर्मा	115 बी/एस-4, एम.बी. रोड
182.	आत्मा राम जांगीड़	121 जे/एस-4, एम.बी. रोड
183.	मदन चन्द	133 एन/एस-4, एम.बी. रोड
184.	बी डी जोशी	128 एन/एस-4, एम.बी. रोड
185.	गोपी चन्द	96-क्यू/एस-4, एम.बी. रोड
186.	बाबू लाल	48ई/एस-4, एम.बी. रोड
187.	मोहन सिंह	सी-52, हनुमान रोड
188.	नर बहादुर	सी-133, हनुमान रोड
189.	राम बहादुर	सी-111, हनुमान रोड
190.	जयाल कोंडइया	160 आर/आराम बाग
191.	बुद्धा खान	185-एच/आराम बाग
192.	जीत सिंह मेहर	सी-186, आराम बाग
193.	सुरजीत सरकार	1751, लक्ष्मीबाई नगर
194.	मदन लाल	65, लक्ष्मीबाई नगर
195.	हरि ओम शर्मा	40/1 सी, डीआईजेड एरिया, एस-2
196.	के पी मंडल	1116, बीकेएस मार्ग
197.	शशी कुमार	18/1ए, डीआईजेड एरिया, एस-2
198.	रतन लाल	3/4 सी, डीआईजेड एरिया, एस-2
199.	सुकदेव सिंह	37, एस, डीआईजेड एरिया, एस-2

1	2	3
200.	जय सिंह महता	85-आर, डीआईजेड एरिया, एस-2
201.	आर सी शर्मा	सी-2/80, लोदी कालोनी
202.	प्रहलाद शर्मा	सी-313, किदवई नगर
203.	शिव चरण	डी-385, मोती बाग
204.	ओम प्रकाश	ए-213, किदवई नगर
205.	रामजी लाल	एफ-112, मोती बाग
206.	गिरीजा प्रसाद	ई-150, मोती बाग
207.	बी टोप्पो	ए-35, मोती बाग
208.	कन्हैया	1164 (एमएस) तिमार पुर
209.	राम मुक्तेश्वर	530, एस-4, तिमार पुर
210.	गुरदयाल सिंह	531, एस-4, तिमार पुर
211.	हंस राज	जैड-613, तिमार पुर
212.	राम किशन	जैड-511, तिमार पुर
213.	बुदु खान	366, लांसर रोड
214.	झगड़ू राम	647, एस-4, तिमार पुर
215.	लक्ष्मी चन्द	571, एस-4, तिमार पुर
216.	खेतवाल सिंह	1697, एलआरसी
217.	काशी राम	2291, एलआरसी
218.	एस पी सिंघल	2139, एलआरसी
219.	जे पी वर्मा	73,1, सादिक नगर
220.	बी पी प्रजापति	11/192, देव नगर
221.	ए एस तंवर	12/152, देव नगर
222.	एम आर रामचन्द्रन	सी-185, नानकपुरा
223.	श्री राम	3/एस-1, मार्किट/आर.के. पुरम
224.	प्यारे लाल	262, एस-3 आर.के. पुरम
225.	विनोद सिन्हा	811, एस-5, आर.के. पुरम
226.	बी बी शर्मा	272, एस-5, आर.के. पुरम
227.	शिव राम	283, एस-5, आर.के. पुरम
228.	छेदी लाल	1821, एलआरसी
229.	एम आर नाथ	1965, एलआरसी
230.	तरसीम चन्द	837, एस-8, आर.के. पुरम
231.	के एस अधिकारी	248, एस-1, आर.के. पुरम
232.	धनपत सिंह	732, एस-8, आर.के. पुरम
233.	जी एल सिंह	864, एस-9, आर.के. पुरम
234.	बी पी अय्यर	246, एस-3, आर.के. पुरम
235.	एस एन महेश्वरी	937, एस-7, एम.बी. रोड
236.	ताबियास बैरा	147-सी/एस-4, एम.बी. रोड
237.	टी एस बाली	11/5, एस-1, एम.बी. रोड
238.	मूल चन्द	111/2, एस-1, एम.बी. रोड
239.	आर पी मेहरा	23-पी/एस-4, एम.बी. रोड
240.	आर एस शर्मा	976, एस-4, एम.बी. रोड
241.	जय राम	366, एलआरसी
242.	तेज किशन	जैड-20, सरोजिनी नगर
243.	एस के बेदी	882, लक्ष्मीबाई नगर
244.	बी एल वांझू	318 लक्ष्मीबाई नगर

1	2	3
245.	पी के शर्मा	19/3, एस-1, एम.बी. रोड
246.	पी सी सबरवाल	1-एल एफ, टोडरमल स्कवयर
247.	एम एल दुल्ला	123, एन डब्ल्यू, मोती बाग
248.	राजन जयन्त	28 एन डब्ल्यू, मोती बाग
249.	डी एन मिश्रा	12/919, आर.के. पुरम
250.	सुशील शर्मा	23/171, लोदी कालोनी
251.	बाल किशन	9/104, पीके रोड
252.	धरम पाल	8ई/एस-4, डीआईजैड एरिया
253.	पुरन चन्द	15/186, प्रेम नगर
254.	ओम प्रकाश	4/61, प्रेम नगर
255.	हरि लाल	12/155, प्रेम नगर
256.	संत राम	39/465, पी के रोड
257.	तेज पाल	12/42, एस-1 आर.के. पुरम
258.	संभु	1070/ एस-1, आर.के. पुरम
259.	माम चंद	सी-326, कस्तूरबा नगर
260.	कपतान सिंह	बी-105, कस्तूरबा नगर
261.	मान सिंह	एफ-144, कस्तूरबा नगर
262.	जगदीश	864, एस-1, आर.के. पुरम
263.	चंदगी लाल	41बी- आराम बाग
264.	मोहन लाल	7/145, एंड्रूज गंज
265.	विजय पाल	एम-513, कस्तूरबा नगर
266.	सुरिंदर सिंह	के-159, काली बाड़ी मार्ग
267.	महावीर सिंह	जे 900, काली बाड़ी मार्ग
268.	संतोख सिंह	एम 503, कस्तूरबा नगर
269.	चंदर सिंह	279, एस-2, आर.के. पुरम
270.	राम लाल	ए-186, मिन्टो रोड
271.	आशा देवी	182, एस-2, आर.के. पुरम
272.	इंद्रा देवी	622, एस-2, आर.के. पुरम
273.	शिबन	आई-192, लांसर रोड
274.	लक्ष्मी देवी	आई-170, लांसर रोड
275.	बिरू राम	826, एस-2, आर.के. पुरम
276.	रघुनंदन सिंह	45,13, एस-1, एम.बी. रोड
277.	सुरेश	34/10, एस-1 एम.बी. रोड
278.	प्रेम प्रकाश	एच-510, श्रीनिवासपुरी
279.	मुरारी लाल	33/2, एस-1, एम.बी. रोड
280.	बिदेशी लाल	34/2, एस-1, एम.बी. रोड
281.	बसंती	707, एस-7 आर.के. पुरम
282.	मातादीन यादव	डी-563, नेताजी नगर
283.	बिशन कुमार	सी-79, नेताजी नगर
284.	प्रेम कुमार	185/एस-7, एम.बी. रोड
285.	जती राम	एफ 1759, नेताजी नगर
286.	मेहर सिंह	एफ 1824, नेताजी नगर
287.	हरि राम	एम-33, सुन्दर नर्सरी
288.	नेत्र पाल	डी-45, किदवई नगर
289.	महेन्द्र सिंह	डी-317, किदवई नगर
290.	विनोद कुमार	डी-465, किदवई नगर

1	2	3
291.	फकीर चंद	डी-41, किदवई नगर
292.	शंकर	डी-643, किदवई नगर
293.	राम सिंह	ई-88, मोती बाग
294.	दुली चन्द	ई-86, किदवई नगर
295.	मदन लाल	डी-559, किदवई नगर
296.	पेहर चन्द	1234, एस-5, आर.के. पुरम
297.	चन्द्र मांझी	डी-416, किदवई नगर
298.	राजेश्वरी देवी	डी-221, किदवई नगर

सुनामी आपदा

2933. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें सुनामी प्रभावित कुछ गांवों को गोद लेने के लिए सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने विधायकों सरकारी कर्मचारियों से दान एकत्रित किया था तथा तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, अंडमान तथा निकोबार एवं लक्षद्वीप में राहत कार्य की देखरेख के लिए छह मंत्रियों को प्रतिनियुक्ति किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन गांवों के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं तथा इस पर कितनी लागत आएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होने के कारण, राज्य सरकारें, भारत सरकार, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्यों की सहायता से पुनर्वास उपाय कर रही है।

(ग) और (घ) सुनामी आपदा में राष्ट्रीय प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। सरकारी कर्मचारियों तथा विधान सभाओं के सदस्यों ने भी अंशदान दिया है। प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राहत कार्य की प्रगति का अवलोकन करने के लिए प्रधानमंत्री, यू पी ए की अध्यक्षता, गृह मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है।

(ङ) गृह मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे गांवों के ब्योरे अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं।

अवैध निर्माणों को गिराना

2934. श्री विजय कृष्ण : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपायुक्त (राजस्व) तथा (दिल्ली नगर निगम), दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घिटोरनी तथा सुल्तानपुर गांवों की कृषि भूमि पर बने हुए अवैध निर्माणों को दिनांक 17.4.2004 से चार सप्ताह के भीतर गिराने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के उपबंधों के अंतर्गत ग्राम सभा होने के बावजूद भी इन गांवों की कृषि भूमि पर स्थित एक भी अवैध निर्माण को गिराया नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंगलौर के लिए विशेष पैकेज

2935. श्री अनंत कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मुंबई को दिए गए विशेष

पैकेज की तर्ज पर बैंगलौर की आधारभूत संरचना के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह पैकेज कब तक दे दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार बैंगलोर शहर की आधारभूत संरचना के विकास के लिए केन्द्र द्वारा की जाने वाली पहल के रूप में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या फरवरी, 2005 में प्रधानमंत्री ने अपने बैंगलौर दौरे के दौरान और धनराशि देने के लिए सहमति प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक कर्नाटक राज्य को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(च) बैंगलौर शहर के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अपना कार्य कब तक शुरू कर देने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) बंगलौर और मुंबई सहित चुनिंदा शहरों के लिए सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता मुहैया करने के लिए मिशन मोड राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

शहरी जलापूर्ति तथा जल मल व्ययन निकास योजनाओं के लिए धनराशि

2936. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी जलापूर्ति तथा जल मल व्ययन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि जुटाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, शहरी आवास विकास निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं के लिए ऋण देने हेतु अपनाए जा रहे नियम तथा प्रक्रियाएं और उदार बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों को अनुदान मुहैया करने के लिए इस समय दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमें चल रही हैं:—

(i) 1991/2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों हेतु जल आपूर्ति के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी)

(ii) जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं हेतु 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों (दिल्ली को छोड़कर) के लिए मेगा शहरों में अवस्थापना विकास।

उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं को जारी रखने के अतिरिक्त जल आपूर्ति और सीवरेज निपटान स्कीमों के लिए पर्याप्त राशियों की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:—

(i) चुनिंदा शहरों के अवस्थापना विकास के लिए सुधार आधारित सहायता मुहैया करने हेतु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए वर्ष 2005-06 के निमित्त 1,650 करोड़ रुपये के अनुदान घटक सहित 5,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के बारे में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा।

(ii) इस समय चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को छोटे और मझौले कस्बों हेतु व्यापक शहरी अवस्थापना स्कीम के अन्तर्गत एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है। इस स्कीम के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(iii) वित्त मंत्री ने अवस्थापना परियोजनाओं के लिए ''व्यवहार्यता कमी'' (वायबिलिटी गैप) के वित्त पोषण हेतु 1500 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की है। शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता कमी के वित्त पोषण हेतु शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2005-06 के बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान भी है।

(iv) शहरी विकास मंत्रालय शहरी जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता लेने में राज्य सरकारों की सहायता भी करता है और बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ इन्हें उठाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) से उनकी सिफारिश करता है।

(ख) औरं (ग) ऋणों की मंजूरी के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और अन्य निबंधनों तथा शर्तों (ब्याज दरों सहित) का निर्धारण निवेश समिति द्वारा किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में प्रत्येक वर्ष वित्त वर्ष के प्रारंभ में इनकी समीक्षा की जाती है। जब कभी आवश्यक होता है हडको, सभी अवस्थापना परियोजना ऋणों के संबंध में परिवर्तनीय आधार दर (फ्लोटिंग बेस रेट) की समीक्षा करता है और उसे संशोधित करता है।

[अनुवाद]

परिसंपत्ति सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता

2937. **श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रियल एस्टेट विकास सहित सभी परिसंपत्ति सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता को जोड़ने का विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रियल एस्टेट विकासकर्ताओं तथा शहरी योजनाकारों के लिए भारत के 137 शहरों में डिजीटलीकरण शहरी सूचना तंत्र शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) चुनिंदा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए सुधार-आधारित केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) विस्तृत रूपरेखा तैयार नहीं की गई है।

(ग) नियोजन, प्रबंधन और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शहरी स्थानीय निकायों में राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) विस्तृत रूपरेखा तैयार नहीं की गई है।

सीढ़ी प्रथा

2938. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सीढ़ी प्रथा' जिसका तात्पर्य बंधुआ मजदूर हैं, हरियाणा राज्य में विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो किन जिलों में चल रही है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग इस समस्या को प्रकाश में लाया है तथा इस संबंध में सरकार से कोई सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'हरियाणा में महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति का विश्लेषण' नामक अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हरियाणा के जीन्द, रोहतक तथा हिसार जिलों में 'सीढ़ी प्रथा' (जिसका अर्थ है बंधुआ मजदूरी) विद्यमान है। इस विषय में आयोग द्वारा कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गयी है। तथापि, हरियाणा सरकार ने राज्य के किसी भी जिले में सीढ़ी प्रथा के मौजूद होने की बात को अस्वीकार किया है।

सुरक्षा संबंधी खर्च

2939. **श्री अखिलेश यादव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में आंतरिक सुरक्षा में सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी खर्च अग्रिम देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों की पहचान कर ली है जहां अग्रिम धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और नक्सल प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। जहां कहीं आवश्यक होता है वहां उन योजनाओं के अंतर्गत, अग्रिम राशियां भी जारी की जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान, मणिपुर सरकार को 5.00 करोड़ रुपए की राशि की गई है।

शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन के लिए योजना

2940. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री अजित जोगी :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में लोग अभी भी भूख तथा गरीबी से मरते हैं तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार की ज्याद संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन के लिए कोई दीर्घकालिक योजना/ नई योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) शहरी गरीबों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसरों के अभाव को देखते हुए, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय अखिल भारत आधार पर पहले ही दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार नामक एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे के शहरी गरीबों के लिए है और इसका उद्देश्य (i) शहरी गरीबों द्वारा स्व-रोजगार उद्यम लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके तथा (ii) सामाजिक व आर्थिक रूप से लाभप्रद सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार के प्रावधान के मार्फत शहरी बेरोजगारों अथवा अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है।

हुडको द्वारा वित्तीय सहायता

2941. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी आवास विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए सहायता दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास तथा आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सुनामी-प्रभावित क्षेत्रों में मॉडल ग्रामीण बस्तियां बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) ने 2000 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की है जिसे सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्वास कार्यों से संबंधित ऋणों के लिए दिया जाएगा। हडको ने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रुपए का अंशदान दिया है और निर्मिति केन्द्रों के जरिए आपदा रोधी प्रौद्योगिकियों सहित राहत आश्रयों के निर्माण के लिए अतिरिक्त एक करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन संबंधी नीति

2942. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति न होने से विकास के नाम पर महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक बनाई गई नीतियां विस्थापित महिलाओं को बाबर का दर्जा नहीं देती;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने विस्थापित महिलाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सर्वेक्षणों में दर्शाया गया है कि पिछले चार दशकों के दौरान विकास के कारण 20 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जिनमें से 75 प्रतिशत का उचित पुनर्वास नहीं हो पाया है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित 'भारत में विकास के परिणा-स्वरूप विस्थापन : महिलाओं पर प्रभाव' नामक अध्ययन के अनुसार, महिलाओं पर विस्थापन का अलग-अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है और विस्थापन के उपरान्त पुनर्वास की परिस्थितियों में महिला-पुरुष असमानता की समस्या और अधिक बढ़ जाती है।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर में संदर्भित अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात तथा उड़ीसा राज्य सरकारों की पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीतियों के परिणाम-स्वरूप विस्थापित महिलाओं को कुछ लाभ अवश्य प्राप्त हुआ है, किन्तु अन्य किसी राज्य की पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीतियों में महिलोन्मुख परिप्रेक्ष्य मौजूद नहीं है।

(ङ) और (च) जी, हां। जैसा कि भाग (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर में कहा गया है, 'भारत में विकास के परिणाम-स्वरूप विस्थापन : महिलाओं पर प्रभाव' नामक अध्ययन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया है।

(छ) उपर्युक्त अध्ययन में बताया गया है कि एक अनुमान के अनुसार पिछले लगभग चार दशकों के दौरान देश में विकास कार्यक्रमों के परिणाम-स्वरूप लगभग 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए तथा इनमें से लगभग 75 प्रतिशत लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया है।

(ज) भूमि संसाधन विभाग ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन संबंधी राष्ट्रीय नीति - 2003 बनायी है तथा इसके अंगीकरण हेतु इस नीति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को भेजा है। यह नीति भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-I, (सं. 46) में 19.2.2004 को प्रकाशित की गयी। इस नीति में परिकल्पित लाभ महिलाओं सहित सभी परियोजना प्रभावित परिवारों पर लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

2943. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए सरकार को राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) कितने प्रस्तावों को अनुमति मिल चुकी है तथा अब तक राज्य-वार कितना अनुदान जारी किया जा चुका है;

(ग) विशेषकर गुजरात राज्य के संदर्भ में, शेष प्रस्तावों पर अनुमोदन में देरी के क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जनजातियों के लिए छात्रावासों की स्थापना के लिए अनुदान की निर्मुक्ति 2 विभिन्न योजनाओं अर्थात् "अनुसूचित जनजाति लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना" के अंतर्गत की जाती है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए उनका रिकार्ड रखना संभव नहीं है।

(ख) प्रस्ताव के सभी रूपों में पूर्ण होने अर्थात समकक्ष राज्य अंश की पुष्टि, मुफ्त भूमि की उपलब्धता, पूर्ववर्ती वर्षों में निर्मुक्त सभी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन की स्वीकृति पर ही प्रस्तावों की मंजूरी और अनुदानों की निर्मुक्ति की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राज्यवार अनुदानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के समाशोधन में विलंब होता है क्योंकि अपूर्ण प्रस्ताव बिना पिछली निधियों का उपयोग किए जल्दबाजी में भेज दिए जाते हैं। राज्य से प्राप्त प्रस्तावों को इस अनुरोध के साथ वापस करना पड़ता है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ पूर्ण प्रस्ताव भेजें। जहां तक गुजरात राज्य का प्रश्न है, उन्होंने लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावासों को पूरा करने के लिए वर्ष 2004-05 के लिए 67.59 लाख रुपए निर्मुक्त करने हेतु मई, 2004 में अनुरोध किया था। यह धनराशि उन्हें 30.11.2004 को पहले ही जारी कर दी गई है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. स.	राज्य का नाम	अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण की योजना के अधीन राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां			अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अधीन छात्रावासों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त निधियां		
		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	232.50	332.50	277.00	0	1.12	0
2.	असम	0	0	0	14.17	14.17	14.17
3.	गुजरात	31.86	0	0	14.16	14.16	14.16
4.	हिमाचल प्रदेश	240.10	0	0	0	7.78	4.45
5.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0
6.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
7.	केरल	22.64	0	0	13.08	9.74	5.50
8.	मध्य प्रदेश	0	862.00	0	0	1.21	0
9.	मणिपुर	0	0	49.84	7.78	31.21	0
10.	मेघालय	0	27.50	0	0	0	0
11.	उड़ीसा	55.00	0	41.46	12.28	17.42	7.39
12.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
13.	तमिलनाडु	0	0	0	7.78	4.41	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	त्रिपुरा	50.00	0	50	0	0	0
15.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
16.	पश्चिम बंगाल	0	5.00	47.76	49.56	108.63	70.80
17.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0
18.	कर्नाटक	175.00	0	150.00	0	0	0
19.	महाराष्ट्र	285.62	0	0	0	2.43	3.78
20.	बिहार	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	65.00	150.00	5.44	5.44	0
22.	जेएनयू/आईआईटी दिल्ली	50	0	230.62	5.44	5.44	0
23.	झारखंड	394.80	0	817.83	7.40	11.52	6.60
24.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	58.00	0	0	7.08	0
25.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
26.	सिक्किम	0	0	0	0	1.21	0
27.	छत्तीसगढ़	10.00	0	0	0	0	0
28.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0
29.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
	कुल	1557.52	1350.00	1814.51	137.09	242.97	126.85

[हिन्दी]

अतिरिक्त कमरों का निर्माण

2944. श्री राजेन्द्र कुमार :
श्री मुनव्वर हसन :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहर में सरकारी कालोनियों, विशेषकर राजा बाजार, आराम बाग, लोधी कालोनी तथा आर.के. पुरम में टाइप-III क्वार्टरों में अतिरिक्त कमरा बनाने तथा अलग पानी की टंकी प्रदान करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन क्वार्टरों में एक और कमरा बनाने के लिए क्या नियम तथा औचित्य हैं;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है/खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राजा बाजार में 1104 टाईप-II क्वार्टरों में अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। सभी सरकारी कॉलोनियों में पहले से ही पानी की टंकियां मौजूद हैं। कुछ मामलों में क्वार्टरों के एक समूह के लिए सामूहिक टंकियां हैं। उपर्युक्त कालोनियों में टाईप-II तथा टाईप-III क्वार्टरों में अलग-अलग पानी की टंकी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राजा बाजार के टाइप-II क्वार्टरों का प्लिंथ क्षेत्र संशोधित मानकों से कम था। अत: इस कॉलोनी में एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया।

(ग) और (घ) निर्माण कार्य शुरू हो चुका है स्वीकृत 3.57 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि में से अब तक 91 लाख रुपये (लगभग) खर्च किये जा चुके हैं।

[अनुवाद]

एस्कॉर्ट अस्पताल को भूमि के आबंटन को रद्द करना

2945. **श्री डी. पुरन्देश्वरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 14 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में कोई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2946. **श्री हेमलाल मुर्मू** :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत, सड़क तथा राज मार्ग, खनन, समाचार पत्रों आदि जैसे हमारे प्रमुख क्षेत्रों में बहुत कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम के क्या कारण हैं;

(ख) संबंधित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में विनियमों में परिवर्तन करने का है;

(घ) क्या सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के एक प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है तथा निजी निवेशकों का स्वागत किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(च) संबंधित राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा संबंधित राज्यों ने अपने राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए क्या पहल की?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) उदारीकृत आर्थिक परिवेश के अंतर्गत उद्यमी, वाणिज्यिक व अन्य संगत विवेचनों के आधार पर क्षेत्रों और स्थापना स्थलों के चयन सहित निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं। भारत सरकार ने एक उदार, पारदर्शी और निवेशकोन्मुख विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति बनाई है जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा, सड़कों व राजमार्गों; और अधिकांश खनन कार्यकलापों को छोड़कर, विद्युत जनित्रण, पारेषण व वितरण सहित अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। समाचार पत्रों (न्यूज पेपर) में 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मात्रा बढ़ाने हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की प्रक्रियाओं सहित सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने हाल ही में स्वत: मार्ग के अंतर्गत शहरों, आवास, निर्मित अवसंरचना एवं निर्माण विकास परियोजनाओं के विकास हेतु 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की ही है।

(घ) और (ङ) ऐसे क्षेत्रों, जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश क्षेत्रीय इक्विटी सीमाओं के अध्यधीन नहीं होगा, का पता लगाने के लिए गठित समिति ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

और विदेशी संस्थागत निवेशक सहित 49 प्रतिशत की संयुक्त सीमा के लिए सिफारिश की थी। रक्षा मंत्रालय मौजूदा भू-राजनीति परिवेश के मद्देनजर रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि करने के पक्ष में नहीं है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अतंर्वाह का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए की गई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक अवसंरचना का विकास, तेजी से स्वीकृतियां, विनियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण; निवेश संवर्धन एवं सुविधा शामिल हैं।

विवरण

अप्रैल, 2001 से मार्च, 2004 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों का राज्य वार वित्तीय वष-वार विवरण।

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक के क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	338.09	242.65	353.49	934.23
2.	असम	5.58	2.59	19.48	27.65
3.	बिहार	0.00	0.00	1.13	1.13
4.	गुजरात	108.66	550.71	917.12	1576.49
5.	कर्नाटक	1348.36	975.24	926.53	3250.12
6.	केरल	66.18	67.45	44.53	178.16
7.	मध्य प्रदेश	12.87	5.83	34.85	53.55
8.	महाराष्ट्र	5137.34	2366.40	1355.31	8859.06
9.	राजस्थान	5.23	1.22	1.89	8.33
10.	तमिलनाडु	1659.60	990.17	603.80	3253.58
11.	पश्चिम बंगाल	87.24	177.96	84.50	349.70
12.	चडीगढ़	5.93	843.89	76.71	926.53
13.	दिल्ली	5460.17	3062.22	2123.46	10645.85
14.	गोवा	15.71	139.09	160.59	315.39
15.	दर्शाये नहीं गये	4235.32	3445.25	3360.72	11041.29
16.	अग्रिम अंर्तवाह	706.61	1977.12	1880.76	4564.49
17.	भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवासी भारतीय योजनाएं	0	84.00	172.50	256.50
18.	स्टाक विनियम (स्टाक स्वैप)	167.94	0.49	0	168.43
	कुल योग	19360.83	14932.28	12117.37	46410.48

टिप्पणी: 1. उक्त राशि में एस आई ए/एफ.आई.पी.बी. मार्ग, मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण और भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः मार्ग के जरिये ही प्राप्त अतंवार्ह शामिल हैं।

2. उपर्युक्त राज्य-वार अंतर्वाहों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा प्रस्तुत भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रवार अंतर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

[अनुवाद]

शुल्क मुक्त करना

2947. श्री सुग्रीव सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्यात को बढ़ावा देने वाली डीईपीबी, ईपीसीजी, ईपीजैड, ईओयू, जैसी विभिन्न योजनाओं को शुल्क मुक्त करने तथा ड्राबैक और अन्य योजनाओं के अंतर्गत शुल्क के प्रतिदेय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान लगाए गए अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वापसी अदायगी वितरण सहित विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों पर शुल्क माफी के ब्यौरे का विवरण निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

क्र. स.	स्कीम	2002-03	2003-04	2004-05 (जनवरी, 05 तक)
1	2	3	4	5
1.	अग्रिम लाइसेंस स्कीम	7461.96	10134.03	9097.79
2.	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ईपीजैड	5925.96	9421.95	6881.27
3.	ईपीसीजी	3025.47	3399.10	3731.47
4.	ड्राबैक	4520.40	4415.00	2471.99
5.	डीईपीबी स्कीम	6830.82	11692.33	8723.60
6.	एसईजेड		1320.02	1164.67
7.	डीएफआरसी		630.06	635.21
8.	डीएफआरसी		48.08	16.79
	जोड़	27764.53	41060.57	32722.79

पिछले तीन वर्षों के लिए ड्राबैक (माने गए निर्यात) के अंतर्गत शुल्कों का वापसी भुगतान।

(करोड़ रुपए)

क्र. स.	स्कीम	2002-03	2003-04	2004-05	जोड़
1.	डीजीएफटी द्वारा	353.00	418.51	404.62	1176.13
2.	वाणिज्य विभाग (ईपीजेड) द्वारा	232.00	293.61	270.50	796.11

(ख) चूंकि निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा प्राप्त कि गई हकदारियां वास्तविक कार्य निष्पादन पर आधारित होती हैं इसलिए अग्रिम अनुमान नहीं लगाए जा सकते।

[हिन्दी]

भारतीय कारागार अधिनियम

2948. श्रीमती अनुराधा चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कारागारों में सुधारों लाने हेतु ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित भारतीय कारागार अधिनियम, 1894 में संशोधन करने का है जैसा कि दिनांक 6 फरवरी, 2005 के 'हिन्दुस्तान' अखबार में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि वे जेलों में नियमित विशेष न्यायालय लगाकर न्यायिक प्रक्रिया को तेज करें तथा उनकी स्वयं मॉनिटरिंग करें, मासिक आधार पर

विचारणाधीन व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा करें तथा 6-8 सप्ताहों के पश्चात समीक्षा करके विचारणाधीन कैदियों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने पर विचार करें। भारत सरकार ने 2000 में 1734 फास्ट ट्रेक न्यायालयों की स्थापना हेतु एक स्कीम की थी। 7.3.05 की स्थिति के अनुसार, 1699 फास्ट ट्रेक न्यायालय स्थापित किए गए हैं जिसमें से 1549 न्यायालयों ने पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया है तथा उन्होंने 6,57,462 मामलों को निपटाया है।

[अनुवाद]

अंडरवर्ल्ड से संबंध

2949. श्री के.एस. राव :
श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :
श्री मधु गौडयास्खी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अंडरवर्ल्ड सरगनाओं से संबंध रखने वाले व्यापारियों/उद्योगपतियों को सरकारी संविदाओं में भाग लेने से रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन व्यापारियों/उद्योगपतियों का ब्यौरा क्या है जिनका कथित रूप से देश में अंडरवर्ल्ड सरगनाओं से संबंध है;

(घ) क्या फिल्म उद्योग के लोग कथित रूप से हवाला के माध्यम से धन प्राप्त कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग के इस प्रकार के सांठ-गांठ पर कोई रोक लगाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, (डी जी एस एंड डी), विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली और नियमित रूप से मांगी जाने वाली मदों की खरीद के लिए दर संविदाओं को अंतिम रूप देता है। सामान्य रूप से उन फर्मों के साथ दर संविदाएं की जाती हैं जो विश्वसनीय होती हैं और जिनकी साख प्रमाणित होती है। फर्मों की साख और विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए डी जी एस एंड डी के पास पंजीकरण की प्रणाली भी है। निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों को पूरा करने के पश्चात फर्मों को विभिन्न मदों के लिए अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में पंजीकृत किया गया जाता है। यदि किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को किसी अनैतिक कार्य या अनाचार में संलिप्त पाया जाता है तो इस प्रणाली में उनका पंजीकरण समाप्त करने और उनके विरुद्ध निलम्बन/व्यापार का प्रतिबंधित करने जैसी अन्य प्रशासनिक कार्रवाई करने की व्यवस्था है। उपर्युक्त प्रणाली में यह सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था है कि अवांछित व्यापारियों को सरकारी निविदाओं में भाग लेने से दूर रखा जाए।

(ग) मुंबई पुलिस द्वारा हाल ही में जांच किये गये एक मामले में एक अभियुक्त ने बयान दिया था कि दो गुटका विनिर्माताओं नामत: माणिकचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के श्री रसिकलाल धारीवाल और गोवा गुटका के श्री जे.एम. जोशी ने अपने वित्तीय विवाद निपटाने के सिलसिले में गैंगस्टर अनीस इब्राहिम कस्कर (दाउद इब्राहीम का भाई) के साथ बैठक की थी। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 09.02.2005 को उक्त मामले की जांच-पड़ताल का काम अपने हाथ में ले लिया है।

(घ) से (छ) फिल्म उद्योग के व्यक्तियों द्वारा हवाला के माध्यम से धन प्राप्त करने के दो मामले प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में आए हैं। एक मामले में फिल्म उद्योग से जुड़े सर्व/श्री अली मूरानी और मोहम्मद मूरानी (दोनों भाई) ने छोटा शकील की ओर से श्री भरत शाह, फिल्म निर्माता और वित्तपोषक को 45 लाख रु. और छोटा शकील के प्रतिनिधि के रूप में मुंबई में श्री बच्चू के नाम से एक व्यक्ति को 23 लाख रु. का भुगतान किया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ ई एम ए), 1999 के उपबंधों के अधीन मूरानी भाइयों और भरत शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

एक दूसरे मामले में, मुंबई के फिल्म निर्माता श्री मंसूर ए. सिद्दिकी पर फिल्म स्टार श्री संजय दत्त को अपनी एक फिल्म में एक्टिंग करने के लिए 26 लाख रु. का हवाला भुगतान करने का संदेह था। फिल्म बनाई नहीं जा सकी और अपनी धनराशि वापस लेने के लिए श्री सिद्दिकी ने अंडरवर्ल्ड में सक्रिय में सक्रिय छोटा शकील से संजय दत्त पर दबाव डलवाया और श्री संजय दत्त ने धनराशि वापस लौटा दी। सर्व/श्री संजय दत्त और एम.ए. सिद्दिकी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले पर न्याय-निर्णय किया जा चुका है और आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त, जब कभी ऐसे लेन-देन

का पता चलता है तब एफ ई एम ए अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।

निर्यात का लक्ष्य

2950. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005-06 के लिए 88 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात के इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार क्या ठोस कदम उठाने और उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के निर्यात और छोटे तथा मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु देश में शीतागार श्रृंखला और वेयरहासिंग पार्क आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उक्त शीतागार तथा वेयरहाउसिंग पार्क कहां-कहां खोले जाने हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) अगले 5 वर्षों में वैश्विक पण्य व्यापार में भारत के हिस्से को दुगना करने के उद्देश्य से अगस्त, 2004 में एक नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की घोषणा की गई थी। एफटीपी में अपनाई गई कुछ कार्यनीतियों में प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सौदा लागत में कमी करना, निर्यातों में प्रयुक्त निविष्टियों पर सभी लेवियों और शुल्कों के भार को निष्क्रिय करना और आगे संवर्धन के लिए कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा और फुटवियर जैसे विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त "विशेष कृषि उपज योजना" (विशेष कृषि उत्पाद स्कीम) और "टारगेट प्लस" जैसी निर्यात संवर्धन स्कीमें निर्यातों में वृद्धि को और बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। एपीडा ने बागवानी और पुष्प कृषि उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला और शीत श्रृंखला में सुधार करने के उद्देश्य से बुनियादी संरचना के संवर्धन और विकास के लिए एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के एक संघटक के अंतर्गत एपीडा ने मुंबई, चेन्नई, बंगलौर आदि में शीत श्रृंखला और पैलेट्स की ढुलाई के यंत्रीकरण के लिए विमान पत्तनों पर खराब होने वाले कार्गो के लिए केन्द्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत व्यापार और वेयरहाउसिंग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड्स) की एक विशेष श्रेणी के रूप में मुक्त व्यापार और वेयरहासिंग क्षेत्रों (एफटीडब्ल्यूजेड) की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन

2951. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी.आर.आई.पी. एस. करार पेटेन्ट योग्य आविष्कार को परिभाषित करता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की संशोधन प्रक्रिया में संदिग्ध पेटेन्टों को दायर करने से बचने के लिए पेटेंट योग्य आविष्कार को उचित रूप से परिभाषित किया गया है;

(ग) संशोधित पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में वाणिज्यिक कार्यकलाप हेतु अनिवार्य लाइसेंसों पर अनुच्छेद 31 (ख) की शर्तों को शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(घ) 'पेटेन्ट न दिए जाने' से संबंधित अध्याय V की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के क्या कारण हैं जबकि टी.आर.आई.पी. एस. करार के अनुसार ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) क्या पेटेन्ट किए जाने वाले विषय के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के लिए प्रावधान किया गया है जैसा कि आई.पी.आर. पर यूके कमीशन की रिपोर्ट में पेटेन्ट संशोधन के अध्याय VI में आयोग द्वारा सिफारिश की गई है;

(च) अत्यधिक संख्या में पेटेन्ट आवेदनों का निपटान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) "नए प्रयोग तथा सिर्फ नए प्रयोग" के बीच अंतर क्या है जिसकी पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 की धारा 3 में परिवर्तन की मांग की गई है;

(ज) उद्योग अथवा हार्डवेयर के साथ संबंधित तकनीकी आवेदन का ब्यौरा क्या है तथा इसका औचित्य क्या है;

(झ) अध्यादेश की धारा 92 (क) का औचित्य क्या है;

(ञ) घरेलू बाजार में संबद्ध पेटेन्ट की गई औषधि के उत्पादित

न होने के मामले में निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ट) क्या धारा 92 (क) के प्रावधान केवल भेषज उत्पादों के निर्यात पर रोक नहीं लगाएंगे; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 27.1 में व्यवस्था है कि प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में सभी आवष्किारों के लिए पेटेंट उपलब्ध होंगे, चाहे वे उत्पाद पेटेंट हों या प्रक्रिया पेटेंट; बशर्ते वे नये हों, उनमें कोई आविष्कार शीलता का चरण शामिल हो और वे औद्योगिक उपयोग के लायक हों। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 में ऐसे आविष्कारों का ब्यौरा है, जो पेटेंटनीय नहीं हैं।

(ग) पेटेंट कानूनों के द्वितीय संशोधन की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने पेटेंट अधिनियम, 1970 के अध्याय XVI के तहत अनिवार्य लाइसेंस संबंधी उपबंधों की समीक्षा की और उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया। ये उपबंध बौद्धिक संपदा संरक्षण को जन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ प्रभावी रूप से संतुलित व व्यवस्थित करते हैं।

(घ) संशोधित विरोध प्रक्रिया में विलंबों के प्रति उपचारात्मक कार्यवाही की व्यवस्था की गई है तथा एक सरलीकृत, दक्ष लागत प्रभावी उपयोगकर्तानुकूल प्रणाली की शुरूआत की गई है, जिससे न केवल पेटेंटों को शीघ्र प्रदान करने में ही सहायता मिलती है, बल्कि तीसरी पार्टियों के हितों की भी रक्षा होती है।

(ङ) बौद्धिक संपदा अधिकारों पर यू.के. कमीशन की रिपोर्ट में, पेटेंटनीय विषयों के दायरे को सीमित करने संबंधी संगत सिफारिशों को पेटेंट अधिनियम में शामिल किया गया है।

(च) अत्यधिक पेटेंट आवेदनों की समस्या को हल करने के लिए, सरकार ने पेटेंट कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण कार्य आरंभ किया है। आधुनिकीकरण की पहलों के प्रमुख घटकों में शामिल हैं मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा और नई उपयोगकर्तानुकूल प्रक्रियाओं का विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रदान करने की प्रक्रिया का कंम्प्यूटरीकरण, कार्यालयों की नेटवर्किंग, मानव संसाधन विकास से जुड़े क्रियाकलाप, अधिकारियों का प्रशिक्षण, जागरूकता एवं विस्तार क्रियाकलाप। पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 (20 मई, 2003 से लागू किया गया), जिसके फलस्वरूप सभी आवेदनों की जांच के स्थान पर अनुरोध पर जांच प्रणाली की शुरूआत हुई; में निहित कानूनी उपायों के जरिये लंबित पेटेंट आवेदनों के पिछले बकायों की समस्या पर भी ध्यान दिया गया है। एक समय सीमा के भीतर पेटेंट प्रदानगी संबंधी आवेदनों के त्वरित निपटान हेतु अतिरिक्त पेटेंट जांचकर्ताओं की भी भर्ती की गई है व उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

(छ) और (ज) धारा 3 में संशोधन में "नये उपयोग" शब्दों को "मात्र नया उपयोग" शब्द से प्रतिस्थापित कर मसौदा सामंजस्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है ताकि किसी ज्ञात पदार्थ के मात्र नए प्रयोग के लिए पेटेंट न प्रदान किया जा सके और उपबंध भी इस प्रकार स्पष्ट हो जाए कि उद्योग के लिए तकनीकी उपयोग वाले साफ्टवेयर संबंधी आविष्कारों के लिए अथवा हार्डवेयर के संयोजन में पेटेंट की पात्रता मिल जाए।

(झ) से (ठ) ट्रिप्स और जनस्वास्थ्य पर दोहा घोषणा के पैरा 6 में निहित उस निर्णय को लागू करने के लिए धारा 92 (क) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार ऐसे देशों को भेषज उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है जिनके पास भेषज क्षेत्र में अपर्याप्त या शून्य विनिर्माण क्षमताएं हैं; ताकि जन स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु अनिवार्य लाइसेंस का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो जाए।

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार

2952. श्री एल. राजगोपाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के सतर्कता अनुभाग ने 2488 पुलिस कार्मिकों को कदाचार में लिप्त पाया गया है जैसा कि दिनांक 6 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दिल्ली पुलिस बल को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) कदाचार सहित दुराचार के विभिन्न मामलों हेतु, वर्ष 2004 के दौरान निरीक्षक के रैंक तक के उन पुलिस कार्मिकों के ब्यौरे जिनको सजा सुनाई गई, नीचे दिए गए हैं:—

सुनाई गई सजा की प्रकृति	पुलिस कार्मिकों की संख्या
बर्खास्तगी/हटाना/पदच्युति	84
अनुच्छेद 311(2) (ख) के अन्तर्गत बर्खास्तगी	2
सेवा का समपहरण	354
रैंक कम करना	2
वेतन कम करना	1
वेतनवृद्धि रोकना	106
निन्दा	2158
कुल	2707

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों में शामिल हैं: गश्त ड्यूटी के लिए तैनात कार्मिकों की गतिविधियों तथा पुलिस पिकैटस की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक जांच करना; संदेहास्पद चरित्र के पुलिस कार्मिकों पर निगाह रखना; अपराधिक मनोवृत्ति के पुलिस कार्मिकों को गैर-संवेदनशील पदों पर स्थानान्तरित करना; अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना; पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अपराधिक शिकायतों को संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा सीधे निपटाया जाना; पुलिस कार्मिकों पर कड़ी निगाह रखने के लिए जिलों/इकाइयों में जन शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना; संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की आपराधिक गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखना; पुलिस कार्मिकों के उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आम जनता को दूरभाष सं. 233122 तथा पोस्ट बाक्स सं. 171 की सुविधा प्रदान करना; जिलों के पुलिस उपायुक्तों द्वारा शिकायतों के रजिस्टर का रख रखाव; तथा आम जनता को ई-मेल के जरिए भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

[हिन्दी]

दिल्ली में व्यापार मेला

2953. श्री रामदास आठवले :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक आई टी एफ ओ द्वारा प्रत्येक व्यापार मेले का आयोजन, रख-रखाव आदि करने में कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या ऐसी प्रदर्शनियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले देश के अन्य भागों में भी आयोजित किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक कितने व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ङ) क्या इन मेलों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में शुल्क संरचना क्या थी;

(छ) आई टी एफ ओ द्वारा प्रत्येक व्यापार मेले मे अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान इन व्यापार मेलों में आई टी एफ ओ द्वारा राज्यों/अन्य देशों के मंडपों पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(झ) उनके मंडलों से आई टी एफ ओ द्वारा अर्जित आय का राज्यवार/देशवार क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) आई टी पी ओ द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित की गयी प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के ब्यौरे नीचे (ख) में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक अन्य अभिकरणों द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित की गयी प्रदर्शनियों/मेलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापार मेलों के आयोजन पर आई टी पी ओ द्वारा निम्नलिखित राशि खर्च की गई थी। चालू वित्त वर्ष के लिए लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(लाख रुपये में)

2001-2002	
1. कंज्यूमैक्स 5/2001	12.99
2. सोशल डेवलपमेंट फेयर 5/2001	15.60
3. दिल्ली इंटरनेशनल शू फेयर 6/2001	33.10
4. सजावट 9/2001	12.86
5. दिल्ली बुक फेयर 9/2001	32.21
6. स्टेशनरी फेयर 9/2001	12.46
7. इंडिया इटरनेशनल ट्रेड फेयर 11/2001	381.79
8. आरोग्य 12/2001	24.50
9. इंटरनेशनल सिक्युरिटी एंड सेफ्टी एग्जीबिशन 12/2001	27.49
10. टेक्स-स्टाइल्स इंडिया 2/2002	121.84
11. कृषि एक्सपो 2/2002	26.32
12 आहार 3/2002	24.00
2002-2003	
1. दिल्ली इंटरनेशनल शू फेयर 4/2002	53.31
2. दिल्ली बुक फेयर 8/2002	33.84
3. सजावट 8/2002	13.32
4. स्टेशनरी फेयर 8/2002	14.42
5. नेशनल फर्नीचर शो 10/2002	17.48
6. इंडिया इंटरमेशनल ट्रेड फेयर 11/2001	510.62
7. सोशल डेवलपमेंट फेयर 12/2002	12.07
8. कंज्यूमेक्स 12/2002	8.25
9. आरोग्य 12/2002	20.26
10. टेक्स स्टाइल्स इंडिया 2/2003	109.04
11. कृषि एक्सपो 2/2002	23.94
12. आहार 3/2003	35.66
2003-2004	
1. कूल होम फेयर 5/2003	12.17
2. दिल्ली बुक फेयर 8/2003	45.33
3. स्टेशनरी फेयर 8/2003	13.89
4. सजावट 8/2003	12.37
5. आरोग्य 9/2003	23.55
6. दिल्ली इंटरनेशनल लेदर फेयर 10/2003	34.32
7. नेशनल फर्नीचर फेयर 10/2003	13.83
8. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 11/2003	576.14
9. इंटरनेशनल सिक्युरिटी एंड सेफ्टी एग्जीबिशन 12/2003	30.13
10. टेक्स-स्टाइल्स इंडिया 2/2004	150.29
11. आहार 3/2004	36.96

(ग) जी, हां।

(क) देश के अन्य भागों में आयोजित प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

1. इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर 2001, चेन्नई
2. इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर 2001, कोलकाता
3. इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर 2002, चेन्नई
4. इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर 2002, कोलकाता
5. इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर 2003, चेन्नई
6. इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर 2003, कोलकाता

7. मुंबई इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स फेयर 2004, मुंबई

8. इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर 2004, कोलकाता

9. इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर 2004, कोलकाता

10. मुंबई इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स फेयर 2004, मुंबई

11. इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर 2005, चेन्नई

12. इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर 2005, कोलकाता

इन मेलों के आयोजन हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और टैक्स-स्टाइल्स इंडिया को छोड़कर अन्य प्रदर्शिनियों/मेलों में आगंतुकों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	2001-02	2002-03	203-04
बिजनेस टिकट/दिवस	200	300	300
सीजन टिकट	1000	1500	1500
कार्य दिवस (व्यस्क)	15	20 (*15)	25 (*20)
कार्य विस (बच्चा)	8	10 (*5)	15 (*15)
अवकाश (व्यस्क)	25	30 (*25)	35 (*30)
अवकाश (बच्चा)	10	15 (*15)	20 (*15)
टैक्स-स्टाइल्स इंडिया			
बिजनेस टिकट	300	300	300
सीजन टिकट	800	800	800

*अभिकरण के जरिए बेचे गए टिकटों के लिए

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई टी पी ओ द्वारा प्रत्येक मेले से अर्जित की गयी आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं (चालू वित्त वर्ष के लिए लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(लाख रुपये में)

	2001-2002		
1.	कंज्यूमेक्स	5/2001	23.29
2.	सोशल डेवलपमेंट फेयर	5/2001	25.83
3.	दिल्ली इंटरनेशनल शू फेयर	5/2001	126.81
4.	सजावट	9/2001	35.85
5.	दिल्ली बुक फेयर	9/2002	69.61
6.	स्टेशनरी फेयर	9/2001	21.90
7.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	11/2001	1990.26
8.	आरोग्य	12/2001	44.30
9.	इंटरनेशनल सिक्युरिटी एंड सेफ्टी एग्जिबिशन	12/2001	47.36
10.	टेक्स-स्टाइल्स इंडिया	2/2002	270.34
11.	कृषि एक्सपो	2/2002	52.44
12.	आहार	3/2002	156.84
	2002-2003		
1.	दिल्ली इंटरनेशनल शू फेयर	4/2002	139.92
2.	दिल्ली बुक फेयर	8/2002	81.25
3.	सजावट	8/2002	33.53
4.	स्टेशनरी फेयर	8/2002	23.38
5.	नेशनल फर्नीचर शो	10/2002	33.49
6.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	11/2001	2237.21
7.	सोशल डेवलपमेंट फेयर	12/2002	25.78
8.	कंज्यूमैक्स	12/2002	13.94
9.	आरोग्य	12/2002	46.95
10.	टैक्स-स्टाइल्स इंडियां	2/2003	294.57

11.	कृषि एक्सपो 2/2002	54.39
12.	आहार 3/2003	149.38
	2003-2004	
1.	कूल होम फेयर 5/2003	9.67
2.	दिल्ली बुक फेयर 8/2003	105.80
3.	स्टेशनरी फेयर 8/2003	27.42
4.	सजावट 8/2003	27.92
5.	आरोग्य 9/2003	55.08
6.	दिल्ली इंटरनेशनल लेदर फेयर 10/2003	104.42
7.	नेशनल फर्नीचर फेयर 10/2003	34.83
8.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 11/2003	2579.08
9.	इंटरनेशनल सिक्युरिटी एंड सेफ्टी एग्जिबिशन 12/2003	82.69
10.	टेक्स-स्टाइल्स इंडिया 2/2004	339.29
11.	आहार 3/2004	187.21

(ज) और (झ) राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्य के पैवेलियनों का रख-रखाव किया जाता है। प्रगति मैदान में कोई स्थायी विदेशी पैवेलियन नहीं है। जहां तक राज्य/विदेशी पैवेलियन से विभिन्न मेलों/प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी के लिए अर्जित आय का संबंध है, इसे संबंधित आयोजन/प्रदर्शनी में शामिल किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक अन्य अभिकरणों द्वारा प्रगति मैदना में आयोजित प्रदर्शनियां/व्यापार मेलें:—

2001-2002

क्र.स.	विषय का नाम	दिनांक	आयोजक
1	2	3	4
1.	इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर 2001	14 से 16 जुलाई, 2001	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
2.	भागीदारी बैठक	1 जुलाई, 2001	एनसीटीआई दिल्ली सरकार
3.	भागीदारी बैठक	1 अगस्त, 2001	एनसीटीआई दिल्ली सरकार
4.	क्लैकशन ऑफ इंकम-टैक्स रिटर्न	27 से 31, जुलाई 2001	आयकर विभाग
5.	गारमेंट टैक्नॉलोजी फेयर 2001	31 अगस्त से 3 सितम्बर, 2001	गारमेंटेक एक्सपो
6.	एचसीएल सिलवर जुबली फंक्शन	8 से 9 अगस्त, 2001	एचसीआई
7.	बिजनेस सैमीनार ऑफ ब्रेट वर्ल्ड	10 से 12 अगस्त, 2001	ब्रेट वर्ल्ड
8.	चौथा केबल टीवी इंडिया शो	14 से 15 सितम्बर 2001	आविष्कार बिजनेस नेटवर्क
9.	सोसाइटी इंटीरियर्स एक्सपो	20 से 23 सितम्बर 2001	मैग्ना पब्लिसिंग
10.	बेस्ट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एक्सपो	28-सितम्बर से 2 अक्टूबर 2001	सर्विसेज इंडिया

1	2	3	4
11.	इंडिया इंटरनेट वर्ल्ड	26-28 सितम्बर, 2001	आईटी स्पेस. कॉम
12.	हिन्टैक्सटाइल इंडिया 2001	4-7 अक्तूबर, 2001	मैस फ्रैंकफुत
13.	सातवीं एशिया कंस्ट्रेक्ट प्रदर्शनी	3-6 अक्तूबर, 2001	टैफकॉन प्रोजेक्टस इंडिया प्रा.लि.
14.	इंडिया हैन्डिक्राफ्ट और गिफ्ट फेयर, 2001	15-18 अक्तूबर, 2001	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
15.	कोरियन प्रोडक्टस शो 2001	22-24 अक्टूबर, 2001	कोरियन ट्रेड सेंटर-
16.	इन्साइड आउटसाइट मेगा शो	13-16 दिसम्बर, 2001	बिजनेस इंडिया एग्जिबेसन्स -
17.	पेपरेक्स 2001	14-17 दिसम्बर, 2001	टैफकान प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा. लि.
18.	होटल इक्विप इंडिया	5-8 जनवरी, 2002	कैन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री
19.	ऑटो एक्सपो	15-22 जनवरी, 2002	कैन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री
20.	वर्ल्ड बुक फेयर	28 जनवरी, से 4 फरवरी, 2002	नेशनल बुक ट्रस्ट
21.	इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर 2002	28-30, जनवरी, 2002	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
22.	वाटर एशिया	30 जनवरी से 1 फरवरी, 2002	इंटरेड्स
23.	कारपेट एक्सपो	10-13 फरवरी, 2002	एआईसीटीएफसी
24.	इंडिया हैन्डिक्राफ्टस और गिफ्ट्स फेयर, 2002	10-13 फरवरी, 2002	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
25.	जूट इंडिया	10-13 फरवरी, 2002	जेएमडीसी
26.	होस्पीमेडिका इंडिया	19-23 फरवरी, 2002	सीडेक्स
27.	डेफेक्सपो, 2002	19-23 फरवरी, 2002	रक्षा मंत्रालय/ सीआईआई
28.	सुपरकॉम 2002	20-22 फरवरी, 2002	इंटरेड्स लि.
29.	इनॉपटिक्स 2002	16-18 फरवरी, 2002	आरएसडी एक्सपोजिशंस
30.	कनवरजेंस इंडिया 2002	6-8 फरवरी, 2002	एक्जीबिशंस इंडिया
31.	इन्टेलिजेन्ट इन्वेस्टर पर्सनल फाइनैंस शो 2002	8-10 मार्च, 2002	हाथवे इंवेस्टमेंट प्रा. लि.
32.	ज्वेल्स 2002	16-19 मार्च, 2002	एएनजेड इंटरनेशनल मार्केटिंग
33.	विजिटेक्स 2002	19-22 मार्च, 2002	वेकॅम

1	2	3	4
34.	एनुवल लीडरशिप कान्फ्रेन्स	20-23 मार्च, 2002	डा. जायसलीन
35.	एजुकेशन इंडिया 2002	23-25 मार्च, 2002	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा. लि.
	2002-2003		
1.	इंडिया फर्निचर फ्लोरिंग और एसेसरीज शो	8-11, अप्रैल, 2002	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
2.	एम्बीरेंट इंडिया	8-11, अप्रैल, 2002	मैस फ्रैंकफुर्त
3.	साईंस और टैक्नॉलाजी	10-12, अप्रैल, 2002	एक्जीबीसन्स इंडिया
4.	रेलीयो क्विक ऑटो माल	12-14, अप्रैल, 2002	रेलीयो क्विक एडवरटाईजिंग और मार्केटिंग सर्विस, नई दिल्ली
5.	न्यूट्रिलाइट ब्रांड एक्सपो	14 अप्रैल, 2002	एमवे इंडिया इंटरप्राईजेज, नई दिल्ली
6.	एनुवल कार्फ्रेंस ऑफ पीएटीए	15-17, अप्रैल, 2002	डिपार्टमेंट ऑफ टयूरिज्म
7.	सैट	19-21, अप्रैल, 2002	साउथ एशिया ट्रैवल और टूयूरिज्म एक्सचेंज
8.	गारमेंटेक 2002	11-14, जुलाई, 2002	एएनजेड इंटरनेशनल
9.	इंकम-टैक्स	. 27-31, जुलाई, 2002	डिपार्टमेंट ऑफ इंकम टैक्स
10.	इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर 2002	28-30, जुलाई, 2002	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
11.	टाइम्स ब्रांड मैजिक 2002	28-29, जुलाई, 2002	डीलर्स ऑफ यू, मुंबई
12.	टोय बीज 2002	28-29, जुलाई, 2002	दे टोय एसोसिएसन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
13.	पांचवां केबल टीवी इंडिया शो	18-19, अगस्त, 2002	आविस्कार बिजनेस नेटवर्क, नई दिल्ली
14.	बैस्ट ऑफ एक्सपो	30 अगस्त, 15, अगस्त, 2002	सर्विस (इंडिया) प्र.लि. नई दिल्ली
15.	बोडिकेयर	6-9, सितम्बर, 2002	रिलेक्स इं. नई दिल्ली
16.	सोसाइटी इंटेरियर एक्सपो	6-9, सितम्बर, 2002	मैग्ना पब्लिसिंग
17.	ट्रांसपोर्ट इंडिया	2-4, सितम्बर, 2002	इंट्रेड्स लि., नई दिल्ली
18.	बाउन इंडिया 2002	4-7, सितम्बर, 2002	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि.
19.	तीसरी इंटरनेशनल डायरी	4-7, सितम्बर, 2002	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि.

1	2	3	4
20.	लाइट इंडिया	6-9, सितम्बर, 2002	फेयर डिजाइन इंडिया लि.
21.	गारटेक्स	10-13, सितम्बर, 2002	मोडर्न मल्टी मिडिया मार्केटिंग का. इंडिया प्रा.लि.
22.	दि वोमेन	12-15, सितम्बर, 2002	एएनजेड इंटरनेशनल
23.	माइन्स, मेटल और मैटालर्जी	12-15, सितम्बर, 2002	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि.
24.	इनवाइरो	12-15, सितम्बर, 2002	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि.
25.	इंडियाकैम	18-21, सितम्बर, 2002	फेड्रेसन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री
26.	स्मार्टकार्ड एक्सपो 2002	18-20, सितम्बर, 2002	इलेक्ट्रोनिक्स टूडे
27.	इंटरनेशनल ट्रैवल और टयूरिज्म पार्ट	27-29, सितम्बर, 2002	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि.
28.	हेमटैक्सटाइल	4-7, अक्तूबर, 2002	मैस फ्रान्कफुल
29.	इंडिया हैन्डिक्राफ्टस और गिफ्ट्स फेयर, 2002	4-7, अक्तूबर, 2002	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
30.	प्रोपट्री एफेयर्स	11-13, अक्तूबर, 2002	रेलियो क्विक एडवरटाइजिंग और मार्केटिंग सर्विस, नई दिल्ली
31.	इंडिया कार्पेट फेयर	13-16, अक्तूबर, 2002	कारपेट एक्सपोर्ट प्रमो. काउं.
32.	आईएफई इंडिया	4-7, दिसम्बर, 2002	आईटीई (I) प्रा. लि.
33.	इंटरबिल्ड इंडिया	11-14, अक्तूबर, 2002	आईटीई (I) प्रा. लि.
34.	इंसाईड आउटसाईड मेगा शो	19-22, दिसम्बर, 2002	बिजनेस इंडिया एग्जिबिसन्स
35.	पेट्रोटैक 2003	9-12, जनवरी, 2002	कान्फेड्रेसन्स ऑफ इंडिया इंडस्ट्री
36.	दिल्ली फौटो फेयर	19-12 जनवरी, 2003	आल इंडिया फोटोग्राफिक टेड और इंडस्ट्री एसोसिएसन
37.	प्रवासी भारतीय दिवस	9-11, जनवरी, 2003	मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एफेयर/ एफआईसीसीआई
38.	पॉवरजन	14-16, जनवरी, 2003	इंटरेडस लि.
39.	इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर 2003	17-19, जनवरी, 2003	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

1	2	3	4
40.	सुपरकॉम	20-22 जनवरी, 2003	इंटरेडस लि.
41.	ऑटोमेकेनिका	21-24 जनवरी, 2003	मैस फ्रेकपर्डुत
42.	इंडिया इंजिनियरिंग ट्रेड फेयर	5-8 फरवरी, 2003	कंफीड्रेसन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री
43.	प्लास्ट इंडिया	15-20 फरवरी, 2003	प्लास्ट इंडिया फाउंडेसन
44.	कारपेट एक्सपो	27 फरवरी से 2 मार्च, 2003	कारपेट एक्सपोर्ट प्रो. काउंसिल
45.	जूट इंडिया	27 फरवरी से 2 मार्च, 2003	जेएमडीसी
46.	इंडिया हैन्डिक्राफ्टस और गिफ्ट्स फेयर, 2003	27 फरवरी से 2 मार्च, 2003	एक्सपोर्ट प्रो. काउंसिल फोर हैन्डिक्राफ्टस
47.	प्रोपर्टी एपक्वेयर	6-9 मार्च, 2003	रेलियो क्विक एडवरटाइजिंग और मार्केटिंग कां.
48.	कानवरजेन्स इंडिया	11-13 मार्च, 2003	
49.	आईएएपीआई ट्रेड शो	11-13 मार्च, 2003	इंडियन एसोसिएसन ऑफ एम्यूजमेंट पाक और इंडस्ट्री
50.	सेरामाइ मैन्युफैक्चरिंग टेकनॉलाजी	19-21 मार्च, 2003	सर्विस इंटरनेशनल
51.	गुडलाइफ शो 2003	20-25 मार्च, 2003	फिन्ड्ज इवेंट और प्रो.प्रा. लि.
52.	साईन टूडे	2-23 मार्च, 2003	बाईसेल इंटरेक्स
53.	साईमो 2003	24-26 मार्च, 2003	मॉडर्न मल्टी मिडिया मार्केटिंग का. (I) प्रा.लि.
54.	साट	28-30 मार्च, 2003	साऊथ एशिया ट्रवेल और टयूरिज्म एक्सीबिसन
55.	फ्रांसिंग इंन इंडिया	13-14 मार्च, 2003	इंट्रेड लि.
56.	ज्वेल्स	21-24 मार्च, 2003	जाक ट्रेक फेयर और एक्सीबिसन प्रा.लि.
	2003-2004		
1.	एज्यूकेशन इंडिया 2003	3-5 अप्रैल, 2003	टेफकॉन प्रोजक्ट्स इंडिया प्राइवेट लि.
2.	वार्षिक भागीदारी	19 अप्रैल, 2003	गवरमेंट ऑफ एनसीटीआईसी ऑफ दिल्ली
3.	गुड गवरनेंस इंडिया 2003	8-1 अप्रैल, 2003	फेयर फेस्ट मिडिया लि.

1	2	3	4
4.	बायर सेलर मिटिंग बाई केवीआईटी	24-25 अप्रैल, 2003	केवीआईसी
5.	वायर और केबल एक्सपो 2003	25-28 अप्रैल, 2003	इंटेक ट्रेड फेयर प्रा.लि.
6.	इंडिया इंट. फेस्टिवेल कम ट्रेड फेयर	1-15 मई, 2003	इंडिया बिजिनेस वोमेन एसोसिएशन
7.	रिसेप्शन इवेन्ट	21 जून, 2003	
8.	इंफ्रा एजुकेशन 2003	27-20, जून, 2003	फ्रिन्ड्ज इवेन्ट और प्रो. प्रा.लि.
9.	रेडियो मिर्ची समर कारनिवाल	27-20, जून, 2003	इंटरनेशनल नेटवर्क इंडिया लि.
10.	कलचरल प्रोग्राम	28 जुलाई, 2003	
11.	रिसेपशन इवेन्ट	7 जुलाई, 2003	
12.	टाईम्स ब्रांड मेजिक, 2003	6-8 जुलाई, 2003	डिलर्स फोर यू
13.	गारमेंट इंडिया 2003	10-13जुलाई, 2003	जैक ट्रेक फेयर और एक्जीबिसन्स प्रा. लि.
14.	इकतीसवां इंडिया इंट. गारमेंट फेयर, 2003	18-20 जुलाई, 2003	अपरल एक्सपोर्ट प्रो. काउंसिल
15.	मिडिया एक्सपो 2003	8-10 अगस्त, 2003	इंटरनेशनल नेटवर्क इंडिया लि.
16.	मिर्ची ड्रीम कार्निवाल 2003	8-10 अगस्त, 2003	इंटरनेशनल नेटवर्क इंडिया लि.
17.	इंफ्रा मेडिका 2003	28-30 अगस्त, 2003	फ्रिन्ड्ज इवेन्ट और प्रो. प्रा.लि.
18.	इंडिया कन्वर्टिंग शो तथा इंडिया फ्लेक्जो शो	सित. 5-8, 2003	प्रिंट पैकेजिंग. कॉम प्रा.लि.
19.	पैनल एक्सपो 2003	सित. 4-7, 2003	फेयर डिजाइन इंडिया प्रा.लि.
20.	सोसायटी इंटीरियर एक्सपो	सित. 5-8, 2003	मैग्ना पब्लिशिंग क.
21.	प्रोपर्टी अफेयर 2003	सित. 5-7, 2003	रैलियो क्विक एडवर्टाइजिंग एवं मार्केटिंग सर्विसेज
22.	कॉस्मो अफेयर्स 2003	सित. 5-8, 2003	आकृति इंडिया
23.	जैक इंटेरर्स एवं एक्सटीरियर्स एक्सपो 2003	सित. 11-14, 2003	जैक ट्रेड फेयर्स एवं एक्जीविशन प्रा.लि.
24.	वाटर एशिया 2003	सित. 10-12, 2003	इंटरएड्स लि.
25.	केबल टीवी इंडिया शो 2003	सित. 13-14, 2003	आविष्कार बिजनेस नेटवर्क

1	2	3	4
26.	स्मार्ट कार्ड एक्सपो 2003	सित. 15-17, 2003	इलैक्ट्रॉनिक्स टुडे
27.	पांचवां इंटरनेशनल ट्रैवल एवं टूरिज्म मार्ट 2003	सित. 26-28, 2003	टैफकोन प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा.लि.
28.	एग्रीफूड 2003 एवं गुडलाईफ शो	सित. 26-28, 2003	फ्रैंड्ज इवेंट्स एवं प्रमोशन प्रा.लि.
29.	आयकर विवरणियों की प्राप्ति	सित. 26-30, 2003	आयकर विभाग
30.	बेस्ट ऑफ इण्डिया प्रोडक्ट एक्सपो 2003	अक्टू. 1-7, 2003	सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि.
31.	दिल्ली इंटरनेशनल ज्वेलरी एवं वांच एक्जी. 2003	अक्टू. 3-6, 2003	आईटीई (इंडिया) प्रा.लि.
32.	हीमटेक्सटाइल इंडिया 2003	अक्टू. 4-7, 2003	मेसी फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया प्रा.लि.
33.	इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एवं गिफ्ट्स फेयर 2003	अक्टू. 13-16, 2003	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
34.	19वां विश्व खनन एक्सपो 2003	नव. 1-5, 2003	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा.लि.
35.	इंडिया कारपेट एक्सपो 2003	नव. 5-7, 2003	कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद
36.	पेपरेक्स 2003	दिस. 5-8, 2003	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा.लि.
37.	कोरियन हाइटेक प्रोडक्ट्स शो 2003	दिस. 8-11, 2003	कोरिया ट्रेड सेंटर
38.	एआईडीसी एक्सपो 2003	दिस. 11-13, 2003	एआईडीसी सोल्यूशन इंक
39.	इंफ्राकॉम इंडिया 2003	दिस. 11-13, 2003	फ्रैंड्ज इवेंट्स एवं प्रमोशन प्रा.लि.
40.	इंसाइड आउटसाइट मेगा शो 2003	दिस. 18-21, 2003	बिजनेस इंडिया एक्जीबिशंस
41.	आईएफडीई 2004	जन. 7-9, 2004	आईटीई (इंडिया) प्रा.लि.
42.	लीविंग इंडिया 2004	जन. 15-20, 2004	आकृति इंडिया
43.	32वां भारत - अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला 2004	जन. 28-30, 2004	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
44.	भारत अंतर्राष्ट्रीय बॉडी वियर 2004	जन. 28-30, 2004	वुमेंस वियर बिजनेस
45.	16वां विश्व पुस्तक मेला 2004	फर. 14-22, 2004	नेशनल बुक ट्रस्ट

1	2	3	4
46.	डिफ. एक्सपो 2004	फर. 4-7, 2004	भारतीय उद्योग/रक्षा मंत्रालय का परिसंघ
47.	इलेक्रोमा 2004	फर. 3-7, 2004	आईईईएमए
48.	सुपरकॉम इंडिया 2004	फर. 4-6, 2004	इंटरएड्स लि.
49.	इंडेक्स इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर 2004	फर. 5-8, 2004	यूनिवर्सल एक्सपोजीशंस लि.
50.	बिल्डिंग मेटेरियल तथा निर्माण प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन	फर. 12-15, 2004	सीमेंट तथा बिल्डिंग मेटेरियल के लिए राष्ट्रीय परिषद
51.	इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया 2004	फर. 12-15, 2004	इलैक्ट्रॉनिक टुडे
52.	विश्व मुक्त व्यापार क्षेत्र 2004	फर. 19-22, 2004	डायमेंसन फोर
53.	इंडिया बिल्ड 2004	फर. 19-21, 2004	आईटीई (इंडिया) प्रा.लि.
54.	ऑटो एक्सपो 2004	जन. 15-20, 2004	भारतीय उद्योग परिसंघ
55.	इंडियन हैंडीक्राफ्टस एवं गिफ्टस फेयर 2004	फर. 28-2 मार्च, 2004	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
56.	इंडिया कारपेट एक्सपो 2004	फर. 26-2 मार्च, 2004	कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद
57.	जूट इंडिया 2004	फर. 28-2 मार्च, 2004	जेएमडीसी
58.	कन्वर्जेंस इंडिया 2004	मार्च 18-20, 2004	एक्जीबिशंस इंडिया प्रा.लि.
59.	इंडो बाइक 2004	मार्च 17-19, 2004	इंटरएड्स लि.
60.	जाक ज्वेल्स 2004	मार्च 20-23, 2004	जॉक ट्रेड फेयर्स एवं एक्जीबिशंस प्रा.लि.
61.	सिरेमिक तथा सिरेमिक प्रौद्योगिकी तथा ग्लास प्रसंस्करण एवं ग्लेजिंग प्रदर्शनी	मार्च 24-26, 2004	सर्विसेज इंटरनेशनल
62.	साइन टुडे	मार्च 26-28, 2004	बाइसेल
63.	इनरजैक्स 2004	मार्च 26-28, 2004	ग्लोबल एक्सपोजिशंस एवं मैनेजमेंट सर्विसेज/मारूति एक्सपोजिशंस एवं ट्रेड फेयर
64.	सैट्टी	मार्च 26-27, 2004	दक्षिण एशिया ट्रेवल टूरिज्म एक्सचेंज
65.	इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2004	26 मार्च से 2 अप्रैल, 2004	इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो इट.
66.	डीएसवाईएन 2004	मार्च 29-31, 2004	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

1	2	3	4
	2004-2005		
1.	अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा तथा जड़ी-बूटी एक्सपो	2-4, अप्रैल, 2004	स्वैच्छिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास सोसायटी/फिक्की
2.	मेडीकेयर इंडिया 2004	6-8 अप्रैल, 2004	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा.लि.
3.	इंफ्रा आर एंड डी	15-17 अप्रैल, 2004	फ्रेंड्ज एक्जीविशंस एवं प्रमोशन प्रा.लि.
4.	एजुकेशन वर्ल्ड वाइड 2004	2-4 मई, 2004	ग्लोबल इवेंट्स एवं एक्सपोजिशन प्रा.लि.
5.	प्रोपर्टी अफेयर्स	21-23 मई, 2004	रैलियो क्विक एडवर्टाइजिंग एवं मार्केटिंग सर्विसेज
6.	रैलियो क्विक ऑटो मॉल	21-23 मई, 2004	रैलियो क्विक एडवर्टाइजिंग एवं मार्केटिंग सर्विसेज
7.	जॉक इंटीरियर एवं एक्सटीरियर एक्सपो 2004	3-6 जून, 2004	जॉक ट्रेड फेयर्स एवं एक्जीविशंस प्रा.लि.
8.	रेडियो मिर्ची हॉट कैरियर	11-13 जून, 2004	इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया प्रा.लि.
9.	गार्टेक्स 2004	18-21 जून, 2004	मॉडर्न मल्टीमीडिया मार्केटिंग क. (इंडिया) प्रा.लि.
10.	इंफ्रा एजुका 2004	25-27 जून, 2004	फ्रेंड्ज एक्जीविशंस एवं प्रमोशंस प्रा.लि.
11.	टैक्नोलॉजी डे अवार्ड 2004	30 जून, 2004	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
12.	गारमेंट टेक 2004	8-11 जुलाई, 2004	जैक ट्रेड फेयर्स एवं एक्जीविशंस प्रा.लि.
13.	भारत-अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला	21-23 जुलाई, 2004	अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल
14.	अंतर्राष्ट्रीय सम्पत्ति, गृह ऋण तथा इंटीरियर्स प्रदर्शनी	24-25 जुलाई, 2004	इवेंट्स इंटरनेशनल
15.	मीडिया एक्सपो 2004	6-8 अगस्त, 2004	मीडिया एक्सपोजिशंस एवं इवेंट्स
16.	ऑफिस एक्सपो 2004	6-8 अगस्त, 2004	मीडिया एक्सपोजिशंस एवं इवेंट्स
17.	रियाल्टी इंडिया 2004	12-15 अगस्त, 2004	ग्लोबल फाउंडेशंस इम्पैक्ट एक्जीविशंस
18.	लिव इन स्टाइल एंड किड्स वर्ल्ड 2004	13-15 अगस्त, 2004	इम्पैक्ट एक्जीविशंस

1	2	3	4
19.	ग्लास 2004	12-15 अगस्त, 2004	जॉक ट्रेड फेयर्स एवं एक्जीविशंस प्रा.लि.
20.	9वां केबल टीवी इंडिया शो	13-14 अगस्त, 2004	आविष्कार बिजनेस नेटवर्क
21.	केबल तार प्रसारण (भारत) 2004	14-16 अगस्त, 2004	केबल क्वेस्ट
22.	सम्पत्ति, ऋण तथा उपभोक्ता वस्तुएं ऋण मेला	27-29 अगस्त, 2004	ग्लोबल इवेंट्स एंड एक्सपोजिशंस
23.	ट्रांसपोर्ट एशिया 2004	1-3 सित., 2004	इंटरएड्स लि.
24.	स्मार्ट कार्ड 2004	2-4 सित., 2004	इलैक्ट्रॉनिक टुडे
25.	सोसायटी इंटीरियर एक्सपो 2004	3-6 सित., 2004	मैग्ना पब्लिशिंग क.लि.
26.	रासटेक 2004	5-7 सित., 2004	शाइनी ट्रेड एक्सपोजिशंस
27.	बउकान इंडिया 2004	9-12 सित., 2004	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा.लि.
28.	मेटल्स एंड मेटलर्जी/ इनवाइरों इंट.	9-12 सित., 2004	टैफकॉन प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा.लि.
29.	एफडीआई इंटरनेशनल कांग्रेस एवं डेंटल ट्रेड शो	10-13 सित., 2004	इंडियन डेंटल एसोसिएशन
30.	इंटर बिल्ड इंडिया 2004	23-25 सित., 2004	मांटगोमरी एक्जीविशंस लि./इंटरएड्स लि.
31.	इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एवं गिफ्ट फेयर (ऑटम 2004)	13-17 अक्टू., 2004	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
32.	इंडिया कारपेट एक्सपो 2004	13-16 अक्टू., 2004	कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद
33.	रेडिया मिर्ची प्रोपर्टी मेला 2004	22-24 अक्टू., 2004	इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया प्रा.लि.
34.	आयकर विवरणियों के लिए विशेष काउंटर की स्थापना	28-31 अक्टू., 2004	आयकर आयुक्त
35.	एसबीआई कार्ड काउंटर	28 अक्टू.-1 नव. 2004	एसबीआई कार्ड्स
36.	एचडीएफसी जीवन बीमा काउंटर	28 अक्टू.-1 नव. 2004	एचडीएफसी जीवन बीमा
37.	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला	29-31 अक्टू., 2004	ग्लोबल एक्सपोजिशंस
38.	इंडिया लेबल शो 2004	3-6 दिस., 2004	लेबल एक्सपोजिशंस
39.	इंटेलपैक 2004	3-6 दिस., 2004	इंटेल एक्सपोजिशंस

1	2	3	4
40.	इंफ्राकॉम 2004	9-11 दिस., 2004	फ्रैंड्स एक्जीविशंस एवं संवर्धन प्रा.लि.
41.	आईएफई इंडिया 2004	15-17 दिस., 2004	मांटगोमरी एक्जीविशंस लि./इंटरएड्स लि.
42.	भागीदारी मेला 2004	19 दिस., 2004	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
43.	इंसाइड - आउटसाइड मेगा शो 2004	23-26 दिस., 2004	बिजनेस इंडिया एक्जीविशंस
44.	पैन आईआईटी बैठक	24-25 दिस., 2004	पैन आईआईटी इंडिया
45.	आईडीबीआई हाम लोन प्रदर्शनी 2004	24-26 दिस., 2004	गो टु कस्टमर
46.	फोटो इमेजिंग एशिया 2005	6-9 जन., 2005	टीवीडब्ल्यू पब्लिशिंग एवं मीडिया प्रा.लि.
47.	भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला	23-25 जन., 2005	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
48.	पेट्रोटेक 2005	16-19 जन., 2005	भारतीय उद्योग परिसंघ
49.	जॉक इंटीरियर एवं एक्सटीरियर एक्सपो 2005	28-31 जन., 2005	जॉक ट्रेक फेयर्स एवं एक्जीविशंस प्रा.लि.
50.	इलैक्ट्रॉनिक इंडिया 2005	1-4 फर., 2005	इलैक्ट्रॉनिक्स टुडे
51.	पावर जेन इंडिया एवं सेंट्रल एशिया 2005	1-4 फर., 2005	इंटरएड्स लि.
52.	सुपरकॉम एशिया 2005	2-4 फर., 2005	इंटरएड्स लि.
53.	भारत के लिए इटली 2005	14-18 फर., 2005	इटैलियन ट्रेड कमिशन
54.	आईईटीएफ 2005	9-12 फर., 2005	भारतीय उद्योग परिसंघ
55.	मोबाइल एक्सपो	9-12 फर., 2005	भारतीय उद्योग परिसंघ
56.	इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एवं गिफ्ट मेला (स्प्रिंग) 2005	25 फर.,-1 मार्च, 2005	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
57.	जूट इंडिया एक्सपो	25 फर.,-1 मार्च, 2005	जेएमडीसी
58.	इंडिया कारपेट एक्सपो 2005	23-28 फर., 2005	कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद
59.	म्यूनिसी पालिका 2005	3-5 मार्च., 2005	गुड गवर्नेंस इंडिया फाउंडेशन
60.	बस वर्ल्ड इंडिया 2005	18-20 मार्च., 2005	इंटरएड्स लि.
61.	वर्ल्ड ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन इंडिया 2005	22-24 मार्च., 2005	इंटरएड्स लि.

1	2	3	4
62.	कन्वर्जैंस इंडिया 2005	22-24 मार्च., 2005	एक्जीबिशंस इंडिया प्रा.लि.
63.	केटेलॉग शो 2005	23-26 मार्च., 2005	ऑल इंडिया बिजनेस टेलीफोन डायरेक्टरी

आयोजको की सूची

1. ज़ैक व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी (प्रा.) लि., 3 ए, क्राउन कोर्ट, तीसरी मंजिल, 128 (34) कैथेड्रल रोड, चैन्नई-600086 दूरभाष: 044-28114578/79 फैक्स: 044-28111685 ई-मेल zakgroup@vsnl.com

2. आरएसडी एक्सपोजिशन्स, ए-99, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 दूरभाष 24690553 फैक्स: 91-11-2469187, ई-मेल: rsdexpo@bol.net.in वेबसाइट: www.inoiptic.com

3. फेयर डिजाइन इंडियन प्रा.लि., बी-5 सेक्टर-60 नोएडा-201301, दूरभाष: 3092237 ई-मेल panelexpo2005 @yahoo.co.in

4. ग्लोबल इवेंट्स एंड एक्सपोजिशन्स, ए-1/90 सफदरजंग एनक्लेव, भू-तल नई दिल्ली-110029 दूरभाष: 011-55661056/57 फैक्स 011-51652197

5. एसएटीटीई, तीसरी मंजिल, राजेन्द्र भवन, 210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 दूरभाष: +91-11-2323576/3518/3588 फैक्स +91-11-23233569

6. इंटेक ट्रेक फेयर प्रा.लि., 307-308, एसीएमई इंडिस्ट्रियल पार्क, तीसरी मंजिल, ऑफ आईबी पटेल रोड, डब्ल्यूई राजमार्ग के नजदीक, गोरे गांव (पू.) मुंबई-400063 दूरभाष: +91-22-26863708/3709/3710 फैक्स +91-22-56902392-93 ई-मेल: intech@bom5, vsnl.net.in वेबसाइट: www.intechtradefairs.com

7. फ्रेन्डज एग्जीबिशन्स एण्ड प्रोमोशन्स प्रा.लि., एच 75, लाजपत नगर-I नई दिल्ली110024, दूरभाष: 91-11-51720620-28, फैक्स 91-11-51720629 ई-मेल mktg@friendzexhibitions.com

8. द टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 9/4796 डिप्टीगंज, सदर बाजार, दिल्ली-110066 दूरभाष: 91-11 30931200, 30929525 फैक्स: 91-11-23543624 वेबसाइट www.tai-india.org

9. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, एनबीसीसी टावर्स, 15 बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 फोन: 26183351, 26169394 फैक्स: 26188584, 26188300

10. केबल क्वेस्ट 13/97, राजौरी अपार्टमेंट्स के निकट, सुभाष नगर, नई दिल्ली - 110027, दूरभाष: 91-11-25131540, 25131843, फैक्स: 91-11-25139967, ई-मेल: cablequest@rediffmail.com, वेबसाइट: www.cable-quest.com

11. आईटीई इंडिया प्रा.लि., I-83, लाजपतनगर-II नई दिल्ली-110024, दूरभाष: 011-29819411-15 ई-मेल: iteindia@vsnl.in

12. मैगना पब्लिशिंग कंपनी लि., मैग्ना हाउस, 100/ई ओल्ड प्रभादेवी रोड; प्रभादेवी मुंबई 400025 दूरभाष: 022-24362270 फैक्स: 022-24374252

13. शाइनी ट्रेड एक्सपोजिशन्स प्लास नं. 47-ए, रामा अपार्टमेंट्स के निकट, टीचर्स कॉलोनी, सांईबाबा टेम्पल स्ट्रीट, विजयवाड़ा-520009 दूरभाष: 0866-2470879 फैक्स: 0866-2490201 ई-मेल: shinygroup@eth.net

14. मीडिया एक्सपोजिशन्स और इवेंटस, 112 संत नगर, भू-तल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली -110065 दूरभाष: 011-26445193/92 फैक्स: 011-26217027 ई-मेल: infor@themediaexpo.com वेबसाइट: www.themediaexpo.com

15. इम्पैक्ट एग्जीबिशन्स, 1109-सेक्टर-ए, पॉकेट-I, वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070 दूरभाष: 011-161326 फैक्स: 011-51687478 ई-मेल: impactexhibitions@yahoo.com

16. एग्जीबिशन्स इंडिया प्रा.लि., ए-17, दूसरी मंजिल, डीडीए कार्यालय यह शॉपिंग काम्प्लेक्स, मूलचंद फ्लाईऑवर के निकट, डिफेन्स, कालोनी नई दिल्ली-110024, दूरभाष: 24638680-83 फैक्स: 24623320 ई-मेल: exhibitionindia@vsnl.com वेबसाइट: www.exhibitionindia.com

17. टैफ्कॉन प्रो. इंडिया प्रा.लि. सी-60 निजामुद्दीन (पूर्व), नई दिल्ली 110013 दूरभाष: 91-11 -24352141-44/82/84 फैक्स: 91-11-24355215, 24354077 ई-मेल: tafcon@del2.vsnl.net.in वेबसाइट: http:èèwww.tafcon.com

18. इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स ए-274 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 दूरभाष: 51551752.86

19. इलेक्ट्रॉनिक टुडे, 104, अंधेरी इंडस्ट्रियल एस्टेट, ऑफ वीरादेसाई रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400053 दूरभाष: 022-26730869/70/71872 फैक्स: 022-26730547/48 ई-मेल: electoday@vsnl.net

20. इंटरैड्स लि., 2 पदमिनी एन्क्लेव, हौज खास, नई दिल्ली-110016 दूरभाष: 91-11-26861113, 26861114, 26865103 फैक्स: 91-11-26861112 ई-मेल: info@ interadsindia.com. वेबसाइट: www.interadsindia.com

21. मॉन्टगोमरी एग्जीबिशन्स लि. 11 मैनचेस्टर स्क्वायर, लंदन, डब्ल्यू 1 यू 3 पीएल, यूनाइटेड किंगडम- ई-मेल: melshah@montex.co.uk

22. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् प्लाट नं. 1, पॉकेट 6 एवं 7, सेक्टर सी, एलएससी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 दूरभाष: 26135256/57/58 फैक्स: 26135518/19

23. साइडेक्स ट्रेड फेयर्स प्रा.लि., 1 कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, पॉकेट एच एवं जे, दूसरी मंजिल, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 दूरभाष: 011-26971745/1066/1056 फैक्स: 011-26971746 ई-मेल: infor@cidex-tradefairs.com.

24. बिजनेस इंडिया एग्जीबिशन्स, 268 मस्जिद मोठ, उदय पार्क के निकट, नई दिल्ली-110049 दूरभाष: मोबाइल 09313629310 टेलैक्स: 91-11-51643047-53, ई-मेल: biedel@biexh.com.

25. नेशनल बुक ट्रस्ट, ए-5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 दूरभाष: 011-26564020/26568052 फैक्स: 011-26514548/26512588 ई-मेल: nbtindia @ndb.vsnl.net.in

26. भारतीय उद्योग परिसंघ, प्लॉट नं. 249-एफ, उद्योग विहार, फेस-IV, सेक्टर-18 गुड़गांव दूरभाष: 0124-5014060-67 फैक्स: 0124-5014083 ई-मेल: ciico@ciionline.org

27. प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन, 401-बी लैंडमार्क सिनेमैजिक के सामने, 209ए सुरेन रोड, अंधेरी पूर्व-मुंबई-400093 दूरभाष: 022-26832911-14 फैक्स: 022-26845865, ई-मेल: plastindia@vsnl.com

28. जूट विनिर्माता विकास परिषद्, 3-ए, पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016 दूरभाष: 033-2457540/8107 फैक्स: 033-2457456 ई-मेल: वेबसाइट: www.JMDCINDIA.com

29. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, 110-ए/1 कृष्णानगर, स्ट्रीट नं.-05, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 दूरभाष: 26102742, 26101024 फैक्स: 26165299 ई-मेल: cepc@nda.vsnl.net.in

30. स्वैच्छिक स्वास्थ्य शिक्षा एवं ग्राम विकास सोसाइटी, 41 सरक्युलर रोड, यूनाइटेड इंडिया कॉलोनी, कोडमबक्कम, चेन्नई-600024 फोना: 044-24803291 ई-मेल: herald@md3.vsnl.net.in

31. फेयर फेस्ट मीडिया लि. ई-8, दूसरी मंजिल, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016 फोन: 011-26866874 फैक्स: 011-26868073 ई-मेल: fairfest@vsnl.com

32. मॉडर्न मल्टी मीडिया मार्केटिंग कंपनी प्रा.लि., ए-16, नारायणा फेस-II, नई दिल्ली-110028 फोन: 011 25704450-52 फैक्स: 011 25704234 Emailmmmm@mantraonline.com

33. इवेन्टस इंटरनेशनल बीएमएस बिजनेस सेन्टर, 10 प्लाजा सिनेमा बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन: 011 23350040, 23310227 फैक्स: 011-23310093

34. आविष्कार बिजनेस नेटवर्क, 201, दूसरी मंजिल, आइडियल हाउस, 69 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोन: 011-8607050 ई-मेल info@aavishkardarpan.com

35. इंडियन डेन्टल एसोसिएशन, दूसरी मंजिल, बॉम्बे म्यूचुअल टेरेस, 534 सैन्डहर्स्ट ब्रिज, ओपेरा हाउस, मुंबई 400007 फोन: 022-23696655, 23671515 फैक्स: 022-23685613 ई-मेल ho@idia.org.in

36. लेबल एक्सपोजिशन्स (प्रा.) लि. बी-14, रेलवे रो हाउस, सेक्टर-2, वशी नवी मुंबई-400703 फोन: 022-55902935, 27895966 फैक्स: 022-55902936

37. टीबीडब्ल्यू ऑप्यूब्लिशिंग एंड मीडिया प्रा.लि., 414 वीसावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400025 फोन: 022-56666802 फैक्स: 022-24302707

38. इंडिया बिजनेस वुमन एसोसिएशन, 135, अंसल चैम्बर-2, 6 बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन: 011-26187796, 26186316, फैक्स: 011-26

39. रेलियो क्विक एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी, एससीएफ 46-47, (एफएफ) सेक्टर-29, फरीदाबाद, दूरभाष: 91-129-2500334 फैक्स: 91-129-5043497 ई-मेल relio@relioquick..com

40. प्रिंट पैकेजिंग कंपनी (प्रा.) लि., I-34 ए, सेन्ट्रल मार्केट के सामने, लाजपतनगर II, नई दिल्ली-110024, फोन: 011-26327621 फैक्स: 011-26313281 ई-मेल print-packaging@print-packaging.com

41. मेस फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया प्रा.लि., 605 अंसल भवन, 16 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23320018 फैक्स: 011-23320033 ई-मेल mfindia@del3.vsnl.net.in

42. कोरिया ट्रेड सेंटर, कोरिया गणराज्य दूतावास, बी-9/1 बसंत विहार नई दिल्ली-110057 फोन: 011-28660981 फैक्स: 011-28660980 ई-मेल ktcdelhi@ndc.vsnl.net.in

43. भारतीय इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता एसोसिएशन, 804 सूर्यकिरण, 19 केजी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 फोन: 011-23733013, 23733014 फैक्स: 011-23733015

44. डाइमेंशन फोर इंवेन्टस एण्ड एग्जीबिशन्स प्रा.लि., 5/6 अंबे भवन, 24वीं लिंकिंग रोड, खार टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, रहेजा ऑफिस के बगल में, खार (पश्चिम) मुंबई 400052 टैलेक्स: 022-26489002

45. सर्विसेज इंटरनैशनल, बी-13, दूसरी मंजिल, ए ब्लॉक, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नारायणा विहार, रिंग रोड, नई दिल्ली-110028 फोन: 011-25770411 फैक्स: 011-25776281

46. ग्लोबल एक्सपोजिशन्स एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, 138 अंसल चैम्बर-II, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 फोन: 011-6169313 टैलेक्स: 011-6167545

47. आईटी स्पेस कंपनी लि., नं. 309/3 जेपी कॉम्पलेक्स कोरमंगला-5, बंगलौर-560095 फोन: 0805227001/10 फैक्स: 0805084660 ई-मेल info@iworldindia.com.

[अनुवाद]

कृतिक बल का गठन

2954. श्री गुरूदास कामत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व और कार्यकरण की निगरानी करने हेतु एक कृतिक बल का गठन किया है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई जल-मल व्ययन परियोजना, चरण-II हेतु विश्व बैंक ऋण

2955. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मुंबई जल-मल व्ययन परियोजना चरण-II हेतु विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक सहायता के लिए 2376 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली मुंबई सीवेज निपटान परियोजना स्टेज-II शहरी विकास मंत्रालय को भेजी है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन की तकनीकी आपत्तियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने, वित्तीय अवस्थापना, पर्याप्त समतुल्य राशि मुहैया कराने की प्रतिबद्धता तथा ऋण वहन क्षमता के बाद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य विभाग को उपर्युक्त परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी मुंबई को एक विश्व स्तरीय शहरी बनाने के सपने को साकार करने के लिए एक पंचवर्षीय व्यापार योजना तैयार करने हेतु विश्व बैंक को शामिल करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को अनुरोध किया है। उस विभाग ने विश्व बैंक को एक व्यापक कार्यनीति तैयार करने तथा अन्य एजेंसियों से अंशदान के साथ बैंक सहायता हेतु विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम तैनात करने का अनुरोध किया है। विश्व बैंक ने शहर के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ काम करने की सहमति दे दी है। आर्थिक कार्य विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दिया है कि मुंबई शहर के लिए प्रस्ताविक व्यापक बहु-क्षेत्रीय योजना के डिजाइन में मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना स्टेज-II को शामिल करना उपयुक्त होगा क्योंकि वर्तमान में ऐसा नहीं लगता कि राज्य के पास कोई अतिरिक्त ऋण क्षमता है।

[हिन्दी]

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई धनराशि

2956. श्री गौरिशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अब तक कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) अभी कितनी धनराशि और प्रदान की जानी है; और

(ग) शेष धनराशि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) दिनांक 1.12.97 से स्कीम शुरू होने के बाद से स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के तहत मध्य प्रदेश को जारी कुल केन्द्रीय धनराशि 7801.51 लाख रुपया है। वर्तमान वर्ष 2004-05 के दौरान मध्य प्रदेश को किये गये 753.15 लाख रुपये के अंतरिम आवंटन की तुलना में 831.49 लाख रुपये की राशि जारी की गयी।

[अनुवाद]

लघु एवं मध्यम नगरों के समेकित विकास संबंधी योजना

2957. श्री बी. विनोद कुमार :
श्री राजेश वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार "लघु एवं मध्यम नगरों के समेकित विकास" के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने कार्य स्वीकृत, और पूरे किए गए;

(ख) 31 दिसंबर, 2004 तक उक्त योजना के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और खर्च की गई;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत तथा लक्ष्य निर्धारित किए गए और अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) स्कीम के प्रारम्भ होने से 31.12.2004 तक छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास (आईडीएसएमटी) संबंधी स्कीम के अन्तर्गत 1752 कस्बों में परियोजनाओं (कार्यों) को स्वीकृति प्रदान की गई हैं तथा इन परियोजनाओं के लिए 817.24 करोड़ रुपए की राशि की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी जिनके लिए राज्य सरकारों ने 995.46 करोड़ रुपए का व्यय होने की सूचना दी है। स्वीकृत परियोजनाओं (कार्यों) की संख्या, जारी केन्द्रीय सहायता तथा सूचित व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईडीएसएमटी के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु 925 कस्बों में नई और चालू परियोजनाओं का लक्ष्य था। दसवीं योजना के दौरान आईडीएसएमटी के लिए 1304.65 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया था। तथापि, दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05) के दौरान आईडीएसएमटी के लिए केवल 405 करोड़ रुपए की राशि का बजट प्रावधान रखा गया था जिसकी तुलना में 735 कस्बों में नई और चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 304.68 करोड़ रुपए की राशि की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

(घ) और (ङ) जी हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग द्वारा अन्य स्कीमों के साथ-साथ आईडीएसएमटी स्कीम का मूल्यांकन किया था। यह देखा गया कि दसवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान 10वीं योजना आवंटन के केवल 30% (2004-05 आवंटन का पूर्ण उपयोग मानते हुए) के उपयोग किए जाने की आशा है। वास्तविक उपलब्धियों के रूप में, इसी अवधि के दौरान 67% क़स्बों (621 कस्बों) को सहायता प्रदान किए जाने की आशा है। संसाधनों की इसी कमी से वास्तविक रूप से वांछित परिणामों में कमी आयी है।

विवरण

वर्ष 1979-80 से 31 दिसम्बर, 2004 तक आईडीएसएमटी स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत कस्बा परियोजनाओं, जारी केन्द्रीय सहायता और सूचित व्यय का राज्यवार ब्यौरा।

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	शामिल कस्बे	जारी केन्द्रीय सहायता	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	120	7373.65	11171.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	406.00	323.92
3.	असम	46	1580.61	1349.04
4.	बिहार	46	1533.25	1141.11
5.	छत्तीसगढ़	39	1844.29	1695.65
6.	गोवा	9.	220.08	131.00
7.	गुजरात	104	5728.82	7353.91
8.	हरियाणा	29	2139.48	2487.80
9.	हिमाचल प्रदेश	22	895.06	1140.50
10.	जम्मू-कश्मीर	17	895.22	800.35
11.	झारखण्ड	13	418.76	439.58
12.	कर्नाटक	157	7352.24	5303.17
13.	केरल	58	2909.06	4196.84
14.	मध्य प्रदेश	135	4963.98	4472.71
15.	महाराष्ट्र	178	10126.65	16537.35
16.	मणिपुर	22	638.60	631.52
17.	मेघालय	8	411.50	587.60
18.	मिजोरम	13	551.40	1008.09
19.	नागालैंड	10	513.99	809.44
20.	उड़ीसा	67	2564.63	2908.00
21.	पंजाब	38	1855.30	3358.66
22.	राजस्थान	69	3681.02	6295.20
23.	सिक्किम	10	250.89	384.33

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	164	6774.67	8361.64
25.	त्रिपुरा	18	712.93	919.72
26.	उत्तरांचल	15	613.00	292.63
27.	उत्तर प्रदेश	206	7658.35	7950.60
28.	पश्चिम बंगाल	110	6582.25	7161.22
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	92.00	124.00
30.	दादर और नगर हवेली	2	112.22	49.12
31.	दमन और दीव	1	23.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	1	25.00	0.00
33.	पांडीचेरी	8	276.75	159.55
	सकल योग	1752	81724.64	99546.00

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों के अंतर्गत निधियों का अन्यत्र उपयोग

2958. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री दानवे राव साहेब पाटील :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में बच्चों को पोषक खाद्य वस्तुएं देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को दी गई अधिकांश निधियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा अन्यत्र प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंगनवाड़ी परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आई.सी.डी.एस. एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है। आंगनवाड़ी परियोजनाओं में, विशेषकर आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषणिक आहार के वितरण तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों वं सहायिकाओं के चयन में पारदर्शता लाने के लिए बिहार सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) पूरक पोषण कार्यक्रम को विकेन्द्रित किया गया है तथा इसका कार्यान्वयन निर्वाचित ग्राम-स्तरीय पोषण वितरण कार्यकारी समिति के माध्यम से किया जा रहा है;

(ii) परियोजना, जिला एवं मण्डल स्तरों पर पूरक पोषण के वितरण का सतत् प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण;

(iii) पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के विषय में जन-जागरूकता का प्रसार; तथा

(iv) संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपनी ग्राम सभा के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ सहायिकाओं का चयन।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ स्टोन्स

2959. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ स्टोन्स (सी-डॉस) को धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी-डॉस के कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्टोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और उनका विकास करने के दृष्टिगत सी-डॉस को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां। खान मंत्रालय एस एंड टी कार्यकलाप तेज करने के लिए एस एंड टी संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ स्टोन्स (सी-डॉस) एक ऐसी ही संस्था है।

(ख) सी-डॉस राजस्थान राज्य औद्योगिक और विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्तशासी संस्था है। एस एंड टी परियोजना "जयपुर में मापीय पत्थरों के लिए आर एंड डी केन्द्र की स्थापना" के लिए उपकरण खरीदने हेतु सी-डॉस को 14 नवम्बर, 2000 को 50 लाख रुपये (केवल पचास लाख रुपये) का अनुदान उपलब्ध कराया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। पत्थर क्षेत्र के समग्र विकास, आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय पत्थर विकास केन्द्र और अत्याधुनिक संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) और (च) सी-डॉस ने रिको/राजस्थान सरकार के साथ निम्नलिखित कार्य संयुक्त रूप से करने का प्रस्ताव किया है:—

(i) खान मंत्रालय से 5 करोड़ रुपये और राजस्थान सरकार /रिको से 5 करोड़ रुपये के एक मुश्त अंशदान के साथ राष्ट्रीय पत्थर विकास केन्द्र हेतु 1000 लाख रुपये के निधि संग्रह की स्थापना करने पर विचार करना।

(ii) सी-डॉस का विकास एक राष्ट्रीय पत्थर विकास केन्द्र के रूप में करने के लिए पांच वर्ष के लिए प्रति वर्ष 100 लाख रुपये का योजनागत सहायता प्रदान करना।

(छ) उपर्युक्त दो प्रस्ताव खान मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्द्धन

2960. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत की समग्र विकास दर में तेजी लाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु और अधिक निर्यातक हितैषी नीतियों का वादा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यातकों के नेतृत्व में होने वाले विकास से विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2015 तक 25 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिल सकती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक भारत के कुल निर्यात में विशेष आर्थिक जोन के हिस्से से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेष आर्थिक जोन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) यह बात मानते हुए कि व्यापार का प्राथमिक उद्देश्य अधिक आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि करना है, 31 अगस्त, 2004 को घोषित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में निर्यातों की समग्र वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए रोड मैप निर्धारित किया गया है। इस कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ नियंत्रणों को हटाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा लागतों को कम करने और निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त निविष्टियों पर लगी लेवियों और शुल्कों के भार को निष्क्रिय करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(ख) निर्यात से होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रोजगार अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से श्रमिक सघन क्षेत्रों जैसे कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण और चमड़ा के लिए एफटीपी में विशिष्ट रूप से ध्यान दिए जाने वाली कुछ पहलों को अभिज्ञात किया गया है।

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड्स) द्वारा किए गए निर्यातों का मूल्य और कुल निर्यातों में उनका हिस्सा इस प्रकार है:—

वर्ष	एसईजेड्स द्वारा निर्यात (करोड़ रुपए)	समग्र निर्यात में % हिस्सा
2001-02	9,189.55	4.40
2002-03	10,056.62	3.94
2003-04	13,853.58	4.72
अप्रैल-जनवरी, 2004-05 (अ)	14,440.16	5.26

(घ) एसईजेड्स और एसईजेड्स से होने वाले निर्यातों का सवंर्धन करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में स्वचालित तरीके द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विकास के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद, एसईजेड्स और एसईजेड इकाइयों का प्रचालन और रख-रखाव, एसईजेड विकासकर्ताओं और एसईजेड इकाइयों के लिए कर से छूट, एसईजेड्स में अपतटीय बैंकिंग इकाइयां स्थापित करना आदि शामिल हैं। घरेलू टैरिफ क्षेत्र से एसईजेड इकाइयों को की जाने वाली आपूर्तियां वस्तुगत निर्यातों के समान मानी जाती हैं और उन पर सेवा कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर से छूट दी जाती है।

लाल मिर्च का व्यापार

2961. श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री राजेश वर्मा :
श्री उदय सिंह :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और अन्य देशों ने भारत की लाल मिर्च में कार्सिनोजेनिक कलरिंग एजेंट होने के कारण सुदन - 1 होने की आशंका से खेप को लेने से मना कर दिया है तथा मिलावटी मसालों को भी लेने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसका हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। ब्रिटेन सहित कुछ यूरोपीय देशों ने भारत से निर्यातित लाल मिर्च पाउडर की कुछ खेपों में एक कैंसरजनक रंजक सूडन पाया है। हाल में यू के की खाद्य मानक एजेंसी (एफ एस ए) ने 575 उत्पादों को रद्द करने का आर्डर दिया था जिनमें कथित रूप से सूडन1 रंजक से संदूषित लाल मिर्च पाउडर को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया गया था।

भारत से लाल मिर्च/लाल मिर्च उत्पादों के निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ा है जैसा कि लाल मिर्च के निर्यात में हुई पर्याप्त वृद्धि से स्पष्ट है। अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 के दौरान भारत से लाल मिर्च का कुल 1,14,000 टन (421.21 करोड़ रुपए मूल्य की) का निर्यात हुआ था जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 54000 टन (243.81 करोड़ रुपए मूल्य की) का निर्यात हुआ था।

(ग) और (घ) मसाला बोर्ड द्वारा एक प्रारंभिक जांच की गयी है। यह बताया गया है कि:—

- सूडन-1 से संदूषित मानी गयी निर्यात खेप वर्ष 2002 में यू के में आयात की गयी थी।
- एफ एस ए द्वारा अभी तक ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे भारतीय निर्यातकों की अन्तर्ग्रस्तता साबित हो सके।
- यूरोपीय यूनियन के देशों द्वारा जारी बहुत सी रैपिड अलर्ट रिपोर्टों में सूडन की कथित मौजूदगी इतनी कम थी जिससे जानबूझ कर की गयी मिलावट मालूम नहीं होती है। उस मात्रा पर कुछ रैपिड अलर्टों पर विवाद हो सकता है।
- कथित रूप से मिलावट में संलिप्त पाई फर्मों के निर्यात लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को आवासीय सुविधा

2962. श्री मुनव्वर हसन :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारियों को आवास प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है;

(च) वर्तमान में दिल्ली पुलिस में सभी स्तर के कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(छ) इनमें से कितने कर्मचारियों को आवास प्रदान किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ङ) सरकार का दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के रिहाइशी आवासों के संतोष स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तथापि, नए रिहाइशी आवासों का निर्माण/अधिग्रहण, अन्य बातों के साथ-साथ, धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस प्रयोजनार्थ 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा आबंटित धनराशि नीचे दर्शाई गई है:—

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2002-03	49.00	48.00	48.00
2003-04	49.00	49.00	59.38
2004-05	55.00	58.300	—
2005-06	63.00	—	—

(च) और (छ) दिल्ली पुलिस की मौजूदा स्वीकृत संख्या 59,279 है। उन दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की संख्या, जिन्हें अभी तक आवास आबंटित किए जा चुके हैं, 10,519 है।

[अनुवाद]

मनीमाजरा में महिला कालेज

2963. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीमाजरा, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में महिला कालेज की बहुत अधिक आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर इस प्रकार का कोई कालेज स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई, यदि की गई हो, तो क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) चण्डीगढ़ प्रशासन ने बताया है कि मनीमाजरा, संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में महिला कालेज की कोई आवश्यकता नहीं है चूंकि दो महिला कालेज और एक व्यावसायिक कालेज (गृह विज्ञान कालेज) छात्राओं की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आयोग का गठन

2964. श्रीमती करुणा शुक्ला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं हेतु चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के गठन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर महिला आयोगों के गठन का कार्य संबंधित संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) से (ङ) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के दिनांक 15.9.2004

के अपने दौरे के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने चण्डीगढ़ महिला आयोग की स्थापना का मुद्दा उक्त संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ उठाया था। प्रशासन इस विषय में कार्रवाई करने को सहमत हो गया है।

[हिन्दी]

खेलों के विकास तथा युवा कार्यक्रमों हेतु धनराशि

2965. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय तथा ओलंपिक खेलों के स्तर तक उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं तथा ओलंपिक के लिए किन भारतीय खेलों को चुना गया है;

(ख) भारतीय खेलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(ग) वर्ष 2002 से दिसंबर, 2004 तक खेल संवर्द्धन और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलग-अलग राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकृति के लिए भेजी गई कितनी और कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के पास लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा कार्यकलापों को आयोजित करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति देने में विलंब कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) भारतीय खेलों के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है:—

1. संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तथा खेल वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के परामर्श से विभिन्न खेल विधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप दिया जाना तथा उनका कार्यान्वयन।

2. खिलाड़ियों के लिए उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।

3. पोषक आहार, खेल उपस्कर सहायता के साथ ही साथ खेल अनुसंधान के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति ताकि खेलों को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

4. प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय व विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

5. टीमों का विदेश में गहन प्रशिक्षण।

6. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता।

7. "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजना" और "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" के अंतर्गत उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक समर्थन और प्रशिक्षण तथा देश और विदेश में सहभागिता के लिए सहायता।

8. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा युवा वर्ग में प्रतिभा का पता लगाने के उद्देश्य से, सरकार "सेना बाल खेल कंपनी योजना (ए.बी.एस.सी.)" के अंतर्गत सेना को सहायता कर रही है। 8 सेना बाल खेल कंपनियों के अलावा 10 और बाल खेल कंपनियों को स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता (एन.टी.एस.सी.) योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए 25 नवोदय विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं।

9. उत्कृष्ट लड़कों एवं लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे पोषाहार, खेल उपस्कर सहायता प्रापत कर सकें तथा खेलों को कैरियर के रूप में लेने के योग्य बन सकें। खेलों में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियों भी दी जाती हैं।

अभी तक ओलंपिक खेलों में, कबड्डी, खो-खो आदि जैसे भारतीय राष्ट्रीय खेल शामिल नहीं किए गए हैं।

(ख) खेलों के संवर्धन के लिए पूरे भारत में सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं—

1. संस्थानों से संबंधित योजना।

2. पुरस्कारों से संबंधित योजना।

3. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजना।

4. प्रतिभा अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित योजना।

5. प्रतियोगिताओं से संबंधित योजना।

6. डोप परीक्षण एवं वाडा के लिए योजना।

7. राज्य खेल अकादमियां।

8. अवस्थापना से संबंधित योजनाएं (यह योजना 2005-06 से राज्यों को स्थानांतरित कर दी गई हैं।)

(ग) किसी योजना के अंतर्गत राज्य-वार धनराशि का आबंटन नहीं है। तथापि, खेल अवस्थापना योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2002 से 17.3.2005 के दौरान स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-2003 जारी की गई राशि (लाख रु. में)	2003-2004 जारी की गई राशि (लाख रु. में)	2004-05 17.03.2005) तक जारी की गई राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	172.949	572.726	226.279
अरुणाचल प्रदेश	156.44	195.35	7.748
असम	85.625	74.70	195.940
बिहार	1.976	23.895	65.996
गोवा	0.85	0.00	3.787
गुजरात	9.549	21.260	49.32
हरियाणा	16.86	123.852	155.3572
हिमाचल प्रदेश	16.747	111.788	133.923
जम्मू-कश्मीर	6.02	30.001	7.761
कर्नाटक	158.22	114.812	217.42
केरल	10.654	52.818	59.534
मध्य प्रदेश	78.17	186.025	155.158
महाराष्ट्र	387.576	537.610	427 054
मणिपुर	97.28	28.292	12.625
मेघालय	0.00	101.197	126.905
मिजोरम	58.50	147.043	30.00
नागालैंड	219.525	984.963	128.688
उड़ीसा	102.018	127.864	93.720
पंजाब	63.937	123.309	13.493
राजस्थान	23.52	54.398	30.933
तमिलनाडु	188.601	342.843	211.331
त्रिपुरा	0.738	0.375	0.40
उत्तर प्रदेश	97.58	188.113	236.148
पश्चिम बंगाल	160.54	177.916	263.9145
दिल्ली	22.50	73.50	62.64
छत्तीसगढ़	6.398	79.633	24.12219
झारखंड	0.00	178.50	2.70
उत्तरांचल	8.33	35.649	108.1923
चंडीगढ़	शून्य	शून्य	1.00

कल्याण योजनाएं व्यक्तिगत खिलाड़ियों के लिए हैं और राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

(घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख योजना नामतः खेल अवस्थापना के लिए योजना के अंतर्गत कोई नई परियोजना अथवा प्रतिबद्ध देयताएं अनुमोदित करने की स्थिति में नहीं हैं। चूंकि यह योजना 2005-06 से राज्यों को स्थानांतरित कर दी गई है और तदनुसार 1.4.2005 से कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खेल परिसरों का विकास और रखरखाव

2966. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खेलों को बढ़ावा देने और खेल परिसरों तथा खेल के मैदानों के विकास और रखरखाव हेतु समुचित प्रबंध नहीं किए हैं जिसके परिणामस्वरूप खेल से जुड़े युवा आगे नहीं आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो आज तक किन-किन स्थानों पर खेल, परिसर और खेल के मैदान बनाए गए हैं तथा उनके रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने दिल्ली में खेल परिसरों, खेल के मैदानों तथा मल्टी-जिमों का विकास व रखरखाव करके खेलों को प्रोत्साहन देने तथा साथ ही कोचिंग प्रोग्रामों, फैलोशिप स्कीमों के मार्फत और खेलों के आयोजन के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रबंध किए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित खेल परिसरों तथा खेल के मैदानों की एक सूची संलग्न विवरण में है। यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण के सिविल और बागवानी विभागों द्वारा खेल के मैदानों का रखरखाव किया जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक प्रबंधन मॉडल विशेष तौर पर विकसित किया गया है और दिल्ली में खेल परिसरों के कारगर ढंग से रखरखाव के लिए प्रस्तुत किया गया है।

विवरण

अब तक डीडीए द्वारा विकसित खेल परिसरों की सूची

1. सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
2. साकेत स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
3. नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स काम्पलेक्स (जसोला)
4. वसंत कुंज स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
5. बाबा गंग नाथ स्पोर्ट्स काम्पलेक्स (मुनिरका) (मिनी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स)
6. हरी नगर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
7. पश्चिम विहार स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
8. द्वारका स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
9. रोहिणी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
10. मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स काम्पलेक्स (अशोक विहार)
11. राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर (पीतमपुरा)
12. यमुना स्पोर्ट्स काम्पलेक्स (सूरजमल विहार)
13. पूर्व दिल्ली खेल परिसर (दिलशाद गार्डन)
14. चिल्ला स्पोर्ट्स काम्पलेक्स

अब तक डीडीए द्वारा विकसित खेल के मैदानों की सूची

1. कल्याण विहार
2. हौजखास
3. क्रिकेट ग्राउंड कालकाजी (नेहरू प्लेस के सामने)
4. को-ऑपरेटिव सोसायटी एरिया (मंडावली फैजपुर फेज-I)
5. को-ऑपरेटिव सोसायटी एरिया (मंडावली फैजपुर फेज-II)
6. को-ऑपरेटिव सोसायटी एरिया (मंडावली फैजपुर फेज-III)
7. चिल्ला
8. कान्ति नगर
9. विकासपुरी ब्लॉक-सी

10. सुन्दर विहार जी-17

11. हस्तसाल

12. सत्या पार्क

13. परताप नगर

14. जनकपुरी (पोसंगीपुर)

15. आवंतिका

16. रोहिणी सेक्टर-3

17. नरेला सेक्टर, ए-10

18. वसंत कुंज, बी-ब्लॉक

19. वसंत कुंज, रेसलिंग ग्राउंड, सेक्टर-ए

20. बिंदा पुर

21. द्वारका सेक्टर-8

22. द्वारका सेक्टर-19

[अनुवाद]

उग्रवाद का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण

2967. **डा. टोकचोम मैन्या :**
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद से लड़ने के लिए तैनात पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों तथा सेना के जवानों को नवीनतम उपकरण, शिक्षा तथा आतंकवाद इरादों तथा योजनाओं को समझने हेतु प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारे पुलिस बल और सशस्त्र बल को मानवाधिकार संबंधी मूल जानकारी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य को किस प्रकार किया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं में अद्यतन प्रशिक्षण उपकरण और तरीकों का प्रयोग करके आतंकवादियों से निपटने में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों को समर्थ बनाने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर में तैनात होने के कारण, सेना को भी आतंकवादी रणनीतियों और कार्यप्रणाली के बारे में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित तथा नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मानवधिकारों के प्रति संवेदनशीलता इन कार्मिकों हेतु चलाए जा रहे मूलभूत पाठ्यक्रमों का एक अभिन्न भाग है।

दिल्ली में मलिन बस्ती निवासियों का विस्थापन

2968. **श्री जुएल ओराम :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आरंभ होने से पूर्व बड़ी संख्या में मलिन बस्ती निवासियों को विस्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन मलिन बस्ती निवासियों का पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) स्लम/झुग्गी वासियों को हटाया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और पात्र स्क्वेटरों को सरकार की नीति के अनुसार वैकल्पिक प्लाट आबंटित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

2969. **श्रीमती किरण माहेश्वरी :**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना हेतु कितनी राशि आवंटित, जारी और खर्च किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) आज तक इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्यवार और वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) कतिपय राज्यों द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित राशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्षवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत आबंटित/जारी केन्द्रीय धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

(लाख रु. में)

वर्ष	नियतन	जारी
1	2	3
2001-02	6900.00	7356.000
2002-03	25685.00	21835.000
2003-04	23850.00	23854.600
2004-05	28058.00	22366.148

(ख) वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान "वाम्बे" के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी राज्यवार और वर्षवार केन्द्रीय धनराशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) स्थानीय समस्याओं, यथा लाभार्थियों में परिवर्तन पद्धति में परिवर्तन तथा प्रशासनिक समस्याओं के कारण राज्य/ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना में संशोधन, भूमि का उपलब्ध न होना।

(घ) राज्य स्तरीय समन्वयन समिति तथा केन्द्रीय मंजूरी समिति समय-समय पर उपयुक्त प्रतिकारक कार्रवाई कर रही हैं।

(ङ) वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान "वाम्बे" के अंतर्गत शामिल रिहायशी यूनिटों तथा शौचालय सीटों की संख्या के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान वाम्बे के अंतर्गत राज्यों/ संघ प्रदेशों को आबंटित और जारी केन्द्रीय राशि का राज्यवार और वर्षवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ प्रदेश	2001-02 के दौरान जारी	शामिल रिहायशी यूनिट	शामिल शौचालय सीटें	2002-03 के दौरान जारी	शामिल रिहायशी यूनिट	शामिल शौचालय सीटें	2003-04 के दौरान जारी	शामिल रिहायशी यूनिट	शामिल शौचालय सीटें	2004-05 के दौरान जारी	शामिल रिहायशी यूनिट	शामिल की जाने वाली शौचालय सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1200.00	4000	0	5535.437	22268	392	5987.433	27627	0	3360.900	15582	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00			0.000			0.000			0.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	0.00			0.000			0.000			0.000		
4.	बिहार	0.00			0.000			10.000	50	0	0.000		
5.	छत्तीसगढ़	65.00	325	0	529.410	2185	462	423.470	1850	0	0.000		
6.	गोवा	0.00			0.000			0.000			0.000		
7.	गुजरात	384.00	1536	0	3089.000	18776	1640	13.480			0.000		
8.	हरियाणा	0.00			0.000			666.080	3263	0	0.000		
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00			0.000			0.000			0.000		
10.	जम्मू-कश्मीर	87.00	387	0	38.320	170	0	157.930	442	0	0.000		
11.	झारखंड	0.00			0.000			0.000			718.800	3504	90
12.	कर्नाटक	915.00	3333	575	2042.600	6979	2215	3999.580	14978	3090	0.000		
13.	केरल	182.00	910	0	2389.650	11948	0	1438.680	6926	0	0.000		
14.	मध्य प्रदेश	200.75	803	0	934.780	4054	170	268.700	1024	0	0.000		
15.	महाराष्ट्र	1198.00	4661	597	845.600	328	3900	5334.967	22700	0	11090.868	40695	10844
16.	मणिपुर	0.00			7.875	35	0	250.400	853	0	0.000		
17.	मेघालय	0.00			0.000			0.000			0.000		
18.	मिजोरम	0.00,			0.000			0.000			0.000		
19.	नागालैंड	0.00			9.000	40	0	185.830	766	0	0.000		
20.	उड़ीसा	0.00			61.200	306	0	99.880	232	0	4.400	22	0
21.	पंजाब	0.00			0.000			0.000			0.000		
22.	राजस्थान	300.00	1500	0	900.000	4000	0	93.480	200	0	600.000	2500	0
23.	सिक्किम	0.00			0.000			0.000			0.000		
24.	तमिलनाडु	1172.00	2610	3000	2846.500	27226	11880	2146.480	14684	0	4515.630	34580	9050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	त्रिपुरा	10.05	45	0	144.978	644	0	278.080	976	0	0.000		
26.	उत्तरांचल	36.00	180	0	160.150	701	100	263.680	1098	0	0.000		
27.	उत्तर प्रदेश	443.45	2217	0	1108.880	5412	0	1912.480	8462	0	1991.950	8835	155
28.	पश्चिम बंगाल	690.60	2529	393	1191.650	5002	819	172.890	797	0	0.000		
29.	अंडमान व नि.द्वी.सं.	0.00			0.000			0.000			0.000		
30.	चंडीगढ़	0.00			0.000			0.000			0.000		
31.	दादरा व नगर हवेली	0.00			0.000			0.000			0.000		
32.	दमण व दीव	0.00			0.000			0.000			0.000		
33.	दिल्ली	50.00	167	0	0.000			0.000			0.000		
34.	पाण्डिचेरी	33.50	170	40	0.000			90.680	408	80	83.600	418	0
35.	लक्षद्वीप	0.00			0.000			0.000			0.000		
	कुल	6967.35	25373	4605	21835.03	110074	21398	23794.20	107336	3170	22366.148	106136	20139
	विविध प्रयोजनों के लिए वाम्बे के अंतर्गत जारी राशि	0.00	0	0	0.00	0	0	60.400	1040	0	0.000	0	0

मूलभूत सुविधाओं के लिए धनराशि

2970. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए कितनी-धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है;

(ग) सरकार द्वारा घोषित योजना के कब तक आरंभ होने तथा पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या चालू वर्ष में आरंभ की गई सभी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं अथवा उनके समय पर पूरा हो जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु दसवीं योजना के दौरान आबंटन क्रमशः 30,000 करोड़ रु. तथा 13,825 करोड़ रु. है। किसी वर्ष विशेष हेतु वार्षिक योजनागत आबंटन का उसी वर्ष उपयोग करना अपेक्षित है और निधियों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले किया जाता है। यही प्रक्रिया वर्तमान वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई स्कीमों हेतु आबंटित निधियों पर भी समान रूप से लागू होती है। संचालनाधीन विभिन्न स्कीमों, साथ ही वे स्कीमें जो किसी पंचवर्षीय योजनाविध के दौरान प्रारंभ की जाती हैं, को सामान्यतः उस योजनावधि के अंत तक जारी रखा जाता है और इसे जारी रखना है अथवा नहीं, इस पर आगामी पंचवर्षीय योजना तैयार करने से पूर्व विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट

2971. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा हाल ही में तैयार रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में अपराध दर सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में पुलिस बल की संख्या, राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बल की संख्या के अनुपात से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति पर नियंत्रण न हो पाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अपराध की दर की दृष्टि से दिल्ली अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों की तुलना में वर्ष 2001 में दूसरे और वर्ष 2002 एवं 2003 में तीसरे स्थान पर थी।

(ग) वर्ष 2001, 2002 और 2003 में दिल्ली में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कार्मिकों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर अखिल भारतीय औसत की तुलना में अधिक थी।

(घ) दिल्ली में अपराध की घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारक हैं- यहां भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग होना, अनियोजित शहरीकरण, स्लम आबादी में वृद्धि और पड़ोसी राज्यों से अपराधियों की घुसपैठ।

[अनुवाद]

विधिक सेवाएं

2972. श्री अब्दुल्लाकुट्टी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार भारत अपने विधिक सेवा क्षेत्र को दूसरे देशों के लिए खोल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के कदम के प्रभावों की जांच करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) भारत ने उरूग्वे दौर के दौरान सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट्स) के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में विधिक सेवाओं में कोई वचनबद्धता नहीं की है। वार्ताओं के चल रहे दोहा दौर के दौरान भी भारत के आरंभिक प्रस्ताव में विधिक सेवाओं के बारे में किसी वचनबद्धता का प्रस्ताव नहीं किया गया है। भारतीय और यूनाइटेड किंगडम (यू के) के वकीलों के एक दल द्वारा विधिक सेवाओं की स्थिति तथा विधिक सेवाओं की शुरूआत से पूर्व समाधान हेतु अपेक्षित मुद्दों पर विचार का आदान-प्रदान किए जाने की आशा है।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

2973. श्री अधीर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सक्रिय आईएसआई एजेंटों को पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा धन की आपूर्ति की जा रही है जैसा कि दिनांक 26 फरवरी, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग तथा देश में सक्रिय आईएसआई एजेंटों की साठ-गांठ को तोड़ने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 12.2.2005 को पाक/पाक आई एस आई द्वारा प्रयोजित एक एजेंट को गिरफ्तार किया जिसके पास रक्षा संबंधी कुछ संवेदनशील सूचना/दस्तावेज थे। इसके बाद एक सह-अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है।

(ग) और (घ) पाक/पाक आई एस आई समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को काबू करने के लिए सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें राजनयिक पहलों के अतिरिक्त घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, केन्द्र और राज्यों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपस्करों की व्यवस्था करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों के द्वारा आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र विरोधी तत्वों/आई एस आई एजेंटों की योजनाओं को विफल करना शामिल है।

अमरीका को निर्यात

2974. श्री राजेश वर्मा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी देशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित निर्यात की गयी वस्तुओं तथा विभिन्न अन्य वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा इनकी मात्रा तथा इनका मूल्य कितना है;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ग) देश से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का अमरीकी देशों को निर्यात कर रहे निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(घ) क्या अमरीकी देशों में इन भारतीय खाद्य उत्पादों के केन्द्रीय विपणन की व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से अमरीकी देशों को हुए निर्यात निम्नानुसार हैं:—

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	संयुक्त राज्य अमरीका को हुए निर्यात	लैटिन अमरीकी देशों को हुए निर्यात
2001-2002	8513.34	960.30
2002-2003	10895.76	1295.80
2003-2004	11490.97	1138.81

अमरीकी देशों को होने वाले निर्यातों की प्रमुख मदें, रत्न एवं आभूषण, सहायक सामग्री सहित आर एम जी कॉटन, औषधि, भेषज तथा परिष्कृत रसायन, मशीनें एवं उपकरण हैं। निर्यातित सभी माल और वस्तुओं के ब्यौरे, उनकी मात्रा और मूल्य के साथ वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http:èèwww.commerce.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(ग) निर्यातकों को प्रोत्साहन बुनियादी सुविधाओं के विकास, बाजार अनुसंधान, सूचना के प्रसार, क्रेता-विक्रेता बैठकों को सुकर बनाने, व्यापार मेलों में भागीदारी आदि के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

(घ) सरकार को किसी केन्द्रीकृत विपणन व्यवस्था की जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खेल स्कूल/कॉलेज

2975. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में आज की तारीख के अनुसार कितने खेल स्कूल/कॉलेज हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से इस प्रकार के और स्कूल/कॉलेज खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन खेल स्कूल/कॉलेजों को राज्य-वार कब तक खोले जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राज्यों में खेलों के स्कूल/कॉलेजों को खोलने के लिए मंत्रालय में कोई योजना नहीं है।

"खेल" राज्य सूची का विषय है, अतः खेलकूद का संवर्धन मुख्यतः संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना के अंतर्गत स्कूलों एवं कालेजों को अपनाता है। एस.ए.आई. द्वारा अपनाए गए ऐसे स्कूल/कॉलेजों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) खेल स्कूलों/कॉलेजों को खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत स्कूलों/कॉलेजों का ब्यौरा

क्र.स.	राज्य	क्षेत्र/स्कूल	
1	2	3	4
		दक्षिणी	
1.	कर्नाटक	सेंट जोसफ इंडियन हाईस्कूल, बंगलौर	हाकी, तैराकी, बास्केटबाल
2.	आंध्र प्रदेश	वी.पी. सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	एथेलेटिक, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स
3.	केरल	माउंट कार्मेल स्कूल, कोट्टायम	एथलेटिक्स
		पूर्वी	
4.	झारखंड	सेंट इग्नेसियश हाईस्कूल, गुमला	फुटबाल, हॉकी, एथलेटिक्स
5.		गवर्नमेंट गर्ल्स हाईस्कूल, रांची	फुटबाल, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, तैराकी
6.	उड़ीसा	सेंट मैरी जी.एच. स्कूल, सुंदरगढ़	एथलेटिक्स, हॉकी
7.		बी.एस. हाईस्कूल, सुंदरगढ़	फुटबाल, जिम्नास्टिक्स
8.	त्रिपुरा	उमाकांता अकादमी, अगरतला, त्रिपुरा	फुटबाल, तैराकी
9.	सिक्किम	ताशीनामगयाल अकादमी, गंगटोक	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स
10.	पश्चिम बंगाल	सुकांता नगर विद्यानिकेतन, साल्टलेक सिटी, कलकत्ता	एथलेटिक्स, फुटबाल, हॉकी
11.		जी.जी. हाई सेकेंडरी स्कूल, कृष्ण नगर	एथलेटिक्स, फुटबाल, हॉकी
12.		डाउन हिल जी.एच. स्कूल, कुर्सिआंग	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स

1	2	3	4
		केन्द्रीय	
13.	उत्तर प्रदेश	महादेवी कन्या पाठशाला, इंटर कालेज, (उत्तर प्रदेश)	टी. टेनिस, बैडमिंटन
14.		उदय प्रताप इंटर कॉलेज, वाराणसी	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, कुश्ती
15.		कोलविन तालुकदार कालेज, लखनऊ	एथलेटिक्स, बास्केटबाल
16.	मध्य प्रदेश	राजकीय बहुउद्देशीय एच.एस. स्कूल, इंदौर, मध्य प्रदेश	टेबल टेनिस, तैराकी
17.		महारानी लक्ष्मीबाई बहुउद्देशीय एच.एस., जबलपुर, मध्य प्रदेश	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, कबड्डी
		पश्चिमी	
18.	महाराष्ट्र	मुक्तांगना इंग्लिश स्कूल, पुणे, (महाराष्ट्र)	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स
19.		भोसला मिलिट्री स्कूल, नासिक (महाराष्ट्र)	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, बास्केटबाल, तैराकी
20.		परवारा पब्लिक स्कूल, परवारा नगर, अहमद नगर	एथलेटिक्स, कुश्ती, बास्केटबाल
21.		संजीवन विद्यालय, पंचगनी	एथलेटिक्स, बास्केटबाल
22.	राजस्थान	श्री गुरुनानक खालसा स्कूल, श्री गंगा नगर	बास्केटबाल
23.		भूपाल नूल्स एचएस स्कूल, उदयपुर (राजस्थान)	फुटबाल, एथलेटिक्स, हॉकी
24.	गोवा	सेंट एंथनी एचएस गोवा	एथलेटिक्स, हाकी, बास्केटबाल
		उत्तर-पूर्व	
25.	अरुणाचल प्रदेश	डोनी पोलो विद्या भवन, ईटानगर	एथलेटिक्स, फुटबाल
26.	असम	डोन बास्को एचएस, गुवाहाटी	तैराकी, टेबल टेनिस, बास्केटबाल
27.	मणिपुर	सैनिक स्कूल, इम्फाल, मणिपुर	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबाल
28.	मेघालय	एंथनी एचएस, शिलांग	फुटबाल, टेबल टेनिस
		उत्तरी	
29.	चंडीगढ़	डीएवी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, चंडीगढ़	फुटबाल, हाकी, बालीबाल
30.	पंजाब	गवर्नमेंट गर्ल्स एसएस स्कूल, जालंधर	एथलेटिक्स, हाकी

1	2	3	4
31.	हरियाणा	मोती लाल नेहरू स्कूल आफ स्पोर्टस, राई, हरियाणा	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, तैराकी
32.		सीआरजेड सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सोनीपत	एथलेटिक्स, हाकी, कुश्ती

रेड कार्नर नोटिस

2976. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरपोल ने हाल ही में गुटखा मालिकों की गिरफ्तारी के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंटरपोल द्वारा विभिन्न अपराधों में लिप्त भारतीय नागरिकों के विरुद्ध जारी किए गए अन्य नोटिसों का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) मुंबई पुलिस के कहने पर सी बी आई ने 19.01.2005 को श्री जगदीश प्रसाद जोशी और श्री रसिक लाल धारीवाल के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी किए थे। श्री जगदीश प्रसाद जोशी के विरुद्ध रेड कानर्नर नोटिस 7.3.2005 को रद्द कर दिया गया।

(ग) सी बी आई ने भगोड़े वांछित अपराधियों को सजा देने या उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए तीन सौ बानवे रेड कार्नर नोटिस जारी किए हैं।

(घ) ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए इंटरपोल - नई दिल्ली, भारत, इंटरपोल सदस्य देशों और राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रयासों का समन्वय करता है।

[हिन्दी]

सरकारी भूमि का आवंटन

2977. **श्री मोहन सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द सरकार का विचार योगश चन्द समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किसी सरकारी भूमि के आवंटन के लिए कोई नीति अथवा दिशा-निर्देश बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) योगेश चंद्रा जांच समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा भविष्य में निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी तरीके से भूमि का आवंटन करने के लिए दिशानिर्देश सुझाना है।

भूमि के आवंटन की मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन, यदि कोई हो, इस मामले में समिति की सिफारिश पर निर्भर करेगा।

एन.डी.एस.आई. योजना

2978. **श्री जसवंत सिंह बिश्नाई :**
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नेशनल डिसिपलिन स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्टर्स (एनडीएसआई) स्कीम के अंतर्गत नेशनल डिसिपलिन स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्टर्स (एनडीएसआई) और हाऊसकीपिंग स्टॉफ को धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजनाक के अंतर्गत राजस्थान को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या राज्य ने योजनाओं के अंतर्गत धनराशि बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को अदा की गई धनराशि निम्नलिखित है:—

2001-02	80,00,000/- रुपए
2002-03	शून्य
2003-04	शून्य

(ग) राजस्थान की राज्य सरकार ने जनवरी, 2005 में करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति मांगी थी। प्रस्ताव में कमी पायी गयी थी तथा वह इस अनुरोध के साथ राजस्थान सरकार को वापस कर दिया गया था कि धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित व्यय विवरण भेजें, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) में दी गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की जा सकती।

बालभवनों की स्थापना

2979. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री एस.के. खारवेन्थन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में स्थित 'बाल भवनों, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बच्चों के लाभ के लिए देश में और अधिक बाल भवनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार, राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय बाल भवन से सम्बद्ध बाल भवनों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जिन राज्यों में कोई बाल भवन नहीं हैं। उनमें बाल भवन स्थापित करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में लघु बाल भवन स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन ने एक योजना तैयार की है।

विवरण

राष्ट्रीय बाल भवन से सम्बद्ध बाल भवनों की राज्यवार संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बाल भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	गोवा	1
4.	गुजरात	5
5.	हरियाणा	10
6.	जम्मू-कश्मीर	2
7.	कर्नाटक	5
8.	केरल	7
9.	मध्य प्रदेश	2
10.	महाराष्ट्र	5
11.	मणिपुर	1
12.	उड़ीसा	3
13.	पंजाब	2
14	राजस्थान	1
15.	तमिलनाडु	7
16.	उत्तर प्रदेश	6
17.	उत्तरांचल	1
18.	पश्चिम बंगाल	2
19.	चंडीगढ़	1

1	2	3
20.	दादरा और नगर हवेली	1
21.	दमन और दीव	2
22.	दिल्ली	1
23.	पांडिचेरी	1
	कुल	73

सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों के परिवारों को मुआवजा

2980. श्री अनंत गुढ़े : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सेनाओं के ड्यूटी के दौरान दिवंगत सैनिकों के निकट संबंधियों को उन सैनिकों की मृत्यु अथवा शहीद होने के पश्चात् एक समान सहायता दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को पेट्रोल पंपों की आवंटन योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) ड्यूटी करने के दौरान या शहादत में सीमा सुरक्षा बल और अन्य केन्द्रीय पुलिस बल कर्मिकों की मृत्यु होने पर, निकटतम संबंधियों (एन ओ के) को सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन यथाअनुमेय लाभ दिए जाते हैं जबकि सशस्त्र बल, रक्षा सेवा नियमों के तहत कवर किए जाते हैं इसलिए लाभ बराबर नहीं है।

(ग) और (घ) सीमा सुरक्षा बल के सैनिक 8% आरक्षण कोटे के साथ पी एम पी श्रेणी के अंतर्गत पैट्रोल पंपों के आबंटन हेतु योजना में शामिल किए जाते हैं, जिसके लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने तेल समन्वय समिति के विचारार्थ 79 मामले भेजे हैं लेकिन कोई आबंटन नहीं किया गया है।

युवा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि

2981. श्री कैलाश मेघवाल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवा कल्याण योजनाओं, खेल तथा शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत राजस्थान राज्य को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् योजनावार स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अनुदान के उपयोग/उपयोग न करने का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसका परिणाम क्या निकला;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान किए गए कार्य की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान राज्य को स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

योजना का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (16.3.2005 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
युवा गतिविधियों के संवर्धन तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना	1,40,700 रु.	5,14,161 रु.	14,97,080 रु.	6,39,899 रु.

1	2	3	4	5
युवा छात्रावास	शून्य	शून्य	शून्य	40,00,000 रु.
राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन	1,38,750 रु.	6,04,652 रु.	23,88,312 रु.	6,50,812 रु.
साहस का संवर्धन	1,50,000 रु.	1,25,000 रु.	2,63,000 रु.	6,29,500 रु.
खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान	4,000 रु.	10,71,000 रु.	25,00,000 रु.	8,72,500 रु.
खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान	17,78,000 रु.	11,71,000 रु.	25,19,800 रु.	15,00,800 रु.
विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान	14,000 रु.	1,10,000 रु.	4,20,000 रु.	7,20,000 रु.
राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)	1,70,93,298 रु.	2,57,54,896 रु.	2,60,50,173 रु.	2,17,00,000 रु.

(ख) जी, हां।

(ग) अनुदानग्राही संगठनों द्वारा धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों एवं नेहरू केन्द्र संगठन की फील्ड संरचनाओं/एन.एस.एस. कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र, प्रगति रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, खेल परियोजनाओं के फोटोग्राफ, निरीक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती हैं। राज्य मंत्रियों तथा सचिवों के साथ हाल ही में संपन्न हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों की सहायता करें तथा उनको जारी किए गए अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करें।

(घ) जी, हां।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सभी युवा तथा खेल योजनाओं की समीक्षा की गई थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि शून्य बजट के सिद्धांत का पालन करते हुए छोटी योजनाओं को आमेलित कर दिया जाए तथा उन्हें अम्ब्रेला योजनाओं के अंतर्गत अभिमुख किया जाए। इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा किए जा रहे 10वीं योजना मध्य अवधि मूल्यांकन के संदर्भ में सभी युवा तथा खेल योजनाओं की हाल ही में समीक्षा की गई है। योजना आयोग द्वारा पहचानी गई पांच एजेन्सियों द्वारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना का मूल्यांकन किया गया था। 20 चयनित जिलों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को युवा गतिविधियों तथा प्रशिक्षण की योजना का मूल्यांकन कार्य सौंपा गया है तथा 2004-2005 के दौरान एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, प्रशिक्षण अभिमुख अनुसंधान केन्द्र (टीओआरसी) से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय एकीकरण शिविर की योजनाओं तथा संवर्धन की योजना का मूल्यांकन करें।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद

2982. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनटीएईआर) को विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुकूल निर्यात प्रोत्साहन योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो विचारार्थ विषय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनसीएईआर द्वारा सरकार को अपनी योजना कब तक सौंपे जाने की संभावना है; और

(घ) वर्तमान ''ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक स्कीम'' पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) से (घ) सरकार राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी, ए ई आर) और राजीव गांधी फाउंडेशन/इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस की सहायता से एक निर्यात संवर्धन स्कीम का मसौदा तैयार कर रही है जिस पर शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम को प्रतिस्थापित करने के लिए विचार किया जाएगा। इस स्कीम में बिना माफ किए विभिन्न करों और लेवियों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रस्ताव के मसौदे के शीघ्र तैयार होने की संभावना है।

शिक्षा उपकर

2983. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्राथमिक शिक्षा कोष' नामक निधि की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि एकत्र की गई; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान लगाए गए 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर से प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा मध्याह्न भोजन योजनाक के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई तथा वितरित की गई।?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) एक अव्यपगत निधि के रूप में ''प्राथमिक शिक्षा कोष'' के सृजन का निर्णय लिया गया है, जिसमें शिक्षा उपकर से होने वाली प्राप्तियां जमा की जाएंगी। इस कोष के संबंध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

विदेशी संस्थाएं

2984. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) ने हाल ही में कुछ विदेशी संस्थाओं का भंडाफोड़ किया है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संगोष्ठियों के नाम पर धनराशि दान करने के लिए संगठनों को लुभा रहे थे;

(ख) क्या साउथ एण्ड साउथ-ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ रिलिजन (एस.एस.ई.ए.एस.आर.) नामक एक संगठन ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) फोर्ड फाउन्डेशन तथा अन्यों से धनराशि वसूली है;

(ग) यदि हां, तो सबसे पहले यह मामला कब प्रकाश में आया;

(घ) एस.एस.ई.ए.एस.आर. की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 13 जनवरी 2005 को उनकी जानकारी में आया कि 'साऊथ एंड साऊथ-ईस्ट एशियन एसोशिएसन फॉर् दी स्टडी ऑफ रिलीजन' नामक संगठन ''कल्चर एंड रिलीजियस मोजेक ऑफ साऊथ एंड साऊथ-ईस्ट एशिया: कनफ्लिक्ट एंड कनसेंसस थ्रो द एजेज'' पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने हेतु अनधिकृत रूप से उनके नाम का प्रयोग कर रहा हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के मुताबिक उक्त संगठन भारत में पंजीकृत संस्था नहीं है और उन्होंने सेमिनार के लिए अनुदान हेतु परिषद के पास आवेदन किया है।

अपराध तथा हिंसा के संबंध में जागरूकता शिविर

2985. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात् आज की तारीख तक देश में बच्चों तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा अपराध के बारे में जागरूकता के लिए कोई जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के शिविरों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई तथा अब तक किन-किन राज्यों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन हो चुका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने गत दो वर्षों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराधों के संबंध में जागरूकता विकास हेतु शिविरों का आयोजन किया। तथापि, बच्चों के लिए ऐसा कोई भी शिविर आयोजित नहीं किया गया।

(ख) निपसिड ने 21 राज्यों में 87 अपराध सम्भावित जिले अभिनिर्धारित किए, जहां 1,07,752 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए ऐसे शिविरों का आयोजन किया गया। इन जागरूकता शिविरों में शामिल क्रियाकलापों में व्याख्यान, पोस्टर बनाना, प्रदर्शनी, मेला, रैलियां, प्रतियोगिताएं एवं नुक्कड़ नाटक हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त 100 लाख में से निपसिड ने आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसे शिविरों के आयोजन पर वर्ष 2002-2003 में 47.30 लाख रुपये तथा वर्ष 2003-2004 में 12.97 लाख रुपये खर्च किए।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में संशोधन

2986. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में संशोधन करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान कुछ रुकावटें पाई गईं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य पणधारियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए और स्कीम को ज्यादा कारगर बनाने के लिए सरकार का मत है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों में कुछ संशोधन अपेक्षित हैं।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम

2987. **डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर असम सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अनुसमर्थित शिक्षक पदों के लिए केंद्रीय सहायता उस अवधि के समापन (अर्थात 31.3.2002 से) के बाद समाप्त हो गई तथा अब यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन गई है। तथापि, विशेष मामले के रूप में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अनुसमर्थित शिक्षकों के वेतन हेतु सहायता दसवीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रहेगी। तदनुसार पदों की ग्राहय संख्या के वेतन हेतु निधियां जारी की गई हैं। 2004-05 के दौरान अनुमोदित/जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:—

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित/जारी की गई राशि
1.	असम	20.52
2.	त्रिपुरा	3.61
3.	मिजोरम	2.92
4.	मेघालय	0.43

भारत-नेपाल संयुक्त उद्यम

2988. **श्री दुष्यंत सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक स्थापित किए जा चुके भारत-नेपाल संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) भारत-नेपाल में विदेशी प्रत्यक्ष का प्रमुख स्रोत है जिसका विदेशी निवेश में एक तिहाई हिस्सा है। वर्ष 2004-2005 तक लगभग 6 बिलियन भारतीय रुपये के कुल भारतीय निवेश के साथ नेपाल में 295 भारतीय संयुक्त उद्यम हैं। दिसंबर, 2004 तक 33.8 मिलियन भारतीय रुपये के निवेश के साथ नेपाल के चार प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) भारत-नेपाल शान्ति तथा मित्रता संधि के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार संधि नेपाल में भारतीय निवेश के लिए सुविधाजनक माहौल प्रदान करती है। दोनों देशों का दोहरा कर परिहार समझौता भी है और वर्तमान में ये द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा

2989. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संसाधन में संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों के अन्तर्गत लाने का प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों के अन्तर्गत लाने का माध्यमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा माध्यमिक शिक्षा की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए सरकार कितनी तैयार है;

(ग) क्या मध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की जाएगी तथा सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर इस संबंध में अधिकतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 6-14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद 21-ए संविधान में जोड़ने का प्रयास है, को अभी तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि अनुच्छेद 21-ए में परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रारूप (वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति द्वारा) तैयार किया जा रहा है। तथापि सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन और अन्य संबद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की ओर ज्यों-ज्यों अग्रसर होगा, माध्यमिक शिक्षा के लिए मांग में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने हेतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति गठित की गई है। इस समिति की सिफारिशों के आलोक में इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

दुर्व्यापार

2990. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री किसनभाई वी.पटेल :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में तथा भारत में महिलाओं, बच्चों और लड़कियों को दुर्व्यापार सबसे तेजी से बढ़ता हुआ आपराधिक कार्यकलाप है जैसा कि दिनांक 6 मार्च 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्व्यापार मानव अधिकारों और प्रतिष्ठा के सभी रूपों का उल्लंघन करता है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्व्यापार के पीड़ितों को हिरासत में देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास उपलब्ध कराने हेतु संरक्षागृह/कुछ समय रहने के लिए गृह खोले हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में ऐसे गृहों की स्थापना के चयन हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक नीति बनाने का है;

(छ) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने दुर्व्यापार से कड़ाई से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन करने की मांग की है;

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(झ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं और अभी तक कितने मामले निपटाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण-I संलग्न है।

(ङ) परियोजना संस्वीकृति समिति राज्य सरकारों द्वारा विधिवत् अनुशंसित आवेदनों पर स्वीकृति हेतु विचार करती है। एक जिले में अधिकतम दो अल्पावास गृह स्वीकृत किये जाते हैं।

(च) सरकार ने वर्ष 1998 में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की तथा अवैध व्यापार, अवैध व्यापार एवं व्यावसायिक यौन-शोषण से पीड़ितों के बचाव एवं पुनर्वास विषयों पर सलाह देने तथा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के कठोरतापूर्वक प्रवर्तन हेतु कानून एवं विधि प्रवर्तन प्रणालियों को सक्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया।

(छ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया था।

(ज) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों को अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में शामिल किया गया है।

(झ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 के दौरान स्वीकृत किये गये अल्पावास गृहों/स्वाधार गृहों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत किए गए अल्पावास गृहों की संख्या	स्वीकृत किए गए अल्पावास गृहों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	29	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	
3.	असम	10	
4.	बिहार	24	
5.	छत्तीसगढ़	1	
6.	झारखण्ड	7	
7.	गोवा	1	
8.	गुजरात	4	1
9.	हरियाणा	2	2
10.	हिमाचल प्रदेश	1	
11.	जम्मू-कश्मीर	2	
12.	कर्नाटक	19	3
13.	केरल	4	
14.	मध्य प्रदेश	23	
15.	महाराष्ट्र	32	
16.	मणिपुर	10	1
17.	मेघालय	0	
18.	मिजोरम	1	
19.	नागालैण्ड	1	
20.	उड़ीसा	30	1
21.	पंजाब	2	
22.	राजस्थान	8	1
23.	सिक्किम	0	
24.	तमिलनाडु	41	
25.	त्रिपुरा	5	
26.	उत्तर प्रदेश	36	
27.	उत्तरांचल	6	1
28.	पश्चिम बंगाल	33	4
29.	अण्डमान व निकोबार	0	
30.	चण्डीगढ़	1	
31.	दिल्ली	3	2
32.	दमन व दीव	0	
33.	लक्षद्वीप	0	
34.	पाण्डिचेरी	0	
35.	दादर व नगर हवेली	1	
	कुल	341	16

विवरण-II

वर्ष 2001-03 तक की अवधि के दौरान अवयस्क बालिकाओं की खरीद, वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की खरीद फरोख्त तथा उनके आयात की घटनाओं का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001				2002				2003			
		खरीदी गई अवयस्क बालिकाओं की संख्या	वेश्यावृत्ति के लिए खरीदी गई बालिकाओं की संख्या	वेश्यावृत्ति के लिए बेची गई बालिकाओं की संख्या	आयात की गई बालिकाओं की संख्या	खरीदी गई अवयस्क बालिकाओं की संख्या	वेश्यावृत्ति के लिए खरीदी गई बालिकाओं की संख्या	वेश्यावृत्ति के लिए बेची गई बालिकाओं की संख्या	आयात की गई बालिकाओं की संख्या	खरीदी गई अवयस्क बालिकाओं की संख्या	वेश्यावृत्ति के लिए खरीदी गई बालिकाओं की संख्या	वेश्यावृत्ति के लिए बेची गई बालिकाओं की संख्या	आयात की गई बालिकाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	0	0	7	9	1	0	0	46	0	1	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	6	0	0	0	12	0	0	0
4.	बिहार	16	1	1	83	9	0	0	38	1	0	0	37
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	2	एन.आर.	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0
7.	गुजरात	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
8.	हरियाणा	5	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	1	0
10	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	झारखण्ड	1	0	0	2	5	0	0	36	5	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0
13.	केरल	4	0	0	0	6	0	0	0	7	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	4	0	0	0	5	0	1	0	13	0	25	0
15.	महाराष्ट्र	21	1	1	1	34	8	1	0	20	5	3	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
21.	पंजाब	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	29	1	1	0	4	0	0	0	28	0	0	0
27.	उत्तरांचल	7	0	0	0	9	0	0	1	7	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	पश्चिम बंगाल	9	3	2	3	14	0	1	1	12	18	6	1
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	एन.आर.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	138	6	8	114	124	9	5	76	171	24	36	46

गणित हेतु आन्तरिक मूल्यांकन योजना का क्रियान्वयन

2991. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) ने कक्षा IX और X के गणित हेतु आन्तरिक मूल्यांकन योजना को लागू करने के लिए कार्यविधि तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार परीक्षाओं के दबाव और तनाव को कम करने के लिए सभी कक्षाओं के गणित और अन्य विषयों के लिए आन्तरिक मूल्यांकन योजना को लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2005-06 से कक्षा 9 स्तर पर तथा शैक्षणिक वर्ष 2006-07 से कक्षा 10 स्तर पर आन्तरिक मूल्यांकन योजना शुरू की जाएगी। इस नई योजना के अंर्गत कक्षा 10 के छात्रों का प्रथम बैच परीक्षाओं में मार्च, 2007 में बैठेगा। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:—

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गणित का कारगर अध्ययन सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से अपने सभी विद्यालयों में गणित प्रयोगशाला की अवधारणा को अनिवार्य बनाया है।

(2) इस पहल का उद्देश्य उन्नत शिक्षा तंत्र, व्यावहारिक कौशल संबंधी अनुभव, प्रयोगिक तथा अंतर विषयक शिक्षण और सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के जरिए बच्चों के मन से गणित अध्ययन से संबंधित डर को दूर करना है।

(3) कक्षा 9 और 10 में व्यावहारिक तथा परियोजना कार्य संबंधी आन्तरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक तथा अन्तिम परीक्षा के लिए 80 अंक आवंटित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) कक्षा 5 तक सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन, जो आन्तरिक मूल्यांकन का भाग है, पहले ही शुरू किया जा चुका है। विद्यालयों को आगे कक्षा 6 से 8 तक सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन शुरू करने की सलाह दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 की परीक्षाओं में विज्ञान में आन्तरिक मूल्यांकन पहले से ही संचालित किया जा रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2004-05 से कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन में आन्तरिक मूल्यांकन कार्यान्वित किया गया है और यह कक्षा 10 में शैक्षणिक वर्ष 2005-6 से कार्यान्वित किया जाएगा।

बी.आर.एफ.आर.

2992. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक बी.आई.एफ.आर. के पास दर्ज सरकारी क्षेत्र के एककों का ब्यौरा क्या है और उन पर बी.आई.एफ.आर. की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या बी.आई.एफ.आर. की सिफारिशों और उनके क्रियान्वयन में कोई देरी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो विलंब के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में पंजीकृत मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) बीआईएफआर की सिफारिशों और इनके कार्यान्वयन में बीआईएफआर के निदेशों का अनुपालन करने में कंपनी, द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर करने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा, पुनर्वास पैकेज पर निर्णय लेने तथा वित्तीय सहायता पैकेज पर टिप्पणियां उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों और/अथवा संबंधित मंत्रालय द्वारा लिए गए समय और बीआईएफआर के निदेशों पर मुकदमेबाजी के कारण देरी हुई है।

विवरण

31.01.2005 तक बीआईएफआर में पंजीकृत रूग्ण उद्योगों की स्थिति

क्र. सं.	स्थिति	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
1.	गैर-अनुरक्षणयोग्य के रूप में खारिज	09	31
2.	बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत पुनर्वास योजनाएं	17	09
3.	औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)/उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत पुनर्वास योजनाएं	01	00
4.	बंद करने के लिए उच्च न्यायालय को सिफारिश किए गए	32	40
5.	कम किया गया निवल मूल्य+	03	01
6.	परिचालित प्रारूप योजनाएं	02	00
7.	बंद करने का नोटिस	03	03
8.	जांचाधीन	13	14
9.	असलफ और पुनः खोली गई योजनाएं	01	02
10.	एएआई एफआर द्वारा रिमांड किए गए लंबित मामले	01	02
11.	न्यायालयों द्वारा रोक आदेश	00	03
12.	अब रुग्ण नहीं हैं के रूप में घोषित	06	11
13.	न्यायालय द्वारा रिमांड किए गए	01	01
14.	एएआईएफआर द्वारा स्थगित	00	01
	कुल पंजीकृत*	89	118

*रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 (एसआईसीए) के उपबंधों के तहत।

एम.पी.सी. की स्थापना

2993. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरीय योजना समितियों का मुख्य उद्देश्य महानगरीय विकास योजनाओं को तैयार करना और शहरी जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए योजना पद्धति में सहयोग देना है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में एम.पी.सी. को स्थापना संविधान के अनुच्छेद-243 जेड.ई. के अन्तर्गत संवैधानिक आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने ऐसी एम.पी.सी. की स्थापना की है;

(घ) सभी राज्यों के एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एम.पी.सी. की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एम.पी.सी. में संसद सदस्यों और विधायकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 243 जेड.ई. में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) महानगरीय योजना समितियों का मुख्य कार्य समग्र मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना है।

(ख) दस लाख अथवा उससे अधिक आबादीवाले प्रत्येक मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में महानगरीय योजना समिति गठित करना संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ई के तहत सांविधानिक आवश्यकता है।

(ग) महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने अपने राज्यों में महानगरीय योजना समितियां स्थापित कर ली है।

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार ''स्थानीय सरकार'' राज्य का विषय हैं अतः संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में अंतर्निहित प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व है। तथापि, समय-समय पर बैठकें, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि आयोजित कर शहरी विकास मंत्रालय राज्यों से उक्त संशोधन अधिनियम के सभी प्रावधानों का कार्यान्वित करने का आग्रह करता रहा है। महानगरीय योजना समितियों को स्थापना उक्त संशोधन अधिनियम का एक प्रावधान है। शहरी विकास मंत्रालय ने मॉडल म्यूनिसिपल कानून तैयार करके उसे सभी राज्यों में परिचालित भी किया है ताकि वे अपने-अपने म्यूनिसिपल कानून संशोधित कर अथवा नए म्यूनिसिपल कानून बनाकर उपर्युक्त संशोधन अधिनियम के सभी प्रावधानों को कार्यान्वित कर सके।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खेल प्राधिकरण का केन्द्र

2994. डा. के.एस. मनोज : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) अपने केन्द्र में प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी संरचना में उन्नयन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषत: केरल में इन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल अवस्थापना के उन्नयन/सृजन की स्थिति की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ियों को निम्नलिखित केन्द्रों में तैराकी में नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है:—

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत:

1. सेंट जोसफ इंडियन हाई स्कूल, बंगलौर
2. ताशी नामग्याल अकादमी, गंगटोक
3. भोंसला मिल्ट्री स्कूल, नासिक
4. डोन बास्को हाई स्कूल, गुवाहाटी
5. मोती लाल नेहरू स्कूल, राई (सोनीपत)

सेना बाल खेल कंपनी योजना के अंतर्गत

1. एम.ई.जी. केन्द्र बंगलौर
2. बी.ई.जी. केन्द्र, किर्की (पुणे)

विशेष क्षेत्र खेल योजना के अंतर्गत (एस.ए.जी.)

1. एस.ए.जी., अगरतला
2. एस.ए.जी. इम्फाल

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अंतर्गत

1. एस.टी.सी. कोलकाता
2. एस.टी.सी. गांधीनगर
3. एस.टी.सी. पोण्डा
4. एस.टी.सी. गुवाहाटी
5. एस.टी.सी. त्रिचुर

उत्कृष्टता केन्द्र योजना के अंतर्गत

1. कोलकाता
2. गांधीनगर

केरल राज्य में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिचूर में तैराकी एक नियमित खेल विधा है, जहां प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर, नई दिल्ली, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और भारतीय खेल प्राधिकरण दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर में तरणताल उपलब्ध हैं।

विवरण

2001 से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रीय केन्द्रों/उप केन्द्रों और एस.ए.जी. केन्द्रों में खेल अवस्थापना के सृजन/उन्नयन की स्थिति

नयी सृजित/सृजित की जा रही खेल अवस्थापना

क्र.स.	संकाय का नाम	उद्देश्य	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
	क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल		
1.	छात्रावास भवन	निवासियों के लिए आवास	निर्माणाधीन
2.	परिसर दीवार	परिसर बाढ़	-वही-
3.	बहुउद्देशीय हाल	इंडोर खेल	-वही-
4.	कोर्ट- 3	बास्केटबाल	-वही-
5.	मैदान - 1	फुटबाल	-वही-
6.	मैदान - 1	एथलेटिक्स ट्रैक (सिंडर) और ग्रेसी फुटबाल	-वही-
7.	मैदान - 1	चैन लिंक सहित हाकी ग्रेसी	-वही-
	एस.ए.जी., धार		
1.	बहुउद्देशीय हाल	इंडोर खेल	निर्माणाधीन
2.	छात्रावास, भवन	आवास	-वही-

1	2	3	4
3.	ट्रैक	एथलेटिक	निर्माणाधीन
4.	मैदान	तीरंदाजी	-वही-
5.	परिसर दीवार और गेट	परिसर बाड़	-वही-
	उप केन्द्र लखनऊ		
1.	बहुउद्देशीय हाल	इंडोर खेल	कार्य पूरा हो गया
2.	छात्रावास, लड़के व लड़कियां	आवास (निवासी)	-वही-
3.	प्रशासनिक ब्लाक/फिटनेस/वैज्ञानिक केन्द्र	मुख्य भवन	-वही-
4.	मैदान	फुटबाल ग्रेसी	-वही-
5.	ट्रैक	रनिंग (सिंडर) ट्रैक .	-वही-
6.	मैदान	हाकी टर्फ (सिंथेटिक)	-वही-
7.	घास का कोर्ट-2		-वही-
8.	क्ले कोर्ट-2	वालीबाल	-वही-
9.	क्ले कोर्ट-2	कबड्डी	-वही-
10.	कोर्ट-2	बास्केटबाल (बिटुमेन)	-वही-
11.	ताल	तैराकी	-वही-
	उप केन्द्र, पदमा, हजारीबाग		
1.	बहुउद्देशीय हाल/इंडोर स्टेडियम	इंडोर खेल	निर्माणाधीन
2.	छात्रावास, (लड़के व लड़कियां)	आवास (निवासी)	-वही-
3.	चार दीवारी (साइड, मुख्य और प्रदेश प्लाजा)	परिसर बाड़	-वही-
4.	फिटनेस व वैज्ञानिक केन्द्र	फिटनेस/वैज्ञानिक बैकअप	-वही-
5.	मैदान	फुटबाल	-वही-
6.	ट्रैक	रनिंग (सिंथेटिक) ट्रैक	-वही-
7.	मैदान	हाकी (ग्रास)	-वही-

1	2	3	4
8.	कोर्ट-2	वालीबाल	निर्माणाधीन
9.	कोर्ट-2	कबड्डी/खो-खो	-वही-
10.	कोर्ट-2	बास्केटबाल	-वही-
11.	रैंज	तीरंदाजी	-वही-
	उप केन्द्र, सोनीपत		
1.	बहुउद्देशीय हाल	इंडोर खेल	कार्य पूरा हो गया
2.	छात्रावास, (लड़के व लड़कियां) - 90 प्रशिक्षार्थी	आवास (निवासी)	-वही-
3.	चार दीवारी मुख्य गेट	परिसर बाड़	-वही-
4.	मैदान	हाकी (ग्रेसी)	-वही-
5.	कोर्ट-2	वालीबाल (कंकरीट)	-वही-
6.	कोर्ट-2	कबड्डी	-वही-
7.	कोर्ट-2	खो-खो	-वही-
8.	कोर्ट-2	बास्केटबाल	-वही-
9.	मैदान	फुटबाल	निर्माणाधीन
10.	ट्रैक	एथलेटिक	-वही-
11.	ताल	तैराकी	-वही-
12.	ट्रैक	जोगिंग	-वही-
	एस.ए.जी., सुन्दरगढ़		
1.	चिकित्सा केन्द्र		-वही-
2.	मैदान	तीरंदाजी	-वही-
3.	छात्रावास भवन	निवासी (इनमेट)	-वही-
4.	सिंथेटिक हाकी सतह	हाकी	-वही-

1	2	3	4
	खेल अवस्थापना का उन्नयन		
	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता		
1.	छात्रावास - लड़को का 50 बिस्तर वाला	शिविरवासी	कार्य पूरा हो गया
2.	तरणताल का निर्माण	तैराकी/डाइविंग	प्रक्रियाधीन
3.	ट्रैक सिंथेटिक	एथलेटिक ट्रैक	-वही-
4.	फुटबाल - मैदान सं. 1 में फ्लड लाइटिंग	फुटबाल	-वही-
5.	इंडोर हाल की लकड़ी की सतह को बदलना		-वही-
6.	हाकी सतह को बदलना	हाकी	-वही-
	क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर		
1.	हाकी सिंथेटिक सतह को बदलना	हाकी	प्रक्रियाधीन
2.	100 बिस्तर वाला छात्रावास (बालिका)	छात्रावास	-वही-
	एस.टी.सी., मेडीकेरी		
1.	छात्रावास भवन को पूरा करना	छात्रावास	प्रक्रियाधीन
2.	सिंथेटिक हाकी सतह	हाकी	-वही-
	एस.टी.सी., कोलम		
1.	बालिका छात्रावास को पूरा करना	छात्रावास	निर्माणाधीन
	क्षेत्रीय केन्द्र, गांधीनगर		
1.	बहुउद्देशीय हाल का निर्माण पूरा करना	इंडोर खेल	निर्माणाधीन
2.	हाकी सिंथेटिक सतह को बदलना	हाकी	प्रक्रियाधीन
3.	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को बदलना	एथलेटिक	-वही-
4.	सिंथेटिक लान टेनिस कोर्ट-3	लॉन टेनिस	-वही-
	एल.एन.सी.पी.ई. त्रिवेन्द्रम		
1.	तरणताल का निर्माण	तैराकी	निर्माणाधीन
	भा.खे.प्रा. उप केन्द्र, गुवाहाटी		
1.	बहुउद्देशीय हाल का निर्माण	इंडोर खेल	निर्माणाधीन

1	2	3	4
2.	बाल छात्रावास	छात्रावास	-वही-
3.	चिकित्सा-सह-फिटनेस केन्द्र		-वही-

बेघर लोग

2995. श्री अनंत कुमार : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) बेघर लोगों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक कदम क्या हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) भारत के महापंजीयक द्वारा यथा प्रदत्त, शहरी क्षेत्रों में रह रहे बेघर लोगों की राज्यवार संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) लगातार बढ़ रही आबादी और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का जाकर बसना।

(ग) राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 की समीक्षा तथा संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ताकि शीघ्र सुविधा संपन्न भूमि मुहैया कराई जा सके तथा सभी श्रेणियों के लिए विशेषकर गरीब लोगों के लिए आवास मुहैया कराए जा सकें। इस प्रयोजन के लिए एक कार्य बल का भी गठन किया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शहरी क्षेत्रों में रह रहे बेघर व्यक्तियों की सं.
1	2
अंडमान निकोबार	164
आंध्र प्रदेश	66837
अरुणाचल प्रदेश	82
असम	2366
बिहार	12730
चंडीगढ़	2681
छत्तीसगढ़	6214
दिल्ली	23903
दादर नगर हवेली	210
दमन एंड द्वीव	412
गुजरात	72095
गोवा	2289
हिमाचल प्रदेश	1317
हरियाणा	23976
झारखंड	3889
जम्मू-कश्मीर	2622
कर्नाटक	40328
केरल	7437
मेघालय	183
महाराष्ट्र	104512

1	2
मणिपुर	372
मध्य प्रदेश	61870
मिजोरम	263
नागालैंड	748
उड़ीसा	11832
पंजाब	23409
पांडिचेरी	1468
राजस्थान	55361
सिक्किम	58
तमिलनाडु	57128
त्रिपुरा	187
उत्तर प्रदेश	96642
उत्तरांचल	3935
पश्चिम बंगाल	90809

[हिन्दी]

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना

2996. **मो. मुकीम : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना ने दिल्ली की सड़कों पर गड़बड़ पैदा कर दी है तथा यातायात अवरुद्ध कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सड़क पर दिल्ली मेट्रो द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या कुछ ठेकेदारों द्वारा कुछ स्थानों का उपयोग पार्किंग/भण्डार के रूप में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या जहां मेट्रो रेल द्वारा सम्पूर्ण दिल्ली को जोड़ा जाना है वही सरकार द्वारा नजफगढ़ दीनपुर- छावला-बिवसासन रंगपुरी-धौलाकुंआ, सफदरजंग अस्पताल और महरौली बदरपुर क्षेत्रों को यह सुविधा देने पर विचार नहीं किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओर (घ) निर्माण के दौरान ठेकेदार कुछ स्थान पर अस्थाई कब्जा करते हैं। निर्माण पूरा होने पर उक्त स्थान खाली कर दिया जाता है।

(ङ) से (छ) दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार विभिन्न कॉरीडोरों के लिए अनुमोदित वरीयताओं के अनुसार किया जा रहा है जिनकी पहचान संभावित यातायात के आधार पर की गई है। प्रश्न के भाग (ङ) में उल्लिखित स्थानों में से सफदरजंग अस्पताल को दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के फेज-II के लिए बनाए जाने वाले केन्द्रीय सचिवालय-कुतुब मीनार के कारीडोर में जोड़ा जाएगा।

[अनुवाद]

पौष्टिक आहार के लागत मानदण्डों में संशोधन

2997. **श्री एस.के. खारवेनथन : क्या मानव संधान विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को मुफ्त पौष्टिक आहार के एक रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मानदण्ड को बढ़ाकर 2 रुपये करने का अनुदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो न्यायालय के अनुदेश को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.4.2004

के अपने आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत संघ को वर्ष 1991 में निर्धारित प्रत्येक बच्चे हेतु 1/-रुपये मूल्य के पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति हेतु मानकों में संशोधन पर विचार करने को कहा। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, भारत सरकार ने मामले की जांच की और 19.10.2004 को पूरक पोषण के लागत मानकों को लगभग दुगुना करते हुए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए।

दिल्ली में अवैध निर्माण

2998. **श्री विजय कृष्ण :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अवैध कब्जों को तोड़ने को निदेश दिया था किन्तु दिल्ली नगर निगम ने न्यायालय के निदेश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के न्यायालय के निदेश का ब्यौरा क्या है और इस निदेशों पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को पुन: निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली की सार्वजनिक भूमि/हरित क्षेत्रों से अवैध कब्जों को न हटाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कस्टम क्लीयरेंस

2999. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री पी. करुणाकरन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्हक निर्यातोन्मुखी एककों (ई ओ यू) के लिए कस्टम क्लीयरेंस में जल्दी करवाने के लिए फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस योजना क्रियान्वित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना आयात निर्यात निर्यात नीति 2002-07 में सम्मिलित की गयी है अथवा इसे पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो निर्यातकों के लिए फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस योजना नीति फायदेमंद होगी; और

(घ) इसकी घोषणा और इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) दिनांक 24 जनवरी, 2005 की सार्वजनिक सूचना सं. 50/2004-09 के तहत विदेश व्यापार नीति में दर्जाधारक प्रमाण पत्र रखने वाले ई ओ यू के लिए एक फास्ट ट्रैक स्वीकृति प्रक्रिया की घोषणा की गयी थी जो डी जी एफ टी के वेबसाइट www.nic.ineeximpol पर उपलब्ध है। इस स्कीम से सौदा लागत में कमी द्वारा प्रचालनरत ई ओ यू के कार्यचालन में सुविधा मिलेगी। इस स्कीम को राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 4/3/2005 को सीमाशुल्क परिपत्र सं. 12/2005-सी.शु. - जारी करके लागू कर दिया गया है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

3000. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) से संबंधित मुद्दों और अनुसंधान के ऐसे मुद्दों की पहचान के लिए डा. आर.के. माशेलकर महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. की अध्यक्षता में 1999 में स्थापित भेषज अनुसंधान एवं विकास समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समिति ने भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में केवल न्यू मेडिकल एनटिटि/न्यू केमिकल एनटिटि को पेटेंट योग्य बनाने के लिए धारा 2(1)(1) में संशाधन पर जोर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित पेटेंट (संशोधन) विधेयक में इस सिफारिश को सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने देश में भेषज उद्योग की अनुसंधान और विकास क्षमताओं को मजबूत बनाने और भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा

घरेलू अनुसंधान और विकास कार्य हाथ में लेने के गुंजाइश का पता लगाने के लिए एक भेषज अनुसंधान और विकास समिति गठित की थी। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार थे:

(i) भारतीय भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना तथा औषध-मूल्य नियंत्रण व्यवस्था और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कानूनों में परिवर्तनों के संदर्भ में इसका विकास करने हेतु उपाय सुझाना।

(ii) भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए नए और आविष्कारशील राजकोषीय एवं गैर-राजकोषीय उपाय सुझाना।

(iii) भेषजों के क्षेत्र में में राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रयासों को समकालिक एवं सहक्रियात्मक बनाने की दृष्टि से, निजी क्षेत्र और सरकारी संगठनों/प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालयों के बीच सुव्यवस्थित संपर्क स्थापित करने के लिए प्रणालियों का सुझाव देना।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में समिति ने सुझाव दिया है कि रणनीतिक विनिर्माण एवं आक्रामक विपणन के साथ मिलकर आविष्कारशीलता का उच्चतर स्तर और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन ही मुख्यत: भारतीय भेषज उद्योग का भविष्य तय करेंगे। सरकार, न्यायपालिका और कानूनी प्रणाली, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा प्रणाली के लिए कार्यवाही बिंदुओं के साथ बौद्धिक संपदा प्रणाली के मजबूतीकरण हेतु विशिष्ट उपायों का सुझाव दिया गया है। 'ट्रिप्स' के अनुकूल ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार कानून के लिए भी सुझाव दिए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें और भारतीय भेषज उद्योग की प्रगति हेतु मंच प्रदान करें।

पेटेंटों के संबंध में, समिति ने 'ट्रिप्स' के अनुकूल एक ऐसा बौद्धिक संपदा अधिकार कानून बनाने की सिफारिश की है, जो साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे और भारतीय भेषज उद्योग की प्रगति हेतु मंच प्रदान करे। साथ ही समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत में उत्पाद पेटेंट केवल ऐसी नई रासायनिक एनटिटि के लिए दिया जाए, जिसमें नए रासायनिक अणु और नए रासायनिक फार्मुलेशन शामिल हों।

[हिन्दी]

दिल्ली की झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास

552. **श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी दिल्ली की हजारों झुग्गी बस्तियों को एक निर्धारित समय-सीमा में योजनाबद्ध तरीके से पुनर्वास करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य योजना पर कितना खर्च आने की सम्भावना है;

(ग) क्या डीडीए ने भूमि आबंटित कर दी है अथवा यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण है;

(ङ) क्या डीडीए ने गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की कुछेक झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास पर वर्ष-वार कितना खर्च हुआ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए दिल्ली के प्रारूप मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 में पुनर्स्थापन और स्वास्थाने विकास के विवेकपूर्ण मिश्रण के जरिये मौजूदा स्लम और झुग्गी कलस्टरों का सुधार करने की परिकल्पना की गई है। चूंकि दिल्ली मास्टर प्लान-2021 प्रारूप स्तर पर है, व्यय या भूमि आवंटन का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ङ) और (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 51 झुग्गी कलस्टरों को हटा दिया गया है तथा 18751 झुग्गी वासियों को दूसरे स्थान पर बसाया गया है। उनके पुनर्वास पर लगभग 82.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

पॉम ऑयल का आयात

3002. **श्रीमती अनुराधा चौधरी :**
श्री मुन्शी राम :
श्री मो. ताहिर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पॉम ऑयल के आयात संबंधी नियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को खाद्य तेलों के आयातकों के विरुद्ध परिष्कृत पॉम ऑयल पर सीमा शुल्क अपवंचन करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) इन देशों के नाम क्या हैं जहां से अधिकांश पॉम ऑयल आयातित होता है; और

(च) वर्ष 2004-05 के दौरान आयातित तेल की मात्रा कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने 80 प्रतिशत के सीमाशुल्क हेतु पात्र बनने के लिए अपरिष्कृत पाम तेल हेतु केरोटेनॉयड तत्व की सीमा को संशोधित कर 500 मिग्रा./किग्रा. - 2500 मिग्रा./किग्रा. से 250 मिग्रा. - 2500 मिग्रा./किग्रा. और एसिड की मात्रा 2 से 4 कर दी है। तथापि यह वास्तविक प्रयोक्ता संबंधी शर्त के अधीन होगी अर्थात् केवल परिष्कृत तेल, परिष्कृत पामोलीन, वनस्पति, बेकरी शॉर्टनिंग अथवा इंटर-एस्टरीफाइड फैट्स के विनिर्माताओं पर भी लागू होगी।

(ग) और (घ) सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान परिष्कृत पाम तेल पर सीमाशुल्क का अपवंचन करने वाले खाद्य तेल आयातकों के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) पाम तेल का आयात मुख्यत: मलेशिया और इंडोनेशिया से किया जाता है।

(च) डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 (अप्रैल, 2004-अक्तूबर, 2004) के दौरान पाम तेल के आयात के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:—

मद का नाम	मात्रा (हजार किग्रा में)	मूल्य (लाख रुपए में)
पाम तेल	1973757.40	469937.26

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सेवा योजना

3003. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार किये गए अभिनव कार्यक्रमों के नाम क्या है;

(ग) वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) प्राकृतिक आपदा के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समुदाय सेवा के जरिए छात्र युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:—

(1) उस समुदाय को समझना जिसमें वे कार्य करते हैं।

(2) अपने समुदाय के संबंध में अपने आप को समझना।

(3) समुदाय की जरूरतों तथा समस्याओं का पता लगाना और समस्या का हल करने की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करना।

(4) अपने आप में समाज तथा नागरिक दायित्व की भावना को विकसित करना।

(5) व्यक्तिगत तथा समुदाय की समस्याओं के व्यवहारिक हल का पता लगाने में अपने ज्ञान का उपयोग करना;

(6) समूह में रहने तथा दायित्वों को बांटने के लिए सक्षमता को विकसित करना।

(7) सामुदायिक सहभागिता जुटाने में कौशल प्राप्त करना।

(8) नेतृत्व के गुणों तथा लोकतांत्रिक अभिरुचि प्राप्त करना।

(9) आकस्मिक तथा प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने की क्षमता का विकास करना।

(10) राष्ट्रीय एकीकरण तथा सामाजिक सौहार्द का अभ्यास।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा प्रारंभ किए गए मुख्य अभिनव कार्यक्रमों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ग) 2004-05 (दिसम्बर 2004 तक) के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-।। में दिया गया है।

(घ) किसी प्राकृतिक आपदा आने पर राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) ने हमेशा पुनर्वास कार्य में राहत, बचाव तथा सहायता प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभायी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अथवा उत्तरांचल राज्य में भूस्खलन के दौरान, गुजरात (भुज) अथवा महाराष्ट्र (लातूर के भूकंप के दौरान) उड़ीसा में सुपर साइक्लोन में तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र/राज्यों में सूनामी के दौरान एन.एस.एस. स्वयंसेवकों ने राहत और पुनर्वास कार्य में प्रशंसनीय प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर एन.एस.एस. के मुख्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने तथा प्राकृतिक आपदाओं को पुनर्वास कार्य में राहत बचाव तथा सहायता प्रदान करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण-I

2001-02 के दौरान, एन.एस.एस. द्वारा प्रारंभ किए गए अभिनव कार्यक्रम

राज्य का नाम		प्रारंभ की गई अभिनव गतिविधियां
कर्नाटक	1.	कानूनी साक्षरता तथा कानीनी सहायता अभियान तथा सेमीनार, सामान्य लोगों तथा ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्यों के लिए मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा 22.9.2001 तथा 10 नवंबर, 2001 को माण्डया में तथा 2-9 नवंबर, 2001 को दुडयाराहाल्ल द्वारा में 7 अक्तूबर, 2001 को श्रीरंगापटनम में आयोजित किए गए थे।
	2.	"अपने कानों की देखभाल अपनी आयु बढ़ाओ" के विषय पर येलवाल पंचायत (जिला मैसूर) के सात गांवों में अखिल भारतीय वाक तथा श्रवण संस्थान के सहयोग से 2 वर्ष के लिए ग्राम आधारित लम्बवत स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
तमिलनाडु	1.	8 दिसंबर, 2020 को चैन्नई में मानसिक रूप से विकलांग लोगों की समस्याओं पर जागरूकता फैलाने के लिए तथा इन समूहों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 8 दिसंबर, 2002 को जागरूकता कार्यक्रम लिए के आयोजित किया गया था।
	2.	विशेष शिक्षा संस्थाओ के छात्रों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति को आंकने के लिए 29 एन.एस.एस. ईकाईयों द्वारा विशेष सर्वेक्षण आयोजित किया गया।
चण्डीगढ़	1.	पंजाब विश्वविद्यालय के एन.एस.एस. स्वयंसवकों द्वारा चण्डीगढ़ स्थित सुखना लेक को गहरा किया गया जिसमें 84,000 क्यूबिक फीट से अधिक गाद निकाली गई थी।

वर्ष 2002-03 के दौरा राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चलाये जा रहे नवीन कार्यक्रम

राज्यों का नाम	चलाये गए नए कार्यक्रम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	गांवों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया था जिसें 30 गांवों में 300 प्रौद्योगिकीयों का प्रदर्शन किया गया था।

1	2
केरल	राष्ट्रीय सेवा योजना के 1,10,000 स्वयंसेवकों द्वारा 9 अगस्त, 2002 को पूरे केरल राज्य में दो घंटों के अंदर अर्थात प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक 15 लाख पौधे लगाए गए। थे।
महाराष्ट्र	राज्य में 1152 राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों के माध्यम से 2880 बांध (मिट्टी के बांध) बनाये गए थे तथा 506 किलोमीटर कच्ची सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत की गई थी
मध्य प्रदेश	1. राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चलाये गए पुस्तक बैंक और पुस्तक सहायता कार्यक्रम, जिसमें वरिष्ठ छात्रों और अध्यापकों ने पुस्तके और पाठयसामग्री दान की थी, से 123 संस्थानों के 5298 गरीब छात्र लाभान्वित हुए। 2. रानी सुगानी देवी कालेज, इंदौर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विकलांगों के लिए शिल्प मेला आयोजित किया गया था जिसमें विकलांगों द्वारा कला कृतियां और शिल्प तैयार किए गए थे और इन्हें प्रदर्शित किया गया था और बेचा गया था। 3. बारथुन, जिला नीमच में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा एक नए तालाब का निर्माण किया गया था तथा ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा विभाग द्वारा इसकी लागत 1,28,000 रुपये आंकी गई थी।
छत्तीसगढ़	राजकीय महाविद्यालय में औषधीय पौधे लगाए तथा हर्बल बागवानी के संवर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए

2003-04 के दौरान, एन.एस.एस. द्वारा प्रारंभ किए गए अभिनव कार्यक्रम

राज्य का नाम	प्रारंभ की गई अभिनव गतिविधियां
1	2.
आन्ध्र प्रदेश	वारंगल जिले के धरमसागर मंडल के पिचारला गांव में एन.एस.एस. स्वयंसेवकों द्वारा एक उप सतह डेक का निर्माण किया गया।
कर्नाटक	एन.एस.एस. ने राज्य पुरातत्व विभाग के सहयोग से 1500 स्मारकों की देखरेख का जिम्मा लिया। इन स्मारकों के रख रखाव और सफाई का कार्य निकट. के संस्थानों को दिया गया है।
तमिलनाडु	(1) टी.डब्ल्यू.ए.डी. बोर्ड, कडलूर, किरापलयाम, मेल भुवंगरी, कट्टुमनुर कोली, कुमारतिची और परांगीपेट्टी ब्लाक के साथ कडलूर जिले के 60 गांवों में ग्रामीण जल सप्लाई प्रचालन और रख रखाव जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। (2) मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए परामर्श और जीविका प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
चण्डीगढ़	2 अक्तूबर, 2004 को 41 सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के एनएसएस स्वयंसेवकों को शामिल करके पीस सिटी चण्डीगढ़ अभियान आरंभ किया गया। प्रत्येक स्वयंसेवक ने एक परिवार को अपनाया और शांति और सद्भावना का संदेश प्रचारित किया।

1	2
महाराष्ट्र	12-29 जून 2004 तक आलंदी-पंढारपुर बरकारी डिण्डी के दौरान राज्य स्तरीय वृक्षाडिण्डी (प्लांटेशन रैली) और स्वच्छता अभियान आयोजित किया।
उड़ीसा	कुष्ठ विरोधी सप्ताह के दौरान 8 फरवरी, 2004 को भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा कुष्ठ उन्मूलन पर स्किट और नारे प्रतियोगिता का आयोजन किया।
केरल	(1) दक्षिण रेलवे के सहयोग से एनएसएस रेल स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया जिसमें 98 स्टेशनों को एक वर्षीय परियोजना के लिए अपनाया गया। 35,000 एनएसएस स्वयंसेवक इस परियोजना के साथ संबद्ध हैं। (2) केरल हाई कोर्ट के सहयोग से लड़कियों के लिए विधि साक्षरता आयोजित की गई जिससे 100 छात्राओं को लाभ हुआ। (3) एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा 33 पक्के मकान बनाए गए और गांव के जरूरतमंदों को दान किए गए।

2004-05 के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चलाये जा रहे नवीन कार्यक्रम

राज्यों का नाम	प्रारंभ की गई अभिनव गतिविधियां
असम	एल.सी.बी. महाविद्यालय, गुवाहाटी द्वारा सितम्बर मास में थैलेसिमीया सिन्ड्रोम एवेयरनेस और आनुवांशिक परामर्श पर सेमिनार आयोजित किया गया।
मिजोरम	राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयों द्वारा पूरे राज्य में व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम, जिसमें पौधोरोपाण, बस्तियों में जल क्लोसैट का निर्माण तथा बच्चों के लिए नि:शुल्क क्लीनिक शामिल है, आयोजत किए गए थे।
केरल	मालाबार क्रिश्चन महाविद्यालय, कालीकट द्वारा 5 से 7 नवम्बर, 2004 तक जीवन कौशल विकास पर सेमिनार आयोजित किया गया था।
कर्नाटक	1. राज्य के महिला विश्वविद्यालय बीजापुर द्वारा केवल लड़कियों के लिए 17 से 18 फरवरी, 2005 तक युवा और गांधी जी के विचारों पर राज्य स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया था। 2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ 19 से 25 दिसम्बर, 2004 तक हम्पी में राष्ट्रीय सेवा योजना युवा महोत्सव और एतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए युवाओं का अभियान आयोजित किया गया था। 3. जैव विविधता पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बंगलौर विश्वविद्यालय द्वारा सिंगापुर पर्यावरण परिषद के साथ 2 से 19 जून, 2004 तक जैव विविधता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
तमिलनाडु	चैन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, पेरंदुरई, शिवांगी में क्रमश: 3, 10 14 और 19 फरवरी, 2005 को अंतरपोटिटेकनिक कैरियर गाइडेंस का आयोजन किया गया था।

विवरण-II

31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार एन.एस.एस. स्वयंसेवकों की (राज्य-वार) संख्या

क्र. सं.	क्षेत्रीय केन्द्र का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	नामांकन (एनएसएस स्वयंसेवक)
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	गुजरात	117000
		दादरा व नगर हवेली	445
		दमन व दीव	—
2.	बंगलौर	कर्नाटक	166341
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	67500
		छत्तीसगढ़	9506
4.	भुबनेश्वर	उड़ीसा	85000
5.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	68556
		सिक्किम	6413
6.	चंडीगढ़	पंजाब	82500
		हिमाचल प्रदेश	24750
		जम्मू व कश्मीर	6750
		चंडीगढ़	14280
7.	चेन्नई	तमिलनाडु	252189
		पांडिचेरी	8250
		अंडमान व निकोबार	750
8.	दिल्ली	दिल्ली	35625
		हरियाणा	42375
9.	गुवाहाटी	असम	42563
		अरुणाचल प्रदेश	2700
		मणिपुर	8025
		मिजोरम	15750
		नागालैंड	3600
		मेघालय	9412
		त्रिपुरा	13200
10.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	238808
11.	जयपुर	राजस्थान	126000
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	64834
		उत्तरांचल	28875
13.	पटना	बिहार	24750
		झारखंड	22572
14.	पुणे	महाराष्ट्र	211612
		गोवा	288
15.	त्रिवेन्द्रम	केरल	110582
		लक्षद्वीप	—
		कुल	1794356

अर्धसैनिक बलों में आतंकवाद से प्रभावित युवकों की भर्ती

3004. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के युवकों की भर्ती की प्रतिशतता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कदम से अन्य शान्तिप्रिय राज्यों के युवक उग्रवाद को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होंगे; और

(घ) यदि हां, तो भर्ती में समान अवसरों के लिए ऐसे राज्यों के युवकों हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सीमावर्ती राज्यों तथा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से केन्द्रीय पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती स्कीम को संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीप में, सीमा रक्षक बलों में, उनके प्रभाराधीन सीमावर्ती जिलों के लिए 20% रिक्तियों का आवंटन करने तथा जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों में आतंकवाद से प्रभावित जिलों के लिए 20% रिक्तियां आवंटित करने की परिकल्पना की गई है। देश में सभी राज्यों को अनुपातिक आधार पर 60% रिक्तियां वितरित की जानी है। अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों में, 40% रिक्तियां जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों में आतंकवाद से प्रभावित जिलों के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सीमावर्ती और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आरक्षित रिक्तियां, केन्द्र और राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमों में युवकों के लिए उपलब्ध कुल अवसरों तथा विशेष रूप से देश के विकसित क्षेत्रों में उपलब्ध स्व-रोजगार के अवसरों का एक छोटा भाग ही है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा

3005. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देने के लिए दिल्ली पुलिस को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् आज की तिथि तक दिल्ली में महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में दर्ज हुए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों में से कितने मामले अभी भी हल नहीं किये गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दण्ड न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए रराज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों प्रति अपराध रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) महिला अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना;

(ii) सभी नौ पुलिस जिलों में रेप क्राईसिस इन्टरवेंशन सेटरों की स्थापना;

(iii) बलात्कार के मालों की जांच-पड़ताल में महिला पुलिस अधिकारियों का सहयोग;

(iv) बलात्कार संबंधी मामलों पर विचारण के लिए महिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में विशेष न्यायालयों की स्थापना;

(v) गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग;

(vi) अति संवदेनशील स्थानों पर सादी वर्दी में स्टाफ की तैनाती;

(vii) समर्पित दूरभाष सहायता लाइनों की शुरुआत;

(viii) संकट में पड़ी महिलाओं की चौबीसों घंटे गुहार सुनने के लिए "महिला मोबाइल टीम" का गठन;

(ix) बच्चों के प्रति अपराध निवारण के लिए पुलिस कार्मिकों को और अधिक सतर्क बनाने हेतु उनकी नियमित ब्रीफिंग;

(x) स्कूलों में और विशेष रूप से स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए पुलिस कार्मिकों की तैनाती;

(xi) दिल्ली में स्कूल के प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल समय के दौरान बच्चों को स्कूल परिसर से बाहर जाने की अनुमति न दें और माता-पिताओं को बच्चों, को यह शिक्षा देने के लिए कहें कि बच्चे अजनबियों के साथ न घुलें-मिलें/उनके साथ दोस्ती न करें तथा किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई उपहार या खाद्य पदार्थ स्वीकार न करें; और

(xii) बच्चों के प्रति अपराधों में संलिप्त होने वाले गैंगों और संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने तथा उन पर नजर रखने के लिए आसूचना एकत्र करना।

(ग) वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 (फरवरी तक) के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए अपराधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिन मामलों को हल नहीं किया गया उनके कारणों में विधि विज्ञान और अन्य रिपोर्टें प्राप्त न होना; अभियुक्तों की पहचान होना; अभियुक्त का दूसरे देशों में चले जाना; अभियुक्त, सह-अभियुक्त और गवाहों का लापता हो जाना; विवाह होने के बाद शिकार महिला का अदालत में आने में हिचकिचाना; मानसिक आघात से उबरने के लिए शिकार महिला द्वारा सबूत नष्ट करना; विचारण कार्यवाहियों का अक्सर स्थगित होना और इसमें विलंब होना तथा डी एन ए परीक्षण के लिए अपर्याप्त सुविधायें होना शामिल हैं।

विवरण

महिलाओं के प्रति अपराध

अपराध शीर्ष	वर्ष	महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या			
		स्वीकृत	चालान किए गए	जांच-पड़ताल के लिए लंबित	जिनका पता नहीं लग सका
1	2	3	4	5	6
दहेज के कारण मृत्यु	2002	135	128	6	1
	2003	130	95	35	0
	2004	126	93	32	1
	2005 (28 फरवरी तक)	11	0	11	0
बलात्कार	2002	401	376	19	6
	2003	472	398	62	12
	2004	533	408	124	1
	2005 (28 फरवरी तक)	86	2	84	0
छेड़खानी	2002	440	415	17	8
	2003	480	385	88	7
	2004	597	398	187	12
	2005 (28 फरवरी तक)	63	5	58	0
406 आई पी सी (दहेज से संबंधित मामले)	2002	5	3	1	1
	2003	7	2	3	2

1	2	3	4	5	6
	2004	12	3	9	0
	2005 (28 फरवरी तक)	2	0	2	0
498-क आई पी सी (पति या सास-ससुर द्वारा की गई क्रूरता)	2002	1174	731	410	33
	2003	1204	391	809	4
	2004	1243	218	1024	1
	2005 (28 फरवरी तक)	152	0	152	0
दहेज निषेध अधिनियम	2002	8	4	4	0
	2003	14	6	7	1
	2004	10	3	7	0
	2005 (28 फरवरी तक)	2	0	2	0
महिलाओं का अपहरण/व्यपहरण	2002	432	197	149	86
	2003	493	132	322	39
	2004	565	104	451	10
	2005 (28 फरवरी तक)	133	1	132	0
छेड़-छाड़	2002	976	902	61	13
	2003	1599	1518	13	68
	2004	2130	2040	81	9
	2005 (28 फरवरी तक)	162	33	129	0
बच्चों के अपराध					
हत्या	2002	38	26	4	8
	2003	38	23	13	2
	2004	45	33	11	1
	2005 (28 फरवरी तक)	19	12	7	0

1	2	3	4	5	6
बलात्कार	2002	277	268	2	7
	2003	315	296	11	8
	2004	342	305	35	2
	2005 (28 फरवरी तक)	54	7	47	0
फिरौती के लिए अपहरण/व्यपहरण	2002	328	179	42	107
	2003	367	196	93	78
	2004	472	132	317	23
	2005 (28 फरवरी तक)	126	1	125	0
छेड़छाड़	2002	102	94	2	6
	2003	117	113	3	1
	2004	118	91	26	1
	2005 (28 फरवरी तक)	11	2	9	0
अप्राकृतिक योनाचार	2002	7	5	0	2
	2003	18	18	0	0
	2004	8	7	1	0
	2005 (28 फरवरी तक)	2	0	2	0
चोट पहुंचाना	2002	37	34	0	3
	2003	32	32	0	0
	2004	33	27	6	0
	2005 (28 फरवरी तक)	3	1	2	0
हत्या का प्रयास	2002	4	4	0	0
	2003	6	6	0	0
	2004	5	4	1	0
	2005 (28 फरवरी तक)	1	0	1	0

1	2	3	4	5	6
विविध आई पी सी	2002	156	96	14	46
	2003	131	76	11	44
	2004	139	67	38	34
	2005 (28 फरवरी तक)	31	0	31	0

ए.आई.सी.टी.ई

3006. श्री बी. विनोद कुमार :
डा. बाबू राव मेडियम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के कार्यकरण की जांच हेतु किसी विशेषज्ञ समिति/अध्ययन समूह की स्थापना की है अथवा स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने तकनीकी संस्थानों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए प्रो.यू.आर.राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गठित की गई थी। समिति ने शुल्क निर्धारण, विदेशी विश्वविद्यालयों का नियमन, दूरस्थ शिक्षा, संकाय विकास, महिला तथा कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान आदि सहित अन्य मामलो के संबंध में सुझाव दिए हैं।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने नए तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए सख्त मानदण्ड तैयार किए हैं। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना मौजूदा संस्थानों को प्रत्यायन देने के लिए की गई है। तकनीकी जन शक्ति आवश्यकता की सूचना तकनीकी शिक्षा संबंधी भावी आयोजना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को प्रचारित की जाती है।

डी.डी.ए. द्वारा एल.आई.जी. फ्लैटों का निर्माण

3007. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनता फ्लैटों के निर्माण को बंद करने तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केवल एल.आई.जी. फ्लैटों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण जन समुदाय को निम्न लागत वाले घर उपलब्ध करवाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय समूह श्रेणियों के लिए मकानों का निर्माण करना जारी है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2021 में भी शहरी गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दो कमरों और उससे कम की श्रेणी में 50-55% मकानों का प्रस्ताव किया गया है।

शून्य रेखा के 150 गज भीतर बाड़ लगाना

3008. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढाका प्राधिकारियों के कड़े प्रतिरोध के बावजूद बांगलादेश के साथ शून्य रेखा के 150 गज के भीतर बाड़ लगाने को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केवल एक मार्गनिर्देश है और दो देशों के बीच कोई संधि नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के कार्यवाही करने के निर्णय का बांगलादेश सरकार ने विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस निर्णय को किस सीमा तक क्रियान्वित कर पाई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जहां कहीं आबादी अथवा उबड़-खाबड़ भूभाग की कठिनाइयों के कारण अपरिहार्य है, भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0-150 गज के अंदर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। तथापि, यह निर्णय सीमांकन न किए गए क्षेत्रों अथवा किसी भी देश के विपरीत कब्जे के अन्तर्गत अंत: क्षेत्रों (एनक्लेवस्) अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। राजनयिक चैनल के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को इस निर्णय से अवगत करवा दिया गया है।

(ग) और (घ) इस निर्णय के बारे में बांग्लादेश सरकार द्वारा राजनयिक रूप से कोई औपचारिक आपत्ति सूचित नहीं की गई है। सभी निर्माण एजेंसियों तथा सीमा सुरक्षा बल को ऐसे क्षेत्रों में बाड़ का निर्माण करने के निदेश दे दिए गए हैं।

विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम

3009. श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषत: उत्तर प्रदेश में मौजूदा कम्प्यूटर साक्षरता संतोषजनक है;

(ख) क्या प्रत्येक संबंधित राज्य में कम्प्यूटर साक्षरता संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो संबंधित राज्यों में कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार के विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम हेतु सूचना संचार प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का सही से उपयोग नहीं किया गया और वित्त मंत्रालय ने इसे बंद कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में इस योजना को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग देश में कम्प्यूटर साक्षरता संबंधी आंकड़े का रखरखाव नहीं करता है।

(घ) से (च) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने देश में स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2001-02 में स्कूलों में एक संशोधित कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन शुरू किया है। संशोधित योजना में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 से 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ताकि 3112 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया जा सके।

वर्ष 2004-05 के दौरान स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नामक एक नई योजना शुरू की गई है। संशोधित योजना में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन योजना का स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नामक योजना के अंतर्गत विलय कर दिया गया है। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत 10वीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा सीनियर सेकेण्ड्री स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं, जिन पर सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में परियोजना मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन ग्रुप (पी एम एण्ड ई जी) द्वारा विचार किया जाएगा के आधार पर निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

भाषाओं को बढ़ावा देना

3010. **श्री सुग्रीव सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के विकास और उनको बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु आबंटन का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004-05 हेतु वार्षिक परिव्यय कितना है; और

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत नियुक्त भाषा शिक्षकों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन तथा विकास के लिए विभिन्न संस्थाएं हैं। उन्होंने भाषाओं के संवर्द्धन और विकास के लिए अनेक पहल की है, जैसे हिन्दीतर भाषी राज्यों से संबंधित हिन्दी शिक्षकों का प्रशिक्षण, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का विकास; द्विभाषी शब्दकोशों का निर्माण, हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन आदि। हाल ही में की गई पहलों के अंतर्गत भाषा-मन्दाकिनी, जो ज्ञान दर्शन से संबंधित एक भाषा शिक्षण तथा अध्ययन कार्यक्रम है, ऑन-लाईन बंगला एवं ऑन-लाईन तमिल का विकास जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए एक स्व-अध्ययन मॉड्यूल है, शामिल है। अन्य पहल के अंतर्गत उर्दू भाषा तथा कम्प्यूटर प्रयोग और बहुभाषी डी टी पी में डिप्लोमा शामिल है। भाषा संस्थान नई पहलों पर सतत् रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का परिव्यय इस प्रकार है:

	10वीं पंचवर्षीय योजना (परिव्यय)	2004-05 (परिव्यय)
(i) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	4750 लाख रु.	1600 लाख रु.
(ii) संस्कृत शिक्षा का विकास	6500 लाख रु.	1600 लाख रु.

उपर्युक्त के अलावा, भाषाओं के विकास के लिए निधियों की निर्मुक्ति विभिन्न भाषा संस्थाओं के माध्यम से भी की जाती है।

(ग) वर्ष 2004-05 के लिए भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.स.	राज्यों के नाम	शिक्षकों की संख्या
1.	मिजोरम	491
2.	अरुणाचल प्रदेश	200
3.	आन्ध्र प्रदेश	290
4.	नागालैण्ड	200
5.	बिहार	360
6.	कर्नाटक	55
7.	तमिलनाडु	10
8.	उत्तर प्रदेश	290
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5
10.	राजस्थान	45
11.	हरियाणा	10
12.	दिल्ली	5
13.	मध्य प्रदेश	15
14.	महाराष्ट्र	1454
15.	केरल	85
16.	पश्चिम बंगाल	530
17.	गुजरात	70
18.	झारखण्ड	65
	कुल	4180

पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों हेतु पैंशन योजना

3011. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों के पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई पैंशन योजना नहीं है;

(ख) क्या पंजाब विश्वविद्यालय ने सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक पैंशन योजना भेजी थी;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उसे ठुकरा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए उनके अपने-अपने अधिनियमों के अंतर्गत एक पैंशन योजना का प्रावधान है।

(ख) से (ङ) पंजाब विश्वविद्यालय ने विगत में दो बार अपने कर्मचारियों के लिए एक पैंशन योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया था। वर्ष 1991 में किया गया इस प्रकार का पहला प्रस्ताव, जिसे 1993 में अधिसूचित किया गया था, को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इस योजना में किसी अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में वे लोग, जो कई वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, भी इस योजना में शामिल हुए, लेकिन जिसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। तदुपरांत, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पूर्व योजना के स्थान पर 1999 में तैयार की गई संशोधित पैंशन योजना उन लोगों पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है जो 31 मार्च, 1998 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। इस संशोधित योजना को सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है।

पंजाब विश्वविद्यालय ने अब 1.4.2005 की निर्धारित तिथि को शामिल करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी पैंशन योजना, 1991 को पुन: पेश करने का प्रस्ताव किया है और सरकार इस समय एक नई योजना के रूप में इसकी जांच कर रही है।

नगरपालिकाओं के लिए जारी की गई धनराशि

3012. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद विभिन्न राज्यों की नगरपालिकाओं विशेषकर गुजरात में जूनागढ़ नगरपालिका के लिए कितनी राशि जारी की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमों के अन्तर्गत धनराशि राज्य सरकारों अथवा राज्य सरकारों द्वारा नामित नोडल एजेंसियों को जारी की जाती है न कि सीधे नगरपालिकाओं को/गत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक जूनागढ़ नगरपालिका में कोई स्कीम/परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गुजरात सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मलिन बस्ती निवासियों का पुनर्वास

3013. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी/अर्द्ध सरकारी भूमि पर वास्तव में कितनी मलिन बस्तियां बनी हुई है;

(ख) क्या सरकार मलिन बस्ती निवासियों को भूमि के उपयोग में परिवर्तन करके उन्हें अन्यत्र बसाने की बजाय उसी भूमि को विकसित करके और उस पर बहुमंजिले फ्लैट बनाकर वहीं पर बसाने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) स्लम और झुग्गी-झौपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1994 में किए गए आकलन के अनुसार सरकारी/अर्द्ध सरकारी भूमि पर लगभग 1080 झुग्गी कलस्टर मौजूद थे जो कि पूरी दिल्ली में फैले हुए थे।

(ख) और (ग) दिल्ली को स्लम से मुक्त कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करते समय स्लम वासियों को बहु-मंजिले मकानों में बसाने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से ऐसे स्थलों के लिए माडल तैयार करने के लिए कहा गया है।

विशेष कृषि उत्पाद योजना

3014. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए विशेष कृषि उत्पाद योजना अधिसूचित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कतिपय विशेष उत्पादों के निर्यात पर निर्यात मूल्य पर ऋण देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस ऋण को प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्यातकों को इन मदों के निर्यात के बदले में मशीनरी और कच्चा माल खरीदने की अनुमति होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) से (घ) जी, हां। 31 अगस्त, 2004 को घोषित विदेश व्यापार नीति 2004-09 में फलों, सब्जियों, पुष्पों, लघु वनोत्पादों तथा उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कृषि उपज योजना शुरू की गयी है। विदेश व्यापार नीति 2004-09 के पैरा 3.8.2.1 में दी गयी मदों के निर्यात निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 5 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप्स के पात्र होंगे।

(ङ) और (च) स्कीम के अंतर्गत शुल्क ऋण स्क्रिप्स का उपयोग निविष्टियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं सहित वस्तुओं के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि वे निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अंतर्गत मुक्त रूप से आयात योग्य हों। तथापि, कुछेक विशिष्ट मदों, जिनकी स्कीम के अंतर्गत आयात की अनुमति नहीं है, के ब्यौरे विदेश व्यापार नीति 2004-09 के पैरा 3.8.3.1 में दिए गए हैं।

[अनुवाद]

एल.बी.जेड. क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण

3015. श्री अखिलेश यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में लूटियंस जोन के सरकारी बंगलों में किए गए अनधिकृत निर्माण की विस्तृत सूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी अनधिकृत निर्माणों के बारे में कोई नया सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे अनधिकृत निर्माणों का नियमित करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई/उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (च) हाल ही में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और संपदा निदेशालय के अधिकारियों के एक संयुक्त दल ने लुटयेंस बंगलों जोन स्थित सरकारी बंगलों में मौजूदा निर्माण का एक सर्वेक्षण किया है यह सर्वेक्षण माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार किया गया था। यह मामला न्यायाधीन है। आगे की आवश्यक कार्रवाई यथा समय की जाएगी।

[हिन्दी]

डोपिंग जांच केन्द्र

3016. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एथेंस ओलम्पिक के दौरान नशीली दवाओं का उपयोग करने के दोषी पाए गए भारतीय भारोत्तोलकों के बाद देश में डोपिंग जांच केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों और बीजिंग ओलम्पिक्स के मद्देनजर इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या डोपिंग जांच केन्द्र खोलने के लिए देश में आवश्यक उच्च प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे केन्द्र खोलने के लिए कितने स्थानों की पहचान की गई?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन एक डोप नियंत्रण केन्द्र स्थापित किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) डोप नियंत्रण केन्द्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में लगभग सभी आधुनिक उपस्कर और तकनीक उपलब्ध है। आधुनिक उपस्कर उपलब्ध कराना और तकनीक को अद्यतन बनाना एक सतत प्रक्रिया है। डोप नियंत्रण केन्द्र ने विश्व डोप निरोधक एजेंसी को स्थायी प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है। स्थायी प्रत्यायन के लिए जरूरी आई.एस.ओ.: 9001:2000 और आई.एस.ओ.: आई.ई.सी.: 17025 प्रमाण पत्र डोप नियंत्रण केन्द्र पहले ही हासिल कर चुका है। डोप नियंत्रण केन्द्र की गुणवत्ता प्रणाली नमूनों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवीनतम रूप के अनुसार है। डोप नियंत्रण केन्द्र, डोप निरोधक वैज्ञानिकों के विश्व संघ और अमरीकी पैथालोजिस्ट के कालेज के साथ प्रवीणता जांच में शामिल हो रहा है जिन्होंने यह माना है कि जांच विश्व के अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं के समकक्ष है।

(ङ) प्रयोगशाला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थित है।

आपदा राहत हेतु एकत्रित धनराशि

3017. श्री शिवराज सिंह चौहान :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय आपदाओं से निबटने के लिए धनराशि और राहत सामग्री एकत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के नाम क्या है जिन्होंने गुजरात में आए भूकम्प के लिए धनराशि एकत्रित की और उसमें अंशदान किया;

(ग) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि अनेक संस्थानों अथवा राज्य सरकारों ने गुजरात भूकम्प के नाम पर एकत्रित की गई धनराशि में अंशदान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आपदा के लिए एकत्रित की गई धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई नीति तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) गैर-सरकारी संगठन और राज्य सरकारें आपदा आने पर धनराशि और राहत सामग्री एकत्रित करती है।

(ख) राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से, उनके द्वारा एकत्रित धनराशि अथवा सामग्री और उसके उपयोग के विषय में गृह मंत्रालय को सूचित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय ने विगत में एक ऐसे गैर-सरकारी संगठन को धनराशि के उपयोग की समय सीमा बढ़ाने संबंधी अनुरोध अग्रेषित किया था जिसने गुजरात भूकम्प हेतु धनराशि एकत्रित की थी। इस मंत्रालय ने गुजरात सरकार और वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया था कि सीमा बढ़ाने की स्वीकृति न दी जाए तथा यदि कोई संगठन धनराशि उपयोग करने में असफल रहता है तो धनराशि को संबंधित राज्य सरकार को लौटा दिया जाए जो आगे इस धनराशि को उसी प्रयोजनार्थ खर्च कर सकती है।

(ङ) और (च) जो संगठन आपदाओं के लिए धन-राशि एकत्र करते हैं उन्हें अपने लेखों और या विवरणियों को उन उचित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होता है जहां वे पंजीकृत होते हैं। तथापि, भारत सरकार इस संबंध में एक विधायन अधिनियमित करने या दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मलिन बस्तियों और झुग्गियों का विकास

3018. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य के बड़े शहरों में मलिन बस्तियों और झुग्गियों के विकास के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के नगर-वार विकास हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसे उपायों से मलिन बस्तियों के कुल कितने निवासियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने मार्च, 2001 में निम्नलिखित दो स्लम सुधार परियोजनाएं प्रस्तुत की थी:—

(i) कर्नाटक में 21 प्रथम शहरों के लिए स्लम उन्नयन एवं विकास कार्यक्रम।

(ii) बंगलौर शहर के लिए समेकित स्लम विकास कार्यक्रम।

(ग) और (घ) स्लमों का विकास राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न कस्बों/शहरों में स्लमों के विकास के लिए विशेष योजनाएं, कार्यक्रम एवं स्कीमें बनाती हैं तथा अपनी-अपनी राज्य योजनाओं में उनके लिए आवश्यक प्रावधान करती हैं। तथापि, स्लमवासियों की जीवन-दशाओं में सुधार करने के उद्देश्य स्लमों के सुधार में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु शहरी स्लमों के विकास के लिए अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन एस डी पी) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया।

इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी स्लमवासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है, की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से दिनांक 2.12.2001 को वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम शुरू की गयी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्लमवासियों के लिए रिहायशी इकाईयों के निर्माण एवं उन्नयन को आसान बनाना और स्कीम के एक घटक निर्मल भारत अभियान के तहत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके स्वास्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराना है।

[हिन्दी]

पद्मश्री और पद्मविभूषण पुरस्कार दिया जाना

3019. श्री मोहन सिंह :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद कितने व्यक्तियों को पद्मश्री और पद्माविभूषण पुरस्कार दिए गए है;

(ख) कितने व्यक्तियों ने पुरस्कार वापस कर दिया है अथवा लेने से इन्कार कर दिया है;

(ग) पुरस्कार प्रापत करने वाले व्यक्ति इसे स्वीकार करने के बाद किन कारणों से वापस करने को बाध्य हुए है;

(घ) क्या सरकार का और अधिक व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए तीनों प्रकार के पद्म पुरस्कारों का विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों ने अपनी अभिरुचि/अवधाराणा के आधार पर पुरस्कारों को लेने से इंकार किया है उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा

क्र. स.	पुरस्कार पाने वाले का नाम	प्रदान किया गया पुरस्कार
1	2	3
	2002	
1.	डा. चक्रवर्ती रंगराजन,	पद्म विभूषण
2.	डा. (श्रीमती) गंगुबाई हानगल,	पद्म विभूषण
3.	पंडित किशन महाराज	पद्म विभूषण
4.	श्रीमती किशोरी रविंद आमोणकर	पद्म विभूषण

1	2	3
5.	श्री सोली जहांगीर सोराबजी,	पद्म विभूषण
6.	श्री बेल्लूर कृष्णमाचार सुन्दर राज अय्यंगार	पद्म भूषण
7.	श्री चंद्रकांत गुलाबराव बोर्डे,	पद्म भूषण
8.	श्री फकिर चंद कोहली,	पद्म भूषण
9.	कांग्रेसमेन फ्रेंक पालोन	पद्म भूषण
10.	कांग्रेसमेन गैरी एकरमेन	पद्म भूषण
11.	श्री गुरी इवानोविच मानचुक	पद्म भूषण
12.	श्री हबीब अहमद खां तनवीर	पद्म भूषण
13.	मेजर हरीपाल सिंह अहलूवालिया	पद्म भूषण
14.	श्री हेनिंग हॉक लार्सन	पद्म भूषण
15.	श्री इस्माईल मर्चन्ट	पद्म भूषण
16.	श्री जगत सिंह मेहता	पद्म भूषण
17.	श्री कट्टसेरि जोसफ येशुदास	पद्म भूषण
18.	श्री कोटैन काटनकोट वेणूगोपाल	पद्म भूषण
19.	श्री महाराजकृष्ण रसगोत्र	पद्म भूषण
20.	श्री मारीओ डि मिरान्डा	पद्म भूषण
21.	प्रो. नटेसन रंगा भाश्यम	पद्म भूषण
22.	श्री निर्मल वर्मा	पद्म भूषण
23.	डा. प्रभा अत्रे	पद्म भूषण
24.	श्री प्रवीण चन्द्र वरजीवन गांधी	पद्म भूषण
25.	श्री रामानुजम् वरतराज पेरूमाल	पद्म भूषण
26.	श्रीमती शोभा विश्वनाथ गुर्टू	पद्म भूषण
27.	प्रो. सुशान्त कुमार भट्टाचार्य	पद्म भूषण

1	2	3
28.	प्रो. वांगलांपालयम चेल्लप्पगवुंडर कुलन्दैस्वामि	पद्म भूषण
29.	श्री एवगेनी पेट्रोविच चेलिशेव	पद्म भूषण
30.	श्री जाकिर हुसेन	पद्म भूषण
31.	श्रीमती मनोरमा	पद्म श्री
32.	उस्ताद अब्दुल लतीफ खां	पद्म श्री
33.	प्रो. अमिताभ मल्लिक	पद्म श्री
34.	डा. आनन्द स्वरूप आर्य	पद्म श्री
35.	डा. आपातुकाथा शिवथानु पिल्लै	पद्म श्री
36.	डा. अशोक झुनझुनवाला	पद्म श्री
37.	डा. अशोक रामचंद्र केलकर	पद्म श्री
38.	डा. अट्लूरि श्रीमन नारायना	पद्म श्री
39.	डा. बैरण नागप्प सुरेश	पद्म श्री
40.	डा. चैतन्यमय गांगुली	पद्म श्री
41.	सुश्री दर्शना नवनीतलाल जवेरी	पद्म श्री
42.	सुश्री डायना फ्राम एडलजी	पद्म श्री
43.	श्री डिमिट्रिस सी वेलिस्सरोपोलुस	पद्म श्री
44.	प्रो. दुरैराजन बालसुब्रमणियन	पद्म श्री
45.	डा. दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी	पद्म श्री
46.	श्री फजल मोहम्मद	पद्म श्री
47.	श्री गोपाल छोटराय	पद्म श्री
48.	श्री गोविन्द निहलाणी	पद्म श्री
49.	डा. गुल्लपल्लि नागेस्वर राव	पद्म श्री
50.	श्री ज्ञान चन्द जैन	पद्म श्री

1	2	3
51.	डा. हर्ष महाजन	पद्म श्री
52.	डा. हराहसेल सौलुइआँ	पद्म श्री
53.	श्री हिरेबेट्टु सदानंद कामत	पद्म श्री
54.	डा. इडुपुगंटि वेंकट सुब्बा राव	पद्म श्री
55.	श्री. जसपाल राणा	पद्म श्री
56.	डा. कमलजीत सिंह पाल	पद्म श्री
57.	डा. करिंपत मातंगी रामकृष्ण	पद्म श्री
58.	श्री कटूरू नारायण	पद्म श्री
59.	डा. किम यांग शिक	पद्म श्री
60.	डा. किरन मार्टिन	पद्म श्री
61.	सुश्री किरण सहगल	पद्म श्री
62.	डा. कोटा हरिनारायण	पद्म श्री
63.	श्री मधु मंगेश कर्णिक	पद्म श्री
64.	श्री मणि रत्नम	पद्म श्री
65.	श्रीमती मणि कृष्णस्वामि	पद्म श्री
66.	डा. मुन्नीरत्ना आनन्दकृष्णन	पद्म श्री
67.	श्री मुजफ्फर हुसैन	पद्म श्री
68.	प्रो. नारायनस्वामी बालकृष्णन	पद्म श्री
69.	डा. नवनीथम पद्मानाभा शेषाद्री	पद्म श्री
70.	श्रीमती नोरमा अल्वरिस	पद्म श्री
71.	प्रो. पद्मनाभन बलराम	पद्म श्री
72.	श्री फिलिप्स टालबोट	पद्म श्री
73.	डा. प्रदीप कुमार चौबे	पद्म श्री

1	2	3
74.	डा. प्रहलाद कुमार सेठी	पद्म श्री
75.	डा. प्रकाश मुरलीधर आमटे	पद्म श्री
76.	डा. प्रकाश नानालाल कोठारी	पद्म श्री
77.	श्रीमती प्रेमा नरेन्द्र पुरव	पद्म श्री
78.	श्रीमती पुष्पा भूयां	पद्म श्री
79.	श्रीमती राज बेगम	पद्म श्री
80.	श्री राजन देवदास	पद्म श्री
81.	प्रो. रामनाथ कौशिक	पद्म श्री
82.	श्रीमती सरोजा वैद्यानाथन	पद्म श्री
83.	डा. सतीश चन्द्र राय	पद्म श्री
84.	डा. सिवानन्द राजाराम	पद्म श्री
85.	डा. सुरेश हरीराम अडवाणी	पद्म श्री
86.	श्री तारो नाकोयामा	पद्म श्री
87.	श्री थेथागुडी हरिहरशर्मा विनायकराम	पद्म श्री
88.	डा. तुर्लपाटि कुटुम्बराव	पद्म श्री
89.	श्री विट्टिकाट कुण्डुतोडियिल माधवन कुट्टि	पद्म श्री
90.	प्रो. विजय कुमार दादा	पद्म श्री
91.	डा. विक्रम मारवाह	पद्म श्री
92.	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पद्म श्री
93.	श्री वीरेश प्रताप चौधरी	पद्म श्री
94.	पंडित विश्व मोहन भट्ट	पद्म श्री
95.	श्री वनकुवत्तंवदुगे दोन अमरदेव	पद्म श्री

1	2	3
	2003	
1.	श्री बल राम नंदा	पद्म विभूषण
2.	श्री वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा	पद्म विभूषण
3.	श्री काजी लेण्डूप दोर्जी खडसार्पा	पद्म विभूषण
4.	श्रीमती सोनाल मानसिंह	पद्म विभूषण
5.	श्रीमती स्वप्न सुंदरी	पद्म भूषण
6.	श्री अम्मन्नूर माधव चाक्यार	पद्म भूषण
7.	डा. आरकाठ रामचन्द्रन	पद्म भूषण
8.	प्रो. बगीचा सिंह मिन्हास	पद्म भूषण
9.	श्री बालसुब्रमण्य राजम अैयर	पद्म भूषण
10.	श्री कोलूथर गोपालन	पद्म भूषण
11.	श्री हरि शंकर सिंहानिया	पद्म भूषण
12.	श्री हरबर्ट फिसर	पद्म भूषण
13.	श्री गेर्बेत अलेक्सान्द्रोविच येफ्रेमोव	पद्म भूषण
14.	श्री जगतजीत सिंह	पद्म भूषण
15.	श्री जमशी नवरोजी गोदरेज	पद्म भूषण
16.	डा. कांतीलाल हस्तीमल संचेती	पद्म भूषण
17.	श्री मदुरै नारायणन कृष्णन्	पद्म भूषण
18.	श्री नारायणन श्रीनिवासन	पद्म भूषण
19.	श्री नशीरुदीन शाह	पद्म भूषण
20.	श्री ओटुपलाकल वेलुक्कुट्टी विजयन	पद्म भूषण
21.	डा. (कुमारी) पद्मा सुब्रह्मण्यम	पद्म भूषण

1	2	3
22.	श्री पराशरन् केशव अय्यांगार	पद्म भूषण
23.	श्री प्रभु दयाल चावला	पद्म भूषण
24.	श्री पुलियर सुब्रह्मण्यूम नारायणस्वामी	पद्म भूषण
25.	डा. पुरुषोत्तम लाल	पद्म भूषण
26.	प्रो. राजिन्द्र कुमार	पद्म भूषण
27.	श्री राम बदन सिंह	पद्म भूषण
28.	डा. रमेश कुमार	पद्म भूषण
29.	डा. श्रीकृष्ण जोशी	पद्म भूषण
30.	डा. सीताकांत महापात्र	पद्म भूषण
31.	श्री सुभाष मुखोपाध्याय	पद्म भूषण
32.	श्रीमती तीजन बाई	पद्म भूषण
33.	श्री तलियाडिपरम्बिल विट्ठप रामचन्द्र शेणय	पद्म भूषण
34.	श्री तिरूवालंगाडु वेम्बु ऐयर शकंरनारायणुन्	पद्म भूषण
35.	श्री ट्रिच्चूर वैद्यनाथ रामचन्द्रन	पद्म भूषण
36.	श्री उमयालपुरम काशीविश्वनाथ शिवरामन्	पद्म भूषण
37.	श्री नोकडेनलेम्बा	पद्म श्री
38.	श्री आमीर खान	पद्म श्री
39.	डा. अशोक सेठ	पद्म श्री
40.	प्रो. अशोक कुमार बरुआ	पद्म श्री
41.	श्री बाबुराव गोविंदराव शिर्के	पद्म श्री
42.	डा. चोङचऊ लालमिङलियाना	पद्म श्री
43.	श्री डैनी डेनजोंग्पा	पद्म श्री

1	2	3
44.	डा. फ्रांसिस दोरे	पद्म श्री
45.	प्रो. गोपाल चन्द्र मित्र	पद्म श्री
46.	श्री गोपाल पुरुषोत्तम् फडके	पद्म श्री
47.	डा. ज्ञान चन्द्र मिश्र	पद्म श्री
48.	प्रो. जगदेव सिंह गुलेरिया	पद्म श्री
49.	डा. जगदीश चतुर्वेदी	पद्म श्री
50.	श्री जाह्नू बरुआ	पद्म श्री
51.	डा. जयभगवान चौधरी	पद्म श्री
52.	डा. जय पाल मित्तल	पद्म श्री
53.	सुश्री ज्योतिर्मयी सिकदर	पद्म श्री
54.	श्री कन्हैया लाल पोखरियाल	पद्म श्री
55.	श्री किशोरभाई रतिलाल झावेरी	पद्म श्री
56.	श्रीमती क्षेत्रिमयुम उड़वी थौरानीशावी देवी	पद्म श्री
57.	श्री महेन्द्र सिंह सोढ़ा	पद्म श्री
58.	सुश्री मालविका सरुक्कै	पद्म श्री
59.	श्री मंथीरम नटराजन	पद्म श्री
60.	श्री मंजूर एहतेशाम	पद्म श्री
61.	डा. मोतीलाल जोतवाणी	पद्म श्री
62.	श्री नागराजन वेदाचलम	पद्म श्री
63.	श्री नल्लि कुप्पुस्वामि चेट्टियार्	पद्म श्री
64.	श्री नन्द नूरी मुकेश कुमार	पद्म श्री
65.	प्रो. नारायन् पाणिक्कर कोच्चुपिल्लै	पद्म श्री
66.	प्रो. नीलकण्ट रामकृष्ण माधव मेनोन्	पद्म श्री
67.	श्री नेमिचन्द्र जैन	पद्म श्री
68.	श्री ओम प्रकाश जैन	पद्म श्री
69.	श्री प्रतापसिंह गणपरात जाधव	पद्म श्री
70.	डा. प्रीतम सिंह	पद्म श्री
71.	डा. राजगोपालन कृष्णनवैद्यन	पद्म श्री
72.	श्रीमती राखी गुलजार	पद्म श्री
73.	प्रो. राम गोपाल बजाज	पद्म श्री
74.	श्री रामस्वामी वैरमुत्तु	पद्म श्री
75.	सुश्री रंजना गौहर	पद्म श्री
76.	प्रो. (श्रीमती) ऋता गांगुली	पद्म श्री
77.	श्री सदाशिव वसंतराव गोरक्षकर	पद्म श्री
78.	डा. सर्वज्ञ सिंह कटियार	पद्म श्री
79.	पंडत सतीश चिंतामण व्यास	पद्म श्री
80.	उस्ताद शफात अहमद खान	पद्म श्री
81.	श्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	पद्म श्री
82.	श्री शिवराम बाबुराव भोजे	पद्म श्री
83.	श्री श्रीनिवास वेंकटराघवन	पद्म श्री
84.	श्रीमती सुकुमारी सत्याभाभा	पद्म श्री
85.	श्री सुन्दरम रामकृष्णन	पद्म श्री
86.	श्री तेक्कट्टे नारायण शानभाग	पद्म श्री
87.	श्री धोगुब्तुवा मीनाक्षी अय्यडगार सौन्दरराजन्	पद्म श्री

1	2	3
88.	श्री वादिराज राघवेंद्र कट्टी	पद्म श्री
89.	श्रीमती वर्ना एलिजाबेथ वात्रे ईटी	पद्म श्री
90.	डा. विजय प्रकाश सिंह	पद्म श्री
91.	डा. यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद	पद्म श्री
	2004	
1.	सुश्री अमृता प्रीतम	पद्म विभूषण
2.	प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर	पद्म विभूषण
3.	न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री मानेपल्लि नारायणराव वेंकटाचलय्या	पद्म विभूषण
4.	श्री गुलजार	पद्म भूषण
5.	श्रीमती अलरमेल वलली	पद्म भूषण
6.	डॉ. (ले.ज.) विजय नंदन शाही	पद्म भूषण
7.	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री चन्द्रशेखर शंकर धर्माधिकारी	पद्म भूषण
8.	डा. (प्रो.) चेन्नमनेनि हनुमंता राव	पद्म भूषण
9.	प्रो. गोपी चन्द नारंग	पद्म भूषण
10.	प्रो. गोविन्दराजन पद्मनाभन	पद्म भूषण
11.	स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी	पद्म भूषण
12.	डा. कृष्णा श्रीनिवास	पद्म भूषण
13.	श्री माधव विट्ठल कामथ	पद्म भूषण
14.	श्री मधुरै तिरुमलै नम्बि शेषगोपालन	पद्म भूषण
15.	डा. (श्रीमती) एन. राजम	पद्म भूषण
16.	श्रीमती पूर्णिमा अरविंद पकवासा	पद्म भूषण

1	2	3
17.	प्रो. सरदारा सिंह जौहाल	पद्म भूषण
18.	श्री सौमित्र चैटर्जी	पद्म भूषण
19.	श्री तोप्पिल वर्गीस आन्टोणी	पद्म भूषण
20.	श्री तिरुवेंगडम लक्षमन संकर	पद्म भूषण
21.	श्री विष्णु प्रभाकर	पद्म भूषण
22.	श्री योशिरो मोरी	पद्म भूषण
23.	श्री ए. हरिहरन	पद्म श्री
24.	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	पद्म श्री
25.	श्रीमती अन्जु बोबि जोर्ज	पद्म श्री
26.	श्री अनुपम खेर	पद्म श्री
27.	डा. अरुण त्रिम्बक दाबके	पद्म श्री
28.	डा. अश्विन बालचंद मेहता	पद्म श्री
29.	प्रो. आसिफा जमानी	पद्म श्री
30.	श्री ओबाकीर दस्तानुलि निलिबायेव	पद्म श्री
31.	श्री बाल गंगाधर सामंत	पद्म श्री
32.	श्री बच्चु लच्मय्य श्रीनिवास मूर्ति	पद्म श्री
33.	पंडित भजन सोपोरी	पद्म श्री
34.	श्री भारति राजा	पद्म श्री
35.	श्रीमती भारती शिवाजी	पद्म श्री
36.	डा. (श्रीमती) दलीप कौर टिवाणा	पद्म श्री
37.	पंडित दामोदर केशव दातार	पद्म श्री
38.	डा. देवी प्रसाद शेट्टी	पद्म श्री
39.	श्री दिलीप कुमार टिर्की	पद्म श्री

1	2	3
40.	सुश्री फ्लोरा इसाबेल मैक्डोनाल्ड	पद्म श्री
41.	डा. गोपाल प्रसाद सिन्हा	पद्म श्री
42.	श्रीमती गौरी ईश्वरन	पद्म श्री
43.	श्रीमती गुरुमयुम अनीता देवी	पद्म श्री
44.	प्रो. हामलेत बारेह नंपकन्ता	पद्म श्री
45.	श्री हरिद्वारमंगलम ऐ. कुमरवेल पलनिवेल	पद्म श्री
46.	प्रो. (डा.) हेनरिक फ्रेहर वॉन स्टेटनक्रान	पद्म श्री
47.	श्री हैस्नाम कानहाईलाल	पद्म श्री
48.	सुश्री के.एम. बीनामोल	पद्म श्री
49.	श्री कद्रि गोपालनाथ	पद्म श्री
50.	श्री कन्हैयालाल सेठिया	पद्म श्री
51.	श्री कान्तिभाओ बलदेवभाओ पटेल	पद्म श्री
52.	गुरु कीषपद्म कुमारन नायर	पद्म श्री
53.	प्रो. केशवा पाणिक्कर अय्यप्पा पणिक्कर	पद्म श्री
54.	श्री कृष्ण कन्हाई	पद्म श्री
55.	डा. कूडलि नंजुंड घनपाठी शंकरा	पद्म श्री
56.	डा. कुमारपाल देसाई	पद्म श्री
57.	डा. लालजी सिंह	पद्म श्री
58.	श्री लीलाधर जगूडी	पद्म श्री
59.	श्री मागुणी चरण दास	पद्म श्री
60.	प्रो. मामंणमना विजयन्	पद्म श्री
61.	श्री मनोरंजन दास	पद्म श्री
62.	कुमारी मेहर जहांगीर बनाजी	पद्म श्री
63.	श्री मोरुप नामग्यल	पद्म श्री
64.	श्री नलिनी रंजन महान्ति	पद्म श्री
65.	श्री नामपल्ली दिवाकर	पद्म श्री
66.	श्री नेय्याट्टिनकरा वासुदेवन	पद्म श्री
67.	श्री पि. परमेश्वरन	पद्म श्री
68.	सुश्री प्रेमलता पुरी	पद्म श्री
69.	प्रो. पृथ्वी नाथ कौला	पद्म श्री
70.	श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा	पद्म श्री
71.	श्रीमती कुईनी रिन्जा	पद्म श्री
72.	श्री राहुल द्रविड़	पद्म श्री
73.	प्रो. (डा.) राजन सक्सेना	पद्म श्री
74.	प्रो. राजपाल सिंह सिरोही	पद्म श्री
75.	डा. रमेश चन्द्र शाह	पद्म श्री
76.	योगाचार्य सदाशिव प्रहलाद निंबालकर	पद्म श्री
77.	डा. सामुएल पॉल	पद्म श्री
78.	श्री सतीश कुमार कौरा	पद्म श्री
79.	डा. शरद मोरेश्वर हर्डीकर	पद्म श्री
80.	श्रीमती शरयू दफ्तरी	पद्म श्री
81.	डा. श्याम नारायण पाण्डेय	पद्म श्री
82.	डा. सिद्धार्थ मेहता	पद्म श्री
83.	श्रीमती सिक्किल नटेसन नीला	पद्म श्री
84.	श्रीमती सिक्किल वेंकटरामन कुंजुमणि	पद्म श्री
85.	श्री सौरव गांगुली	पद्म श्री

1	2	3
86.	डा. सुभाष चन्द मनचन्दा	पद्म श्री
87.	श्रीमती सुधा रघुनाथन	पद्म श्री
88.	श्री सुधीर तैलंग	पद्म श्री
89.	प्रो. (श्रीमती) सुनीता जैन	पद्म श्री
90.	पंडित सुरिन्दर सिंह	पद्म श्री
91.	डा. सुरेन्द्र कुमार सामा	पद्म श्री
92.	डा. स्यूयद शाह मुहम्मद हुसैनी	पद्म श्री
93.	डा. (श्रीमती) तत्याना याकोव्लेवना येलिजारेन्कोवा	पद्म श्री
94.	डा. तुमकूर सीतारामय्या प्रहलाद	पद्म श्री
95.	गुरु श्री वीरनाला जयरामा राव	पद्म श्री
96.	डा. विश्वेश्वरैय्या प्रकाश	पद्म श्री

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने से इंकार करने वाले व्यक्तियों की सूची

वर्ष	व्यक्ति का नाम	पुरस्कार
2002	सुश्री सितारा देवी	पद्म भूषण
	श्रीमती इन्दिरा गोस्वामी	पद्म श्री
	श्री चन्द्र प्रसाद सौकिया	पद्म श्री
	श्री दीपचन्द सवराज गर्दी	पद्म श्री
	श्री केसुभ महिन्द्रा	पद्म श्री
2003	श्री सिद्ध राज धाड़ा	पद्म श्री
	श्री दत्तोपंत बापू राव थेनगड़ी	पद्म श्री
2004	शून्य	

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए आयोग

3020. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तिथि के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखने हेतु कितने सांविधिक आयोग गठित किए गए हैं;

(ख) इन आयोगों के उद्देश्यों, कार्यों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या श्री दिलीप सिंह भुरिया की अध्यक्षता में हाल ही में अनुसूचित जनजातियों संबंधी आयोग गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड में जनजातियों के विस्थापन और उनकी आबादी में कमी के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) इस मंत्रालय ने आज तक किसी सांविधिक आयोग की स्थापना नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) श्री दिलीप सिंह भुरिया की अध्यक्षता में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 18 जुलाई, 2002 को की गई थी। यह 11 सदस्यीय आयोग था। जिसका कार्यकाल 17 जुलाई, 2004 को पूरा हो गया। आयोग के विचारार्थ विषय मंत्रालय के दिनांक 18 जुलाई, 2002 के आदेश संख्या 17014/8/93-टीडीआर में दिए गए हैं।

(ङ) देश के विभिन्न राज्यों में विस्थापन चिंतनीय विषयों में से एक है। विस्थापन का प्रभाव समग्र रूप से अनुसूचित जनजातीय आबादी पर नहीं पड़ता।

(च) जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता हैं मंत्रालय की ये योजनाएं रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे का विकास तथा जनजातीय लोगों में शिक्षा का विकास एवं साक्षरता बढ़ाने से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं योजनाएं जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त जनजातीय लोगों हेतु भोजन सुरक्षा एवं लघु वन उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित कराने से संबंधित है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क प्रभार लगाना

3021. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा भुगतान की जा रही ट्यूशन फीस को सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का वापस कर दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या ट्यूशन फीस के अलावा लिए गए शुल्क को भी कर्मचारियों को वापस किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मौहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त निम्नलिखित शुल्क लेता है:—

(i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन कक्षा XI और XII के विज्ञान के छात्रों को छोड़कर सभी कक्षाओं के छात्रों से 160/-रु. प्रति माह प्रति छात्र की दर से विद्यालय विकास निधि लेता है तथा कक्षा XI और XII के विज्ञान के छात्रों से यह राशि 200/-रु. प्रति माह प्रति छात्र की दर से ली जा रही है ताकि सरकार द्वारा संस्वीकृत किए जा रहे योजनेतर अनुदानों से किए जा रहे व्यय की कमी को पूरा किया जा सके।

(ii) पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों से 400/-रु. प्रति माह प्रति छात्र की दर से राशि ली जाती है क्योंकि ये कक्षाएं स्व-वित्त पोषण आधार पर चलाई जाती है।

(iii) कक्षा III से कम्प्यूटर शिक्षा के लिए छात्रों से 20/-रु. प्रति माह प्रति छात्रा लिए जाते है तथा जो छात्र +2 स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी विषय लेते है उनसे कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए 40/-रु. प्रति छात्र प्रति माह लिए जाते हैं।

(iv) प्रारम्भिक प्रवेश के समय विवरणिका तथा प्रवेश फार्म के लिए 100/- प्रति छात्र लिए जाते हैं।

(v) प्रारम्भिक प्रवेश के समय छात्रों से 25-रु. प्रति छात्र प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है।

(ग) से (च) वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से लिया जा रहा शिक्षण शुल्क ही वापस किया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 50/-रु. प्रति बच्चा प्रति माह (शारीरिक रूप से विकलांग/मंदबुद्धि बच्चों के मामले में 100/-रु. प्रति छात्र प्रति माह) है। वित्त मंत्रालय शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस करने की अनुमति नहीं देता।

महिला विकास योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दी गई धनराशि

3022. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान और उसके बाद महिला विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों/सरकारी एजेंसियों ने धनराशि प्राप्त की है; और

(ख) स्वधारा योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के कितने गैर-सरकारी संगठनों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	स्कीम का नाम	गैर-सरकारी संगठनों/सरकारी अभिकरणों की संख्या	
		2003-04	2004-05
1	2	3	4
1.	अल्पावास गृह कार्यक्रम	341	299 (14.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)
2.	कामकाजी महिला होस्टल स्कीम	48	19 (16.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)
3.	स्वावलम्बन (नोराड)	462	396
4.	महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप)	41	26 (17.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)
5.	स्वाधार	13	55 (14.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)

(ख) विवरण इस प्रकार है :

1.	स्वाधार	कोई नहीं।	कोई नहीं।

पाकिस्तान को इस्पात का निर्यात

3023. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की इस्पात निर्यात के संबंध में इंडियन स्टील एलायंस आदि से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, इंडिया स्टील अलायंस, एस्सार स्टील और आल इंडिया स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के सदस्यों में से एक सदस्य ने पिछले वर्ष किसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच इस्पात व्यापार का संवर्धन करने का प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय के समक्ष रखा था। बाद में उन्होंने प्रस्ताव के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया था। इंडिया स्टील अलायंस ने यह सुझाव दिया था कि पाकिस्तान को होने वाले निर्यातों को आसान बनाने में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श अन्ततोगत्वा काफी मददगार साबित होगा। तत्पश्चात् इंडिया स्टील अलायंस या किसी अन्य एसोसिएशन ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव/सुझाव नहीं रखा था।

[हिन्दी]

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु योजना

3024. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद वार्षिक आधार पर इन योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करती है;

(ग) क्या एक प्रस्ताव पर पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में निर्णय लेने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन योजनाओं के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत करना उचित होगा जिससे वार्षिक अनुदान प्रदान करने में लगने वाले समय और श्रम की बचत हो सके;

(च) इस समय केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों के अंतर्गत मांगी गई धनराशि के अनुसार आवश्यक धनराशि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि को किस्तों में जारी किया है; और

(ज) यदि नहीं, तो स्वीकृत धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ज) पूछे गए प्रश्न के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में खुले मैनहोल

3025. **श्री रघुनाथ झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष के दौरान और उसके बाद मैनहोल ढक्कन के धंसने के कारण दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही के मामले दर्ज किए है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मैनहोलों को जमीन के समतल न बनाए रखने के क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी हां, दिल्ली पुलिस ने 16 दिसम्बर, 2004 को अम्बेडकर नगर थाने में एक मामला दर्ज किया था और एक खुले मेनहोल में गिरने के कारण दो बच्चों की मृत्यु हो जाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। दिल्ली नगर निगम तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस घटना की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस चूक के लिए जिम्मेदार एक बेलदार को सेवा से हटा दिया गया है।

(घ) मेनहोल के निर्माण के समय उनके ढक्कन सड़क की सतह के स्तर पर रखे जाते हैं। तथापि, कभी-कभी क्षतिग्रस्त ढक्कनों, सड़क की स्तर की मरम्मत तथा राजगीरी के कार्य में कमी रह जाने के कारण मेनहोल में गड्ढे हो जाते हैं। जब भी ऐसे गड्ढे हो जाने की शिकायत प्राप्त होती है, उस पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है।

'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग' की स्थापना

3026. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्य-वार और स्थान-वार कितने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग स्थापित किये गये हैं; और

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद ऐसे स्कूलों के लिए राज्यवार कितना अनुदान स्वीकृत किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान स्कूल स्तर पर मुक्त दूरस्थ अध्ययन माध्यम के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संगठन है। यह संस्थाओं/विद्यालयों/गैर-सरकारी संगठनों जो संपूर्ण देश में स्थित प्रत्यायित संस्थाओं/प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थान तथा मुक्त बुनियादी शिक्षा एजेंसियां के रूप में प्रत्यायित है, के माध्यम से संचालित करता है। ये प्रत्यायित संस्थाएं/प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थान तथा मुक्त बुनियादी शिक्षा एजेंसियां राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की तरफ से छात्रों को नामांकित करती है, छात्रों में श्रव्य-दृश्य/मुद्रित माध्यम में पाठ्यक्रम विषय वस्तु के प्रचार में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की सहायता करती है, छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करती है और परीक्षाएं आयोजित करने में सहायता करती है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान राज्य सरकारों

के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य मुक्त विद्यालयों, की स्थापना तथा बढ़ावा को सुकर बनाता है। विभिन्न राज्यों में संचालित राज्य मुक्त विद्यालयों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य मुक्त विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न राज्यों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में कार्यरत राज्य मुक्त विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	नाम और पता
1	2
1.	विद्यालय शिक्षा बोर्ड तथा हरियाणा मुक्त विद्यालय, भिवानी (हरियाणा)-127021
2.	एम.पी. राज्य मुक्त विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल-462011
3.	रबिन्द्र मुक्त विद्यालय, विकास भवन (द्वितीय तल-ईस्ट ब्लॉक) विद्या नगर कोलकाता-700091
4.	कर्नाटक मुक्त विद्यालय, जे.एस.एस. महाविद्यापीठ, रामानुज रोड, मैसूर-570004
5.	शिक्षक शिक्षा निदेशालय, अनुसंधान और प्रशिक्षण, डी.पी.आई. कैम्पस, कालेज रोड, नुनगम्बकम, चेन्नई-600066
6.	पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड, विद्या भवन, फेज-8, एस.ए.एस. नगर, मोहाली-160059
7.	आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसाइटी, एस.सी.ई.आर.टी. कैम्पस, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद
8.	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर-305001, राजस्थान
9.	केरल राज्य मुक्त विद्यालय, विद्या भवन, पूजापुरा, तिरूअनन्तपुरम-695012
10.	दिल्ली राज्य मुक्त विद्यालय, पत्राचार विद्यालय भवन, लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली
11.	जम्मू और कश्मीर मुक्त विद्यालय, जम्मू और कश्मीर राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जम्मू तवी-180005

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य मुक्त विद्यालयों को संस्वीकृत अनुदान

क्र.सं.	वर्ष	संस्था का नाम	राशि
1	2	3	4
1.	2002-03	—	शून्य
2.	2003-04	जम्मू और कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, जम्मू तवी-180005	5,00,000/-
3.	2003-04	निदेशक, शिक्षक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण, डी.पी.आई. कैम्पस, चेन्नई	5,00,000/-
4.	2003-04	निदेशक, रविन्द्र मुक्त विद्यालय, विकास भवन, कोलकाता-700091	5,72,500/-
5.	2003-04	पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड, विद्या भवन, एस.ए.एस. नगर, मोहाली-160062	4,00,000/- 1,48,196/-

1	2	3	4
6.	2004-05	कार्यपालक सचिव, जे.एस.एस., कर्नाटक मुक्त विद्यालय, मैसूर-04	5,00,000/-

[हिन्दी]

कम लागत वाली सफाई योजना के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

3027. **श्री ब्रजेश पाठक : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान से अब तक विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए कम लागत वाली सफाई योजना के अंतर्गत शुष्क शौचालयों के स्थान पर कम लागत वाले फ्लश शौचालय बनाने हेतु कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में आज तक एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम (आईएलसीएस) के तहत जारी धनराशि इस प्रकार है:-

2002-03	—	4.80 करोड़ रुपये
2003-04	—	4.80 करोड़ रुपये
2004-05 (आज तक)	—	20.00 करोड़ रुपये

जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध है, लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों की वजह से उक्त अवधि में आई.एल.सी.एस. के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

[अनुवाद]

भूमि अधिग्रहण

3028. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए पूर्ववर्ती मास्टर प्लान के दौरान सरकार का बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में दिल्ली के लिए तैयार किए गए पूर्ववर्ती मास्टर प्लान के दौरान अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1981-2001 के बीच मास्टर प्लान अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 13,136 हेक्टेयर अधिगृहीत की है।

संस्थानों के उन्नयन हेतु एस.के. जोशी रिपोर्ट

3029. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003 के दौरान गठित एस.के. जोशी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से देश में पांच नए आई.आई.टी. की स्थापना के संबंध में उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) उन संस्थानों के नाम क्या है जिन्हें उक्त समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद उन्नयन किया जा सकता है; और

(ङ) उक्त समिति की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) जी, हां। समिति ने देश के इंजीनियरी और तकनीकी कालेजों में से सर्वोत्तम संभावित क्षमता रखने वाली संस्थाओं के रूप में निम्नलिखित सात संस्थानों का चयन किया है जिनको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्तर तक स्तरोन्नत किया जाना है।

1. प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

2. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कालेज के साथ सम्मिलित इंजीनिरी विश्वविद्यालय कालेज और ये दोनों उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से सम्बद्ध है।

3. बंगाल इंजीनियरी कालेज, हावड़ा।

4. जादवपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग।

5. जाकिर हुसैन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

6. आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरी कालेज, विशाखापट्नम और

7. कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन

उपर्युक्त संस्थानों का चयन करते हुए समिति ने यह टिप्पणी की कि चयन के लिए अपनाए गए सभी मानदण्डों में ये संस्थाएं मौजूदा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्तर से काफी नीचे के स्तर के है। चयनीत कालेजों/संस्थाओं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच अत्यधिक अन्तर को ध्यान में रखते हुए समिति की यह राय थी कि इन कालेजों को सीधे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में स्तरोन्नत करना सही नहीं होगा।

इसलिए समिति ने यह सुझाव दिया कि उनकी सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक छोटा विशेषज्ञ दल गठित करे जो प्रथमतः उपर्युक्त 7 संस्थाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन करे और इन संस्थाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे संस्थानों का दर्जा देने से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन भी करे। सरकार द्वारा इन संस्थाओं में से किसी एक को भी स्तरोन्नत करने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में यह दल संस्थाओं को इस प्रकार स्तरोन्नत करने का प्रबंध करने के लिए आवश्यक एकमुश्त वित्तीय सहायता की राशि भी निर्धारित कर सकता है। सरकार समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

(ङ) इसमें निहित मुद्दों की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इस समय इन सिफारिशों को स्वीकार करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

डी.डी.ए. द्वारा वसंत कुंज मॉल का निर्माण

3030. **श्री विजय कृष्ण :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) रिज क्षेत्र और जल ग्रहण क्षेत्र पर अवैध रूप से वसंत कुंज मॉल का निर्माण कर रहा है जहां पर कोई निर्माण कार्य करने अथवा भूजल निकालने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो रिज/जल ग्रहण क्षेत्र को क्षति पहुंचाने और मॉल का निर्माण रोकने हेतु डी.डी.ए. के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार की हरित क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने हेतु नीति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि वसंत कुंज शॉपिंग माल का निर्माण निर्धारित भूमि-उपयोग के अनुसार है तथा नीलामी के खरीददारों द्वारा परियोजना के निष्पादन से पहले सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति (क्लीयरेंस) लिया जाना अपेक्षित है।

(ग) जब और जैसे ही किसी अतिक्रमण का पता चलता है संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

आपदा स्थिति संबंधी कानून

3031. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री अनंत गुढ़े :
श्री मदन लाल शर्मा :
श्री किन्जरपु येरननायडू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक से लेकर न्युक्लियर आपदा तक के सभी आयामों की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(च) क्या आपदा प्रबंधन के संबंध में विभिन्न देशों के वर्तमान कानूनों की जांच की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए अगस्त 1999 में सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। परमाणु आपदाओं सहित मानवनिर्मित आपदाओं को भी कवर करने के लिए अप्रैल, 2000 में समिति के विचारार्थ विषयों को संशोधित किया गया था।

(ग) समिति ने अक्तूबर, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(घ) समिति की मुख्य सिफारिशें, संगठनात्मक अवसंरचना, संस्थागत तंत्र; केन्द्र तथा राज्य स्तर पर आपदाओं हेतु न्यूनीकरण तथा तैयारी संबंधी उपाय तथा कार्रवाई तंत्र; आपदा प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त विधायन, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना; आपदा न्यूनीकरण नीतियों के साथ विकास योजनाओं का एकीकरण, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपातकालीन आपरेशन केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना; मानव संसाधन विकास; आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना, अग्निशमन सेवाओं तथा नागरिक सुरक्षा ढांचे का उन्नयन/पुनरुद्धार; तथा प्राकृतिक और मानवनिर्मित आपदाओं के मामले में त्वरित कार्रवाई तथा राहत उपाय करने से संबंधित हैं।

(ङ) सरकार ने विभिन्न सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें शामिल हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन; आपदा प्रबंधन पर केन्द्रीय विधान अधिनियमित करना; विशेषज्ञ कार्रवाई दलों का प्रशिक्षण तथा उन्हें सुसज्जित करना; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित करना; भूकम्प जोखिम प्रबंधन के लिए अभियंताओं और वास्तुकारों की क्षमता निर्माण; आपदा प्रबंधन में सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास; इंजीनियरिंग तथा वास्तुविद पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर तथा स्कूल पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को शामिल करना, वैब आधारित संसाधन इंवेनटरी आदि का विकास।

(च) और (छ) कुछ देशों के मौजूदा कानूनों पर विचार किया गया है तथा देश में वर्तमान में उपलब्ध प्रणालियों/तंत्रों के साथ-साथ विभिन्न खतरों के प्रति देश की अतिसंवेदनशीलता को भी दृष्टि में रखते हुए आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 का मसौदा तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को स्थानीय निकायों और भूमि को सौंपना

3032. मो. मुकीम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से राज्य स्थानीय निकायों और भूमि से संबंधित मामलों को राज्य सरकार को सौंपने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय निकायों और भूमि से संबंधित मामलों को राज्य सरकार के पास कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय ने यह बताया है कि उन्हें स्थानीय निकायों तथा भूमि से संबंधित मामलों को राज्य सरकार के अधीन लाने के संबंध में किये गये किसी अनुरोध की जानकारी नहीं है। तथापि, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय को अन्य बातों के साथ दिल्ली से संबंधित विभिन्न मामलों पर व्यापक सहमति बनाने तथा दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बनाने में गहन परामर्श करने के संबंध में पत्र लिखा था। समुचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप को तैयार करने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से भी परामर्श लिया गया है।

[अनुवाद]

शिक्षकों की भर्ती

3033. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री अखिलेश यादव :
श्री पी.के. वासुदेवन नायर :
श्री एस.के. खारवेनथन :

श्री सुकदेव पासवान :
श्री टी.के. हमजा :
श्री रामकृपाल यादव :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी 1575 शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है जिन्होंने गत वर्ष मई महीने के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निजी एजेंसी के माध्यम से कराई गई परीक्षा उत्तीर्ण की थी;

(ख) क्या इन सभी शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन सभी भर्तियों को रोक दिया था जब उसने पाया कि बिना किसी निविदा के निजी एजेंसी को काम सौंपने के लिए चयनित किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भर्ती प्रक्रिया में बरती गई अनियमितताओं की जांच हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) 1571 अभ्यर्थियों में से 1551 अभ्यर्थियों को सेवा-निवृत्त सचिव श्री एस. सत्यम की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट/निष्कर्ष की शर्त पर संविदा आधार पर प्रारंभ में एक वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है। उक्त जांच पूरी होने से पहले एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर अस्थाई नियुक्ति का नवीकरण किया जाएगा। यदि जांच में अभ्यर्थियों के चयन को उचित ठहराया जाता है तो अस्थाई नियुक्ति को पदधारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण की तारीख से ही नियमित आधार पर नियुक्ति माना जाएगा। यदि जांच समिति यह मानती है कि अभ्यर्थियों का चयन चयन प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है तो अस्थाई नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा। शेष 20 मामलों की नियमानुसार जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय दल का दौरा

3034. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी बाढ़ और भू-स्खलन से विशेष रूप से महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के कितने जिले प्रभावित हुए और इसके कारण कितने जान-माल की क्षति हुई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी केन्द्रीय दल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों का दौरा किया;

(ग) यदि हां, तो ऐसे दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति राशि मांगी गई;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त राशि जारी की; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (च) यह संबंधित राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है कि वह प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अपने लोगों को राहत प्रदान करे। केन्द्र सरकार, संभार तंत्र और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में उनकी मदद करती है। राहत सहायता आपदा राहत निधि (सी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) योजनाओं के तहत दी जाती है जो कि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2005 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग पर आधारित होती है। राज्यों के पास सी आर एफ के अंतर्गत तत्काल निधियां

उपलब्ध होती है जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत होता है। जब सी आर एफ के अंतर्गत पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं होती तो एन सी सी एफ से भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, सी आर एफ/एन सी सी एफ में से खर्च करने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश भी निर्धारित किए हैं। जब एन सी सी एफ से सहायता प्रदान किए जाने पर विचार किया जाता है तो, केन्द्रीय टीमें प्रतिनियुक्ति की जाती है। केन्द्रीय टीमों की रिपोर्टों, मानदंडों और दिशानिर्देशों, सी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध निधियों तथा राज्यों के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता देने पर विचार किया जाता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अन्य राज्यों में जिलों की निश्चित संख्या का केन्द्रीय सहायता की मांग करते समय राज्यों द्वारा विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

गत तीन वर्षों में, एन सी सी एफ से जारी की गई राज्य-वार, आपदा-वार और वर्ष-वार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी सी आर एफ के केन्द्रीय हिस्से का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

गत तीन वर्षों में हुई क्षति का गृह मंत्रालय में उपलब्ध राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए एन सी सी एफ से जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(16.3.2005 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	आपदा	राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता	अनुमोदित सहायता	राज्यों के सी आर एफ के अधीन उपलब्ध निधियों के समायोजन के बाद एन सी सी एफ से जारी की गई निवल राशियां		
					2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश						
		सूखा	1880.00	174.61	0.00		*
		सूखा (किसानों को आर्थिक इमदाद)	–	45.04	13.72		
		सूखा (मालभाड़ा प्रभार)		0.47	0.47		
		सूखा (समीक्षा)	–	224.43	45.75	64.04	
		सूखा	859.88	155.50		50.58	
		सूखा (माल भाड़ा प्रभार)		2.13		2.13	

1	2	3	4	5	6	7	8
		चक्रवात	367.47	30.89			0.00*
		सूखा	942.99	70.77			0.00*
		सूखा	1199.68	141.77			17.88
		सूनामी 26 दिसम्बर, 2004	342.67	47.19			100.00
		सूखा (समीक्षा)	—	22.13			0.00*
		कुल	5592.69	914.63	59.94	116.75	117.88
2.	अरुणाचल प्रदेश						
		बाढ़	134.63	19.68	12.78		
		बाढ़	"	39.52		26.79	
		बाढ़/भूस्खलन (समीक्षा)	349.06	3.00		3.00	
		बाढ़	510.95	20.33			9.09
		कुल	994.64	82.33	12.78	29.79	9.09
3.	असम						
		बाढ़	484.19	118.34	0.00		*
		बाढ़	1134.45	70.72		0.00	*
		बाढ़ (तदर्थ रूप से जारी)	1875.41	345.37			55.00
		बाढ़	1875.41	345.37			116.87
		बाढ़ (अनुपूरक+अक्तूबर 04)	630.45	39.68			39.68
		कुल	4124.50	574.11	0.00	0.00	211.55
4.	बिहार						
		बाढ़	847.72	118.68	0.00		*
		बाढ़	11048.26	375.53			55.00
		बाढ़	"	"			181.77

1	2	3	4	5	6	7	8
	सूखा		2312.48	162.15			162.15
	कुल		14208.46	656.36	0.00	0.00	398.92
5.	छत्तीसगढ़						
	सूखा		880.66	92.73	45.85		
	सूखा (किसानों को आर्थिक इमदाद)		—	35.67	35.67		
	सूखा (समीक्षा)		—	61.89	19.16	26.83	
	बाढ़		296.40	17.92		0.00	*
	सूखा 04-05		654.96	93.44			52.74
	कुल		1832.02	301.65	100.68	26.83	52.74
6.	गुजरात						
	सूखा		895.34	150.29	0.00		*
	सूखा (माल-भाड़ा प्रभार)			23.29	23.29		
	गौशाला/पशु शिविर के लिए					5.15	
	सूखा (माल-भाड़ा प्रभार)			7.18		7.18	
	बाढ़		431.02	20.08		20.08	
	बाढ़		770.05	94.04			55.00
	कुल		2096.41	294.88	23.29	32.41	55.00
7.	हरियाणा						
	सूखा		1895.98	109.65	0.00		*
	सूखा (किसानों को आर्थिक इमदाद)			34.35			
	गौशाला के लिए		—	—		2.20	
	कुल		1895.98	144.00	0.00	2.20	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश						
		सूखा	155.86	39.45	9.80		
		सूखा (किसानों को आर्थिक इमदाद)	–	4.05	4.05		
		सूखा (समीक्षा)	–	25.67	0.20	0.30	
		बाढ़	131.80	34.81		0.00	*
		कुल	287.66	103.98	14.05	0.30	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर						
		सूखा	1623.98	31.75	0.00		*
		हिमस्खलन/भारी बर्फबारी	1617.09	125.50			50.00
		कुल	3241.07	157.25	0.00	0.00	50.00
10.	झारखंड						
		सूखा	1467.25	42.06	0.00		*
		सूखा	928.12	139.82			12.57रु
		कुल	2395.37	181.88	0.00	0.00	12.57
11.	कर्नाटक						
		ओलावृष्टि	70.50	1.69	0.00		*
		सूखा	1562.85	221.46	171.28		
		सूखा (किसानों को आर्थिक इमदाद)	–	17.90	17.90		
		सूखा (समीक्षा)	–	61.63	7.70	10.77	
		सूखा	1881.55	167.81		115.86	
		बाढ़	34.77	7.54		7.54	
		सूखा (तदर्थ रूप से जारी)	2878.00	247.62		50.00	
		सूखा	"	167.17		71.85	
		सूखा (ई.जी. नकद घटक)	"	60.45		60.45	

1	2	3	4	5	6	7	8
		सूखा (अनुपूरक पोषण)	"	20.00			14.48
		सूखा	1147.72	83.67			24.57
		कुल	7575.40	1056.94	196.88	316.47	39.05
12.	केरल						
		सूखा	1047.08	13.57	0.00		*
		बाढ़	146.32	14.11	0.00		*
		सूखा (मूल ज्ञापन)	1359.03	49.04	0.00		*
		सूखा (अतिरिक्त ज्ञापन)	2844.90	28.53	—	—	0.00*
		सूनामी 26 दिसम्बर, 04	1358.77	84.10			100.00
		सूखा (विशेष राहत)	106.00	106.00			53.00
				"			53.00
		कुल	6862.10	295.35	0.00	0.00	206.00
13.	मध्य प्रदेश						
		ओलावृष्टि	80.95	4.37	0.00		*
		सूखा 2001-02	253.84	34.62	34.62		
		सूखा	819.62	125.89	95.03		
		सूखा (किसानों को आर्थिक इमदाद)	—	36.90	36.90		
		सूखा (माल-भाड़ा प्रभार)		0.23	0.23		
		सूखा (समीक्षा)	—	75.99	16.56	23.17	
		ओलावृष्टि	128.16	—		0.00	*
		गौशाला/पशु शिविर के लिए		0.10		0.10	
		गौशाला के लिए		0.61		0.61	
		बाढ़	201.83	12.84		12.84	

1	2	3	4	5	6	7	8
	सूखा		725.69	36.30			1.70
	कुल		2210.09	327.85	183.34	36.72	1.70
14.	महाराष्ट्र						
	सूखा		500.00	48.40	0.00		*
	बारिश/बाढ़		153.56	15.46	0.00		*
	सूखा		1730.61	20.00	20.00		
	सूखा (समीक्षा)		—	46.50	0.00		*
	सूखा		1715.00	160.61		44.25	
	सूखा (ईजीएस-एकबारगी)		"	33.21		33.21	
	सूखा		680.96	201.16			165.3325
			"	"			7.90
	कुल		4780.13	525.34	20.00	77.46	173.23
15.	मणिपुर						
	बाढ़		337.45	15.56	7.07		
	कुल		337.45	15.56	7.07	0.00	0.00
16.	मेघालय						
	बाढ़		212.50	12.30			6.16
	कुल		212.50	12.30	0.00	0.00	6.16
17.	मिजोरम						
	बाढ़ आदि		51.15	13.29			10.68
	कुल		51.15	13.29	0.00	0.00	10.68
18.	नागालैंड						
	बाढ़/चक्रवाती हवाएं		21.45	3.36			.81
	कुल		21.45	3.36	0.00	0.00	1.81

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	उड़ीसा						
		2001 की बाढ़ (हवाई जहाज से सहायता सामग्री गिराना)	16.41	16.41	16.41		
		सूखा	871.40	120.18	0.00		*
		सूखा (किसानों को आर्थिक इमदाद)	—	61.58	5.29		
		सूखा (माल-भाड़ा प्रभार)			0.14		
		सूखा (समीक्षा)	—	61.58		0.00	*
		बाढ़	1793.05	173.34		50.00	
		"	"	"		54.43	
		बाढ़	348.78	53.40			0.00
		1999 के महाचक्रवात के लिए एयर लिफ्टिंग-वास्तविक आधार पर	53.44	53.44			53.44
		कुल	3083.09	539.93	21.84	104.43	53.44
20.	पंजाब						
		सूखा	3529.44	125.41	0.00		*
		कुल	3529.44	125.41	0.00	0.00	0.00
21.	राजस्थान						
		गौशाला के लिए (पशुओं की देखभाल)		11.66	11.66		
		सूखा	7519.76	207.68	0.00		*
		सूखा (किसानों के लिए आर्थिक इमदाद)	—	164.92	155.68		
		सूखा (माल भाड़ा प्रभार)		7.40	7.40		
		सूखा (समीक्षा)	—	682.35	259.34	363.10	

1	2	3	4	5	6	7	8
		गौशाला/पशु शिविर के लिए				14.48	
		सूखा (कम्पोजिट टीम)	रिवीयू	134.79		99.83	
		सूखा (माल-भाड़ा प्रभार)		35.33		35.33	
		सूखा 04-05	2378.64	332.27			108.00
		कुल	9898.40	1576.40	434.08	512.74	108.00
22.	सिक्किम						
		बाढ़/भारी वर्षा	50.55	13.05			9.90
		कुल	50.55	13.05	0.00	0.00	9.90
23.	तमिलनाडु						
		सूखा	1545.76	228.30	109.70		
		सूखा (किसानों के लिए आर्थिक इमदाद)	—	23.36	23.36		
		सूखा	—	258.44	82.93	116.10	
		सूखा	2283.73	292.95		50.00	
		सूखा	"	"		123.35	
		सूखा	1910.58	156.84			117.27
		सूनामी 26 दिसम्बर, 2004	4528.66	617.20			250.00
		"	"	"			367.20
		बाढ़-अक्तूबर, 04	411.73	48.67			48.67
		कुल	10680.46	1625.76	215.99	289.45	783.14
24.	त्रिपुरा						
		बाढ़	75.46	8.67			0.05
		कुल	75.46	8.67	0.00	0.00	0.05
25.	उत्तर प्रदेश						
		सूखा	7539.79	481.10	237.65		

1	2	3	4	5	6	7	8
	सूखा (किसानों के लिए आर्थिक इमदाद)		–	72.41	72.41		
	गौशालाओं के लिए					0.98	
	बाढ़		1685.14	222.23		40.89	
	सूखा		7226.10	360.94			192.10
	कुल		16451.03	1136.68	310.06	41.87	192.10
26.	उत्तरांचल						
	सूखा		401.81	10.62	0.00		*
	सूखा (किसानों के लिए आर्थिक इमदाद)		–	3.78	0.00		*
	सूखा		–	0.00	0.00		*
	बाढ़/भूस्खलन		80.23	13.56		0.00	*
	सूखा		411.87	3.24			0.00*
	कुल		891.91	31.20	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़		#आर ई एफ।	#आर ई एफ।	#आर ई एफ।	#आर ई एफ।	#आर ई एफ।

सी आर एफ = आपदा राहत निधि जिसमें केन्द्र का अंशदान 75% है।
एन सी सी एफ = राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि अर्थात् राष्ट्रीय निधि।
*राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधियों से व्यय को पूरा करने के लिए आपदा राहत निधि के तहत खर्च न की गई धनराशि है।
#जारी किए जाने के लिए संस्तुत

विवरण-II

गत तीन वर्षों (आज तक) के दौरान सी आर एफ की जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटित/जारी सी आर एफ का केन्द्र का हिस्सा		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	163.77	171.96	180.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.94	10.44	10.96
3.	असम	83.92	88.12	92.52
4.	बिहार	55.37	58.14	61.05
5.	छत्तीसगढ़	22.72	23.85	25.03
6.	गोवा	1.03	1.08	1.13
7.	गुजरात	133.46	140.13	147.14
8.	हरियाणा	67.23	70.59	74.12

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	35.96	37.75	39.64
10.	जम्मू-कश्मीर	28.86	30.30	31.82
11.	झारखंड	46.88	49.22	25.84*
12.	कर्नाटक	61.66	64.74	67.98
13.	केरल	55.60	58.38	61.30
14.	मध्य प्रदेश	51.78	54.39	57.10
15.	महाराष्ट्र	129.99	136.49	143.31
16.	मणिपुर	4.03#	0.00*	0.00*
17.	मेघालय	3.26	3.42	3.59
18.	मिजोरम	2.46	2.58	2.71
19.	नागालैंड	1.62	1.70	1.79
20.	उड़ीसा	90.52	95.04	99.79
21.	पंजाब	101.47	106.55	111.87
22.	राजस्थान	171.16	179.72	188.71
23.	सिक्किम	5.71	6.00	6.30
24.	तमिलनाडु	84.87	89.11	93.57
25.	त्रिपुरा	4.30	4.51	4.74
26.	उत्तर प्रदेश	120.95	127.00	133.36
27.	उत्तरांचल	26.76	28.10	29.50
28.	पश्चिम बंगाल	83.60	87.78	92.17
	कुल	1648.88	1727.09	1787.60

*पहले जारी की गई निधियों को जमा करने, उपयोगिता प्रमाण-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित सूचना प्राप्त न होने के कारण सी आर एफ का केन्द्र का हिस्सा जारी नहीं किया गया है।

#पिछले वर्ष के लिए सी आर एफ के पिछले बकाया सहित।

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़/भू-स्खलन के कारण हुए नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष											
		2002-03				2003-04				2004-05			
		मृतकों की संख्या	मारे गए पशुओं की संख्या	मकानों की संख्या	फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	मृतकों की संख्या	मारे गए पशुओं की संख्या	मकानों की संख्या	फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	मृतकों की संख्या	मारे गए पशुओं की संख्या	मकानों की संख्या	फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	7	—	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	20	7	0.10	43	12785	2115	0.48	11	—	—	0.920
3.	असम	41	482	19827	3.30	30	108	4641	3.82	448	2256	589064	80.15
4.	बिहार	434	1380	396096	8.10	241	106	45175	6.05	731	2673	897427	13.95
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	30	3058	44367	0.85	—	—	—	—
6.	गुजरात	134	1152	2753	—	139	1071	13878	1.09	171	637	30000	—
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	21	766	5000	0.81
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	89	452	2924	0.16	3	2	92	0.58
9.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	29	23	4183	0.07	—	—	—	—
11.	केरल	21	—	2335	—	32	—	2886	0.28	139	—	15788	—
12.	मध्य प्रदेश	4	—	—	—	18	735	30511	1.27	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	138	593	13466	—	260	977	9459	—	283	552	4468	1.00
14.	मणिपुर	2	—	3024	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	3	—	3	—	3	4913	2604	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211	0.004
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	60	2474	184843	4.78	7	—	95	0.4
19.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	17	482	12434	0.28
20.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	2564	0.17	—	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	300	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	78	92	30966	1.55
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14043	—
24.	उत्तर प्रदेश	6	15	1615	0.33	980	3304	322244	12.92	25	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	उत्तरांचल	33	87	541	नेग.	20	300	499	—	43	16	38	—
26.	पश्चिम बंगाल	4	—	17584	0.26	18	—	11917	0.04	2	—	768	0.451

दिल्ली में होटल/मोटल तथा अतिथि गृह

3035. श्री मुनव्वर हसन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दिल्ली में कितने होटल/मोटल तथा अतिथि गृह चल रहे हैं;

(ख) कितने होटलों/मोटलों अतिथि गृहों की पास वैध लाइसेंस हैं और कितनों के पास एम.सी.डी./एन.डी.एम.सी./डी.डी.ए./डी.सी.पी. (लाइसेंसिंग) से जारी कोई लाइसेंस नहीं है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् आज की तिथि तक कुल कितने व्यक्तियों ने लाइसेंस हेतु आवेदन किया है और वर्तमान में कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) उन्हें कब तक लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है;

(ङ) आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर सरकार अब अन्तरराष्ट्रीय भीड़ और खिलाड़ियों के लिए कुशलतापूर्वक प्रबंधन हेतु इन सभी अतिथि गृहों के नियमितीकरण की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) दिल्ली में लगभग 1075 होटल/मोटल/अतिथिगृह है जिनमें से 369 के पास पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) द्वारा जारी किये गये वैध लाइसेंस हैं और 706 के पास वैध लाइसेंस नहीं है।

(ग) और (घ) लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए प्राप्त आवेदनों का विवरण, जारी लाइसेंसों की संख्या, अस्वीकृत आवेदनों और लंबित आवेदनों का विवरण संलग्न है। लंबित मामलों में लाइसेंस प्रदान किया जाना संबंधित निकायों से अपेक्षित रिपोर्टों के प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

(ङ) निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा किए बिना अतिथिगृहों को लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष	कुल प्राप्त किए गए आवेदन	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	अस्वीकृत किए गये आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
2002	65	6	22	37
2003	46	1	10	35
2004	51	—	10	41
2005 (17 मार्च तक)	7	—	—	7

[अनुवाद]

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा फ्लैटों का कब्जा

3036. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विशेषकर द्वारका की कितनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों ने आज की तिथि के अनुसार डीडीए से प्री. ऑक्युपेन्सी सार्टिफिकेट हेतु आवेदन किया है और डी.डी.ए. द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां डीडीए से प्री-ऑक्युपेन्सी

सार्टिफिकेट प्राप्त किए बिना लाटरी के माध्यम से सीधे ही अपने सदस्यों को फ्लैटों का कब्जा दे सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और द्वारका की किन-किन ऐसी सोसाइटियों ने डीडीए से पीओसी प्राप्त किए बिना ही अपने सदस्यों को पहले फ्लैटों का कब्जा दे दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो डीडीए द्वारा ऐसी उन सोसाइटियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई को गई है/किए जाने का प्रस्ताव है, जिन्होंने प्री-ऑकुपेन्सी सार्टिफिकेट प्राप्त किए बिना ही अपने सदस्यों को फ्लैटों का कब्जा दे दिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि द्वारका में 212 कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों ने अंतरिम कब्जा प्रमाणपत्र (प्रोविजनल आकुपेन्सी सर्टिफिकेट)/पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था जिन्नमें से 148 कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अंतरिम कब्जा प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। अंतरिम कब्जा प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही रिहायशी यूनिटों/फ्लैटों का कब्जा लिया जा सकता है।

(ग) और (घ) नीति के अनुसार फ्लैटों के लिए ड्रॉ दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों तथा पंजीयक, सहकारी सोसाइटी (आर सी एस) की देखरेख में निकाले जाते हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ड्रॉ की पुष्टि की सूचना सोसाइटी को दी जाती है जिसके साथ ही सदस्यों को कब्जा देने से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवन विभाग से पूर्णता प्रमाणपत्र/अंतरिम कब्जा प्रमाणपत्र लेने का निर्देश दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसके संबंध में विस्तृत सूचना नहीं रखी जाती है।

बागान क्षेत्र को बेहतर बनाना

3037. **श्री पी. करुणाकरन :**
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन चाय बागानों के लिए राहत उपाय किए हैं जो उत्पाद शुल्क अदा करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जिनके पास कार्यशील पूंजी की उपलब्धता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो चाय बागानों सहित बागान क्षेत्र की सहायतार्थ सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि पर्याप्त संवर्धन मानदंड निर्धारित किए बिना पुनः निर्यात हेतु बागान फसलों के आयात से बागान क्षेत्र की स्थिति खराब हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्य संवर्धन के मानदंड निर्धारित करेगी जो समान वस्तु हेतु निर्धारित आयात शुल्क के समान हो; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा चाय और कॉफी सहित बागान क्षेत्र की सहायता के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में चाय पर 1 रुपए प्रति किग्रा. के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। चाय क्षेत्र के लिए एक विशेष चाय आवधिक ऋण (एस टी टी एल) की घोषणा की गयी थी जिसमें चाय क्षेत्र के बकाया/कार्यशील पूंजी ऋणों के अनियमित हिस्से को पुनर्गठित करने/पुनः चरणबद्ध करने की परिकल्पना की गयी है और इन्हें लघु उपजकर्त्ताओं और क्रीत पत्ती फैक्टरियों के लिए 1 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि, जिसे बड़े उपजकर्त्ताओं के लिए मामला-दर-मामला आधार पर आगे बढ़ाया जाता है, के साथ 5 से 7 वर्ष में चुकता किया जाना है। एस टी टी एल में लघु उपजकर्त्ताओं के लिए 9 प्रतिशत से अनधिक की दर से 2 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी का भी प्रावधान है। चाय उत्पादकों की मदद हेतु किए गए अन्य उपायों में शामिल हैं: वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान चाय बागान क्षेत्र के दीर्घावधि विकास और आधुनिकीकरण हेतु चाय पर 1 रुपए प्रति किग्रा. की दर से उत्पाद शुल्क की वसूलियों से विशेष निधि की स्थापना, फरवरी से मई, 2004 तक की चार माह की अवधि हेतु लघु चाय उत्पादकों के लिए कीमत सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन, 1.4.2004 से लघु चाय उत्पादकों तथा चाय विनिर्माताओं के बीच कीमत भागीदारी फार्मूले का कार्यान्वयन, मानव संचालित नीलामी केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी केन्द्रों में परिवर्तित करने, जिससे चाय खरीद प्रणाली की कुशलता में सुधार होने तथा सौदे के समय एवं लागत में कमी होने की उम्मीद है, सहित चाय

उद्योग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सूचना प्रसार योजना का कार्यान्वयन आदि।

कॉफी उत्पादकों की मदद हेतु किए गए उपायों में शामिल हैं: कॉफी उत्पादकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋणों को विशेष कॉफी आवधिक ऋण (एस सी टी एल) के रूप में पुन: चरणबद्ध करना/उनका पुनर्गठन करना, बड़े और छोटे कॉफी उत्पादकों को वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों के वापसी भुगतान पर ब्याज सब्सिडी, आदि। वाणिज्यिक बैंक 9 प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 50 लाख रुपए तक फसल ऋण प्रदान करने के लिए भी सहमत हो गए हैं ताकि 60 हेक्टेयर तक की भूमि जोत रखने वाले कॉफी उत्पादकों को लाभ प्रदान किया जा सके।

चाय और काफी दोनों बोर्डों द्वारा देश में उत्पादित इन वस्तुओं की उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणनीयता के संवर्धन हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक विकासात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। सरकार ने चाय और कॉफी की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयुक्त मशीनों की मदों पर आयात शुल्क में 5 प्रतिशत की समावेशी दर से कमी भी की है।

(ग) और (घ) चाय का आयात मुख्य रूप से मूल्यवर्धन के पश्चात् उसके पुनर्नियात के प्रयोजनार्थ किया जाता है। पुनर्नियात हेतु ऐसे आयातों से अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। भारत में कॉफी का आयात नगण्य होता है।

(ङ) और (च) न्यूनतम मूल्यवर्धन संबंधी मानदण्ड के निर्धारण सहित चाय के आयातों/निर्यातों पर गुणवत्ता संबंधी मानदंड लागू करने के लिए अनेक उपायों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

जड़ी-बूटी उद्योग के लिए विशेष पैकेज

3038. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में शीत मौसम के दौरान मुख्य नगरों से कटे हुए दूरवर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु जड़ी-बूटी औषधीय पौधों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 14.06.2002 को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों की घोषणा की है। औषधीय जड़ी-बूटियां — प्रसंस्करण कार्यकलाप को इस नीति के प्रमुख उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। इस नीतिगत पैकेज के अंतर्गत इस राज्य के औद्योगिक एककों को अनेक रियायतें दी गई हैं जिनमें औद्योगिक अवसंरचना का विकास, उत्पाद-शुल्क और आयकर से छूट तथा केन्द्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता और केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना जैसी राजसहायता योजनाएं शामिल हैं। निजी उद्यमी उपर्युक्त प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकते हैं।

भारत-स्विस पेटेंट

3039. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के अध्यक्ष के नेतृत्व में स्विस प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार समझौतों में निर्धारित नयी व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में भारत को लाने के लिए पेटेंट अधिनियम में कतिपय संशोधनों की मांग की है; और

(ग) इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा कौन-कौन से मुख्य संशोधनों की मांग की गई है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) अक्तूबर, 2004 में स्विस शिष्टमंडल के भारत दौरे के दौरान, उन्हें भारत द्वारा किए गए उन प्रयासों की जानकारी दी गई जो भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते के तहत दायित्वों का पालन करते हुए एक बौद्धिक संपदा व्यवस्था लागू करने के लिए किए थे। साथ ही उन्हें बौद्धिक संपदा प्रशासन के आधुनिकीकरण हेतु की गई पहलों की भी जानकारी दी गई थी। स्विस पक्ष ने भारत द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में की गई पहलों की प्रशंसा की थी और इस बात की चिंता जताई थी कि कुछ स्विस कंपनियों को अभी भी भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामले में दिक्कतें आ रही हैं। तत्पश्चात् अन्य

बातों के साथ-साथ, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते में निहित भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों, जो 01 जनवरी, 2005 से लागू होने थे, को पूरा करने के लिए 26 दिसंबर, 2004 को एक अध्यादेश, नामतः पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 प्रख्यापित किया गया, जो 01 जनवरी, 2005 से प्रभावी है। इस संशोधन के द्वारा खाद्यों, औषधों और रसायनों से संबंधित आविष्कारों में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था लागू की गई है।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.)

3040. श्री महबूब जाहेदी :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सदस्यीय समीक्षा समिति ने यह पाया कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के बाहर "टुवर्ड्स फ्रीडम" परियोजना को बीच में बंद करने की एक योजना गुप्त रूप से बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.सी.एच.आर. ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में वास्तविक विवरणों की उपेक्षा करते हुए जानबूझकर झूठी कहानी गढ़ी है;

(ग) क्या 511 पृष्ठों वाली तीन महत्वपूर्ण "टी.एफ." फाइलों के गुम हो जाने से यह समिति अत्यधिक अक्षम हो गई;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति को वार्षिक रिपोर्टों और विभिन्न बैठकों के कार्यवाही सारांश पर निर्भर रहना पड़ा और समिति ने यह पाया कि किसी गुप्त उद्देश्य से फाइलों को जानबूझकर हटाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) के कार्य की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समीक्षा समिति ने आई.सी.एच.आर. द्वारा 'टुवर्ड्स फ्रीडम' परियोजना के खंडों का प्रकाशन न करने/रोकने पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में यह पाया कि निधियां रोककर और खंडों के प्रकाशन में व्यवधान डालकर परियोजना को बीच में बंद करने का प्रयास किया गया। समिति ने बताया है कि 'टुवर्ड्स फ्रीडम' परियोजना से संबंधित फाइलों के उपलब्ध न होने के कारण यह बिल्कुल अक्षम थी और उनके अभाव में उसे परिषद की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों, परिषद की बैठकों के एजेंडा कागजात तथा कार्यवृत्त, अखबार की कतरनों तथा पत्रिकाओं में छपे लेखों पर ही इस विवाद के संदर्भ में निर्भर करना पड़ा।

[हिन्दी]

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

3041. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1967 (अधिसूचित 18 जनवरी, 1968) के अनुदेशों की अनुपालना में संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2002-03 की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 21.07.2004 को लोक सभा के पटल पर रखी गयी। इस मूल्यांकन रिपोर्ट की एक-एक प्रति सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाती है ताकि वे इसमें दर्शाई गई कमियों को दूर करने के लिए समुचित उपाय कर सकें।

(ग) राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा राजभाषा नीति संबंधी आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रत्येक प्रत्येक केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को सौंपी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 23.12.2004 को मंत्रालयों

को एक पत्र जारी किया गया जिसमें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इन प्रावधानों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श देकर भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचने का निदेश दिया गया है।

(घ) सरकार की सुविचारित नीति यह है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन और सदभावना से बढ़ाया जाए।

होटलों पर बकाया धनराशि की वसूली

3042. **श्री रामस्वरूप कोली : क्या शहरी विकास मंत्री** 4 दिसंबर, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 2303 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने उक्त चारों होटलों से बकाया लाइसेंस शुल्क की राशि ब्याज सहित वसूल कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में बकाया धनराशि कितनी है;

(घ) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को उन होटलों का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है जो समय-सीमा बीत जाने के बाद भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान समय पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले होटलों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने निम्नलिखित बकाया लाइसेंस फीस की वसूली के बारे में सूचित किया है:-

1. **मैसर्स सी.जे. इन्टरनेशनल होटल :**

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार यह होटल 1 करोड़ रु. प्रतिमाह का भुगतान कर रहा है और मामला न्यायालय में अभी भी लंबित है।

2. **मैसर्स सन एयर होटल :**

यह होटल करार के अनुसार लाइसेंस फीस का नियमित भुगतान कर रहा है।

3. **मैसर्स प्रोमिनेंट होटल :**

यह होटल 21,08,040/- की लाइसेंस फीस का भुगतान कर रहा है और लाइसेंस फीस निरस्त करने के संबंध में निचली अदालत के समक्ष एक वाद लंबित है।

4. **मैसर्स ताज होटल :**

यह होटल करार के अनुसार वार्षिक सकल टर्न ओवर के 10.5% की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान कर रहा है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा सूचित मौजूदा बकाया राशि इस प्रकार है:-

मैसर्स सी जे इन्टरनेशनल होटल	–	181.55 करोड़ रु.
मैसर्स प्रोमिनेंट होटल	–	29.37 करोड़ रु.
मैसर्स ताज होटल	–	89.25 लाख रु.

(घ) से (च) जी, हां।

प्रोमिनेंट होटल का लाइसेंस, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने और भुगतान न करने के कारण 01.02.95 को रद्द कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार होटल के प्रतिवेदन को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पूर्व निर्णय की पुष्टि करते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 31.3.2003 को निपटा दिया गया था।

[अनुवाद]

एस जी पी सी की पांडुलिपियां

3043. **श्री सुखबीर सिंह बादल :**
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना और कुछ अन्य केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा अधिग्रहीत की गई अमूल्य पांडुलिपियां/आभूषण इत्यादि अभी भी उनके पास हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पांडुलिपियों को वापस करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मं .य में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) आपरेशन ब्लू स्टार के दौरान एक .ीय एजेंसी द्वारा लगभग 4000 कागजात/पुस्तकें/फाइलें और सोना/सोने के आभूषण, चांदी/चांदी के आभूषण, बहुमूल्य पत्थर, मुद्रा, सिक्के इत्यादि बरामद किए गए थे। कुछ कागजात, जो आपत्तिजनक थे और इसलिए जिन्हें नष्ट कर दिया गया था, और कुछ अन्य, जिन्हें न्यायालय में दायर किया गया था, को छोड़ कर, सभी वस्तुएं और कागजात या तो एस जी पी सी को या फिर पंजाब सरकार को सौंप दिए गए थे।

(ग) और (घ) ये आरोप लगाए गए हैं कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना द्वारा कथित रूप से हटाई गई पुस्तकें/पाण्डुलिपियां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एस जी पी सी), अमृतसर को वापिस नहीं की गई है। गृह मंत्रालय ने सी बी आई से कहा है कि वह कथित रूप से गुम हुई पांडुलिपियों/पुस्तकों का पता लगाने के लिए मामले की जांच करें।

लाल कुआं, दिल्ली में अग्निकांड

3044. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल कुंआ अग्निकांड के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि खतरनाक रसायनों का उपयोग करने वाली 877 इकाइयों को 'वाल्ड सिटी' से हटाकर होलंबी कलां ले जाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इनको हटाने में हुए विलंब के क्या कारण है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात् 'वाल्ड सिटी' में हुए अग्निकांडों का घटना-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी हानि हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां। रसायन उद्योग से जुड़े व्यापारियों को वाल्ड सिटी से होलंबी कलां/नरेला ले जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) रसायन उद्योग से जुड़े व्यापारियों को हटाने में हुए विलंब के कारण हैं—उन्हें आबंटित जगहों के लिए प्रीमियम की अदायगी न किया जाना; उनमें से कुछ व्यापारियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना और इस संबंध में उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका का लंबित होना।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	आग लगने की घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	क्षतिग्रस्त संपत्ति का अनुमानित (मूल्य)
2001-02	1262	6	39,73,280
2002-03	1161	15	1,25,86,058
2003-04	1090	10	3,08,04,700
2004-18.03.05	1056	11	90,18,000

[हिन्दी]

एफ पी आई में भारत का हिस्सा

3045. श्री दानवे राव साहेब पाटील :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में अग्रणी देश होने के बावजूद विश्व प्रसंस्कृत खाद्य वस्तु बाजार में भारत का हिस्सा नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्व प्रसंस्कृत खाद्य वस्तु बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) विश्व बाजार में भारत का प्रसंस्कृत खाद्य का हिस्सा निम्नानुसार है:-

उत्पाद	विश्व	भारत	% हिस्सा
मांस एवं मांस उत्पाद	46956	278	0.6
अनाज	59628	1643	2.8
सब्जियां एवं फल	73884	816	1.1

(स्रोत: 2002 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका यू एन-2004)

(ख) बुनियादी सुविधाओं, गुणवत्ता युक्त उत्पादों, वाणिज्यिक अनुसंधान, बेहतर पैकेजिंग, प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के असंगठित स्वरूप के कारण प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एपीडा द्वारा की गयी पहलों में कृषि निर्यात जोनों की स्थापना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी एवं प्रचार शामिल हैं। इसके द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास, बाजार विकास, कीटनाशी अवशिष्ट की जांच हेतु गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु अपनी स्कीमों के जरिए निर्यातकों को प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एकता परिषद्

3046. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनर्गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान में मामले की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 2.2.2005 के प्रेस नोट के तहत राष्ट्रीय एकता परिषद् (एन आई सी) का पुनर्गठन कर लिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद में 140 सदस्य हैं जिनमें केन्द्रीय मंत्री, विधानमण्डल वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, मीडिया के लोग, प्रख्यात व्यक्ति और व्यापारियों, श्रमिकों एवं महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

पुन्नापरा वयलार स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3047. डा. के.एस. मनोज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान किए जाने के लिए पुन्नापरा वयलार स्वतंत्रता सेनानियों के कुल कितने आवेदन सरकार के पास लंबित है;

(ख) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उनके जेल में रहने संबंधी ब्यौरा प्राप्त करना मुश्किल है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जारी करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार जेल में रहने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/जिला कलेक्टर) द्वारा परिसाक्ष्य जारी करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, आवेदनों की लगभग 1440 अग्रिम प्रतियां प्राप्त हुईं, जिन्हें सत्यापन हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया। अभी तक, ऐसे लगभग 75 मामलों में, सभी प्रकार से सम्पूर्ण रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। लगभग 49 मामले स्वीकार कर लिए गए हैं और लगभग 26 मामले रद्द किए गए हैं।

(ग) कतिपय मामलों में राज्य सरकारों द्वारा सरकारी रिकार्ड उपलब्ध न होने की सूचना भेजी है।

(घ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत, सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए छह माह या इससे अधिक अवधि

का कारावास, पात्रता मानदंडों में से एक है। इसके लिए अपेक्षित साक्ष्य संबंधी आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:-

(I) प्राथमिक साक्ष्य : दी गई सजा की अवधि, भर्ती की तारीख, रिहाई की तारीख और रिहाई के कारणों को दर्शाते हुए संबंधित जेल प्राधिकारी, जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार से प्रमाणपत्र।

(II) द्वितीय साक्ष्य : सरकारी रिकार्डों से ऐसे प्रमाणपत्रों के अभाव में, निम्नलिखित द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं–

राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से रिकॉर्ड अनुपलब्धता प्रमाणपत्र (एन ए आर सी)।

स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की सजा भोगी है, से दो सह-कैदी प्रमाणपत्र (सीपीसी)। [यदि प्रमाणित करने वाला वर्तमान में संसद सदस्य/विधान-सभा सदस्य या भूतपूर्व - संसद सदस्य/विधान - सभा सदस्य हैं, तो केवल एक प्रमाणपत्र की आवश्यकता है]

इसलिए, इस योजना में पहले से यह निर्धारित किया हुआ है कि प्राथमिक साक्ष्य (जेल प्रमाणपत्र इत्यादि) के अभाव में सह-कैदी प्रमाणपत्र के साथ-साथ रिकॉर्ड अनुपलब्धता प्रमाणपत्र स्वीकार्य हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

टाटा टी कंपनी

3048. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा टी कंपनी दक्षिण भारत से चाय बागान व्यवसाय बंद करने को विवश हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने अपने कर्मचारियों के समूह की एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दक्षिण भारत में सत्रह चाय बागानों को हस्तांतरित करने की कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मै. टाटा टी लिमिटेड के पास 8 फ्री-होल्ड बागान हैं जो केरल और तमिलनाडु में फैले हुए हैं तथा 17 बागान 'रियायती क्षेत्र' में है जिनके कानन देवान पहाड़ियों में होने की सूचना मिली है। 'रियायती क्षेत्र' ऐसी भूमि है जिसे 100 वर्ष से भी पहले पूंजर प्रमुख द्वारा स्थायी पट्टे पर दिया गया था। यह सूचना दी गयी है कि मै. टाटा टी ने अपने शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 'रियायती क्षेत्र' से बाहर स्थित 8 फ्री-होल्ड बागानों को बेचने या उनका हस्तांतरण करने और 'रियायती क्षेत्र' में स्थित 17 बागानों के कारोबार का इन बागानों के कर्मचारियों द्वारा बनायी जाने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अंतरित करने का प्रस्ताव किया है। केरल राज्य की सरकार के अनुसार मूल पट्टे विलेख और शाही उद्घोषणा के अनुरूप पट्टाधारक राज्य सरकार की अनुमति से ही किसी तीसरे व्यक्ति को पट्टाधिकार का हस्तांतरण कर सकता है।

इंजीनियरिंग कॉलेज

3049. श्री अन्नासाहेब पाटील शिवाजीराव :
श्री जुएल ओराम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई व्यावसायिक संस्थान जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज दिखावटी कम्प्यूटर, ग्रंथालय पुस्तकें तथा जर्नल्स तथा नकली प्राध्यापक वर्ग दिखाकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या ये सभी कॉलेज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन महाविद्यालयों प्रबंधनों के विरुद्ध यदि की गई हो तो क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुसार दिखावटी कम्प्यूटरों, पुस्तकालय पुस्तकों आदि के आधार पर किसी भी तकनीकी संस्थान को अनुमोदित नहीं किया गया है। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद संस्थाओं की तरफ से कदाचारों की संभावना को दूर करने की दृष्टि से अनुमोदन प्रक्रिया को संशोधित किया गया है ताकि फोटोग्राफों, वीडियो सीडी, क्रय वाउचारों, स्टाक रजिस्टरों, पुस्तकों पर संस्थान की मोहर, संस्थान के सभी कार्यक्रमों का साथ-साथ निरीक्षण और विभिन्न टीमों द्वारा एक ही दिन में भौगोलिक क्षेत्र के सभी संस्थानों का निरीक्षण आदि के माध्यम से सूचना को संग्रह करने की व्यवस्था की जा सके। यदि कोई संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्तरों तथा मानदण्डों के अनुकूल नहीं पाया जाता है तो संस्थान के खिलाफ कमियों के आधार पर दाखिला क्षमता में कमी, कोई दाखिला नहीं तथा अनुमोदन वापिस लेना जैसी समुचित कार्रवाई की जाएगी।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा से सम्बद्ध तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कालेजों की सूची संलग्न विवरण में है। चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, उ.प्र. से सम्बद्ध किसी इंजीनियरी कालेज को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध डिग्री इंजीनियरी कालेजों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम
1	2
(क) गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	
1.	अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान
2.	एमिटी इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी स्कूल
3.	भारती विद्यापीठ इंजीनियरी कालेज
4.	दिल्ली इंजीनियरी कालेज
5.	महिला इंजीनियरी कालेज
6.	गुरु प्रेम सुख स्मारक इंजीनियरी कालेज
7.	गुरु तेग बहादुर प्रौद्योगिकी संस्थान
8.	एच एम आर प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान
9.	महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान
10.	महाराजा सूरजमल संस्थान
11.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
12.	नेताजी सुभाषचन्द्र प्रौद्योगिकी संस्थान
13.	नार्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कालेज
(ख) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा	
1.	अम्बाला इंजीनियरिंग एवं प्रयुक्त अनुसंधान कालेज, अंबाला
2.	चौ. देवी लाल स्मारक इंजीनियरिंग कालेज, सिरसा
3.	डिपार्टमेंट आफ इंस्ट्रूमेंट टैक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र विश्व-विद्यालय
4.	दून वैली इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, करनाल
5.	हरियाणा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन कालेज, कैथल
6.	हरियाणा इंजीनियरी कालेज, जगाधरी
7.	जन नायक चौ. देवीलाल स्मारक इंजीनियरिंग कालेज, सिरसा
8.	जिंद इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जिंद

1	2
9.	एम एम इंजीनियरी कालेज, मुल्लाना, अम्बाला
10.	एन.सी. इंजीनियरी कालेज, पानीपत
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र
12.	सेठ जयप्रकाश मुकंद लाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, रादौर
13.	श्री कृष्णा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निलोखेड़ी

सहायता सामग्री का उपयोग

3050. डा. एम. जगन्नाथ :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनामी पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री का बहुत बड़ा भाग विशेषकर विदेशों से आए कपड़े दिल्ली तथा अन्य मेट्रो-शहरों में फुटपाथों पर बिक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सुनामी सहायता ऑपरेशन में लगे गैर सरकारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए नौकरीशाही प्रक्रिया से सुनामी पीड़ितों के निकट संबंधियों को हताशा का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सुनामी पीड़ितों के लिए निजी निकायों/ट्रस्टों द्वारा स्थापित निधि एकत्रण प्रणाली की संख्या कितनी है;

(च) क्या इन निधि एकत्रित करने वाले निकायों द्वारा प्राप्ति तथा संवितरण की निगरानी/लेखा परीक्षण रजिस्ट्रार ऑफ चैरिटीज/चैरिटी कमिश्नर द्वारा की जा रही है; और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) अभी तक गृह मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) अभी तक ऐसे कोई आरोप प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत सरकार ने "सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" की घोषणा की है तथा प्रभावित लोग, मानदण्डों और पैकेज के अनुसार राहत पाने के पात्र है।

(ङ) से (छ) गैर सरकारी संगठनों से उनके द्वारा एकत्रित निधियों अथवा सामग्री तथा उसके इस्तेमाल के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित करने की अपेक्षा नहीं की जाती हैं इन संगठनों से उन उचित प्राधिकरणों, जहां ये पंजीकृत हैं, को अपने लेखे तथा अथवा विवरणियां दायर कराने की अपेक्षा की जाती है।

मध्याह्न 12.00

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1819/2005]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68(अ), जो 14 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 7 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या एफ. 7(105)96/पीबी-1 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1820/2005]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1821/2005]

(4) शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1822/2005]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : महोदय, मैं उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1823/2005]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1824/2005]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री सुनील दत्त की ओर से युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1825/2005]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री कुमारी सैलजा) : महोदय, मै शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1826/2005]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिक राव होडल्या गावित) : अध्यक्ष जी, मै वर्ष 2003-2004 के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके प्रगामी प्रयोग और इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने संबंधी कार्यक्रम के बारे में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1827/2005]

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : महोदय, मै संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1828/2005]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1829/2005]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1830/2005]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चण्डीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चण्डीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1831/2005]

(7) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1832/2005]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 519क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एजुकेशनल कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1833/2005]

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1834/2005]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हू:—

(1) मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2005 का संख्यांक 5)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-लेखाओं की समीक्षा।

(2) मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2005 का संख्यांक 2)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लेखाओं पर टिप्पणी।

(3) मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2005 का संख्यांक 3)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-संव्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1835/2005]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1836/2005]

(3) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उतपाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1837/2005]

(5) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2004 जो 22 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 238 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1838/2005]

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1839/2005]

(7) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1840/2005]

(9) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1841/2005]

(11) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1842/2005]

(13) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1843/2005]

(15) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1844/2005]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे बिहार विनियोग विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.03¼ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 21 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि, निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए:—

(1) श्री के.पी. नायडु 01.12.2004 से 23.12.2004

(2) श्री राजेश रंजन 01.12.2004 से 23.12.2004

और

25.02.2005 से 19.03.2005

क्या समिति द्वारा यथा संस्तुत अनुपस्थिति थी अनुमति प्रदान करने में सभा की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती हैं सदस्यों को तदनुसार सूचना दे दी जाएगी।

अपराह्न 12.03½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करती हूं:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों - 2004-05 के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन;

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों - 2004-05 के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

चौथे से छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष जी, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:

(1) "आदिम जनजातीय समूहों का विकास" के बारे में पूर्ववर्ती श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गयी-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन;

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गयी-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन; और

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गयी-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन; और

अपराह्न 12.04½ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2004-2005 के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी-कार्यवाही के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग II के माध्यम से जारी किए गए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73 क के अनुसरण में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने 12.8.2004 को वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया था। समिति ने 19.8.2004 को लोक सभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों की सिफारिश की।

स्थायी समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में 24 सिफारिशें की ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कानाफूसी न करें। माननीय मंत्री द्वारा सदन में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जा रहा है। माननीय मंत्री आपकी समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में अपना उत्तर दे रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद : मंत्रालय द्वारा इन सभी सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट दिसंबर 2004 तथा जनवरी, 2005 में समिति को भेजी गई है। मंत्रालय ने सिद्धांतत: 22 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं क्योंकि वे उसके क्षेत्राधिकार में थी। शेष दो सिफारिशों में से एक सिफारिश (सं. 17) को आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया है। उक्त सिफारिश में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार विद्युत, टैरिफ और ग्रामीण विद्युतीकरण नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया गया है। 3 नीतियों में से एक अर्थात्, राष्ट्रीय विद्युत नीति को पहले ही 12 फरवरी, 2005 को अधिसूचित किया गया है। अन्य दो निरूपण की प्रक्रिया में है।

जहां तक दूसरी सिफारिश का प्रश्न है, अर्थात अधिकार प्रत्यायन में वृद्धि (सिफारिश सं. 3), विद्युत मंत्रालय सामान्यत: इससे सहमत है। तदनुसार, इस संबंध में निर्णय के लिए सचिवों की समिति की सिफारिशों के साथ कैबिनेट को एक प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।

निर्णय होने के पश्चात् उसके अंतिम परिणाम के बारे में समिति को सूचित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री का अभिनंदन कना चाहूंगा। मैं कुछ अन्य माननीय मंत्रियों से अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त करने का इन्तजार कर रहा हूं। पुनरीक्षित कार्य सूची की अगली मद सं. 19 हैं श्री एस. रघपति।

अपराह्न 12.07 बजे

(दो) ''सुनामी आपदा'' के बारे में दिनांक 1.3.2005 के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अवतार सिंह भडाना और श्री ब्रजेश पाठक द्वारा ''सुनामी आपदा'' के बारे में दिनांक 01.03.2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह- अनुपस्थित, उपस्थित नहीं। श्री शैलेन्द्र कुमार

(व्यवधान)

---

*(ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1845/2005)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं स्वयं इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सदन में हंगामे के कारण हमने दिनांक 01.03.2005 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रस्तुत करने का अवसर गवां दिया। मैं अनुरोध करता हूं कि - सुनामी आपदा विशेषकर इस आपदा से कैसे निपटा जा सकता है, आदि पर चर्चा करने के लिए कुछ समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम यह करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सुनामी के कहर के कारण बहुत सी शिकायतें सुनने की मिली हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं या भारत सरकार की ओर से जो पैसा सहायता के तौर पर वहां गया, उसका सही मायने में दुरुपयोग हो रहा हैं सुनामी से पीड़ित परिवार के लोगों को अभी तक बसाया नहीं गया हैं उनमें से बहुत से लोग अभी भी जंगलों में निवास कर रहे हैं। आज जरूतर इस बात की है कि उनके लिए पहले आवास, रोटी और कपड़े की व्यवस्था की जाए, तभी हमारा मकसद और लक्ष्य पूरा होगा। सभा सम्मानित सदस्यों ने अपनी निधि से उनकी सहायता भी की है। उसका सही रूप में उपयोग हो सके, इस ओर भारत सरकार ध्यान दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कहिये माननीय मंत्री जी।

श्री एस. रघुपति : महोदय, सुनामी राहत आदि के संबंध में पहले ही चर्चाएं हो चुकी है। इस मुद्दे पर अल्पावधि चर्चा के दौरान हम भी वे ब्यौरे देने के लिए तैयार हैं, जो कि माननीय मंत्री चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें तैयार रखें, क्योंकि जल्द ही आपको मुझे वे देने होंगें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

*(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1846/2005)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, गुस्ताखी माफ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आगे कहिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : सुनामी के कारण हुई तबाही के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो कमिटमैंट्स किए थे, वे कब पूरे होने जा रहे हैं? कहा गया था कि पीड़ित लोगों को मकान बना कर दिए जाएंगे। उन्हें कब तक बना कर दिया जाएगा।?

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति : अध्यक्ष महोदय, अस्थायी राहत कार्य चल रहा है और हम स्थायी राहत कार्य करने के लिए सबकुछ करने जा रहे हैं।

अपराह्न 12.09 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपकी जानकारी के लिए पिछले सप्ताह अर्थात 14 मार्च 2005 से 19 मार्च 2005 के दौरान सभा में हुई कार्यवाही की प्रमुख मदों का सार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

प्रस्तुत किए गए 100 तारांकित प्रश्नों में से 22 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया। 1097 अतारांकित प्रश्नों सहित शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

इस अवधि के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के 94 मामले प्रश्न-काल के पश्चात् उठाए गए। सदस्यों ने नियम 377 के अधीन अंतर्गत भी 67 मामले उठाए।

हमने महत्वपूर्ण वैधानिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करने और

उन्हें पारित करने के लिए 43 घंटों से भी अधिक समय लिया। सभा ने वर्ष 2005-2006 के बजट रेल और सामान्य बजट पर आम चर्चा करने के अतिरिक्त, वर्ष 2005-2006 के लिए लेखाअनुदान की मांगे (रेल) और (सामान्य) तथा वर्ष 2004-05 की अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) और (सामान्य) तथा संबंधित विनियोग विधेयकों को भी पारित किया। सभा में वर्ष 2005-06 के लिए गोवा और बिहार राज्य के लिए बजट पर सामान्य चर्चा की गई और वर्ष 2005-06 के लिए उनके संबंधित लेखाअनुदान मांगो और वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों तथा संबंधित विनियोग विधेयकों को पारित किया गया। सभा ने गोवा और बिहार राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी क्रमशः दिनांक 4 मार्च 2005 और 7 मार्च 2005 को जारी उद्घोषणा के अनुमोदन संबंधी संकल्पों को स्वीकार किया।

विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों द्वारा सभा में 15 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

यद्यपि पिछले सप्ताह व्यवधानों और बाध्य होकर किये स्थानों के कारण बेशकीमती 51 मिनट खराब हुए तथापि सभा ने सरकारी कार्यों की महत्वपूर्ण मदों पर कार्रवाई पूरी करने के लिए 12 घंटे 26 मिनट तक अतिरिक्त कार्य किया।

मैं माननीय सदस्यों की उनके द्वारा दी गई सहायता और सहयोग के लिए प्रशंसा करता हूं और मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में उन की और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर पायेंगे जिन पर देश की जनता चाहेगी कि हम उनका हल ढूंढने के लिये विचार करें।

मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं युवाओं विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से सम्बद्ध अभ्यर्थियों और महिलाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित रखने के प्रयासों के प्रति चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं। यह एक बेहद गंभीर मामला है। यह अलग समिति और होता समिति की सिफारिशों पर आधारित है जिसके अनुसार आई ए एस और आईपीएस पदों के इच्छुक अभ्यर्थियों, जो सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हैं, की अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 25, 26 वर्ष कर देना चाहिए। इसी प्रकार केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के चयन में हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य योग्यता बना दिया गया है जिससे हिन्दी भाषी राज्यों के अभ्यर्थियों को इससे वंचित होना पड़ा है।

आई ए एस और आई पी एस परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा को घटाना न केवल रियायतें समाप्त करने के बल्कि अधिकारों को वापिस लेने के समान है। पिछले 10 वर्षों से ही सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम आयु सीमा को घटाना उनके अवसरों को कम करना होगा।

माननीय कार्मिक राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी ने अपने 2 मार्च 2005 के लिखित उत्तर में बताया था कि ऐसी सिफारिश की गई हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केवल यह कहना पर्याप्त नही है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं केन्द्र सरकार को तो सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा को घटाने की किसी भी चेष्टा को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्योंकि अब एकदम से आयु सीमा घटाना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस सभा में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा अहिन्दी भाषी लोगों को दिए गए आश्वासन कि जब तक वे चाहेंगे हिन्दी को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, को यथावत बनाए रखा जाए। अभी तक केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के चयन में हिन्दी का ज्ञान मात्र 'वांछनीय' योग्यता थी। रोजगार विज्ञापन इसी तरह दिए जाते थे। लेकिन नवीनतम रोजगार विज्ञापनों में द्विभाषी क्षमता पर अनिवार्य योग्यता के रूप में जोर दिया जाता है। इससे अहिन्दी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु के युवाओं से केन्द्रीय विद्यालय में रोजगार के अवसर छिन जाते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के इस वादे कि हिन्दी थोपी नहीं जाएगी, के विरुद्ध हिन्दी जबर्दस्ती थोपी जा रही है। उन्होंने यह आश्वासन तब दिया था, जब तमिलनाडु जैसे राज्य प्रबल विरोध कर रहे थे। हम अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपे जाने के विरोध में तमिलनाडु में हो रहे आन्दोलन को अनदेखा नहीं कर सकते। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा को घटाने के लिये किए जाने वाले किसी भी प्रयास को प्रतिबंधित किया जाए। इसी प्रकार, अहिन्दी भाषी राज्यों के अभ्यर्थियों पर अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी न थोपी जाए।

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम) : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक ऐसे विषय को सदन में उठाना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के साथ जुड़ा हुआ हैं आज देशभर में बाघों की निन्दाजनक हत्या की जा रही है। हमारे जंगल सुनसान हो चुके हैं आज पूरे देश में बाघ की गर्जना सुनाई नहीं दे रही है। मृत बाघ जीवित बाघ से ज्यादा दाम का बिकता है। हिन्दुस्तान टाइम्स पेपर की रिपोर्ट के अनुसार यह विदित है कि शिकारी आज शिकार बन चुका है। आज बाघ का चमड़ा 50 हजार रुपये में बेचा जाता है, दांत 5 हजार रुपये में, उसका नाखून 450 रुपये में और उसकी हड्डी 18 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से बची जाती है। यह क्यों? क्योंकि बाघ के विषय में कोई लॉबी नहीं है, बाघ के विषय में कोई इंटरेस्टिड ग्रुप नहीं है, इस कारण आज बाघों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपस में बातचीत न करें।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आज वन्य जीवों का गैरकानूनी व्यापार 12 बिलियन डालर का बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में मृत बाघ का दाम तीन लाख रुपये हो चुका है और एक बाघ को मारने के लिए केवल 40 रुपये खर्च होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो बाघ को मारते हुए वन में पकड़ा जाता है, उसे केवल एक से छः साल की सजा मिलती है और जो वन के बाहर पकड़ा जाता है, उस पर केवल 3 साल की सजा या 25 हजार रुपये का फाइन होता हैं सौ साल पूर्व हमारे देश में चालीस हजार बाघ होते थे। लेकिन आज हमारे देश में केवल तीन हजार बाघ बाकी हैं। इंदिरा जी ने इस स्थिति को देखकर वर्ष 1972 में एनवॉयरमैन्ट प्रोटैक्शन एक्ट तथा फारेस्ट एक्ट लागू किया था। इसके अलावा टाइगर प्रोजैक्ट की शुरुआत भी की थी। राजीव जी चाहते थे कि वन्य जीवों और जंगलात के लिए अलग से मंत्रालय बने। आज चाहे आप रणथम्भौर देख लीजिए, सरिस्का देख लीजिए। कहीं पर भी हमें बाघ दिखाई नहीं देंगे, उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया हैं पूरे देश में चाहे इंद्रावती हो, दुधवा हो, कान्हा हो, बांधवगढ़ हो, कहीं बाघ दिखाई नहीं देते। बांधवगढ़ में छः बाघ मारे गये। पन्ना में, पैंट में, सतपुड़ा में पूरे देश में यहीं हालत हैं मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने इस बारे में जो नीति बनाई है, एक बोर्ड सैट अप किया है तथा सी.बी.आई. इंक्वायरी सैट अप की है। इसके अलावा नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवैन्शन और कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एक साथ इस गंभीर विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करना होगा और केवल ध्यान ही आकर्षित नहीं करना होगा, बल्कि इस बारे में कार्य भी करना होगा। यदि हमारे देश में हमारा राष्ट्रीय जानवर ही जीवित नहीं रहेगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि वन्य जीवों और जंगलात के लिए जल्द से जल्द अलग से मंत्रालय बने तथा राष्ट्रीय उद्यानों को केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग बाघों का शिकार करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें कानूनी रूप से सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आप बैठे-बैठे इतने बातूनी कैसे हो गये हैं। आपको युवा और उत्साही सदस्य का इस अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने पर सराहना करनी चाहिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं भी इस मामले के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सारी सभा इससे सम्बद्ध है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाबहन ठक्कर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सदस्य जिनका नाम पुकारा गया है भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के अनुभव की अत्याधिक सराहना करता हूं, परन्तु थोड़े नियंत्रण में।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे गुजरात शहरी सुधार परियोजना से संबंधित यह अति महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दी।

गुजरात सरकार विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक शहरी सुधार परियोजना लागू कर रही है यह परियोजना किसी न किसी कारणों से विलंबित होती रही। मैं केन्द्र सरकार से अत्यधिक विलंब को रोकने के लिए इस मामले को सुलझाने में सहायता करने का अनुरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, जो कुछ उन्होंने कहा, आप उससे स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, राजस्थान में जो रणथम्भौर में बाघ परियोजना है, वहां बहुत से मंदिर हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला केवल राज्यों तक सीमित नहीं है इसमें राजनीति बीच में नहीं लानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें राजनीति नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री सिंधिया, कृपया बैठ जाइए मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप सहयोग करने वाले सदस्य है। मैंने आपसे कहा है कि आप स्वयं को इसके साथ सम्बद्ध कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सर, रणथम्भौर बाघ परियोजना में से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर जाता है वहां बहुत से गांव है, जहां के लोग शिकार करते हैं। वहां पानी का अभाव है। वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए और मुझे सहयोग दीजिए मैं यथा संभव अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : महोदय, पिछले छह हफ्तों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र से नौ मछुआरे लापता हैं। अब ऐसी खबरें मिली हैं कि वे पाकिस्तानी जेलों में बंद है। चूंकि मछुआरे अपनी मत्स्य नौका में घूमते हैं, उनकी नौकाएं तेज हवाओं और जलधाराओं के कारण दूर भटक जाती हैं अब 'प्रिया' नामक, नौका जिसमें नौ मछुआरे सवार थे, इस वर्ष 10 फरवरी से लापता हैं ऐसा पता चला है कि पाकिस्तानी नौसेना ने इन निर्दोष लोगों को हिरासत में रखा हुआ है।

महोदय, पाकिस्तानी जेलों में बंद इन बद किस्मत लोगों को यथाशीघ्र रिहा कराया जाए। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ती पर रोक लगनी चाहिए। अत: मैं विदेश मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ उठाए और इन अभागे मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करें।

श्री आर. प्रभु (नीलगिरि) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गुडालूर और पंडालूर जिले में लगभग 20,000 परिवारों को निकाला जा रहा हैं उनकी जीविका खोने का खतरा है। यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि तमिलनाडु में 1969 में जनमम एबोलिशन एक्ट पारित किया गया था और राजस्व विभाग ने उस क्षेत्र में लगभग

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

80,000 एकड़ भूमि को अधिग्रहीत किया था। जिन लोगों के पास जनमम अधिनियम के समय इन भूमि के पट्टे थे, को भूमि का मूल्य चुकाने और पट्टे से संबंधित दस्तावेन प्रस्तुत करने पर भूमि के पट्टे दे दिए गये थे। परंतु जो लोग भूमि का मूल्य नहीं चुका पाए उन्हें वहीं रहने और खेती करने की अनुमति दी गयी थी। वे लोग भूमि कर दे रहे हैं, बिजली और पानी के बिल भर रहे हैं। वे वहां 40 सालों से रह रहे हैं। अब इस प्रकार की भूमि को भूमि से संबंधित धारा 17 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। साथ ही बंजर भूमि के सामान्य ग्रामीण चारागाहों का मूल्यांकन किया गया था और जनमम अधिनियम, की धारा 53 और वन अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 'वनभूमि' के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया।

मैं केन्द्र सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप करने और यह देखने का आग्रह करता हूं कि धारा 17 के अंतर्गत आवेदन उच्चतम न्यायालय द्वारा 2002 में ऐसा निर्देश दिया गया था - की जांच की जाएं और उन लोगों को पट्टा दिया जाए जिन्होंने इसके लिए आवेदन दिया है महोदय, 65,000 ओवदन लंबित है और वन अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत गलत वर्गीकृत की गई भूमि से लोगों को निष्कासित किया जा रहा है।

मैं यहां इस बात को दोहराना चाहता हूं कि दिल्ली से पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति इस भूमि का निर्धारण करने और यह देखने के लिए कि उचित मूल्यांकन किया गया है वहां भेजी जानी चाहिए। ये गरीब लोग है जिनके पास 10, 20 सेंट और एक एकड़ भूमि हैं ये लोग 40 सालों से वहां रह रहे हैं। वे लोग सारे राजस्व चुकाते रहे हैं परंतु अचानक बुलडोजर और टैक्टर आए और उन्हें उनकी भूमि से निष्कासित कर दिया गया। अगर आप इस स्थान का मुआयना करेंगे तो पाएँगे कि 20 एकड़ की पट्टा भूमि के बीच में एक एकड़ की वन भूमि हैं। ऐसी बात कभी सुनी नहीं गई है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस भूमि का पुनर्निधारण किया जाए और सरकार यह देखे कि निष्कासान शीघ्र बंद हों।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अपारंपरिक ऊंजा स्रोतों की क्षमता और उत्पादन में भारी अंतर है। 21वीं सदी में भी हमें कच्चे तेल पर ही निर्भर रहना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे देश में हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दें। विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका मुख्य कारण फॉसिल फ्यूल जनरेशन सिस्टम और ग्रीनहाउस गैस ऐमिशन है। क्यूटो प्रोटोकॉल में हमारे देश ने इस पर हस्ताक्षर भी किये हैं और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, 2003 में इलैक्ट्रिसिटी एक्ट पास हुआ है और उसमें प्रावधान था कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रेतों को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्व सरकार ने देश के 357 जिलों में एनर्जी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई थी। इन एनर्जी पार्कों की स्थापना कृषि विज्ञान केन्द्रों में होनी थी जिसकी फंडिंग आईसीएआर के माध्यम से होनी है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि वित्त मंत्री जी जो सैन्सैक्स मंत्री भी कहे जाते हैं, उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा अपने बजट भाषण में नहीं की और लगता है कि सरकार इसके बारे में गंभीर नहीं हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वित्त मंत्री जी को आदेश दें कि देश के 357 पिछड़े जिलों में जो एनर्जी पार्कों की स्थापना करनी है, उसके लिए पर्याप्त धनराशि दें जिससे हमारे देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन बढ़े।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : मैं भी अपने आपको इस बिल से एसोशिएट करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, मैं सभा का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। वर्तमान में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरभाष के लिए किराया शुल्क क्रमश: 200 और 500 रुपये हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों के वर्गीकरण हेतु अपनाया गया मानदंड है कि एक लाख टेलिफोन कनेक्शन तक क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र समझा जाता है, और एक लाख से अधिक कनेक्शन वाले क्षेत्र को शहरी क्षेत्र समझा जाता है।

केरल में ग्रामीण इलाकों में भी अधिकांश घरों में टेलिफोन की सुविधाएं है। इस राज्य की स्थिति को देखते हुए एक लाख और उससे अधिक टेलिफोन कनेक्शन के आधार पर ग्रामीण शहरी वर्गीकरण व्यावहारिक नहीं हैं अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उपभोक्ता निम्न मध्यम वर्ग और कृषक समुदाय से संबंधित हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया हैं क्योंकि टेलिफोन की संख्या एक लाख की सीमा से अधिक हो गयी है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिक अर्थात 300 रु. किराया शुल्क अदा करना पड़ रहा है। चूंकि अधिकांश ग्रामीण परिवारों की सीमित आय है किराए में अत्यधिक वृद्धि उनके सामर्थ से बाहर है जिसके परिणामस्वरूप इनमें से अधिकांश उपभोक्ता टेलिफोन कनेक्शन की सुविधा का लाभ न उठाने को बाध्य हैं, जिससे सरकार

[श्रीमती सी.एस. सुजाता]

के अधिक ग्रामोण क्षेत्रों को दूरसंचार से जोड़ने के उद्देश्य पर विपरित प्रभाव पड़ा है।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि केरल की स्थिति को एक विशेष मामला माने और विद्यमान ग्रामीण क्षेत्रों में जहां टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या एक लाख से अधिक है उन्हें दो भागों में विभक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा है। क्या आप यह मुद्दा उटाने के इच्छुक हैं?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : जी हां, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पटना में कुम्हरार के पास चार-पांच महत्वपूर्ण कालोनियों - न्यू कुम्हरार, नया टोला, शिवाजी कालोनी, टीचर्स कालोनी, चाणक्य कालोनी, की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां लगभग एक लाख आबादी रहती है और लगभग डेढ़ हजार मकान हैं। अभी हाल में पुरातत्व विभाग के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि इन कालोनियों की वजह से पुरातत्व विभाग का अवस्थित कुम्हरार को जो अवशेष है, वह प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए एक आदेश पारित किया गया है कि कुम्हरार के अगल-बगल के तीन सौ मीटर के इलाके में सरकार द्वारा बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। वहां के लोगों की दशा काफी चिंतनीय है। वहां हड़कंप मचा हुआ है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, करीब 25-30 वर्षों से ये कालोनियां बसी हैं। मैं समझता हू कि वहां गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास अपनी जगह भी नहीं है ओर बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए सरकार के माध्यम से अगर ये कालोनियां हटा दी जाएंगी, तो लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। लोग आक्रोशित हैं। आंदोलन हो रहा है, इसलिए मैं मानव संसाधन मंत्री से निवेदन करता हूं कि पुरातत्व विभाग को निर्देश दे कि वह ऐसा न करे। अगर इन कालोनियों के माध्यम से प्रदूषण फैला होता, तो सैंकड़ों वर्षों से गांव और मकान हैं, वे भी प्रदूषित होते। यह साजिश करके जान-बूझ कर गरीब लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा हैं मेरा निवेदन है कि वहां के लोगों की स्थिति पर मंत्री महोदय ध्यान दें, ताकि वहां के लोग बेघर न हों। वहां डेढ़ हजार मकान और सैकड़ों झौपड़ियां हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। उनके पास रहने के लिए दूसरी जगह कहीं भी नहीं है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और आदेश दें कि कोई भी व्यक्ति वहां से उजड़ न पाए तथा गरीब जीविका उपार्जन करने के लिए काम कर सकें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा आपका विषय किसी अन्य देश से संबंधित है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वहां सेना में और विद्रोहियों में झड़प हो रही है। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। किंतु वहां एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिसके अंदर सैकड़ों लोग थे। वहां एक रॉकेट अटैक में 17 हिंदू मारे गए। हम केवल यह चाहते हैं कि भारत सरकार उनसे बातचीत करे। वहां कम-से-कम मंदिर में जब लोग होते हैं तो आपस के हमले या रॉकेट अटैक से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कहीं भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

अब श्री अमिताभ नन्दी। क्या आप अपने स्थान पर हैं? क्या आप तैयार है या नहीं, श्री नन्दी। फिर मैं, किसी अन्य माननीय सदस्य को बुलाऊं।

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम) : मैं तैयार हूं, महोदय।

महोदय, मैं यहां सरकार का और विशेषकर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान बैंक अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। आज बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अनुचित विलम और उनमें 74 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर उनका निजीकरण करने के प्रयास के विरोध में हड़ताल पर हैं।

भारत सरकार की वर्तमान नीति विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में स्वतंत्र रूप से भूमिका निभाने की अनुमति प्रदान करती है। इस

हड़ताल का समर्थन करते हुए, मैं केन्द्र सरकार से उनकी बैंकिंग क्षेत्र की नीतियों की शीघ्र समीक्षा करने की मांग करता हूं

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : हमें वाणिज्यिक बैंकों के साथ-विलय की अनुमति नहीं देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री खान, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है श्री नन्दी, और आप बैठ भी चुके हैं। पर, अचानक आप अपने मित्रों के उकसावें में आ गए है।

कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। तब तक मैं कार्यवाही संचालित कर लूं। श्री दासगुप्त, कृपया आप भी बैठ जाइए। विषय के महत्व को देखते हुए मैं आपको अनुमति दूंगा। अन्यथा, मैं, 'आपको संबद्ध' करने के लिए कहता। किंतु आप सहयोग नहीं कर रहे हैं इसका मुझे अफसोस है। ऐसे में मैं किसी को अनुमति नहीं दे सकूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, पूरे भारत में आज हड़ताल हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, इसी सप्ताह में आप पहले ही एक विषय को उठा चुके हैं। अब आप संक्षेप में अपने आपको संबद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। कृपया मुझे भी बोलने का अवसर प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि आप सहयोग नहीं करेंगे, तो आपको मुझसे कोई मौका नहीं मिल सकेगा, यह तय है।

(व्यवधान.)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, देश की आर्थिक गतिविधि में एक ठहराव सा आ गया है। प्रयास के बावजूद भी यह पटरी पर नहीं आ सकी हैं इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस मामले मे हस्तक्षेप करें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। मुझे भी समय देने की कृपा करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक साथ नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। उस तरह कार्यवाही में व्यवधान नहीं डाला जा सकता कृपया बैठ जाइए। मैं महम्वपमर्ण विषयों पर सभा के सभी पक्षों के लोगों को मौका देने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, हड़ताल किसी भी कीमत पर लंबी नहीं चलनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पहल करनी चाहिए कि बैंकिंग क्षेत्र में सामान्य रूप से काम-काज बहाल हो मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मौके पर पहल करेगी क्योंकि आम नागरिक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस मामले की विशेषताओं में नहीं जाना चाहता, पर ऐसी स्थिति में यह सरकार को सुनिश्चित करना है कि सामान्य काम-काज बहाल हो, और बैंक कर्मचारियों की शिकायतें दूर हों। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि इसका शीघ्र ही हल हो तो 24 घंटे में निपटारा हो जाए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मैं लोक महत्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं। यह सभी बैंक कर्मचारी एसोसिएशनों द्वारा बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल आंदोलन से संबंधित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं, जो कोई व्यवधान डालेगा उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यह अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने का तरीका नहीं है।

श्री अजय चक्रवर्ती : आज हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल को सेंट्रल ट्रेड यूनियन का भी समर्थन प्राप्त है। यह न केवल बैंक कर्मचारियों की, बल्कि मैं समझता हूं कि बहुसंख्य जनता की मांग है कि इस तरह का कोई विलय नहीं होना चाहिए। उनकी मांगे हैं कि सार्वजनिक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

क्षेत्र के बैंकों का कुछेक बड़े बैंकों में विलय नहीं होना चाहिए; हमारे बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का असूचीबद्ध और असीमित प्रवेश नहीं होना चाहिए; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की साम्यपूंजी में कटौती नहीं होनी चाहिए, और एनपीए बड़े एकाधिपत्य घरानों द्वारा लिए गए ऋणों की वसूली के लिए बड़े उपाय किए जाने चाहिए।

बैंक कर्मचारियों की अनेक मांगें हैं और वे सभी मांगें सार्थक ओर न्यायोचित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग देश के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।

इसलिए, महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे बैंक कर्मचारी एसोसिएशनों की हड़ताल पर गौर करें उनकी मांगों पर एक आम राय बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए कार्रवाई करें, और यह पूरे देश के हित में है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, प्रेस में छपा है कि निजी क्षेत्र के 31 बैंकों में, जहां 31 मार्च, 2004 तक लगभग 3000 करोड़ रुपए की पूंजी और 3 लाख करोड़ रुपए की जमा पूंजी है, 74 फीसदी की विदेशी इक्विटी की अनुमति देने से देश वासियों की इस विशाल बचत का नियंत्रण विदेशी हाथों में चली जाएगी। इसलिए, आज एक मिलियन बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं और बैंक का सारा कारोबार ठप्प हो गया हैं सरकार की ओर से दो विरोधाभासी वकतव्य आए हैं– एक तो प्रधान मंत्री कार्यालय से है जिसमें कहा गया है कि वह इस पहल का विरोध कर रहे है ओर दूसरा जिसमें कहा गया है कि वह इसका समर्थन कर रहे हैं महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सरकार इस सभा में आएं, सभा को विश्वास में लें और इस समस्त मुद्दे पर एक वक्तव्य दें।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मुद्दा केवल बैंक कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल नहीं है। संसद को यह जानना चाहिए कि हड़ताल देशभर में पूर्ण सफल रही है और इस हड़ताल में सभी यूनियनों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर भाग लिया है मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि बैंक कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार बैंकों का निजीकरण करने पर आमादा है, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लाभकारी बैंकों का विनिवेश करने पर अडिग है और यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय करने पर अड़ी हुई है, तो देश में हड़ताल लंबी खींचेगी। मैं सेंट्रल ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं देश के ट्रेड यूनियनों की ओर से आपको बता सकता हूं कि सभी ट्रेड यूनियन बैंकों और बैंक कर्मचारियों के साथ ही रहेंगे।

क्या मैं इस नाजुक स्थिति में सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार बैंक कर्मचारियों से दो-दो हाथ कर रही हैं? क्यों वह देश के ट्रेड यूनियनों से झगड़ा मोल ले रही है?

मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कल से देश के साधारण बीमा क्षेत्र में दो दिन की हड़ताल होने जा रही है। आज भी पार्लियामेंट स्ट्रीट में हजारों कर्मचारी देखे जा सकते है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि संप्रग सरकार की नीति क्या हैं यदि आप पूर्ववर्ती सरकार के ही - पदचिन्हों पर चल रहे हैं तो यह तय मानिए कि हम आपका न केवल संसद में, बल्कि संसद से बाहर सड़कों पर विरोध जताएंगे। देश में न जाने कितने हड़तालें होंगी ...*(व्यवधान)*

सरकार अवसर सभा में वक्तव्य देकर मांगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यदि वे विपक्ष का जवाब दे रहे है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। सदन के नेता अभी सभा में उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख दी।

श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस पूरे मामले पर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है। सरकार सभा में वक्तव्य क्यों नहीं देना चाहती है? यह सरकार द्वारा कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरता जाना है। सरकार को यह मानकर नही चलना चाहिए कि उन्हें अपने समर्थक दलों से हर कार्य में समर्थन ही मिलेगा। हमने सरकार को समर्थन देने के लिए खाली कागज पर हस्तक्षर नहीं किए हैं। यह उनका कार्य करने का तरीका नही हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री जोवाकिम बखला

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण इश्यु है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री बखला

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस पार्टी और सीपीएम क्या कर रही है, ये बताएं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब और कुछ भी कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह समस्या है। आप हमेशा ऐसा करते रहते है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जा रहा हैं आपने अपना विरोध दर्ज कर दिया है। अब कृपया बैठ जाएं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह इस मुद्दे के महत्व के कारण ही कि मैंने और लोगों को बोलने का मौका दिया। अन्यथा मैंने आपसे केवल स्वयं को मुद्दे से संबद्ध करने के लिए ही कहा होता। इसलिए इसे इस तरह से मुद्दा न बनाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप को अनावश्यक रूप से जटिलताएं पैदा कर रहे है? आपने अपनी बात कह दी है।

अब, श्री बखला।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान में लगभग दस लाख बैंक कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल उत्तेजित करने से कोई लाभ नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मल्होत्रा साहब, आप बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री बखला का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और कुछ भी नहीं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्या आप यह सोचते हैं कि सभा को नियंत्रित करना आपका कर्त्तव्य है। फिर आप इस स्थान से हट जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने छह से सात माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दी है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। श्री बखला के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, आज जो हड़ताल हुई है, वह बैंकों के प्रस्तावित विलय के विरोध में की जा रही है। हड़ताल का एलान बैंक कर्मचारियों के संगठन यूनाइटिड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री उदय सिंह, आप कृपया बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्ता, कृपया उत्तर न दें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यहां पर क्या हो रहा है? आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक वरिष्ठ सदस्य है। आप रास्ते में खड़े हैं और वहां पर चिल्ला रहे हैं। मैंने आठ माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी तुलना में उनके ज्यादा निकट हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे, सब काट देंगे। हमने काट दिया है आप जाकर बैठ जाइये, कट जायेगा। क्या यहां मजाक चल रहा है?

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जोवाकिम बखला : अध्यक्ष महोदय, आज देश भर के सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल बैंकों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और बैंकों के प्रस्तावित विलय के फैसले के विरोध में की जा रही है। हड़ताल का ऐलान बैंक कर्मचारियों के शिखर संगठन यूनाइटिड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया है। सरकारी और गैर सरकारी बैंक इसमें शामिल हैं और इस हड़ताल में अंश ग्रहण करने वाले सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी, जिनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है, आज चिन्तित हैं। सार्वजनिक बैंकों का और दूसरे बैंकों का विलय करने का जो फैसला सरकार लेने वाली है, उस फैसले का विरोध करने के लिए आज बैंक कर्मचारी एवं उनके अधिकारी हड़ताल पर उतरे हुए हैं। सरकार का 74 परसेंट डायरैक्ट फारेन इन्वेस्टमेंट बैंक में चालू करने के बाद बैंकों का विलय करने का जो फैसला आने वाला है, इसका विरोध पूरे हिन्दुस्तान में आज बैंक कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी एवं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस विषय पर जो कर्मचारी एवं अधिकारी आज हड़ताल पर उतरे हुए हैं, उनकी मांग पर पुनर्विचार करते हुए सरकार* को सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांग को स्वीकार करने का काम करना चाहिए धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। क्या इस विषय के महत्व पर बल देने का यह तरीका है कि एक दूसरे की बातों में व्यवधान डाला जाए? यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और आप अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से इसके महत्व को कम कर रहे हैं यह बात सभी पक्षों पर लागू होती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, जनरल इन्श्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों के संगठन ने भी हड़ताल का नोटिस दे दिया है। जनरल इन्श्योरेंस कंपनियों के 80 हजार कर्मचारी सारे देश में आन्दोलित हो चुके हैं, सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा धीरज रखिये, हम देखेंगे। आपका नाम आयेगा तो आपको बुलाएंगें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सरकार की तरफ से भी कोई वक्तव्य आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप जानते हैं कि मैं सरकार को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आप बाहर से उन्हें राजी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती, आप अगर बोलना चाहते हैं तो अपनी जगह पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : मेरे संसदीय क्षेत्र बिल्हौर में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कानपुर में नेशनल हाइवे संख्या दो का निर्माण एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनी रहने दें। यहां किसी का भी एकाधिकार नहीं है। कृपया कोई कानाफूसी नही करें और आपस में बातचीत न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : उस नेशनल हाइवे पर औद्योगिक क्षेत्र रनिया के पास औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाने के कारण जो छोटा-सा ड्रेनेज बना था, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र का कैमिकल युक्त पानी कृषियुक्त क्षेत्रों में और आवासीय मकानों के आस-पास जमा है। आसपास के जानवर बड़े पैमाने पर प्रदूषित पानी पीने के कारण मर रहे हैं तथा वहां प्रदुषित जल जमाव के कारण हैंडपंप और कुओं का पानी भी प्रदूषित हो गया है। जिससे तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो गई हैं। जिससे क्षेत्र में पूरी तरह से तनाव है। इस संबंध में मैंने माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन किया था कि एनएचएआई को वे निर्देश दें कि उसने जो पहले कमिटमेंट किया था, उस ड्रेनेज को बनाने का काम करें। सीटीबीटी ने जो वहां ड्रेनेज बनाने के लिए प्रस्ताव किया है उसमें यह शर्त रखी है कि अगर ड्रेनेज का निर्माण होगा तो सीटीबीटी प्लांट वहां लगेगा। आपके माध्यम से जनहित को देखते हुए उक्त क्षेत्र में प्रदूषित जल जमाव के कारण वहां के जानवर मर रहे हैं। आम आदमी प्रदूषित पानी पीने के कारण बीमारियों का शिकार हो रहा है। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके जनहित को देखते हुए वहां पर ड्रेनेज बनवाने के लिए निर्देश देने का काम करें, जिससे जन-जीवन सामान्य हो सके और जानवरों को मृत्यु के काल से बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, देश में जो निजी बीमा कंपनियां हैं, वे बड़ी मात्रा में अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन और पैकेज दे रही हैं लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी सरकारी बीमा कंपनियां हैं जैसे नेशनल इंशयोरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंशयोरेंस कंपनी, जनरल इंशयोरेंस कंपनी, ओरियंटल इंशयोरेंस कंपनी है, इनके कर्मचारियों के वेतन का जो पुनरीक्षण होना चाहिए था, वह सन् 2002 से पैंडिंग पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

अध्यक्ष जी, जहां तक बैंकों का सवाल है बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए 13.25 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन जो साधारण बीमा कंपनियां हैं उन्होंने केवल 8.5 प्रतिशत का ही ऑफर दिया है और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, जबकि जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जो हर साल 15 हजार करोड़ के बीमा प्रीमियम की उपलब्धि कराते हैं, इनके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा है। इन चारों बीमा कंपनियों एक समन्वय ईकाई बनाई गई है जीआईपीएसए (जिप्सा) जिसका खुद का कोई बीमा व्यवसाय नहीं है ओर न ही कोई न्यायिक या नियंत्रक प्राधिकरण है। वह बार-बार यह कह रहा है कि हम 8.5 प्रतिशत से ऊपर नहीं दे सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी खत्म कीजिए। जो आप कहना चाहते हैं, वह कहिए। श्री गुढ़े, यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री अनंत गुढ़े : मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो बीमा कर्मचारी हैं उनको 25-25 साल काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं दिया गया है।

उनकी कई जगह ट्रांसफर कर दी जाती है। उनके ऊपर लाखों रुपये खर्च होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए और वित्त मंत्रालय इस बारे में विचार करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी को देख रहा हूं जो सभा में व्यवधान पैदा कर रहे है। उन्हें इसका समुचित जवाब दिया जाएगा।

श्री अलकेश दास (नबद्वीप) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस वर्ष 12 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न के प्रापण का निर्णय लिया है। परंतु मुझे आशंका है कि यह प्रयास असफल होने जा रहा है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारी ने इसके अधीन आने वाले जिलों की संख्या 19 से कम कर 11 करने का निर्णय लिया है। वास्तव में, इन जिलों के माध्यम से जिन डिपुओं के प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी का विकेन्द्रीकरण किया गया था, उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कुठाराघात होगा वे दिनजपुर के जिला कार्यालय को बंद कर रहे है जिसकी प्रापण दर पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पर है उत्तरी बंगाल में वे पांच जिलों को दो में आमेलित कर रहे है और कोलकाता नॉर्थ 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद आदि जैसे बड़े जिलों का विलय कर रहें हैं। सभी प्रबंध हो गए हैं और वे इस नीति को 31 मार्च, 2005 से कार्यान्वित करने जा रहे हैं, पदोन्नति और स्थानांतरण रोक दिए गए हैं। यद्यपि जिलों में जो डिपु है वे जनसंख्या की तुलना में, चावल के प्रापण के सहज उगाही का प्रबंध करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा केन्द्र सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्गों के लिए खाद्यान्न की मांग की तुलना में, शून्य भंडारण क्षमता या अपर्याप्त क्षमता के हैं। परंतु अब इन खाद्य गोदामों को भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों द्वारा बंद किया जा रहा है ये पांडीयारा, गोपालपुर, खारदाह, केलविन, केनिंग, डायमंड हार्बर, काकीनाडा, आदि जिलों में ये निष्क्रिय नहीं होने जा रहे है या किराए से हटा नहीं दिए जा रहे है।

मै आपके माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और भा.खा. निगम को इस खतरनाक जन-विरोधी कदम उठाने से रोकें।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : महोदय, जैसा कि आप जानते है औद्योगिक विकास के मामले में असम एक बहुत पिछड़ा राज्य है। हमारे औद्योगिक पिछडेपन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 के प्रसिद्ध असम समझौते के अनुसार बोंगाइगांव स्थित अशोक कागज मिल को पुनः खोले जाने का वायदा किया था। इस संबंध में 65 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी और असम सरकार ने हैदराबाद के शंघई समूह के साथ इस मिल को पुनः खोलने के लिए समझौता किया। परंतु बाद में यह सूचना दी गयी कि धनराशि का दुरुपयोग किया गया। इस संबंध में अब तक कुछ नहीं किया गया है। भारत सरकार भी कार्यान्वियन की निगरानी करने के मामले में असफल रही यही कारण है कि, मैं यह कहता हूं कि यह असम राज्य के लिए बहुत गंभीर मामला हैं हजारों कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य असम समझौते में सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं किए जाने के कारण अनिश्चितता में जी रहे है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर तत्काल विचार करे और असम समझौते में किए गए वादे को पूरा करने के लिए अशोक मिल को पुनः चालू करने के लिए सभी संभव कदम उठाए। यदि यह तत्काल किया जाता है तो असम के लोग विशेषकर राज्य के युवाओं को काफी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि अलग-अलग प्रधानमंत्रियों द्वारा अलग-अलग समय पर असम के औद्योगिक विकास के लिए कई वादे किए गए। परंतु इस वादे के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। संबंधित मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले को आपात मामला मानें और आवश्यक कार्रवाई करें।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय हिन्दुस्तान मशीन टूल्स हमारे देश के प्रमुख सरकारी उपक्रमों में से एक है जिसकी देशभर में, श्रीनगर से केरल तक छह इकाईयों हैं। इसके कार्मिक बहुत कष्ट में है। पिछले नौ वर्षों से इनके वेतन में संशोधन विलंबित हो रहा हैं पिछली बार 1992 में इसमें संशोधन किया गया था और 1996 में इसकी अवधि पूरी हो गयी। तब से लेकर यह लंबित है।

एक अन्य बहुत गंभीर मुद्दा है। यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में है। यह उनकी अपनी निधियों से दिया गया न कि 'नेशनल रिन्यूवल फंड' से। जहां तक प्रमुख सरकारी उपक्रमों का संबंध है यह सामान्यतया 'नेशनल रिन्यूवल फंड' से दिया जाता है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस कारण से लगभग 500 करोड़ रुपए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच एम टी) पर कर्ज चढ़ गए हैं। इस कारण से एच एम टी की सभी इकाईयां जिनमें केरल की एक इकाई भी शामिल है को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ये इकाईयां अब घाटे में जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार से अनुरोध करें कि वे इस मामले पर विचार करें।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : वास्तव में केरल में स्थित इकाई लाभ अर्जित करने वाली इकाई है। मैं यह कहूंगा कि सरकार इन मुद्दों विशेषकर कर्मचारियों के मुद्दे पर तत्काल विचार करें...*(व्यवधान)*। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और आवश्यक कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव) : अध्यक्ष महोदय, दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली में बिजली के प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज की बात चल रही है। लेकिन दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली में बिजली से हम हर साल 240 करोड़ रुपये का लाभ कमा कर केन्द्र सरकार को देते हैं। दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली में इलैक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज की प्रैजेंटेशन करने के लिए गृह मंत्रालय और दमन प्रशासन को क्या जरूरत है? दमन प्रशासन ने बिजली को प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज करने के लिए पावर ग्रिड कंपनी को 70 लाख रुपया कंसल्टिंग चार्ज दिया है। इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार जो कम्पनीज प्रॉफिट देती हैं, उनको प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हर साल 240 करोड़ रुपये लाभ कमाते हैं। जब अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में बिजली को प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज नहीं किया गया है तो दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली में इसको प्राइवेटाइज करने की क्या आवश्यकता है? गृह मंत्रालय और दमन प्रशासन इलैक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज करने के पीछे पड़े हैं लेकिन दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली की आम जनता, लेबर क्लास, सारे राजनैतिक और कर्मचारी संगठन, उद्योगपति, जन प्रतिनिधि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना विचार बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है।

[हिन्दी]

दाह्याभाई वल्लभभाई : मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रस्ताव को तुरंत रद्द किया जाये तथा इस संबंध में दमन प्रशासन को सीधा आदेश जारी किया जाये ताकि इस संघ शासित प्रदेश की आम जनता राहत की सांस ले सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि संक्षेप में कहें मैं पहले ही से 21 माननीय सदस्यों को अवसर दे चुका हूं प्रत्येक माननीय सदस्य बोलना चाहता है। यदि आप एक दूसरे को सहयोग दे तो हम कई सदस्य को अवसर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन चले और सभी आंदोलनों को आजादी के आंदोलन की मान्यता दी गयी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप हमें सिर्फ यह बताएं कि आप चाहते क्या है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : अध्यक्ष महोदय, एक कूका आंदोलन चला। मैं कूका आंदोलन के सिर्फ एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। कूका आंदोलन के कार्यकर्त्ताओं को तोप के सामने खड़ा करके जिंदा उड़ा दिया गया था। एक छोटे से बच्चे को इसलिए छोड़ दिया गया कि वह बच्चा है। लेकिन उसने कम्पेल किया कि मैं उनके साथ शहीद होना चाहता हूं। दूसरा, एक साथी था जिनका कद छोटा था। उससे कहा गया कि आप चले जाओ। लेकिन उसने ईंटें रखकर अपने आपको तोप के सामने खड़ा करके कहा कि मुझे इस तोप से उड़ा दिया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल मुद्दे का उल्लेख करें। यदि आप लंबा वक्तव्य देंगे तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : अध्यक्ष महोदय, आफसोस की बात है कि उस कूका आदोलन को आज तक आजादी का आंदोलन घोषित नहीं किया गया। पंजाबियों में खासकर जो नामधारी समुदाय हैं, उनमें विशेष रोष है। मेरी आपसे विनती है कि जो कूका आंदोलन है, उसको आजादी का आंदोलन घोषित किया जाये।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा और पिछड़ा हुआ प्रदेश है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल मुद्दे का उल्लेख करें। यदि आप लंबा वक्तव्य देंगें तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है आप उन्हें क्यों कह रहे हैं?

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे भी प्यास लग रही थी। कृपया शांत रहें।

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव : उत्तर प्रदेश की परिवहन और सड़क सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार द्वारा कई परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गये हैं लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण उत्तर प्रदेश का बहुमुखी विकास बाधित हो रहा है जबकि वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर सौ कि.मी. पर ट्राम सैंटर योजना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मद्देनजर मोटर ट्रेनिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव भी स्वीकृति के लिए भेजे गये हैं। लेकिन उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में इस दिशा में उपेक्षा हो रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)* राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की स्वीकृति की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर प्रदेश के बारे में है। राज्य संबंधी विषय यहां नहीं आते। अब और किसी बात की अनुमति नहीं है। मुझे खेद है। आप भली प्रकार से जानते हैं कि राज्य संबंधी विषयों पर यहां चर्चा नहीं की जाती। अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के उन आदिवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बारे में कहना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र में लाखों बच्चे कुपोषण से मरे जा रहे हैं। अभी अखबार में एक खबर आई है कि एक न्यूज पेपर "लोकमत" है जिसे कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद अकेले ही उस अखबार को चलाते हैं। महाराष्ट्र के मेलघाट में 25,000 बच्चे कुपोषित हैं, "ऐसा उन्होंने लिखा है। महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ 600 बच्चों की कुपोषण से मौत हुई है। अध्यक्ष जी चंद्रपुर, गडचिरोली व अन्यत्र जहां पर हजारों बच्चों की मौत हो रही है, राज्य सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जहां आदिवासी और गैर-आदिवासी बच्चे कुपोषित होने की वजह से मौत से जूझ रहे हैं, इनकी रक्षा करने हेतु केन्द्र सरकार को इसकी जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल भेजना चाहिए और स्थिति को जानकर कि जो बच्चे मौत से जूझ रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम और निधि बनाने की जरूरत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इनके साथ ऐसोशिएट करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इनके भाषण के साथ आपकी संबद्धता कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप यह जरूर जानते होंगे कि नेशनल इनस्ट्रयूमेंट लिमिटेड देश के श्रेष्ठ संगठनों में से एक है। इसमें कई अत्याधुनिक उपकरण भी है यह तैयार उत्पाद का निर्माण करता है जिनका प्रयोग राष्ट्र के प्रमुख संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है। अब नेशनल इनस्ट्रयूमेंट लिमिटेड बंद होने के कगार पर है। यह कार्य करना बंद कर चूकी है।

महोदय आप भी जानते है कि यह क्षेत्र मुख्यत: कोलकाता के शिक्षा केन्द्र के रूप में जाना जाता है जादवपुर विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान संस्थान और रसायनिक जीवविज्ञान संस्थान भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं अतएव, ऐसी स्थिति में नेशनल इनस्ट्रयूमेंट लिमिटेड, का सरकार को भी भरपूर फायदा उठाना चाहिए।

जादवपुर विश्वविद्यालय जो कि देश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है ने यह कहते हुए मंत्रालय को एप्रोच किया कि अपने शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों से एनआईएल का भरपूर और उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है। यह विषय पहले ही उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केन्द्र को एप्रोच किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या प्रस्ताव है?

डा. सुजान चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार उपयुक्त उपाय करे ताकि वास्तव में एन आई एल का प्रयोग जादवपुर विश्व विद्यालय द्वारा राज्य में शिक्षा के लाभ और हित में लाभप्रद रूप से किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: मैं सजग हूं कि आज विश्व जल दिवस है। परंतु मात्र मेरे द्वारा दिए जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से दूर-संचार निगम द्वारा जो मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई गई है, उसकी वेटिंग लिस्ट इतनी अधिक है कि काफी मात्रा में लोगों को यह सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंदगांव जो जिला मुख्यालय है और उसके अतिरिक्त जो तहसील मुख्यालय डोंगरगांव और नक्सली प्रभावित क्षेत्र चौकीमोहलामानपुर है, वहां पर भी शीघ्रता के साथ मोबाइल धारकों को मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई जाए।

इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तय जिस समय सीमा में आर्डर दिया जाना चाहिए था, वह प्रेषित नहीं किया गया है जिसके चलते मशीनों की सप्लाई नहीं हो पाई है। इसके कारण दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसका निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिन मशीनों के लिए आर्डर दिया गया था, उन्हें शीघ्र छत्तीसगढ़ में भेजा जाए ताकि चालीस से पचास हजार लोग हो कनेक्शन लेने की लाइन में हैं, उनको शीघ्र मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केरल राज्य में एसएसए कन्नूर के अंतर्गत एसडीसीए तेलीचेरी के निर्माण से उत्पन्न हुई विसंगतियों के संबंध में संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। एसडीसीए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, दूरभाष केन्द्रों की संख्या, सुसज्जित क्षमता और जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना दूरभाष प्राधिकारियों ने एसडीसीए तेलीचेरी बना डाला जिसमें 36 दूरभाष केन्द्रों को शामिल किया गया है जो तीन तालुकाओं में स्थित हैं। माहे क्षेत्र जो कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का एक भाग है; वह भी इस एसडीसीए के अंतर्गत शामिल किया गया है। उपभोक्ताओं का कोई अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराए बिना यह कहते हुए इस क्षेत्र का द्विमासिक किराया 360 रुपये से बढ़ाकर 540 कर दिया गया है टेलीफोन कनैक्शनों की कुल संख्या एक लाख से अधिक है। उपभोक्ता को दी जाने वाली निशुल्क कालों की संख्या पहले दी जाने वाली 150 से घटाकर 100 कर दी गई हैं। दूरभाष प्राधिकारियों का रवैया अनुचित है। अतएव मैं मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इन विसंगतियों की जांच करें और एसडीसीए तेलीचेरी को बांटने और किराए में कमी करने के लिए तुरंत उपाय करें ताकि गरीब ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ न्याय हो सके।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय झील संवर्धन योजना प्राचीन झीलों एवं तालाबों के संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आज सारे देश में बारिश में कमी होने के कारण भू-जल

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

स्तर में गिरावट आती जा रही है। महोदय, पर्याप्त वर्षा न होने के कारण राजस्थान की सभी झीलों एवं तालाबों में जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। जब पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है तो सभी झीलों, तालाबों, कुओं, बावड़ी और हैण्डपम्पों में भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में सागर झील का निर्माण लाखा बंजारे द्वारा करवाया गया था। इस झील को राष्ट्रीय झील संवर्धन योजना के तहत संवर्धन के लिए चयनित किया गया था, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गयी है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सागर झील सहित प्रदेश की सभी झीलों, जिन्हें राष्ट्रीय जल संवर्धन योजना में शामिल किया गया है, के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज तैयार करके उनका संवर्धन करवाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बेल्लारमिन

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : महोदय, मैं अपनी बात पहले ही कह चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री एन.एन. कृष्णदास आपका मामला राज्य सरकार से संबंधित है। मुझे खेद है।

अपराह्न 1.09 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

विश्व जल दिवस के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज विश्व जल दिवस है। केवल एक है। माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार ने इस पर ध्यान दिया।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं आपको बोलने के लिए न कहूं तब तक कृपया इंतजार करें। मुझे पूरी बात कह लेने दो। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। केवल श्री शैलेन्द्र कुमार ने 'विश्व जल दिवस' पर बोलने के लिए सूचना दी है। हालांकि उन्होंने इस सप्ताह एक मुद्दा उठाया था सामान्यत: उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए परंतु मामले के महत्व और इस मामले को उठाने में उनकी सजगता के कारण मैं आज उन्हें अनुमति दे रहा हूं परंतु इसे पूर्वोदहारण के रूप में नहीं माना जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार कृपया जल के संबंध में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद नहीं चाहिए, आप बोलिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : 22 मार्च, 2005 यानि आज विश्व जल दिवस है। जीवन में जल की उपयोगिता है और जल ही जीवन है। जल दुर्लभ वस्तुओं में शुमार न हो जाए, इस पर सम्मानित सभी सदस्यों को चिंता करनी चाहिए। विश्व की एक चौथाई आबादी, 150 करोड़ लोग, पेयजल से अछूती है। प्रति आठ सेकंड में एक बच्चा पानी से होने वाली बीमारी से मर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक असंतुलन, अंधाधुंध दोहन के चलते जल संसाधन घट रहा है, जिस पर सभी सम्मानित सदस्यों को चिंता करनी चाहिए। 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार जल एवम् सफाई अभियान में सुधार करना हम लोगों का कर्तव्य है। भारत में 18 राज्यों के 286 जिलों में जल स्तर दो दशक में चार मीटर नीचे गिरा है, जो चिंता का विषय है। भविष्य में पानी कहीं युद्ध का कारण न बन जाए, इस पर हम सबको चिंता करनी है। देश में आधी आबादी पानी के लिए भूजल पर निर्भर है। 22 बड़े औद्योगिक शहरों में भूजल प्रदूषित हो चुका है, जिस ओर हमें ध्यान देना है। 17 राज्यों में लवणता तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश उनमें शीर्ष पर है। आर्सेनिक नाइट्रेट फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। फलोरोसिस एनोमियां जैसी बीमारी हो रही है और हड्डियों में कैलशियम की कमी के कारण तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रति वर्ष भूजल में 25 से 30 सेंटीमीटर गिरावट आ रही है। जल स्तर में गिरावट के कारण किसान खेती छोड़ कर आज मजदूरी करने के लिए बाध्य हो रहा है। 26 से 28 मिलियन भूजल में से 25 क्यूबिक मीटर पानी का प्रति घंटे दोहन किया जाता है। उपलब्ध भंडार में से दस मिलियन पानी सिर्फ पिछले दशक में ही घट गया है। 75 वर्षों बाद पहली परत का भूजल खत्म हो जाएगा।

मैं सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी सांसद निधि कोष से चैक डैम बनाकर जो बारिश का पानी है या नदियों का पानी है, उसे रोक कर पानी का संरक्षण करें ताकि आने वाले समय में पेयजल समस्या से हम लड़ सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं पूरे सदन को अपना ध्यान सरकार की सहायता करने के तौर तरीकों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सरकार को वर्षा जल के संरक्षण के लिए एक नीति बनानी चाहिए। मैं समझता हूं यह एक महत्वपूर्ण बात है।

जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चौधरी लाल सिंह, इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री रघुराज सिंह शाक्य और बरहामपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री चन्द्रशेखर साहू के नामों को एक साथ जोड़ देना चाहिए क्योंकि वे अपने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में मुद्दे उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम आया है।

अध्यक्ष महोदय : बोल दिया है।

चौधरी लाल सिंह : मेरा संसदीय क्षेत्र उधमपुर है, जम्मू नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं शुद्धि कर देता हूं। वह उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल चौधरी विजेन्द्र सिंह का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आपको यह तो जानना चाहिए कि इस सप्ताह मैंने आपको संभवतः दो अवसर दिए है। इस सप्ताह आप बोल चुके हो। यह कार्रवाई में बाधा डालने को कोई तरीका नहीं है। कम से कम इस बार तो इस बात से अवगत हो जाइए। अब यह सदन नौ महीनों से कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ज्वलंत समस्या और घटना की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके लिए सरकार की प्राथमिकता वचनबद्धता है। हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में ताकतवर देश की जनता होती है। चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए वचनबद्धता की प्राथमिकता होती है। 17 मार्च को अलीगढ़ में वहां के शासन की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो कहर, जो अंग्रेजी हुकूमत का ताण्डव किया गया, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अलीगढ़ में एक मुकंदपुर गांव है। वहां 48 मकान पिछली 17 मार्च को दोपहर 12 बजे जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, एस.पी. आरा, सी.ओ. और एस.ओ. की मिलीभगत के साथ बुलडोजर चलाकर तबाह कर दिए गए। इससे वहां रहने वाले तमाम लोगों की रोजी-रोटी और मकान आदि सब कुछ दब गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय गृह मंत्री को लिखिए।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह : मेरे हाथ में वह कागज है, जिसमें वहां की सरकार के एक मंत्री ने माना कि पुलिस दोषी है और वहां के अधिकारी भी दोषी हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को बताने में इतने विस्तार में न जाए।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि वह निर्देश दे कि जो गरीब बेघर हो गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। पुलिस ने वहां जो तांडव-नृत्य किया है, जिन अधिकारियों ने किया है, उनके खिलाफ़ कार्यवाही हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें देखना चाहिए कि यह मामला राज्य या केन्द्र किस से संबंधित है।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, यही नहीं, पुलिस ने वहां पर अवैधानिक रूप से कार्य किया है और जिस जगह को उन्होंने तोड़ा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पुलिस के बारे में कुछ नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है परंतु आप लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हो अब सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.16 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.16 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएं।

(एक) तमिलनाडु में पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाथम और वेदसंधुर तालुकों में "राष्ट्रीय सम विकास योजना" के अंतर्गत विकासात्मक कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मेरे पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाथम तालुका की लिंगावाड़ी पंचायत में, लिंगावाई मल्लैयूर पहाड़ी क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र में हजारों लोग रह रहे हैं। यहां के निवासियों को 3.2 कि.मी. का पर्वतीय क्षेत्र पार करना पड़ता है। आकस्मिकता होने पर जैसे किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो उसे अन्य लोगों द्वारा हाथों पर अथवा चारपाई पर उठाकर ले जाया जाता है। 3.2 कि.मी. में से 0/0-2/0 में जंगल है और 2/0-3/2 पंचायत की सड़क है। इसे आर.एस.वी.वाई. योजना, 2005-06, डिंडिगुल जिला में शामिल किया जाए।

इसी नाथम तालुका की कुटुपट्टी पंचायत और चेत्तूर पंचायत में पेरिआ मल्लैयूर-चिन्ना मल्लैयूर-वलसाई नामक दूसरा पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। इस पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 2000 लोग रह रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों को शहर पहुंचने के लिए लगभग 6.4 कि.मी. चलना पड़ता है। जिसमें 0/0-0/4 पंचायत की बेकार (बंजर/अनउपजाऊ) भूमि है और 0/4-6/4 जंगल है। मल्लैयूर से वलसाई तक के 0/0-1/2 कि. मी. को भी आरएसवीवाई योजना, 2005-06, डिंडिगुल जिला में शामिल किया जा सकता है।

वेदसंधुर तालुक में मल्लैपट्टी से वलवीचेट्टीपाट्टी तक 6 कि.मी. की सड़क जंगल में से होकर गुजरती है। यह अय्यालूर की सीमा में आता है। उक्त सड़क 10 गांवों को जोड़ती है। इस सड़क का भी आरएसवी योजना, 2005-06 डिंडिगुल जिला में शामिल किया जा सकता है।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि डिंडिगुल जिले की उक्त सभी सड़कों को "आर एस वी

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

योजना–2005-06'' के अंतर्गत शामिल किया जाए और इस पर तत्काल कार्य किया जाए।

(दो) गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1998-2004 की अवधि के दौरान शुरू किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में ग्रामीण योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 1998 से 2004 के बीच 750 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित हुयी है परंतु इस धनराशि से दस प्रतिशत का कार्य भी नहीं हुआ है। इन योजनाओं में पेयजल का कार्य तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में फलोरियाड पानी के पीने से सैंकड़ों लोग बीमार का शिकार हुए हैं तथा ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं हो रहा है इसलिए ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा आवश्यक है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे मेहसाना संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास योजनाओं में कार्यों की समीक्षा की जाये और पता लगाया जाये कि 1998 से 2004 तक कितना व्यय किया गया और कितना काम हुआ है।

(तीन) उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की खोड़ा-माकनपुर कालोनी में विकासात्मक कार्य शुरू किए जाने के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हापुड़-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश एन.सी.आर. के अंतर्गत आता है। गाजियाबाद जिला एक मेगा सिटी के नाम से विकसित हो रहा है। केन्द्र सरकार जहां बड़े नगरों के उत्थान के लिए केन्द्र निधि मुहैया करा रही है, वहीं मेरी भारत सरकार से मांग है कि गाजियाबाद जिले को भी विशेष पैकेज सीवर, नाली, खंडवा, पेयजल विद्युतीकरण के लिए दिया जाये, विशेषकर खोड़ा मकनपुर कालोनी, जो दिल्ली से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कालोनी चारों तरफ से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदिरापुरम जैसे बड़े संस्थानों, औद्योगिक शहरों एवं सोसायटियों से घिरी हुयी है। ऐसी स्थिति में इस कालोनी को विकसित करने हेतु केन्द्र निधि की अत्यंत आवश्यकता है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि गाजियाबाद जिले के महत्व को देखते हुए खोड़ा मकनपुर कालोनी के विकास के लिये केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज देने की व्यवस्था की जाये।

(चार) "दलित ईसाइयों" को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : महोदय, ईसाई धर्म को मानने वाले दलितों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी से बाहर रखा गया है और उन्हें केवल पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यदि हम सभी दलित ईसाइयों की रहन-सहन की परिस्थितियों को देखें, तो अन्य दलितों की तुलना में उनकी आर्थिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। यह विडंबना है कि केवल अपनी पसंद का धर्म मानने के कारण उन्हें उन सभी लाभों से अलग कर दिया जाता है जिनका वे भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में दलित के रूप में वास्तव में उपभोग कर रहे थे। मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों में दलित ईसाइयों के रहन-सहन की परिस्थितियों को स्वयं देखा है और स्वतंत्रता के कई वर्षों के बावजूद भी वे अभी भी दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले किसान श्रमिकों की तरह अस्थाई झोंपड़ियों में रह रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि यदि पति-पत्नी दोनों काम नहीं करते तो वे अपना गुजारा नहीं कर सकते और उनकी आय केवल परिवार को अल्पपोषक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ही पर्याप्त है। अत:, मुझे लगता है, जो दलित अपनी पसंद के धर्म जिसमें ईसाई और इस्लाम धर्म भी शामिल है, को मानते हैं उन दलितों का अनुसूचित जाति की श्रेणी के सभी लाभ मिलने चाहिए। तथापि, यदि सरकार को लगता है कि धर्म-परिवर्तन से कुछ दलितों के रहन-सहन और सामाजिक स्तर में सुधार आया है, तो हम अनुसूचित जाति की श्रेणी में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को अति-प्राथमिकता देने के लिए कोई नीति अपना सकते हैं। इससे पददलितों में वास्तव में जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सकेगी और सरकार का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा।

(पांच) वालटेयर (विज़ाग), रायपुर और बोकारो को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, वालटेयर (विज़ाग) पूर्व तटीय रेल मंडल से रायपुर जो कि बिलासपुर मंडल के अधीन है और बोकारो तक के रेल खण्ड की लाइन का

[श्री बिक्रम केशरी देव]

दोहरीकरण विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। लाइन को दोहरीकरण करने से पांच इस्पात संयत्रों और दो एल्युमिनियम परिसरों अर्थात भिलाई, विशाखापत्तनम, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला खनिज निर्मित उत्पादों के निर्यात में सहायक विज़ाग, गोपालपुर और धमारा पत्तन के साथ उचित ढंग से जुड़ पायेंगे।

(छह) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष जांच दल और उच्चाधिकार प्राप्त समिति पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित विशेष जांच दल और पूर्वोत्तर क्षेत्र की उच्च शक्ति प्राप्त समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.01.1998 के आदेश के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में इमारती लकड़ी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग भौगोलिक कठिनाइयों के कारण उनके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते और इस वजह से अरुणाचल प्रदेश में पूरा इमारती लकड़ी का व्यापार और लकड़ी पर आधारित उद्योगों को बंद कर दिया गया है। वर्ष 1999/2000 के दौरान, जब्त किए गए इमारती लकड़ी की वैगनों के संबंध में विशेष जांच दल और उच्च शक्ति प्राप्त समिति की कार्यवाही/निर्णयों की समीक्षा की जानी चाहिए और इन समितियों के सदस्यों को उन अधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिन्हें पूर्वोत्तर के बारे में वास्तविक जानकारी हो। विशेष जांच दल और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के बेहतर कार्यकरण और निगरानी के लिए दिल्ली से पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(सात) पंजाब के भारत-पाक सीमावर्ती जिलों में खेती करने वाले किसानों की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री नवजोत सिंह सिद्धू (अमृतसर) : महोदय, पंजाब में 553 कि.मी. लम्बी भारत-पाक सीमा तीन जिलों अर्थात् अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर तक फैली है। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ और लाइट लगाने का कार्य वर्ष 1988 में शुरू किया गया था। इससे सीमा पर रहने वाले लोगों विशेषकर जिनकी जमीन बाड़ के परली-पार है, के लिए अनेक समस्याएं और मुश्किलें पैदा हो गई। बाड़ लगाए जाने से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और अवसंरचनात्मक, औद्योगिक विकास और रोजगार की कमियों का सामना कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर यह बाड़ सीमा से 1 कि.मी. आगे और अन्य स्थानों पर भी कुछ अधिक या कम दूरी पर ही है। बाड़ लगाने से किसानों के लिए अनेक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अनेक मामलों में भूमि को दो भागों में बांट दिया गया है जिससे बाड़ के दूसरी ओर का हिस्सा किसानों के लिए अनुपयोगी हो गया है। किसानों का बाड़ के दूसरे हिस्से में जाने में बहुत अधिक समय नष्ट होता है। किसानों का बाड़ के दूसरी ओर खेत की जुताई करने के लिए जाने में बहुत अधिक समय नष्ट होता है और सीमा सुरक्षा बल कर्मी भी किसानों के लिए अनेक समस्याएं मुश्किलें खड़ी करते हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को अपने ही खेतों में काम करने नहीं दिया जाता चूंकि उनकी जांच और तलाशी लेने के लिए सीमा सुरक्षा बल में कोई महिला कर्मचारी नहीं है। यहां तक कि उनके किराए के मजदूरों को भी वहां जाने नहीं दिया जाता। मैं आपका ध्यान बाड़ के दूसरी ओर अनियमित विद्युत आपूर्ति की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्हें सुरक्षा कारणों से गन्ने जैसी उंचाई वाली फसल उगाने की भी अनुमति नहीं है। खेतों में काम करने के घंटे भी निर्धारित हैं।

महोदय मैं आपके माध्य से सरकार से इस मामले की जांच पड़ताल करने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजस्थान में ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण विकास के समग्र उद्देश्य से ग्रामीण युवाओं को विभिन्न जैव-प्रौद्योगिकियों के बारे में बताने और उन्हें इन प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झालावाड़ जिले में ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने का एक प्रस्ताव भेजा है। बागवानी, मांग आधारित जैव-कीटनाशक, खाद्य प्रसंस्करण, कृमि-जैव-प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय और सुंगधित पौधों की कृषि और प्रसंस्करण के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकियों का विकास करने की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जब राज्य में ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की जाए।

मैं सरकार से राजस्थान के झालावाड़ जिले में ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र की अविलम्ब स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

(नौ) घरेलू अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) निर्माताओं को 1 अप्रैल, 2005 से अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि करने से रोकने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान स्वदेशी अखबारी कागज निर्माताओं द्वारा अप्रैल, 2005 से अखबारी कागज का मानक मूल्य कम से कम 1000/- रु. प्रति टन तक बढ़ाए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

यह ज्ञातव्य है कि भारतीय अखबारी कागज विनिर्माता संघ ने संशोधित मूल्यों का अनुसमर्थन किया है। अखबारी कागज पर 1 अप्रैल से लागू होने वाले वैट के प्रभाव की जांच करने के पश्चात् ही मूल्य बढ़ाए जाए। उसका इस अपेक्षा के विपरीत कि अखबारी कागज पर वैट लागू होने से उसके मूल्य में कमी आएगी, यह आशंका है कि यदि मूल्यों को और अधिक संशोधित किया जाता है, तो उपभोक्ताओं को इसका उचित लाभ नहीं मिलेगा। अखबारी कागज का निर्माण पूंजी प्रधान कार्यकलाप हो गया है क्योंकि स्वदेशी विनिर्माता आयातित कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। यदि बढ़े हुए मूल्य लागू किये जाते है तो छोटे अखबारों का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। इससे इस व्यवसाय में कुछ बड़े अखबारों का ही एकाधिकार रह जाएगा।

अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि करने से प्रिंट मीडिया विशेषकर छोटे अखबार वाली कंपनियां जो अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न वित्तीय संकटों से जूझ रही हैं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अंत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह घरेलू अखबारी कागज विनिर्माताओं द्वारा 1 अप्रैल, 2005 से अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि किए जाने के प्रयास पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(दस) देश के बहुंमुखी विकास हेतु श्रमिकोन्मुखी आर्थिक और औद्योगिक नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत गांवों का देश है किंतु, देश का गांव बदहाल अवस्था में पड़ा है। देश में उपभोग व्यय का 60 फीसदी गांवों में हो रहा है, सुनकर आश्चर्य और खुशी भी होगी परंतु, प्रति व्यक्ति व्यय उपभोग व्यय पर नजर पड़ेगी तो अवस्था विपरीत हो जायेगी। गांवों में प्रति व्यक्ति उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर 986 रुपया है जबकि शहरों में यह राशि 855 रुपया। स्पष्ट है आज देश के गांव की हालत क्या है। देश में आर्थिक सुधारों की बात करते हुए दशक से अधिक समय बीता गया परंतु आज भी सरकार का प्रतिनिधि निर्यात को विकास के लिए आधार बनाना चाहता है तो दूसरा पूंजी निवेश को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मान रहा है। इसी दुविधा की स्थिति के कारण देश का आम आदमी लाभांवित नहीं हो रहा है। वास्तविकता तो यह है कि देश में विकास का आधार श्रम प्रधान तकनीकी का उपयोग ही हो सकता है। उद्योग बढ़े, सेवा क्षेत्रों का विस्तार हो, खेती की बढ़ोत्तरी हो यह सही है पर देश के हर नागरिक को काम मिले यह सबसे पहली प्राथमिकता है। वर्तमान सरकार को समर्थन करने वाले लोग भी विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह पूंजी निवेश देश के विकास के लिए आधार नहीं हो सकता। क्योंकि यह विदेशी पूंजी हर हाथ को काम देने की हालात नहीं पैदा करती है और विदेशी पूंजी की स्वीकृति के लिए शर्त हो कि वह श्रम प्रधान तकनीकी के उपयोग में लगेगी तो मैं समझती हूं देश में विदेशी पूंजी निवेश का विरोध नहीं होगा। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि वर्तमान आर्थिक और औद्योगिक नीति में परिवर्तन कर, इसे श्रम आधारित बनाया जाये, जिससे देश के हर हाथ को काम उपलब्ध हो सके।

(ग्यारह) सतारा जिले में कराड़ कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर अगाशिवा हिल्स पर पारिस्थितिकी-पर्यटन विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़) : महोदय, अगाशिवा हिल्स महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड़ कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे-बंगलौर) पर स्थित है। यह संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र वन विभाग के अधीन है। इस पहाड़ी में सातवाहन युग की प्राचीन बुद्ध गुफाएं हैं जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की हैं। ये गुफाएं विश्व प्रसिद्ध अजन्ता-एलोरा गुफाओं के ही समान हैं और उसी युग की हैं। चूंकि यह पहाड़ी वन विभाग के अधीन है अत: पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से और जन प्रतिनिधियों और लोगों की मांग पर वन विभाग द्वारा एक पारिस्थितिकीय-पर्यटन परियोजना तैयार की गई है। परियोजना प्रस्ताव की लागत 30 करोड़ रु. है जिसमें रोप-वे का निर्माण दो पवनचक्कियों को लगाया जाना औषधीय पौधशाला, वानस्पतिक उद्यान, वॉच टावर, गुलाब वाटिका, प्राचीन गुफाओं का विकास करना आदि शामिल है। यह प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है।

[श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील]

मैं केन्द्र सरकार से इस प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सरकारी हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर झारखण्ड का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर कई प्रकार के औद्योगिक संस्थान कार्यरत हैं। साथ ही प्राकृतिक सम्पदा का बहुमूल्य खान एवं खनिज पदार्थ जमशेदपुर के आसपास ही उपलब्ध है। यहां से कच्चे माल की सप्लाई विभिन्न क्षेत्रों में होती है। जमशेदपुर में इन सब कारणों से आये दिन विभिन्न उपक्रमों के प्रतिनिधि आते जाते रहते हैं। परंतु, यहां पर कोई भी सरकारी हवाई अड्डा नहीं है, जिसके कारण उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है, जो देश के आर्थिक विकास पर नाकारात्मक प्रभाव डालता है। टिस्को कंपनी का इस्पात एवं लोहे के मुख्य उद्योग इसी जमशेदपुर में स्थित है, जो कई औद्योगिक संस्थानों में प्रयोग किये जाते हैं और छोटे एवं बड़े वाहनों का उत्पादन करने वाली टेल्को निजी उपक्रम यहीं पर कार्यरत है, जिसका विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जमशेदपुर में एक भी सरकारी हवाई अड्डा नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र के विकास में कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। वैसे यहां पर एक टिस्को कम्पनी का निजी हवाई अड्डा है। इसका विस्तार कराके सरकार एव निजी हवाई सेवा के विमान यहां पर से चलाये जा सकते हैं। सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करें।

(तेरह) तेलंगाना क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या के समाधान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा) : महोदय, आंध्र प्रदेश में अनेक गांवों/मंडलों विशेषकर तेंलगाना क्षेत्र में पेयजल की अत्यधिक कमी है। पिछले सात वर्षों से लगातार सूखा पड़ने से, जोकि हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ने की अभूतपूर्व घटना के कारण है, हैंड-पंपों का जल स्तर चार सौ फीट से अधिक नीचे चला गया है जिससे लोगों विशेषकर महिलाओं को पानी खींचने में अनावश्यक रूप से परेशानी हो रही है। पांरपरिक कुएं और अन्य जल संसाधन जैसे वॉटर टैंक बिलकुल सूख गए हैं। गांवों के आसपास चार कि. मी. के दायरे में पेयजल कहीं नहीं है। राज्य सरकार के सहयोग से केन्द्र सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने तथा तेलंगाना जिले में विद्यमान स्थिति का पता लगाने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेटों की तत्काल बैठक बुलाए। आंध्र प्रदेश सरकार को विभिन्न पेयजल योजनाओं को शुरू करने और आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध जल की टैंकरों द्वारा आपूर्ति करने और इस गर्मी के मौसम के दौरान जल संकट का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए विशेष अनुदान। निधि और उदार वित्तीय सहायता दी जाए।

(चौदह) ईस्ट कोस्ट रेलवे की वालटेयर डिवीजन में नौपाड़ा-गुनपुर रेल खंड पर आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाने के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रीकाकुलम में पूर्व तटीय रेलवे के वालटेयर डिवीजन के अंतर्गत नौपाड़ा से गुनपुर तक छोटी रेल लाइन है, जो आंध्र प्रदेश में नौपाड़ा को उड़ीसा राज्य में गुनपुर से जोड़ती है। उपरोक्त आमान परिवर्तन कार्य के लिए संस्वीकृत 100 करोड़ रु. में से 30 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। मैंने इस साल 20 करोड़ रु. आवंटित करने का अनुरोध किया था किन्तु केवल 5 करोड़ रु. ही आबंटित किए गए जो इस कार्य में तेजी लाने के लिए अपर्याप्त हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए 20 करोड़ रु. जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(पन्द्रह) जम्मू-कश्मीर राज्य में पर्यटन के विकास के लिए राज्य को गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के लिए पात्र बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : महोदय, बदलते हुए परिदृश्य तथा उरी-मुजफ्फराबाद सड़क को खोलने पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप उरी, गुरेज, माछिल, बंगस हन्दवारा तथा अन्य पर्यटन स्थलों में आधारभूत संरचनाओं का शीघ्र विकास करने की आवश्यकता हो गई है। सुनिश्चित आधार पर संसाधनों को जुटाने के लिए यह आवश्यक है कि निरन्तर तौर पर निधियों की उपलब्धता रहें।

अत:, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कश्मीर के लोगों की कई वर्षों से जो मांग लंबित पड़ी है अर्थात् जम्मू और कश्मीर राज्य को केन्द्रीय पूल के व्यपगत न होने वाले संसाधनों (एन.सी. सी.पी.आर.) से जोड़ दिया जाए, पूरी की जाए। इस प्रयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ही अच्छे परिणाम दिए हैं।

चूंकि राज्य में पर्यटन उद्योग रोजगार पैदा करने का एक मुख्य साधन है, अत: इस उद्योग के विकास से राज्य की शिक्षित बेरोजगार जनसंख्या की चिन्ताओं का समाधान किया जा सकता है। चूंकि अब राज्य में शान्ति के वातावरण की बहाली संभव लग रही है। अत: जम्मू और कश्मीर में पर्यटन उद्योग संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना अत्यावश्यक हो गया है।

अपराह्न 2.17 बजे

पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 21 और 22 पर एक साथ विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2004 को प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, जब 18 मार्च, 2005 को ऑर्डिनैन्स को रिप्लेस करने हेतु यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया, तो लगभग सारा विपक्ष और वामपंथी पक्ष सहित सभी ओर से इस बिल की कॉन्स्टीट्यूशनैलिटी और लीगल कॉम्पीटैंस को लेकर विरोध किया गया। इसके अलावा सब की एक प्रखर और जोरदार मांग थी कि विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए जो नियत समय के भीतर उस पर विचार करने के बाद जो आशंकाएं देश, सदन के भीतर, तथा देश के बाहर व्यक्त की गई हैं, उन सब के अनुरूप उस पर विचार हो सके। इस प्रकार एक कनक्रीट विधेयक सदन के सामने आए ताकि संसद के सभी सैक्शन्स इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करें और देश हित में विधेयक को पारित कर सकें। इतनी देर क्यों हुई? 21 मई को यह सरकार आई। तब से बहुत लंबा अंतराल बीत गया। सबको आशा थी कि विधेयक प्रस्तुत होगा। अभी कल जब इस पर चर्चा हो रही थी तो सत्ता पक्ष, मंत्री महोदय और दूसरे कई सदस्यों की ओर से कहा गया कि यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का बेबी था। हां, था। हमने बहुत मेहनत करने के बाद, एक अच्छी नीयत के साथ इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्ट बिल को प्रस्तुत करके अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर उसे संसद की स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया गया। हमारी मंशा थी कि इसके हरेक पहलू पर स्टैंडिंग कमेटी में विचार-विमर्श हो और एक कनक्रीट बिल यहां सदन में प्रस्तुत हो लेकिन पॉलिटिकल सिचुऐशन ऐसी बनी कि 6 फरवरी, 2004 को लोक सभा भंग होने के कारण विधेयक लैप्स हो गया। विधेयक मौजूद था। गवर्नमैंट का बिल था। नई सरकार 21 मई को आ गई। 21 मई को उन्हें यह बिल प्राप्त हुआ। 21 मई से 26 दिसम्बर, 2004 तक जब यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ, उस बीच में इतना पर्याप्त समय सरकार के पास था परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया जिससे विधेयक में बहुत सारी कमियां रहीं। आज सरकार स्वयं अनेक संशोधन स्वीकार कर रही है जो सुबह सर्कुलेट हुए। कुछ संशोधन अभी सर्कुलेट हो रहे हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसे पूरा पढ़ नहीं पाए। ऐसी स्थिति में हमने अपने बेबी की प्रॉपर नर्सिंग के लिए, ताकि उसकी प्रॉपर देखभाल हो सके और उसमें आवश्यक संशोधन जुड़ सकें, उसे पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। लेकिन आपने जिसे बेबी को अडॉप्ट किया था, उस बेबी की कतई चिंता नहीं की और उसे ज्यों का त्यों आर्डिनेंस के माध्यम से लेकर आए हैं। आर्डिनेंस क्यों लाए,

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

जब 23 दिसंबर, 2004 तक पार्लियामेंट सेशन में थी? कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है कि 26 दिसंबर को आप क्यों आर्डिनेंस लेकर आए हैं। इससे साफ ज्ञान होता है कि आपकी नियत ठीक नहीं थी और इस पर प्रौपर डिबेट नहीं चाहते थे। अब एक दिन का समय बचा है, परसों प्राइवेट मैम्बर डे है और इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रापर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि अब वह चर्चा नहीं होगी। अभी दो तीन का समय हमारे पास है तथा लगभग डेढ़ माह का समय और मिल सकता है। संविधान का अनुच्छेद-123 बाध्यता हमारे सामने रखता है कि जब संसद के दोनों सदन चल रहे हों तो छः सप्ताह के भीतर सदन के सामने आपको जाना होगा। जहां संविधान रोक लगाता है, वहीं मदद भी करता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में सरकार के पास अधिकार है कि-

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के संबंध में यह कहा गया है:

"(1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छः मास का अंतर नहीं होगा।

(2) राष्ट्रपति समय-समय पर—

सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा..."

[हिन्दी]

अनुच्छेद 123 के अनुसार यह आवश्यक है कि जब पार्लियामेंट सेशन में हो, तब आप आर्डिनैंस नहीं ला सकते हैं, और तब आपका बिल लैप्स होगा। लेकिन हाउस में सरकार अगर सभी माननीय नेताओं से तय करके कोई प्रौपर मोशन लाती है और अपने बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए तैयार होती है, तो भी हमारे ऊपर बाइंडिंग्स हैं कि इसे हमें 8 अप्रैल से पहले तय करना है। 8 अप्रैल से पहले सुविधानुसार इसे पारित कराया जा सकता है क्योंकि तब तक कोई भी हाउस प्रोरोग नहीं होता है। क्योंकि अभी 24 तारीख को संसद में रिसेस होगी, उसके बाद उसे पारित करा लिए जाए, ताकि विचार के लिए पूरा समय स्टैंडिंग कमेटी में लगे और दोनों सदन के समवेत होने के बाद फिर दोबारा उसे प्रस्तुत किया जाए। तब से 6 अप्रैल तक लगभग दो महीने का समय है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई विचार होगा।

इसमें फंडामेंटल राइट का विषय आया है। अनुच्छेद 21 में, जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार भी है। इस बिल में मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, फूड और कैमिकल टेक्नोलॉजी, तीन विषय हैं। उस समय तीन विषयों को बाहर रखा गया था और यह मैंडेटरी था कि 1 जनवरी, 2004 के बाद इस तरह का प्रोडेक्ट पेटेंट लेकर आना था। बाकी के पेटेंट की व्यवस्था पहले हो गई, लेकिन जो देश के भीतर आशंका है और उस आशंका के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, जिनसे आशंका को बल मिल रहा है क्योंकि आपने इसके एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट एक कंपनी को दिया गया था, जो स्विटजरलैंड की नवारटिस कम्पनी है। उससे पहले रक्त कैंसर की इनेवेटिव मेसिलेट की दवाइयां हमारे देश के भीतर तमिलनाडु में आठ कंपनियां बना रही थीं, उनकी दवा की रेंज थी दस से बारह हजार रुपए। जब आपने नोवारटिस कम्पनी को एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स दे दिये, तो कम्पनी नें मद्रास हाई कोर्ट से इसका उत्पादन रुकवा दिया और उसने एक लाख बीस हजार रुपए, यानी दस गुना अधिक दाम पर ये दवाएं बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं पहले दौर में 1 जनवरी, 2001 से, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनमें इटली का उदाहरण हमारे सामने है। पहले चरण में उनके प्रोडक्ट का पेटेंट उसी दिन से लागू हो गया और पेटेंट की व्यवस्था लागू हो जाने के बाद, दवाओं की कीमतों में लगभग दो सौ प्रतिशत की वृद्धि नोट की गई।

अध्यक्ष जी, इसे एक और उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। मैं दो ऐसी दवाओं को रैफर कर रहा हूं। एक एंटी-अल्सर दवा है, जिसका नाम रैनिटैडिन है। उसकी 150 मि.ग्रा. की 10 गोलियों का दाम भारत में 6 रुपये 2 पैसे, पाकिस्तान में 74 रुपये 9 पैसे, ब्रिटेन में 247 रुपये और अमरीका में 863 रुपये है। इसी तरीके से ओमाप्रीजोल का 30 मि. ग्राम कैप्सूल का मूल्य भारत में 22.50 रुपये, पाकिस्तान में 578 रुपये, ब्रिटेन में 870 रुपये और अमरीका में 2047 रुपये है। आप देख सकते हैं कि मूल्यों में कितना बड़ा अंतर है। जब हम प्रोडक्ट पेटेंट कहते हैं और उसका एकाधिकार देने जा रहे हैं तो उसके बाद मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी, इसे आप महसूस कर सकते हैं। इसलिये यह कहा जा सकता है कि जब दवायें महंगी होंगी, वे आम आदमी की पहुंच के बाहर हो जायेगी, यह आशंक निश्चित रूप से सही है। भारत के संविधान में धारा-21 के अंतर्गत हर व्यक्ति

को जीने का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान के अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर व्याख्या की है कि स्वास्थ्य का अधिकार भी जीने के अधिकार में शामिल है, जिसकी अप्रत्यक्ष रूप से धारा-13 में गारंटी दी गई है और निश्चित रूप से वह इसे प्रभावित करेगा।

मेरा कहना है कि यह बिल राष्ट्रीय हितों के विपरीत है और मल्टी नैशनल कंपनीज के हितों की पूर्ति करता है। इस संबंध में जो प्रोडक्ट पेटेंट व्यवस्था लागू की जा रही है, या इसे जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, उससे न केवल दवाओं की उपलब्धता में कमी आयेगी, बल्कि जो प्रोडक्ट पेटेंट करते हैं, यह जरूरी नहीं कि वे हिन्दुस्तान में प्रोडक्ट करें, इसमें प्रावधान किया गया है कि वे उसे इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, इससे जीवन रक्षा दवाओं से जुड़े हुये जितने उद्योग हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। मोनोपाली के कारण दवाओं के मूल्य बेतहाशा बढ़ेंगे। मैं एक उदाहरण चिली का दूंगा वहां पांच मल्टी नेशनल कंपनीज - फाइजर, पार्क डेविस, बॉयर, स्क्वइब और शेरिंग ए.जी. - काम कर रही हैं। जब वहां पेटेंट व्यवस्था लागू हुई, जिसे हम अब लागू करने जा रहे हैं, उसके बाद उनके अपने कारखाने बदं हो गये और उन्होंने इम्पोर्ट करके बाजार में सामान मनमाने दामों पर बेचना शुरू कर दिया। जो व्यवस्था यहां आई है, उसमें एक आपत्ति है। सरकार की ओर से आज के संशोधन के द्वारा प्रयास किया गया है कि हम उन्हें प्रोटेक्शन दे सकें और जो रिवर्स प्रोसैस है, जिनके पास पेटेंट है, उन्हें राहत मिल सके, लेकिन स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि उन्हें रॉयल्टी पे करनी होगी। अगर रॉयल्टी तय नहीं करते हैं तो वे कितने रेंज पर पहुंचेंगे। पेटेंट होल्डर और मैनुफैक्चरर के बीच में एक गैप होगा और एक कठिनाई खड़ी हो जायेगी। हमारे सामने सब से बड़ा प्रश्न पेटेंट योग्य पात्रता की संभावना का होगा। स्कोप ऑफ पेटेंटबिलीटी की परिभाषा अभी दुरुस्त नहीं हुई है। इस बिल के अंदर जितना लचीलापन, जितनी विस्तृत परिभाषा आप लेकर आये हैं उससे हमे उम्मीद कर रहे थे कि आविष्कार में मौलिक और विलक्षण शब्द जोड़े जायेंगे, लेकिन उसमें बेसिक मौलिक शब्द नहीं जोड़ने से, और यह कहकर कि जिन्हें नये रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऐसे उत्पादों को पेटेंट किया जा सकता हैं। यह चीन और अमरीका के पेटेंट लाज के समान है। इस प्रावधान के कारण जो परेशानी आज अमरीका और चीन को है, उसका उदाहरण मैं देता हूं।

अध्यक्ष जी, श्री बी.के. केइला ने फरवरी, 2005 में नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन पेटेंट लॉज, पर एक किताब लिखी है। उन्होंने यह किताब सभी सांसदों को भेजी है और संसद की लाइब्रेरी में यह पुस्तक उपलब्ध है। उन्होंने पुस्तक के पेज 5 पर अमरीका के बारे में वर्ष 2003 को रैफर किया है जो काफी लम्बी रिपोर्ट है।

उसमें केवल एक संबंधित अंश है, उसी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"पिछले बारह वर्षों में पेटेंट आवेदन की संख्या दुगनी हो गयी है तथा उसमें प्रतिवर्ष लगभग 10% की वृद्धि हो रही है। वर्ष में लगभग तीन लाख लोगों द्वारा आवेदन किया जा रहा है जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य दिवस में 1000 लोगों की दर पर आवेदन किये जा रहे हैं। इस वृद्धि को देखते हुए आवेदनकर्ताओं के आवेदनों की जांच करने तथा उन पत्रों को फाइलिंग करने हेतु लगभग 3000 परीक्षकों को लगाना आवश्यक है। जिन आवेदकों की सुनवाई की जा रही थी उन्होंने ने यह आकलन किया है कि पेटेंट परीक्षकों को प्रत्येक मामले को पढ़ने तथा उसे समझने के लिए इसे 25 घंटे मिलते है, जिसमें उन्हें आवेदक के पृष्ठाधार का पता लगाने पेटेंट का मूल्यांकन करने, आवेदक से पत्र व्यवहार, करने, आवश्यक संशोधन करने तथा किसी निर्णय पर पहुंचने आदि, संबंधी कार्य करना होता है।"

[हिन्दी]

इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब इन देशों में तीन-तीन लाख के आवेदन हो रहे हैं तो हमारे यहां भी एक प्रकार से इनकी बाढ़ आ जायेगी और जो वास्तविक पेटेन्ट्स हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। लेकिन जहां यह मैनेजबल नहीं होगा तो (डब्ल्यूआईपीओ) वर्ल्ड इनटेलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी आपके पेटेंट केस अगर मैनेज नहीं कर सकता तो वह अपने हाथों में ले सकता है। इसलिए इसकी संभावना है कि इसे दूर करते हुए या लचीली परिभाषा को दूर करते हुए जो आविष्कार मौलिक हैं, उनके साथ औषधि के संबंध में पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जब वर्ष 1999 में सिएटल में मिनिस्टीरियल कांफ्रैंस हुई थी, उस समय तमाम एक्टिविस्ट्स, एन.जी.ओज. और तमाम संगठनों ने इकट्ठे होकर इसी पब्लिक हैल्थ को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया था और उनके दबाव के कारण सिएटल कांफ्रैंस पूरी नहीं हो सकी। उसी दबाव के कारण पुनः वर्ष 2001 में दोहा में कांफ्रैंस हुई। उस समय स्वर्गीय श्री मुरासोली मारन जी हमारे वाणिज्य मंत्री थे। उन्होंने भारत सहित तमाम अविकसित और

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

अल्प विकसित देशों का पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत किया था। उसमें एग्रीमैंट ऑन ट्रिप्स एंड पब्लिक हैल्थ विषय पर चर्चा हुई थी तथा दूसरी जो रियायतें उस समय आई हैं, आज अगर हम उन्हें इनकारपोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रावधान हम लेकर आ रहे हैं, उसके लिए इसमें अनुमति और गुंजाइश है, जिसका पूरा उपयोग सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन उसका उपयोग नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, जो एक मेल बॉक्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1 जनवरी, 1995 से लेकर 1 जनवरी, 2005 के मध्य में देश के भीतर लगभग नौ हजार एप्लीकेशंस आई हैं और जिन्होंने विदेश में पेटेन्ट लिया है, उसके आधार पर यहां एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मांगे हैं। इन नौ हजार आवेदनों में से लगभग पांच हजार आवेदन ड्रग्स के पेटेन्ट से संबंधित हैं और उनमें से लगभग चार हजार विदेशी कंपनियों के आवेदन हैं। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेशी कंपनियां यहां पेटेन्ट का आवेदन कर रही है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पेटेन्ट हैं और यहां मेल बॉक्स में उनके आवेदन हैं, क्योंकि इनका हमें ई.एम.आर. देना है और अगर हम ई.एम.आर. देते हैं, तो जैसे कुल मिलाकर पब्लिक हैल्थ में दस से बीस गुणा और चालीस गुणा तक कीमतों में वृद्धि का प्रश्न है, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें हम जो व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें एक एक्सपार्टी फैक्टरी प्राइस, उसके शेष टर्न ओवर पर चार लगभग से पांच प्रतिशत जबकि अनेक देशों में दो प्रतिशत से दस प्रतिशत के बीच में उन्होंने रॉयल्टी की दर तय की है, लेकिन हमारे यहां अभी भी इसे निगोशिएशंस पर रखा गया है और इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए डब्ल्यू.टी.ओ. या ट्रिप्स एग्रीमैंट में कोई विपरीत ऐसा प्रावधान नहीं है और जहां ट्रिप्स पर इसे लेकर आ रहे हैं, वहीं इस बात को देखा जाना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और खतरा दिखाई देता है कि जो उद्योग हैं, इन उद्योगों में पूंजी ज्यादा लगनी है। लेकिन जहां मल्टीनेशनल्स की पेटेन्टेड दवाएं आएंगी, उनकी कीमतों में वृद्धि होने के बाद, न केवल आम जनता उससे प्रभावित होगी बल्कि लाखों लोग, जो खुदरा मेडिकल स्टोर लेकर बैठे हैं, उनको, होलसेलर्स और प्रोडयूसर्स को अपने बिजनैस के लिए हैवी कॉस्ट पे करनी होगी। इसलिए उनके हित संरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया जाना चाहिए।

मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि न केवल 2003 का विधेयक, जिसकी चर्चा यहां पर की गई है, जिसे हमने स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाने का अनुरोध किया, ओर उसे भेजा भी गया, इसके पहले भी 1999 में जो विधेयक राज्य सभा में पेश हुआ था, उसके लिए श्री टी.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ और 39 बैठकें उस समिति की हुईं। उसमें विस्तार से चर्चा की गई और पहलू पर विचार-विमर्श किया गया। तब भी एनडीए की नियत साफ थी कि विचार हेतु विधेयक जाना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद जो रिपोर्ट आई और बिल की चर्चा के दौरान जो संशोधन आए, उसके बाद ड्राफ्ट बिल फिर लौटाया गया था परंतु उसे जैसा लौटाया गया था, वैसा ही स्वीकार किया गया। मैं पुन: आग्रह करना चाहता हूं कि पहले भी हमारी मंशा साफ रही है और 2003 के विधेयक पर भी हमारी मंशा साफ रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की मंशा साफ नहीं है। अगर उनकी मंशा साफ होती तो 18 तारीख को जब यहां विधेयक पेश हुआ है और 21 और 22 को हम इसके अंतिम चरण में हैं, अब इसमें जो संशोधन आ रहे हैं, वे केवल भुलावे के लिए हैं और बनावटी प्रकार के हैं, उन पर गहराई से चर्चा होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता।

यह पब्लिक डोमेन का विषय है। जहां कंपलसरी लाइसेंस के लिए आप इसे लेकर आ रहे हैं, इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसे माननीय मंत्री जी अभी भी दूर कर सकते हैं। कंपलसरी लाइसेंस और इसके अलावा जो प्री ग्रांट की रिप्रैजैंटेशन का प्रोविजन है, उसे पुन: देखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि हम पेटेंट दिये जाने से पहले रिप्रजैंटेशन रख रहे हैं और पेटेन्ट स्वीकार हो जाने के बाद, उसके अपोजीशन का प्रावधान रख रहे हैं। यह कहीं भी, ट्रिप्स या किसी एग्रीमैंट के भीतर परिभाषित नहीं है कि आपको क्या करना है। अगर हम चाहते हैं कि देश में पेटेंट ओर फ्रिविलस एप्लीकेशंस की बाढ़ न आए तो हमें प्री ग्रांट अपोजीशन का अधिकार देना चाहिए। ... *(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष जी, दो-चार मिनट और दे दें। बाकी जो रहेगा, फिर रिप्लाइ में आप अवसर देंगे। उसमें नया विषय आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जरूर देंगे। आप बोलिये।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : घंटी से जरा डर लगता है।

अध्यक्ष महोदय : डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं, आपकी प्रसंशा करता हूं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : धन्यवाद अध्यक्ष जी।

मैं कह रहा था कि प्री ग्रांट अपोजीशन का अधिकार अगर दिया है, पेटेन्ट के लिए जो आवेदन आयेंगे, उनकी छंटनी करने के लिए जो कंट्रौलर बैठेगा या पेटेन्ट का ऑफिस होगा, उसे भी मदद मिलेगी। इसका प्रावधान करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और इसके लिए माननीय मंत्री जी अवश्य व्यवस्था करें।

इसके क्या-क्या खतरे हैं, अब मैं उसके संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे सामने जो पेटेन्ट विधेयक आया है, उससे जो भारतीय उत्पादक पेटेन्ट दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, वे इस अवधि में, अगर आपका संशोधन होता है, उसके बाद की बात मैं नहीं कहना, इस अवधि में यदि आपका संशोधन आएगा तो वे वैध होंगे। अगर उनको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लेकर नहीं आते तो भी एक लैक्यूना रहेगा और वे सारे के सारे अवैध होंगे और उन पर मुकदमा चलाया जायेगा।

दूसरा यह कि उत्पादक को पेटेंट धारक से अनुमति लेने की अवधि की जब हमने व्यवस्था नहीं की है तो उसे मनमानी कीमत और शर्तों पर अनुमति लेनी होगी। उसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। वह अवधि निर्धारित होनी चाहिए, और उसकी रॉयल्टी तय होनी चाहिए।

तीसरा खतरा यह है कि भारत में, देश के भीतर जो दवा उद्योग के क्षेत्र में कंपनियां हैं, उनके रिसर्च एंड डैवलपमेंट पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि आपने 20 वर्षीय पेटेन्ट की जो अवधि रख दी है, वह इतनी लंबी अवधि है कि उस समय तक हमारे देश के भीतर इस विषय को लेकर जो शोध कार्य होता होगा, वह प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, आप इस संबंध में जो पेटेन्ट में कंपलसरी लाइसेंस की व्यवस्था ला रहे हैं, आपने कह दिया है कि उसका शॉर्टर पीरियड होगा, जबकि उसे को-टर्मिनस होना चाहिए। अगर 20 साल का पेटेन्ट होगा तो उसके कंपलसरी लाइसेंस की अवधि भी उतनी होनी चाहिए और ऐसा प्रावधान होना चाहिए।

बीस वर्षीय पेटेंट को स्कोप फॉर पेटेंटेबिलिटी में रखा है। इसे पुनः देखते हुए आयात की अनुमति के प्रावधान को हटाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे भारत की स्थिति दवा निर्माता के बजाए सिर्फ एक मार्केट के रूप में स्थापित होगी। डब्ल्यूएचओ का हवाला दे कर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। डब्ल्यूएचओ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत चिंता व्यक्त की है। डब्ल्यूएचओ के 17 दिसम्बर, 2004 का पत्र है और उसके बाद भी कुछ पत्र आए हैं क्योंकि उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को पत्र लिखे हैं इसलिए आपके पास नहीं आए होंगे, सरकार के पास आए हैं। उसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते है कि हमारे कई सदस्य राज्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि भविष्य में अब उन्हें भारत में निर्मित जिनेरिक एंटीरि टोबाइरल औषधियां कभी भी नहीं मिल सकेगी। इस मामले में हाल ही में नेरोबी, केन्या में अधिप्राप्ती और आपूर्ति प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यशाला में अन्य स्थानों के अर्थात् घाना, लिसोथो, मलावी और नामिबिया के प्रतिनिधियों ने भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है। क्वालालम्पुर मलेशिया में (28-30 नवम्बर 2004) को डब्ल्यू.टी.ओ./टी.आर. आई.पी.एस. (ट्रिप्स) समझौता तथा औषधियों तक पहुंच (एक्सस) विषय पर आयोजित एशियाई क्षेत्रीय कार्यशाला में बंगलादेश, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, लोओस, थाईलैंड, पापुआ न्यू गिनी, तथा वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भी चिन्ता व्यक्त की/चूंकि भारत एंटीरिट्रोबाइरल तथा आवश्यक औषधियों को मुनासिब दरों पर पूरे विश्व में आपूर्ति करने में एक अग्रणी देश है, अतः हम आशा करते हैं कि भारत सरकार गरीब देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि इन देशों को एंटीरिट्रोबाईरल औषधियों की तत्काल पहुंच होनी चाहिए अतः बिना किसी प्रतिबंध के, जो कि टी.आर.आई.पी.एस. (ट्रिप्स) समझौते में आवश्यक नहीं है तथा जो इन औषधियों की पहुंच में बाधा डाल सकते हैं। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ज्यादा उल्लेख होता है और हमारे पूर्व मंत्री श्री मुरासली मारन जी ने दोहा में नेतृत्व किया था और अपने नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित किया था। यह जो आशंकाए व्यक्त की जा रही हैं हमारे मंत्री जी अपने उत्तर में इनका समाधान कर के निश्चित रूप में इनको दूर करेंगे। मैं एक पंक्ति जो कि हमारे संसद भवन के गलियारे में लिखी है, हमेशा उसका स्मरण करता हूं, क्योंकि कभी भी हम भटकाव की तरफ जाते हैं या हम कभी यह सोचते हैं। कि मेरी दृष्टि में यह सही है, लेकिन सारे सदन की दृष्टि से ठीक हो सके, ऐसें कार्य हमें करने चाहिए। पूरे देश के लिए और दुनिया के कमजोर देशों के लिए भी, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है उनको भी यह संदेश जाना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं, उसे आचरण में लाएं - "जहां सुमति तहां सम्पत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना" अर्थात जहां सुमति है वहां सम्पत्ति आपने आप होगी। देखा जाए तो सुमति 18 तारीख के बाद आई है। कल और आज में आई है। यह सुमति आए और आर्टिकल 85 का

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

इस्तेमाल करते हुए हाउस को प्रोरोग करें, माननीय नेताओं से चर्चा करें, माननीय नेताओं से चर्चा करें। एक हाउस को प्रोरोग कर लें और उसके बाद आराम से रिप्रोमलगेट कर सकते हैं और पुनः स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ले कर करें। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। यही एक रास्ता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रास्ता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने सुझावों पर बल देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अंत में सबकी बातें सुन कर जो शक या शंकाएं उठाई गई हैं, उनका जबाव दूंगा। आज अमेंडमेंट बिल पर यह सदन चर्चा कर रहा है। इससे संबंधित शक-शंकाएं दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। इन्होंने नीयत की बात कही है। नीयत की बात इस बिल से या आर्डिनेंस से अलग है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब यह नीयत की बात करते हैं क्योंकि कल जब इस पर ऐतराज व्यक्त किया था और मैंने स्वीकार किया था, हमारे सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी ने भी स्वीकार किया था और कहा था कि आप इस पर चर्चा करें।

महोदय, उस समय भी मैंने यह बात कही थी कि जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, यह जो प्रॉसेस है, यह वर्ष 1999 में चालू हुआ और मैं इस प्रौसेस को आगे चला रहा हूं। पहला अमेंडमेंट वर्ष 1999 में हुआ था। यहां अभी नोवार्टिस और दोहा का जिक्र किया गया। इस पर भी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। क्योंकि यह बिल तो पिछली सरकार ने वर्ष 2003 में पेश किया था। मैं तो यही मानता हूं कि पिछली सरकार ने बहुत सोच-समझ कर और विचार करने के बाद इस बिल को प्रस्तुत किया था।

महोदय, पिछली सरकार ने जब यह बिल सदन में पेश किया था, तो बड़े विश्वास के साथ पेश किया था। आप जिस दोहा की बात कर रहे हैं, यह उस समय भी थी। आज आप जिस नोवार्टिस की बात कर रहे हैं, उस समय भी थी। जितने पहलुओं पर आपने चर्चा की, वे थर्ड अमेंडमेंट के विषय नहीं थे। वे पहले और दूसरे अमेंडमेंट के विषय थे। इस पर दो साल तक जे.पी.सी. ने चर्चा की और आप कहते हैं कि इस पर और चर्चा करें। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह एक ऐसा बिल है जिसमें मैं मानता हूं कि मतभेद होते हैं और होने चाहिए, लेकिन देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, इसे पास करना चाहिए।

महोदय, कल श्री प्रणव मुखर्जी साहब ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जवाब देते हुए कहा कि जब ये पिछली सरकार ने बिल लाए थे, तब दो अमेंडमेंट लाए थे और तब कांग्रेस पार्टी ने जो देश और अन्तर्राष्ट्रीय मजबूरी थी, उसको समझते हुए, उसकी पूर्ति के लिए बिला का समर्थन किया था। आप कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हुई। मैं कहता हूं कि आठ दिन में इस पर चर्चा हो जाएगी। आप कहते हैं कि देश-विदेश में इस पर बहस होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि देश-विदेश में इस पर आठ दिन में बहस हो जाएगी। आप कहते हैं कि यह स्टेडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, मैं कहता हूं कि इस पर आठ दिन में स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हो जाएगी। यह सब हो जाएगा, लेकिन जे.पी.सी. ने जिसके लिए दो साल लगाए, 40 सिटिंग कीं, उसमें इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। जितने भी मुद्दे आपने प्रस्तुत किए हैं, उन सभी पर जे.पी.सी. में चर्चा हो चुकी है। जिस पेटेंट एलिबिटी की बात आपने कही, मैं आज जिस पेटेंट एबिलिटी में संशोधन ला रहा हूं, इस पर तो जे.पी.सी. ने दो साल पहले बहस कर ली। ये फर्स्ट एंड सैकिंड अमेंडमेंट के मुद्दे थे, जिन पर जे.पी.सी. बैठी। इस सदन में चर्चा हुई और वह बिल पास हुआ।

महोदय, आज जो संशोधन, पेटेंट एक्ट, 1970 में आ रहा है, वह सीमित है। जो मुद्दे बच गए थे, यह उस विषय पर सीमित है। जो बहुत सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, जैसे आपने प्रॉसेस का मुद्दा उठाया, कम्पलसरी लाइसेंसिंग का मुद्दा उठाया, ये विषय तो सैकिंड अमेंडमेंट के थे। इन पर जे.पी.सी. ने बहस की और जे.पी.सी. की रिपोर्ट सदन में पेश हुई और आप कहते हैं कि चर्चा की जाए। आप कहते हैं कि राज्य सभा या लोक सभा का प्रोरोग कर दिया जाए जिससे अमेंडमेंट लैप्स हो जाए और फिर दूसरा अमेंडमेंट लाया जाए। मैं समझता हूं कि हमें इस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग नहीं। यदि हम इस डिवाइस का दुरुपयोग करेंगे, तो यह हमारी संसदीय परम्पराओं के खिलाफ होगा। यह तो एक डिवाइस है। यह हमारे संसदीय नियमों में एक प्रावधान है, लेकिन हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है।

महोदय, चर्चा हुई, हमने भी सोचा कि यदि इसका कोई दूसरा उपाय हो, तो वह किया जाए, लेकिन बहस के बाद और इतने साल के बाद अब इस प्रकार की बात करना मुनासिब नहीं है। वर्ष 2002 में सैकिंड अमेंडमेंट आया था और उस पर डेढ़-दो साल बहुत सोच-विचार करके, पिछली सरकार ने सब तरह से चर्चाएं करके, तीसरा अमेंडमेंट लाई, और अब कहते हैं किसी ने चर्चा नहीं की। उस समय तो यह सब ठीक था और आज कहते हैं कि हमारी नीयत खराब है। आज वही बिल, जब आप यहां थे, तो ठीक था, लेकिन आपके यहां से वहां चले जाने पर, बेकार हो गया। मेरा तो आप सबसे निवेदन है

कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि एक-एक पहलू और एक-एक मुद्दे पर आपके सारे शक और शंकाओं को दूर करने का प्रयास मैं करूं।

माननीय सदस्य ने भी यह कहा है कि जो अमेंडमेंट मैं ला रहा हूं, वह पास हो जाए। आपने यह सुझाव दिया है और मैं उम्मीद करता हूं यह पास हो जाए। मैं चाहूंगा कि जैसा आपने सुझाव दिया और जो अमेंडमेंट मैं इस बिल के पास होने से पहले लाऊंगा, आप सभी उसका समर्थन करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2004 को प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"
>
> " पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

अब श्री उदय सिंह। क्या यह आपका स्थान है?

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : महोदय, मैंने यहां से बोलने की अनुमति मांगी है। इसकी लिखित सूचना मैने आपको आज नहीं अपितु करीबन सात दिन पहले दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए?

श्री उदय सिंह : मैंने अपने स्थान नहीं बल्कि यहां से बोलने की अनुमति मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक मुद्दे पर?

श्री उदय सिंह : नहीं महोदय, इस मामले पर।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, परंतु भविष्य में सामान्य सूचना पर्याप्त नहीं होगी। अब भी मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं आप विचारों की एकाग्रता को भंग नहीं करना चाहता। किन्तु कृपया सभा के साथ सहयोग करें।

श्री उदय सिंह : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सदन के नेता श्री प्रणव मुखर्जी को कल श्रीएल.के. अडवाणी द्वारा इस मामले को कल उठाने की बजाय एक दिन के लिए स्थगित करने संबंधी सुझाव मानने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि चर्चा शुरू होने तक के समय तक इस महत्वपूर्ण विधेयक में किए जाने वाले कुछ संशोधन कल हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि आज हमारे पास बहुत सारे संशोधन पहुचें है और हमें इतना भी समय नहीं दिया गया कि हम उन्हें देख सकें और उनका अर्थ समझ सकें।

हम सभी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि यह विधेयक शायद एक महत्वपूर्ण विधान है जिस पर संसद में विचार किया जा रहा हैं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह विधेयक लाखों लोगों के जीवन और न केवल भारत अपितु उन अल्पविकसित राष्ट्रों के मिलियन व्यक्तियों की जीविका से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं जो कि चिकित्सीय उपचार के लिए भारत पर निर्भर हैं, जिनकी दवाइयां यहां से जाती हैं। आपको एक उदाहरण देने के लिए बताता हूं कि अल्पविकसित राष्ट्रों में एड्स के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली 70 प्रतिशत दवाएं भारत में बनती हैं। वे यहां से केवल इसीलिए जाती हैं क्योंकि यहां वे उन कीमतों पर उपलब्ध हैं जिनपर इन्हें खरीदा जा सकता हैं। अतएव इतने महत्व के विधेयक के मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करके हम अपने देश बल्कि ऐसे ढेर सारे राष्ट्रों को नीचा दिखा रहे हैं जो हम पर निर्भर हैं जो भारत को नेता मानते हैं और भारत को एक ऐसा देश मानते हैं, जहां पर इलाज कराना उनकी सामर्थ्य में है। इसी कारण से हम चाहते हैं कि यह विधेयक स्थायी समिति के समक्ष भेजा जाए जहां विधेयक के प्रत्येक खण्ड की पुनरीक्षा जा सके और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने बार-बार इस तरफ इशारा किया कि एनडीए की सरकार यह बिल लेकर आई थी और वही बिल सदन में पेश हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार यह बिल तब लाई थी, जब इस बिल को पारित होने में हमारे पास एक वर्ष से ज्यादा वक्त था।

[अनुवाद]

उसकी कोई समयसीमा नहीं थी। मेरा कंप्यूटर यह नहीं बता रहा था कि इतने घंटे और इतने मिनट शेष रह गए हैं। उस समय इस विधेयक को लाने का कारण यह था कि विधेयक स्थायी समिति के समक्ष भेजा जा सकता था और उसकी पुनरीक्षा की जाती। हम सभी इस बात को समझ सकते है, कि सदन के पास समय नहीं है और शायद स्थायी समिति के पास उपलब्ध उन विशेषज्ञों का लाभ नहीं

[श्री उदय सिंह]

उठा पाएगें जो यथापेक्षित रूप से विधेयक के गुणावगुण का निर्धारण करते हैं तथा उसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं और यह विधेयक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है।

भारत को ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) का अनुपालन करना चाहिए तथा हमारा दल इससे सहमत है। हम इस विधेयक पर कोई विवाद नहीं चाहते। यह अनावश्यक रूप से पैदा किया जा रहा है परंतु आवश्यक सीमा तक ट्रिप्स का अनुपालन किया जाना चाहिए। अतएव हमारे विधान को ट्रिप्स समझौते में अनुमेय लचीलेपन का लाभ उठाना चाहिए ताकि हम अपेक्षित सीमा से आगे न जा सकें। हमें यह आशंका है कि वस्तुत: हम ट्रिप्स समझौते में की जाने वाली अपेक्षाओं से काफी दूर जा रहे हैं। अतएव, दूसरी ओर गलती करना किसी के भी हित में नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचता कि हमें इस मामले पर इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सभापति से आश्वासन क्यों नहीं ले रहे हैं जबकि उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत आश्वासन दिया है कि वे सिफारिशों और यथा आवश्यक आशोधनों सहित पुनरीक्षित विधेयक दस दिनों के भीतर लौटा देंगें। जहां तक मैं समझ पाया हूं सदन की यह बैठक 18 अप्रैल के बाद से अब तक की संक्षिप्त अवधि के बाद आज हो रही है।

हमारा विधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो सकता है। इसके बावजूद भी मतभेद पैदा हो सकता है। मुझे सरकार के अपने कृत्यों के बारे में यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इससे विदेशो में भारत की साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका कल का तर्क इसे मल्टी फाईबर करार से जोड़ रहा है, मैं नहीं समझता कि यह एक स्वीकार्य तर्क है क्योंकि उत्पन्न हो सकने वाला यह मतभेद इस तथ्य से दूर किया जा सकता है कि हम विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव दे सकते हैं। अतएव मैं नहीं जानता कि जल्दबाजी किस बात की है। मैं सरकार की मंशा पर संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। पूरी सभा इस बात से सहमत है कि भारत को भूमण्डलीय रूप से रहना चाहिए और इसकी भूमण्डलीय प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए। परंतु ऐसी क्या जल्दी है? यह दो एक सप्ताह के बाद पारित क्यों नहीं किया जा सकता।

मेरे दल के सहयोगी आपसे पहले ही यह बता चुके हैं कि वस्तुत: विशिष्ट विपणन अधिकारों पर एक गलत निर्णय से ल्यूकेमिया के उपचार के लिए औषधियों का खर्च 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 1,20,000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो इसका प्रभाव न केवल भारत पर बल्कि अन्य सभी देशों पर भी पड़ेगा जैसाकि मैं बार-बार कह रहा हूं। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि भारत पर निर्भर अन्य सभी देश अतएव, इस संबंध में हमारे पास क्या रक्षोपाय हैं? मेरे कल के अंतराक्षेपण के उत्तर में मंत्री महोदय आप ये बताइए कि आप इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं कि औषधियों की कीमतें नहीं बढ़ेंगीं। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर आप इतने विश्वास के साथ ऐसा कह रहे हैं क्योंक एक अनुभव ने हमें बताया है कि ऐसा होने वाला है।

दरअसल, दवाई को पेटेंट करना बीमारी को पेटेंट करने जैसा है। यदि किसी खास बीमारी का उपचार करने के लिए केवल एक ही रसायन है और आप उस उत्पाद को पेटेंट कर देते हैं तो आप वास्तव में उस बीमारी को पेटेंट कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति को बीमारी होती है उसे दवाई बनाने वाली कंपनी के पास जाना होगा अथवा उसके पास दूसरा विकल्प है कि वह मर जाए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह निर्णय कौन करेगा कि क्या पेटेंट करने योग्य है और क्या नहीं? पेटेंट देने पर आपत्ति करना किसी भी पेटेंट व्यवस्था का अभिन्न अंग होना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है यह हमारे पास आए, संशोधनों का हिस्सा नहीं है। मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं आपत्ति का अधिकार उस व्यक्ति तक सीमित है जिसने अपनी आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा है। उसे पेटेंट देने संबंधी कार्यवाहियों का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसे यह नहीं बताया गया कि उसकी आपत्तियों को क्यों...*(व्यवधान)* मेरा मतलब है ठीक नहीं किया जा रहा है। इसमें संशोधन किया गया है।

लेकिन, माननीय मंत्री जी हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। यदि इसमें संशोधन किया गया है तो और भी कई चीजें है जिनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस पर हमारा तर्क है कि आप स्थाई समिति को इसे देखने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? जो कमियां बताई जा रही हैं उन्हें पूर्वव्यापी विधेयक द्वारा पूरा किया जाए। शायद यह संयोग मात्र है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार मल्टीनेशनल और बड़ी भारतीय कंपनियों द्वारा अनावश्यक रूप से प्रभावित हो रही है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने संयोगवश जेनेरिक दवाईयों पर से रियायती शुल्क दर हटाने का निर्णय लिया है ताकि इसे ब्रांडेड दवाइयों के समकक्ष किया जा सके। अब भारत के उस

संपन्न औषध उद्योग का क्या होगा जिस पर न केवल हम, मैं पुन: दोहराता हूं कि कई अन्य देश भी निर्भर हैं? यदि जेनेरिक दवाई की कीमत ब्रांडेड दवाई के बराबर होगी तो जेनेरिक दवाई कौन खरीदेगा? अत:, हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई उद्देश्य है। इसके पीछे यह मंशा है कि भारत में जेनेरिक औषध उद्योग को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और शायद यह मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रभाव के अंतर्गत किया जा रहा है। यहां पर, सभी जगह उपलब्ध और परिचालित न्यूयार्क टाइम्स के सम्पादकीय से उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा। इसके अनुसार भारतीय औषधीय कंपनियों पर उन मल्टीनेशनल कंपनियों का भारी प्रभाव है जो भारतीय मध्यम वर्ग जिसकी जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है, को अधिक कीमत वाली दवाइयां बेचने के इच्छुक हैं।

यदि यह सभा इस बात पर ध्यान नहीं देती है तो हम अपनी शिकायत को कहां ले जाएं? हमारे पास दूसरा विकल्प यह है कि हम बाहर बैठकर प्रदर्शन करें और धरना दें जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है क्योंकि हम इस सभा में उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं जो जनता के लिए बहुत महत्व के हैं। अत:, मेरा मानना है कि स्थाई समिति को भेजे जा रहे इस मामले में हमारे अनुरोध पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

मैं समझता हूं कि श्री प्रणब बाबू जैसे वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति जो कि सभा के नेता भी हैं, के होते हुए सरकार शायद शीघ्र यह विचार कर सकती है कि क्या यह इस मामले पर यहां चर्चा करना चाहेगी।

इसके पश्चात् एक आखिरी मुद्दा अनिवार्य लाइसेंसिंग का है। मैं स्वास्थ्य संबंधी स्थाई समिति की सदस्य हूं। मैंने इस बारे में मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आकस्मिकता के मामले में अनिवार्य लाइसेंसिंग आरंभ हो जाएगी। मैं उनसे यह जानना चाहती थी कि राष्ट्रीय आकस्मिकता होने पर कौन सी दवा कंपनी आवश्यकतानुसार पेटेंट दवाई का उत्पादन और वितरण करने की स्थिति में होगी। क्या सरकार अपने रुग्ण आई डी पी एल के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग करने के बारे में सोच रही है जिससे कि ये राष्ट्रीय आकस्मिकता के लिए तैयार हो सकें और शायद आगे आकर आवश्यकतानुसार इस अंतराल की भरपाई कर सकें।

दवाइयों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वह यह है कि कीटनाशक जो कि इस पेटेंट क्षेत्र का एक हिस्सा है, भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। माननीय कृषि मंत्री यहां नहीं हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि वे नकली और कम गुणवत्ता वाले कीटनाशकों से होने वाले नुकसान और हमारे किसानों को होने वाली हानि के बारे में जानते हैं। और यह भी सत्य है कि जैसे ही आपके पास कीमती और ब्रांडेड कीटनाशी दवाइयां या जो भी हों आने लगती हैं, नकली दवाई निर्माता भी सामने आने शुरू हो जाते हैं। अत: यदि कीटनाशकों को भी अविवेकपूर्ण तरीके से पेटेंट करने की अनुमति दी जाती है — विधेयक में जो तरीका है वह अविवेकपूर्ण है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे उन किसानों का क्या होने वाला है जिन्हें पहले से ही कम स्तर के बीच, कीटनाशक मिल रहे हैं। हम इन सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किए बिना शीघ्रता से और बहुत सक्षमता से दूर कर सकते हैं। अत: मैं अपनी और अपने दल की तरफ से तथा शायद यहां पर उपस्थित सदस्यों की तरफ से यह अनुरोध करती हूं कि इसे तत्काल पुनरीक्षा हेतु स्थाई समिति के पास भेजा जाए और जब 18 अप्रैल, 2005 को सभा पुन: समवेत हो तो इस मामले पर पुन: विचार किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं जो मैंने इस विधेयक के पुर:स्थापन पर असंतोष जाहिर कर रहे विपक्ष के अपने एक मित्र से सुनी थी। शायद वे समझते हैं कि 'पेटेंट' शब्द अपने आप में एक भद्दा शब्द है। मैं बताना चाहता हूं कि यह कोई नया विषय नहीं है जो अचानक आकाश से टपक कर आया हो। पेटेंट कानून बहुत पहले 1911 में बनाया गया था। उसे 1970 के अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया। तेजी से बदलते समाज में समय के साथ चीजें भी बदलती हैं। विश्व में बदलती परिस्थितियों के साथ ही, जैसाकि नेता प्रतिपक्ष ने इसका जोरदार तरीके से खुलासा किया, जब हमने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की, तो हमारे लिए यह बाध्यता थी। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनने के पश्चात् हमने वहां ट्रिप्स (टीआरआईपीएस) समझौते से उपजी बाध्यताओं के संबंध में चर्चा की थी।

जैसाकि हम सभी इस बात से अवगत हैं, 1970 के अधिनियम से पूर्व दो संशोधन लाए गए थे और जब राजग की सरकार थी, तो इन्हें प्रभावी बनाया गया। इसकी महत्ता, इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति अपनी जवाबदेही को महसूस करते हुए हमने इसका पूरा समर्थन किया था। इस विधेयक को राजग द्वारा लाया गया था और इसे

[श्री पवन कुमार बंसल]

23 दिसम्बर, 2003 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था। तब उस विधेयक में कतिपय खंडों को छोड़ दिया गया था। अब उनमें सुधार कर उन्हें इस विधेयक में शामिल कर लिया गया है। विधेयक की तब स्थायी समिति में भेजने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया था। विधेयक के पुरःस्थापन के तत्काल बाद सभा भंग नहीं हुई थी। सभा यही कोई फरवरी में नए सत्र बुलाए जाने के बाद ही भंग हुई थी। इस अवधि के दौरान ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, जैसाकि मैंने यह कहा था। सभा के समक्ष कई अन्य विषयों को लाने के इस सरकार के प्रयास रुक गए थे, बाधित हुए थे, ऐसा सभा में उस समय के मौजूदा हालातों के कारण हुआ था।

मैं इसका ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। किन्तु इस अवधि के दौरान ऐसा नहीं है कि सरकार इस मामले में सुस्त होकर बैठी रही। व्यापक चर्चाएं की गईं और जैसाकि माननीय मंत्री ने कुछ खुलासा किया था, ऐसी चर्चाएं भाजपा के नेताओं के साथ भी की गई थीं। किन्तु अभी तक भाजपा सदस्यों की ओर से एक भी संशोधन पेश या पुरःस्थापित नहीं किया गया है। मैं समझ सकता हूं, कुछ संशोधन हमारे वामपंथी मित्रों की ओर से आए हैं। इस विषय पर उनका एक अपना दृष्टिकोण है। उनका यह दृष्टिकोण पहले भी था, और अभी तक भी था और मैं समझता हूं कि यह उनसे बातचीत के बाद सुलझा लिया गया है। यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है-- आप बातचीत करें, विषयों पर चर्चा करें और फिर किसी हल पर पहुचें। किन्तु भाजपा द्वारा एक भी संशोधन पुरःस्थापित नहीं किया गया।

महोदया, मैं विषयों की तह में जाने की कोशिश कर रहा था, और यदि राजग द्वारा पुरःस्थापित विधेयक तथा हमारे सामने अध्यादेश के रूप में और अब विधेयक के रूप में प्रस्तुत विधेयक में कोई अंतर है, तो वह यह है कि इसमें अब दो सुधार किए गए हैं। सभापति महोदय, उन्हें मैं संक्षेप में कहने की अनुमति चाहता हूं। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना है कि मेल बॉक्स आवेदनों जिनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, को प्रदान किए गए पेटेंट पर आधारित संरक्षण पेटेंट प्रदान करने की तिथि से ही तत्काल प्रभाव से लागू होगा, न कि आवेदन की तिथि से अब धारा 11क में एक संशोधन शामिल किया गया है। एक नया उपबंध जोड़ा गया है।

पेटेंट की आयु 20 वर्ष होने संबंधी एक पुराने प्रावधान की भी चर्चा थी जिसे निश्चित रूप से दूसरे संशोधन के माध्यम से शामिल कर लिया गया। किन्तु दरअसल जिस बात का ध्यान रखा गया है वह यह है कि संशोधन, जिसे अब वर्तमान संशोधन विधेयक में शामिल कर लिया गया है और यह राजग के विधेयक से अलग बेहतर रूप में है, में यह सुनिश्चित किया गया है कि हालांकि संरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होगा, फिर भी पेटेंट की आयु जो 20 साल है, आवेदन की तिथि से मानी जाएगी, न कि पेटेंट प्रदान करने की तिथि से। इस तरह पेटेंट की आयु 10 साल यूं ही कम हो जाती है। हम जानते हैं कि स्वास्थ्यप्रद दवा के मामले में पेटेंट में इस बात का प्रावधान होगा कि ऐसी दवा अन्य कंपनियां भी स्वतंत्र रूप से बना सकेंगी।

महोदया, दूसरी बात जो अब वर्तमान विधेयक में और यहां तक कि अध्यादेश में भी शामिल करली गई है। वह यह है कि धारा 107क(ख) में संशोधन जिसमें समानांतर आयात का प्रावधान है। यहां इस संशोधन में कहा गया है: "विश्व में कहीं से भी पेटेंट की गई वस्तु के आयात पर सरकार अधिकार सुरक्षित रखती है" इस तथ्य के बावजूद कि किसी दवा का पेटेंट यदि यहां किसी अन्य कंपनी के द्वारा हुआ भी हो तो भी हमें विश्व में कहीं से भी, जहां यह दवा सस्ती हो और उसका यहां पटेंट भी किया जा चुका हो, आयात करने का अधिकार है। हालांकि पहले यह वांछनीय था कि विदेशी निर्यातकर्त्ता पेटेंटी द्वारा विधिवत् अधिकृत हो। यह पूर्व की शर्त थी। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब जो कानून होगा और जैसा कि हमारे सामने विधेयक में यहां शामिल किया गया है, वह यह है कि अब हमें केवल उस शर्त का पालन करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें यह कहा गया था कि विदेशी निर्यातकर्त्ता उत्पादों को बेचने और वितरित करने के लिए पेटेंटी द्वारा विधिवत् अधिकृत हो। अब स्थिति यह होगी कि विदेशी निर्यातकर्त्ता कानून के तहत अधिकृत हो जिससे कि समांतर आमान का मार्ग आसान हो सके।" इस प्रकार की व्यवस्था से जैसाकि आप जानते हैं, मूल्य नियंत्रण में मदद मिलेगी।

महोदय, दोहा घोषणा के पैरा 6 का उल्लेख किया गया था और वह सही भी था। पर दरअसल हम यह जानना चाहते है कि क्या सरकार ट्रिप्स के अंतर्गत निर्धारित सीमा से बाहर जा रही है, जैसा कि हमारे माननीय मित्र भी उदय सिंह उक्त पैरा का हवाला दे रहे थे और यह व्यापक आरोप मढ़ रहे थे। इसलिए मैं दोहा घोषणा के पैरा 6 के प्रावधानों जिनमें विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकारों को अपर्याप्त का अथवा फार्मास्युटिकल सेक्टर में विनिर्माण

क्षमता विहीन बताया गया है, का संदर्भ दिए बगैर उन संशोधनों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिन्हें इस विधेयक में, जो हमारे सामने है, की धारा 92क में शामिल किया जा रहा है। तत्पश्चात् हम लोग इनमें और सुधार के लिए अपने मित्रों से चर्चा करना चाहेंगे। धारा 92क में अल्पविकसित देशों की बात कही गई है। हमारे विभाग में एलडीसी (अल्प विकसित देशों) का ख्याल है। सरकार उस ओर ध्यान दे रही है। यदि आप धारा 92क को, जिसे अब इस विधेयक में शामिल किया जा रहा है, पढ़ने की अनुमति देते हैं तो वह इस प्रकार है:-

> "...ऐसे किसी देश को जिनके पास लोक स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करने के लिए संबद्ध उत्पाद के लिए भेषणीय सेक्टर में अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता है या कोई विनिर्माण क्षमता नहीं है, पेटेंटकृत भेषजीय उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति उपलब्ध होगी परंतु यह तब जब कि ऐसे देश द्वारा अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो।"

माननीय मंत्री ने इसमें आगे और क्या जोड़ने का प्रस्ताव किया है वह यह है:

> "...अथवा उक्त देश ने भारत से पेटेंटिड फार्मास्यूटिकल उत्पादों के अधिसूचना अथवा अन्य माध्यम से आयात करने की अनुमति दी है।"

एतएव इस संबंध में समस्या क्या है? हम यहां बात यह कर रहे हैं—कि इससे अनेक देश जो हमारी ओर आस लगाए देख रहे हैं उनके हितों का नुकसान होगा? कल यह आंकड़ा 200 का था। मैं नहीं जानता कि क्या भारत ने दुनिया के 200 देशों की मान्यता दी है। महोदया, मैं यह नहीं जानता। दूसरी ओर कल यह कहा गया:

[हिन्दी]

"वे देश आपकी तरफ देख रहे हैं, उनका भविष्य आप पर मुनस्सर है कि उनके साथ क्या होगा"। मैं कहूंगा कि इस बात का ध्यान रखा गया है। मैं उस चीज में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता कि पहले उसमें क्या था. क्यों ऐसा हो रहा है। बेशक वह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह बिल एनडीए सरकार ने लोक सभा में पेश किया था, राज्य सभा में नहीं। राज्य सभा में पेश हुआ होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती दूसरी बार नया बिल लाने की। यह नया बिल लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि यह बिल लोक सभा में था और इसलिए कोई काम नहीं हुआ। यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी, जो हमने डब्ल्यू.टी. ओ. की सदस्यता लेने के साथ-साथ कबूल की थी। उसके बाद हमारा बाहर रुतबा कितना रहता है—बाहर वाले मानते हैं कि हिन्दुस्तान से बात करने में माना जाएगा कि एक जिम्मेदार सरकार से बात कर रहे हैं—या बस ऐसे ही। यहां एक सरकार आई, पहली पार्टी की सरकार थी। उसने बहुत बड़ी बातें कीं लेकिन जब वह विपक्ष में चली गई, तो वे सब भूल गए—इसमें कोई कंटीन्यूटी आपस में नहीं है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय कार्यों संबंधी नीतियों में निरंतरता होनी चाहिए। यही बात हमें बाहरी दुनिया को साबित करनी हैं। यह सरकार भी यही कर रही है।

मैं जानता हूं कि भारत का डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने पर बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था कि उस समय वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सभापति श्री आई.के. गुजराल थे। सदस्यों ने इस बारे में अलग-अलग विचार रखे। लेकिन, अन्ततः हमने सर्वसम्मति से रिपोर्ट में कहा कि डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनना भारत के राष्ट्रीय हित में है। एक बार सदस्य बनने पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें लाभ मिल सकता है और ऐसी चीजें भी हैं, जो हो सकता है आपके अनुसार न हों लेकिन आपको करनी पड़ती है। आप उन चीजों को अलग प्रकार से चाहते हो लेकिन हमारा पैकेज यही है। सभी कुछ हमारे अनुकूल नहीं हो सकता। माननीय मंत्री ने भी कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो चिन्ता का कारण हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह मामला हमारे लिए चिन्ता का विषय नहीं है। लेकिन, हम क्या करें? इन मामलों का समाधान कैसे किया जाए? इसमें आपातकाल का उल्लेख किया गया था। दोहा घोषणापत्र में भी इस बारे में बात की गई थी। लेकिन इसमें प्रावधान किया गया कि—सरकार की अधिसूचना द्वारा अनिवार्य लाइसेंस दिया जाए। मैं केवल उस मामले का ही उल्लेख करना चाहता हूं।

सार्वजनिक हितों के संरक्षण विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मामलों के लिए कानून में भी उपाय किए गए हैं। बार-बार यही बात कही गई है और इसलिए मैंने यह कहते हुए शुरू किया कि 'पेटेंट' कोई बुरा शब्द नहीं है। यह क्या है? वास्तव में पेटेंट का अभिप्राय आविष्कार को प्रोत्साहित करना है। साथ ही पेटेंट करवाने वाले के वित्तीय एवम् आर्थिक अधिकारों तथा समाज कल्याण के बीच सही संतुलन बैठाना भी है। यह इस सरकार का प्रयत्न है—कि इस

[श्री पवन कुमार बंसल]

कानून में पेटेंट धारकों के अधिकारों और आय तथा उपभोक्ताओं के हित एवम् आर्थिक विकास के बीच सही संतुलन बैठाया जाए ताकि देश के उन लोगों जिनको प्रभावी, सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्व औषधियों की पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए के अधिकाधिक सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।

जब मैं यह कहता हूं तो मेरे दिमाग में उन प्रावधानों का विचार आता है जो लोकहित तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। वे क्या हैं? विधमान कानून में पेटेंट का सशर्त लाइसेंस देने का उपबंध है जो सरकार को अपने उद्देश्य; औषधियों हेतु किसी पेटेंट का आयात करने, उसे बनाने अथवा उसका उपयोग करने का अधिकार देता है, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण के लिए उनका आयात करने का अधिकार भी देता हैं।

इसके लिए धारा 66 पहले से ही विधमान है। यह लोक हित में पेटेंट के प्रतिसंहरण के संबंध में है। सरकार उन अधिकारों को सुरक्षित रखती है और ऐसा नहीं है कि हम अपने हाथ काटकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम एन सी) को दे रहे हैं जैसा कि कहा जा रहा है। यह सरकार संप्रभु है जो एम एन सी से स्वयं निपटेगी।

अब हमें यह देखना है कि क्या हम औषध उद्योग में निवेश करना चाहते हैं। हमारा उद्योग अब परिपक्व हो चुका है; वे ऐसी चीजें चाहते हैं; वे उपयुक्त अनुप्रयुक्त पेटेंट व्यवस्था चाहते हैं जो अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलापों के लिए सहायक हो और जो देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) को आकर्षित करने में सहायक हों। हम ध्यान रख रहे हैं कि इसका दुरुपयोग न हो; हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि यह कार्य करे। अगर यह भारत में नहीं चलता है तो उसके लिए अनिवार्य लाइसेंस जैसे प्रावधान है। केवल तीन वर्ष के पश्चात् कोई भी आवेदन कर सकता है। मैं मानता हूं कि धारा 84 में इसका ध्यान रखा गया है। यह प्रावधान पहले भी था। इस संशोधन का दायरा ऐसा नहीं है जैसा इसके बारे में प्रस्ताव किया और बताया गया जिससे यह लगे कि सरकार लोक हित के विरुद्ध कार्य कर रही है।

हमें इसी बात का ध्यान रखना है और इस सभा में अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमें इसका समाधान सड़कों पर जाकर नहीं करना है। हमें यहीं इसी सभा में इस मामले पर चर्चा करनी होगी लेकिन यह चर्चा सही परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। इस संशोधन का अभिप्राय क्या है और हम क्या कर रहे हैं?

मैंने यहां अनिवार्य लाइसेंस के बारे में कहा। मैंने निर्यात के लिए अनिवार्य लाइसेंस के बारे में कहा। यह राष्ट्रीय आपातकाल अथवा अत्यधिक आकस्मिकता तथा सरकार के उद्देश्य आदि हेतु अविष्कार के गैर-वाणिज्यिक उपयोग आदि के संबंध में है।

धारा 102 में लोक हित हेतु अविष्कार तथा पेटेंट का अधिग्रहण करने की बात कही गई है जो सरकार को राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेटेंट का अधिग्रहण करने का अधिकार प्रदान करता है। मैं पहले ही समानांतर आयात के बारे में कह चुका हूं। अत: इन प्रावधानों का सार यह है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध है ताकि लोक हित विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जन आवश्यकताओं के संबंध में उचित, प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

तत्पश्चात् यह कहा गया कि इससे मूल्य बहुत बढ़ जाएंगे और दवाईयां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। जब मैंने यह कहा मैं भली-भांति जानता हूं कि आज भी दवाइयां और चिकित्सा सुविधाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इसी उद्देश्य से यूपीए सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए इस वर्ष नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू करने का निर्णय लिया और मेरे अनुसार इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया। इसमें काफी वृद्धि की गई है।

अब हम इन प्रावधानों से दवाइयों के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान में बाजार में उपलब्ध 99 प्रतिशत दवाइयां वर्ष 1995 से पहले खोज हैं और वे नई पेटेंट व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएंगी।

उन्हें हमारा यह भय कम करना होगा कि सभी मौजूदा वस्तुओं और दवाइयों के मूल्य बढ़ जाएंगे। यहां तक कि 1995 के बाद की दवाइयों के लिए भी, सामान्यत: चिकित्सीय समकक्ष अथवा प्रतिस्थापक उपलब्ध होते हैं। यही नहीं, हमारी अपनी व्यवस्था है। ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर (औषध मूल्य नियंत्रक आदेश) और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग आथोरिटी (राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) को अधिकार है कि वह उचित मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय अनिवार्य औषध सूची में लगभग सभी दवाईयां अर्थात् 354 दवाइयां पेटेंट सुरक्षा से बाहर हैं और ये प्रभावित भी नहीं होंगी। दवा का

मूल्य कई कारणों पर निर्भर करता है केवल इस पर नहीं कि यह पेटेंट है। यहां पर उदाहरण दिए गए कि चिली में ऐसा हुआ है और वहां पर ऐसा हुआ था। दूसरी और ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सख्त पेटेंट व्यवस्था है लेकिन मूल्य स्थिर हैं और स्थिति में सुधार आया है। जैसा कि मैंने कहा है कि अनुसंधान और विकास की लागत, विपणन की लागत, बाजार आकार, बाजार में वैकल्पिक प्रतिस्थापकों की उपस्थिति जैसे कई कारक हैं और पेटेंट सुरक्षा उनमें से केवल एक है।

एक मुद्दे को लाया गया और माननीय मंत्री द्वारा अध्यादेश के विरोध में अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया में उस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। वह उन दवाओं की संख्या के बारे में था, जिन्हें पेटेंट किया जाना था। इस संदर्भ में, मैं केवल मेल-बॉक्स के आवेदनों के बारे में बताना चाहूंगा। यदि मेरी सूचना गलत नहीं है तो 10 वर्षों की अवधि के दौरान मेल-बॉक्स में 8926 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 7953 फार्मास्यूटिकल और 973 एग्रो-केमिकल के हैं। मैं श्री बची सिंह रावतजी से अनुरोध करता हूं कि इस बात पर ध्यान दें कि केवल चार सत्ताओं - दो भारतीय और दो विदेशी - को विशेष मार्केटिंग अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम क्या चाहते हैं? क्या हम अपने उद्योग को फलने-फूलने और विकसित होने देना चाहते हैं अथवा नहीं? यदि पेटेंट कार्यालयों और पेटेंट व्यवस्था के आधुनिकीकरण की मांग थी तो मुझे समझ में आता है। यह समय की मांग है। मैं माननीय मंत्री से उस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा मुझे इस बात का विश्वास है जब मुझे इस बात का पता चला कि इस संबंध में किए गए विभिन्न कार्यों का उन्हें संज्ञान है और हमारा पेटेंट कार्यालय विश्व के सबसे अच्छे चलाए जा रहे और प्रभावी पेटेंट कार्यालयों में से एक है, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों द्वारा कुछ आशंकाएं जताई गई थी और मुझे यह जानकार खुशी है कि उनकी लगभग सभी आशंकाओं का निवारण कर दिया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने पहले ही 25 मिनट ले लिए हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं खंड 3 में शामिल किए जा रहे संशोधन का केवल संदर्भ देना चाहता हूं जिसमें ज्ञात खोजों की और उन उत्पादों जिन्हें खोज नहीं माना जा सकता की बात की गई है और इसलिए उन्हें पेटेंट के अंतर्गत कवर नहीं किया जा सकता और उनके लिए पेटेंट नहीं लिया जा सकता। इसके लिए विधेयक के खंड 3 में अच्छा संशोधन किया जा रहा है जो निम्नवत् है:

> "केवल किसी ज्ञात पदार्थ के नए प्रकार की खोज, जो कि उस पदार्थ की ज्ञाति प्रभाविता को नहीं बढ़ाता अथवा केवल किसी नई संपत्ति की खोज अथवा ज्ञात पदार्थ का नया प्रयोग अथवा किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन अथवा उपकरण का केवल उपयोग, जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया से नया उत्पाद नहीं बनता अथवा कम से कम एक नया अभिकारक इसमें प्रयुक्त नहीं होता।"

इसके स्पष्टीकरण से हमारे दूसरी ओर बैठे मित्रों का भय पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। मुझे आशा है, वे उसे स्वीकार करेंगे।

महोदया मुझे माननीय मंत्री को पेटेंट पूर्व स्वीकृति देने संबंधी आपत्तियों के लिए बधाई देनी है पेटेंट-पूर्व स्वीकृति देने संबंधी आपत्तियों की परिकल्पना को माननीय सदस्यों की आशंकाओं, भय और चिन्ताओं के प्रत्युत्तर के रूप में शामिल किया गया है, जो मैं फिर कहूंगा कि किसी के भी द्वारा मामले के प्रति चिन्ता व्यक्त करने का वैध तरीका है माननीय मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि नियंत्रक, यदि आवश्यक हो तो, ऐसे व्यक्तियों जिनकी सुनवाई होनी है, की बात सुनकर आपत्तियों को दूर कर सकता है। यह एक स्वैच्छिक कार्य नहीं है कि एक व्यक्ति आवेदन करे और फिर उसे एक पक्ष भी नहीं माना जाएगा और नियंत्रक स्वयं ही सभी बातों का निर्णय करेगा। यदि एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए तो आपत्तिकर्ता को अधिकार होगा कि वह वहां उपस्थित रहे और अपना मामला प्रस्तुत करे। उसे व्यक्तिगत तौर पर सुना जाएगा और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है। किसी व्यक्ति की बात सुनने के पश्चात ही मामले का निपटान किया जाएगा।

महोदया, मुझे यह जानकारी है कि मैंने काफी समय ले लिया है क्योंकि मुझे आपके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिखाई दे रही है, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह विधेयक समय की आवश्यकता है। आज हम बहुपक्षीय संधियों के द्वारा सुहृद राज्यमंडली के साथ कार्य कर रहे हैं? अत: देश की विश्वसनीयता के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछले 10 वर्ष के दौरान दायर किए गए मेल-बॉक्स आवेदनों जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी और उससे आगे के मामलों से संबंधित मामलों में कोई कानूनी कमी न रह जाए, यह अनिवार्य है कि सभी अस्पष्टताओं को समाप्त कर विधेयक को लाया जाए।

[श्री पवन कुमार बंसल]

महोदय, मैं, अंत में विनयपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि देश में किसी को भी इसके प्रतिकूल प्रभावों से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं यह बात उन सुधारातीत आलोचकों के लिए नहीं कह सकता जो कि अपनी ड्राफ्टिंग, यदि वह दूसरी ओर से प्रस्तुत की जाती है में भी गलती ढूंढ लेते हैं। कालांतर में हमारे पास ठोस और वैध पेटेंट व्यवस्था होगी जो कि भारतीय उद्योग के विकास में सहायता करेगी। यह भारतीय उद्योग को सुदृढ़ बनाएगी और अधिक नौकरियों को जुटाने, विकास में और हमारी आर्थिक प्रक्रिया में सहायता करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)* यह इतिहास का विरोधाभास ही है कि आपके बच्चे की देखभाल उनके द्वारा हो...*(व्यवधान)*

महोदय, वाथपंथ विश्व व्यापार संगठन और टीआरआईपीएस दोनों के संबंध में हमेशा से ही बहुत संगत निर्णय ले रहा हैं। अभी तक हम यह मानते है कि विश्व के कई विकासशील देशों द्वारा यह माना जाता है कि विश्व व्यापार संगठन सबके लिए समान और न्यायपूर्ण नहीं है हालांकिं दावा किया जाता है कि वे नियमान्तर्गत कार्य करते हैं। परंतु यह भेदभाव पूर्ण है और इस विश्व में जो शक्तिशाली हैं वे हमेशा जो कमजोर है, विशेषकर विकसित राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। हम अब भी यह मानते हैं कि जीएटीटी के उरगवे दौर की वार्ता में टीआरआईपीएस अन्तर्विष्ट किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

विश्व के कई विचारकों, दर्शन शास्त्रियों, वैज्ञानिकों और कई राष्ट्रों की राय अभी भी यही है। परंतु वर्तमान स्थिति में जो कुछ हो रहा है हम चाह कर भी उससे अलग नहीं रह सकते हैं हम चाह कर भी विश्व व्यापार संगठन से अलग नहीं रह सकते हैं। हम चाहकर भी टी टीआरआईपीएस से अलग नहीं हो सकते हैं। परंतु हम अपने प्रयासों, संघर्षों और स्थिति के चलते टीआरआईपीएस के लचीले खंडों का प्रयोग करते हुए यथासंभव लाभ ले पाऐंगे। हम उन्हें सुझाव दे रहे थे परंतु वे हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। वे अपने राम मंदिर, मंदिरों के भवनों, राम मंदिर और मस्जिदों को गिराने जैसे कामों में व्यस्त थे। वे अपनी साम्प्रदायिक कार्यसूची में व्यस्त थे। हम पहले ही से यह सुझाव देते आ रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए अब वे कीमतें स्थायी समिति के समक्ष भेजने की बात कर रहे हैं। सभापति भी उन्हीं का था। उन्हीं के सदस्यों का बहुमत था। यह द्वितीय संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन है। किस व्यक्ति ने अथवा दल ने अथवा कौन से दलों ने जिन्होंने ये असहमति नोट दिया? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? यह सीपीआई (एम) के रूपचंद पाल ने दिया था। परिणाम स्वरूप आज हम उसी संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं और इस सरकार ने उनमें से लगभग सभी को स्वीकार कर लिया हैं हमने अपनी स्थिति नहीं बदली है उन्होंने अपनी स्थिति बदली है। हमने अपनी स्थिति नहीं बदली परंतु यहां विरोधाभास है और आप ही वे व्यक्ति हैं जो इस पेटेंट विधेयक को लाए थे। अब आप क्या करने की कोशिश कर रहें हैं मैं नहीं जानता। आप पूर्णत: भ्रमित हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री स्वाई शांत हो जाएं। श्री रूपचंद पाल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल : वे मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं...*(व्यवधान)*. मैं पृष्ठ 11 पर दिए गए राष्ट्रीय न्यूनतम सझा कार्यक्रम का संदर्भ दे रहा हूं जिसमें कहा गया है:—

> "कि उचित मूल्यों पर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें" हमने उन्हें बताया कि ये आपकी वचनबद्धता है और यह संशोधन हमने किया था। इसे देखे, जांचें और इसकी तुलना करें। यदि हमारे द्वारा किया गया संशोधन आपकी वचनबद्धता के अनुरूप नहीं है तो हम संशोधन के लिए दवाब नहीं देंगें। हम प्रसन्न हैं कि वे लोगों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासनों को पूरा कर रहे हैं। यह हमारे नहीं उनके दस्तावेज हैं। हम तो केवल इस दस्तावेज के आधार पर बाहर से सरकार का समर्थन कर रहे हैं। पृष्ठ 51 पर कहा गया है कि "विश्व व्यापार संगठन में वे अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए व्यवस्था करेंगें और विश्व व्यापार संगठन की सभी बातचीतों में राष्ट्रीय हित विशेषकर किसानों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करेंगें.... स.प्र.ग सरकार जी-20 के रूप में विकासशील देशों की बढ़ती एकता को बढ़ाने में विश्व व्यापार संगठन में अग्रणी भूमिका निभाएगी।

हमारा यही दृष्टिकोण रहा है। राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम उन्हें बता चुके हैं कि यह आपकी वचनबद्धता है और आप इसे पूरा करें और उनकी ओर मत देखें। वह उनको शुरू किया हुआ हैं और उन्होंने राष्ट्रहित के विरुद्ध काम किया है। केवल स्थिति सुधारनी थी और वर्तमान सरकार ने उसमें सुधार कर दिया है। हम इसका स्वागत करते है; हम विधेयक का समर्थन करते हैं। महोदया, वैज्ञानिक चाहे जो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी खोज जो भी आविष्कार करें उनके पेटेंट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका प्रयोग केवल मानवता की सेवा के लिए किया जाना चाहिए।

मैडम क्यूरी ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि उसके अविष्कार, उसके पति की खोजें और ये सब महान अविष्कार कभी पेटेंट कराए जाएगें। यदि वैज्ञानिकों के सभी अविष्कार पेटेंट कराए गए होते तो मानव सम्यता आगे नहीं बढ़ पाती। परंतु समय बदल रहा है इस विश्व में बड़ी शक्तियां एक नया सम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। अमेरिकन साम्राज्यवाद ओर उनका नेतृत्व एक नया मानक, नया आर्थिक व्यवस्था और विश्व व्यापार संगठन (वि.व्या. सं.) इसका एक माध्यम है...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह : हम आपको उत्तेजित नहीं करना चाहते

श्री रूपचंद पाल : मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं आपको सच्चाई से परिचित करवा रहा हूं। कुछ आत्मविश्लेषण करें। अन्यथा जनता आपको इतिहास के कचरे के डिब्बे में डाल देगी। इसे न भूलें। लोग पहले ही आपको नकार चुके हैं। अब विश्व परिदृश्य बहुत तेजी से बदल गया है। जीएटीटी वार्ता के एक भाग के रूप में टीआरआईपीएस की अनुमति दे दी गई है अब हमारी मुख्यचिंता यह है कि हामरे देश के लोगों, हमारे गरीब और आम लोगों का क्या होगा। आज के लिए नहीं अपितु पेटेंट अधिनियम, 1970 के लिए हमें उनका धन्यवाद चाहिए। पेंटेंट अधिनियम, 1970 एक आदर्श अधिनियम हैं। यह न केवल हमारे लिए अपितु सभी विकासशील राष्ट्रों के लिए हैं यहां तक की कल तक भी हमें विभिन्न जगहों यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका से टेलीफोन कालें प्राप्त हो रही हैं। आज सुबह जब हम उनसे इन बातों पर विचार विमर्श कर रहे थे ऐसी ही कालें आई थी। अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अन्य विकासशील राष्ट्र यह जानने के लिए टैलीफोन कर रहे हैं कि हम क्या निर्णय लेने जा रहे है? हमारी सरकार हमारे संशोधनों को स्वीकार कर रही है। इससे विकासशील देशों के विश्व आन्दोलन को मजबूती मिलेगी। हम उन्हें न केवल सीपीएम के बारे में याद दिला रहे हैं अपितु पेंटेंट अधिनियम, 1970 में उनके द्वारा किए गए निर्णय के बारे में भी याद दिला रहे हैं।

हमारे स्वर्गीय श्रीमति इन्दिरा गांधी से काफी मतभेद थे। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ), जिनेवा में 1981 में कहा था कि ''-श्री कमल नाथ जी आप यह जरूर जानते होंगे- कि बेहतर विश्व व्यवस्था का मेरा विचार एक ऐसी व्यवस्था का है जिसमें चिकित्सीय खोज पेटेंट से मुक्त रहेगी और उसमें कोई मुनाफाखोरी नहीं होगी''

अब बदलाव आया है। हम लोग चाहकर भी छोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग यू.पी.ए. सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण केवल भा.क.पा (मा) का ही नहीं है, अपितु वामदलों का है। हमने कई शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, वकीलों तथा राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संगठनों से परामर्श किया हैं हम लोग तभी संशोधन प्रस्तुत कर रहे है जब हमे यह विश्वास हो गया कि ये सभी ट्रिप्स से संबंधित शिकायतें हैं। हम लोग इसके लिए जिम्मेदार है और हम जानते हैं कि यह एक बाध्यता है। 1 जनवरी, 2005 से संक्रान्ति काल समाप्त हो जायेगा। हमें औषधों, वस्त्रों, हीरो आभूषणो आदि के निर्यात से जो 16000 करोड़ रुपयों का व्यापार हो रहा की पूरी जानकारी है।

कुछ दिनों पूर्व अमेरिका की सेक्रटरी कोडोंलीज़ा राईस ने हमारे देश का दौरा किया तथा कुछ ऐसी बातें कहीं जो गैस के आयात के संबंध ईरान के साथ हमारे समझौते में बाधक है अमेरिका आदेशात्मक रवैया अपना रहा है तथा हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हैं युरोपीय संघ को यह अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में भेषज उद्योग का विकास गत कई वर्षों में हुआ है। उन्हें हमसे ईर्ष्या है। हमें यह सब पता है। तब भी हम यह कहते है कि आपने हमसे, वामदलों, शिक्षाविदों विशषज्ञों तथा अन्य लोगों से परामर्श किया है तथा 12 क्षेत्रों के संबंध में सुझाव दिया। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हमने ट्रिप्स के संबंध में सर्वप्रथम जो बात कही वह आविष्कार की परिभाषा के संबंध में कही-अर्थात किसे आप आविष्कार मानेगें तथा किसे नहीं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि पहली बार भारत में तथा किसी विकासशील देश में हमारी दो परिभाषाओं को स्वीकार किया गया। ये परिभाषाएं, मूल परिभाषा के संबंध में हैं, 'न्यू स्टेप' क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ट्रिप्स में जब यह कहा गया है कि नया क्या है, नये अविष्कार, की क्या परिभाषा है, आपने संशोधन पर ध्यान दिया होगा।

परिभाषा के संबंध में तीसरी बात यह है कि उनको कुछ कठिनाई है, हमें भी कठिनाई है। भेषज पदार्थों के संबंध में आपको इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि केवल नए रासायनिक निकायों तथा अथवा 'नए चिकित्सा संबंधी निकायों' को ही स्वीकारा जाना चाहिए। एन.सी.ई, एन.एम.ई. ऐसी शब्दावली है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता हैं यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ट्रिप्स की भाषा हैं उनका अपना दृष्टिकोण है और उन्होंने कहा है हम लोग केवल नई वस्तुओं के बारे में कह सकते है, ऐसा क्यों?

[श्री रूपचंद पाल]

उनकी ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि टी.आर.आई.पी.एस. ट्रिप्स के अनुसार *एक निकाय से दूसरे निकाय के बीच वस्तुओं तथा वहां की वस्तुओं में कोई भेदीभाव नहीं होना चाहिए और यदि हम नए रासायनिक निकाय अथवा नए चिकित्सा संबंधी निकाय को विशेष रूप से* स्पष्ट करते है तो हमें विवाद निपटारा निकाय में खींचा जा सकता है।

हम घाटे में रहेगे। हमने आत्मसमर्पण नहीं किया हमने उस मत का समर्थन नहीं किया। हमें प्रसन्नता है कि उन लोगों ने एक तकनीकी समिति गठित करने की सहमति दे दी है, जो तत्काल इस मामले की जांच करेगी तथा इससे पहले कि हम सत्र के अगले चरण के लिए बैठेगें, यह समिति अपने निष्कर्ष दे देगी। यदि आवश्यकता होगी तो वे नए संशोधन लाएंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि हम सही हैं कि वे। यह एक विशिष्ट प्रगति है।

जहां तक अनिवार्य लाईसेंसिंग का संबंध है आपको पता ही है कि अनिवार्य लाईसेंसिंग को प्राकृतिक आपदाओं अर्थात अत्यधिक विकट स्थिति में अनुमति दी गई थी। हमने यह पूछा था कि ऐसी स्थिति में क्या होगा जब लोग कोई विशेष औषधियों की मांग कर रहे हों तथा पेटेंटधारी उन औषधियों का उत्पादन करने अथवा इसके विपणन करने की अनुमति नहीं दें।

हमने यह कहा था कि तीन वर्षों की अवधि के पश्चात इन औषधियों का, कुछ रायल्टी के बदले उत्पादन किए जाने की अनुमति दी जाए। हम लोग नैमित्तिक रायल्टी देने पर बल दे रहे है जबकि वे लोग उचित रायल्टी की बात कर रहे है? ठीक है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बाजार संबंधी व्यय कितना होगा? अनुसंधान तथा अन्य सभी पर कितना व्यय होता होगा, जिनसे हम सहमत हो सकते हैं। हम सहमत हो गये थे तथा यह सुझाव दिया था कि 'पोस्ट दोहा' स्थिति में, पैरा 6 के अनुसार, हमारी भारतीय कंपनियों को ऐसे देशों को, जहां इन औषधियों का उत्पादन करने के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं है, वहां पर नियति करने की अनुमति दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ : विधि क्या कहती है।

श्री रूपचन्द पाल : जी हां, वे इस बात से सहमत है यह स्वाभाविक है अनिवार्य लाईसेंसिंग के संबंध में, रायल्टी के आधार उत्पादन की गई उन औषधियों का क्या होगा जो 1995 तथा 2005 के बीच उत्पाद पेंटेंट के अन्तर्गत आती है? उन्होंने यह आंकड़े दिये है कि 195 औषधियों में से केवल 7 औषधियां उत्पाद पेटेंट में आयेगी। फिर भी हम यह कहते है कि 7 भी अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधियां होगी।

मुझे, राष्ट्रीय निकायों, जो मानसिक तौर पर बीमार लोगों को देखते है, इस संबंध में ध्यान देने हेतु उनसे ज्ञापन मिले है। हमें अन्य देशों से तार भी मिलते रहे हैं कि अमुक दवाई जो कि एच.आई.वी., एड्स रोगियों के लिए है, केवल भारत में ही सस्ते दर पर मिल रही है। उन्होंने इस बात की सहमति भी दी है कि उपरोक्त अवधि के लिए इन औषधियों दरें पूर्वव्यापी न होकर अग्रदर्शी प्रभाव से लागू होनी चाहिए। परन्तु उसके साथ ही साथ उसकी गणना प्रवेश तिथि से की जायेगी ताकि 20 वर्षों की अवधि को कम किया जा सकें।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : उनका प्रस्ताव यह था कि यह पूर्वव्यापी होना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : जी, हां वे देश के हितो के, विरुद्ध विपरीत दिशा में जा रहे है...*(व्यवधान)* - कृपया मेरा समय व्यर्थ नष्ट न कीजिये।

परन्तु, आज की स्थिति यह है कि संक्रान्ति काल, अनिवार्य लाईसेंसिंग, निर्यात के संबंध में वे हमारे दृष्ट्रिकोण का समर्थन कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने इन सभी विषयों पर विचार किया है। वे इस मकसद हेतु वास्तव में लचीलेपन संबंधी खंड, जो कि ट्रिप्स में पहले से ही है, का उपयोग कर रहे हैं।

हमने यह कहा है कि सूक्ष्म जैवों (माइक्रो आर्गेनिज़म) का पेंटट करना अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा हैं कई ऐसे लोग है जिन्हें यह पता है कि हममें से कुछ लोक ऐसे आन्दोलन से जुड़े हुए है कि सूक्षम जैव पौधो, पशुओ तथा बीजों का कभी भी पेटेंट नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला संयुक्त संसदीय समिति में भी उठा था और इस संबंध में हमारा अपना दृष्टिकोण रहा। इस दृष्टिकोण में से कुछ विचार मेरे द्वारा तथा अन्य लोगों द्वारा दी गई विगत टिप्पण में परिलक्षित होते हैं। हमने कहा था कि अब हमें निर्णय लेना चाहिए। हमने अपने संशोधन दिए थे और उन लोगों ने अपने उत्तर भी दिए परन्तु आज तक हम लोग उनके दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते। उन्होंने यह बताया कि विश्व के कई देशों ने पुनरीक्षा की बात कही है तथा ट्रिप्स में सूक्ष्म जैवों संबंधी विषय पुनरीक्षाधीन है। यदि हम लोग, अपने दृष्टिकोण से अलग कोई अलग स्थिति का समर्थन करते है तो हमे यह कहा जा सकता है कि यह ट्रिप्स संबंधी शिकायत नहीं है। हमने कहा ठीक है हम आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है तो उन्होंने कहा— यह पता लगाने के लिए कि कौन सही है, चाहे वह वामदल हो,

जो विभिन्न कोणों से राय इकट्ठा कर रहे है तथा अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा सरकार की सोच इस प्रयोजनार्थ एक तकनीकी समिति का गठन किया जाए। ये ही दो क्षेत्र हैं पहला नए निकाय के बारे में अथवा संभवत: रासायनिक निकायों या चिकित्सा संबंधी निकायों तथा दूसरा क्षेत्र सूक्ष्म जैव का है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे एक तकनीकी समिति का गठन करेगें और कम समय में वह समिति अपने निष्कर्ष दे देगी तथा इस सत्र के दूसरे चरण में, यदि आवश्यक हो तो, वह संशोधन प्रस्तुत करेगी। और इस सत्र के दूसरे चरण में यदि आवश्यक हो, तो संशोधन किया जाएगा।

विधेयक को लाने से पूर्व इसके विरोध के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियां थीं। अध्यादेश और नए विधेयक में मेरे विचार से कुछ विकार है। हम उनसे सहमत नहीं थे। हमने कहा कि हम उससे सहमत नहीं है। हमने कहा कि 1970 के अधिनियम की वास्तविक स्थिति को बनाए रखा जाए। अब हमें प्रसन्नता हैं कि वे इस पर सहमत हो गए हैं और आज इसमें कुछ संशोधन हुआ है।

अब इमवेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में उनका मत था कि सार्फ्टवेयर को कॉपीराइट द्वारा शामिल किया जाए विइमबेडड सॉफ्टवेयर को पेटेंट करना चाहते थें।

हम उससे सहमत नहीं थे क्योंकि हमारे व्यवसाय को भी इससे लाभ नहीं होगा। पिछले 11 वर्षों से दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। क्या आप उनका नाम जानते हैं? ...*(व्यवधान)* जी, हां उनका नाम बिल गेट्स है जो आप में से कुछ के अच्छे मित्र हैं। पोस्टर बॉय उन्हें आंध्र प्रदेश ले गए थे। पोस्टर बॉय चले गए हैं लेकिन माइक्रोसार्फ्ट के चेयरमैन का नाम रह गया ...*(व्यवधान)* इसका उपयोग हमारे व्यावसायिक आई बी एम तथा माइक्रोसार्फ्ट द्वारा किया जाएगा। इसलिए हमने कहा कि इसे शामिल न करें। हमें प्रसन्नता हैं कि 3 के 23 के (ए) को संशोधन से हटा दिया गया है।

महोदया, दो या तीन चीजे ऐसी हैं जिनका मैं उल्लेख करमा चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : कृपया मेरे लिए भी कुछ छोड़ दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं उनके बोलने के लिए भी बाते छोड़ दूं। ठीक है मैं उस पर नहीं बोल रहा। मैं उनके बोलने के लिए भी कुछ छोड़ रहा हूं। जो बातें सामने आई है वे उससे अधिक बतायेंगे। मेरा विचार है कि उन्हें राष्ट्रहित में आवश्यक परिवर्तन पर विचार करना चाहिए। जिसके लिए सुझाव न केवल वामदलों बल्कि अन्यों द्वारा भी दिया गया। भाजपा से भी सुझाव देने के लिए कहा गया था। मैं भाजपा से जानना चाहता हूं कि उन्होंने नवम्बर से मई तक क्या-क्या सुझाव दिए? संयुक्त संसदीय समिति में उनके सभापति ने क्या किया?...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : कृपया मंत्री जी से पूछिए। वह आपको बतायेंगे...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : उनकी तरफ से केवल एक ही सुझाव दिया गया। जब औपचारिक बैठक हुई थी, मैंने विपक्ष के नेता को पत्र लिखा था।

उन्होंने अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा जिन्होंने एक सुझाव दिया था। उनका सुझाव यहां पर है।

श्री खारबेल स्वाईं : हमने एक सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कोई सुझाव नहीं दिया...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : मैं आपको कहता हूं कि तथ्यों को गतल मत समझिये। भाजपा ने इस संबंध में बहुत पहले ही सुणव दिया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : शांति बनाए रखिये। मुझे खेद है।

श्री खारबेल स्वाईं : श्री रूपचंद पाल ही ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने इस संबंध में विरोध प्रकट किया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं : डा. विप्लव दासगुप्ता इससे सहमत थे। वह संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों से भी सहमत थे वे ही अपनी पार्टी से हैं...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल दुनिया के सभी सफल व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं। वह बिल गेट्स और सभी से ईर्ष्या करते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : श्री खारबेल स्वाईं, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : मंत्री महोदय मैं इसे समझ नहीं पा रही हूं। जब आप उत्तर देंगे उस समय आप अपनी कहिये।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : वह कौन सा ऐसा नीति पत्र है। यह कोई तरीका नहीं है क्योंकि सीपीआई (एम) पार्टी के दूसरे सदस्य सहमत थे...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : आप मुझे बताइये। आप उन्हें क्यों बता रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मंत्री महोदय मुझे खेद है। यदि मंत्री इस तरह से उत्तर देंगे, यह सभा चलाने का कोई तरीका नहीं है। आपको समय दिया जाएगा। आपको पर्याप्त समय मिलेगा। कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात समझती हूं। आप केवल अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : महोदया, यदि हम कुछ नहीं कहेंगे तो ऐसा समझा जाएगा कि हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। जबकि ऐसा नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : श्री रूपचंद पाल कृपया अपनी बात समापत कीजिए।

श्री रूपचंद पाल : महोदया, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल पांच मिनट लूंगा और तत्पश्चात् अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका हैं यही बेहतर होगा।

श्री रूपचंद पाल : मेरा समय तो उन्होंने ले लिया। मैं केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदया : जी नहीं, आप केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचंद पाल : ठीक है।

मोहम्मद सलीम : उनका भाषण बहुत रोचक और शिक्षाप्रद भी है।

सभापति महोदया : मैं जानती हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है।

श्री रूपचंद पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

आज की एकपक्षीय राजनीतिक व्यवस्था और बहुआयामी अर्थव्यवस्था की स्थिति का समाधान करने के लिए विश्वभर में आंदोलन चल रहा है।

वेनेजुएला को देखिए। कुछ दिन पहले वेनजुएला के राष्ट्रपति आए थे। प्रधानमंत्री, हमारे मंत्रियों और अन्य लोगों के साथ बैठक करने के पश्चात, उन्होंने कहा कि इस असमान दुनिया में अस्तित्व बनाए रखने का एक ही तरीका है कि ठोस कदम उठाएं। यदि हमें अपनी आर्थिक आत्म-निर्भरता की सुरक्षा करनी है तो हमें द्विपक्षीय और बहुआयामी सहयोग करना होगा और साथ ही डब्ल्यू टी ओ टी आर आई पी एस स्तर पर समान विचार धारा वाले देशों के लोगों और प्रतिनिधियों को एक करना होगा।

मैं जी-20 देशों की बैठक का आयोजन करने के लिए माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। टी आर आई पी एस में भी हमें एक विशिष्ट भूमिका निभानी होगी। इस संशोधित विधान से उनको साउथ-साउथ सहयोग तथा अमरीकी साम्राज्यवाद और उनके बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों के नए साम्राज्य के आक्रमण के सामने गुट-निरपेक्ष आंदोलन के विकास के लिए सहायता मिलेगी। अतः मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इसमें अपेक्षित संशोधन् किया। हमारे संशोधनो को स्वीकार करने और राष्ट्रहितों की रक्षा करने के लिए मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदया : आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

मेरा अनुरोध है कि अभी तक केवल तीन वक्ताओ ने ही बोला है और उन्होंने एक घंटे से भी अधिक समय लिया है। अभी 23 और वक्ता बचे हैं। हमारे पास 23 नाम हैं। अतः संक्षेप में अपनी बात कहिये। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्री उदय सिंह : माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल जी ने माननीय मंत्री का काम कर दिया है।

सभापति महोदया : आपको समय दिया जाएगा।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : हम स्थायी समिति की अनदेखी कर रहे हैं। अत: इसके लिए समय दिया जाए।

सभापति महोदया : जी हां, इसीलिए मैं सभी से संक्षेप में अपनी बात कहने का अनुरोध कर रही हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, विश्व व्यापार संगठन के तहत 1994 में सरकार ने जो हस्ताक्षर किए, उसे पूरा करने के लिए एक समय-सीमा थी - 1 जनवरी, 2005। उस समय कौन सी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद किस पार्टी की सरकार बनी, यह बहस का विषय नहीं है, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय करार था। उसके चलते सरकार को यह कहना था, उसे वायदा पूरा करना था। लेकिन देश में काफी शंकाएं पैदा हुई हैं न सिफ हमारे देश में, बल्कि दुनिया में भी पैदा हुई हैं। मैं समझता हूं कि जब श्री कमल नाथ जी भाषण करेंगे, तो तमाम माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं और मैं जिस शंका की बात कर रहा हूं, वे शंकाएं सिर्फ भारतीय चारदीवारी तक कैद नहीं थीं, बल्कि दुनिया में भी तमाम शंकाएं पैदा हुई हैं।

सभापति महोदया, यह न्यूयार्क टाइम्स 18 जनवरी, 2005 का है। इस संस्करण के सम्पादकीय में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है - "इंडियाज़ चॉयस।" इसमें लिखा है कि भारत सरकार एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बड़े दवा निर्माताओं के हाथ की कठपुतली बन गई हैं और वे अपने पेटेंट को भारत के बाजार में बेचने के लिए उतावली एवं बेताब हैं। माननीय कमल नाथ जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1994 से सिद्धान्तत: हमने पेटेंट को स्वीकार किया है और पेटेंट को स्वीकार करने का मतलब यह हुआ कि अब शोधन, अन्वेषण पर हम उद्योग को विकसित करने का काम करेंगे। सरकार ने देश के उद्योग को विश्व की स्पर्धा में तो धकेल दिया, लेकिन उस उद्योग को विश्व स्पर्धा में खड़ा होने योग्य नहीं बनाया। शोध और अन्वेषण पर विश्व के अन्य देशों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का तीन से लेकर पांच प्रतिशत खर्च करते हैं जबकि भारत में यह राशि एक प्रतिशत से भी कम है। आपने जब भाषण किया था तो यह भी कहा था कि हमें कुछ शंकाएं हैं और उन्हें दूर करने के लिए हमने 13 सेफगार्ड्स तय किए हैं।

इस विधेयक में शंकाओं की भरमार है। मैं खास तौर से दो-तीन शंकाओं की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। आप कहते हैं कि पेटेंट लागू होने पर दवाईयों के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार के अनुसार सिर्फ तीन प्रतिशत दवाएं ही पेटेंट के अंदर आएंगी, इसलिए पेटेंट का विपरीत प्रभाव कम होगा। इस पेटेंट के कारण अमेरिका में दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। श्री कमल नाथ जी से मैं जानना चाहूंगा कि पेटेंट होने के बाद अमेरिका में दवाइयों के दाम बढ़े हैं तो कैसे भारत उस प्रभाव से अछूता रह जाएगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि भारत में पेटेंट के बाद दवाइयों के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। आप जब उत्तर दें तो इसे स्पष्ट करने की तरफ जरूर ध्यान दें।

सभापति महोदया, सरकार के अनुसार भारत में जो 97 प्रतिशत दवाइयां बिकती हैं, वे जैविक दवाएं हैं और उन्हीं दवाइयों का विशेष रूप से व्यापार होता है। दिनांक 29.12.04 के समाचार-पत्र में छपा है कि जिन कम्पनियों को जैविक दवा बनानी होगी, उन्हें अमेरिका के फूड ड्रग आथोरिटी को पहले लिखना होगा, तभी वे उन दवाओं को बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसके बाद भारत के दवाओं के बाजार पर असर पड़ने की संभावना है। विश्व का जो औसत मेडीसन बाजार है, वह 450 बिलियन डालर का है और इसमें भारत का टोटल दवा बाजार छ: बिलियन डालर का है। छ: बिलियन डालर में भी 2.5 बिलियन डालर की दवाएं हम लोग निर्यात करते हैं, जो जैविक दवाएं हैं। पेटेंट के द्वारा, जो देश दवाईयों का निर्यात करेंगे, उन्हें निर्यात लाइसेंस लेने होंगे और निर्यात लाइसेंस लेने के बाद, यह आवश्यक होगा कि निर्यात उन्हीं देशों में होगा, जहां दवाइयां नहीं बनती। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का वातावरण है, उसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दवाईयों के पेटेंट के बाद, भारत में ये दवाइयां महंगी होंगी।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पैटेंट के लिए अभी 12 हजार लोगों के आवेदन आये हैं जबकि अमेरिका और चीन में ये दरख्वास्तें तीन लाख से ऊपर चली गयी हैं। हमारे देश में ये दरख्वास्तें 12 हजार हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कितने आफिस हैं? आपके सिर्फ चार आफिस हैं। ये जो मामले विचाराधीन हैं, मैं समझता हूं कि जो स्थिति आपकी यहां है, उसके चलते बरसों तक इनका निपटारा कैसे होगा, यह मेरी समझ से परे है। आप जो विस्तार करने वाले हैं, क्या वह शहरी सीमा में होगा या बड़े शहरों में होगा? आपके पास पैटेंट के लिए जो 12 हजार दरख्वास्तें आई हैं, उनका निस्तारण आप तत्काल कैसे करेंगे, मेहरबानी करके जब आप अपना जवाब दें, तब इस पर जरूर ध्यान दें। पैटेंट के आने पर बहुराष्ट्रीय

[श्री रामजीलाल सुमन]

कम्पनियों द्वारा भारत के जैविक दवाओं के निर्माताओं को बाजार से बाहर धकेले जाने की संभावना है। मैंने पहले कहा कि इससे चिकित्सा व्यवस्था महंगी होगी।

अभी एक लेटेस्ट अध्ययन हुआ है। उसके अनुसार जैविक दवाओं द्वारा भारत में जहां डेढ़ लाख की दवाओं से काम चल जाता है वहां पैटेंट होने के बाद 15 लाख रुपये में ये दवाएं उपभोक्ताओं को मिलेंगी। वर्तमान पैटेंट कानून के तहत दवा, खाद और रसायन, इन तीन चीजों को आप खासकर पैटेंट के अधीन रखना चाहते हैं। इससे यह संभावना पेदा हो गयी है, अभी बीज अधिनियम भी सरकार ने बनाया है, कि देश में बीज का भी पैटेंट न हो। लघु और सीमांत किसान पारम्परिक तरीके से बीज पैदा करता है, वह भी कहीं पैटेंट के अधीन न किया जाये क्योंकि नीम और हल्दी जैसी चीजों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नजर है।

सभापति महोदया, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो तमाम आशंकाएं हैं जैसे दवा व्यापार, लघु उद्योग, बीज, हल्दी आदि हैं, कुल मिलाकर हमारे हिन्दुस्तान की आम जनता उससे प्रभावित न हो, यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस सरकार के सामने एक अंतर्राष्ट्रीय मजबूर है। जो सवाल अभी भी रूपचंद पाल जी ने उठाये, जो संशोधन प्रस्तुत किये, मैं समझता हूं कि पूरे देश में पैटेंट के कारण जो शंकाएं थीं, उससे काफी शंकाओं का निवारण हो गया है। मंत्री जी, अब आप अपना भाषण दें तब मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि देश की जनता को अहसास होना चाहिए कि सरकार आम जनता के हित के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं कर रही है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, मैं पैटेंट बिल के तृतीय संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने पूर्ववक्ता साथियों की बातें सुन रहा था। आज जो विधेयक पेश हो रहा है, उसे मैं एनडीए सरकार द्वारा तैयार एवं लोक सभा में पूर्व में पेश किये गये संशोधन विधेयक का पुर्नसंशोधन मानता हूं। इस विधेयक में बहुत सारी खामियां रही हैं जो इस देश की आम जनता, यहां की अर्थव्यवस्था, इंडजजिनस इंडस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को कुप्रभावित करने वाली जितनी भी बिन्दुएं हैं, तृतीय संशोधन विधेयक में, जो एनडीए ने तैयार क्या था, जस के तस छोड़ दिये गये थे। इस एक दिन के वाद-विवाद में, हम माननीय मंत्री श्री कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखलाई।

कुछ हद तक जनहित में जुड़ी हुई समस्याओं के आधार पर उसमें पुनः संशोधन करके सामने रखने का काम किया है। यह बहस कोई नयी बहस नहीं है। 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद 'गैट' बना। डंकल प्रस्ताव उस समय का है जब 1970 में पेटेंट अधिनियम भारत में पेश किया गया और 1972 में लागू हुआ। 1994 में उरूग्वे राउंड के बाद 'ट्रिप्स' जब एग्जिसटेंस में आया और डब्ल्यू.टी.ओ. में 1995 में परिवर्तित हुआ तो इस घटनाक्रम में भारत जैसे विकासशील देश और अल्प विकसित देशों के हितों की बात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी बारीकी से सोची और समझी नहीं जा रही थी। आज परिवेश बदल गया। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। आज इस बात की महत्ता अधिक है कि इस देश के राष्ट्र हित और जनहित की बातों के अनुरूप विधेयक पर चर्चा, परिचर्चा हो और उसमें जो बात सामने आती हो, उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। आपके सामने जो आज संशोधन के बिन्दु सामने हैं, उन पर मैं कहना चाहूंगा कि इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट की खामियों के चलते या उसके अंदर जो बनाये गये कानून थे, उसके अंदर बासमती राइस को टैक्समती नाम से पेटेंट कर दिया गया था। इस पर देश में बहुत हल्ला हुआ था। हम लोग पेटेंट लॉ के खिलाफ सड़कों पर उतर आये थे, गिरफ्तारियां भी दी गई थी और विभिन्न तरह के आंदोलनों की अगुवाई विभिन्न दलों के माध्यम से की गई थी। हमारी पार्टी इस तरह के विरोध में अग्रणी भूमिका अदा करती रही है।

अपराह्न 4.08 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रीय जनता दल अपने एग्जिसटेंस के समय से ऐसे मूल्य आधारित मुद्दों पर लड़ाई जारी रखे हुए था। जिस दिन इस देश की ओर से 'गैट' समझौता पर हस्ताक्षर हुए, उस दिन हमारी पार्टी ने पराकाष्ठा तक विरोध किया था। हमें दो दिन पूर्व माननीय मंत्री जी नें पेटेंट पर आधारित मेरे एक प्रश्न के जवाब में सदन में जानकारी दी थी कि पेटेंट लॉ कंट्रीवाइज है और इस देशों की अपनी बाउंड्री के अंदर ही लागू होगा। परन्तु, पूरी दुनिया में इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स को एक्रॉस दि बाउंड्री हार्मोनाइज करने की कोशिश हो रही है। पेटेंट संशोधन बिल को देखकर, इसके अन्दर छिपे डिप्लोमैटिकली मैनुपुलेटेड क्लॉजेज को देखकर ऐसा लगता है कि परोक्ष रूप से दुनिया के विकसित

देशों की लॉबी इस संशोधन को डिप्लोमैटिकली गवर्न कर रही है। अत: हम आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उसे सावधान करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि एनडीए सरकार के हिडेन एजेंडा की तरह विकसित देशों के नवसामंतवादी हिडेन एजेंडे से हमें सचेत रहना चाहिए।

प्रोडक्ट पेटेन्ट और प्रोसैस पेटेन्ट, जब से ये शब्द चर्चा में आए हैं देश हित, यहां का व्यापार हित, यहां की जनता का अर्थ हित और विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों के हित - ये सारी चीजें इसमें सिमट कर रह गई हैं। इस देश को तथा अन्य अल्प विकसित देशों को कंज्युमर मार्केट बनाने की कोशिश हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मजबूरी के तहत यदि इस बिल को पेश किया जा रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ, हमें विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों, जो डब्ल्युटीओ के सदस्य देश हैं, को साथ लेकर एक लॉबी बनानी चाहिए जो डब्ल्युटीओ की टॉप गवर्निंग पर दबाव बना सके। डब्ल्युटीओ के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए ऐसे देशों की एक लॉबी बननी चाहिए ताकि ऐसे बहुसंख्यक देशों के हितों की रक्षा हो सके। प्रोडक्ट पेटेन्ट और प्रोसैस पेटेन्ट, यह एक बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचारणीय विषय रहा है। भारत जैसे देशों में जहां टेक्नोलॉजी बहुत एंडवासं नहीं है और जहां पर महंगी टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्योग कम लगाए जा रहे हैं और जहां कुटीर और छोटे-छोटे उद्योंगो का वातावरण है या जहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसा वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है जो गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और ऐसे उद्योगों तथा वहां के उत्पादों, पदार्थों पर और इसके विपणन पर इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। इसके कुपरिणामों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि संशोधन दर संशोधन के बाद यह तीसरा संशोधन है, लेकिन जनता के हितों की रक्षा के लिए अगर चौथा और पांचवां संशोधन भी करना पड़े तो हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इस विधेयक को अधिकाधिक जीवन्त बनाकर देश के हित अर्थ हितों की रक्षा के लिए, इस देश की आम जनता के हितों की रक्षा के अनुरूप इसे माउल्ड किया जाना चाहिए। ट्रिप्स एग्रीमेंट में मूल्यों और उपलब्धता की असमानता अन्तर्निहित है। इसे संतुलित करने के लिए कम्पलसरी लाइसेंसिंग का जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए यह एक सही दिशा में कदम था। लेकिन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसे पेटेन्ट कानून की दीवार में छिद्र हैं। इन छिद्रों से निकलकर बड़ी कंपनियां एड्स की दवाओं को अपने उत्पादन मूल्य से तीस से पचास गुने मूल्य पर मार्केट में बेच रही हैं। यह पिल्फरेज, इन छिद्रों को खोजकर बंद करने की जरूरत है। सामान्य जनता के हितों को, उनके कंजम्प्शन की जो चीजें हैं, जो छोटी-छोटी चीजें हैं और उनके विपणन पर और उससे संबंधित ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर क्या-क्या असर पड़ेंगे ओर उन्हें सुधारने के लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसमें सुधार की अपेक्षा रखता हूं।

जीवनरक्षक दवाओं से संबंधित बातें यहां उठायी गयी हैं। मैं अपने पूर्व वक्ता सीपीएम के वरीय साथी से सहमत हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि द्वितीय संशोधन विधेयक, 2002 के अंतर्गत ट्रीप्स एग्रीमेंट के लचीलेपन का फायदा तत्कालीन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सका। यह आवश्यक है कि तृतीय संशोधन विधेयक, 2005 में ट्रीप्स के मूल एग्रीमेंट को बदल कर विकसित देशो के छिपे हुए हितों को निकाल कर विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों को उसमें समाहित किया जाए। मैं यूपीए सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि इसे विकासशील और अर्धविकसित देशों के हित में बनाया जाए। यह बात ट्रीप्स के मूल ढांचे के अंदर निहित है। लेकिन हम उसे उद्धृत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ट्रीप्स के समझौते पर गहनापूर्वक देखा जाए और उसकी खूबियों को इस संशोधन विधेयक में समहित करके इसे बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए।

मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि पेटेंटबल सब्जेक्ट मैटर में जो टर्म 'इन्वेंशन' है, उसका सही ढंग से विश्लेषण करते हुए, उसे इलैबोरेट करके जो इन्वेंशन सचमुच में नया प्रोडक्ट हो, नई सोच हो, नई विधि हो, इनका संगम हो, उसे ही पेटेंटीकरण अधिकार मिलना चाहिए।

हमारे पूर्व वक्ता ने जो कहा कि पेटेंट किए जाने से पहले विरोध का अधिकार है, वह हमें अवश्य मिलना चाहिए। इस संशोधन विधेयक में उसका प्रावधान अवश्य होना चाहिए। यह एक कंट्रोल सिस्टम विकसित करता है। कभी नीम का और हल्दी का पेटेंट हुआ, हमें पता बाद में चला। फिर उसका डीपेटेंट हुआ, यह हमें ठीक से पता ही नहीं चला। डब्ल्यू.टी.ओ. की जो कोर्ट है, वहां सुनवाई के लिए कब गया, कब सुनवाई हुई, पता ही नहीं चला। इसलिए इस देश में भी पेटेंटीकरण से संबंधित एक आफिस होना चाहिए और विजिबिलिटी होनी चाहिए। आम लोगों को, छोटे-बड़े उद्योगपतियों को यह मालूम होना चाहिए कि यह पेटेंट बिल्डिंग है। यहां पर यह प्रोसेस है और उसके तहत पेटेंट होता है। इस दिशा में अवश्य कदम उठाया जाना चाहिए।

अगर यह एक गम्भीर विषय है, तो इसे गम्भीरतापूर्वक डील करने

[श्री रामजीलाल सुमन]

की आवश्यकता है। जानकारी के अभाव में अच्छे-अच्छे आविष्कारक शोध और आविष्कार करने के बाद उसे कैसे पेटेंट कराएं, इसका पता नहीं चलता। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमने जो बातें कही हैं, ये इस देश की जनता के हित से जुड़ी हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं।

कृषि हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे हमेशा ऐसे मुद्दों पर नेग्लेक्ट किया जाता रहा है। इस क्षेत्र में पेटेंटीकरण के मामले में जो संशोधन विधेयक आप लाए हैं, उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, ताकि इस देश के किसान जो विभिन्न माध्यमों से ठगे जाते रहे हैं, कहीं ऐसा न हो इस संशोधन विधेयक के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में ठगे जाएं और ग्रामीण वर्ग भी ठगा जाए। इसका पूरा-पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) : माननीय सभापति जी, आपने पेटेंट बिल पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसमें राष्ट्रीय आवश्यकता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाये कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश पर हावी न हो जाएं। हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने इस बात की आशंका जाहिर की है। नीम, हल्दी, तुलसी और तमाम जीवनोपयोगी औषधियां, वनस्पतियां, जो जनहित के लिए हैं, इनका पेटेंट न हो। किसानों और तमाम जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए, अन्य अनेक संशोधनों के साथ यह बिल लाया गया है, जनहित में लाया गया है और हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसका समर्थन करती है।

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री कमलनाथ इस पेटेंट (संशोधन) विधेयक को पेटेंट व्यवस्था में भारत द्वारा की गई विश्व व्यापार संघ संबंधी प्रतिबद्धता के अनुसरण में लाये हैं। पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश पहले महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था और यदि यह विधेयक 8 अप्रैल पहले पारित नहीं किया गया तो यह अध्यादेश व्यपगत हो जाएगा।

भारत ट्रिप्स समझौते का हस्ताक्षरी और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप इसका लाभ ज्यादातर उद्योगों को ही मिला है, कामकाजी वर्ग इससे वंचित रह गए हैं।

लोगों के दिमाग में आशंका है कि इस संशोधन विधेयक के पारित होने पर औषधियो के मूल्य विशेषकर जीवन रक्षक दवाइयों के मूल्य बढ़ जाएंगे ओर सामान्य उपयोग की अन्य वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। इस आशंका को दूर करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सुधारकामों को और आगे बढ़ाते हुए भारत को भी ब्रिटेन, फ्रांस आदि जैसे देशों की तरह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।

सभा को शायद याद होगा कि हमारे नेता और तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री स्व. थिरू मुरासोली मारन, जो केन्द्र सरकार के एक अभिन्न अंग थे, ने विकासशील देशों, विशेषकर भारत के हितों की रक्षा के लिए दोहा कन्वेंशन में विकासशील सदस्य देशों के साथ 36 घंटों से भी अधिक समय तक चर्चा की। उन्होंने भारतीय मजदूर वर्ग के हितों, और किसानों के हितों के रक्षार्थ विश्व व्यापार संगठन मंच से बहुत ही साफ शब्दों में बातचीत की थी।

पेटेंट व्यवस्था से पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के न्यूनतम किया जाना चाहिए, जिससे कि भिन्न-भिन्न मदों का पेटेंट किए जाने से, चाहे वह प्रोडक्ट उत्पाद पेटेंट के माध्यम से हो या प्रोसेस प्रक्रिया पेटेंट के माध्यम से, किसानों, कामगारों, आमलोगों को अधिक मूल्य न चुकाना पड़े।

सरकार विशेष विपणन अधिकार से संबंधित एक संशोधन ला रही है, जिससे व्यापारी हमारे गरीब लोगों का शोषण न कर सकें।

इस विधेयक में विदेशों में दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों का पेटेंट न किए जाने के उपाय से संबंधित प्रावधान हैं। हमने सुना है कि भारत में परम्परागत रूप से प्रयोग में लाई जानेवाली बहुत सी आम चीजों का, नीम, हल्दी, बासमती, टेक्समती, तुलसी आदि जैसे कुछेक मूल्य वर्द्धित उत्पादों के साथ पेटेंट किया जा रहा है। सरकार को इस पर नजर रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऐसी मौलिक चीजों का, जिनका कोई प्रसंस्करण नहीं होता है, कहीं भी पेटेंट नहीं होना चाहिए।

जन स्वास्थ्य और पोषण, श्रमिकहित और किसानों के अलावा जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा, जैव विविधता और परम्परागत ज्ञान विज्ञान के संरक्षण के पर्याप्त सुरक्षोपाय होने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है और 70 फीसदी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निकास करती है, जो कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए, कृषि संबंधी प्रचालनों हेतु सुरक्षोपाय होने चाहिए और कृषि कार्य में काम आने वाली चीजों यथा गुणवत्ताबीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि के मूल्य छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार, लघु उद्योगों के हितों का भी संरक्षण होना चाहिए और स्वयं विधान में पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र देश में रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत है।

विश्व में हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम सभी चीजों मसलन सूई से लेकर सैटेलाइट तक को बनाने में पर्याप्त रूप से सक्षम है।

महोदय, मैं विपणन अधिकार के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं। विश्व व्यापार संगठन की शर्तें ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उत्पादन की हमारी प्रक्रिया या तौर-तरीके में हस्तक्षेप होता हो। कार्य संस्कृति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं थोपा जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते है, हमारे पास कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और घरेलू उद्योग है जहां कि हस्तशिल्प मदों दियासलाईयों (माचिस) आदि के निर्माण में पूरा परिवार लगा होता है। इसलिए, यह बेहतर होता है कि उत्पाद को उसकी गुणवत्त और प्रामाणिकता के संदर्भ में आंका जाता है, नकि, उसको बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिया।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सभापति महोदय, पेटेंट अमैंडमैंट बिल 1970, जो संशोधन करने के लिए आया है, मैं और मेरा दल उसका विरोध करता हूं। यह संशोधन बिल देश के लिए बहुत खतरनाक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए, आम जनता के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए यह बहुत खतरनाक संशोधन बिल है। हमारी ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की सभ्यता और परम्परा रही है। पांच हजार साल पुराने वेद, पुराण देखें। जिन चीजों का इनवैंशन हुआ, मानव सभ्यता और मानव जीवन के विकास के लिए हुआ था। उनका कभी कोई मूल्य लेना नहीं चाहता था।

अभी बताया गया कि पेटेंट एरा आ गया है 1995 में सरकार ने डबल्यूटीओ में जाकर देश को बेचने का रास्ता खोला। इसके पीछे जो आपका निजी स्वार्थ है, वह कभी चरितार्थ नहीं होगा। सरकार को कैमिकल ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डैफिनेशन पता नहीं है। इसके बारे में क्या करेंगे? इस संशोधन बिल में इसका कोई जिक्र नहीं है। माइक्रो कैमिकल ऑर्गेनिज्म की क्या डेफिनेशन होगी? मेडिसिन और कैमिकल फर्टिलाइजर जिन जगहों में हजारों साल से हो रहे हैं, उनकी हालत इस बिल के आने के बाद क्या होगी? इसकी भी डैफिनेशन अभी मालूम नहीं है। आप टैक्निक्ल कमेटी के माध्यम से इसे फाइनल नहीं कर पाए हैं। तुलसी, नीम और हल्दी मेन ऑर्गन हैं। ऐसी मैडिसिन जो हजारों साल से देश में चल रही हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, सरकार को यह बताना पड़ेगा।

कहा गया कि मेडिसिन के प्राइस नहीं बढ़ेंगे। कैसे नहीं बढ़ेंगे?

हमारे देश में अब यह अनुभव है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स का दाम सौ-दो सौ गुना बढ़ गया है। दवाओं के दाम कैसे नहीं बढ़ेंगे? मेडिसन्स के दाम जरूर बढ़ेंगे और अखबार में आ रहा है कि यह सरकार मल्टी नेशनल के हाथ में कठपुतली बन गई है। ये उनके स्वार्थ के लिए देश के हित का बलिदान कर देना चाहते हैं। इसमें हमारे देश का कोई हित नहीं हैं अभी सरकार कह रही है कि आज बिल पास नहीं होने से हैंडलूम बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा और सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। आज इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट कितना परसेंटेज है? माननीय मंत्री जी इसे बताएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में कितना परसेंटेज है? चाहे हैंडलूम या कोई और चीज हो, उसका टोटल इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा परसैंटेज कितना है, कितना हम सफर करेंगे और देश से कितना इम्पोर्ट होगा? इसे देखना चाहिए। अब पेटेंट प्रोसेस को छोड़ कर हम जैसे पेटेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं इस में देश का हित कभी नहीं होगा। इससे हम किस स्थिति में आ जाएंगे और क्या होगा, इसके बारे में माननीय मंत्री जी को बताना पड़ेगा। यह एक्ट हमारे देश के हित के लिए नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार देश के हित के लिए इसे जरूर स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की कोशिश करेगी जहां इस पर टोटल डिस्कशन हो सकता है।

बीज के बारे में इसमें कुछ भी नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम डब्ल्यूटीओ के मुताबिक कम्पीटीटिव बन जाएंगे तो यूएसए और दूसरे देश हमारे ऊपर दादागिरी करेंगे। स्टील इंडस्ट्री में मेरा अपना अनुभव है कि जब स्टील इंडस्ट्रीज और स्टील प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्किट में कम्पीटिटिव बन गए तो अमेरीका ने एंटी डंपिंग शुरू कर

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

दिया और एंटी डंपिंग कांऊटर डयूटी चार्जिस लगा दिया। इससे देश की कंपनियां अफेक्टिड हुई और देश को डिस्प्यूट सैटलमेंट पैनल में जाना पड़ा। हालांक उधर हमारी जीत हुई। लेकिन चार-पांच साल में जो हमारा नुकसान हुआ और अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए यूएसए जैसे देश ने इललीगल डयूटी लगाई जो डब्लू.टी.ओ. में रहने से देश को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर एंटी डंपिंग दूसरे देश का हमारे उपर ऐसे लागू होगा तो भारत का प्रोडक्ट कम्पीटीटिव बन जाएगा और बाहर के देशों में हम कभी कम्पीटीटिव मार्किट में नहीं पहुंच पाएंगे। इस स्थिति से हमें गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने दल, बीजू जनता दल की तरफ से पेटेंट अमेंडमेंट बिल का विरोध करता हूं। यह देश के हित के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए चार घंटे का समय अलॉट हुआ था। दो घंटे प्रन्द्रह मिनट हो चुके हैं, एक घंटा पैंतालिस मिनट बाकी हैं। इस बिल को 6.15 बजे तक पास करना है। इस कार्य को 6.15 तक लिया जा सकता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि वे समय सीमा का ख्याल रखेंगे।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : इस पांच बजे करवा दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यही समय अलाट किया गया है।

श्री लालू प्रसाद : आप कहते हैं पास करना है तो पास कीजिए।

सभापति महोदय : माननीय रेल मंत्री जी, बीएसी में अलॉट हुआ है। उसी समय सीमा के अंदर पास करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बहुत-सी चीजें कही गई हैं। तथापि, कतिपय मौलिक अवस्थिति का उल्लेख किया जाना अब भी शेष है। वह यह है कि भारत में पेटेंट और डिजाइन पर 1891 में एक विधान बना था। तब वह एक उत्पाद व्यवस्था थी जिसके तहत कहा गया कि भारत में दवाइयों से संबंधित हमारी 85 फीसदी जरूरतें विदेशों से दवाइयों का आयात कर पूरी की जाएंगी। संभवत: उन दिनों परराष्ट्रीय निगम (ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन) उतने बड़े नहीं थे जितने कि आज है। उत्पाद व्यवस्था 1911 तक थी, तब देश में स्थिति ऐसी थी कि हमें अपनी दवा संबंधी 85 फीसदी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भर रहना पड़ता था।

1970 के पश्चात् जब भारत ने एक नया पेटेंट विधान अपनाया, जहां हमने प्रक्रिया व्यवस्था (प्रोसेस रीजिम) को अपनाया, स्थिति बदल गई। हमारे देश में दवा संबंधी 85 फीसदी जरूरतें हमारे स्वयं के उत्पादों से पूरी की जाती थीं। वह एक असाधारण उपलब्धि थी। यही नहीं हमने उन देशों को निर्यात करना भी शुरू कर दिया, जिनके पास स्वयं अपनी दवाइयों के उत्पादन की सुविधा या आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है। हमने उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दवा की आपूर्ति की। किन्तु क्या मंत्री जी अब यह आश्वस्त करेंगे कि हम इस उत्पाद व्यवस्था को स्वीकार करने के बाद सस्तीदर पर अपनी स्वयं की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? क्या यह आश्वस्त किया जा सकता है कि हम अपने लोगों की दवाइयों संबंधी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि विगत में हमारा अनुभव ऐसा नहीं रहा है...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी कृपया सुनें...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ : मैं सुन रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : जब इन्होंने सरकार को सपोर्ट करना ही है तो वह सुनकर क्या करेंगे?

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : मेरा कहना भी वही है। किन्तु, ऐसा मानकर न चला जाये....*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मंत्री के लिए यह बेहतर है कि वे सुनने की थोड़ी और आदत डालें। संभवत: मंत्रीगण बाद में बातचीत कर सकते हैं। इससे सभा के प्रति थोड़ा अधिक सम्मान प्रदर्शित किया जा सकता है।

मैं यह कह रहा हूं कि आप 'प्रोडक्ट पेटेंट' की ओर बढ़ रहे हैं। क्या मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि देश में औषधियों की आवश्यकता हमारे उत्पादन से पूरी हो जाएगी जैसी कि पहले स्थिति थी? 1970 से पहले यह संभव नहीं था। मैं सोचता हूं कि आज कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उन्हें विदेशों से बहुत सारे अभ्यावेदन

मिलते हैं, विशेषकर अफ्रीकी देशों से जो अपने लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी दवाईयों पर निर्भर हैं। परंतु अब वे चिंतित हैं जब हम विश्व व्यापार संगठन के अनुपालन के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रणाली को लागू करने के लिए विधान बना रहे हैं। उन्हें यह डर है, कि हम सस्ती दवाईयां उपलब्ध नहीं करा पायेंगे जैसा कि हम पहले करते रहे हैं। मैं उस भावना की सराहना करता हूं, जिस भावना से मंत्री महोदय संशोधन लाये है। संभवतः हम इन संशोधनों का समर्थन करेंगे परंतु मंत्री महोदय को हमें यह आश्वासन देना होगा कि इस विधेयक का लाभ किसे मिलेगा।

मेरे विचार में, इस देश की बहुसंख्यक जनता का इससे लाभ नहीं होने जा रहा। यह भय, यह आशंका हमारी जनता के मन में है। हमारे ऊपर विश्व व्यापार संगठन दबाव क्यों डाल रहा है? क्यों अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है? क्यों हमारे ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दबाव डाला रहा है? उनका आशय बहुत स्पष्ट है। वे सोचते हैं कि यह नई प्रणाली जो हम शुरू करने जा रहे हैं, में वे अपने तरीके से कार्य कर सकेंगे, वे ऐसी परिस्थिति बना सकेंगे जिसमें कि दवाईयां महंगी हो जाएंगी और जनता को इसका नुकसान होगा, केवल भारत की ही जनता नहीं, बल्कि विकासशील देशों विशेषकर अफ्रीका जैसे देशों की जनता को भी इसका खामियाजां उठाना पड़ेगा। क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि वे इस संबंध में कुछ समझने योग्य तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि वे इस देश को इस प्रकार की स्थिति में नहीं ले जायेंगे? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आरंभ में जब विधेयक पुर:स्थापित किया गया था तो आपत्ति इसी बात को लेकर उठायी गयी थी। यह आपत्ति इसीलिए उठायी गयी थी कि यदि दवाईयां सस्ते दरों पर उपलब्ध नहीं होगी। तो लोगों का जीवन, भारत की बहुसंख्यक जनता का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मैं आपको कोई आंकड़ा नहीं देना चाहता। मेरे विचार में आपके पास पर्याप्त आंकड़े है। यदि ये दवाईयां जो आज भारत में उपलब्ध है, अमेरिका या यूरोपीय देशों में भी उपलब्ध है, उनके मूल्य में, जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में सौ से तीन सौ गुना का अंतर है। ये औषधियां कैंसर से जीवन की रक्षा, कोलेस्ट्रॉल का उपचार करने वाली औषधि और कई अन्य बीमारियों के लिए भी औषधि हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं। जिसमें हमारी जनता को सस्ते दरों पर दवाईयां मिलेंगी जैसाकि उन्हें अभी मिल रही हैं। यह एक वाजिब आशंका है जिसके बारे में आपको अपना उत्तर देते समय स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस प्रकार देश इस बारे में आश्वस्त हो सकेगा कि वे यह विधान देश और आम जनता के लाभ के लिए ला रहे हैं। इस बारे में मेरी भी आशंका है।

हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत पुराना समझौता है। परंतु युद्धोपरांत काल के बाद जब देश स्वतंत्र हो गए और नए देशों ने अपना आर्थिक विकास करने का प्रयास किया तो उस समय के बाद साम्राज्यवाद द्वारा देशों को पुनः गुलाम बनाए जाने का प्रयास किया गया। उन्होंने उन्हें बाजार के रूप में व्यवहार में लाना शुरू किया जैसा कि वे पहले करते थे। आज इसका तरीका बदल गया। अब वे अपनी बंदूकों, जहाजों और अन्य चीजों के साथ नहीं आते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका माध्यम हैं और पेटेंट के माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं। यह मेरा कथन नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने दूसरे राष्ट्रों में कार्य निगमों के बारे में अपने अध्ययन में कहा है। दूसरे राष्ट्रों में कार्यरत कंपनियां नए उपनिवेशवाद के आधुनिक उपकरण है। यदि हम अब यह संशोधन कर रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने देश में आने और इसे लूटने के लिए द्वार खोल रहे हैं क्या वे यह आश्वासन दे सकते हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रोक पायेंगे? वे हमारे जैसे देशों की ज्यादा चिंता नहीं कर रहे। हमारे इतिहास में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में हमारे इतिहास में कई अनुभव भरे हुए हैं। वे शासन प्रणाली का तख्ता पलट देते हैं और उसे अनुशासित करने का प्रयास करते हैं। यह चिली में हुआ, यह कई अन्य देशों में हुआ। संभवतः मुझे नहीं पता कि क्या श्रीमती इंदिरा गांधी अब आपके लिए स्मृति योग्य शख्सियत होकर रह गयी हैं। यह श्रीमती इंदिरा गांधी की उक्ति थी जिसे श्री रूपचंद पाल ने उद्धृत किया था जब वे बोल रहे थे। मैं इसे पुनः नहीं दोहराना चाहता हूं।

उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि "औषधियां जीवनरक्षक साधन हैं। इनका पेटेंट नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे विश्व की कल्पना करती हैं जिसमें औषधियों का पेटेंट नहीं किया जाएगा और उनसे लाभ नहीं कमाया जाएगा।

परंतु, मंत्री महोदय, यहां पर आप एक विधान बना रहे हैं और मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह लाभ कमाने के रास्ते खोल देगा निःसन्देह जिसके लिए ही औषधियों का पेटेंट किया जा रहा है। प्रत्यक्षतः हमारी जनता और उनके जीवन की कीमत पर वे लाभ कमाने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप किसी दूसरे वक्ता का नाम न लें इससे पूर्व ही मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

इसलिए इन सभी आशंकाओं और इन सभी चिंताओं के बावजूद इस विधेयक को मैं समर्थन दूंगा और मेरा दल भी उसे समर्थन देगा। हम समर्थन इसलिए देंगे क्योंकि हमारी राजनीतिक आवश्यकताएं न कि इसलिए कि हम आपके द्वारा दिए गए तर्कों से संतुष्ट हैं।...*(व्यवधान)* आप अच्छे संशोधन लाए हैं। उस सीमा तक आपने दयालुता दिखायी है, या यह दरअसल राजनीतिक अनिवार्यता भी है। क्योंकि आपको वामपंथी और अन्य दलों का समर्थन लेना है। उस सीमा तक यह ठीक है। परंतु मूल समस्या बनी रह जाती है। क्या हम अपने द्वार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर जाएं, हमें महत्वहीन समझें और हमारी जनता को औषधियां न देकर उनकी जान लें और अफ्रीकी देशों की जनता को भी मरने के लिए छोड़ दें जो जीवन रक्षक दवाईयों के लिए हमारे ऊपर निर्भर है।

इन शब्दों के साथ, मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपको हमारा मत मिलेगा परंतु, जब आप उत्तर देंगे तो कृपया इन मुद्दों की व्याख्या करें ताकि इसके परिणामों के बारे में हमारी आशंका कुछ कम हो सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, मैं इस बिल का घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बार-बार यह बात बताई गई कि एनडीए की सरकार का तैयार किया हुआ यह कानूनी है, परंतु आज के दिन इस पर नकारात्मक बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। यह बात सही है कि यह कानून एनडीए सरकार ने तैयार किया था। यह तो सब जानते हैं। मैं उसी पर बल दे रहा हूं कि यह बात सही है। लेकिन यह कानून बनाने के बाद इसे पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया और वहां से स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा निर्णय लिया था कि आम जनता में से कोई भी व्यक्ति इस पर अपनी राय देने के लिए आ सकता है। अनेक संगठनों को, जिनको इन चीजों में दिलचस्पी रहती थी, उन्हें इसको भेजा गया और उनकी राय भी मांगी गई। यह दुर्भाग्य की बात है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गईं कि जो कार्य शुरू किया था, वह समाप्त होना संभव नहीं रहा। मैं यह बात इसलिए यहां पर रख रहा हूं कि चूंकि कल से यहां जो बात चल पड़ी थी कि इसे जांच के लिए किसी कमेटी के पास भेजा जाए, वह कोई आज की बात नहीं है। एनडीए ने यह कानून बनाते समय सारे देश के लोगों के सामने रख कर उनकी राय लेने का निर्णय लिया था और यह सार्वजनिक है। इस बात का दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

महोदय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में इस बिल का अध्ययन किया है। डब्ल्युएचओ ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से, हमारे हैल्थ मिनिस्टर से, इस बिल से संबंधित तमाम लोगों को पत्र लिख कर और अगर ऐसा कहूं कि हाथ जोड़ कर अपने देश के उन तमाम लोगों की तस्वीर को सामने रखा, जिनके लिए यह कानून पारित होने के बाद दवाइयां मिलना मुश्किल होगा और जो दवाइयां मिलेंगी, उन्हें खरीदना संभव नहीं होगा। एचआईवी यानि एड्स पर हमारी सरकार बहुत बल देती है, इससे संबंधित दवाइयां भी खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, अन्य ऐसे लोगों के पास भी ये बातें पहुंचा दी गईं कि अगर इस कानून को आप पारित करना चाहते हैं तो पता नहीं देश के लोगों की क्या हालत होगी। आज इस चर्चा को जब यहां शुरू किया गया, तब न्यूयार्क टाइम्स में लिखे हुए दो लेखों का उल्लेख हुआ। उसको यहां पर बहुत हल्के ढंग से सुना गया। न्यूयार्क टाइम्स सामान्य लोगों के पढ़ने वाला अखबार नहीं है और न ही वह भारत को समर्थन देने वाला अखबार है। लेकिन उन लोगों ने, जो यह कानून बनने जा रहे हैं, इसके बारे में जो बातें लिखी हैं, उन्हें नजरअंदाज करना आम आदमी के ऊपर जुल्म करना होगा और जुल्म न केवल अपने देश के लोगों के साथ होगा बल्कि जिन देशों के लिए आज तक हम दवाइयां पहुंचाने वाले रहे हैं, आज उनके मन में एक पीड़ा का निर्माण हो गया है कि उन लोगों का क्या होगा। यह कोई काल्पनिक बातें नहीं है। ये लिखित बातें हैं, जो भारत सरकार के हाथों में पहुंची हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत की सरकार उनके पास आज तक आए हुए दस्तावेजों को लोगों के सामने रखे, तो उससे पता चलेगा कि सारी दुनिया इस समय इस कानून को ले कर क्या सोच रही है। न्यूयार्क टाइम्स का मैंने यहां पर जिक्र किया है। उसे यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है।

महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो वे अपने एडीटोरियल के अन्त में कह रहे हैं, वह यह है कि अगर कानून पारित होता है, तो फिर भगवान ही बचाए। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने संदेश में एक और बात कही है और वह यह है कि-

[अनुवाद]

ट्रिप्स समझौते पर विश्व व्यापार संगठन अधिकारिक घोषणा और 2001 में दोहा में स्वीकार किए गए लोक स्वास्थ्य समझौते में यह

पुष्टि की गई कि ट्रिप्स समझौते का निवर्चन और कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य हेतु और विशेषकर सभी की पहुंच में दवाओं के संवर्द्धन के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकारों की समर्थनात्मक रीति से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

यानी, ट्रिप्स जो भी कहता हो, लेकिन जहां लोगों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, जहां दवाओं का मामला है, वहां ट्रिप्स को नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को तरजीह देनी चाहिए और आज हम लोग उसे यहां छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि ये सब चीजें, सबके सामने नहीं गई हों। इसलिए मैंने कहा कि भारत सरकार इन्हें देश के लोगों के सामने रखे। ये सब सरकार की ओर से मिले तथ्य और जानकारियां हैं, जिन्हें मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी जनता के सामने नहीं गई है। अगर ये सारी बातें आज भी देश के लोगों के सामने रखी जाएं, तो पता चल जाएगा कि जो हो रहा है, वह सही हो रहा है या गलत।

महोदय, इसलिए मेरी तो इस सदन से प्रार्थना है कि इसे पारित न किया जाए। लोगों ने अपनी-अपनी बातें यहां कहीं, मैंने भी अभी आपसे यह बात कही कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है। उसका एक आखिरी वाक्य मैं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यदि संसद में अनुमोदन होने से पूर्व निर्णय बदला नहीं जाता भारत के लिए जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति करना बहुत मुश्किल होगा और भारतीय संसदविदों को यह बात अपने दिमाग में अवश्य रखनी चाहिए कि यह जानबूझ कर उठाया गया विवाद वस्तुतः भारत और विश्व भर के लाखों करोड़ों व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए ज़टिल रणभूमि है।

[हिन्दी]

महोदय, इन सब चीजों को समझने के बाद, सुनने के बाद, इस कानून को समर्थन देना मेरे लिए, तो संभव नहीं है और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत) : भारत कम लागत वाले जेनरिक उद्योग से लाभान्वित हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप वह विश्व में कम लागत वाली 30 प्रतिशत औषधियों पर वर्चस्व बना पाया है। हमने इस बात के कारण कि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन में ठोस मामले द्वारा नेतृत्व हासिल कर लिया है। हम वे लाभ छोड़ने वाले हैं जो हमने इस अधिनियम में विकासशील विश्व के लिए प्राप्त किए थे। हम न केवल अपने देश अपितु विश्व भर के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को भी जोखिम में डाल रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

ये वे समस्याएं हैं जो मैंने व्यक्त की हैं और जो कई वक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई है जो सभी दलों में समान रूप से चिंतित है। चूंकि संशोधन पारित नहीं हुए है अतः मैं इस विधेयक के वर्तमान रूप का विरोध करता हूं और इसके कारण भी वही हैं।

हम नियम जारी कर रहे है जो नई दवाओं के नक्काल उद्योग को प्रभावी वे रूप से समाप्त करेंगे। इस सब का अर्थ यह हुआ कि खरीदे जा सकने वाली दवाओं की आपूर्ति समाप्त हो गई है और जेनरिक प्रतिस्पर्धा जो ब्राण्ड वाली दवाओं की कीमतों में कमी लाती है, वह भी समाप्त हो जाएगी। हमसे जो पूछा गया है हम उससे कहीं दूर हट गए है। विश्व व्यापार संगठन लोक स्वास्थ्य के नाम पर हमें उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है।

नवम्बर, 2001 में विश्व व्यापार संगठन इस बात पर सहमत हुआ कि लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राष्ट्र पेटेंट धारक से समझौता किए बिना पेटेंट की गई दवाओं के जेनरिक उत्पादन की अनुमति के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकते हैं परंतु इस विधि के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करने का काम धीमा और मुश्किल होगा क्योंकि बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की चुनौतियों द्वारा इसमें बाधाएं आ सकती हैं। पेटेंट नियंत्रक को कई बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मसलन पेटेंट जारी होने के बाद बीता हुआ समय, पेटेंट का पूर्ण प्रयोग करने के लिए पेटेंटधारक द्वारा किए गए उपाय और लोक हित के लिए इसका प्रयोग करने के संबंध में आवेदक की योग्यता। केवल इन्हीं के द्वारा एक औसत दफतरशाह वर्षों तक मामले लटगा देगा। इसके अतिरिक्त भारतीय विधि इन दवाओं को ऐसे देशों में बेचने की अनुमति नहीं देगा जिनके पास उनका पेटेंट नहीं है – अर्थात् अधिकांश अफ्रीका और काफी संख्या में लघु विकसित राष्ट्र में दवाएं बेचने की अनुमति नही होगी। हालांकि अध्यादेश लोक स्वास्थ्य हेतु निर्यात के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का उपबंध करता है। अतः यह पेटेंट नित्रंयक को अपने विवेकानुसार उपयुक्त मानदण्ड विनिर्दिष्ट करने की शक्ति देता है। ट्रिप्स महासभा ने विनिर्दिष्ट किया है कि इस प्रकार की जेनरिक

[श्रीमती मेनका गांधी]

दवाएं उन देशों को निर्यात की जा सकती हैं जिनकी उत्पादन क्षमता या तो कम है अथवा बिल्कुल नहीं है। परंतु हमने तो वह भी अपने लिए नहीं छोड़ा है। हमने यह भी जोड़ा कि राष्ट्र का पेटेंट होना चाहिए। इस अतिरिक्त बात की क्या जरूरत है? ये खामियां कम की जा सकती हैं और कम की जानी चाहिए। इस अध्यादेश में दो बहुत अधिक अजीब उपबंध और किए गए हैं इसमें प्रभावी होने से पहले पेटेंट को चुनौती दिए जाने की योग्यता को सीमित कर दिया है। किसी को इस संबंध में केवल एक पत्र भेजना होता है उस पर विचार किया भी जा सकता है और नहीं भी, इस संबंध में आवेदक को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह केवल एक औपचारिकता मात्र है क्योंकि नियंत्रक को सुनवाई करने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि मुझे माननीय सदस्य द्वारा बताया गया अब इसमें परिवर्तन किया जा रहा है कि कोई भी पेटेंट की अनुमति दिए जाने का विरोध कर सकता है। जिसके कारण यह विरोध भी बहुराष्ट्रीय विद्युत संयंत्रों के विरोध के समान उपहासारपद बन कर रह जाता है। इस विधि में पेटेंट करने से पहले उसे चुनौती देने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अनुमानपूर्व सुनवाई के काफी अवसर दे रहे हैं। करीबन 8,000 आवेदन स्वीकृति के लिए उपलब्ध हैं क्या उन्हें भी पेटेंटों की तुरंत अनुमति दे दी जाएगी जिससे पूरे उद्योग पर उनका एकाधिकार हो जाएगा और गरीबों के लिए उपचार की सुविधा पर रुकावट लगा दी जाएगी।

अपराह्न 5.04 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

दूसरे सदाबहार प्रभाव के बारे में बात करना बेकार है उदाहरण के लिए कंपनियां केप्सूल छोड़कर गोलियां बनाकर अपने पेटेंट अधिकार का विस्तार करती है। इससे एकाधिकार बढ़ता है। संसद को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जेनरिक दवा बनाने में भारत के हितों की रक्षा करे। हमें वे उपबंध समाप्त कर देने चाहिए जो इन्हें फलने-फूलने देते हैं। हमारे सामने पहले ही से ऐसे कई उदाहरण हैं जो कई वक्ताओं ने दिए हैं। पाकिस्तान उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत एकाधिकार के कारण प्रभारित उच्च दरों से पहले ही से त्रस्त है। उनकी अपनी रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के उपभोक्ताओं को केवल नौ दवाओं के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ रहा है जो दवा बाजार का कुल 14 प्रतिशत है। जिसकी कीमत यहां 50 रुपये है वह वहां 400 रुपये में बिक रही है। इस बात की भी व्याख्या की जानी चाहिए कि कौन सी वस्तुओं का पेटेंट कराया जाना चाहिए और कौन सी वस्तुओं का नहीं। पहले, किसी वस्तु का नया प्रयोग पेटेंट नहीं कराया जाता था अब 'नए प्रयोग' की स्थान पर 'सिर्फ नया प्रयोग' लिखकर इसकी अनुमति भी दे दी गई है।

मैं 'डाउन टू अर्थ' से उद्धृत करता हूं:-

''चूंकि ट्रिप्स इस बात की विस्तृत परिभाषा नहीं करता कि अविष्कार में क्या क्या शामिल हैं, अतएव राष्ट्र नए प्रयोगों का अविष्कार कर सकते है और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते है कि उनके विचार में आविष्कार में क्या शामिल है। उदाहरण के लिए राष्ट्र विशेषकर जेनरिक सामग्री के संदर्भ में पेटेंट किए जाने योग्य खोज और पेटेंट न किए जाने योग्य खोज के बीच अंतर करने के नियम निर्धारित कर सकते हैं। जीव प्रौद्योगिकी में लगी कंपनियों के हितों को पूरा करने के लिए अविष्कार शब्द के अर्थ में औद्योगिकृत राष्ट्र निरंतर विस्तार कर रहे हैं। इसके विरुद्ध ब्राजील, अर्जेंटीना और अनदीन पैक्ट राष्ट्र प्राकृतिक वस्तुओं, उनके पुनरुत्पादन को पेटेंट से बाहर रखता है क्योंकि इसमें कोई अविष्कार शामिल नहीं है। ये दोनों दृष्टिकोण ट्रिप्स की पुष्टि करती हैं। आगे वे कहते है कि ''हम किसी भी मार्ग को अपना सकते हैं।'' ''अतएव ट्रिप्स में उपलब्ध कराए गए इस अवसर का लाभ अन्य राष्ट्र पहले ही उठा चुके हैं। भारत को भी यह कहना ही चाहिए।''

यहां एक संदेह है कि सत्तासीन गठबंधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आप कह सकते हैं कि इस कानून का लाने की पहल भाजपा द्वारा की गई थी और इस सच्चाई से वे बच नहीं सकते। यह एक बुरा कानून था। परंतु आपने उस कानून को जारी रखा है। मैं आशा करता हूं कि ट्रिप्स के सही पक्ष में रखने हेतु इसे न्यायसंगत बनाने के लिए इसमें संशोधन किए जाएंगे। मैं इस सरकार द्वारा स्वयं इस संबंध में अतिरिक्त शर्तें रखने के तर्क को नहीं समझ पाया जबकि ट्रिप्स ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा।

कल, माननीय मंत्री ने यह कहकर मेरी बात का विरोध किया था कि मैं गलत था... जब मैंने यह कहा कि हमें इसमें देरी करनी चाहिए तो आपने यह कहकर मेरा विरोध किया कि यू.के. ने अपनी अंतिम सीमा नहीं बढ़ाई। मैं माननीय मंत्री को लम्बे अर्से से जानता हूं और जल्दबाजी में हमेशा उनके पास यही शब्द बचता है, शायद वह अपनी सुस्पष्टता को तिलांजली दे चुके हैं। यू.के. को भी विश्व व्यापार संगठन की अंतिम तिथियों का पालन करना था और पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने से पूर्व उन्होंने इस पर संसद और उनकी प्रवर समिति

की उचित बहस कराई और तब तक इस प्रक्रिया में देरी की। ब्राजील, चीन आदि ने भी ट्रिप्स में उपलब्ध लचीलेपन का अधिकतम प्रयोग किया और अपने पेटेंट कानूनों को और मजबूत बना दिया।

वाणिज्य मंत्री का यह वक्तव्य कि भारत को ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) के दायित्वों का अनुपालन न करने के लिए दंड दिया जाएगा, अतः संशोधन को तत्काल पारित करने की आवश्यकता है, मुझे यह कहने को बाध्य करती है कि खराब तरीके से तैयार किए गए विधेयक से तो अच्छा है कोई विधायक ही न हो।

महोदय, मैं अपना भाषण छह मुद्दों तक ही सीमित करने जा रहा हूं। हमें निम्नलिखित की आवश्यकता है:-

1. हमें पेटेंट करने के कार्यक्षेत्र को केवल नई रसायनिक इकाइयों तक सीमित रखना चाहिए।
2. ज्ञात दवाइयों के नए प्रयोग और खुराक के लिए कोई पेटेंट नहीं होना चाहिए।
3. अनुदान-पूर्व विरोध को वास्तविक रूप में बनाए रखना।
4. अनिवार्य लाइसेंस देने के लिए समय-सीमा सहित सरल-प्रक्रिया।
5. बाजार में पहले से ही उपलब्ध जेनेरिक औषधियों के लिए प्रतिरक्षा।
6. भेषज कंपनियों की रायल्टी पर छूट देना आरंभ करना।

क्या लोग एक कैंसररोधी दवा के लिए 8,000/- रु. प्रति माह की बजाय 1,20,000 प्रति माह का भुगतान कर सकते हैं? क्या संपूर्ण विश्व में एच आई वी/एड्स से पीड़ित लोग अपनी दवाइयों के लिए वर्तमान के 7,000/- रु. प्रति वर्ष की बजाय 9,50,000/- प्रति वर्ष का भुगतान कर सकते हैं? क्या हमें कंपनियों को दिए गए बेकार के पेटेंटों का पहले से ही विरोध करने का अधिकार छोड़ देना चाहिए? क्या हमारे जैसे देश में कम कीमत वाली दवाएं अनिवार्य आवश्यकता नहीं है जहां प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और चिकित्सा बीमा उपलब्ध नहीं है? वाणिज्य मंत्री द्वारा बार-बार इस वक्तव्य को दोहराने का क्या आधार है कि दवाओं के मूल्य प्रभावित नहीं होंगे? यहां पर 33 मिलियन मधुमेह के, 20 मिलियन अस्थमा के, 4.5 मिलियन टी.बी. के मरीज हैं, 2 मिलियन लोग मलेरिया से ग्रस्त हैं और 5.1 मिलियन एच आई वी/एड्स के मरीज हैं और अभी तक इनमें से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, अतः इन बीमारियों की कोई भी नई दवा पेटेंट उत्पाद होगा और मूल्य बढ़ेंगे।

महोदय, हमने पहले ही नोवारतिस को दी गई कैंसर-रोधी दवा का उदाहरण दे चुके हैं। एक माननीय सदस्य के अनुसार, हमारे पास प्रतिसंहरण का अधिकार है। क्या इस सरकार ने नोवारतिस को दिए गए पेटेंट के लिए प्रतिसंहरण के अधिकार का प्रयोग किया है, जबकि सरकार ने स्वीकार किया है कि यह गलती थी? इसमें शामिल अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और मूल्य बढ़कर 1000/- रु. हो गया है। क्या सरकार ने इसका प्रतिसंहरण किया है? सरकार ने ऐसा नहीं किया है। सरकार अनिवार्य लाइसेंस तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सरकार भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुदान-पूर्व विरोध के खंडों को बनाए रखने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) को इस पर कोई आपत्ति नहीं है? मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इन मुद्दों का अभी जवाब देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पत्र का स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या उत्तर दिया है? मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र का माननीय प्रधानमंत्री ने क्या उत्तर दिया है?

महोदय, पूरे विश्व में, यहां तक कि धनी देशों ने भी यह सीख लिया है कि उन्हें उन प्रणालियों पर पुनः कार्य करने की आवश्यकता है जो कि दवाइयों की कीमत को ग्राहकों की सीमा से बाहर कर देती हैं। वे एकाधिपत्य मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हम इस विधेयक द्वारा विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इस पर और परामर्श लिया जाना चाहिए और शायद इस विधेयक को स्थाई समिति को भेजा जा सकता है। अथवा सरकार माननीय सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधनों पर सहमति दे सकती है और शायद उन संशोधनों को भी जो तब लाए जाएंगे जब विधेयक को स्थाई समिति को भेजा जाएगा।

कुंवर जितिन प्रसाद (शाहजहांपुर) : महोदय, मैं पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं। यह पेटेंट विधेयक मुख्यतः तीन क्षेत्रों अर्थात् भेषज (फार्मास्यूटिकल) खाद्य और रसायन क्षेत्र में नवीनता और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरक वातावरण का निर्माण करता है। जैसा कि सभी को विदित है कि हमने व्यापार संबंधी वर्ष 1995 के इंटलैक्चुअल प्रापर्टी एग्रीमेंट के अंतर्गत पूरे 10 वर्ष के संधिकाल का उपयोग कर लिया है। अब समय आ गया है कि भारत पेटेंट अधिनियम लागू करे। मैं सदस्यों को उस अंतर्राष्ट्रीय

[कुंवर जितिन प्रसाद]

आर्थिक प्रतिक्रिया के बारे में बता देना चाहता हूं जो हमें तब सहनी पड़ेगी, यदि इस विधेयक को पारित नहीं किया जाता।

सर्वप्रथम, भारत विश्व व्यापार संगठन को विवाद तंत्र के अंतर्गत प्रतिकारात्मक कार्रवाई को आमंत्रण देगा। दूसरे, मेल-बॉक्स आवेदनों के संबंध में कानूनी दवाब बनाया जाएगा क्योंकि अध्यादेश के समाप्त होने के पश्चात् उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तीसरे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। हमने इस पर ध्यान दिया है और माना है कि पिछले दशक से यह समय की आवश्यकता है कि भारत में पेटेंट कानून होना चाहिए। चाहे हमारी पार्टी सत्ता में हो अथवा सत्ता से बाहर हो कांग्रेस अपने इस विश्वास से नहीं डगमगाई कि प्राडक्ट पेटेंट कानून भारत के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से अच्छा होगा।

इसकी तुलना में, भाजपा अथवा एनडीए सरकार बार-बार अपनी बात बदल रही है। जब वे सत्ता में होते हैं तो कुछ कहते हैं और जब वे सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ और कहते हैं। मेरे पास उन वरिष्ठ मंत्रियों के वक्तव्य हैं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। एनडीए सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है:

> "ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के उदय से देश को इस क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ मिला है और भारत अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति अधिकार प्रबंधन (इंटरनेशनल प्रापर्टी राइट्स मैनेजमेंट) के लिए प्रभावी विधान और प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए वैश्विक समुदाय के कदम से कदम मिलाकर लाभ उठा सकता है।"

एक अन्य मंत्री ने भी पेटेंट पर हुए वाद-विवाद के दौरान सदन में कहा है कि:

> "यह विधेयक इस बात का अच्छा उदाहरण है कि हम कैसे मामले को समझने की कोशिश किए बगैर बातों में ही फंस कर रहे जाते हैं। फिर हम पूर्वामासी अवस्थिति को अपनाते हैं जो विवेकपूर्ण भाषण को चोट पहुंचाती है।"

मैं यह बताना चाहूंगा कि एनडीए सरकार अथवा भाजपा एक ही मुद्दे पर बार-बार अपनी बात को बदलती रही है। आज भी, एक अखबार के संपादकीय में यह कहा गया है कि यह विधेयक एनडीए द्वारा लाया गया और बाद में इसने ही इसे बिगाड़ दिया। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी ने पेटेंट विधेयक पर 12 वर्ष पहले ही चर्चा शुरू कर दी थी। हमने गैर-सरकारी संगठनों, राजनैतिक दलों और उद्योग के साथ व्यापाक परामर्श किया है। केवल इसी उद्देश्य के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसकी 40 बैठकें हुईं। हम कब तक इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? मैं यह प्रश्न उन सदस्यों से पूछता हूं जो विपक्ष में बैठे हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि आम आदमी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री ने सुनिश्चित किया है कि दवाओं को उपलब्ध कराने और प्रदान कराने की उचित आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा और लोक हित की रक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, शामिल किए प्रावधानों जो कि एनडीए सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेश में नहीं थे के द्वारा भारतीय कंपनियों को यह सुरक्षा दी गई है कि भविष्य में मेल-बॉक्स आवेदन प्रभावी होंगे। अतः, भारतीय कंपनियां अतिक्रमण संबंधी कार्यवाहियों से पूर्वव्यापी प्रभाव से सुरक्षित हो जाएंगी।

दूसरा संशोधन जो सुधार के रूप में किया गया है वह यह है कि पेटेंट प्राप्त करने वाली कोई विशेष कंपनी तीन वर्ष की रियायत अवधि के भीतर अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त कर सकती है।

एक और मुख्य बात जो मंत्री ने कही है वह यह है कि यदि कोई भारतीय विदेश में पेटेंट कराना चाहता है, तो उसे भारत सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होगा। इससे उन दोहरी प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी जो हमारे लिए हानिकारक होंगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1993 जोकि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है ने कंप्यूटर इंजीनीयरों, कलाकारों, संगीतकारों को संरक्षण दिया है तथा इसका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, संगीत उद्योग एवं फिल्म उद्योग ने स्वागत किया है।

आई.पी.आर. को जो अन्य संरक्षण मिला है, वह भौगोलिक निर्देश है, जिसके अनुसार किन्हीं विशेष नामों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 'श्रीलंका टी ग्रोवर्स' दार्जिलिंग 'टी' के नाम को प्रयोग में नही ला सकते हैं। इस बात का सभी ने स्वागत किया है। मैं, यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उसी प्रकार की अवधारण तथा उसके गुणावगुणों का इतना विरोध क्यों हो रहा है।

कीमतों में वृद्धि के बारे में चिन्ता को भी उठाया गया है मैं, सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक औषधियों का संबंध है 97 प्रतिशत औषधियां पेटेंट की परिधि से परे हैं अतः उनको छुआ ही नहीं गया है। शेष 3 प्रतिशत औषधियों में से 2 प्रतिशत राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची, जिस पर सरकार निगरानी रखती

है, में आती है। कीमतों पर नियंत्रण रखने का दूसरा तंत्र औषधी मूल्य नियंत्रण आदेश तथा राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है जो यह सुनिश्चित करता है औषधियां मुनासिब मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें। सरकार द्वारा अनिवार्य लाईसेंस भी दिया जाता है, जो कि गलत मूल्य निर्धारण को आधार मान कर दिया जा सकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत में निवारण योग्य बीमारियां जैसे मलेरिया, हैजा तथा तपेदिक, जो अभी भी व्याप्त है। यह मुद्दा न केवल मूल्य निर्धारण का है अपितु स्वास्थ्य सुरक्षा तथा इस देश में इससे संबंधित आधारभूत सुविधाओं का भी है, जिसमें कई त्रुटियां है। मात्र मूल्य निर्धारण में ही कमियां नहीं है। यह मुद्दा ठीक साफ सफाई का न होना तथा शुद्ध पेयजल से भी संबंधित है, और ये ही इन रोगों का कारण है।

यहां पर मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि भारत, जहां पर एक साथ कार्य करने की एक अनूठी मिसाल मिलती है, को आई.टी. चिकित्सा तथा बायोटेक के क्षेत्र काफी फायदा हो रहा है। पेटेंट नियम के लागू होने से अपनी कुशल श्रमशक्ति की क्षमता के चलते भारत अन्य देशों के मुकाबले कई क्षेत्रों में फायदा उठा सकेगा। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कानून कमजोर होने के कारण अभी तक निवेशक भारत में निवेश करने से हिचकिचाते थे।

नकली औषधियों एवं कीटनाशकों का भी खतरा है। पेटेंट कानून के लागू होने से पेटेंटधारी भी शेयरधारी हो जाता है तथा वह यह सुनिश्चित करने में राज्य की सहायता करेगा कि भारत से नकली औषधियों का बाजार समाप्त हो जाए।

मेरे विचार से एक अन्य क्षेत्र जहां पेटेंट कानून प्रभावी होगा वह कृषि क्षेत्र है। प्रथम हरित क्रान्ति में हम देख चुके हैं कि यह क्रान्ति इस लिए सफल रही क्योंकि उस अवधि में मुख्य रूप से उच्च प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई के साधनों का आयात किया गया था। हरित क्रान्ति में हमने यह भी देखा कि कृषि करने की पद्धति में बदलाव आया था तथा उसका विविधिकरण हुआ था। मेरा यह विश्वास है कि भारतीय किसानों को फलने फूलने हेतु उपलब्ध सर्वोत्तम कीटनाशक एवं उर्वरकों की आवश्यकता है। इससे कृषि क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अपने नये प्रयोगों को भारतीय किसानों को उपलब्ध कराने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रसाद आपने पहले ही 9 मिनट ज्यादा ले लिये हैं।

श्री सचिन पायलट (दौसा) : महोदय, उनका यह प्रथम भाषण है।

कुंवर जतिन प्रसाद : ऐसा लगता है कि पेटेंट कानून एकाधिकार को बढ़ावा देगा। मैं, यहां कहना चाहता हूं कि नए पेटेंट संशोधन विधेयक के प्रभार से जैनेरिक औषधी विनिर्माण अपने उत्पाद भारत तथा विदेशों में बेंच सकेगें। भारत निर्यात किये जाने के मामले में औषधियों का एक प्रमुख विनिर्माता है। घरेलु उद्योगों का यह अनुमान है कि भारत में वर्ष 2010 तक विश्व के जेनेरिक बाजार के 1/3 बाजार पर कब्जा करने कि क्षमता है।

मुझे, इस विषय पर यही कहना था। पेटेंट विधेयक में किए जाने वाले संशाधनों से होने वाले प्रभाव को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने पर मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इस विधेयक को तत्काल पारित करने की महत्ता को समझेगे।

अन्त में मै बस यही कहना चाहता हूं कि इस संबंध में भारत की वचनबद्धता है, जिसे उसे निभाना है। अतः यह ऐसा समय है कि हमें अपने मतभेदों को भूल कर आवश्यक कार्रवाई करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में ही बोलें। मेरे पास बोलने वाले 20 सदस्यों की सूची है। माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे पांच मिनट से अधिक का समय न लें।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है, तब से भारत में तथा देश के बारह से भी इस विधेयक के प्रावधानों के बारे में संबद्ध समूहों द्वारा तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई है। चिंता इस कारण व्यक्त की गई है कि इससे हमारे देश में और साथ ही अन्य विकासशील तथा अल्प विकसित देशों के आम लोगों को जीवन-रक्षक दवाइयां नहीं मिल पाएंगी।

महोदय, जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, (यूएनएआईडीएस) जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत सरकार को लिखा है। इन सभी संगठनों ने भारत सरकार को इस विधेयक के प्रति सचेत रहने को कहा है। महोदय, आशंका इस बात पर व्यक्त की गई है कि ट्रिप्स समझौते और साथ ही, वर्ष 2001 की दौहा घोषणा में जिस लचीले पन का जिक्र किया गया है उसे इस विधेयक में उपयोग नहीं बनाया गया हैं। तीन-चार क्षेत्रों में व्यापक आलोचना

[श्री सुरेश कुरूप]

हुई है। मैं इस बात से खुश हूं कि भारत सरकार ने इसे दूर किया है और समुचित संशोधन परिचालित किए गए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

श्री सुरेश कुरूप : एक बड़ी समस्या जिस पर हम सबने आपत्ति जताई है, उस प्रावधान से है जो पेटेण्ट धारक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमेशा पेटेण्ट का अधिकार प्रदान करता है। महोदय, एक कंपनी जो अपने रसायनों में परिवर्तन कर पेटेंट पा लेती है और इस पेटेंट की अवधि समाप्त होने से पहले वह फिर पेटेंट के लिए आवेदन करती है और पेटेंट प्राप्त कर लेती है। ऐसे में वह कंपनी हमेशा उस दवा का पेटेंट प्राप्त करती रहेगी। उदाहरण के लिए एक औषधि है, ग्लेविक; जो ल्युकेमिया के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका नोवार्टीस कंपनी ने पेटेंट करा रखा है। मुलत: इसका पेटेंट 1993 में हुआ था। इस रोग के इलाज के लिए औषधि का मूल्य भारत में प्रति माह लगभग 1,20,000 रुपए आती है। जबकि, देश में उपलब्ध इसी जेनरिक वर्जन का मूल्य केवल 8,000 से 10,000 ही है।

महोदय, इस औषधि का यहां पेटेंट किए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक प्री-1995 मॉलिक्युल है और ट्रिप्स समझौते के अनुसार इसका पेटेंट किए जाने की जरूरत नहीं है। पर हुआ यह कि नोवार्टीस ने वर्ष 1998 में इसी औषधि के लिए एक नया पेटेंट आवेदन फाइल किया और उसने दावा किया कि उसने उस औषधि का एक बेहतर क्रिस्टल रूप तैयार किया है। 1998 में दिए उस आवेदन के आधार पर नोवार्टीस ने भारत में वर्ष 2003 में 'इलेविक' के पिणन का एकाधिकार प्राप्त कर लिया।

महोदय, फिर कुछ जेनरिक वर्जन भी इस देश में उपलब्ध थे। अब पेटेंट ऑफिस के इस गलत निर्णय से इस जेनरिक वर्जन को खतरा है। विपणन के एकाभिकार के आधार पर नोवार्टीस ने जेनरिक वर्जन का निर्माण करने वाली छह कंपनियों के खिलाफ निषेधाज्ञा लगवा दिया हैं महोदय, इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में केवल एक ही कंपनी 'गलेविक' के जेनरिक वर्जन का निर्माण कर रही है और नोवार्टीस ने उस एक मात्र निर्माता कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हैं यह वाद अब भी लंबित है। इसलिए, यह क्या हो रहा है? यह एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है जिसे विभिन्न दलों के लोगों और यहां तक कि वामदलों के लोगों द्वारा जतायी गयी है। अब चूंकि समुचित संशोधन परिचालित किया जा रहा है. इसलिए मैं समझता हूं इस ओर ध्यान दिया गया हैं।

दूसरी बात थी 'अनुदान पूर्व विरोध' जो बहुत ही अनिवार्य और साथ ही, पेटेंट अधिनियम, 1970 की एक प्रमुख विशेषता थी। उसमें भी संशोधन किया गया और सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधन में उसका भी ध्यान रखा गया है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि मेल बॉक्स में हजारों आवेदन भी लंबित पड़े हुए है। उन दवाइयों के लिए, हमारे देश में जेनरिक वर्जन उपलब्ध हैं और यदि इनका भी एक बार पेटेंट कर दिया गया, तो यह भी बाजार से गायब हो जाएगी। अब संशोधन में बताया गया है कि रॉयल्टी का भुगतान कर उस दवा (जेनरिक वर्जन) का विपणन किया जा सकता है। पर मेरा कहना है कि रॉयल्टी की प्रतिशतता निर्धारित की जानी चाहिए। महोदय, कनाडा में यह 4 प्रतिशत है।

महोदय, यदि आप रॉयल्टी निर्धारित नहीं करेंगे, तो पेटेंटधारी रॉयल्टी के रूप में कोई भी राशि की मांग कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि रॉयल्टी की प्रतिशतता निर्धारित की जानी चाहिए।

महोदय, ये सब कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें संशोधन विधेयक के खिलाफ आलोचनाएं हुई है। मुझे इस बात पर खुशी है कि सीमा के तहत आलोचनाओं का ख्याल रखा गया है और सभी संशोधन सरकार द्वारा पेश किए जा रहे हैं। अंत में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, 1991-92 और 1993 के दौर के बाद जब इस तरह के परिवर्तन केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया के सभी देशों के आर्थिक क्षेत्र में हो रहे थे तो हम लोगों ने इसी संसद में उसका जबर्दस्त विरोध किया था लेकिन 1996 के बाद सामने वाले लोग हुकूमत में आए और जिन चीजों का 1994 में विरोध किया था, 1998 तक उसी का अनुपालन किया। 1998 के बाद मित्र लोग जिस में हमारे नेता जार्ज साहब सबसे आगे थे, 1998 के बाद पिछले साल तक ये लोग हुकूमत में रहे। जो सिलसिला 1993 से शुरू हुआ, उसका वहां बैठ कर संभवत: इन लोगों से ज्यादा उन लोगों ने तेजी से अनुगमन किया। यदि इस 13वीं लोक सभा के चुनाव 10 महीने पहले न होते तो संभवत: इस विधेयक को कमलनाथ जी की जगह जार्ज साहब पेश करते और हम लोग यहां से इसका विरोध करते। ऐसी चीजों का जो संसदीय विरोध है, वह महज औपचारिकता हैं केवल पॉलिटिकल प्वाइंट्स स्कोर करने के लिए कुछ तजवीज पेश कर दी जाती है। सच्चाई यह है कि हम सभी डबल्यूटीओ का हिस्सा

हैं और डब्ल्यूटीओ में हमारे कमिटमैंट्स हैं, जिन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता उन लोगों की हो जाती है जो सरकार में बैठकर भारत के प्रति ऐसी संस्थाओं और संगठनों में कहते हैं। इसलिए मैं सरकार में बैठे लोगों की विवशता को समझते हुए कुछ चेतावनी देना चाहता हूं।

1970 में जब हमने पेटेंट कानून को पास किया था तो उस समय प्रोसैसिंग की पेटेंटिंग स्वीकार किए जाने की बात थी। हमने तीन चीजों में प्रोडक्ट्स की पेटेंटिंग को नहीं माना था - अनाज उर्वरक और दवाइयां, लेकिन इनका पेटेंटिंग मानने के बाद उसका हमारे समाज पर क्या दुष्प्रभाव हुआ, इसकी समीक्षा किसी भी सरकार को करानी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इसका हमारे देश के पशुधन और हमारे देश के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा हैं इसे निजी अनुभव से देखा जा सकता हैं बड़े व्यापक पैमाने पर हमारे देश में पशुधन की कमी हो रही है और इसके पीछे इस तरह की दवाइयों और पैस्टिसाइड्स को जो उत्पादन हो रहा है, उसमें हम जो कीटनाशक दवाइयों और उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, उसका किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भविष्य में दुनिया के सामने 15-16 वर्षों में आने वाली है। सबसे अधिक खाने वाले देश. अन्न की खपत करने वाले देश चीन उसमें सबसे बड़ा है और हिन्दुस्तान उससे छोटा है, इन दोनों देशामें में कृषि का उत्पादन घट रहा हैं यदि हिन्दुस्तान में उसकी समीक्षा तीन वर्षों की पढ़े तो देश की कृषि का उत्पादन निरन्तर गिरावट की ओर हैं चीन को अपने देश में खाद्यान्न की कमी को बाहर से मंगा कर पूरा करना पड़ रहा हैं जिन देशों में खाने वाले कम हैं खास तौर से कनाडा और अमेरिका, वहां अन्न का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा हैं ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 10-12 वर्षों में जब हिन्दुस्तान एक अरब 25 करोड़ का हो जाएगा तो आज जो खेती की स्थिति है क्या हम उससे देश को खिलाने लायक हो जाएंगे? इसके बारे में सोचना होगा।

अब अखबारों में खबर छप रही है कि देश में ऑरनिथोलॉजिस्ट गिद नाम की प्रजाति जो पक्षियों की है, वह समाप्त हो गई है। अब उसके बारे में शोध हुआ है कि गिद्धों की समाप्ति के पीछे क्या कारण हैं। जो दवाएं पशुओं को खिलाई जा रही हैं, उसमें दवाओं के माध्यम से जो जहर दिया जाता है उसका मांस खाने से गिद्धों की प्रजाति इस दुनिया से विलुप्त हो गई। इसके बारे में वैज्ञानिकों की दृष्टि अब गई है जब हमने पर्यावरण मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों को अखबार में पढ़ा। उसी तरह से पशुधन का विनाश क्यों हो रहा है? बैल क्यों कम हो रहे हैं? सांड क्यों कम हो रहे हैं? इसके बारे में भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि इन दवाओं का कितना प्रभाव है। हम समझते हैं कि बीते वर्ष में हमारे देश में दवाओं का 32000 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। 11000 करोड़ रुपए के आसपास निर्यात कर दिया, दवाओं को दुनिया में भेजने का काम किया। हमारे देश द्वारा उत्पादित दवाएं किन देशों में जाती हैं, हमारे पड़ोस के देशों में जाती हैं बंगला देश जैसे देश में और खास तौर से नेपाल में जाती हैं। इन दवाओं के निर्यात की आधी हिस्सेदारी की जो फर्जी दवाएं हैं, उनकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दवाओं के उत्पादन में बेईमानी के साथ काम किया जा रहा है। इस सदन के भीतर माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो दवा डेढ़ रुपए में तैयार होती है या ढाई रुपए में तैयार होती है, वह देश भर में डेढ़ सौ से ढाई सौ रुपए में बिक रही है। आम जनता और गरीब जनजीवन के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ दवा उद्योग के जरिए किया जा रहा है इसके बारे में हम कानूनों के अंतर्गत किस तरह से इनको नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए। हम यह जानते हैं कि जो मंत्री डब्ल्यूटीओ में जाते हैं वे भारत के हितों की हिफाजत जरूर करते हैं यह उनका राष्ट्रीय कर्तव्य हैं पूर्व मंत्री श्री मुरासोली मारन जी को हमने देखा है जिनेवा में उनके द्वारा उठाया गया कदम बहुत अच्छा था। अभी जो मौजूदा माननीय वाणिज्य मंत्री जी हैं, उनकी भूमिका की हमारी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से तारीफ की है कि उन्होंने भारत के हितों की हिफाजत करने के लिए अनुगवाई की है। उनकी व्यक्तिगत तौर पर पीड़ा को उस दौर में समझा जा सकता है कि जो दुनिया के बड़े देश हैं वे छोटे देशों के हितों को प्रभावित करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें दबाने और सताने की कोशिश करते है। इन दोनों प्रतिनिधियों की पीड़ा को देखकर हम यह कह सकते हैं। इसलिए सरकार को सावधान करने के साथ हम कहना चाहते हैं कि इस तरह के जोखिम भरे संशोधन अपने देश की इज्जत, अपने देश की प्रतिष्ठा के साथ करते हैं तो जोखिम भरे संशोधन से भविष्य की पीढ़ी को कितना नुकसान हो सकता है, उससे सेफगार्ड के लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सावधानी की ओर माननीय मंत्री जी को इंगित करते हुए हम समझते हैं कि हमारी पार्टी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है और विरोध की कोई बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति

[श्री राम कृपाल यादव]

चाहता हूं। यह विधेयक कल आया था और हमने अपनी पार्टी के नजरिए को बतलाया था। यह बहुत संवेदनशील विधेयक है और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप इस बिल को लाएं, लोगों को सोचने समझने का मौका दें और इसे आप भी समझ लें। मैं समझता हूं कि आप यह विधेयक लाए हैं और निश्चित तौर पर आपने संशोधन किया है ओर सदन को और देश के आवाम को जो आशंकाएं थीं, उन आशंकाओं को दूर करने का काम किया है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसी आशा और विश्वास के साथ कि इसमें जो कमियां थीं उसे आपने दूर किया है।

खासकर, बिल में जो आशंकायें थीं, उन्हें दूर करने का काम किया है। वैसे हमारी देश के प्रति वचनबद्धता हो गई थी कि जब हमने डब्ल्यु टी ओ के मसौदे पर हस्ताक्षर किये थे, उसी समय अपने आपको उस इकरारनामे के साथ जोड़ दिया थां पूरे देश के सामने यह मजबूरी हो गई थी कि हम इस पेटेंट बिल पर मुहर लगायें।

उपाध्यक्ष जी, हमारे एन.डी.ए. के लोगों ने इस बिल का विरोध किया है जबकि यह बिल उनके माध्यम से यहां लाया गया था। वे दो-दो बार संशोधित विधेयक लेकर आये थे। दुर्भाग्य से ये हां के पक्ष में थे, आज 'न' में चले गये हैं। अगर इन लोगों को अवसर मिलता तो इस मसौदे को लेकर फिर आते। आदरणीय जॉर्ज साहब की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत आन्दोलन किया है। इनकी मल्टी नेशनल कम्पनियों के खिलाफ आवाज रही है, चाहे वह पैप्सी हो या अन्य किसी विदेशी कम्पनी का प्रोडक्ट हो। हमें सीखने का मौका मिला था लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सोच में परिवर्तन आ गया है। जिस लड़ाई को लड़कर वह उसे अंतिम रूप देना चाहते थे, आज स्वयं बदल गये। हमें जॉर्ज साहब से उम्मीद नहीं थी लेकिन आज परिस्थिति आपके सामने है। मैं अब उस पर अपनी कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस देश पर चोट पहुंचाने का जो काम एन.डी. ए. के समय हुआ है, वह मिट नहीं सकता। उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप सब लोग जानते हैं, इसलिये और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, इस बात की आशंका को देखते हुये इस पेटेंट बिल के माध्यम से जन-जीवन से जुड़ी हुई दो-तीन बातें हैं। आम जनता का विचार है कि इस बिल से दवा के दाम बड़ जायेंगे, इसका कृषि पर असर पड़ेगा। जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन पर इस बिल के माध्यम से असर पड़ेगा। साफ्टवेयर और साइंस एंड टैक्नौलॉजी पर इसका असर पड़ेगा। यदि हम अमरीका के दबाव में रहे, डब्ल्यु टी ओ के दबाव में रहे, यदि विकसित देशों के दबाव में रहे तो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ जायेगी। हमारे देश के जो लोग गरीब हैं, फटेहाल रहते हैं, वे और अधिक लाचारी और बेबसी में हो जायेंगे। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था उनके इशारे पर खत्म हो जायेगी। हमारे देश के गरीब लोग 75 प्रतिशत खेती पर निर्भर करते हैं। उनकी हालत ठीक नहीं होगी, वे उनकी गिरफ्त में चले जायेंगे। मुझे आशा है कि मंत्री जी पूरे सदन को चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, जिन्हें आज सारा देश देख रहा है, वह उन आशंकाओं को दूर करने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राम कृपाल यादव : मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं कम बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको कल भी टाइम दिया था।

श्री राम कृपाल यादव : आपकी कृपा बनी रहती है, इसलिये थोड़ा मौका मिल जाता है।

उपाध्यक्ष जी, देश की जनता की चिंता को दूर करने का काम मंत्री जी करेंगे। आज दवाओं को गिरफ्त में लाने का काम किया है, आने वाले समय में कृषि को अपनी गिरफ्त में लेंगे, उस स्थिति में हमारे देश की अर्थ- व्यवस्था का क्या होगा जो पूरे देश की कृषि पर निर्भर करती है। अगर विदेशी कंपनियां हमारे भोजन पर कंट्रोल करेंगे, उनके इशारे पर गेहूं और चावल के रेट्स फिक्स करेंगे, यह आशंका है।

इसलिए हम लोगों को घबराहट है। आपने इसमें संशोधन किया है। मेरी जानकारी के अनुसार वामपंथी सदस्यों ने रॉयल्टी के बारे में जो आपसे कहा था, आपने उसमें सुधार करने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि आप नोमिनल रखिये, परंतु आप नोमिनल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप रीजनेबल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बारे में आशंका है। हमारे देश की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इसके लागू होने के बाद दवाओं के जो रेट्स फिक्स किये जायेंगे, जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी वेदना तथा भावनाएं यहां रखी है कि एक रुपये की दवाई का दाम सौ रुपये हो जायेगा। हमारी पाकेट इसके लिए हमें अलाऊ नहीं करती है। आप इन सब आशंकाओं को दूर करने का काम करेंगे।...*(व्यवधान)* विरोध

आप कीजिए। आपके दो चेहरे हैं, इधर रहेंगे तो दूसरा चेहरा और उधर रहेंगे तो दूसरा चेहरा। आप अपने चेहरे देखें। आप लोगों ने देश को गर्त में फेंक दिया। यह बच्चा इनका पैदा किया हुआ है, इस बच्चे को हम संभालने का काम कर रहे हैं। यह बच्चा आपका पैदा किया हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामकृपाल यादव, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर जो बड़े देश हैं वे छोटे देशों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। हम एक विकासशील देश हैं, हम विकसित देशों से अपना मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कानून के तहत हमारी मजबूरी है कि हम उनकी डायरेक्शंस पर काम करें। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी आप यह काम कदापि न करें। चाहे जो भी मजबूरी हो, देश की अस्मिता को खतरे में रखकर, देश की सौ करोड़ जनता को खतरे में रखकर आप देश को गुलामी की तरफ ले जाने का काम न करें। जो काम एन.डी.ए. के लोगों ने किया है, वह आप न करें। अन्यथा देश हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हम गरीबों, मजदूरों और किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महोदय, आपकी घंटी बार-बार बज रही है, जिसके कारण हम अपनी पूरी बात सदन के सामने नहीं रख पा रहे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी आप कारगर ढंग से कार्रवाई करने का काम करेंगे और जब आप अपना वक्तव्य दें तो पूरे देश में पेटेन्ट के बारे में जो आशंकाएं बनी हुई हैं, आप उन आशंकाओं को दूर करने का काम करेंगे। आप सदन को एश्योर करेंगे कि आने वाले दिनों में कृषि और तकनीकी के क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कैंसर, एड्स तथा दमा जैसी जानलेवा बीमारियों में काम आने वाली जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें इतनी अधिक नहीं बढ़ेंगी, जिन्हें आम, गरीब लोग अफोर्ड न कर सकें।

अंत में इस विश्वास के साथ हम इस बिल का समर्थन करते हैं कि मंत्री जी इन सारी आशंकाओं को दूर करने के लिए निश्चित होकर कारगर कदम उठायेंगे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय पेटेंट संबंधी संयुक्त संसदीय प्रवर समिति के एक सदस्य के रूप में मैं तथ्यों की सही जानकारी दे दूं। यह सच है कि समिति के सदस्य के रूप में माननीय सदस्य, श्री रूपचंद पाल ने असहमति जताई थी परंतु यह भी सच है कि सीपीआई (मा) से एक ओर माननीय सदस्य श्री बिपलब दासगुप्त भी उस समिति में थे। उन्होंने कोई असहमति नहीं व्यक्त की। इसका अर्थ यह हुआ कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों से वह सहमत थे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री खारबेल स्वाईं : उन्होंने समिति की सिफारिशों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। मुझे तथ्य स्पष्ट करने दें, मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि सीपीआई (एम) ने इसका विरोध किया। केवल कुछ विशेष विषयों पर ही श्री रूपचंद पाल ने आपत्ति की थी।

मेरी दूसरी बात यह है कि समिति के सदस्य के रूप में मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि भारत में शक्तिशाली पेटेंट प्रणाली होनी चाहिए। ऐसा मैं बहुराष्ट्रीयों के पेटेंट की रक्षा के लिए ही नही अपितु इसलिए भी कह रहा हूं कि इससे भारतीयों और भारतीय कंपनियों के पेटेंट की रक्षा भी होगी।

महोदय, बात यह है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए भारत को एक शक्तिशाली पेटेंट प्रणाली की आवश्यक है। इसके बिना हम आगामी में 8 प्रतिशत की संपोषणीय वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अतएवं, हमें इसकी जरूरत है। इस प्रकार के विधेयकों का विरोध प्रायः इस विचार के कारण करते हैं कि पेटेंट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के होंगे तो उससे भारतीयों को क्या लाभ होगा। यह सच नहीं है। चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, राकेट बनाने आदि के संबंध में अनुसंधान और विकास में पैसा लगाने वाले भारतीय ही हैं। इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। यदि हमारे पास कोई शक्तिशाली पेटेंट कानून

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

नहीं होगा तो जैसे ही हम किसी नई चीज का अविष्कार करेंगें विदेशी उसकी नकल कर लेंगें। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे वैज्ञानिक लाभन्वित हों? क्या आप नहीं चाहते कि उनके पेटेंटों की सुरक्षा की जानी चाहिए? उन्हें भी इससे कुछ धन कमाने का अवसर मिलना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा हो? हम सब चाहते हैं। इसीलिए एनडीए सरकार ने बहुत पहले ही इस विधेयक को लाना चाहा था। हमें इस विधेयक पर कोई आपत्ति जैसी बात नहीं है। हम तो केवल यही चाहते है कि यह स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। इसे अभी भी स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। हम इसका विरोध नही कर रहे हैं। हम ही वे लोग है जो चाहते है कि भारत में एक शक्तिशाली पेटेंट प्रणाली होनी चाहिए। भारत भी अनुसंधान और विकास का केन्द्र बन सकता है। यह संभव है क्योंकि भारत में अनुसंधान और विकास की लागत बहुत कम हैं। अगर आप एक मोनिक्यूल के रूप में कोई नई चीज विकसित करते हैं तो भारत में इस पर आने वाली लागत बहुत कम होगी। अतएवं हम विदेशियों को यहां आकर्षित कर सकते हैं। वे आ सकते है और भारत को केन्द्र बना सकते हैं। इसी कारण एनडीए सरकार यही चाहती थी। यह कहना कि *[हिन्दी]* नीयत खराब है, चेन्ज कर दिया, अर्पोज कर दिया।

[अनुवाद]

सच नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस समिति का सदस्य था जिसने इस पर काम किया था। मैंने उस समिति में दो वर्षों तक कड़ी मेहनती की। श्री टी.एम. चतुर्वेदी जो सम्प्रति कर्नाटक के राज्यपाल है, उस समिति के सभापति थे। वे हमारे दल से थे।

मैं दो बिन्दुओं पर संक्षेप में बताऊंगा। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। सबसे पहली बात वृद्धि सील नवीन प्रक्रिया है। अक्सर हम कहते हैं कि पेटेंट सदाबहार होंगें। ऐसा संभवत: इसलिए है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ नए प्रयोग भी करे होंगे जिसने किसी अणु का पेटेंट कराया होगा। माननीय मंत्री ने उन चीजों के संबंध में अपने संशोधन में विस्तार से बताया है। मैं इसका विरोध करता हूं यहां मेरा मत यह है कि भारत में दवाओं की कीमतें सस्ती थी। ऐसा केवल प्रतिगामी इंजीनियरी के कारण से था। हमारे राष्ट्र में प्रक्रिया पेटेंट उपलब्ध थी। इसलिए यदि कोई विदेशी कंपनी कोई दवा का उत्पादन करती है तो हमारे वैज्ञानिक उसी दवा को सस्ती कीमतों पर उत्पादन करने का कोई अलग तरीका खोज सकते हैं। इसी कारण से दवाएं यहां सस्ती हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत सरल नहीं है। यह प्रतिगामी इंजीनियरी प्रक्रिया इतनी सहज नही है। अगर यह इतना सहज होता तो प्रत्येक राष्ट्र इस प्रविधि को अपना चुका होता। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे वैज्ञानिक काफी बुद्धिमान थे जो इस प्रतिगामी इंजीनियरी को अपना पाए और हमेशा सफलतापूर्वक इसका प्रयोग कर सके। यह वृद्धि शील नवीन प्रक्रिया उससे एक या दो कदम की दूरी पर ही है यदि हम इसकी अनुमति नहीं देते है और यह कहते हैं कि हम केवल अणुओं को ही पेटेंट करेंगे तो कितनी कंपनियां नया अणु खोजने में सक्षम हो पाएंगी? एक नया अणु खोजने में आपको 6,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। कितनी भारतीय कंपनियों के पास इतना धन है? अतएवं, यदि हम इन वृद्धिशील नवीन प्रक्रियाओं की अनुमति देते हैं, तो न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपितु भारतीय कंपनियां भी इससे लाभान्वित होंगी।

मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि उनको इस पर विचार करना चाहिए। हमें भावुक नहीं होना है। ये बाहरी लोग नहीं है, जिन्हें इससे लाभ होगा; ये भारतीय कंपनियां ही है, जिन्हें इससे लाभ पहुंचेगा। मैं यह बेधड़क कह सकता हूं। अत: उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। भारतीय कंपनियों को विस्तार हेतु नई प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्यथा, फिजर जैसी कंपनियां जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास शक्ति है वहीं नए अनुसंधान कर सकते हैं और नए अणुओं की खोज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि फ़िज़र कितना शक्तिशाली है। इस कंपनी ने सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में आरंभ में 25 बिलियन डालर का एक सहायता पैकेज दिया. जो स्वयं अमरिकी सरकार द्वारा दी गई सहायता से बहुत ज्यादा था। इसलिए, क्या हमें एक ऐसी पेटेंट व्यवस्था चाहिए जो विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही फायदा पहुचाएं और अपनी कंपनियों को नहीं?

जहां तक अनुमतिपूर्व विरोध का प्रश्न है, इसे निपटाया जा सकता हैं मंत्री महोदय, आप इसकी अनुमति दे सकते है परन्तु मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अनुमति पूर्व चरण में व्यर्थ की आपत्तियां नहीं होनी चाहिए। आपको इसके लिए समय सीमा तय करनी चाहिए। यदि उस समय सीमा में कोई पेंटेट आवेदन में किसी बात पर आपत्ति करता है तो, इसे उस समय सीमा में निपटाया जाना चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं। पेटेंट अधिनियम, 1970 के अध्याय 16, धारा 84 (क) (iii) में प्रावधान है कि निर्यात के लिए अनिवार्य अनुज्ञापत्र भी दिया जा सकता है। यह किमी भी देश को निर्यात करने के संबंध में है। यह पहले से ही विधेयक में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें आपातकाल के बारे

में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें आपातकाल का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल यह लिखा है 'किसी भी देश को निर्यात करने हेतु'। संभवतः इस पहलू को भी देखना होगा। यह पहले से ही यहां है। इसलिए मेरे विचार से मानीय मंत्री को इस मामले में ध्यान देना चाहिए और जब वे उत्तर दें, उन्हें इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए क्या किसी भी देश को निर्यात के लिए अनिवार्य अनुज्ञापत्र दिया जा सकता हैं किंतु उन देशों के लिए नहीं जो गरीब हैं और जिनके पास स्वयं निर्माण की क्षमता नहीं है?

मैं नहीं मानता कि हमारे पास कड़ा पेटेंट कानून होने के कारण औषधियों की कीमतों में वृद्धि होगी। मुझे यकीन है कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ इतना होगा कि नई पेटेंटशुदा औषधियों को, जिनके समकक्ष वर्ग की दवाइयां भारत में है और जो सस्ती हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ेगी और बाजार मूल्य का निर्धारण करेगा। हमने रीबॉक और नाइक के मामले देखे है। प्रारंभ में वे अपने जूते 20,000 और 25,000 रुपयों में बेच रहे थे आदैर कोई भी उन जूतों को नहीं खरीद रहा था। अत: उन्हें अपने जूतों की कीमत 2,000 अथवा 1,500 तक भी घटानी पड़ी। इसलिए यदि कीमतें थोड़े समय के लिए ऊपर जाती भी हैं, तो अंततः उन्हें नीचे आना ही पड़ता है।

अतंत: पेटेंट (संशोधन) विधेयक के संबंध में अनेक बातें हैं जिन पर विचार करना होगा। अत: माननीय मंत्री कृपया इसे पुनः स्थायी समिति को भेजें, जो अपना प्रतिवेदन सात या आठ दिन में दे देगीं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदया, मैं पेटेंट (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

वास्तव में मैंने अपने विपक्ष से जोशीले और प्रबल बहस की उम्मीद की थी, परंतु मुझे निराशा हुई हैं राजग सरकार के वसीयत में मिले बोझ को उठाना हमारी नियति है। पेटेंट अधिनियम में पहला और दूसरा संशोधन राजग सरकार द्वारा किया गया है। इसके अलावा, राजग सरकार के शासन के दौरान भारत ने दिसम्बर, 1998 से प्रभावी पेरिस सम्मेलन और पेटेंट सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए, मैं राजग के माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे कुछ बौद्धिक कसरत करें, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे स्मृति-लोप का शिकार हो गये है।

यह कुछ नहीं अपितु एक प्रकार का पाखंड है जो वे उनकी ओर से परस्पर विरोधी तर्क दे रहे हैं। हमें दूसरी ओर से उपदेश दिए गये थे और व्याख्यान की वर्षा की गई थी।

हम एन सीएमपी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने भारत के आम जनता से वायदा किया है और वचन दिया है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि राजग सरकार द्वारा किए गये वादों और वचनों का पालन करें।

आज के वैश्विक परिदृश्य में सभी जानते हैं कि हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी प्रेरित ज्ञान आधारित क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। इस परिस्थिति का फायदा उठा कर, भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में फल-फूल सका है। यह देख कर आश्चर्य होता है कि सिलिकॉन वैली, जो सूचना प्रौद्योगिकी का मक्का है, में हमारे लोगों का आधिपत्य हैं। भारत अमरीका, चीन और जापान के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत में सर्वाधिक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान वाले लोग हैं। अत: हम पेटेंट व्यवस्था जिसे हम स्वीकार करने जा रहे हैं से उठने वाली स्थिति का ईष्टतम उपयोग, करने और फायदा उठाने के पूरी तरह से काबिल हैं।

मूल अधिनियम, 1970 की केवल धारा 5 का लोप किया गया है जो खाद्य, रसायन और औषधियों से संबंधित है। यहां जानबूझ कर भय का वातावरण तैयार किया जा रहा है कि औषधियों की कीमतों में वृद्धि होगी। बाजार में उपलब्ध 97 प्रतिशत दवाइयां पेटेंट से परे हैं। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी व्यय के मामले में यह अनुमान लगाया गया है कि केवल पांच से दस प्रतिशत ही औषधियों के लिए है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय नैदानिक, परामर्श शुल्क और अस्पताल में भर्ती होने के लिए होता है।

इस विधेयक में, मूल्य संतुलन बनाए रखने के पर्याप्त प्रावधान है, क्योंकि नेशनल फार्मा प्राइजिंग अथॉरिटी (राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) मौजूद है और इस विधेयक में अनिवार्य अनुज्ञापत्र का प्रावधान है, और पेटेंट का निरसन भारत में कार्य नहीं कर रहा है और यह पूर्णत: उपलब्धि है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का भय का वातावरण क्यों उत्पन्न किया जा रहा है। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत की जनता को यह दिखाना है कि संप्रग सरकार पेटेंट व्यवस्था के नाम पर जनता विरोधी कदम उठाने जा रही है।

यह सर्वथा प्रक्रिया व्यवस्था से पेटेंट व्यवस्था में परिवर्तन मात्र है और हम हमारी वचनबद्धता का पालन करने के लिए पूर्णत: बाध्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और विश्वव्यापी बाध्यता है। इसके अतिरिक्त, यह लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनके शासन के दौरान कांग्रेस पार्टी, जो कि एक जिम्मेदार विपक्ष है, ने कभी भी पेटेंट विधेयक

[श्री अधीर चौधरी]

पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। इसलिए, मैं इस सभा में और माननीय मंत्री को विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि मैं मेरे मित्र श्री खारबेल स्वाई के मत से पूर्णतः सहमत हूं कि इस विधेयक में विस्तार की नयी पद्धति का समावेश किया जाना चाहिए।

दूसरे, पारम्परिक पद्धति, ज्ञान और जैव-विविधता, जिसे प्रकृति ने हमें दिया है हमें प्राकृतिक देन है जिसका हम सदियों से उपयोग करते आ रहे हैं। इसे किसी भी प्रकार के अद्वितीय सुरक्षा प्रणाली से सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री सभी सुधारात्मक उपाय करेंगे और हम इन उपायों से संतुष्ट होंगे।

सायं 6.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि सभा सहमत हो तो हम समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, अब श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार बोलेंगे। उनके लिए पांच मिनट का समय है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, जब पेटेंट विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, मैंने इसे पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया था। मेरी मुख्य आपत्ति यह थी कि इस प्रकार के अध्यादेश को लाने और संसद को नजरअंदाज किए जाने की कोई आपात् स्थिति नहीं थी।

माननीय मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि यदि यह अध्यादेश जारी नहीं किया गया होता तो यह 1 जनवरी, 2005 की उप समय सीमा का उल्लंघन होता जिस के भीतर भारत को ट्रिप्स के अनुरूप पेटेंट विधि को बदलना था और यदि ऐसा नहीं होता तो उसे जुर्माना देना पड़ता। यह नोट किया जाए कि इसे लागू करने में इंग्लैंड ने तीन वर्ष, फ्रांस ने एक वर्ष और अर्जेंटीना ने चार वर्ष की देरी की और इनमें से किसी भी देश ने कोई जुर्माना नहीं दिया। सरकार, जो अब सत्ता में है, और वे जो उस समय सत्ता में थे के पास पेटेंट विधि के मुद्दे से संबंधित विषय पर व्यापक बहस और उसकी संवीक्षा के लिए काफी समय था।

हमारे पास एक विधान था, ब्रिटिशों द्वारा बनायी गया पेटेंट विधान माननीय संसद सदस्य श्री चन्द्रप्पन ने इस ओर ध्यान दिलाया था। यह वर्ष 1911 का विधान था, जो कि एक उत्पाद पेटेंट विधान था। इस विधान के अधीन क्या हुआ? कीमतों में भारी उछाल आ गया। उस समय भारत को उस कीमत का भुगतान करना पड़ा, जो विश्व में सबसे अधिक थी। अय्यंगर समिति की रिपोर्ट आयी। 1970 में, हमने प्रक्रिया पेटेंट से संबंधित एक विधान अधिनियमित किया। इस विधान में कीमतों में कमी आयी, जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा मिला और निर्यात में भी बढ़ोत्तरी हुई और उसमें उछाल आया। यह विधान पूरे संसार भर में एक आदर्श विधान माना गया।

माननीय मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि औषधियों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का डर निराधार है, क्योंकि भारत में निर्मित 97 प्रतिशत औषधियां पेटेंट से बाहर हैं और वे अप्रभावित रहेंगी, परंतु वस्तुस्थिति दूसरी है।

मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह अनुमानित है कि 3,000 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियों को बाजार से वापस लेना पड़ेगा। 'फार्मा' जो अमेरिकी फार्मास्यूटिकल उद्योग से संबंधित रिपोर्ट देता है, ने दावा किया है कि उसके सदस्यों को 1.8 बिलियन डॉलर के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो भारतीय औषधि बाजार का 40 प्रतिशत है, क्योंकि भारत में पेटेंट प्रणाली नहीं है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वे किस आधार पर यह कह रहे हैं कि बाजार का केवल 3 प्रतिशत प्रभावित होगा।

मैं ज्यादा विस्तार में उद्धृत नहीं करना चाहता परंतु उनकी चिंता दर्शाने के लिए मैं 18 जनवरी के 'द न्यूयार्क टाईम्स' के सम्पादकीय को उद्धृत करना चाहता हूं:—

> ''बहुराष्ट्रीय और भारतीय औषधि-निर्माताओं से अत्यधिक प्रभावित होकर भारत के विशाल मध्यमवर्ग को पेटेंट की हुई औषधियों को बेचने की व्यग्रता के कारण यह निर्णय औषधि निर्माण उद्योग के पक्ष में इतना झुका है कि यह जन स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अधीन देशों को दिए गए अधिकारो का भी लाभ नहीं ''उठाता है।''

वस्तुतः पेटेंट विधेयक लागू होने से कम कीमत पर दवाइयों की उपलब्धता समाप्त हो जाएगी। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे देश जो उतपाद पेटेंट के अधीन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चार्ज किए जाने वाले एकाधिकार वाले मूल्यों के कारण परेशान रिपोर्टों; के अनुसार, पाकिस्तान के उपभोक्ताओं ने 1995 में केवल नौ औषधियों पर 100 करोड़ रुपए की बचत की होती, यदि कंपनियों ने भारतीय मूल्य पर औषधियां बेची होती। ये औषधियां पाकिस्तान के खुदरा बाजार का 14 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारतीय कीमतों पर पाकिस्तान

के लोगों द्वारा उन दवाइयों पर खर्च की गयी राशि एक तिहाई होती, जिससे 66 प्रतिशत की बचत होती। यह बचत चालू मूल्यों पर और भी अधिक होती।

मैं मूल्यों को उद्धृत नहीं करना चाहता। यहां पर एक रिपोर्ट है। यह श्री बी.के. केमाला द्वारा फरवरी 2005 में की गयी समीक्षा है। मैं आंकड़ों को उद्धृत नहीं करना चाहता। मैं केवल एक या दो ब्यौरा दूंगा सिप्रोफ्लोक्सासीन की दस गोलियों की कीमत भारत में 50 रुपए और पाकिस्तान में 400 रुपए हैं अल्सर रोधी औषधि के एक पैकेट की कीमत पाकिस्तान में 74 रुपए है जबकि भारत में 5 रुपए है।

विश्व व्यापार संगठन के वार्ताओं के दौरान, विकासशील देशों द्वारा जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल की जा सकने वाली बीमारियों की संख्या कम करने का प्रयास अमेरिका द्वारा किया गया और जापान ने उसका समर्थन किया है। आश्चर्यजनक रूप से यह तर्क दिया जाता है कि कैंसर, हृदय रोग या अस्थमा जैसे रोग विकासशील देशों की जन स्वास्थ्य समस्या नहीं है।

महोदय, मुझे एक या दो बातें और कहनी है। अमेरिका ने यह साफ-साफ स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर उसके हितों का टकराव अन्य देशों के हितों से होगा, वहां पर उसका हित ही अभिभावी होगा। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं अथवा समझौतों का पालन करते हैं। यदि कोई समझौता अमेरिकी लोगों के हितों के विरुद्ध होता है तो अमेरिकी कानून ही अभिभावी होता है। भारत के बारे में क्या स्थिति हैं?

महोदय, मैं अब अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) ही एकमात्र संधि नहीं है जिसका भारत को पालन करना है। भारत ने यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमेन राइट्स, 1948; सिविल एण्ड पॉलिटिकल एण्ड इकॉनॉमिक एण्ड सोशल राइट्स कॉनवीनेन्ट्स 1966 तथा कई अन्य संधियों समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मानव जाति को चिकित्सा सुविधा का अधिकार 1979 के अल्मा आटा घोषणा का एक अभिन्न अंग हे जिसमें 134 देशों जिसमें भारत में शामिल है, ने अविलंब कार्रवाई की शपथ ली थी और 38वीं विश्व स्वास्थ्य एसेम्बली के संकल्प द्वारा इस वायदे को व्यावहारिक रूप दिया गया।

महोदय, यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक रूप से विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ के पास विश्वभर के सभी पेटेंटों का 97 प्रतिशत है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास 90 प्रतिशत उत्पाद और प्रौद्योगिकी पेटेंट हैं और यदि वे शेष विश्व से आर्थिक फिरौती वसूल करना चाहें, तो क्या हम अनजाने में इसके शिकार हो जायेंगे।

मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि इस संशोधन का कृषि क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। 2001 में हुए दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन में दोहा घोषणा को स्वीकार किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के सभी स्तरों पर मानव, पशु, पादप जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण के संरक्षण के अधिकार जैसे कि वे उचित समझते है, के समर्थन के रूप में लागू किया जाएगा।

नये अधिनियम को स्वीकार करने से जी एम तकनीक से विकसित बायो तकनीक उत्पाद जैसे बीज, पौधों तथा पशुओं की संकर किस्मों को पेटेंट किया जा सकेगा। बीजों के पेटेंट किए जाने के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जायेगा। हमारे कृषि क्षेत्र के भाग्य का निर्धारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां करेगी। हमारी सभी आयुर्वेदिक धरोहर, हर्बल औषधियां तथा जनजातीय नुस्कों किसी भारतीय के लिए कोई निराले उत्पाद नहीं है परंतु उन्हें कही और पेटेंट किया जा सकता है। हम लोग इन उत्पादों के पेटेंट होने को चुनौती नही दे सकते, क्योंकि उनके संबंध में हमारे पास पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने आठ मिनट से अधिक का समय ले लिया है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मुझे अपने दल का दृष्टिकोण स्पष्ट करना है।

मैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1981 में क्या कहा था, उसे उद्धृत कर रहा हूं। किसी ने इसे उद्धृत किया था उन्होंने कहा था:

"एक बेहतर विश्व के लिए यह एक आदर्श स्थिति होगी यदि चिकित्सा संबंधी खोज पेटेंट से मुक्त रहे, तथा जिसके फलस्वरूप जीवन और मृत्यु के संबंध में कोई मुनाफाखोरी नहीं होगी।

यह एक ऐतिहासिक उद्घोषणा थी। मेरे जैसे लोग तथा पुराने समाजवादी लोगों ने श्रीमती गांधी की सरकार की सदैव आलोचना की और जिसका हरजाना हमे 1975 में आपातकाल की अवधि में चुकाना पड़ा"।

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

अब इस महान सभा में खेड़े होकर मै श्रीमती गांधी द्वारा की गई उद्घोषणा की प्रसंशा करता हूं तथा जो लोग यह दावा करते है कि वे पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी की विरासत को संभाल रहे है, उन पर इस बात का बस डालना चाहता हूं कि हम अपने. आप को अधिक वचनबद्ध बनाएं।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी कृपा की कि उन्होंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए...*(व्यवधान)* परन्तु इससे वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। मूल मुद्दा तो ऐसे ही रहेगा। मेरा दल इस विधेयक का समर्थन नही करना चाहता। अतः हम लोग, मेरे द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के साथ, इस विधेयक से अपने आप को अलग करते है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कृपया पांच मिनट तक ही बोलें। मैं अब केवल अनुरोध ही कर सकता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मै इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज सुबह माननीय मंत्री महोदय ने जो आधिकारिक संशोधन परिचालित किए है, उनका अत्यधिक अध्ययन गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। कम्यूनिस्ट दल, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। रा.ज.ग. इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे है। अन्य दल भी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। परंतु यह कोई मुद्दा नहीं है। बाद में हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे, परन्तु इस समय हम इस विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि...*(व्यवधान)* यह हमारा कर्तव्य है...*(व्यवधान)* यह हमारे देश का कर्तव्य है। चूंकि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, हमें टी.आर.आई.पी.एस. (ट्रिप्स) समझौते के कर्तव्यों को पूरा करना होगा। मुझे यह पता है। रा.ज.ग. सरकार ने इस विधेयक में दो बार संशोधन किए है। जब इसमे दूसरी बार संशोधन किया जाना था, तो रा.ज.ग. सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंप दिया था। उन्होंने इस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने हमारे देश के लिए कई सुरक्षोपाय किए। अब, इस समय ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इसमें काफी अध्ययन करने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)* मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं। इस विधेयक से भविष्य में 100 करोड़ लोग प्रभावित होंगें। अब बस यही एक अहम मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हांलाकि विश्व व्यापार संगठन एक गैर राजनैतिक संगठन है तथा पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने भी यह सुझाव दिया है कि यदि आप समय लेते हो तो कोई अनर्थ नहीं हो जायेगा। आप लोग यह निर्णय बड़ी जल्दबाजी में क्यों ले रहे हैं? आप को कुछ समय लेना चाहिए।

कई अल्प विकसित तथा विकासशील देशों ने भी भारत के समक्ष अनुरोध रखा है क्योंकि वे भारत पर आश्रित है। इस महीने के अंत तक हमारा भेषज उद्योग के क्षेत्र में ही अन्य देशों के साथ निर्यात 1600 करोड़ रुपये का था। हम लोग लगभग 2000 देशो को निर्यात करते है। इस क्षेत्र में यह हमारी शक्ति है।

विभिन्न देशों से बहुत से लोग हमारे देश में इलाज कराने के लिए आते हैं। वे लोग भारत में इलाज कराने के लिए आना क्यां पसंद करते हैं? ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहां औषधियां सस्ती है; चिकित्सा संबंधी खर्चे, आदि कम है। इसके परिणामस्वरूप, हमारे देश में कार्पोरेट अस्पतालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरूप हमारे देश को काफी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा मिल रही है तथा हमें पर्यटन भी मिल रहे है। ये ऐसे कुछ लाभ है, जो इस उद्योग को मिल रहे है।

यदि हम, इस विधेयक को पारित कर देते हैं तथा इसे कल से कार्यान्वित कर देते हैं तो क्या होगा? वर्तमान में हमारे दे में औषधियां सस्ती है। कुछ राजनैतिक सरोकार वाले इसका समर्थन कर सकते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी कुछ संशोधन करने के लिए कहा है और आपने कतिपय संशोधनों को स्वीकार भी कर लिया है वे, आज सुबह ही परिचालित किए गए है, और हम लोग कोई वैज्ञानिक तो हैं नहीं। हमें इस मामले पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। अतः हम लोग आप लोगों से यह कह रहें है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा जाए।

कांग्रेस दल का घोषणा पत्र यह कहता है कि पिछले पांच वर्षों से हम लोग सकल घरेलू उत्पाद से 2 से 3 प्रतिशत धन उपलब्ध करा रहे हैं और इस विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात यह धनराशि कम होकर 0.5 प्रतिशत हो जाएगी।

भारत के संविधान में जीने के अधिकार की बात कही गई है। हमें स्वस्थ्य एवं समझदार समाज का निर्माण करना है। यदि औषधियां मंहगी हो जाती है तो हम लोग 100 करोड़ लोगों से अधिक के समाज को स्वस्थ कैसे बना सकते है?

कुछ समाचार पत्रों ने कतिपय वैज्ञानिकों को उद्धृत किया, जो कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के कारणों को जानना चाहते है। श्री स्वामीनाथन भी इस जल्दबाजी का कारण पूछ रहे थे, क्योंकि इसके फलस्वरूप कृषि, साफ्टवेयर तथा भेजष उद्योग सीधे प्रभावित होते है।

सायं 6.12 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मैं, कुछ तुलनात्मक उदाहरण देना चाहता हूं, कैंसर का इलाज करने हेतु जिस औषधि का उपयोग किया जाता है उसका नाम 'ग्लीवेल' है। इस औषधि का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपये है और इस विधेयक के पारित होने के पश्चात्, इसका मूल्य बढ़कर 1,18,000 रुपये हो जायेगा। इसी प्रकार 'एड्स' के इलाज के लिए जिस औषधि का प्रयोग किया जाता है वह 'एंटी रिट्रोवॉयरल' औषधि है।

इसकी वर्तमान कीमत 7000/- रुपए है और इस विधेयक के पारित होने के बाद इसकी कीमत 2,00,000 रुपए हो जाएगी। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त दूसरी औपधि नैटको (एनएटीसीओ) की वीनैट-100 है। वर्तमान में इसकी कीमत 10,800 रुपए है और अब इसका मूल्य 1,10,000 रुपए हो जाएगा।

लगभग 36 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और 81 फीसदी लोगों को समुचित दवाइयां और स्वास्थ्य परिचर्या नहीं मिल रही हैं। लोग पैसों के अभाव में मर रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं जिससे कि वे दवाइयां खरीद सकें। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् इस देश के लोगों का क्या हाल होगा? हमें इसके परिणाम को समझना होगा।

हम अपने देश के बारे में यह सोच सकते हैं कि 10 वर्षों या 20 वर्षों की अवधि के बाद क्या होगा जबकि लोगों को अभी ही समुचित दवाइयां समुचित स्वास्थ्य परिचर्या आदि नहीं मिल पा रही हैं। गावों में लोग समुचित दवाइयों और स्वास्थ्य परिचर्या के अभाव में मर रहे हैं। यदि यह विधेयक पारित हो जाएगा, तो एचआईवी, कैंसर, हृदय रोग आदि के इलाज की दवाइयां महंगी हो जाएंगी।

इस समाज में लोग कैसे जीवित रह पाएंगे? यह मेरी सबसे बड़ी चिंता है। समान की जरूरतों को पूरा करना हमारी बाध्यता है। मैं जानता हूं कि हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, हमें एक आम राय तैयार करनी होगी क्योंकि हमें इस विधेयक को पारित करना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजग भी यदि सत्ता में होता, तो भी हमें यह करना पड़ता। हमें इस विधान को पारित करना होगा, पर यह नहीं कि हम इसमें जल्दबाजी करें। इस पर विचार आदि के लिए हमें समुचित समय देना होगा।

वर्ष 1999 में क्या हुआ था? हमने पेटेंट अधिनियम को पहली बार भूतलक्षी प्रभाव से यानि कि 1995 के प्रभाव से संशोधन किया था। हमने दूसरी बार वर्ष 2002 में इस अधिनियम को संशोधित किया, पर हमने यह अधिसूचित किया कि यह संशोधन वर्ष 2000 से ही प्रभावी होगा। यदि यह पारित नहीं हुआ, तो इसका क्या होगा? एक महीना विलम्ब होने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा। संबद्ध समिति के सभापति ने माननीय मंत्री को आश्वासन दिया है कि यदि इस विषय को स्थायी समिति में भेजा जाए तो समिति सभी गैर-सरकारी संगठनों, फार्मास्युटिकल उद्योगों आदि को बुलाएगी और नित्य बैठक कर तथ्य इस मसले पर विस्तार से चर्चा कर आठ दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंप देगी।

अंतिम दो संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किए गए। प्रथम सप्ताह में अर्थात् सदन के अवकाश के बाद हम इस विधान को भूतलक्षी प्रभाव से पारित कर सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। इस तरफ से पहले भी कई देशों ने किया है और इसके लिए उन्होंने कोई अर्थदंड भी नहीं चुकाया है। पर आप क्यों इसके लिए चिंतित हो रहे हैं और देश क्यों इसके लिए चिंतित हो रहा है? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस विधेयक को पारित करने के लिए दबाव डाल रही हैं। इसके पारित होने से इस देश में केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होगा।

इससे भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग मर जाएगा। वर्तमान स्थिति यही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं और जल्दबाजी में कुछ न करें। आप इस विधेयक को स्थायी समिति के हवाले कर दें जहां इस पर गहराई से चर्चा हो सकती है। उसके बाद जब यह सभा के समक्ष आए तो इसे आम सहमति से पारित किया जा सकता है।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे यह मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है और सत्तारूढ़ गठबंधन

[कुमारी ममता बैनर्जी]

इसका समर्थन कर रहा है, पर मैं जहां तक महसूस करती हूं कि इस विधेयक को लेकर प्रत्येक व्यक्ति नाखुश है। कहा जा रहा है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता या बाध्यता के कारण सरकार इस बात पर जोर दे रही हैं कि हमें इस विधेयक को तत्काल पारित करना चाहिए। हमें इस विधेयक को स्थायी समिति में भेजना चाहिए। फार्मास्युटिकल उद्योग के प्रतिनिधियों, किसानों और जो कोई भी इससे संबंधित हो, चाहे वह आयुर्वेदिक दवा के क्षेत्र से हो या किन्हीं अन्य क्षेत्रों से, सबसे इस विषय पर गहराई से चर्चा होनी चाहिए।

हम यह क्यों नहीं याद करते कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत केबल अपने ही हितों की बात नहीं करता है, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों के हितों की भी बात करता है। भारत गरीब देशों का प्रतिनिधित्व करता है, और भारत विश्व में गरीब लोगों की वकालत करने वाला अग्रणी देश रहा है। इस मसले को अन्य देशों के साथ उठाने की बजाय, इस विधेयक को तत्काल पारित करने की क्या जरूरत पड़ी है?

मैं श्री के. येरननायडु की कही उस बात की सराहना करती हूं कि यदि हम इस विधेयक को पारित नहीं करते हैं, तो आकाश टूटने नहीं जा रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं या बाध्यताएं है, तो इस विधेयक को पारित किया जा सकता है, पर इसे सभी लोगों से सम्यक् विचार-विमर्श के बाद ही पारित कराया जाना चाहिए। यदि संबद्ध लोगों से बातचीत नहीं की जाती है, तो इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी भारतीय होंगे। सबसे बड़े भुक्तभोगी भारतीय ही क्यों हो? महोदय, क्या आपकी अनुमति से मैं माननीय वित्त मंत्री के लोक सभा में दिए गए भाषण को उद्धृत कर सकती हूं? माननीय वित्त मंत्री ने अपने सामान्य बजट भाषण में कहा है:—

> "भेषज उद्योग को तत्काल बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इस उद्योग की शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे वनों में बहुत से औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इस सम्पदा का रोहन करने व इसी के साथ इस बात की सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है कि विदेशी कंपनियां हमारे औषधीय पौधों में पेटेंट न करा लें। इसलिए, अधिक बजटीय आबंटन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।"

मैं यह बात क्यों कह रही हूं? हम इस बात की सराहना करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने यह टिप्पणी बड़ी गंभीरता से की। बात यह है कि एक ओर तो वित्त मंत्री कुछ कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम कर कुछ और ही कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम जो वे कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसके बीच संप्रेषण अंतराल रहा है, क्या ऐसी बात नहीं है?

जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत केवल अपने हितों को ही प्रस्तुत नहीं कर रहा है अपितु अन्य देश भी इसमें रुचि ले रहे हैं। जब इन्दिराजी प्रधान मंत्री थी, वह एनएएम 103 देशों का प्रतिनिधित्व किया, की अध्यक्ष थीं। यहां तक की जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो एनएएम के अध्यक्ष वह ही थे। भारत ने आगे बढ़कर इन देशों का नेतृत्व किया। अब, हम हताश क्यों हो रहे हैं? हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सिर ऊंचा उठाए रखना चाहिए और हमें इसलिए भी अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए कि अन्य राष्ट्रों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं महसूस करती हूं कि भारत की प्रतिष्ठा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निस्संदेह हमें अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा करना होगा परंतु हमारी घरेलू वचनबद्धता का क्या होगा? क्या हम अपनी घरेलू वचनबद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे?

आप इस बात कि सराहना करेंगे कि डा. माशेलकर की रिपोर्ट में अनुसंधान और विकास के बारे में जिक्र किया गया है। छोटे भेषज उद्योगों ने अनुसंधान कार्य कर काफी पैसा निवेश किया है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई अनुसंधान या विकास हो पाएगा। आप इस बात को मानेंगे कि आज यदि आप एक जाने माने अस्पताल में जाते हो तो वहां भी जेलूसिल जैसे ऐंटासिड भी उपलब्ध नहीं हैं।

यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भी यहां बैठी हुई हैं। वह भी इस बात को मानेंगी कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद कैंसर रोगी की दवाओं की कीमतें 10,000 से बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएंगी। रोगी धन कहां से जुटाएंगे? विधेयक में प्रधान मंत्री राहत कोष के माध्यम से दवा खरीदने के लिए उनकी सहायता करने संबंधी कोई उपबंध भी नहीं है। थैलेसीमिया, एड्स और कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त रोगी यहां है। क्या हमारे पास ऐसा कोई मानीटरिंग तंत्र है जो यह सुनिश्चित कर सके कि जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें एक सीमा से अधिक न बढ़े। सरकारी नीति क्या है? देश में गरीब लोगों को कैसे बचाया जाएगा?

देश के कई भागों से भुखमरी की घटनाओं का समाचार मिल रहा है। हम उन्हें भोजन कैसे देंगे। हमें इस मुख्य प्रश्न का समाधान करना चाहिए। हमने देखा है कि पहले यहां क्या हुआ है। भारत ने 10 रुपये प्रति किलो की दर से बांग्लादेश को बासमती चावल को

आपूर्ति की है। और अब बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण चीन ने आगे आकर 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बेचना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप हमारे किसान बांग्लादेश को बासमती चावल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे है। भारतीय बाजारों में भी चीनी वस्तुओं की बाढ़ सी आ गई है।

यदि आप बाजार जाये तो आप सभी क्षेत्रों भले ही वह साइकिले, जूते, इलेक्ट्रानिक वस्तु या फिर खिलौने आदि कोई भी क्षेत्र हो चीनी वस्तुएं पा सकते हो। आजकल छोटी से छोटी चीनी वस्तु बाजार में उपलब्ध हैं। यहां तक कि भारतीय बाजार से कुछ चीनी वस्तुएं मात्र 60 रु. में खरीद सकते हो। हालांकि उसी प्रकार की भारत में बनाई गई चीज का मूल्य लगभग 400 से 500 रुपये है।

अतएव, हमें अपने किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों का ध्यान रखना होगा। हमने बाजार में कई आकर्षक वस्तुएं देखी हैं। हमने संकर सब्जियां और यहां तक कि संकर फूल भी देखे हैं। हालांकि हमारे देश में बहुत गरीब आदमी रहते है जिनके लिए रोजाना भरपेट भोजन जुटाना भी संभव नहीं है।

विधेयक में कुल 73 खण्ड हैं। समय के अभाव में मैं उनका ब्यौरा नहीं बता रही हूं। विधेयक में भी यह उद्धृत है कि यह 20,000 रुपये से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। मैं नहीं जानती कि सरकार किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करेगी।

ई एम आर के बारे में आप मानेंगे कि उसमें एक खण्ड है जो यह उपबंध करता है कि कोई भी अभ्यावेदन दे सकता है परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके आपत्ति संपोषणीय होगी। यदि भेषज उद्योग को कोई आपत्ति है तो वे निश्चित रूप से अभ्यावेदन दे सकते हैं। हालांकि, यह बिल्कुल एशोसिएट सदस्य बनाने की तरह ही है। उस अभ्यावेदन का कोई अर्थ नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयोग पेटेंट निरस्त कर देगा। हम रायल्टी के बारे में चिंतित क्यों हैं? हम जानते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश के नवीनतम निणय के कार्यान्वियन के बाद क्या होने वाला है। यही टेलीकाम और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में होने जा रहा है। यदि 74 प्रतिशत तक विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव कार्यान्वित हो जाता है तो अंततः....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। माननीय सदस्य कृपया उन पर ध्यान न दें। आप पहले ही नौ मिनट तक बोल चुके हैं। आप एक मिनट और बोल कर अपना भाषण समाप्त करें।

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, यदि 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश किए जाने की अनुमति दी जाती है तो नियंत्रण अपने आप ही विदेशी हाथों में चला जाएगा। तब हम घरेलू उद्योग की सुरक्षा किस प्रकार कर पाएंगे? इसलिए हम चिंतित हो रहे हैं।

हम जानते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता है। हम नहीं चाहते कि हमारा देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता से हटे। परंतु अब हमारे लिए यह देखना ज्यादा जरूरी है कि हम अपने किसानों की सुरक्षा किस प्रकार करें और हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें आकाश न छूने लगे। इन चीजों का ध्यान रखना होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मानीटरन तंत्र होना चाहिए कि यदि कोई बिना किसी उपयुक्त कारण के दाम बढ़ाना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोका जाए। हमें अपने क्षेत्राधिकार और सीमाओं में रहकर भारतीयों के हितों का ध्यान रखना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाए ताकि इसका अध्ययन किया जा सके। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस उपाय के लिए अधिक समय दिया जाए ताकि सभी के साथ परामर्श किया जा सके, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। इसमें कोई समस्या नहीं है। हम राष्ट्रीय वचनबद्धता से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। मैं समझती हूं कि इससे ऐसा कोई गलत प्रभाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी के आगे झुक रहे हैं।

अंततः मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता की एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगी– 'व्हेयर द माइन्ड विदआउट फीयर द हेड इज हेल्ड हाई' इस बात का ध्यान रहे कि हमारा सिर न झुके। हम किसी के आगे अपना सिर न झुकाएं क्योंकि हम अपना सर झुकाएंगे तो वे हमारे कार्यों के सभी पहलुओं में हस्तक्षेप करेंगे।

हमें यह दिखाना है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसकी सारे विश्व में प्रतिष्ठा है। जो कुछ आज भारत सोचता है, तदनन्तर वही विश्व सोचता है। इसीलिए भारत को विकासशील देशों के लिए तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन के लिए पहल करनी होगी। आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं...*(व्यवधान)* मैं, आप से कोई सबक नहीं लेना चाहती...*(व्यवधान)* मैं, धर्मनिर्पेक्षता के संबंध में कोई पाठ आप से नहीं सीखना चाहती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बैनर्जी आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए, उनको नजरअंदाज कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी : मैं, यह कहना चाहती हूं कि हम भारतीय है। हमें भारतीय होने का गर्व है...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने उन्हें कभी भी परेशान नहीं किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनको नजरअंदाज कीजिए, केवल आपका भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा। और कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

कुमारी ममता बैनर्जी : श्री अधीर चौधरी, आपको याद हो... *(व्यवधान)* कृपया मेरी परीक्षा न लें...*(व्यवधान)* वह हाल ही में दल में शामिल हुए है। इन्हें पता नहीं है कि इनके नेता ने क्या कहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी बैनर्जी, कृपया उन्हें नजरअंदाज कीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी : मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि मैं भारतीय हूं। आप यह मत भूलिए कि पहले आप भारतीय है और उसके पश्चात आप किसी दल के हो सकते है। आपको जनता के लिए न्याय करना पड़ेगा...*(व्यवधान)* इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी आप क्या कर रहे हैं? सब कुछ कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया गया है। केवल कुमारी ममता बैनर्जी को बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी : मामला क्या है? हम भी बंगाली है.. .*(व्यवधान)* महोदय, कृपया यह न भूलें कि हम भी बंगाली है। हालांकि हम बंगाली हैं, परंतु पहले हम भारतीय है। हमें यह याद रखना चाहिए कि....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बंद करिए भई। नहीं-नहीं, बैठिए

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी, मुझे विश्वास है कि आपने जो प्रश्न उठाये हैं, उसका उत्तर माननीय मंत्री देगें। उन्हें इस का उत्तर देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बैनर्जी, कृपया उन्हें नजरअंदाज कीजिए। मैंने उनकी टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी : आप बंगाली हैं, क्या यह अपराध है?

[अनुवाद]

कोई जन्म से बंगाली, मराठी हो सकता है या बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में जन्म ले सकता है...*(व्यवधान)* मुझे, गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, अब समय नहीं बचा है। मैंने आपके गणमान्य सदस्य को 14 मिनट तक बोलने दिया है।

अत:, मंत्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री कमलनाथ : अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, मैंने आपको बोलने की अनुमति

दी है, सामान्यतः मैं आपको अनुमति देता ही हूं। आप बड़े स्पष्ट वक्ता है। परंतु आप बहुत सहयोगी भी है।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थॉमस : मैं, मात्र तीन मिनट में एक बात कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको तीन मिनट बोलने की अनुमति देता हूं तीन मिनट का मतलब ठीक तीन मिनट।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है बोलिए।

[अनुवाद]

कृपया अपनी बात कहिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह एक ऐसा विधेयक है जिसे सभा के पहले सत्र में ही लाया जा सकता था। मेरे विचार से संसद और जनता के परोक्ष में अध्यादेश लाया गया। इस कारण इस विधेयक पर जनता तथा संसद में विचार विमर्श करने के लिए अधिक अवसर मिला ही नहीं। अत: सर्वप्रथम मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा जाए। इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह मामला गरीब लोगों, भेषज, कृषि, साफ्टवेयर तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित है और इन क्षेत्रों में भारत को अभी काफी विकास करना है।

मैं, यह भी कहना चाहता हूं कि समय के अभाव के कारण मैं इस विधेयक पर अधिक गहराई में नहीं जा रहा हूं। मैं, केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे कई सदस्यों ने 'दोहा घोषणा' का पहले से ही उल्लेख कर दिया है तथा इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि उपलब्ध 97 प्रतिशत औषधियां ऐसी हैं जो वास्तव में पेटेंट के अंतर्गत नहीं आती है।

अब चूंकि नया विधेयक इन सभी औषधियों को पेटेंट करने का मार्ग खोल देगा अत: बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका अनुचित फायदा उठायेगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने तीन बड़े ही वैध मुद्दों को उठाया है।

श्री पी.सी. थामस : सॉफ्टवेयर उद्योगों के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में 'फेयर यूज का उल्लेख किया गया है। हम लोग तथा बैंक इसका उपयोग कर पा रहे हैं यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार के अत्यधिक अवसर है। टी.आर.आई.पी.एस. (ट्रिप्स) के संबंध में, कृपया उसे सीमित न करें। हम लोगों पर कोई उपबंध बनाने के संबंध में कोई पाबंदी नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जोवाकिम बखला बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है कि मुझे बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कृपया इस बात को समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने हमेशा आपको अवसर देने की कोशिश की है। आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठायं हैं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : महोदय, मुख्यत: हम ट्रिप्स समझौते का विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्य से काफी पहले भारत सरकार ने देश की आम जनता पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव को जाने बिना अपनी सहमति दे दी थी।

हम इसलिए ज्यादा चिंतित हैं कि प्रक्रिया से हट कर उत्पाद पेटेंट की बात करने की तरफ बदलाव आया है जिससे दवाओं और कृषि-रसायनों की कीमतों में भारी वृद्धि होगी। क्या माननीय मंत्री इस सम्मानित सभा को आश्वस्त करेंगे कि राजसहायता देने और गरीबों को आधुनिक आवश्यक दवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई ठोस तंत्र विकसित करके भारत सरकार गरीब बीमार रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी। असल में हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है और गरीबों के हक में भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। यह रिकार्ड किया जायेगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जोवाकिम बखला : वाम दलों के सुझाव सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि यह विधेयक जिसमें की संशोधन किए जाने हैं मेरे हिसाब से विचार किये जाने योग्य हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका दल बोल चुका है। कृपया मुझे माफ करें। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री कमलनाथ : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक पर बहस में भाग लेने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर विधेयक है। मैं कई और बिन्दु स्पष्ट करने के लिए भी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले अपनी बात शुरू करते समय मैंने कहा था कि अपनी कुछ खामियां या चूकें जो विधेयक में हैं उनका पता लगाने का प्रयास करूंगा और उन्हें दूर करूंगा। मैं समझता हूं कि कुछ खामियां दूर कर दी गई हैं। मैं प्रयास करूंगा की कम से कम शब्दों में अपनी बात कहूं लेकिन साथ ही साथ कुछ उन बिन्दुओं को स्पष्ट करने का भी प्रयास करूंगा जो सदस्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं।

परंतु ऐसा करने से पहले मैं विश्व व्यापार संगठन और ट्रिप्स के संबंध में बार-बार उठाए जाने वाले प्रश्नों पर बात करना चाहूंगा। मेरे कुछ मित्र जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है या समर्थन कर रहे हैं उन्होंने ट्रिप्स और विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं। चूंकि भारत विश्व व्यापार संगठन से सहमत है जो न केवल अनिवार्य है अपितु संक्षेप में यह बहुराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, विश्व व्यापार व्यवस्था में भारत की भूमिका का भी निर्धारण करता है। यदि आप कुछ आंकड़े देखें.... ये वे तथ्य हैं जो कि मैं समझता हूं सदन को ध्यान में रखने चाहिए कि 1995 में हम कितना निर्यात कर रहे थे और आज हम कितना निर्यात कर रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद इस वर्ष के अंत में हम आशा करते हैं कि 75 बिलियन डालर का निर्यात कर पाएंगे। वर्ष 1994-95 में जब हमारा दल वहां था और मुझे याद है कि श्री प्रणब मुखर्जी मंत्री थे ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से हमारा प्रतिशत कितना है?

श्री कमलनाथ : यह कहा गया था कि विश्व व्यापार संगठन से कांग्रेस दल सहमत हुआ था और मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। यदि वह अपने उठाये गये मुद्दे के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह कहा गया था कि कांग्रेस दल इससे सहमत था। हां, हम सहमत हुए थे। विचारों में अंतर हो सकता था।

1993-94 में हमारा निर्यात 22 बिलियन डॉलर था और आज की तिथि में यह 75 बिलियन डॉलर होने जा रहा है। हमारा औषधियों का निर्यात कितना था? औषधियों का निर्यात काफी कम था। आज जैसा कि हमारे एक मित्र ने बताया हम 60,000 करोड़ रुपए की औषधियों का निर्यात कर रहे हैं। यह विश्व व्यापार की बदलती दिशा है, हमें इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि उपपक्ष के एक सदस्य ने कहा कि पेटेंट विधेयक में जो संशोधन किए जा रहे हैं वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर केंद्रित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे भारतीय वैज्ञानिकों, हमारे भारतीय तकनीशियनों को महान श्रद्धांजलि होगी कि हम उनकी बुद्धि और ज्ञान को केवल किराए पर नहीं दे रहे वरन् उस बुद्धि और तकनीकी ज्ञान से धनराशि सृजित करने में भी सक्षम हैं। उस पक्ष की ओर से यह मुद्दा उठाया गया। मुझे प्रसन्नता है कि यह बात उनकी समझ में आयी है।

महोदय, पेटेंट (संशोधन) विधेयक, जो सभा के समक्ष है, के संबंध में मैं यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि बदले विश्व में, बदलते भारत में हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुरक्षित नहीं रखना है। मेरे पास चार दिन पहले प्राप्त हुए भारतीय कंपनियों के पत्र हैं। उन्होंने क्या लिखा है? वे मेरे ध्यान में यह ला रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिकन सोसाइटीज की 229वीं राष्ट्रीय बैठक में वहां के वैज्ञानिकों को भारतीय अनुसंधान संस्थान से निकसित की जा रही कटिंग टेक्नोलोजी के बारे में चेतावनी दी गयी। ब्रिटिश बुद्धिजीवियों की हाल में एक संगोष्ठी इस विषय पर हुई कि "क्या भारत पश्चिमी देशों में चल रहे अनुसंधान और विकास की रूपरेखा की दिशा बदल सकता है"? एक नयी वास्तविकता सामने आ रही है कि भारतीय वैज्ञानिक पेटेंट युग के बाद की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं; भारतीय कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अवसंरचना पर काफी निवेश किया है। क्या हम अपनी कंपनियों का समर्थन नहीं करेंगे? क्या हम अपने वैज्ञानिकों का समर्थन नहीं करेंगे? क्या हम अपने तकनीशियनों का समर्थन नहीं करेंगे?

महोदय, वर्तमान में भारत का पेटेंट आवेदन में विकासशील देशों में दूसरा स्थान है। यह प्रगति हमने की है। हमें इसे कम नहीं होने देना है। हमें अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक विदेशों से वापस आ रहे हैं, हमारे

अनुसंधान प्रयोगशालाओं में शामिल होने के लिए वापस आ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : हम अपने वैज्ञानिकों और अन्य लोगों की उपलब्धियों को कम करके नहीं आंक रहे हैं।

श्री कमलनाथ : मैं केवल तथ्यों को सामने रख रहा हूं। इसलिए, महोदय, आज की तिथि में भारतीय कंपनियां कैंसर की औषधियों के पेटेंट के लिए आवेदन कर रही हैं।

एक और व्यापक मुद्दा है जिस पर मैं विशिष्ट मुद्दों को उठाने से पहले चर्चा करना चाहता हूं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 1995 और 2005 के बीच जिन औषधियों को पेटेंट किए जाने की अनुमति नहीं दी गयी, अब उनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। सभा की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 195 औषधियां औषधि नियंत्रक द्वारा भारत में बिक्री के लिए अनुमोदित की गयी थी। इसलिए 195 नयी औषधियों में से 188 मोलिक्यलस, 1995 से पूर्व के मोलिक्यूलस हैं। इनका पेटेंट नहीं किया जा सकता है। और केवल सात बाकी है।

एक और मुद्दा यह था कि कैंसर की औषधि का क्या होगा। 12 मुख्य एन्टी-रेट्रो वाइरल औषधियों में से कितने 1995 से पूर्व की हैं, इनमें से केवल एक 1995 से बाद की हैं। इसलिए इस मामले में भी हमें तथ्यों पर गौर करना चाहिए।

महोदय, उस पक्ष के प्रत्येक सदस्य ने कहा कि "हम यह समझते है, हम समझते है कि ट्रिप्स प्रतिबद्धता क्या है। परंतु आप इसे स्थायी समिति को भेजें।" मैंने प्रारंभ में अपनी सर्वाधिक क्षमता के साथ इसका उत्तर देने का प्रयास किया और मैं एक और प्रयास करूंगा। यह विधेयक, जो सभा के सामने है दिसम्बर, 2005 से जनता के पास है ऐसा नहीं है कि पिछले सप्ताह ही हम इसे एकदम से लाए हैं, इसे कहीं से लाकर विधेयक प्रस्तुत किया है। यह विधेयक दिसम्बर, 2003 से जनता के सामने है।

आप कहते हैं कि यह एक गंभीर मामला है। मैं भी कहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है। जब हम मई, 2004 के तीसरे सप्ताह में सत्ता में आए थे तब भी यह एक गंभीर मामला था। हम यह देखना चाहते थे कि आपने क्या किया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर सत्ता पक्ष में होते तो आप भी वही करते जो हम कर रहे हैं। एक विधेयक के लिए जो दिसम्बर, 2003 से जनता के पास था, अब आप कह रहे हैं कि हमें आठ दिन दीजिए। आठ दिनों में, इन मुद्दों का उत्तर मिल जाएगा, सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां समाप्त हो जाएंगी और हमारे हितों का ध्यान रखा जाएगा। मैं इस तर्क को समझ नहीं पा रहा।

मैं एक और मुद्दा सामने रखना चाहता हूं। अनिवार्य विपणन के संबंध में कई मुद्दे उठाए गए हैं। महोदय, यह तीसरा संशोधन है। इसके पूर्व पहला और दूसरा संशोधन हुआ था। मेरे मित्र—जैसे श्री स्वाईं जो संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे—जो इसे समझते हैं मुझसे सहमत होंगे कि अधिकांश मुद्दे संशोधन से संबंधित हैं। उन्होंने जो मुद्दे उठाए मैं उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने स्वयं कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति को उस पर विचार करने में दो वर्ष लगे। अब श्री खारबेल स्वाईं, आपके पक्ष के ही सदस्यों के पास कुछ मुद्दे हैं और वे उसके लिए आठ दिन का समय मांग रहे हैं। आपको जिस पर चर्चा करने में दो वर्ष क्यों लगे और विचार करने के लिए 40 बैठकें करनी पड़ी उसका वे 8 दिनों में समाधान करना चाहते हैं। यह मेरे संशोधन के विषय से संबंधित मामला नहीं है। यह दूसरे संशोधन से संबंधित है। अधिकांश मुद्दे जिन्हें उठाया गया है। वे पहले और दूसरे संशोधनों से संबंधित मुद्दे हैं। मैं केवल उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूं और तीसरा संशोधन ला रहा हूं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के हमारे कुछ मित्रों ने दूसरे संशोधन में भी कुछ वैध मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है। हमें इन संशोधनों को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। मैं केवल यह कहूंगा कि यह संशोधन पहले से ही यहां है, इस सभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया है। परंतु उन्होंने जो कहा उसमें कुछ अच्छी बातें थी। हम इसके लिए तैयार हैं।

नवम्बर में मैंने आपसे पूछा था। मैंने विपक्ष के नेता को औपचारिक पत्र लिखा था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि हम इस पर चर्चा करें क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। जून से मैंने स्वयं इसका अध्ययन करने की कोशिश की और अन्य संबंधित समूहों के साथ इसके बारे में विचार किया। मैंने ऐसा किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसे आकस्मिक रूप से लाया गया है। यह नहीं है कि इसे संवेदनशील तरीके से लाया गया है। ऐसा नहीं है कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि हम इसे केवल इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ट्रिप्स के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। मैं यह जोरदार तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी हमें किसी प्रतिबद्धता को पूरा करना होता है और यदि हम कर सकते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। यदि आप इसमें संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) की सरकार जब वर्ष 2003 में यह

[श्री कमलनाथ]

विधेयक लाई थी तब उन्होंने यह विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखे बिना प्रस्तुत किया था और यह सोचा था कि वे इसे विचारार्थ प्रवर समिति में भेजेंगे? क्या आपका तात्पर्य यह है कि यह बिना सोचे समझे किया गया और जब यह प्रवर समिति में जाएगा तभी इस पर दिमाग लगाया जाएगा।

मैं कहता हूं कि यह बहुत सोच समझ कर लाया गया विधेयक है। मैं विधेयक की आलोचना नहीं कर रहा हूं। जब भी परिदृश्य में परिवर्तन होता है निःसंदेह नए विचार प्रकट होते हैं। शायद एक या दो या तीन वर्षों के बाद हम स्वयं ही इस पर विचार करें कि हमें यह करने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। दुनिया इसी प्रकार विकसित हो रही है, इसी प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है। हमारी प्रौद्योगिकी और हमारा अपना अनुसंधान और विकास विकसित हो रहा है। हमें अंततः इसके संबंध में अनुभूति होगी। कि क्या इससे भारत के हित पूरे होंगे?

दूसरी बात, जो कही गई थी वह यही थी। क्या यह ट्रिप्स में उपलब्ध लचीलेपन को पूरा करता है? महोदय, इसमें बहुत लचीलापन था, मेरा मेरे मित्रों से भिन्न मत है। मैं कहता हूं कि यह मेरी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा नहीं करता है। वे इससे सहर्ष सहमत हैं और कहते हैं कि यह उनका विश्वास है। वे कहते हैं कि "यदि ये आपका विश्वास है, तो हम सहमत हैं।" दो मुद्दे उठाये गये थे। एक मुद्दा यह था जो श्री स्वाइं ने उठाया था। जो कुछ श्रीमती मेनका गांधी ने कहा वह उसके विपरित था। दुर्भाग्य से श्रीमती मेनका गांधी ने परसों हमें पत्र लिखा था। यदि उन्होंने इसे आज प्रातः लिखा होता तो उन्होंने वो मुद्दे नहीं उठाए होते। परंतु जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, वे पूर्णतः विरोधी हैं। आश्चर्य की बात है यदि वह यहां अथवा वहां बैठी हैं, चूंकि यही मुद्दे श्री रूपचन्द पाल ने उठाए थे यह एक नया निकाय अथवा एक नया रसायनिक निकाय होना चाहिए? हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी। मैं कहता हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं कहता हूं कि मैं आपसे सहमत हूं (श्री स्वाईं) मुझे इसके बारे में आपको बताना ही है। मैं श्री रूपचन्द पाल से सहमत नहीं हूं और मैं उनसे और श्रीमती मेनका गांधी से लगातार असहमत हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : क्या मैनेज कर लिया है?

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : मैनेज कुछ नहीं किया है इसलिए महोदय इसमें बहुत सूक्ष्म भेद है और इस सूक्ष्म भेद की सराहना श्री रूपचन्द पाल ने की थी; उस सूक्ष्म भेद की सराहना हमने भी की थी। अतः हमने कहा था कि हमें राय देने के लिए इसे हम एक विशेषज्ञ दल के पास भेजेंगे। मैं अब यह कह रहा हूं और हम इसे विशेषज्ञ दल को भेजेंगे। चूंकि आपने वह मुद्दा उठाया था मैंने आपका तर्क उन तक पहुंचा दिया। मैंने कहा कि भारतीय कंपनियां भी यही महसूस कर रहीं हैं। परंतु दूसरी ओर, आपके पक्ष के दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि वह सही नहीं था। इसलिए एक ही पक्ष के माननीय सदस्यों के मध्य मतों की भिन्नता है। हम क्या कर सकते हैं?

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : वे भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह : हम आपसे सीखेंगे कि कैसे सुबह हमारा साथ देना है और कैसे शाम को उनका साथ देना है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा टोकिए, ज्यादा नहीं।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : एक ओर, हम कह रहे हैं कि यह एक गंभीर विधेयक है, यह एक पेचीदा विधेयक है, और दूसरी ओर हमें इसे अपने कार्य द्वारा महत्वहीन नहीं बनाना चाहिए।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये विभिन्न मुद्दों में से मैं प्रो. रावत के मुद्दे पर उत्तर देने से आरंभ करूंगा। मैं नहीं जानता कि वह नीयत का सवाल क्यों उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

यह नीयत की बात करना शुरू कर देते हैं। नीयत की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न नीयत का नहीं है यह प्रश्न है कि बिल के कौन से सैक्शन्स हैं, कौन से अंग है। श्री रामविलास पासवान जी, यह सही है कि यह प्रश्न नीयत का नहीं नीति का है।

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह ने जल्दी-जल्दी विधेयक का अध्ययन किया है।

उन्होंने बात की थी कि क्या इसमें लचीलापन है अथवा नहीं और क्या हमने उस बात का फायदा उठाया है या नहीं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि कोई मुझे बताए कि इसमें कहीं लचीलापन है और हमने इसका फायदा नहीं उठाया है।

मैं विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा हूं। हमने हाल ही में जी-20 की बैठक में भाग लिया था जिसका यहां उल्लेख किया गया है। जी-20 की बैठक में, वे पेटेंट विधेयक से संबंधित पत्र पढ़ रहे थे। जी-20 के सदस्य कौन हैं? वे है: एलडीसी, गरीब अफ्रीका के देश। वे हमारी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, जो उचित भी है। इसका उल्लेख किया गया कि भारत नेतृत्व प्रदान कर रहा है। निःसंदेह भारत उन्हें नेतृत्व प्रदान कर रहा है। विशेष रूप से विगत दस महीनों से जी-20 के सदस्यों के साथ हमारी सफलतापूर्व बैठक हुई है और इसमें जो मुद्दे उठाए गये, उनका भारत से सीधा संबंध नहीं है। उनका संबंध विकासशील देशों से है और उन्होंने भारत का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। वे चाहते हैं कि हमें दिल्ली में सफल बैठक आयोजित करनी चाहिये। इस मुद्दे पर, वो देश हमारी ओर देख रहे हैं कि क्या हममे अधिकतम लचीलापन है अथवा नहीं। हमने इसमें यथासंभव लचीलापन अपनाया है। मैं इस सभा को आश्वास्त करना चाहता हूं कि मैंने अपनी क्षमतानुसार संभव लचीलापन अपनाया है। मैं आशा कर रहा था कि कोई आकर मुझसे कहता कि हम यहां लचीले नहीं हैं। यदि आप इसको संशोधनों सहित पढ़ेंगे, तो मुझे आशा है कि आप मुझसे सहमत होंगे।

उन्होंने दूसरा प्रश्न उठाया है।

श्री उदय सिंह : व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं। संशोधनों को पढ़ने के लिए समय कहां था?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, वह मान नहीं रहे हैं। मंत्री महोदय आप अपनी बात जारी रखिए और समाप्त कीजिए।

श्री कमलनाथ : एक प्रश्न श्री उदय सिंह ने नोवरतिस को ईएमआर के बारे में उठाया था। वह उसे जानते है। मैं इसको राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहता। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता कि किसी सरकार के शासन के समय ईएमआर दिया गया था। मैं इन सब बातों में नहीं जा रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह : आप इस पर की गई कार्रवाई का भी उल्लेख कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया साथ-साथ मत बोलिए।

श्री कमलनाथ : हम इस घटना को क्रमानुसार समझे। यदि हम इसे क्रम अनुसार नहीं समझेंगे तो हम मामले को समझ नहीं पाएंगे। मुझे इस बाबत जानकारी दी गई है। मैं इससे अत्याधिक चिंतित था। हमने अभी हाल ही में नोवारतिस के बारे में पूछा है। हमने उन्हें एक पत्र भेजा है, जिसके उत्तर में उन्होंने बताया कि उन्होंने उसी औषधी की बाजार में आपूर्ति 5.34 करोड़ रु. की—उन्होंने औषधी बेची है और 324 करोड़ रु. की निःशुल्क आपूर्ति की है। यह दवाई वहीं नोवारतिस ही थी, क्योंकि जब से यह मामला हमने उनके साथ उठाया है उन्होंने इसे हमारे पास भेजा है। यह पत्र इस वर्ष 23 फरवरी की तारीख का है। यह हमारी चिंता का विषय था। पहले नोवारतिस के इसी मामले पर कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे इसे किसी और अवसर पर आपको दिखाने पर खुशी होगी।

यदि आपके पास कोई सलाह होगी तो हम आपसे मांगेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है इसलिए कोई समस्या नहीं है। नोवारतिस का मामला अनेक बार उठाया गया है। मेरा विचार था कि आप यह कहने की बजाय कि भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है यह कहते। मैं इस आरोप को समझ नहीं पा रहा हूं। जब पहला और दूसरा संशोधन हुआ था, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रभावित नहीं हुआ था। परंतु तीसरे संशोधन के समय, जब आप विपक्ष में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रभावित है।

जब आप इस विधेयक को वर्ष 2003 में लाए थे तब बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कोई नहीं प्रभावित हो रहा था। पर, जब आप यहां बैठते हैं, तो आप पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भूत सवार होने लगता है। मैं आपको केवल यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रेरित नहीं है, बलिक यह राष्ट्र से प्रेरित है। यह सरकार हमेशा से वही कार्य कर रही है, जो राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ हो। कृपया इस बारे में आश्वस्त रहिए।

श्री रूपचंद पाल को इस विधेयक पर दो गंभीर आपत्तियां थी। समर्थन के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं यह मानता हूं कि आप आप असली तस्वीर देख रहे हैं। असली तस्वीर यह कि आप वैश्विक व्यापार के दौर में एकात्मवाद पर भारत को नेतृत्व की भूमिका में लाना चाह रहे हैं। जब आप यह मान जाएंगे कि भारत इस नेतृत्व के भोग्य है, तभी आपके समर्थन से भारत यह भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकता है। इसलिए इस बात को अभिज्ञात कर मैं उन दो बिन्दुओं पर आपके समर्थन की बड़ी सराहना करता हूं, जिनको आपने उठाया है और जिनपर मैं आपसे असहमत हूं। मैं आपसे असहमत हूं,

[श्री कमलनाथ]

लेकिन मैं इसे विशेषज्ञ दल को यह जानने के लिए भेजूंगा कि क्या इसमें पर्याप्त लचीलापन है और क्या यह भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों के हित में है। जब सभा पुन: समवेत होगी तो मैं एक संशोधन लाना चाहूंगा। दो मुद्दे नए रासायनिक पदार्थ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सवाल से जुड़े हुए हैं। वही सवाल उठाया गया था। मुझे खुशी होगी कि इसे विशेष दल को भेजा जाए। विशेषज्ञ दल का गठन भी आपके परामर्श से किया जाएगा क्योंकि, जैसाकि मैंने कहा, हमारी भावनाएं एकसी हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मंत्री जी, आपने यह किस प्रकार किया?

श्री कमलनाथ : आपने बिल बनाने में जिन लोगों की सलाह ली थी, हम भी उन से सलाह लेंगे और आपकी पूरी तसल्ली करेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री स्वाई की बुद्धिमता का उपयोग कर मुझे खुशी होगी क्योंकि उन्होंने कुछ सूचना दी है...*(व्यवधान)*

श्री सुमन ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन ने कहा कि क्या हमें अमरीका से स्वीकृति लेनी होगी, जब हम यहां फार्मास्युटिकल उद्योग लगाएंगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आज बहुत-सी चीजें हो रही हैं।

[अनुवाद]

भारत में एफडीए अनुमोदित 64 निर्माता कंपनियां हैं जो अमरीका और यूरोपीय संघ के लिए औषधियों की आपूर्ति कर रही हैं। हम उनके लिए आपूर्ति कर रहे हैं, पर वे हमारे लिए नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यह तो आज बदले हुए समय की बात है।

[अनुवाद]

मैं आपको बता रहा हूं कि अमरीका से बाहर यह सबसे बड़ी संख्या है। मैं समझता हूं कि हमें सचमुच में अपने फार्मास्युटिकल उद्योग की सराहना करनी चाहिए जिसका कि न केवल निर्माण आधार बहुत ही अच्छा है, बल्कि अनुसंधान आधार भी बहुत अच्छा है।

'द न्यूयार्क टाइम्स' का हवाला देते हुए उसमें कई तरह की बातें कही गई हैं। कभी हम 'द न्यूयार्क टाइम्स' का अनुसरण करते हैं, तो कभी नहीं भी करते हैं। जब यह हमारे मनोनुकूल होता है, तो हम 'द न्यूयार्क टाइम्स' को उद्धृत करते हैं और जब यह हमारे मनोनुकूल नहीं होता है, तो हम उसे उद्धृत नहीं करते हैं। आप कह रहे थे कि बचाव के लिए आप 'द न्यूयार्क टाइम्स' को बीच में ला रहे हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि 'द न्यूयार्क टाइम्स' में भी ऐसा बताया गया है। मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि भारतीय संसद को 'द न्यूयार्क टाइम्स' से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारे विश्वास के अनुसार सही हो, यह नहीं कि 'द न्यूयार्क टाइम्स' ने जो कह दिया वही हम करें – क्योंकि हो सकता है उसने अधिनियम का अध्ययन नहीं किया हो।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन का उल्लेख किया।

श्री कमलनाथ : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा नहीं कहा है। मैं उस बात पर आऊंगा।

महोदय, अर्थशास्त्रियों ने जो कहा है उसको यदि आप पढ़ते तो आप को पता चलता कि उनके अनुसार भारतीय कानून में बहुत ही खामियां हैं और यह कोई विधान नहीं है। मैं उस बात की तह में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने क्या कहा है और किस भाव से प्रेरित होकर कहा है। मैं वहीं करना चाहता हूं जो मेरे हिसाब से और हमारी सरकार के विचार में सही है। जैसाकि मैंने कहा था, हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भावना से।

महोदय, औषधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस संबंध में एक बात थी। मैंने कहा है कि 13 एन्टीरेट्रो वायरल औषधियों में से 12 को पेटेंट नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह थी कि क्या हमने दोहा घोषणा के पैरा IV का पालन किया है या नहीं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे विधेयक की धारा 92क का संदर्भ ग्रहण करें। मैं यहां शब्दों के जाल में नहीं फंसना चाहता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि

अनिवार्य लाइसेंसिंग के क्षेत्र में यदि हम अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए किए जाने वाले प्रावधानों को पढ़ें, तो उनमें दो गंभीर बातें बताई गई हैं एक अनिवार्य लाइसेंसिंग और दूसरी एवरग्रीनिंग। इसका कारण है कि यदि एस्प्रीन का पहले सिरदर्द के लिए प्रयोग किया जाता था, तो अब इसका ब्लड थिनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सवाल यह है कि क्या इसका पेटेंट किया जा सकेगा।

महोदय, सबसे पहले मैं अनिवार्य लाइसेंसिंग का हवाला देना चाहूंगा। इसका उल्लेख धारा 84 में किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस धारा को एकबार पढ़ें। यह इतना गठित है कि यदि हम अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए किए जाने वाले प्रावधानों पर दृष्टिपात करें, जहां कि मूल्यों का सवाल है, जनहित का सवाल है, तो हम पाते हैं कि उनमें इन सभी मसलों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। फिर है, धारा 66% सबसे बड़ी बात है कि यह सभा सर्वोपरि है। धारा 66 में क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जहां केन्द्र सरकार को लगे कि कोई पेटेंट या उसका तरीका राज्यहित में ठीक नहीं है या सामान्यत: आम जनता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो उसे सुनने का मौका दिया जाए और उसके पश्चात् उसे सरकारी राजपत्र में प्रतिबिम्बित करने की घोषणा की जाए और फिर उससे पेटेंट को निरस्त हुआ माना जाएगा। यही कानून है यदि मुख्यों में कोई विसंगति हो, यदि कोई आशंकाएं हो, तो क्या माननीय सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कभी भी ट्रिप्स मसले को उठा सकेंगे? यह केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है, बल्कि माननीय सदस्य भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हम इसके प्रति सचेत हैं।

यहां कई तरह के प्रावधान हैं। एवरग्रीनिंग के संबंध में मैं केवल धारा 3(क) को पढ़ना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि ज्ञात पदार्थ के लिए नए गुण की खोज या नए उपयोग अथवा किसी नए पदार्थ की ज्ञात प्रक्रिया का भाग उपयोग, ये अपवाद हैं, इन्हें किसी प्रकार पेटेंट नहीं किया जाएगा और केवल सम्मिश्रण से प्राप्त पदार्थों जिनमें तटसंबंधी संघटकों के गुण-धर्मों का समूहन होता है, ऐसे पदार्थों के उत्पादन की प्रक्रिया का पेटेंट नहीं किया जाएगा। एवरग्रीनिंग का कोई संबंध ही नहीं उठता है। इस बात का कोई सवाल नहीं उठता है कि हमारा अनिवार्य लाइसेंसिंग ढीला-ढाला है; दरअसल हमारा अनिवार्य सम्पर्क में रहने वाले हमारे सदस्यों की सतर्कता से मूल्यों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि की स्थिति में मैं समझता हूं कि सरकार के पास इस पर कार्रवाई करने का व्यापक अधिकार होगा।

एक दूसरा सवाल था कि क्या हमारे परम्परागत ज्ञान को कोई संरक्षा है या नहीं। धारा 3(ख) और 25 में इस संबंध में प्रावधान है।

एक और सवाल था कि क्या हमारे पेड़-पौधों को भी पेटेंट के दायरे में लाया जा रहा है या नहीं। श्री रामजीलाल सुमन ने इस बात का उल्लेख किया था धारा 3 बहुत ही विशिष्ट धारा है जिसमें कहा गया है कि किसी भी पेड़-पौधों को पेटेंट के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। फिर दूसरा सवाल अनुदान पूर्व विरोध के संबंध में है। मैं बताना चाहता हूं कि विधेयक, जिसे दिसम्बर, 2003 में लाया गया था—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे राजग सरकार ने पेश किया था, के संबंध में अनुदान पूर्व विरोध नहीं था। आज, न केवल अनुदान पूर्व विरोध के बारे में, बल्कि इस बारे में भी कि कैसे हम इसे सख्त बनाए मेरे सामने भाषण दिए जाते है और मुझे बताया जा रहा है।

[अनुवाद]

सायं 7.00 बजे

दिसंबर, 2003 में एक विधेयक आया था जिसका अनुदान से पूर्व कोई विरोध (प्री ग्रांट ओपोजिशन) नहीं था। आज मुझे यह बताया गया है कि वह बात सच नहीं है। कृपया मेरे संशोधनों को पढ़िए। मेरे विचार से हमने इन संशोधनों द्वारा अनुदान-पूर्व विरोध को प्रकट किया है। यह एक ऐसा मुद्दा था, जिसके लिए हमें 1970 की स्थिति पर नजर डालना आवश्यक हो गया। हमने वह कार्य किया है। यह एक फिर से सुझाव दिया गया था और मेरे विचार से यह एक अव्यधिक वैध सुझाव था। जब हमने भा.ज.पा. को चर्चा हेतु आमंत्रित किया तो मुझे यह बताया गया कि यह एक ऐसा मुद्दा था जहां वे चूक गए थे अत: मैंने विचार किया कि मुझे इस मुद्दे को उठाना चाहिए। यह बात मेरे मित्रों ने बताई है। हम लोग हमारे मित्रों की बात को मान रहे हैं। यह मुद्दा आपके पत्र के माध्यम से उठा था परंतु हमने इसे शामिल कर लिया है। अत: ऐसी बात कही गई है जो मेरे द्वारा उसे उठाने के पूर्व थी ही नहीं। मुझे यह कहा जा रहा है कि यह संशोधन अधिक सशक्त नहीं है, जो कि बड़ी हैरानी वाली बात है। मैं, इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अनुदान से पूर्व पर्याप्त विरोध है और सभी सुरक्षोपाय किये गए हैं। हमारे यहां आजकल उत्पाद पेटेंट का माल है, जिसका अनुदानपूर्व विरोध हो रहा है। कोई यह कह रहा था कि एक पत्र है। उस खंड का शीर्षक ही 'अनुदान-पूर्व विरोध' है। आप कह रहे है कि हमने इस स्थिति को कमजोर कर दिया है। मैं, यह कहने के लिए कि अनिवार्य सुनवाई है एक संशोधन ला रहा हूं इस प्रकार भारत विश्व के कुछ देशों में से एक ऐसा

[श्री कमलनाथ]

देश है जिसके यहां अनुदान-पूर्व तथा अनुदान पश्चात् विरोध होगा। मैं, बस यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसी रूप में हम इसे इतना कठोर मानते हैं।

मुझे विश्वास है कि जिन सदस्यों को आशंकाएं थी मैंने उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि उनकी कुछ आशंकाएं हट गई हैं तथा मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन का समर्थन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. मल्होत्रा को बोलने के लिए कहा है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : क्या वह किसी और के स्थान पर बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं किसी और के स्थान पर नहीं बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बची सिंह रावत, क्या मैं यह मान लूं कि आप उत्तर देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तथा आपके स्थान पर वह बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : जी हां।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जी हां महोदय, मैं उनके स्थान पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे पूर्व दृष्टांत न समझा जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, हमें मंत्री महोदय के उत्तर से निराशा हुई है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पेटेंट-पेटेंट कह कर न चिल्लायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, अभी तक सारा स्टैन्ड यह था और हमारा विचार है कि हमें इसे करना पड़ेगा, हमारी इंटरनेशनल कमिटमैंट्स है ओर उनके कारण कहीं और सैक्शन्स न लगा जाएं, इसलिए यह बिल पास करना हमारी मजबूरी है। परंतु आज पहली बार इस प्रकार की बात कही जा रही है कि बिल बहुत बढ़िया है और दुनिया में जो कुछ किया जा रहा है, वह हमारी हित में है, हमारी हितों की रक्षा करेगा, नेशनल इंटरैस्ट में है।....*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहता हूं कि यहां आगे आकर एक भी मंत्री ने यह नहीं कहा कि इससे दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, इससे बीजों का नुकसान नहीं होगा और जो भी इसके रिपरकशंस होंगे, हमने कोशिश की कि यह मामला स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए, नौ महीने में पूरी बात कहने के बाद भी आप बुलडोज करके आर्डिनैन्स के जरिये इसको लाए। नौ महीने में आप नौ आर्डिनैन्स लाए हैं इससे जो नुकसान होंगे, उसके लिए आप और आपके सहयोग दल जिम्मेदार होंगे। हम इसके विरोध में सदन से वाकआउट करते हैं।

सायं 7.04 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा के बीच में बोले जाने को भविष्य में पूर्व दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2004 को प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

खंड 2 — धारा 2 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार और एम. शिवन्ना अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। श्री कमल नाथ।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 24 **के पश्चात्,** अंत:स्थापित करें,—

(च) खंड (जक) **के स्थान** पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(जक) ''आविष्कार संबंधी कार्रवाई'' से किसी आविष्कार का ऐसा अभिलक्षण अभिप्रेत है, जिसमें विद्यमान ज्ञान की तुलना में तकनीकी प्रोन्नति अंतर्वलित है या जिसका आर्थिक महत्व है या दोनों हैं और जो आविष्कार को कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं बनाता है;'; (18)

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 में, ''(च)'' **के स्थान** पर, ''(छ)'' रखें। (19)

पृष्ठ 2, पंक्ति 26 **के पश्चात्,** अंत: स्थापित करें—

'(ठ) ''नए आविष्कार'' से कोई ऐसा आविष्कार या प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है जिसका, पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख के पूर्व, किसी दस्तावेज में प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है या देश में अथवा विश्व में अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है, अर्थात् जिसकी विषय-वस्तु किसी लोक अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है या वह अद्यतन कला का भाग नहीं है;' (20)

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 में, ''(ठ)'' **के स्थान पर,** ''(ठक)'' रखें। (21)

पृष्ठ 2, पंक्ति 30 **के पश्चात्,** अंत:स्थापित करें,—

'(ज) खंड (न) **के पश्चात्** निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(नक) ''भेषजीय पदार्थ'' से एक या अधिक आविष्कार संबंधी कार्रवाइयों को अंतर्वलित करने वाला कोई नया अस्तित्व अभिप्रेत है;' (22)

(श्री कमलनाथ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 — धारा 3 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के उत्तर के बाद, मुझे यकीन है कि श्री अजय चक्रवर्ती, श्री सी.के. चन्द्रप्पन, श्री सुखराम सुधाकर रेड्डी, श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार और श्री एम. शिवन्ना अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करने जा रहे हैं। मंत्री अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 32—38 **के स्थान** पर रखें,—

'(क) मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (घ) **के स्थान** पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) ज्ञात पदार्थ के किसी नए रूप की खोज मात्र, जिसका परिणाम उस पदार्थ की ज्ञात दक्षता की वृद्धि में नहीं होता है या किसी ज्ञात पदार्थ के किसी नए गुण या नए उपयोग की खोज मात्र या किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या साधित्र के मात्र उपयोग की खोज, जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोई नया उत्पाद निकल न आए या उसमें कम-से-कम एक नया अभिकारक न लग जाए।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए लवणों, ईस्टरों, ईथरों, पौलीमार्फों, मेटाबोलाइटों, आधारक्रम चयजों, शुद्ध रूप में, कण आकार, बहुलकों, बहुलकों के मिश्रणों और ज्ञात पदार्थ के अन्य व्युत्पन्नों को समान पदार्थ समझा जाएगा जब तक कि वे दक्षता के संबंध में गुणों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न न हों;' (23) ',

(श्री कमलनाथ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 — धारा 5 का लोप

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, श्री सी.के. चन्द्रप्पन और श्री सुखरम सुधाकर रेड्डी अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:—

"कि खंड 4, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन सं. 14 नया खंड 7क जोड़ने के लिए है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार और श्री एम. शिवन्ना अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

खंड 8 — धारा 10 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : श्री एम. शिवन्ना अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:—

"कि खंड 8, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 — धारा 11क का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, श्री सी.के. चन्द्रप्पन और श्री सुखरम सुधाकर रेड्डी अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 36 के पश्चात, अतं:स्थापित करें,—

"परंतु यह भी कि धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदनों के संबंध में पेटेंट को अनुदत्त किए जाने के पश्चात्, पेटेंट धारक ऐसे उद्यमों से युक्तियुक्त स्वामिस्व प्राप्त करने का ही हकदार होगा, जिन्होंने पर्याप्त विनिधान किया है और जो 1 जनवरी, 2005 के पूर्व संबंधित उत्पाद का उत्पादन और विपणन कर रहे थे ओर जो पेटेंट के अनुदत्त किए जाने की तारीख को पेटेंट के अंतर्गत आने वाले उत्पाद का विनिर्माण करना जारी रखते हैं और कोई अतिलंघन कार्यवाहियां ऐसे उद्यमों के विरुद्ध संस्थित नहीं की जाएंगी।" (24)

(श्री कमलनाथ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 21 तक विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 — अध्याय 5 के शीर्षक का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 26 में, "अभ्यावेदन और विरोधी कार्यवाहिंया" के स्थान पर

"पेटेंट अनुदत्त करने के लिए विरोधी कार्यवाहियां" रखें। (40)

(श्री कमलनाथ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 22, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 - धारा 25 और धारा 26 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 8, पंक्ति 40 और पृष्ठ 9, पंक्ति 1 में,–

"और नियंत्रक ऐसे अभ्यावेदन पर ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए विचार करेगा और उसका निपटान करेगा" के स्थान पर, "और नियंत्रक यदि, ऐसे व्यक्ति द्वारा सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाए तो उसे सुनेगा और ऐसे अभ्यावेदन पर ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए उसका निपटान करेगा" रखें। (25)

पृष्ठ 9, पंक्ति 2 से पंक्ति 5 का लोप करें। (26)

पृष्ठ 9, पंक्ति 6 में, "(3)" के स्थान पर, "(2)" रखें; (27)

पृष्ठ 10, पंक्ति 21 में, (i) "(4)" के स्थान पर, "(3)" रखें;

(ii) "(3)" के स्थान पर, "(2)" रखें; (28)

पृष्ठ 10, पंक्ति 30 में, "(5)" के स्थान पर, "(4)" रखें; (29)

पृष्ठ 10,–

(i) पंक्ति 33 में, "(6)" के स्थान पर, "(5)" रखें;

(ii) पंक्ति 34 में, "(5)" के स्थान पर, "(4)" रखें; (30)

पृष्ठ 10, पंक्ति 33 में, "(3)" के स्थान पर, "(2)" रखें; (31)

पृष्ठ 10, पंक्ति 36 में, (i) "(7)" के स्थान पर, "(6)" रखें;

(ii) "(5)" के स्थान पर, "(4)" रखें; (32)

पृष्ठ 10, पंक्ति 43 में, "(3)" के स्थान पर, "(2)" रखें; (33)

पृष्ठ 8, पंक्ति 18 के पश्चात, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें,–

"जहां, पेटेंट के लिए कोई आवेदन प्रकाशित कर दिया गया है किंतु पेटेंट अनुदत्त नहीं किया गया है, वहां कोई व्यक्ति लिखित में नियंत्रक को निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर, पेटेंट अनुदत्त करने के विरुद्ध विरोध के रूप में अभ्यावेदन दे सकेगा, अर्थात्–

(क) यह कि पेटेंट के आवेदक ने या उस व्यक्ति ने जिसके अधीन या मार्फत वह दावा करता है, आविष्कार को या उसके किसी भाग को उससे या ऐसे व्यक्ति से जिसके अधीन या जिसकी मार्फत वह दावा करता है, गलत ढंग से अभिप्राप्त किया है;

(ख) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में अभी तक दावाकृत आविष्कार को दावे की पूर्विकता की तारीख से पूर्व–

(i) किसी पेटेंट के लिए किसी ओवदन के अनुसरण में भारत में एक जनवरी, 1912 को या उसके पश्चात् फाइल किए गए किसी विनिर्देश में; या

(ii) भारत में यह कहीं और किसी अन्य दस्तावेज में,

प्रकाशित कर दिया गया है:

परंतु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट आधार वहां उपलब्ध नहीं होगा जहां ऐसे प्रकाशन से धारा 29 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान नहीं होता है;

(ग) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावाकृत आविष्कार का किसी पूर्ण विनिर्देश के किसी ऐसे दावे में दावा किया गया है जो आवेदक के दावे की पूर्विकता तारीख को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया गया है और में किसी पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन के अनुसरण में फाइल किया गया है, जो ऐसा दावा है जिसकी पूर्विकता तारीख आवेदक के दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्वतर है;

(घ) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में अभी तक दावाकृत आविष्कार, भारत में उस दावे की पूर्विकता की तारीख से पूर्व सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से प्रयोग में था।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी प्रक्रिया से संबंधित किसी आविष्कार के बारे में, जिसके लिए किसी पेटेंट

का दावा किया गया है, यह समझा जाएगा कि वह दावे की पूर्विकता की तारीख से पूर्व भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात हो चुका है या जिसका सार्वजनिक रूप से प्रयोग हो चुका है यदि उस प्रक्रिया द्वारा निर्मित कोई उत्पाद उस तारीख से पूर्व भारत में पहले ही आयातित हो चुका है उसके सिवाय जहां ऐसा आयात युक्तियुक्त विचारण या केवल प्रयोग के प्रयोजनों के लिए हुआ है;

(ङ) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में अभी तक दावाकृत आविष्कार स्पष्ट है और खंड (ख) में यथाउल्लिखित प्रकाशित विषय को ध्यान में रखते हुए या उस विषय को ध्यान में रखते हुए जो दावे की पूर्विकता की तारीख से पूर्व भारत में प्रयोग में था, स्पष्ट रूप से कोई अविष्कार संबंधी कार्रवाई अंतर्वलित नहीं है;

(च) यह कि पूर्ण विनिर्देश का कोई दावा इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत कोई आविष्कार नहीं है या उस अधिनियम के अधीन पेटेंट योग्य नहीं है;

(छ) यह कि पूर्ण विनिर्देश पर्याप्त रूप से और स्पष्ट रूप से आविष्कार का या उस पद्धति का, जिसके द्वारा इसका पालन किया जाना है, वर्णन नहीं करता है;

(ज) यह कि आवेदक धारा 8 द्वारा अपेक्षित सूचना नियंत्रक को प्रकट करने में असफल रहा है या उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की है जो किसी सारवान् विशिष्टि में उसकी जानकारी में गलत थी;

(झ) यह कि कन्वेन्शन आवेदन की दशा में, यह आवेदन आवेदक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जिससे उसका हक व्युत्पन्न होता है कन्वेन्शन देश में किए गए आविष्कार के संरक्षण के लिए किए गए प्रथम आवेदन की तारीख से 12 मास के भीतर नहीं किया गया था;

(ञ) यह कि पूर्ण विनिर्देश में आविष्कार के लिए उपयोग किए गए जैव पदार्थ के स्रोत या भौगोलिक उद्‌गम को प्रकट नहीं करता है या गलत रूप में उल्लिखित करता है;

(ट) पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में जहां तक दावा किया गया है, आविष्कार भारत में या किसी स्थानीय या स्वदेशी समुदाय के भीतर या अन्यत्र उपलब्ध मौखित या अन्य जानकारी को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशित है; (41)

(श्री कमलनाथ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 23, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 42 — धारा 59 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवन्ना अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:—

"कि खंड 42 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 से 51 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय वस्तु से सुसंगत होगा, पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 34 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय वस्तु से सुसंगत होगा, पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन

संख्या 34 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 51क – धारा 84 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 15 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें,–

'51क. **मूल अधिनियम की धारा 84 में,–**

(क) उपधारा (i) में, ''मुद्रांकन'' **शब्द के स्थान पर,**

''अनुदान'' शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (6) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

स्पष्टीकरण- खंड (iv) के प्रभोजनों के लिए, ''मुक्तियुक्त अवधि'' का ऐसी अवधि के रूप में अर्थ लगाया जाएगा जो सामान्यत: छह मास की अवधि से अधिक नहीं है। (34)

(श्री कमलनाथ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

''कि नया खंड 51क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खंड 51क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 52 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 53 – धारा 90 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री अजय चक्रवर्ती, श्री सी.के. चन्द्रप्पन और श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी अपने संशोधन सं. 67 और 8 प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम संशोधन सं.35 को लेते हैं - श्री कमल नाथ

संशोधन किया गया:–

पृष्ठ 16, पंक्ति 21 से 32 **के स्थान पर रखें,–**

''(vii) कि अनुज्ञप्ति भारतीय बाजार में प्रदाय के प्रधान प्रयोजन से अनुदत्त की गई है और यह कि अनुज्ञप्तिधारी, यदि धारा 84 की उपधारा (vii) के उप खंड(क) के उपखंड (iii) के उपबंधों के अनुसार आवश्यक हो तो पेटेन्टीकृत उत्पाद का निर्यात भी कर सकेगा।

(viii) कि अर्द्ध चालक प्रौद्योगिकी की दशा में, अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति लोक वाणिज्येत्तर उपयोग के लिए आविष्कार के क्रियान्वयन के लिए है;

(ix) यदि अनुज्ञप्ति न्यायिक या प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के पश्चात् प्रतियोगी विरोधी अवधारित की गई पद्धति का उपचार करने के लिए अनुदत्त की गई है तो अनुज्ञप्तिधारी को, यदि आवश्यकता हो तो पेटेन्टीकृत उत्पाद का निर्यात करने की अनुज्ञादी जाएगी।''

(35)

(श्री कमलनाथ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

''कि खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 54 – नयी धारा 92क का अंत: स्थापन

संशोधन किया गया:–

पृष्ठ 16, पंक्ति 39 में,

''परंतु यह तब जबकि ऐसे देश द्वारा अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो'' **के स्थान पर,** ''परंतु यह जबकि ऐसे देश द्वारा अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो या ऐसे देश ने भारत से, अधिसूचना द्वारा या अन्य पेटेन्टीकृत भेषजीय उत्पादों का आयात अनुज्ञात किया हो'' रखें। (36)

(श्री कमलनाथ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

''कि खंड 54, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 54, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 55 से 59 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 60 — धारा 117क का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 18, पंक्ति 7 में, "(5)" **के पश्चात,** "(4)" रखें
(37)

(श्री कमल नाथ)

अध्यक्ष महोदय : आप 'पक्ष' में भी इतने धीमे स्वर में बोल रहे हैं कि मुझे ही चिल्लाना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 60, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 60, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 61 से 78 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। इससे मुझे भी शक्ति मिलती है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की जान है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.14 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 23 मार्च, 2005/2 चैत्र, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री के.एस. राव श्री मधु गौड यास्खी	261
2.	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री हेमलाल मुर्मू	262
3.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री कीरेन रिजीजू	263
4.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	264
5.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	265
6.	श्री एल. राजगोपाल श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	266
7.	श्री रामदास आठवले श्री कृष्णा मुरारी मोघे	267
8.	श्रीमती अनुराधा चौधरी श्री मुन्शी राम	268
9.	श्री एस.के. खारवेनथन	269
10.	श्री विजय कृष्ण श्री सुग्रीव सिंह	270
11.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	271
12.	श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन	272
13.	श्री अनंत कुमार	273
14.	श्री हरिन पाठक प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	274
15.	श्री प्रभुनाथ सिंह डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	275
16.	श्री बी. विनोद कुमार	276
17.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री अबदुल्लाकुट्टी	277
18.	श्री रनेन बर्मन श्री असादूद्दीन ओवेसी	278
19.	श्री सुकदेव पासवान	279
20.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	2972
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2869, 2885, 2917, 2920, 2990
3.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	2821, 2870
4.	अहमद, श्री अतीक	2838

1	2	3
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2835, 2927, 3016
6.	अनंत कुमार, श्री	2935, 2995
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	2961
8.	अर्गल, श्री अशोक	2855
9.	आठवले, श्री रामदास	2953, 3001, 3034
10.	आजमी, श्री इलियास	2821, 2828
11.	"बचदा", श्री बची सिंह रावत	2862
12.	बादल, श्री सुखबीर सिंह	2852, 3034
13.	बंसल, श्री पवन कुमार	2876, 2963, 3011
14.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2850, 2943, 3012
15.	बर्मन, श्री हितेन	2899
16.	बखला, श्री जोवाकिम	2899, 2926
17.	भगोरा, श्री महावीर	2896
18.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2913
19.	बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	2956
20.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2897, 2978
21.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2829
22.	बोस, श्री सुब्रत	2899
23.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2962
24.	बैसोमुथियारो, श्री सानछुमा खुंगुर	2872
25.	चंदेल, श्री सुरेश	2824
26.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2854, 2869, 2009, 3033
27.	चौरे, श्री बापू हरी	2842, 2953
28.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2883, 2969

1	2	3
29.	चिन्ता मोहन, डा.	2880
30.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	2866, 2948, 3002
31.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	2875, 2879, 2958, 3045
32.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	2990, 3017
33.	चौधरी, श्री अधीर	2887, 2949, 2973
34.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2869, 2961, 3009
35.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	3043
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2831
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2933, 2955
38.	गमांग, श्री गिरिधर	2826, 2929
39.	गंगवार, श्री संतोष	2853
40.	गाव, श्री तापिर	2865
41.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2909, 2986, 3022
42.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2871, 2965
43.	गोहेन, श्री राजेन	2919
44.	गुढ़े, श्री अनंत	2903, 2980, 3031
45.	हमज़ा, श्री टी.के.	2857, 3033
46.	हसन, श्री मुनव्वर	2859, 2944, 2962, 3035
47.	जगन्नाथ, डा. एम.	2905, 3019, 3050
48.	जय प्रकाश, श्री	3009
49.	जयाप्रदा, श्रीमती	2886
50.	झा, श्री रघुनाथ	2841, 2928, 3025, 3044
51.	जोगी, श्री अजीत	2918, 2940
52.	कलमाडी, श्री सुरेश	2961, 2967

1	2	3
53.	कामत, श्री गुरुदास	2868, 2954
54.	करुणाकरन, श्री पी.	2827, 2871, 2999, 3037
55.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2907, 2984
56.	खां, श्री सुनील	2874
57.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2916, 2989, 3024
58.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2923, 2979, 2997, 3033
59.	कोली, श्री रामस्वरूप	2840, 3042
60.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2965
61.	कृष्ण, श्री विजय	2934, 2998, 3030
62.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2901, 2975
63.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2884, 2970, 3014
64.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2880, 2971
65.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3043
66.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2921, 3046
67.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2878, 2946, 3050
68.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2849, 2938
69.	महाजन, श्री वाई.जी.	2871, 2959, 2962
70.	महतो, श्री बीर सिंह	2821
71.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2821, 2861, 3041
72.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2883, 2969
73.	मंडल, श्री सनत कुमार	2908, 2985, 3021
74.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2955, 3003
75.	मनोज, डा. के.एस.	2843, 2930, 2994, 3047
76.	मिडियम, डा. बाबू राव	3006

1	2	3
77.	मेघवाल, श्री कैलाश	2836, 2981
78.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2868, 2888
79.	मैन्या, डा. टोकचोम	2851, 2967
80.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2916, 2936, 2989, 3024
81.	मुकीम, मो.	2844, 2931, 2996, 3032
82.	मो. ताहिर, श्री	2880, 3002
83.	मोहित, श्री सुबोध	2825, 2983
84.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3040
85.	मुन्शी राम, श्री	2866, 3002
86.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2946, 3020
87.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2873
88.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	2854, 3033
89.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2902
90.	निखिल कुमार, श्री	2949
91.	ओराम, श्री जुएल	2877, 2968, 3049
92.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2922, 2961, 2993, 3031
93.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2848
94.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2959, 3017
95.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2856
96.	पासवान, श्री सुकदेव	2882, 3033
97.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	2822
98.	पटेल, श्री दिन्शा	2904
99.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2990, 3029
100.	पाठक, श्री ब्रजेश	2900, 2969, 2979, 3027

1	2	3
101.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2906, 2982
102.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2875, 2879, 2958, 3045
103.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2832, 2889, 2925, 2946, 2992
104.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2821, 2867, 2870, 3041
105.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2860, 2945, 3048
106.	राजगोपाल, श्री एल.	2952
107.	राजेन्द्र कुमार, श्री	2944
108.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2920, 2991, 3029
109.	राव, श्री के.एस.	2949
110.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2950, 2999, 3033
111.	राव, श्री डी. विट्टल	2881
112.	रावले, श्री मोहन	2893
113.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2869, 2912
114.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2890, 2975, 3018
115.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2941
116.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2821, 2867
117.	साहु, श्री चंद्रशेखर	2899
118.	सज्जन कुमार, श्री	2858, 2966, 3013
119.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2823, 2854, 2933, 2960, 3008
120.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2987
121.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2911
122.	सत्पथी, श्री तथागत	2917, 2920, 2990, 3029
123.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3039
124.	सेठ, श्री लक्ष्मण	3040

1	2	3
125.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3038
126.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2875, 2958
127.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3036
128.	शर्मा, श्री मदन लाल	2877, 3031
129.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2917, 2920, 2942, 3004, 3049
130.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2866, 2884, 2970
131.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	2938, 2964
132.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2940
133.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2830, 2852, 2924, 3023
134.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	2855
135.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2937, 3007
136.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2936
137.	सिंह, श्री दुष्यंत	2867, 2914, 2978, 2988, 3026
138.	सिंह, श्री गणेश	2839
139.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3003
140.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2889
141.	सिंह, श्री मानवेन्द्र	2847
142.	सिंह, श्री मोहन	2892, 2977, 3019
143.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2864, 3005
144.	सिंह, श्री राकेश	2851
145.	सिंह, श्री सुग्रीव	2869, 2947, 2990, 3010
146.	सिंह, श्री उदय	2895, 2961
147.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3037
148.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2863

1	2	3
149.	सुब्बा, श्री मणी शंकर	2845, 2874
150.	सुमन, श्री रामजीलाल	2886, 2971
151.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2834, 2857, 2926, 3033
152.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2898
153.	थामस, श्री पी.सी.	2910
154.	तुम्मर, श्री वी.के.	2861
155.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2959, 3017
156.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2885, 2891, 2976, 3028
157.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2969
158.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2915
159.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2951, 3000
160.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2855
161.	वर्मा, श्री राजेश	2889, 2957, 2961, 2974
162.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2944
163.	विनोद कुमार, श्री बी.	2957, 3006
164.	यादव, श्री अखिलेश	2856, 2939, 3015, 3033
165.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2821, 2837
166.	यादव, श्री बालेश्वर	2833
167.	यादव, श्री राम कृपाल	3033
168.	यादव, श्री सीता राम	2888
169.	यास्खी, श्री मधु गौड	2932, 2949
170.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2894, 3031
171.	जाहेदा, श्री महबूब	3040

विवरण-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	263, 264, 265, 266, 268, 272
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	
मानव संसाधन विकास	:	261, 267, 269, 270, 271, 275, 277, 278
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	262
शहरी विकास	:	274, 279, 280
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	273, 276.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2830, 2832, 2840, 2845, 2867, 2870, 2871, 2878, 2880, 2884, 2887, 2894, 2902, 2905, 2910, 2912, 2914, 2920, 2946, 2947, 2950, 2951, 2953, 2959, 2660, 2961, 2972, 2974, 2982, 2983, 2988, 2992, 2999, 3000, 3002, 3014, 3023, 3037, 3038, 3039, 3045, 3048.
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	:	2874
गृह	:	2825, 2829, 2849, 2850, 2851, 2852, 2855, 2856, 2863, 2868, 2872, 2876, 2877, 2881, 2892, 2893, 2898, 2899, 2903, 2909, 2918, 2919, 2922, 2923, 2924, 2933, 2939, 2948, 2949, 2952, 2962, 2967, 2971, 2976, 2980, 3004, 3005, 3008, 3017, 3019, 3025, 3031, 3034, 3035, 3041, 3043, 3044, 3046, 3047, 3050.
मानव संसाधन विकास	:	2822, 2823, 2827, 2828, 2831, 2834, 2837, 2838, 2848, 2854, 2857, 2873, 2875, 2888, 2889, 2890, 2895, 2897, 2901, 2904, 2906, 2907, 2916, 2917, 2921, 2925, 2926, 2938, 2942, 2958, 2963, 2964, 2970, 2973, 2979, 2984, 2985, 2987, 2989, 2990, 2991, 2997, 3006, 3009, 3010, 3011, 3021, 3022, 3024, 3026, 3029, 3033, 3040, 3049.

संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	2835, 2842, 2865, 2885, 2896, 2908, 2929, 2943, 3020.
शहरी विकास	:	2826, 2833, 2836, 2841, 2844, 2846, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2864, 2882, 2883, 2886, 2891, 2900, 2913, 2915, 2928, 2931, 2932, 2934, 2935, 2936, 2937, 2944, 2945, 2954, 2955, 2957, 2966, 2968, 2977, 2993, 2996, 2998, 3001, 3007, 3012, 3013, 3015, 3028, 3030, 3032, 3036, 3042.
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	2821, 2847, 2853, 2869, 2940, 2941, 2956, 2969, 2986, 2995, 3018, 3027.
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2824, 2839, 2843. 2866, 2879, 2911, 2927, 2930, 2965, 2975, 2978, 2981, 2994, 3003, 3016

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/8/18/2005 .(एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।